युद्ध में अयोध्या
हेमंत शर्मा

युद्ध में अयोध्या

हेमंत शर्मा

तुम्हारे हाथ मेरी उँगलियों में साँस लेते हैं। में लिखने के लिए अब भी कलम कागज़ उठाता हूँ। तुम्हे बैठा हुआ अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ।

—पापा के लिए

मोहि कहाँ विश्राम

अयोध्या से मेरा निजी, सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक रिश्ता रहा है। बाप-दादा वहीं के रहने वाले थे, इसलिए अयोध्या मेरे संस्कारों में है। वह मन से उतरती नहीं। अयोध्या मेरे लिए श्रद्धा का वह स्तर है कि मेरी दादी कभी अयोध्या नहीं कहती थीं। उनके मुँह से हरदम 'अयोध्या जी' ही निकलता था।

इस निकटता में मैंने अयोध्या को एक झाँकी या चलचित्र की तरह घटते या गुजरते देखा है। मैंने जो भी देखा, महसूस किया, उसे ईमानदारी से, बेधड़क होकर लिखा है। मैंने उस दौर को भोगा है। अयोध्या मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। इस किताब में मेरी कोशिश उन सभी घटनाओं को दर्ज करने की रही है, जिनका मैं साक्षी रहा हूँ। आग्रह-दुराग्रह से परे, जो देखा, सब लिख दिया।

अपना यह दावा बड़बोलापन होगा कि यह किताब अयोध्या के सच का सौ टका शुद्ध दस्तावेज होगी। बावजूद इसके मैंने अपनी सोच और संकल्प में यह ठाना, कि हर उस पहलू पर लिखा जाए, जो अयोध्या के सच का प्रामाणिक रिकॉर्ड बने। समसामयिक घटनाओं का ब्योरा महज एक पहलू है, मैंने उसके पीछे की राजनीति और नेताओं की नीयत को भी उधेड़ने का काम किया है। ऐसा करना घटनाओं का 'पोस्टमार्टम' करना होगा। इस पहलू को भी पूरी निष्पक्षता से अंजाम देने की कोशिश की है। इन सबसे इतर किताब में अयोध्या का वह आईना भी है,

जो तारीखों के साथ ही पुरातत्त्व के इतिहास को भी लिए हुए है। यह इतिहास अयोध्या के भीतर ही कहीं खोया हुआ था। आप इस बात को मानें, न मानें, पर पुरातत्त्व की पड़ताल ने ही अयोध्या विवाद की जमीनी वास्तविकताओं को उधेड़ा है। यह पड़ताल इतिहास के अलग-अलग कालखंडों के सच की दास्ताँ लिए हुए है। अयोध्या सत्ता का नहीं, हिंदू आस्था का केंद्र भी है। तो इस केंद्र में वक्त के साथ क्या-क्या घटा? आस्थावान कैसे जीते? जीतते-जीतते उनमें क्या परिवर्तन हुआ? वक्त की चुनौतियों के आगे आस्था कैसे अटूट रही? इन सबका एक शब्दचित्र पुरातत्त्व की जाँच और इतिहास के मान्य साक्ष्यों से निकलकर सामने आता है। काम मुश्किल था, पर मैंने कोशिश की। अयोध्या के सच को इतिहास, वर्तमान और भविष्य के कालखंड में इस तरह लिखा जाए कि वह एक प्रामाणिक दस्तावेज बने।

अयोध्या को लंबे समय तक विवादित ढाँचे के तीनों गुंबदों से ही जाना जाता रहा है। मगर सिर्फ ये तीन गुंबद अयोध्या का सच नहीं हैं। बाबरी ढाँचे को ढहाए जाने के साथ ही तीनों गुंबद अब स्मृतिशेष रह गए हैं। अयोध्या का सच इससे अलग है। यह सच भारत की विरासत, परंपरा, सांस्कृतिक इतिहास और धार्मिक मूल्यों में गहरे तक धँसा हुआ है। अयोध्या वीतरागी है। अयोध्या निस्पृह है। अयोध्या में बह रही सरयू के पानी में भी एक तरह की निसंगता है। भक्ति में डूबी अयोध्या का चरित्र अपने

नायक की तरह ही धीर, शांत और निरपेक्ष है। अयोध्या एक लक्षण है, मजहबी असहिष्णुता के विरुद्ध प्रतिकार का। अयोध्या एक प्रतीक है, भारत राष्ट्र के आहत स्वाभिमान का। अयोध्या एक संकल्प है, अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से हर कीमत पर जुड़े रहने का। अयोध्या शमशीर से निकली उस विचारधारा का प्रतिकार है, जो सर्वपंथ समादर, सर्वग्राही और उदार सहिष्णुता के भारतीय आदर्शों को स्वीकार नहीं करती। उसे कुचलती जाती है।

अयोध्या का मतलब है,

जिसे शत्रु जीत न सके। युद्ध का अर्थ हम सभी जानते हैं। योध्य का मतलब, जिससे युद्ध किया जा सके। मनुष्य उसी से युद्ध करता है, जिससे जीतने की संभावना रहती है। यानी अयोध्या के मायने हैं, जिसे जीता न जा सके। पर अयोध्या के इस मायने को बदल विजेता की तरह ये तीन गुंबद राष्ट्र की स्मृति में दर्ज हैं।

अयोध्या का मतलब है, जिसे शत्रु जीत न सके। युद्ध का अर्थ हम सभी जानते हैं। योध्य का मतलब जिससे युद्ध किया जा सके। मनुष्य उसी से युद्ध करता है, जिससे जीतने की संभावना रहती है। यानी अयोध्या के मायने हैं, जिसे जीता न जा सके। पर अयोध्या के इस मायने को बदल ये तीन गुंबद राष्ट्र की स्मृति में विजेता की तरह दर्ज हैं। ये गुंबद हमारे अवचेतन में शासक बनाम शासित का

मनोभाव बनाते हैं। पिछले सौ वर्षों से देश की राजनीति इन्हीं गुंबदों के इर्दगिर्द घूम रही है। आजाद भारत में अयोध्या को लेकर बेइंतहा बहसें हुईं। सालोसाल 'नैरेटिव' चला, पर किसी ने उसे बूझने की कोशिश नहीं की। सब कुछ इन्हीं गुंबदों के इर्दगिर्द घटता रहा। अब भी घट रहा है। हालाँकि गुंबद अब नहीं हैं, पर उसकी धुरी जस की तस है। इस धुरी की तीव्रता, गहराई और उसके सच को पकड़ने का कोई बौद्धिक अनुष्ठान कभी नहीं हुआ, जिसमें इतिहास के साथ-साथ वर्तमान और भविष्य को जोड़ने का माद्दा हो। ताकि इतिहास के तराजू पर आप सच-झूठ का निष्कर्ष निकाल सकें और उन तथ्यों से दो-दो हाथ करने के प्रामाणिक, ऐतिहासिक और वैधानिक आधार के भागी बनें।

अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को जो कुछ हुआ, वह किसी भी हिंदू परंपरा में मान्य और प्रतिष्ठित नहीं है। पर वह हुआ क्यों? इस पर विचार करने को भी हमारे हुक्मरान तैयार नहीं हैं। कोई इसे बूझना भी नहीं चाहता कि इस आक्रोश की जड़ें कहाँ हैं। सिवाए इसके कि राजनैतिक दल ध्वंस के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। इतिहास की गहराई में थोड़ा सा उतरते ही यह तस्वीर भी साफ होने लगती है। 1934 में हिंदुओं की एक विशाल भीड़ ने बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद तोड़ दिए थे। फैजाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने बाद में इनका पुनर्निर्माण करवाया। उस वक्त हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए

विश्व हिंदू परिषद अस्तित्व में भी नहीं थी। इससे पहले भी 1855 में अयोध्या में भारी संघर्ष हुआ। नवाब वाजिद अली शाह की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 हजार लोगों ने ढाँचे को घेर लिया। यह संघर्ष खूनी था। 70 मुसलमान मारे गए। ढाँचे का एक हिस्सा फिर गिरा। उस वक्त तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था। कोई चुनाव भी सामने नहीं था। यानी इन गुंबदों को लेकर आक्रोश हर काल में था। पर किसी ने उसे समझने और सुलझाने की कोशिश नहीं की। दरअसल यह चुनाव की राजनीति नहीं, दो विचारधाराओं का टकराव था, जिसमें एक—विचारधारा, उपासना स्वातंत्र्य, सर्वपंथ समभाव, पंथनिरपेक्षता पर टिकी थी। तो दूसरी—मजहबी एकरूपता, धार्मिक विस्तारवाद और असहिष्णुता पर टिकी थी।

1934 में हिंदुओं की एक विशाल भीड़ ने मस्जिद के तीनों गुंबद तोड़ दिए थे। फैजाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने बाद में इनका पुनर्निर्माण करवाया। उस वक्त हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए विश्व हिंदू परिषद अस्तित्व में भी नहीं थी। इससे पहले भी 1855 में अयोध्या में भारी संघर्ष हुआ। 70 मुसलमान मारे गए। ढाँचे का एक हिस्सा फिर गिरा। उस वक्त तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था।

राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के तीन महान स्वप्न हैं। तीनों का रास्ता अलग-अलग है। डॉ. राममनोहर

लोहिया को मैं अपने जमाने का सबसे बड़ा 'सेकुलर' मानता हूँ। उनका जन्म भी फैजाबाद में हुआ था। वे कहते थे, "राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है, कृष्ण की उन्मुक्त और शिव असीमित व्यक्तित्व के स्वामी है। मैं जानता हूँ, इस देश का मानस गढ़ने में राम, कृष्ण और शिव की भूमिका रही है।... देश के सांस्कृतिक इतिहास में यह निरर्थक बात है, भारतीय पुराण के ये महान लोग धरती पर पैदा हुए भी या नहीं।... राम हिंदुस्तान की उत्तर-दक्षिण एकता के देवता थे।" लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लोहिया के चेले यह नहीं समझ पाए और वे आडवाणी से लड़ते-लड़ते राम से लड़ने लगे। अगर वामपंथी मित्रों ने भी लोहिया और गांधी की नजर से राम को देखा होता तो वे अयोध्या आंदोलन के मर्म को आसानी से समझ लेते।

अयोध्या के इन गुंबदों का ध्वंस देश को भीतर तक हिला गया। मैं इस ध्वंस का साक्षी रहा। ध्वंस की रणनीतियों से लेकर ढाँचा बचाने की खोखली कोशिशों का गवाह रहा हूँ। 'सेक्युलरिज्म' की आड़ में राजनीति के बदलते रंग को भी बेहद करीब से देखा है। यह किताब विवादित परिसर का ताला खुलने से लेकर उसके ध्वंस तक अयोध्या के भीतर और बाहर की उथल-पुथल का आँखों देखा और कानों सुना शब्दचित्र है। वक्त की उस अयोध्या को मैंने जैसा देखा, पाया और एहसास किया, वैसा ही लौटा रहा हूँ। न कुछ जोड़ा है और न ही घटाया है। जो जैसा मौजूद है, उसे वैसा ही अयोध्या के हवाले

करता आया हूँ। अगर आप उस वक्त की अयोध्या को महसूस करना चाहते हैं। उस तनाव की अनुभूति करना चाहते हैं, जो अयोध्या झेल रही थी। उस पीड़ा और संत्रास को भोगना चाहते हैं, जो अयोध्या भोग रही थी, तो आप पूरे अयोध्या आंदोलन के दौरान 'जनसत्ता' में छपी मेरी रिपोर्टों का संकलन 'अयोध्या का चश्मदीद' पढ़ सकते हैं। वह किताब भी प्रभात प्रकाशन ने छापी है।

अयोध्या के इन गुंबदों का ध्वंस देश को भीतर तक हिला गया। मैं इस ध्वंस का साक्षी रहा। ध्वंस की रणनीतियों से लेकर ढाँचा बचाने की खोखली कोशिशों का गवाह रहा हूँ। 'सेक्युलरिज्म' की आड़ में राजनीति के बदलते रंग को भी बेहद करीब से देखा है। यह किताब विवादित परिसर का ताला खुलने से लेकर उसके ध्वंस तक अयोध्या के भीतर और बाहर की उथल-पुथल का आँखों देखा और कानों सुना शब्दचित्र है।

आमतौर पर शुरुआत निर्माण से होती है। ध्वंस निर्माण की अंतिम परिणति है। मैंने नियति की इस परिपाटी के विरुद्ध जाकर इस पुस्तक को ध्वंस से शुरू करने का दुस्साहस किया है। अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 का यह ध्वंस अपने भीतर रहस्य की इतनी कहानियाँ छिपाए हुए है कि उन्हें पढ़ते और समझते हुए जिज्ञासा की भी साँसें उखड़ने लगती हैं। उस रोज का जितना हिस्सा अभी सामने आया है, उसका कई गुना उसकी गुमनाम

घड़ियों के भीतर फँसा हुआ है। उस दिन सिर्फ अयोध्या में ही हलचल नहीं थी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत की सबसे वीआईपी और रसूखदार गलियाँ भी बुरी तरह व्यस्त थीं। उस वक्त की अयोध्या कोई आम अयोध्या नहीं थी। वह इस मुल्क की बदलती राजनीति और समाज के बदलते सत्य की सबसे बड़ी, लेकिन मौन गवाह बनकर सामने खड़ी थी। बदले की आग में झुलसते कारसेवक आडवाणी और जोशी को भी संदेह की नजरों से देख रहे थे। कारसेवकों ने अपने इन सर्वमान्य नेताओं के साथ भी धक्का-मुक्की कर डाली। वे किसी भी कीमत पर कारसेवा रोकने को तैयार नहीं थे। यह भी पहली बार हुआ था कि संघ आधिकारिक रूप से अयोध्या की किसी योजना में शामिल था। संघ के तीन प्रमुख नेता एच.वी. शेषाद्रि, के.एस. सुदर्शन और मोरोपंत पिंगले 3 दिसंबर से ही अयोध्या में डेरा डाले हुए थे। आंदोलन के सारे सूत्र इन्हीं के पास थे। मैं उस जगह पर खड़ा था, जहाँ से विवादित ढाँचे की एक-एक ईंट साफ नजर आ रही थी। यह सीता रसोई की छत थी। यहीं पुलिस का कंट्रोलरूम भी था। इधर ढाँचा ढहाने की तैयारियाँ परवान चढ़ रही थीं, उधर दिल्ली से लेकर लखनऊ और अयोध्या तक राजनीति अवसरवादिता के नए कुचक्र रच रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के फोन अयोध्या में विनय कटियार के घर पर लगातार घनघना रहे थे। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस बात से

खफा थे कि गुपचुप बनाई गई ध्वंस की यह योजना उन तक क्यों नहीं पहुँची? उन्हें अँधेरे में क्यों रखा गया? इस सबके बावजूद वे कारसेवकों पर गोली न चलाने के स्पष्ट निर्देश दे चुके थे। यह आदेश उन्होंने आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर लिखित रूप में दिया था, ताकि बाद में किसी अफसर की जवाबदेही न तय हो।

बीजेपी को अयोध्या में विवादित ढाँचे को ढहाए जाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मगर कांग्रेस की भूमिका कितनी अलग थी? उस रात नौ बजे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अयोध्या पर केंद्र सरकार का राज होता है। फिर भी अगले 36 घंटों तक केंद्र की कांग्रेस सरकार जलती अयोध्या में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है।

राजनीति कितनी अजीब और उलझी हुई होती है, यह भी उस दिन अयोध्या ने देखा। बीजेपी को अयोध्या में विवादित ढाँचे को ढहाए जाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मगर कांग्रेस की भूमिका कितनी अलग थी? उस रात नौ बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अयोध्या पर केंद्र सरकार का राज होता है। फिर भी अगले 36 घंटों तक केंद्र की कांग्रेस सरकार जलती अयोध्या में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। कारसेवकों से विवादित परिसर खाली नहीं करा पाती है। तथ्य यह भी है कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की दोबारा स्थापना उस वक्त हुई, जब राष्ट्रपति शासन के चलते अयोध्या केंद्र के

हवाले थी। रामलला के अस्थायी मंदिर का निर्माण भी इसी दौरान हुआ। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी बेहद हैरान करने वाली 'गोपनीय' रपटें केंद्र सरकार को भेज रहे थे। वे कारसेवकों को 'शांतिपूर्ण' बताते हुए विधानसभा भंग करने या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति से साफ इनकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे ऐसे किसी भी कदम से देश में हिंसा फैल जाने का अंदेशा भी जता रहे थे। सच यह भी था कि नरसिंह राव ने जिस वक्त कैबिनेट की बैठक बुलाकर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की; उसके तीन घंटे पहले ही कल्याण सिंह इस्तीफा दे चुके थे। फिर भी उनकी बर्खास्तगी का पूरा नाटक रचा गया। अयोध्या अपने कथित पालनहारों के हर रंग, हर रूप से वाकिफ हो रही थी। कभी चौंक जाती थी। कभी आक्रामक हो उठती थी तो कभी बेबस होकर अपने प्रभु राम से रक्षा की भीख माँगती थी।

6 दिसंबर, 1992 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 'ग्राउंड जीरो' पर क्या-क्या हुआ? उसकी तस्वीर मैंने खासतौर पर खींची है। घंटे दर घंटे का यह पूरा घटनाक्रम किताब में मौजूद है। सुबह 7 बजे विनय कटियार के घर पर प्रधानमंत्री नरसिंह राव के फोन आने से लेकर शाम 7 बजे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तक सभी जाने-अनजाने घटनाक्रम मूल रूप में यहाँ समाए हुए हैं। श्रीराम जन्मभूमि पुलिस चौकी के प्रभारी गंगा प्रसाद

तिवारी द्वारा दर्ज की गई मूल एफ.आई.आर. को भी ज्यों का त्यों यहाँ दिया है। इस एफ.आई.आर. में 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो' जैसे नारों के साथ आठ बड़े नामों का जिक्र था। अयोध्या में बेहद चौंकाने वाली स्थिति केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी थी। वे पूरी अयोध्या में तैनात थे, पर हरकत में कहीं नहीं थे। राज्य सरकार उनके खिलाफ केंद्र सरकार को हैरानी भरी रपटें भेज रही थी। जिनमें यहाँ तक लिखा गया था कि वे लालबत्ती वाले इलाकों यानी 'रेड लाइट एरिया' में उत्पात मचा रहे हैं। उन्हें लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति थी। कल्याण सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री एस.बी. चह्वाण के वे खत यहाँ मौजूद हैं, जो अयोध्या की इस राजनीति में सुरक्षा बलों को भी पीसने की सुनियोजित कोशिशों के गवाह थे। ये खत अयोध्या के भविष्य की ओर साफ इशारा कर रहे थे। ध्वंस के बाद इन्हीं सुरक्षा बलों की जो तस्वीर सामने आई, वह और भी हैरान करने वाली थी। ढाँचा ढहाए जाने के बाद बने रामलला के अस्थायी मंदिर में सुरक्षा बलों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। ये कतार दर्शन और पूजन के लिए थी। अफसरों की लाख चेतावनी के बावजूद जवानों के दर्शन-पूजन और प्रसाद लेने का यह क्रम जारी रहा। उनकी आस्था और श्रद्धा वहाँ पसरी हुई थी। मंदिर के आसपास तैनात सभी जवानों ने जूते-मोजे उतार रखे थे।

6 दिसंबर, 1992 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम

7 बजे तक 'ग्राउंड जीरो' पर क्या-क्या हुआ? उसकी तस्वीर मैंने खासतौर पर खींची है। घंटे दर घंटे का यह पूरा घटनाक्रम किताब में मौजूद है। सुबह 7 बजे विनय कटियार के घर पर प्रधानमंत्री नरसिंह राव के फोन आने से लेकर शाम 7 बजे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश तक सभी जाने-अनजाने घटनाक्रम मूल रूप में यहाँ समाए हुए हैं।

उधर अयोध्या को लेकर हो रही साजिशें बाँध तोड़ रही थीं। इधर प्रधानमंत्री नरसिंह राव संत समाज में तोड़-फोड़ करने पर आमादा थे। उन्होंने अपने निजी सचिव पी.बी.आर.के. प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंप रखी थी। वे आंध्र प्रदेश काडर के आई.ए.एस.थे। लंबे समय तक तिरुपति तिरुमाला देवस्थान ट्रस्ट के सचिव रहे थे। इसलिए साधु-संतों-धर्माचार्यों से उनके करीबी रिश्ते थे। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत पीठों के अध्यक्ष, कांची, द्वारका, बद्री, पुरी के शंकराचार्य, तमिलनाडु के जियार, उत्तर में रामानुज परंपरा का निर्वाह करने वाले सभी मठों के मुखिया, उडुपि और उत्तरादि मठ के मुखिया, वल्लभाचार्य परंपरा के संत, गौड़ीय और चैतन्य संप्रदाय। राव के निशाने पर सभी थे। कोशिश कुछ ऐसा करने की थी कि संत समाज में दो फाड़ हो जाएँ।

इस सबके बीच एक फैसला ऐसा था, जो अगर समय पर आ जाता तो अयोध्या की तस्वीर कुछ दूसरी ही होती। यह फैसला ध्वंस के 5 दिनों के बाद आया। मामला

अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन को लेकर था। इसके अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला देना था। यह फैसला अगर 6 दिसंबर से पहले आ जाता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि ढाँचा बच सकता था। केंद्र सरकार की आरएसएस और बीजेपी के साथ लंबी बातचीत इस मसले पर चल रही थी। यहाँ भी राजनीति हुई। बातचीत करने वाले दुतरफा चालें चल रहे थे। 6 दिसंबर की कारसेवा इसी जमीन पर होनी थी। इससे पहले भी कारसेवा इसी 2.77 एकड़ जमीन पर हो चुकी थी। अयोध्या की स्थिति को हाईकोर्ट का यह फैसला सँभाल सकता था। सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट से जल्दी फैसला देने के लिए कह चुका था। 3 नवंबर, 1992 को यह फैसला 'रिजर्व' भी कर लिया गया था। लेकिन नियति का फैसला कुछ और ही था। 5 दिन बाद यानी 11 दिसंबर, 1992 को जब यह फैसला आया, तब तक गुंबद ध्वस्त हो चुके थे। धैर्य, सब्र और सहिष्णुता जैसे शब्द सरयू की उफनाई धारा में समा चुके थे। मैंने विध्वंस से एक महीने पहले की उन तमाम महत्त्वपूर्ण बैठकों का ब्योरा भी यहाँ दिया है, जो इसी फैसले के जल्दी आने को लेकर थीं। इसके किरदार बेहद महत्त्वपूर्ण हैं।

नवबंर, 1992 की अलग-अलग तारीखों को हुई इन बैठकों में शरद पवार से लेकर पी.आर. कुमार मंगलम, आरएसएस नेता राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया', मोरोपंत पिंगले और बीजेपी के कद्दावर नेता भैरोंसिंह शेखावत भी शामिल

थे। फिर इसी मसले पर राव और आडवाणी की बैठक हुई। गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण और लालकृष्ण आडवाणी में भी बात हुई। कल्याण सिंह से लेकर महंत परमहंस रामचंद्रदास, नानाजी देशमुख, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी तक ने प्रधानमंत्री से बातचीत की। इन सारी मुलाकातों में आंदोलन के नेताओं ने सिर्फ एक बात की गुजारिश की। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से मामले में तेजी लाने को कहें, ताकि कारसेवा शांतिपूर्वक और नियमों के साथ हो सके। इस सुनहरे मौके को क्यों गँवा दिया गया? अयोध्या समाधान की बनती स्थितियों को बिगाड़ देने और फिर डुबो देने के स्तर तक पहुँचाने वाले चेहरे कौन थे? मैंने इन सबकी पड़ताल की है।

नियति ने मेरी भी भूमिका इस मामले में तय की थी। मेरे संपादक स्वर्गीय प्रभाष जोशी भी अयोध्या पर 'बात कैसे बने', इस पहल का हिस्सा थे। प्रभाष जोशी, निखिल चक्रवर्ती, विजय प्रताप, राम बहादुर राय और स्वयं मैं आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अली मियाँ से मिले। उसके बाद हम सबकी महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात हुई। तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी इस कोशिश के गवाह थे। बाद में केंद्र की सरकार भी इस बातचीत का हिस्सा बनी। मगर बात आखिरकार नीयत पर अटक गई। एक बड़े विवाद का समरस समाधान होते-होते रह गया। यह महत्त्वपूर्ण

कोशिश, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, हिस्सा भी था, इस पुस्तक में ज्यों की त्यों मौजूद है।

अयोध्या मामले को सुलझाने को लेकर बातचीत अरसे से होती आई है। मगर इस तरह की बातचीत कभी सफल क्यों नहीं हो सकी? इसके कारण और इसके पीछे की राजनीति भी बड़ी स्पष्ट है। इस तरह की बातचीत के हर स्तर और किरदार का यहाँ जिक्र है। सुलझाने के नाम पर की जाने वाली कई कोशिशें अपनी नीयत और नियति में विचित्र थीं। सुलझाने के नाम पर ये जो कुछ भी करतीं, वह एक नई उलझन को न्योता देता। यह सब अनायास नहीं था। इसके पीछे राजनीतिक फायदे और नुकसान का तराजू था। राव सरकार के कम-से-कम चार मंत्री अलग-अलग स्तरों पर बातचीत कर रहे थे—शरद पवार, पी.आर. कुमार मंगलम, कमलनाथ। बाद में बलराम जाखड़ भी बातचीत में शामिल हुए। फॉर्मूले तक पहुँचने के लिए पत्रकारों के एक समूह और इंटेलीजेंस के एक बड़े अफसर को भी शामिल किया गया। उडुपि के पेजावर स्वामी और पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण जैसी विशिष्ट शख्सियतें भी सुलह-सफाई में लगीं। बात यहाँ तक पहुँची कि मंदिर का निर्माण विवादित ढाँचे से 20 फीट की दूरी पर किया जा सकता है। उधर नानाजी देशमुख की प्रधानमंत्री राव से बात चल रही थी। कमलनाथ आडवाणी से मिल रहे थे। दिलचस्प तस्वीर यह थी कि राव सरकार का एक मंत्री जो प्रस्ताव सामने लाता, उसे दूसरा सिरे से खारिज कर देता।

मसलन कमलनाथ के प्रस्ताव को एक दूसरे मंत्री पी.आर. कुमार मंगलम ने खारिज कर दिया। कुमार मंगलम खुद भी बातचीत में शामिल थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत भी मामले को अंजाम तक ले जाने की कोशिशों में जुटे थे। राव ऊपरी तौर पर आरएसएस की मुखालफत कर रहे थे, मगर भीतर-ही-भीतर बातचीत भी कर रहे थे। वे कुछ संपादकों के जरिए केशव कुंज स्थित संघ मुख्यालय से सीधे संपर्क में थे। चंद्रास्वामी के जरिए भी राव ने अयोध्या में हस्तक्षेप की कोशिश की। उनकी यह कोशिश सीधे तौर पर अयोध्या आंदोलन को तोड़ने की थी। अयोध्या के नाम पर धोखे पर धोखे दिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री राव और फैजाबाद के सांसद विनय कटियार के बीच कारसेवा को लेकर हुई गोपनीय बातचीत कब कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बन गई, मालूम ही न चला। राव की चालें बेहद महीन थीं, मगर दिक्कत इस बात की थी कि वे लाख कोशिश करके भी अयोध्या आंदोलन को तोड़ नहीं पा रहे थे। 6 दिसंबर, 1992 की स्थिति कैसे आई, इसे समझने की खातिर इसी साल की कुछ पुरानी अहम तारीखों से गुजरना बेहद जरूरी हो जाता है। ये तारीखें वह आईना थीं, जिसमें झाँकते ही अयोध्या की आने वाली विध्वंसक तस्वीर की झलक साफ हो जाती है। मैंने इन सभी तारीखों का ब्योरा रखा है। ये तारीखें अयोध्या से लेकर दिल्ली तक हुई तमाम राजनीतिक बैठकों और उन्हें घेरे हुई साजिशों की

जीती-जागती गवाह हैं।

दिलचस्प तस्वीर यह भी थी कि राव सरकार का एक मंत्री जो प्रस्ताव सामने लाता, उसे दूसरा सिरे से खारिज कर देता। मसलन कमलनाथ के प्रस्ताव को एक दूसरे मंत्री पी.आर. कुमार मंगलम ने खारिज कर दिया।

इतिहास अयोध्या का है। अयोध्या राम की है। और राम लोक के हैं। मैंने इस पुस्तक में अयोध्या के इतिहास को भी उकेरने की कोशिश की है। वह इतिहास, जो मिथकों और पौराणिक कहानियों से होता हुआ विदेशी आक्रांताओं एवं अंग्रेज यात्रियों की जुबानी उभरकर आया। अंग्रेज यात्री विलियम फिंच से लेकर आस्ट्रिया के पादरी जोसेफ टाइफेनथालेर तक तमाम यायावर और उनकी कलम के दस्तावेज इस किताब में हैं। रामलला के मंदिर और इसके विध्वंस को लेकर किसने क्या लिखा, सब समेटने की कोशिश की गई है। औरंगजेब की पौत्री से लेकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह की रपटों तक। वाल्टर हैमिल्टन के गजट से लेकर फैजाबाद अदालत के अफसर हफीजुल्लाह के इकरारनामे तक। किस-किस ने और किस-किस तरह से समय-समय पर अयोध्या को राम से जोड़ा और क्या-क्या साक्ष्य दिए? जोड़ने वाले ये वे लोग थे, जिनका राम से कोई वास्ता नहीं था।

अधिकारी भक्ति और कर्तव्य की दो शिलाओं के बीच पिसते दिखते हैं। उस वक्त भारत सिर्फ दो साल

का अनुभवहीन लोकतंत्र था। देश के विभाजन के बाद जो नफरत की हवा बह रही थी। उससे सांप्रदायिक भावनाएँ पूरे आवेग में थीं। ऐसे में इन अफसरों पर जनता के दबाव को समझना होगा। इन दबावों के आगे नेहरू और पटेल को भी झुकना पड़ा था। वे मूर्तियाँ हटवाने में असफल रहे थे।

अयोध्या में विवादित परिसर को लेकर हुए मुकदमे भी बेहद रोचक हैं। अवध के थानेदार शीतल दूबे की दिसंबर 1858 की रिपोर्ट हो या फिर बाबरी मस्जिद के खातिब और मुअज्जिन मुहम्मद असगर की आपत्ति, सभी अयोध्या के असली चरित्र पर मुहर लगाती दिखाई देती हैं। 22-23 दिसंबर, 1949 की दरम्यानी रात विवादित परिसर में रामलला की मूर्तियाँ रखे जाने के बाद प्रशासन की आपसी चिट्ठियाँ दस्तावेज की शक्ल में आपके सामने हैं। अयोध्या के डीएम और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के बीच जिन लफ्जों में बातचीत हुई, वह उस समय की अफसरशाही की सोच का आईना है। अधिकारी भक्ति और कर्तव्य की दो शिलाओं के बीच पिसते दिखते हैं। भक्ति की इस प्रेरणा के पीछे ऐतिहासिक अन्याय की टीस छिपी होती है। उस वक्त भारत सिर्फ दो साल का अनुभवहीन लोकतंत्र था। देश के विभाजन के बाद जो नफरत की हवा बह रही थी। उससे सांप्रदायिक भावनाएँ पूरे आवेग में थीं। ऐसे में इन अफसरों पर जनता के दबाव को समझना होगा। इन दबावों के आगे नेहरू और पटेल

को भी झुकना पड़ा था। वे मूर्तियाँ हटवाने में असफल रहे थे। विभाजन की विभीषका ने राष्ट्र की अस्मिता का बोध कराया था। यही आत्मबोध मंदिर आंदोलन के मूल में रहा। मैंने इन सभी पहलुओं को उनकी संपूर्णता के साथ अपनी कलम का साझीदार बनाया है।

ध्वंस के पीछे के किरदार सिर्फ वे ही नहीं थे, जो 6 दिसंबर, 1992 को रामभक्तों की उस भीड़ को उकसा रहे थे या जिनके आह्वान पर वह भीड़ आई थी। उन कथित सेकुलर ताकतों का भी इसमें बड़ा रोल था, जिनकी राजनीति अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की भावनाओं की क्षतिपूर्ति के दो आयामों के बीच नाचती रही। अयोध्या में राममंदिर का शिलान्यास इसी की परिणति था। मैं इस शिलान्यास के वक्त मौके पर मौजूद था। शिलान्यास के फैसले से जुड़े कई चरित्र मेरे अभिन्न मित्रों में से थे। उन्होंने आपसी बातचीत में सारी परतें उधेड़कर रख दीं। राजीव गांधी के निजी सहायक आर.के. धवन ने मुझे बताया कि राजीव गांधी को यह समझाया गया कि आप आम चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में राममंदिर का शिलान्यास करा दें और अयोध्या से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करें। राजीव गांधी ने अपना चुनाव अभियान अयोध्या से ही शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण में ‘रामराज्य’ के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता दुहराई। उस वक्त राजीव गांधी के भाषण-लेखक मणिशंकर अय्यर होते थे। उनका कहना था कि मेरे लिखे

भाषण में रामराज्य का कहीं जिक्र भी नहीं था। राजीव गांधी ने देश के माहौल के दबाव में खुद से रामराज्य का आह्वान किया था, ताकि भावनात्मक स्तर पर चुनाव में उन्हें इसका फायदा हो।

आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी अदालत के फैसले का पालन महज चालीस मिनट के भीतर हो गया। अयोध्या में 1 फरवरी, 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के जिला जज देते हैं। शाम 4.40 पर अदालत का फैसला आता है और 5 बजकर 20 मिनट पर विवादित इमारत का ताला खुल जाता है।

इस शिलान्यास में देवरहा बाबा का भी विशिष्ट रोल था। वे राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के बीच मध्यस्थ की भूमिका में थे। राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी भी जब किसी समस्या से घिरतीं तो समाधान के लिए बाबा के पास ही जाती थीं। राजीव गांधी 6 नवंबर को वृंदावन में बाबा से मिलने गए। बाबा ने कहा, 'मंदिर बनना चाहिए। आप शिलान्यास करवाएँ। लेकिन शिलान्यास की जगह बदली न जाए।' इसी मुकाम पर यह तय हो गया कि अब शिलान्यास होकर रहेगा। मगर कांग्रेस के भीतर के राजनीतिक विरोधाभास यहाँ टकरा रहे थे। शिलान्यास पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी में सहमति नहीं बन पा रही थी। मैं

इसका गवाह था। एन.डी. तिवारी खासतौर पर बूटा सिंह से काफी उखड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि बूटा सिंह इस बात पर अड़े हुए हैं कि प्रशासन यह साबित करे कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है। आखिर वही हुआ। एन.डी. तिवारी मन मसोसकर रह गए। वे इस कदम के राजनीतिक अंजाम की कल्पना से घबराए हुए थे। इतिहास ने उन्हें सही साबित किया।

अयोध्या में शिलान्यास से पहले एक और महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो चुका था। यह था विवादित इमारत का ताला खुलना। मैं इस दौरान भी अयोध्या में ही था। ताला अदालत के फैसले से खुला। मगर यह फैसला हैरानी की सारी हदें पार करने वाला था। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी अदालत के फैसले का पालन महज चालीस मिनट के भीतर हो गया। अयोध्या में 1 फरवरी, 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के जिला जज देते हैं। शाम 4.40 पर अदालत का फैसला आता है और 5 बजकर 20 मिनट पर विवादित इमारत का ताला खुल जाता है। उस वक्त केंद्र और राज्य दोनों ही जगह कांग्रेसी हुकूमत थी। सभी कुछ पहले से तय था। दूरदर्शन की टीम ताला खुलने की पूरी प्रक्रिया कवर करने के लिए वहाँ पहले से मौजूद थी। तब दूरदर्शन के अलावा कोई और समाचार चैनल नहीं था। इस कार्रवाई को दूरदर्शन के जरिए उसी शाम पूरे देश में दिखाया गया। फैजाबाद में

दूरदर्शन का केंद्र नहीं था। कैमरा टीम लखनऊ से आई थी। लखनऊ से फैजाबाद जाने में तीन घंटे लगते थे। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही थी। अयोध्या में तो सिर्फ किरदार थे। मेरे सूत्र इस बड़े घटनाक्रम के पीछे की पटकथा की पुष्टि कर रहे थे, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरह अँधेरे में रखा गया था। उसे कोई भनक तक नहीं थी कि वहाँ हो क्या रहा है? सिवाय मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के, जिन्हें यह निर्देश दिए गए थे कि वे अयोध्या को लेकर सीधे-सीधे और सिर्फ अरुण नेहरू के संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वीर बहादुर सिंह इस मुद्दे पर मुझसे खुले थे। उनके मुताबिक पूरे मामले का संचालन अरुण नेहरू राजीव गांधी के परामर्श से कर रहे थे। वीर बहादुर सिंह ने मुझे यह भी बताया कि फैजाबाद के कमिश्नर को सीधे दिल्ली से आदेश आ रहे थे। दिल्ली का हुक्म था कि इस बात के सब उपाय किए जाएँ कि ताला खोलने की अर्जी मंजूर हो। मेरी बात फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्णमोहन पांडेय से भी हुई, जिन्होंने ताला खोलने का आदेश दिया था। जज कृष्णमोहन पांडेय धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रिटायर होने के बाद वे लखनऊ की न्यू हैदराबाद कॉलोनी में रहते थे। शाम को गोमती के किनारे बाँध पर टहलते हुए मेरी अकसर उनसे मुलाकात होती थी। धर्म और अध्यात्म के बारे में वे खूब बातें करते। उन्होंने मुझे अपने फैसले के पीछे एक बंदर और दैवीय

प्रेरणा की थ्योरी विस्तार से सुनाई। यह भी बताया कि इस फैसले के रूप में उन्होंने दैवीय प्रेरणा का सम्मान किया। फैसले ने उन्हें भीतर से बहुत आत्मसंतुष्टि दी। जज साहब बताते थे कि ताला खुलने का आदेश लिखने के दिन अदालत की छत पर एक काला लंगूर बैठा था, जो कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। बाद में उसे मैंने अपने घर पर भी पाया। वह कोई दैवीय ताकत थी। यह ताकत ही इस आदेश की प्रेरणा बनी। आप हँस सकते हैं, पर कहा उन्होंने यही था।

अयोध्या में ताला खुला तो कांग्रेस के भीतर और बाहर की राजनीति जमकर गरमाई। राजीव गांधी से लेकर अरुण नेहरू, मणिशंकर अय्यर से लेकर वीर बहादुर सिंह और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मो. उस्मान आरिफ के बीच अलग-अलग स्तरों पर राजनीतिक रस्साकशी हुई। यह रस्साकशी जितनी रोचक थी, नीयत के लिहाज से उतनी ही स्पष्ट भी। ताला खुलने के केंद्र में रहे किरदारों की नीयत क्या थी? इसका कच्चा चिट्ठा भी इस किताब में मौजूद है। इस दौर के कई दिलचस्प किस्से भी मुझे पता चले। स्थितियाँ यहाँ तक पहुँच गईं कि मुख्यमंत्री की ओर से राजभवन को सरकारी हवाई जहाज देने से इनकार करने का बहाना ढूँढ़ा गया, ताकि राज्यपाल मौके पर न जा सकें। क्योंकि उस वक्त के राज्यपाल मो. उस्मान आरिफ मौका-ए-मुआयना कर मुस्लिम अवाम को संतुष्ट करने पर अड़े हुए थे।

राजीव गांधी किस कदर अयोध्या में भव्य राममंदिर बनवाने पर आमादा थे, इसके एक नहीं, कई सबूत मेरे सामने थे। ढाँचा ढहाए जाने के वक्त फैजाबाद के एस.एस.पी. रहे देवेंद्र बहादुर राय ने मुझे इस सिलसिले में हुई एक महत्त्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी। वे तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के सुरक्षाधिकारी हुआ करते थे। यह मीटिंग राजीव गांधी के इशारे पर वीर बहादुर सिंह और महंत अवेद्यनाथ के बीच हुई थी। इसमें वीर बहादुर सिंह ने भव्य राममंदिर के 'राजीव मॉडल' का खुलासा किया, मगर कुछ कारणों से बात नहीं बन सकी। मैंने इस किताब में अयोध्या के इन्हीं घटनाक्रमों से एक समग्र चित्र खींचने की कोशिश की है। अयोध्या मामले में दी गई ए.एस.आई. की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के आधार पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु भी किताब में समाहित हैं।

इन तमाम घटनाक्रमों से ये एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यह धारणा गलत है कि राम जन्मस्थान को लेकर बीजेपी या जनसंघ ने ही लड़ाइयाँ लड़ीं या मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ उनकी ही प्रतिबद्धता रही। मेरा निष्कर्ष है कि इस पूरे विवाद और आंदोलन के पीछे कांग्रेस मजबूती से रही। कांग्रेस की नीति आजादी के बाद से ही मंदिर समर्थक की रही।

इन तमाम घटनाक्रमों से यह एक बात तो शीशे की

तरह साफ हो जाती है कि यह धारणा गलत है कि राम जन्मस्थान को लेकर बीजेपी या जनसंघ ने ही लड़ाइयाँ लड़ीं या मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ उनकी ही प्रतिबद्धता रही। मेरा निष्कर्ष है कि इस पूरे विवाद और आंदोलन के पीछे कांग्रेस मजबूती से रही। कांग्रेस की नीति आजादी के बाद से ही मंदिर समर्थक की रही। विवाद की शुरुआत 23 दिसंबर, 1949 से होती है, जब रात के अँधेरे में विवादित इमारत में मूर्तियाँ प्रकट हुईं या कर दी गईं। तब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें थीं। विभाजन की त्रासदी के बाद देश में जो सांप्रदायिक हालात थे, उसके आगे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने घुटने टेके। मूर्तियों की पूजा-अर्चना शुरू हुई। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इच्छा से ही विवादित इमारत का ताला खुला। रामलला को दर्शनों के लिए मुक्त किया गया। 1989 में राजीव सरकार के गृहमंत्री बूटा सिंह और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के सक्रिय सहयोग से मंदिर का शिलान्यास हुआ। चुनाव को देखते हुए शिलान्यास विवादित जगह पर कराया गया था। यह दस्तावेजों से जाहिर है। बाद में राजीव गांधी ने अपना चुनाव अभियान भी अयोध्या से ही शुरू किया। किस लाभ के लिए? यह सबको पता है। 6 दिसंबर, 1992 के ध्वंस के लिए बीजेपी से कहीं ज्यादा केंद्र की कांग्रेसी सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्रपति शासन लगने के 36 घंटे बाद तक नरसिंह राव सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। सुरक्षा बलों

की कार्रवाई को रोके रखा गया। इन सारी घटनाओं में बीजेपी कहाँ है? क्यों केंद्र सरकार ने विध्वंस के बाद कार्रवाई नहीं होने दी? क्यों वहाँ रामलला की पुनर्स्थापना होने दी? जबकि विध्वंस के चार घंटे बाद तो अयोध्या केंद्र सरकार के हवाले थी।

6 दिसंबर, 1992 के ध्वंस के लिए बीजेपी से कहीं ज्यादा केंद्र की कांग्रेसी सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्रपति शासन लगने के 36 घंटे बाद तक नरसिंह राव सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई को रोके रखा गया। इन सारी घटनाओं में बीजेपी कहाँ है? क्यों केंद्र सरकार ने विध्वंस के बाद कार्रवाई नहीं होने दी? क्यों वहाँ रामलला की पुनर्स्थापना होने दी? क्योंकि विध्वंस के चार घंटे बाद तो अयोध्या केंद्र सरकार के हवाले थी।

साल 1990 में अयोध्या की चर्चित कारसेवा हुई। मुलायम सिंह की सरकार ने निहत्थे कारसेवकों पर गोलियों की बौछार करवा दी। अयोध्या की गलियाँ खून से लाल हो उठीं। इसके पीछे की राजनीति बेहद अहम है। मुलायम और वी.पी. सिंह के बीच 'इगो' का टकराव और 'अवसरवाद' हालात को यहाँ तक ले आए। वर्ष नब्बे में केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह जनता दल की सरकारें थीं। मगर अयोध्या के सवाल पर जितनी दूरी विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थी, उससे कहीं ज्यादा दूरी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच थी। दोनों के संबंध परस्पर अविश्वास, धोखाधड़ी और षड्यंत्रों की बुनियाद पर टिके हुए थे। मुलायम सिंह यादव से मेरी निकटता थी। वे अकसर मुझसे राजनैतिक चर्चा करते थे। उनका साफ मानना था कि वी.पी. सिंह उनकी सरकार को गिराने का बहाना ढूँढ़ रहे थे। वे साधु-संतों को उनके खिलाफ भड़का रहे थे। यही वजह थी कि वी.पी. सिंह जब अयोध्या पर झगड़ा करने वाले पक्षों से बातचीत शुरू करते तो मुलायम सिंह उनसे टकराव का रास्ता अख्तियार कर लेते। वी.पी. सिंह ने भी मुझे परदे के पीछे की कई बातें बताईं। वी.पी. सिंह ने मुझे यह भी बताया कि एक बार वे बातचीत से समझौते के एकदम करीब आ गए थे। तब मुलायम सिंह ने उन संतों को ही गिरफ्तार करवा दिया, जिनसे वे बात कर रहे थे। मुलायम की पीठ पर उस वक्त चंद्रशेखर का हाथ था। और चंद्रशेखर वी.पी. सिंह के प्रबल विरोधी थे।

रथयात्रा निकाल रहे आडवाणी की गिरफ्तारी के मसले पर भी मुलायम सिंह और वी.पी. में धोबी पाट चल रहा था। मुलायम आडवाणी को गिरफ्तार कर धर्म निरपेक्षता के चैंपियन बनना चाहते थे, मगर वी.पी. सिंह ने लालू से बात करके उनकी इस योजना की हवा निकाल दी। आपसी षड्यंत्रों से सने इन घटनाक्रमों के बीच अयोध्या में कारसेवा शुरू हुई। अयोध्या के उस रक्त-रंजित गोलीकांड को मैंने खुली और हैरान आँखों से देखा।

अयोध्या के मंदिरों के घंटा-घड़ियाल बंद हो गए। मंदिरों में शाम का भोग नहीं लगा। फायरिंग के बाद का दृश्य हिला देने वाला था। अयोध्या में चारों तरफ शोक और उत्तेजना थी। फैजाबाद के आम नागरिक सड़कों पर थे। मैंने फायरिंग की अगली सुबह कमिश्नर आवास के ठीक सामने एक हैरान करने वाली तस्वीर देखी। सरकारी अफसरों की पत्नियाँ और सेना के अधिकारियों की पत्नियाँ कमिश्नर को घेरे खड़ी थीं। वे निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाए जाने को लेकर कमिश्नर से तीखे सवाल पूछ रही थीं। सेना के अधिकारियों की पत्नियों ने शहर में एक विरोध जुलूस निकाला। यह जुलूस छावनी से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस तक पहुँचा। उनके हाथ में 'निहत्थे कारसेवकों की हत्या बंद करो', 'जनरल डायर मत बनो' जैसे बैनर और प्ले कार्ड थे। पूरी अयोध्या बगावत पर उतर आई थी। फैजाबाद और लखनऊ के बीच का रास्ता बंद हो चुका था। कमिश्नर मधुकर गुप्ता अपना आवास छोड़कर भाग चुके थे।

मैंने इस किताब में कुछ ऐसे किरदारों के बारे में भी लिखा है, जो नेपथ्य में थे। मगर अयोध्या के राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की पूरी डोर उनके ही हाथ थी। मोरोपंत पिंगले एक ऐसे ही किरदार थे। दरअसल अयोध्या आंदोलन के असली रणनीतिकार वही थे। उनकी बनाई योजना के तहत देश भर में कोई तीन लाख रामशिलाएँ पूजी गईं। गाँव से तहसील, तहसील से जिला और जिले से

राज्य मुख्यालय होते हुए लगभग 25 हजार शिला-यात्राएँ अयोध्या के लिए निकली थीं। चालीस देशों से पूजित शिलाएँ अयोध्या आई थीं। यानी अयोध्या के शिलान्यास से 6 करोड़ लोग सीधे और भावनात्मक रूप से जुड़े। इससे पहले देश में इतना सघन और घर-घर तक पहुँचने वाला कोई आंदोलन नहीं हुआ था।

अयोध्या आंदोलन पर मेरी जानकारी का आधार इस मसले से जुड़ी कई शख्सियतें थीं। जिनसे समय-समय पर मैं बात करता रहता था। पर यह जानकर नहीं कि इसे कभी लिखूँगा। जिन महानुभावों से समय-समय पर मेरी लंबी चर्चा हुई, उनमें अशोक सिंघल (आंदोलन के रणनीतिकार), विनय कटियार, रामचंद्र परमहंस, गुरु वसंत सिंह (मूर्तियाँ रखे जाते वक्त फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह के बेटे), मो. हाशिम अंसारी (आजादी के पहले से बाबरी मस्जिद के लिए अदालती लड़ाई लड़ने वाले), अरुण नेहरू (पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नजदीकी मंत्री रहे, फिर वी.पी. सिंह के करीबी मंत्री), वीर बहादुर सिंह (ताला खुलते वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री), पी.आर. कुमार मंगलम (प्रधानमंत्री नरसिंह राव की ओर से अयोध्या मामले को देखने वाले केंद्रीय मंत्री), राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, स्वामी करपात्री जी (राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव रखने वाले), मणिशंकर अय्यर (प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निजी सचिव), सुब्रहमण्यम स्वामी (मंदिर आंदोलन में

शुरू से सक्रिय), कृष्ण मोहन पांडेय (विवादित इमारत के ताला खोलने का आदेश देने वाले जिला जज), महंत अवेद्यनाथ (राम जन्मभूमि के न्यास के अध्यक्ष), नारायण दत्त तिवारी (शिलान्यास के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री), देवेंद्र द्विवेदी (कांग्रेस महासचिव और प्रधानमंत्री नरसिंह राव के रणनीतिकार), मुलायम सिंह यादव (कारसेवकों पर गोली चलते वक्त उ.प्र. के मुख्यमंत्री), कल्याण सिंह (बाबरी ध्वंस के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री), इंदु प्रकाश पांडेय (ताला खुलते वक्त फैजाबाद के जिलाधिकारी), उमा भारती, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, रमाशंकर अग्निहोत्री (आंदोलन की अधिकृत और अनधिकृत सूचना देने वाले विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख), मोरोपंत पिंगले (अयोध्या आंदोलन का ब्लू प्रिंट तैयार करने वाले), उमेश चंद्र पांडेय (ताला खुलने की अर्जी लगाने वाले कांग्रेसी पृष्ठभूमि के वकील), डॉ. वेद प्रताप वैदिक (साधु-संतों से बातचीत करने वाले नरसिंह राव के दूत), राम बहादुर राय (कई बातचीत में शामिल पत्रकार), श्रीशचंद्र दीक्षित (विहिप और देवरहा बाबा के बीच के सूत्र, जो राज्य पुलिस के महानिदेशक भी रह चुके थे।), जितेंद्र प्रसाद (नरसिंह राव के राजनैतिक सलाहकार), योगेंद्र नारायण (बाबरी ध्वंस के वक्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव), नृपेंद्र मिश्र (बाबरी आंदोलन और कारसेवा के दौरान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रमुख सचिव), अशोक कांत सरन (ढाँचा

गिरते वक्त फैजाबाद के आई.जी.), अशोक प्रियदर्शी (आंदोलन के दौरान लखनऊ के जिलाधिकारी), मौलाना अली मियाँ नदवी (मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष), जफरयाब जिलानी (बाबरी मामले की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक), मुख्तार अनीस (शिया नेता और वी.पी. सिंह की तरफ से मुसलमानों से बात करने वाले समाजवादी), सुरेंद्रपाल गौड़ (फैजाबाद के कमिश्नर) जैसे लोग शामिल थे। मैंने अयोध्या पर जो लिखा है, उसका आधार ज्यादातर इन लोगों से बातचीत है। जिनके साथ मैं इस विवाद में चश्मदीद रहा। कभी किनारे बैठ देखता रहा, कभी बातचीत में शामिल रहा। कुछ घटनाओं में पात्र भी रहा।

बाबरी ध्वंस के अपने-अपने मायने हैं। कोई इसे भारत के लोकतंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका और खबरपालिका पर हमला कहता है। कोई ऐतिहासिक भावनाओं का विस्फोट। इसे रामजी की मर्जी का नाम देने वाले भी लोग हैं और कुछ इसे विधाता की मर्जी भी कहते हैं। कोई इसे कानून, संविधान, लोकतंत्र से विश्वासघात भी बताता है। यानी जिसकी जैसी दृष्टि उसका वैसा ध्वंस।

बाबरी ध्वंस के अपने-अपने मायने हैं। कोई इसे भारत के लोकतंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका और खबरपालिका पर हमला कहता है, कोई ऐतिहासिक भावनाओं का विस्फोट। इसे रामजी की मर्जी का नाम देने

वाले भी लोग हैं और कुछ इसे विधाता की मर्जी भी कहते हैं। कोई इसे कानून, संविधान, लोकतंत्र से विश्वासघात भी कहता है। यानी जिसकी जैसी दृष्टि, उसका वैसा ध्वंस। हमारे यहाँ धर्म की पहली किताब ऋग्वेद में लिखा है—"एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति।" मगर इस सबके बीच अयोध्या कई सवालों से घिरी रही। सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा कि युद्ध की वृत्ति का निषेध करने वाली अयोध्या के गले हमेशा अंतहीन युद्ध क्यों पड़ा रहा? क्यों अयोध्या पर बार-बार युद्ध थोपा गया? राम को मर्यादित जीवन स्वीकार था, विवादित नहीं। बावजूद इसके उन्हें हमेशा विवादों में क्यों रखा गया?

यह सब तब हुआ, जबकि अयोध्या में स्वभावजनित युद्ध का कोई चरित्र नहीं दिखता है। हर बार बाहरी लोगों ने अयोध्या को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में ढकेला। अयोध्या के साथ निरंतर छल-प्रपंच, षड्यंत्र और धोखा होता रहा। राम हमेशा अयोध्या के रहे, मगर अयोध्या ने उनके साथ ठीक नहीं किया। राज परिवार में जन्मने के बावजूद उन्हें कभी सुख नहीं दिया। शांति नहीं दी। बचपन से ही वे लड़ने-भिड़ने चले गए। उन्हें सुखकर गार्हस्थ्य जीवन नहीं दिया। हमेशा लड़ते-भिड़ते, थकते-हारते रहे। जीवन से जब जलसमाधि ली तो अपने पीछे विवाद ही विवाद छोड़ गए। अयोध्या अभिशप्त सी दिखती है। वहाँ चारों तरफ दुख पसरा दिखलाई पड़ता है। यह भी एक अभिशाप ही है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र होने

के बावजूद अयोध्या उस आर्थिक विकास से अछूती ही रही, जिसने भारत के दूसरे शहरों को बदलकर रख दिया। अयोध्या में ध्वंस के बाद रामलला का जो अस्थायी मंदिर बना है, उसमें सीमेंट की 16 सीढ़ियाँ हैं। उसकी पहली सीढ़ी पर लिखा है, 'हिंदू विजय दिवस 6 दिसंबर, 1992'। यह उस आक्रोश की अभिव्यक्ति थी, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। यह आक्रोश अनायास ही नहीं था। यह सदियों से हिंदू जनमानस के अवचेतन में दबा हुआ था। जब भी इसे उर्वर जमीन दिखाई दी, यह ज्वार बनकर फूट पड़ा। उस रोज भी यही हुआ था।

अयोध्या में ध्वंस के बाद रामलला का जो अस्थायी मंदिर बना है, उसमें सीमेंट की 16 सीढ़ियाँ हैं। उसकी पहली सीढ़ी पर लिखा है, "हिंदू विजय दिवस 6 दिसंबर, 1992"। यह उस आक्रोश की अभिव्यक्ति थी।

एक सवाल सबके मन में उठता है। इतना बड़ा आंदोलन और बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका क्या थी? वे बातचीत और रणनीति बनाए जाने वाली बैठकों में भी उस तरह कहीं नहीं दिखते जैसे दिखना चाहिए था। आंदोलन में भी नहीं, इस किताब में भी नहीं। दरअसल अटल जी और आडवाणी में मंदिर आंदोलन के तरीके को लेकर असहमति थी। इसे उन्होंने कभी जगजाहिर नहीं होने दिया। अटल जी अयोध्या में राममंदिर आंदोलन के हिमायती थे, पर वे उस अभियान

से सहमत नहीं थे, जो मंदिर के लिए चलाया जा रहा था, इसलिए वे मुखर कभी नहीं रहे। वैमत्य भी कभी प्रकट नहीं किया। जब पार्टी को जरूरत होती तो वे बचाव में सामने आते। क्योंकि पार्टी के वे सबसे ज्यादा 'विश्वसनीय' नेता थे। उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती थी। ध्वंस के बाद जब पूरी पार्टी अपराध-बोध से ग्रसित थी। सबके मुँह बंद थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था तो अटल जी पार्टी के बचाव में आगे आए। संसद में लंबा भाषण दिया।

अटल जी अयोध्या मामले का उदारवादी चेहरा माने जाते रहे हैं। उनकी जितनी अनन्य आस्था राम में रही, उतनी ही सद्भाव की संस्कृति में भी रही। वाजपेयी अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के हिमायती रहे, मगर बिना किसी कटुता या संघर्ष के। सीपीआई सांसद हीरेन मुखर्जी को लिखे खत में उन्होंने अयोध्या को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। हीरने मुखर्जी ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात की थी और एक खुली चिट्ठी लिखकर अयोध्या पर अटल जी के रुख को जानना चाहा था। इसके जवाब में अटल जी ने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए हीरेन मुखर्जी से पूछा कि यह स्मारक किस बात का होगा? सिवाय एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के लोगों द्वारा तोड़े जाने की स्मृति के अलावा? ये महत्त्वपूर्ण पत्र-संवाद इस पुस्तक के 'ये भी जरूरी है' अध्याय का हिस्सा हैं। अटल जी एक राजनेता के साथ कवि भी रहे। अयोध्या विध्वंस के एक दिन पहले यानी 5

दिसंबर, 1992 को उन्होंने लखनऊ में एक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने अयोध्या में अगले ही दिन प्रस्तावित कारसेवा की हिमायत की, यज्ञ और निर्माण की बात भी कही। यह भाषण बहुत कुछ कहता है। यह बात अलग रही कि उन्होंने अयोध्या से हमेशा एक सुलझी हुई दूरी बनाए रखी। महंत रामचंद्रदास परमहंस के अंतिम संस्कार के मौके पर वे अयोध्या पहुँचे। वे गुजरे दो दशक में पहली बार यहाँ आए। उस वक्त वे देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने उस मौके पर अयोध्या में भव्य राममंदिर बनाने और महंत रामचंद्रदास परमहंस की अंतिम इच्छा को पूरा करने का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी पर राम जन्मभूमि आंदोलन के सिलसिले में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अयोध्या पर उनके रुख को लेकर सवाल उठाने वालों को संसद में इसी मुद्दे पर दिए गए उनके भाषण को जरूर पढ़ना चाहिए। यह भाषण अयोध्या को लेकर उठे उस दौर के तमाम समीचीन प्रश्नों के सारगर्भित और स्पष्ट उत्तर की तरह है। इस किताब के अध्याय 'ये भी जरूरी है' में आप यह भाषण पढ़ सकते हैं। यह उस वक्त का भाषण है, जब बीजेपी के दूसरे नेताओं के पास ध्वंस का जवाब नहीं था।

दरअसल अटल जी और आडवाणी में मंदिर आंदोलन के तरीके को लेकर असहमति थी। इसे उन्होंने कभी जगजाहिर नहीं होने दिया। अटल जी अयोध्या में राममंदिर आंदोलन के हिमायती थे। पर

वे उस अभियान से सहमत नहीं थे।

यह हकीकत है कि भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया अयोध्या से शुरू हुई। कुछ विद्वान आज भी यह भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या आंदोलन मजहबी आंदोलन था। आप इतिहास की व्याख्या तो बदल सकते हैं, पर इतिहास को नहीं बदल सकते। इतिहास को पीछे ले जाना और उसमें वर्तमान का औचित्य ढूँढ़ना ठीक नहीं होता है। इतिहास की विवेचना तत्कालीन सामाजिक मूल्यों और परिस्थितियों में होनी चाहिए। इस लिहाज से अयोध्या में जो हुआ, वह आहत स्वाभिमान का विस्फोट था। सदियों से दबे हुए आक्रोश का ऐतिहासिक उबाल था। यह उबाल एक दिन में नहीं आया। इसमें खाद-पानी देने का काम राजनैतिक दलों ने वर्षों से किया था। जिसे व्यापक जनसमर्थन मिलने से अयोध्या का मुद्दा जन-आंदोलन बना।

मेरी किशोर आँखों ने जे.पी. आंदोलन भी देखा था। पर जे.पी. आंदोलन की व्याप्ति इतनी नहीं थी। वह आंदोलन विंध्य की पहाड़ियों के उस पार नहीं जा पाया था। उसकी आहट दक्षिण भारत में नहीं सुनी गई। हालाँकि वह आंदोलन विशुद्ध राजनैतिक आंदोलन था। उसका धर्म से लेना-देना नहीं था। अयोध्या आंदोलन उस मायने में व्यापक था। उत्तर-पूर्व से लेकर दक्षिण भारत तक उसकी पहुँच थी।

अब आप कह सकते हैं कि किताब लिखने की वजह

क्या थी। मैं उन तारीखों का चश्मदीद रहा हूँ, जिन्होंने अयोध्या की शक्ल, चरित्र और मायने बदल दिए। पहली बार अयोध्या तेरह बरस की उम्र में गया। उस वक्त यह बात सिर के ऊपर से गुजरती थी कि भगवान को भी मुक्ति की जरूरत है। 1986 में पहली बार अयोध्या-रिपोर्टिंग के लिए गया। फिर तो यह सिलसिला थमा ही नहीं, कोई 30-32 बरसों में डेढ़ सौ से ज्यादा बार अयोध्या जाना हुआ। स्थिति यह थी कि रास्ते की चाय-पान की दुकानें और पेड़-पौधे देख मैं पहचान जाता था कि हम कहाँ पहुँच गए। अयोध्या ने मुझे पत्रकार बनाया। ख्याति दी। ताला खुलने से ध्वंस तक हर वक्त मैं वहाँ मौजूद रहा। इसलिए यह किताब लिख अयोध्या के तीस-बत्तीस बरस के काम को लौटा रहा हूँ। बत्तीस बरस में न जाने कितने लोगों से बात की, इससे यह किताब वाचिक परंपरा में अयोध्या का इतिहास बन गई।

इस किताब में कुछ दुर्लभ चित्र भी आपको मिलेंगे, जो अयोध्या की कहानी को नया आयाम देंगे। चित्र दुर्लभ हैं। और कुछ तो पहली दफा छप रहे होंगे। भाई राजेंद्र कुमार इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

हमने अयोध्या को बहुत नजदीक से देखा। उसकी धार्मिक परंपरा को देखा, उसकी आध्यात्मिक परंपरा को देखा, उसकी आपराधिक परंपरा को देखा। हालाँकि अयोध्या में ज्यादातर साधुओं की परंपरा रामानंदी है। पर यहाँ कुछ रामानुजी मठ भी मिलते हैं। रामानुजी परंपरा में

मठ के महंत के लिए सिर्फ ब्राह्मणों को स्वीकारते हैं, जबकि रामानंदी परंपरा में किसी भी जाति का साधु महंत बन सकता है। यहाँ महंतों की एक अपराधी परंपरा भी है। बाहर से अपराध कर अपराधी अयोध्या आकर इन्हीं मठों में छुप जाते थे। फिर ये संतों-महंतों के चरण दबा साधु बनते थे। थोड़े दिनों बाद ऐसा साधु महंत का गला दबा महंत बन जाता था। इसलिए अयोध्या में एक कहावत प्रचलित थी, 'चरण दबाकर संत बने, गला दबाकर महंत।'

हम 'जय सिया राम' की परंपरा वाले लोग थे। लोक-संस्कृति में राम अकेले नहीं हैं। उनके साथ सीता होती हैं। पर मंदिर आंदोलन में राम अकेले हैं। सीता नहीं हैं। 'सिया राम' लोक के राम हैं। 'जय श्रीराम' महंतों, मठाधीशों के राम हैं। 'सिया राम मैं सब जग जानी'। राम जन्मभूमि आंदोलन में सिर्फ 'जय श्रीराम' का नारा लगा। यह उद्घोष पहली बार रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में सामने आया था। मुझे लगता है कि जन्मभूमि आंदोलन पर रामायण सीरियल का भी असर था। '80 के दशक के आखिरी सालों में धारावाहिक रामायण की लोकप्रियता चरम पर थी। रामायण देखते वक्त कमरे में चप्पल पहनकर कोई नहीं आता था। अगरबत्ती-धूपबत्ती जलाई जाती थी। समूचा हिंदुस्तान राममय होकर रामायण देखता था। ऐसे माहौल में भगवान राम के साथ-साथ राममंदिर के लिए आस्था, श्रद्धा और काफी हद तक जुनून का होना स्वाभाविक है।

अयोध्या समाज और राष्ट्र की तमाम गलियों से गुजरते हुए आज उस मुकाम पर पहुँच चुकी है, जहाँ से अब पीछे लौटने की गुंजाइश ही नहीं है। अयोध्या को आगे ही बढ़ना है। अब यह चुनौती समाज के आगे है और राष्ट्र के आगे भी कि वह अयोध्या की इस अनंत यात्रा में अपनी भूमिका किस तरह तय करता है। मेरी भूमिका अयोध्या की इस यात्रा को इसकी यथार्थपरकता, निस्पृहता, निरपेक्षता और निसंगता के साथ पाठकों के आगे प्रस्तुत कर देने तक ही सीमित है। सो मस्तिष्क, हृदय और आत्मा के छोरों को एक कर इस भूमिका को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहूँ। बस यही कहूँगा, इस प्रक्रिया में अपने पाठकों को थोड़ा भी समृद्ध कर सका तो इसे अयोध्या का आशीर्वाद मानूँगा।

रामनवमी, 2018—**हेमंत शर्मा**

आभार

उन पुरखों का, जिन्होंने मेरे भीतर अयोध्या
के संस्कार पैदा किए।
स्मृतियों का, जिसने इतने लंबे कालखंड को
बिना किसी नोट्स के संजोए रखा।
पिता श्री मनु शर्मा का, जिन्होंने अक्षरपथ पर चलना
सिखाया।
गुरुवर प्रभाष जोशी का, जिन्होंने मुझे उड़ने के लिए
अयोध्या का उन्मुक्त आकाश दिया।
आलोचक डॉ. नामवर सिंह का, जिन्होंने हर मुलाकात
में
तगादा कर यह किताब लिखवाई।
संपादक-त्रयी रामबहादुर राय, हरिशंकर व्यास और
राहुलदेव का,
स्क्रिप्ट पढ़ मार्गदर्शन देने के लिए।
रजत शर्माजी का, जिन्होंने इस किताब को लिखने के
लिए मुझे मुक्ति दी।
लेखन को गढ़नेवाले कारीगर शिवेंद्र कुमार सिंह,
अभिषेक उपाध्याय,
सोपान जोशी और अमित प्रकाश सिंह का।
मित्र सांसद भूपेंद्र यादव का, जिन्होंने अयोध्या फैसल
े की तीन
जिल्दें भेज मुझ पर काम शुरू करने का दबाव
बनाया।

प्रो. पुष्पेष पंत का वैचारिक खुराक के लिए।
भाई तुषार मेहता का, जिन्होंने अयोध्या से
संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए।
माधव जोशी का, जिन्होंने कवर से लेकर लेआउट
तक किताब को
उत्साह और आत्मीयता से सजाया।
डॉ. संदीप कुमार का, शोध और संदर्भ के लिए।
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम तीन मूर्ति के अभिमन्यु
जिंदल और इंडियन एक्सप्रेस
आरकाईव चंडीगढ़ के राजकुमार श्रीवास्तव का,
जिन्होंने 30 बरस पुरानी
मेरी ही कतरनें मुझे मुहैया कराईं।
भारतीय पुलिस सेवा के अफसर राकेश पांडेय का,
जिन्होंने फैजाबाद के गजेटियर से लेकर फैजाबाद गए
विदेशी यात्रियों का
वृत्तांत मुझे लाकर दिया।
इन बेशकीमती, दुर्लभ फोटोग्राफ के लिए भाई राजेंद्र
कुमार,
मनमोहन शर्मा, प्रवीण जैन, किशन सेठ, सत्यनारायण
गोयल, पवन कुमार और महेंद्र त्रिपाठी का,
जिनसे यह किताब रोचक हुई। राजेंद्र कुमार को तो
इन फोटोग्राफ के लिए
कारसेवकों की पिटाई में अपना जबड़ा भी गँवाना पड़ा
था।

जिनके आतिथ्य से बीस बरस तक अयोध्या घर सा लगता रहा,

उन शरद कपूर का।

फैजाबाद के पत्रकार साथी त्रियुग नारायणतिवारी, वी.एन. दास

और ज्ञान प्रकाश पांडेय का।

विचार और लेखन के साथी अजीत अंजुम, दयाशंकर शुक्ल 'सागर', यतींद्र मिश्र,

आलोक श्रीवास्तव, प्रणय यादव, योगेश सिंह, अजय सिंह (वाराणसी),

प्रमोद शुक्ल, यशवंत देशमुख, यशवंत व्यास और मुकेश भारद्वाज का।

लेखन के दौरान रोज चुपचाप बैठ हौसला बढ़ानेवाले सुशील द्विवेदी, रोहित सहाय,

राहुल चौधरी, शमशेर सिंह का।

आशी (स्वर्णा) का अखबारों की कतरन खोजने के लिए।

संधू (संदीप) का देर रात तक प्रिंट निकालने, और किताबें ढूँढ़ने के लिए।

मेरे अनंत आलोचक नवीन तिवारी का, जिन्होंने पांडुलिपि पढ़

पहली बार सराहा 'अच्छा काम' किया है।

किताब के सुरुचिपूर्ण प्रकाशन के लिए भाई प्रभात और पीयूष का।

कप्तान साहब सचिन शर्मा का, आंदोलन का पुलिसिया पक्ष समझाने के लिए।

बड़े भाई शरद शर्मा का हर रोज फोन कर

कितना लेखन आगे बढ़ा पूछने के लिए।

'जेरी' का, जो लेखन के दौरान पूरे वक्त मेरे टेबल के साथ बैठा रहा।

शिशु (ईशानी) का, जिसकी जिद ने किताब लिखवा दी।

पुरु (पार्थ) का, जिसने अपना कंप्यूटर देकर मेरा काम आसान किया।

हर रोज अयोध्या पर वैचारिक नोक-झोंक करने के लिए वीणा का।

और अंत में, आप पाठकों का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर

यह किताब पढ़ने को उठाई।

1.

ध्वंस

मैं विवादित इमारत से कोई सौ गज दूर खड़ा था। सन्न और अवाक्! समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ, वह हकीकत है या बुरा सपना। चारों तरफ बदला! प्रतिशोध!! प्रतिहिंसा का हुंकारा!!! सब कुछ अचानक हुआ। कारसेवक बाबरी ढाँचे पर चढ़ चुके थे। पुलिस प्रशासन को काटो तो खून नहीं। किंकर्तव्यविमूढ़, बेबस और लाचार। मैंने पुलिसबलों का ऐसा गांधीवादी चेहरा पहली बार देखा। 46 एकड़ का पूरा इलाका ध्वंस के जुनून में था। समूचा दृश्य दिल दहलाने वाला था। कोई दो सौ कारसेवक विवादित इमारत के तीनों गुंबदों पर चढ़ लोहे के राड, गैंते और सरियों से चोट कर रहे थे। नीचे कोई एक लाख कारसेवकों ने इमारत को घेर रखा था।

उस रोज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर हर कोई अमर्यादित था। एक-एक कर तीनों गुंबद टूटे और उखड़

गई हिंदू समाज की विश्वसनीयता, वचनबद्धता और उत्तरदायित्व की जड़ें!

एक तरफ ध्वंस के उन्माद में कारसेवक और दूसरी ओर हैरान, सन्न-अवाक् विश्व हिंदू परिषद व बीजेपी नेता। बूझ नहीं पड़ा कि यह सब अचानक कैसे हुआ? कहीं यह पूर्व नियोजित तो नहीं? ध्वंस की धूल और उसके गुबार ने हमारी गंगा-जमुनी तहजीब को ढक लिया था। छह दिसंबर नफरत और धार्मिक हिंसा के इतिहास से जुड़ गया। मेरे सामने सिर्फ साढ़े चार सौ साल पुराना बाबरी ढाँचा नहीं टूट रहा था बल्कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की मर्यादाएँ भी टूट रही थीं। 6 दिसंबर को गीता जयंती थी। द्वापर में इसी रोज महाभारत हुआ था। एक नया महाभारत मेरे सामने घट रहा था।

ध्वंस की धूल और उसके गुबार ने हमारी गंगा-जमुनी तहजीब को ढक लिया था। छह दिसंबर नफरत और धार्मिक हिंसा के इतिहास से जुड़ गया। मेरे सामने सिर्फ साढ़े चार सौ साल पुराना बाबरी ढाँचा नहीं टूट रहा था बल्कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की मर्यादाएँ भी टूट रही थीं। 6 दिसंबर को गीता जयंती थी। द्वापर में इसी रोज महाभारत हुआ था। एक नया महाभारत मेरे सामने घट रहा था।

विश्व हिंदू परिषद का ऐलान था प्रतीकात्मक कारसेवा का। लेकिन वहाँ माहौल चीख-चीखकर कह रहा था कि

कारसेवा के लिए रोज बदलते बयान, झूठे हलफनामे, कपटसंधि करती सरकारों के लिए भले यह सब अकस्मात् हो, लेकिन कारसेवक तो इसी खातिर यहाँ आए थे। कारसेवकों को वही करने के लिए बुलाया गया, जो उन्होंने किया। 'ढाँचे पर विजय पाने' और 'गुलामी के प्रतीक को मिटाने' के लिए ही तो वे यहाँ लाए गए थे। दो सौ से दो हजार किलोमीटर दूर से जिन कारसेवकों को इस नारे के साथ लाया गया था कि 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो।' उन्हें आखिर यही तो करना था। वे कोई भजन-कीर्तन करने नहीं आए थे। उन्हें बंद कमरों में हुए समझौतों और राजनीति से भला क्या लेना? ढाई लाख कारसेवक अयोध्या में जमा थे। नफरत, उन्माद और जुनून से लैस। उन्हें जो ट्रेनिंग दी गई थी या जिस हिंसक भाषा में समझाया गया था, उसके चलते अब उन्हें पीछे हटने को कैसे कहा जा सकता था?

कारसेवकों को प्रतीकात्मक कारसेवा के बारे में समझाते आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन एवं विनय कटियार। फोटो : राजेंद्र कुमार

मुझे कारसेवकों की हिंसक प्रकृति सुबह साढ़े नौ बजे से दिखने लगी थी। हालाँकि रात में ही तय हुआ था कि कारसेवा सिर्फ प्रतीकात्मक होगी। जुलाई की कारसेवा में विवादित स्थल से बाहर एक चबूतरा बना था। मुहूर्त के मुताबिक वहीं साढ़े ग्यारह बजे साधु-संत साफ-सफाई कर एक प्रतीकात्मक स्तंभ बनाने की शुरुआत करने वाले थे। कारसेवकों को बैरिकेडिंग के बाहर से इस स्थान पर अक्षत, फूल, पानी डाल प्रतीकात्मक कारसेवा करनी थी। 10 बजे के करीब कोई डेढ़ सौ साधु-संत जरूरी पूजन -सामग्री लेकर यहाँ विराजमान थे। तभी लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल और मुरली मनोहर जोशी को

साथ लेकर एडिशनल एस.पी. अंजू गुप्ता वहाँ पहुँचीं। आडवाणी जी को देखते ही कारसेवक उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा, वे फिर से कारसेवा स्थगित कराने आए हैं। उत्तेजित कारसेवक बैरिकेडिंग तोड़कर चबूतरे पर पहुँचने की कोशिश करने लगे। भीड़ का दबाव देख पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। तब तक बैरिकेडिंग लाँघ कुछ कारसेवक चबूतरे पर पहुँच चुके थे। इन सबने आडवाणी और जोशी के साथ धक्का-मुक्की की। मौके पर मौजूद अशोक सिंघल ने बीच-बचाव करना चाहा, पर वहाँ कोई किसी को पहचान नहीं रहा था।

कारसेवा के लिए अयोध्या में जुटे लाखों लोगों में महिलाएँ भी पीछे नहीं थीं। फोटो : किशन सेठ

ध्वंस के बाद बनाया गया रामलला का अस्थायी मंदिर। फोटो : मनमोहन शर्मा

संघ के स्वयंसेवक और बजरंग दल के कार्यकर्ता इन तीनों नेताओं को किसी तरह बचाकर रामकथा कुंज के मंच पर ले गए। इसी मंच से नेताओं का भाषण होना था। रामकथा कुंज का मंच विवादित इमारत से तीन सौ मीटर की दूरी पर था। प्रतीकात्मक कारसेवा की जगह से आडवाणी, जोशी और सिंघल को हटाकर टूटी बैरिकेडिंग की मरम्मत की गई। बढ़ती भीड़ के कारण प्रशासन ने विवादित इमारत का मुख्य द्वार भी समय से पहले बंद कर दिया। वहाँ सुबह से रामलला के दर्शन चालू थे। लेकिन किसी को इस बात का आभास नहीं था कि रामलला की इस इमारत के कपाट आज अंतिम बार बंद हो रहे हैं।

मंदिर आंदोलन में यह पहला मौका था, जब मैंने देखा कि संघ ने आधिकारिक तौर पर इसमें हिस्सा

लिया। संघ के तीन प्रमुख नेता एच.वी. शेषाद्रि, के.एस. सुदर्शन और मोरोपंत पिंगले 3 दिसंबर से ही अयोध्या में डेरा डाले हुए थे। आंदोलन के सारे सूत्र इन्हीं के पास थे।

विवादित इलाके से सटा और गर्भगृह के ठीक सामने मानस भवन था। यह एक धर्मशाला थी। इसकी छत से समूचा 65 एकड़ का इलाका साफ दिखाई देता था। पत्रकारों को यहीं बिठाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया था। छत पर कोई दर्जन भर वीडियो कैमरे लगे थे। दूसरी मंजिल के कमरों में आई.बी. के कैमरे लगे थे। ऊपर से पूरा दृश्य केसरिया था। दूर-दूर तक जन-सैलाब दिख रहा था। पुलिस के साथ ही आरएसएस के गणवेशधारी स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे।

मंदिर आंदोलन में यह पहला मौका था, जब मैंने देखा कि संघ ने आधिकारिक तौर पर इसमें हिस्सा लिया। संघ के तीन प्रमुख नेता एच.वी. शेषाद्रि, के.एस. सुदर्शन और मोरोपंत पिंगले 3 दिसंबर से ही अयोध्या में डेरा डाले हुए थे। आंदोलन के सारे सूत्र इन्हीं के पास थे।

सुषुप्त लावा ग्यारह बजते-बजते फूटने लगा। कारसेवकों का सैलाब सारी पाबंदियाँ नकार बैरिकेडिंग पर दबाव बनाने लगा। मानस भवन की छत, जहाँ हम खड़े थे, पर भी कारसेवकों ने कब्जा जमा लिया था। लगा छत बैठ जाएगी। इस डर से हम नीचे उतर आए और विवादित ढाँचे से कोई सौ गज दूर सीता रसोई की छत पर चले गए।

इसी छत पर पुलिस कंट्रोलरूम था। मेरे लिए यह सबसे सुरक्षित स्थान था। यहाँ से सब दिख रहा था और सारी सूचनाएँ भी यहीं आ रही थीं। दिल्ली-लखनऊ का संपर्क भी यहीं से था। किसी पत्रकार के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। मुझे यह सुविधा इसलिए मिल गई कि नीचे से ही मुझे छत पर फैजाबाद के कमिश्नर सुरेंद्र पाल गौड़ और जोन के आई.जी. अशोक कांत सरन दिख गए थे। दोनों ने मुझे ऊपर बुला लिया। तब तक सब कुछ सामान्य था। इन अफसरों के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। एस.एस.पी. देवेंद्र बहादुर राय नीचे खड़े हो लोगों को जरूरी निर्देश दे रहे थे।

तभी वायरलेस पर सूचना आई कि जिलाधिकारी आर.एन. श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैनात पर्यवेक्षक तेजशंकर को लेकर यहीं आ रहे हैं। तेजशंकर मुरादाबाद के जिला जज थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ‘ऑब्जर्वर’ बनाकर यह देखने के लिए भेजा था कि प्रतीकात्मक कारसेवा के बहाने मौके पर कोई स्थायी निर्माण तो नहीं हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट से किए गए वायदे के उलट तो कोई काम वहाँ नहीं हो रहा है।

सुबह साढ़े सात बजे विनय कटियार के घर के फोन की घंटी बजती है। लाइन पर दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव थे। इससे पहले कि विनय कटियार कुछ कहते, प्रधानमंत्री ने पूछा, “किसी गड़बड़ की आशंका तो नहीं है। सब नियंत्रण

में तो है?"

हम सीता रसोई की छत पर थे। यहाँ से विवादित ढाँचे के भीतर रामलला की जो पूजा-अर्चना चल रही थी, वह भी दिख रही थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सुबह से कमिश्नर को हॉटलाइन पर दो बार फोन आ चुका था। उनकी जिज्ञासा थी, 'सब ठीक है न? किसी गड़बड़ की आशंका तो नहीं है?' वह मोबाइल का दौर नहीं था।

माहौल में इतना तनाव था कि कहीं कुछ हो नहीं रहा था, पर हर किसी को कुछ भी होने का डर सता रहा था। सुबह साढ़े सात बजे विनय कटियार के घर के फोन की घंटी बजती है। लाइन पर दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव थे। इससे पहले कि विनय कटियार कुछ कहते, प्रधानमंत्री ने पूछा, "किसी गड़बड़ की आशंका तो नहीं है। सब नियंत्रण में तो है?" प्रधानमंत्री ने चिंता जताई कि कुछ कारसेवकों के उग्र होने की रिपोर्ट उनके पास आई है। विनय कटियार ने उन्हें भरोसा दिलाया, "सब काबू में है। मंच विवादित ढाँचे से कोई तीन सौ मीटर की दूरी पर बना है। कारसेवकों का जमावड़ा वहीं रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई कारसेवक विवादित इमारत तक पहुँचे ही नहीं। ढाँचे से दूर चबूतरे पर ही प्रतीकात्मक कारसेवा कर लोग अपने घरों को लौटेंगे।" यह विनय कटियार का प्रधानमंत्री को भरोसा था।

विनय कटियार के घर आडवाणी, जोशी और अशोक सिंघल नाश्ते पर कारसेवा की योजना पर विचार कर रहे

थे। यहीं से तीनों रामकथा कुंज पहुँचे तो वहाँ कोई एक लाख लोग सार्वजनिक सभा के लिए इकट्ठा हो चुके थे। तीस हजार लोग तो रामकथा कुंज में लगे तंबुओं में ही रह रहे थे। कुंज में बीजेपी और विहिप के नेता भाषण शुरू कर चुके थे। सबकी लाइन प्रतीकात्मक कारसेवा की थी। लेकिन भाषणों में सबके आक्रोश का प्रतीक ढाँचा ही था। सारे नेता ढाँचे की ओर उँगली दिखा उसे गुलामी का प्रतीक बता रहे थे। बारह बजने से कुछ देर पहले जब आडवाणी भाषण दे रहे थे, उसी वक्त शेषावतार मंदिर की तरफ से भीड़ ने पुलिस बलों पर पथराव शुरू किया। पथराव से बचने के लिए पुलिस वालों के पास कोई आड़ नहीं थी। पीछे विवादित ढाँचा और सामने, बाएँ-दाएँ खुला मैदान। तभी कोई दो सौ लोग चबूतरे का घेरा तोड़ आगे बढ़ आए। देखते-देखते ये लोग राम जन्मभूमि परिसर में घुस गए।

ऐसा होते ही चौतरफा हड़कंप मचा। शेषावतार मंदिर की ओर से कुछ लोग ढाँचे पर पत्थर फेंकने लगे। ढाँचे के पीछे की तरफ से भी ऐसा ही हुआ। तेजी से भगदड़ मची और कोई एक हजार लोग जन्मभूमि परिसर में दाखिल हो गए। विवादित इमारत के सामने की ओर से रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद कारसेवक कँटीली बाड़ फाँद ढाँचे की बाहरी दीवार और गुंबदों पर चढ़ गए। एकदम पूरा माहौल बदल गया। सुरक्षा बल जब तक कुछ समझते तब तक वहाँ जमा लाखों कारसेवकों का रुख ढाँचे की

तरफ हो गया था। समूची व्यवस्था फेल हो गई। कोई दो सौ लोग गुंबद के ऊपर थे और 25 हजार के आसपास विवादित परिसर में थे। लाखों कारसेवक, जो इधर-उधर रामकथा कुंज में भाषण सुन रहे थे, वे भी विवादित ढाँचे के चारों ओर गोलबंद होने लगे।

सुरक्षा बल जब तक कुछ समझते तब तक वहाँ जमा लाखों कारसेवकों का रुख ढाँचे की तरफ हो गया था। समूची व्यवस्था फेल हो गई। कोई दो सौ लोग गुंबद के ऊपर थे और 25 हजार के आसपास विवादित परिसर में थे। लाखों कारसेवक, जो इधर-उधर रामकथा कुंज में भाषण सुन रहे थे, वे भी विवादित ढाँचे के चारों तरफ गोलबंद होने लगे।

सी.आर.पी.एफ. के डी.आई.जी. ओ.पी.एस. मलिक फौरन कूदते-फाँदते ढाँचे के भीतर पहुँचे। वे सादी वर्दी में थे। उनकी चार कंपनियाँ विवादित परिसर के भीतर तैनात थीं। इन बलों ने कारसेवकों को रोकने की कोशिश की। मेरे बगल में खड़े लखनऊ जोन के आई.जी. अशोक कांत सरन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। डी.आई.जी. उनसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए? (बाद में ओ.पी.एस. मलिक भारत सरकार के डीजी, नारकोटिक्स और ए.के. सरन उत्तराखंड सरकार के डीजीपी पद से रिटायर हुए।) जिलाधिकारी और एस.एस.पी. अपना स्थान छोड़ इसी छत की तरफ भागे आ रहे थे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक तेजशंकर भी थे।

उधर रामकथा कुंज से लालकृष्ण आडवाणी की कारसेवकों से लौट आने की अपील लगातार प्रसारित हो रही थी। कारसेवकों के परिसर में घुसने के पंद्रह मिनट के भीतर ही सी.आर.पी.एफ. और पी.ए.सी. के जवान मौका छोड़ ढाँचे के बाहर आ गए थे। यानी बारह बजे तक परिसर पूरी तरह कारसेवकों के हवाले था। कारसेवकों ने घुसते ही सबसे पहले ढाँचे के भीतर की हॉटलाइन काटी। फिर आसपास उखड़ी पड़ी बैरिकेडिंग के लोहे के पाइपों से गुंबदों पर हमला बोला। ऊपर गुंबदों पर होने वाले प्रहार से चिनगारियाँ फूट रही थीं। नीचे कारसेवकों के आक्रोश की चिनगारियों का सामना पत्रकार और फोटोग्राफर कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक तेजशंकर के होश उड़े हुए थे। वे यह देखने आए थे कि चबूतरे पर, जहाँ कारसेवा होनी थी, वहाँ हवन-सामग्री की जगह निर्माण-सामग्री तो नहीं रखी है। पर वहाँ तो नजारा ही अलग था। हवन सामग्री तहस-नहस थी। पूजा-सामग्री पैरों तले कुचली जा रही थी। साधु-संत अपने मठों-आश्रमों की तरफ लौट चुके थे। कारसेवक वहाँ ईंटें रखने की जगह विवादित इमारत से ईंटें निकाल रहे थे। जिलाधिकारी अब भी उन्हीं के साथ थे। उनकी अपनी मजबूरी थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निर्देश था कि तेजशंकर को हर हाल में खुश रखा जाए, वरना नाराज हो वे प्रतीकात्मक कारसेवा की जगह कहीं स्थायी निर्माण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को न भेज दें।

तेजशंकर जल्दी-जल्दी कंट्रोलरूम की तरफ लगभग दौड़ते हुए आ रहे थे। दौड़ते-दौड़ते वे अपनी टाई भी उतार रहे थे, ताकि कारसेवकों में उनकी पहचान न हो सके। तेजशंकर की मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई थी, क्योंकि वे अपने लड़के को भी मेला दिखाने साथ लाए थे।

कारसेवकों ने अयोध्या की सभी टेलीफोन लाइनें काट दीं। राम जन्मभूमि के अंदर बने कंट्रोलरूम के भी संचार उपकरण उखाड़ दिए। यह सब कुछ ढाँचे पर हमले के बीस मिनट के भीतर हो गया। यकायक सामने मानस भवन की छत पर कुहराम मचा। कारसेवकों ने वहाँ पत्रकारों पर हमला कर दिया था।

पसीना-पसीना हम भी थे। दस बरस के पत्रकारीय जीवन में ऐसा उन्माद कभी देखा नहीं था। सुबह जब फैजाबाद के होटल से चले थे प्रतीकात्मक कारसेवा रिपोर्ट करने, तब भी इसकी कल्पना नहीं थी। 5 साल से अयोध्या को नियमित रिपोर्ट कर रहा था। रिपोर्टिंग के लिए तब तक साठ से ज्यादा बार अयोध्या आ चुका था। पर आज अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।

इस वक्त तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बिना ढाल प्रयोग किए स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं था। हजारों कारसेवकों से घिर जाने के बाद जो थोड़े-बहुत राज्य पुलिस के जवान और पीएसी मौके पर तैनात थी, वह भी किनारे हट गई। अब कोई फोर्स ढाँचे के पास या

उसके अंदर नहीं थी। सभी सुरक्षा बल निष्क्रिय हो गए थे। कारसेवकों और पुलिस का रिश्ता बदल गया था। पुलिस का अहिंसक रवैया देख कारसेवकों से उनके रिश्ते मित्रवत् हो गए। ढाँचे के सामने वॉचटावर पर चढ़ एक गणवेशधारी सीटी बजा, झंडा दिखा लगातार कुछ निर्देश दे रहा था। यह वॉचटावर सुरक्षा बलों ने अपने लिए बनाया था। पर उस पर चढ़ वह गणवेशधारी ध्वंस का निर्देशन कर रहा था। तभी कारसेवकों के एक हुजूम ने अयोध्या की सभी टेलीफोन लाइनें काट दीं। राम जन्मभूमि के अंदर बने कंट्रोलरूम के भी संचार उपकरण उखाड़ दिए। यह सब कुछ ढाँचे पर हमले के बीस मिनट के भीतर हो गया।

यकायक सामने मानस भवन की छत पर कुहराम मचा। कारसेवकों ने वहाँ पत्रकारों पर हमला कर दिया था। छत पर लगे सभी कैमरों को तोड़ दिया गया। डी.एम. और एस.एस.पी. उधर दौड़े। दोनों अफसर जब मानस भवन की छत पर चढ़ने लगे तो वहाँ मौजूद कारसेवकों ने इनका विरोध किया। उन्हें डर था कि पुलिस मानस भवन की छत पर नियंत्रण करके वहाँ से गुंबद पर चढ़े कारसेवकों पर गोली चला सकती है। दोनों अफसर किसी तरह छत पर तो चढ़ गए, पर वे न तो छत से कारसेवकों को उतारने में सफल हुए, न पत्रकारों की पिटाई रोक पाए। इस बीच गुंबद पर हमला जारी था। गुंबद में छेद कर उसमें एक एंकर फँसा रस्सी के जरिए कुछ और लोग ऊपर चढ़ गए। गुंबद पर पाँव टिकाने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए हर

थोड़ी देर में कोई कारसेवक गुंबद से टपकता था। पाँच घंटे में कोई डेढ़ सौ से ज्यादा कारसेवक गुंबद से गिरकर घायल हुए। विश्व हिंदू परिषद ने घायलों के इलाज के लिए एक टीम पहले से बना रखी थी। इस टीम के पास चारपाई और एंबुलेंस भी थी। यह टोली घायल कारसेवकों को चारपाई पर उठा एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचा रही थी।

आडवाणी कारसेवकों से लौटने की अपील कर रहे थे। उनकी अपील बेअसर देख माइक अशोक सिंघल ने सँभाला। उन्होंने घोषणा की कि विवादित भवन मस्जिद नहीं मंदिर है। कारसेवक उसे नुकसान न पहुँचाएँ। रामलला की उन्हें सौगंध है। इसका भी कोई असर नहीं हुआ।

प्रशासन की नजर में स्थिति बेकाबू थी। कारसेवकों की नजर में हालात काबू में थे। कुल मिलाकर स्थिति बेकाबू थी। कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। रामकथा कुंज के मंच से आडवाणी कारसेवकों से लौटने की अपील कर रहे थे। वे कारसेवकों को डाँट भी रहे थे। उनकी अपील बेअसर देख माइक अशोक सिंघल ने सँभाला। उन्होंने घोषणा की कि विवादित भवन मस्जिद नहीं मंदिर है। कारसेवक उसे नुकसान न पहुँचाएँ। रामलला की उन्हें सौगंध है। वे नीचे उतर आएँ। इसका भी कोई असर नहीं हुआ, तो अशोक सिंघल और महंत नृत्यगोपाल दास मंच से नीचे उतर ढाँचे की ओर बढ़े। नृत्यगोपाल दास का सभी

सम्मान करते थे। पर पगलाई भीड़ ने उन दोनों के साथ बदसलूकी कर दी। एक के तो कपड़े फट गए। दोनों बिना किसी नतीजे के वापस आ गए। तभी किसी ने सूचना दी, जो कारसेवक चढ़े हैं, वे दक्षिण भारत के हैं। संघ के शीर्ष नेता एच.वी. शेषाद्रि ने माइक पर दक्षिण की चारों भाषाओं में बारी-बारी से अपील की। उन्होंने कहा, विवादित इमारत को तोड़ने का काम संघ और विहिप के कार्यक्रम में नहीं है। आप लोग नीचे उतरें। पर कोई उनकी भी सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर में मंच से आवाज भी आनी बंद हो गई। बाद में पता चला, किसी ने माइक का तार काट दिया था।

मेरी छत पर धीरे-धीरे डी.आई.जी. रेंज, आई.जी. जोन, आई.जी., पी.ए.सी., सी.आर.पी.एफ. के डी.आई.जी. मलिक सब आ चुके थे। तोड़-फोड़ के डेढ़ घंटे गुजर चुके थे। कोई गुंबद गिरा नहीं था। प्रधानमंत्री नरसिंह राव के बेटे प्रभाकर राव का घरेलू नौकर भी कारसेवा में आया था। वह मलवे में दबकर मारा गया। दिल्ली से उसकी खबर ली जा रही थी। तभी गर्भगृह से पुजारी सत्येंद्र दास भी रामलला की मूर्ति लेकर बाहर आते दिखे। बाद में वह मूर्ति किसी ने गायब कर दी। एक बजकर 45 मिनट पर कंट्रोलरूम में लखनऊ से रेडियोग्राम पहुँचा। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जाए। पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गोली न चले।

वह ऐतिहासिक वायरलेस इस प्रकार था—"सेवा में, आई.जी. जोन, डी.आई.जी. फैजाबाद एस.एस.पी. फैजाबाद, प्रेषक, ए. टू डी.जी., "मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि आप केंद्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर उनसे पूर्ण सहायता प्राप्त करें। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि गोली न चले।" संदेश मिलते ही जिलाधिकारी आर.एन. श्रीवास्तव ने वहीं मौजूद सी.आर.पी.एफ. के डी.आई.जी. मलिक से लिखित अनुरोध किया कि 50 कंपनी सी.आर.पी.एफ. मौके पर तुरंत भेजी जाएँ। मलिक ने कहा, हम तैयार हैं। पर उनका कहना था कि केंद्रीय बल की हर कंपनी के साथ एक मजिस्ट्रेट और कंपनी के दोनों तरफ पी.ए.सी. के जवान सुरक्षा में चलें। इस बेढंगी माँग पर एस.एस.पी. डी.बी. राय नाराज हो गए। उनकी दलील थी कि इतनी फोर्स होती तो हम केंद्रीय बल क्यों माँगते। राय ने कहा, "यह शायद दुनिया में पहली घटना होगी, जब दंगाइयों को काबू करने के लिए किसी पुलिस बल ने अपनी सुरक्षा में किसी और पुलिस बल की माँग की हो। मैं 50 राजपत्रित अफसर, 50 मजिस्ट्रेट, 50 कंपनी पी.ए.सी. कहाँ से लाऊँ?"

कंट्रोलरूम के बाहर पुलिस के एक राजपत्रित अधिकारी उत्तेजना के चरम क्षणों को जी रहे थे। वे आँखें बंद कर रामनाम जप रहे थे। बीच-बीच में उनकी आँखें खुलतीं तो ढाँचे को देख उनके मुँह से

निकलता 'अभी तो बहुत बाकी है।' वे फिर आँखें बंद कर रामनाम का जाप

शुरू करते।

इस जद्दोजहद के बाद 50 की जगह 18 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल फैजाबाद से सिटी मजिस्ट्रेट और सी.ओ. के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए, लेकिन मौके से कोई दो किमी. दूर साकेत डिग्री कॉलेज के पास उपद्रवियों ने इन्हें रोक दिया। वहाँ कारसेवकों ने रास्ता रोक रखा था। जो काम सुरक्षा बलों को पहले करना चाहिए था कारसेवकों को रोकने के लिए, वह काम कारसेवक सुरक्षा बलों को रोकने के लिए कर रहे थे। उनके पास बैरिकेड्स नहीं थे। इसलिए सड़क पर बाड़ और गुमटियाँ रख आग लगा दी थी, ताकि सुरक्षा बलों का कोई वाहन न आ सके। लेकिन अगर पुलिस थोड़ा संघर्ष करती तो उन्हें खदेड़ सकती थी। पर स्थानीय प्रशासन की मंशा नहीं थी, वहाँ केंद्रीय बलों को पहुँचाने की। इस रुकावट की आड़ में जिला प्रशासन ने केंद्रीय बलों को लौट जाने को कहा। नगर मजिस्ट्रेट सुधाकर अदीब ने डी.आई.जी. सी.आर.पी.एफ. को हाथ से लिखकर एक आदेश दिया कि साकेत डिग्री कॉलेज पर आपकी जो टुकड़ियाँ हैं, वे वहाँ मौजूद उग्र भीड़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इसलिए आप उन्हें वापस लौटने को कहें। एक बजकर 45 मिनट पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा बलों को लौटने को कहा, दो बजकर 45 मिनट पर बाबरी ढाँचे का पहला गुंबद गिरा था। केंद्रीय बल

वापस लौट गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेना से लखनऊ में हेलीकॉप्टर और जहाज का इंतजाम करने को कहा। इस बीच ध्वंस जारी था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मूकदर्शक बने रहे। कारसेवा के दौरान पुलिस की मानसिकता और भक्ति को जाने बिना बात अधूरी रहेगी। कंट्रोलरूम के बाहर पुलिस के एक राजपत्रित अधिकारी उत्तेजना के चरम क्षणों को जी रहे थे। वे आँखें बंद कर रामनाम जप रहे थे। बीच-बीच में उनकी आँखें खुलतीं तो ढाँचे को देख उनके मुँह से निकलता—'अभी तो बहुत बाकी है।' वे फिर आँखें बंद कर रामनाम का जाप शुरू कर देते। वे ढाँचा गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि 'जय श्रीराम' के नारे कारसवेक जोर से लगा रहे थे और सुरक्षा में लगे लोग मन-ही-मन जाप कर रहे थे। वातावरण राममय ही था।

ध्वंस के पहले कारसेवकों और पुलिसवालों में जोर-आजमाइश। फोटो : किशन सेठ

विवादित ढाँचे से दो सौ मीटर दूर रामकथा कुंज का वह मंच, जहाँ से कारसेवकों को निर्देश दिया जाता था। फोटो : राजेंद्र कुमार

6 दिसंबर, 1992 को ध्वंस से पहले इकट्ठा कारसेवकों की भीड़। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवकों को बेकाबू होने से पहले ललकारते अशोक सिंघल। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवकों की भीड़, जिसमें हर तरफ सिर-ही-सिर दिखाई दे रहे हैं। फोटो : राजेंद्र कुमार

6 दिसंबर, 1992 को वक्त के साथ भीड़ का बढ़ता दबाव। फोटो : राजेंद्र कुमार

गैंता, फावड़ा लिये पुलिस से दो-दो हाथ करने को तैयार आक्रामक कारसेवक। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

उग्र कारसेवकों ने मीडिया पर भी हमला किया, जिसमें कई पत्रकार/फोटोग्राफर घायल हुए। फोटो : राजेंद्र कुमार

6 दिसंबर की कारसेवा में घायल कारसेवक। फोटो : राजेंद्र कुमार

इस बीच मानस भवन की छत पर पत्रकारों की पिटाई तेज हो गई थी। कारसेवक वहाँ से फोटोग्राफरों के कैमरे उछाल-उछालकर नीचे फेंक रहे थे। उस छत पर कोई ऐसा पत्रकार नहीं था, जिसका सिर न टूटा हो। ज्यादा खतरा गोरी चमड़ी वालों के लिए था। कारसेवक बी.बी.सी. फोटोग्राफर और उसकी टीम को ढूँढ़ रहे थे। तीस से ज्यादा कैमरे तोड़े जा चुके थे। अमेरिकी टी.वी. का एक कैमरामैन लहूलुहान हालत में पुलिस कंट्रोलरूम की ओर दौड़ा। कारसेवक उसका पीछा कर रहे थे। अचानक चार-पाँच पत्थर आकर हमारी छत पर भी पड़े। हम नीचे बैठ गए, पुलिस के अफसर इस छत से जा चुके थे। ऊपर देखा तो कुछ महिलाएँ बड़े-बड़े पत्थर उठाए खड़ी थीं। वे

चीख रही थीं, फौरन छत से भागिए वरना पत्थर गिरा दूँगी। इनमें से एक महिला साधुओं वाला चिमटा बजा कारसेवकों में लगातार दम भर रही थी। हम छत से नीचे उतरना चाह रहे थे, तभी देखा तो नीचे पुलिस भागती आई। उन्हें कारसेवकों ने दौड़ाया था। अजीब दशा। नीचे पिटाई करते कारसेवक, ऊपर पत्थर लिये कारसेविकाएँ। मैं सीढ़ी पर खड़ा हो रामलला को याद करने लगा।

नीचे लुटे-पिटे पत्रकार मानस भवन की तरफ भागे। सभी पत्रकारों को वहाँ लोहे की ग्रिल वाले एक फाटक के अंदर बंद कर दिया गया, ताकि वे कारसेवकों की पहुँच से दूर रहें। दरअसल कारसेवक यह चाहते थे कि जब तक उनकी निर्णायक कारसेवा पूरी न हो जाए, तब तक बाकी दुनिया के लिए खबरों और फोटो को रोके रखा जाए। मैं अब नीचे खड़ा था। 'सहारा' अखबार के फोटोग्राफर राजेंद्र कुमार लहूलुहान हालत में वहाँ आए। कारसेवकों ने उनका कैमरा छीन लिया। उनके जबड़े तोड़ दिए। बी.बी.सी. की जिलियन राइट के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ। घायल साथियों को अस्पताल पहुँचाने के लिए हम गाड़ियों की तरफ आए। गाड़ियों के शीशे टूटे थे। टायरों की हवा निकाल दी गई थी। हमने गाड़ी पर लगा प्रेस पास फाड़ 'जय श्रीराम' का स्टीकर लगाया और घायल साथियों को फैजाबाद रवाना किया। कारसेवकों के लिए 'जय श्रीराम' शक्ति का स्रोत थे, वही पत्रकारों के लिए सुरक्षा कवच बने। अब तक ढाँचे की बाहरी दीवार गिराई

जा चुकी थी।

पाँच घंटे की कारसेवा में सबसे पहले ढाँचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिराई गई। उसके बाद पौने तीन बजे ढाँचे का दाहिना गुंबद जमीन पर आ गया। इसमें दो कारसेवक दबकर मारे गए। पौने चार बजे विवादित ढाँचे का बायाँ गुंबद गिरा। बीच का मुख्य गुंबद, जिसे विहिप गर्भगृह कहती थी, वह 4 बजकर 40 मिनट पर नीचे आया। तब तक सभी महत्त्वपूर्ण नेता गायब हो गए थे, वे कहीं बैठक कर रहे थे। विहिप के साधु-संत, विनय कटियार, उमा भारती, ऋतंभरा और आचार्य धर्मेंद्र मंच से लगातार कारसेवकों को ललकार रहे थे। आचार्य धर्मेंद्र रामकथा कुंज में बैठे कारसेवकों से अपील कर रहे थे कि जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया है, वे प्रसाद ले लें। आचार्य धर्मेंद्र ढाँचे की ईंटों को प्रसाद कह रहे थे। उमा भारती ने कहा, "अभी पूरा काम नहीं हुआ है। आप तब तक परिसर न छोड़ें, जब तक पूरा इलाका समतल न हो जाए।" इस तमाशे में उमा भारती, ऋतंभरा और आचार्य धर्मेंद्र की भूमिका सबसे अहम रही। उमा भारती ने भीड़ को दो नारे दिए—'राम नाम सत्य है। बाबरी मस्जिद ध्वस्त है।' और 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो।' ये दो नारे कई घंटे तक उस परिसर में गूँजते रहे। उमा भारती ने भीड़ के सामने मेरठ की शिव कुमारी को यह कहकर पेश किया कि 'वे इस ढाँचे के गुंबद पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं।' उमा भारती ने 2 नवंबर, 1990 की कारसेवा में मारे

गए दो भाइयों रामकुमार और शरद कोठारी के माता-पिता को भी भीड़ के सामने पेश किया और कहा, 'देखिए, कोठारी बंधुओं की माता की आँखों में खुशी के आँसू हैं। इनके बेटों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। उनकी हत्या का बदला ले लिया गया है।' इसके बाद अब ऋतंभरा की बारी थी। उन्होंने कारसेवकों से अपील की कि वे इस शुभ और पवित्र काम में पूरी तरह लगें। इस बीच माइक से बाकी संत हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक का पाठ कर रहे थे।

उमा भारती ने भीड़ को दो नारे दिए—'राम नाम सत्य है। बाबरी मस्जिद ध्वस्त है।' और 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो।' ये दो नारे कई घंटे तक उस परिसर में गूँजते रहे। जैसे ही पहला गुंबद गिरा, आडवाणी, अशोक सिंघल, डॉ. जोशी और विनय कटियार वहाँ से खिसक लिये।

जैसे ही पहला गुंबद गिरा, आडवाणी, अशोक सिंघल, डॉ. जोशी और विनय कटियार वहाँ से खिसक लिये, उनका अगला पड़ाव कटियार का घर बना। वहीं अगली रणनीति बनाने की मीटिंग हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री का फोन कई दफा कटियार के पास आया। कटियार लाइन पर नहीं आए। उधर नाराज कल्याण सिंह ने फोन पर आडवाणी से कहा, वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आडवाणी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। कहा, अभी इस्तीफे से केंद्र का शासन लग जाएगा। केंद्रीय बल मोर्चा सँभाल

लेंगे। थोड़ा टाइम पास कीजिए। कल्याण सिंह उस वक्त तक इस बात से नाराज थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगर यह सब पूर्वनियोजित था तो उन्हें पहले से क्यों नहीं बताया गया। लेकिन इन सारे नेताओं की खिसकी हवा देख लग रहा था कि ध्वंस की कोई पूर्व योजना नहीं थी।

बार-बार प्रधानमंत्री के यहाँ से फोन आता देख अशोक सिंघल ने विनय कटियार से कहा कि वे प्रधानमंत्री से बात करें। कटियार का कहना था, किस मुँह से बात करूँ। सुबह तो भरोसा दिया था, सब ठीक होगा। सिंघल जी ने कहा, फिर भी बात कीजिए, उन्हें वस्तुस्थिति बताइए। कटियार ने फोन पर प्रधानमंत्री नरसिंह राव से बात की। प्रधानमंत्री बोले, "जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब आप मदद कीजिए। अयोध्या को कारसेवकों से जल्दी खाली कराइए। मैं 16 विशेष रेलगाड़ियाँ भेज रहा हूँ। आप उनमें कारसेवकों को रवाना करें।" प्रधानमंत्री ने कटियार से दक्षिण भारत के कारसेवकों को पहले निकालने को कहा। देश की स्थिति बिगड़ रही थी। ऐसे में कोई रक्तपात होता, इससे पहले प्रधानमंत्री कारसेवकों को अयोध्या से निकालना चाह रहे थे।

ढाँचा गिरते ही कारसेवकों की पूरी ताकत मलवे को समतल बनाने में लगी, ताकि वहाँ फिर से रामलला को जल्दी-से-जल्दी स्थापित किया जा सके। पुलिस सुरक्षा बल, केंद्र सरकार और कल्याण सिंह की सरकार, तीनों इसी काम के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। इसी के बाद

कोई कार्रवाई होनी थी। कारसेवकों ने ढाँचे का मलवा पीछे खाई में गिराया और जमीन समतल करने के काम में लगे। पंद्रह गुणा पंद्रह गज के टुकड़े पर जल्दी-जल्दी में पाँच फीट की दीवार उठाई गई। नीचे से उस अस्थायी चबूतरे तक अठारह सीढ़ियाँ बनीं। उसी वक्त पता चला, रामलला की मूर्तियाँ गायब हैं। कारसेवकों के सामने एक तरफ केंद्र सरकार की संभावित कार्रवाई का खतरा था तो दूसरी तरफ मूर्ति रख अस्थायी मंदिर बनाने की अफरातफरी थी। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या का मामला केंद्रीय राज्यमंत्री पी.आर. कुमार मंगलम देख रहे थे। वे फोन पर कई बार जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियाँ रखी गईं या नहीं?

उसी वक्त पता चला, रामलला की मूर्तियाँ गायब हैं। कारसेवकों के सामने एक तरफ केंद्र सरकार की संभावित कार्रवाई का खतरा था तो दूसरी तरफ मूर्ति रख अस्थायी मंदिर बनाने की अफरातफरी थी। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या का मामला केंद्रीय राज्यमंत्री पी.आर.कुमार मंगलम देख रहे थे। वे फोन पर कई बार जानकारी ले चुके थे कि अस्थायी मंदिर में मूर्तियाँ रखी गईं या नहीं?

अयोध्या में ढाँचा ढहाए जाने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला की मूर्तियाँ स्थापित करने को लेकर संग्राम मचा हुआ था। केंद्र सरकार इस स्थापना की खातिर विशेष तौर पर सक्रिय थी। राव सरकार के मंत्री पी.आर. कुमार

मंगलम राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के संपर्क में थे। राजा साहब कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। अयोध्या में कर्फ्यू था। दुकानें बंद थीं। आनन-फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियाँ भिजवाईं, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें रखी थीं। राजा अयोध्या ने मूर्तियाँ रखे जाने के बाद पी.आर. कुमार मंगलम को जानकारी दी। फौरन बाद नरसिंह राव ने कैबिनेट की बैठक बुला कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की। यह भी अजीब बात थी कि कल्याण सिंह तीन घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। फिर भी उनकी बर्खास्तगी का नाटक रचा गया। कैबिनेट की सिफारिश गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण खुद लेकर राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने हाथोहाथ राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना जारी की। अयोध्या अब केंद्र सरकार के हवाले थी।

राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की भी दिलचस्प कहानी है। जो मूर्ति ध्वंस के दौरान गायब हुई, वह रामलला की मूल मूर्ति नहीं थी। इस इमारत के बार-बार टूटते-बनते यहाँ मूर्तियाँ भी बदलती रहीं। जो मूर्ति कारसेवकों ने गायब की, वह 1949 की 22 दिसंबर की आधी रात को रखी गई थी। चार सौ साल पहले जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई तो उस वक्त की विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मूर्ति टीकमगढ़ के ओरछा

राजमहल में चली गई। ओरछा की महारानी अयोध्या आ वह मूर्ति ले गई थीं। इसीलिए ओरछा में राम राजा का राज आज भी है और वहाँ के राम राजा धनुर्धर राम नहीं, रामलला हैं। आज भी ओरछा के मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस सुबह-शाम सलामी देती है।

चार सौ साल पहले जब मीर बाकी ने मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई तो उस वक्त की विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मूर्ति टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई। ओरछा की महारानी अयोध्या आ वह मूर्ति ले गई थीं। इसीलिए ओरछा में राम राजा का राज आज भी है और वहाँ के राम राजा धनुर्धर राम नहीं, रामलला हैं।

अयोध्या के इस ध्वंस में एक बड़ी कड़वी सच्चाई यह भी है कि जो लोग, खासकर कांग्रेसी नेता अयोध्या में त्वरित कार्रवाई चाहते थे, गोली चला ढाँचे को बचाना चाहते थे, वे सब उस वक्त बगलें झाँकने लगे, जब उनके कार्रवाई करने का वक्त आया। उस रात नौ बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। बावजूद उसके 36 घंटे बाद तक भारत सरकार अयोध्या में कोई कार्रवाई नहीं करती है? कारसेवकों से विवादित परिसर खाली नहीं करा पाती है? यह सब कुछ अनायास नहीं था। इसके पीछे हिंदुत्व की जमीन हथियाने की शातिर सोच थी, जिसने कांग्रेस के ऊपरी सेकुलर ताने-बाने को तार-तार किया। कांग्रेस को उसका चुनावी खामियाजा भी भुगतना पड़ा।

बाद में 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को इस ताने-बाने में तुरपाई करने के लिए कहना पड़ा कि बाबरी मस्जिद न गिरती, अगर नेहरू-गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री होता।

ढाँचा गिरने के बाद विवादित इमारत से ठीक पीछे की गलियों में मुसलमानों की बस्ती पर हमला हुआ। बाबरी मामले के पक्षकार मो. हाशिम के घर को आग के हवाले किया गया। अयोध्या में बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया गया। लौटते कारसेवक घरों में आग लगाते जा रहे थे। हालाँकि तनाव से ज्यादातर घर पहले से खाली थे। पूरे देश में सांप्रदायिक हालात तनावपूर्ण हो गए। सात राज्यों में सेना सतर्क की गई। इनमें आंध्र, असम, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शामिल थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बनारस शहर कर्फ्यू के हवाले हुए।

अगर हम उस रोज सुबह से घटनाओं के क्रम को जानें कि कितने बजे क्या हुआ तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। राज्य और केंद्र सरकारों की नीयत व ईमानदारी का पता चलेगा। इस बात का भी अंदाजा लगेगा कि कौन-कौन लोग जान-बूझकर इस संकट की अनदेखी क्यों कर रहे थे?

7.00 बजे 6 दिंसबर की सुबह 7.00 बजे प्रधानमंत्री नरसिंह राव विश्व हिंदू परिषद के नेता विनय कटियार से बात कर स्थिति का आकलन करते हैं। विनय कटियार के

घर हिंदू धाम पर प्रधानमंत्री का फोन आता है। विनय कटियार उन्हें आश्वस्त करते हैं। सब ठीक होगा। कारसेवा प्रतीकात्मक होगी। जैसा कल तय हुआ है। आप निश्चिंत रहें।

8.00 बजे विनय कटियार के घर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी पहुँचते हैं। अशोक सिंघल यहाँ पहले से मौजूद थे। सबने साथ नाश्ता किया और कारसेवकों को कैसे काबू में रखा जाए, इस पर रणनीति बनी। कारसेवकों की बढ़ती संख्या इनकी चिंता का कारण थी।

8.30 बजे विनय कटियार के घर पर ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने तीनों नेताओं से फोन पर बात कर स्थिति को सँभालने का निवेदन किया। अनहोनी की आशंका से कल्याण सिंह भी चिंतित थे।

9.00 बजे फैजाबाद सर्किट हाउस में जिलाधिकारी और एस.एस.पी. के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर तेजशंकर के साथ बैठक होती है।

9.30 बजे केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले ने भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस के महानिदेशक से कहा कि वे केंद्रीय बलों के साथ तैयार रहें। जैसे ही राज्य सरकार उनकी मदद माँगे, वे केंद्र सरकार के औपचारिक आदेश का इंतजार किए बिना कूच करें। आई.टी.बी.पी. के महानिदेशक फैजाबाद में ही कैंप कर रहे थे।

9.45 बजे आडवाणी, जोशी सहित विहिप के सभी

नेता और साधु-संत रामकथा कुंज के मंच पर पहुँचते हैं।

10.00 बजे जिस विवादित चबूतरे पर प्रतीकात्मक कारसेवा यज्ञ और हवन के रूप में होनी थी, वहाँ आडवाणी, जोशी को देख कारसेवक भड़के। नारेबाजी हुई। कारसेवकों ने पहली बार बाड़ तोड़ी।

11.30 बजे रामकथा कुंज में कोई एक लाख कारसेवकों के मौजूद होने की खबर दिल्ली को मिली। वहाँ नेताओं के भाषण चल रहे थे। मंच पर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, संघ के शीर्ष नेता मौजूद। चौतरफा उत्तेजना लेकिन सब काबू में।

12.00 बजे गृह मंत्रालय को आई.बी. के जरिए सूचना मिलती है कि 200 कारसेवक विवादित इमारत में जबरन घुस गए हैं। राज्य पुलिस और पी.ए.सी. उन्हें रोक नहीं पाई। स्थानीय अफसरों ने भी कोई दखल नहीं दिया। कारसेवकों ने तोड़-फोड़ शुरू कर दी है। यह सूचना प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को तुरंत दी गई। आई.बी. ने मानस भवन के एक कमरे में अपने तीन कैमरे लगा रखे थे। जहाँ से पूरे दिन की उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। बाद में यही रिकॉर्डिंग सी.बी.आई. जाँच का आधार बनी।

विवादित ढाँचे के ध्वंस के बाद कारसेवकों ने मुस्लिम बस्तियों पर भी हमला किया। फोटो : राजेंद्र कुमार

ध्वंस के बाद खुशी में उमा भारती डॉ. मुरली मनोहर जोशी की पीठ पर चढ़ गईं। फोटो : राजेंद्र कुमार

12.10 बजे केंद्रीय गृहसचिव ने उ.प्र. के मुख्य सचिव को फोन किया। लेकिन बात नहीं हो पाई। तब

राज्य पुलिस महानिदेशक से कहा कि वे तुरंत फैजाबाद में तैनात केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करें।

12.25 बजे गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात की और ढाँचे पर हमले की चिंता जता, उनसे फौरन कार्रवाई कर ढाँचे को खाली कराने की अपील की। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा, आप केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करें। कल्याण सिंह बोले, हमें परस्पर विरोधी खबरें मिल रही हैं। मैं मामले की जाँच कर आपको बताता हूँ। लेकिन कल्याण सिंह ने दुबारा गृहमंत्री को फोन नहीं किया।

12.30 बजे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या कंट्रोलरूम में संपर्क साधा और कमिश्नर से बात की। उनसे जो कुछ हो रहा है, उस पर अपना गुस्सा जताया। लेकिन यह भी कहा, बिना गोली चलाए स्थिति को सँभालें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक तेजशंकर ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बताया कि ढाँचे पर कुछ कारसेवक चढ़ गए हैं। हालाँकि कोई स्थायी निर्माण नहीं हो रहा है। (दरअसल तेजशंकर तो स्थायी निर्माण पर नजर रखने के लिए आए थे, जबकि वहाँ तो ध्वंस हो रहा था।)

12.40 बजे आई.टी.बी.पी. के महानिदेशक ने गृह मंत्रालय को सूचित किया कि ढाँचे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन उ.प्र. पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 बटालियन कार्रवाई के लिए तैयार हैं। दोनों बटालियनें फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंटल

सेंटर में राज्य सरकार के मजिस्ट्रेटों का इंतजार कर रही हैं।

1.00 बजे केंद्रीय गृहमंत्री ने उ.प्र. के राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी से बात की। उन्हें बाबरी ढाँचे पर हमले की सूचना दी और उन्हें ढाँचे को बचाने के लिए दखल देने को कहा।

1.15 बजे जिलाधिकारी फैजाबाद ने डी.आई.जी. सी.आर.पी.एफ. से 50 कंपनी केंद्रीय बलों की माँग की। महानिदेशक आई.टी.बी.पी. ने जिला प्रशासन से इन केंद्रीय बलों के लिए मजिस्ट्रेट माँगे। क्योंकि कानून के तहत मजिस्ट्रेट के बिना सुरक्षा बल आगे नहीं बढ़ सकते।

1.30 बजे अयोध्या कंट्रोलरूम को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लिखित संदेश मिलता है कि गोली नहीं चलेगी। उसके बिना विवादित परिसर खाली कराएँ।

1.40 बजे केंद्रीय बलों को लाने के लिए एक मजिस्ट्रेट और एक सर्किल अफसर फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर पहुँचे।

1.50 बजे आई.टी.बी.पी. के महानिदेशक ने फिर गृह मंत्रालय से कहा, ढाँचे को काफी नुकसान पहुँचा है, पर यू.पी. पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। केंद्रीय बलों की तीन बटालियनें मजिस्ट्रेट के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो गईं।

2.00 बजे गृहमंत्री चह्वाण ने फिर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात कर पूछा कि ढाँचे की हिफाजत के लिए अब

तक क्या किया? कल्याण सिंह ने कहा, वे पूरी तरह ढाँचे को बचाने की कोशिश में लगे हैं, पर गोली चलाने से मना किया है।

2.20 बजे डी.जी. आई.टी.बी.पी. ने गृह मंत्रालय को सूचित किया कि फैजाबाद कैंप से चली अर्धसैनिक बलों की तीनों बटालियनों को विरोध और बाधाओं का सामना करना पड़ा है। रास्ते में लोगों ने बाधाएँ खड़ी कर सड़क रोक रखी है। पथराव की घटना भी हुई। तब मजिस्ट्रेट ने उन्हें लिखकर दिया कि वे वापस लौट जाएँ। तीनों बटालियनें वापस लौट गईं। स्थिति जस की तस बनी हुई है।

2.30 बजे केंद्रीय गृहसचिव ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से कहा, केंद्रीय बलों की तीनों बटालियनों को स्थानीय अधिकारियों ने वापस कर दिया है। आप उन्हें हिदायत दें कि वे सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करें।

2.40 बजे केंद्रीय गृहसचिव ने रक्षा सचिव से बात कर कुछ हेलीकॉप्टर तैयार रखने को कहा, ताकि जरूरी हो तो केंद्रीय बल हवाई मार्ग से जा सकें। उनसे एक-दो ट्रांसपोर्ट जहाज भी तैयार रखने को कहा।

2.50 बजे आई.बी. ने गृह मंत्रालय को सूचित किया कि ढाँचे का पहला गुंबद गिर गया है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। अयोध्या में सांप्रदायिक वारदातें भी शुरू हो गई हैं। सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका है। केंद्रीय बल मौके पर जाने में असमर्थ हैं। डी.जी.पी. उत्तर प्रदेश

ने सूचित किया कि बिना फायरिंग के अब स्थिति को काबू में नहीं किया जा सकता, इसके लिए मुख्यमंत्री से आदेश लिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अब तक कोई आदेश नहीं दिया। रामकथा कुंज के मंच पर आडवाणी, जोशी और सिंघल फिर आए। तीनों काफी चिंतित दिख रहे थे। उमा भारती खुशी से उछल रही थीं। वे खुशी में डॉ. जोशी की पीठ पर चढ़ गईं।

3.00 बजे रेसकोर्स रोड पर प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री के निजी डॉक्टर के. श्रीनाथ रेड्डी राव की तबीयत देखने दोबारा आते हैं। सुबह वे आकर जा चुके थे। रेड्डी बताते हैं, राव का रक्तचाप बढ़ा हुआ था, चेहरा लाल था। वे काफी उत्तेजित थे। उनकी धड़कन और नाड़ी तेज थी। वे कुछ बोल नहीं रहे थे। आमतौर पर वे मुझसे तेलुगु या अंग्रेजी में बात करते थे, पर आज कुछ नहीं कहा।

4.30 बजे केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के गृहसचिवों, पुलिस महानिदेशकों से कहा कि सांप्रदायिक स्थिति पर नजर रखें। अगर स्थिति बिगड़ती है तो केंद्र की मदद लें। सैन्य अधिकारियों से भी सीधे मदद ली जा सकती है। गृहसचिव ने सेनाध्यक्ष और रक्षासचिव से कहा, स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सेना तैयार रहे।

4.40 बजे विवादित इमारत का मुख्य गुंबद भी गिर गया, जिसे विश्व हिंदू परिषद गर्भगृह कहती है। सारे स्थानीय अफसर अब अपनी-अपनी जगह छोड़ भाग खड़े

हुए। रामकथा कुंज में सिर्फ कुछ साधु-संत थे। आचार्य धर्मेंद्र, ऋतंभरा आदि कारसेवकों को ललकार रहे थे। कारसेवक भी लौटने लगे। पूरा परिसर विचारहीन दिमाग की तरह खाली दिखने लगा था।

5.00 बजे अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए। उनके घर और दुकानें जलाई जाने लगीं। अयोध्या से लौटते कारसेवकों का यह कारनामा था। इन वारदातों में कई मुस्लिम मारे गए। स्थानीय बाबरी नेता हाजी महबूब से विवाद के बाद एक कारसेवक के गायब होने की अफवाह से यह हिंसा भड़की।

5.15 बजे डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने अपने हाथ से एक अपील लिखी, जिसमें विवादित इमारत ध्वस्त करने पर कारसेवकों को बधाई दी गई। कारसेवकों से अनुरोध किया गया कि वे अयोध्या के मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमला न करें, क्योंकि अयोध्या के मुसलमानों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। जोशी ने यह पत्र विधायक लल्लू सिंह के पास इस निर्देश के साथ भेजा था कि वे जीप से घूम-घूमकर कारसेवकों से अपील करें। पर कारसेवकों के गुस्से को देख लल्लू सिंह पहले ही मौके से अंतर्ध्यान थे। वे प्रशासन को मिले नहीं।

5.30 बजे कारसेवक बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों की ओर लौट रहे थे। सभी के हाथ में ध्वस्त इमारत की ईंट, बैरिकेडिंग के पाइप और मलबे के टुकड़े थे। कारसेवक विजय के स्मृतिचिह्न ले जा रहे थे।

5.30 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उ.प्र. की इस्तीफा दे चुकी सरकार को बताया कि सेना तैयार है। सेना का परिवहन जहाज भी अलर्ट की मुद्रा में है। जिलाधिकारी चाहें तो सेना भेजी जा सकती है। गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि तीन एएन-12 जहाज लखनऊ हवाई अड्डे पर तैयार रखें।

5.40 बजे फैजाबाद के केंद्रीय कैंप में अब तक अर्धसैनिक बलों की माँगवाला कोई पत्र फैजाबाद जिला प्रशासन ने नहीं भेजा था।

6.00 बजे फैजाबाद में अर्धसैनिक बलों के कैंप में एक ए.डी.एम. बिना मजिस्ट्रेट के पहुँचे और 50 में से 6 कंपनी सुरक्षा बल अपने साथ ले गए।

6.45 बजे बाबरी ढाँचे के समतल चबूतरे पर एक तंबू में रामलला की मूर्तियाँ रख दी गईं। अस्थायी ढाँचे का निर्माण शुरू कर दिया गया।

7.00 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उ.प्र. सरकार को बर्खास्त करने, विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी।

ध्वंस, अस्थायी मंदिर और पूजा के इन कोई 48 घंटों के घटनाक्रम में मैं बतौर खबरनवीस रोमांच में था, तो घबराया हुआ भी। खाने-पीने, नहाने-धोने की किसी को चिंता नहीं थी। बस्ती में आग लग रही है तो उधर दौड़े। फिर खबर आई, केंद्रीय बल कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं तो हम सड़क की तरफ भागे। कारसेवक फिर इकट्ठा हो

गए अस्थायी मंदिर के पास, कहीं मूर्तियों के हटाने की कार्रवाई न हो, फिर दौड़कर वहाँ पहुँचे। 48 घंटे तक हम चकरघिन्नी बन गए थे। इतिहास के उन अनहोने, अविस्मरणीय क्षणों के सभी खबरनीस जहाँ चश्मदीद थे, तो देश के उस वक्त के नियंताओं, प्रशासन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने उन 48 घंटों को जिस किंकर्तव्यविमूढ़ता, अविश्वास और धोखे में गुजारा, वह उनका न मिटने वाला इतिहास है। इतिहास के इन क्षणों में भारत राष्ट्र राज्य की व्यवस्था, नियंताओं का जैसा अनुभव रहा, वह न तो कभी भुलाया जा सकता है, न यह समझ बन सकती है कि इतिहास की ग्रंथियों को आस्था और सभ्यता के संघर्ष के बीच सुलझाने के लिए हमारे पास क्या समझ है और क्या व्यवस्था है?

इन घटनाओं के क्रम से इतना तो पता चलता है कि इस पूरे सिलसिले में किसकी क्या भूमिका थी? कौन लाचार था? कौन ढाँचा गिरवाना चाहता था? कौन धोखे में था? कौन धोखा दे रहा था? ध्वंस की एक-एक तस्वीर इसे पढ़कर साफ हो जाती है।

ढाँचा ढहने के बाद हम खबर भेजने की उतावली में थे। इसके लिए हमें फैजाबाद लौटना था। हालाँकि अयोध्या अब भी उन्मादियों के हवाले थी। कारसेवक समतलीकरण अभियान में लगे थे। पूरे परिसर में 'फ्लड लाइट' लग गई थी। चारों तरफ उत्सव का माहौल था। सुरक्षा बलों का कोई डर नहीं था। यह आशंका जरूर थी

कि रात को केंद्रीय बल कार्रवाई कर परिसर खाली करा सकते हैं। हम फैजाबाद की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ घर धू-धू कर जलते मिले। अयोध्या-फैजाबाद जुड़वाँ शहर हैं। यों तो दोनों के बीच की दूरी सात किलोमीटर है, पर एक शहर कब खत्म होता है, दूसरा कब शुरू होता है, दोनों शहरों के विस्तार के कारण इसका पता नहीं चलता।

ध्वंस के इरादे से विवादित ढाँचे के पीछे की तरफ से चढ़े कारसेवक। फोटो : प्रवीण जैन

ध्वंस की एक और तस्वीर। फोटो : प्रवीण जैन

तैयारी बताती है कि कारसेवक ध्वंस के इरादे से ही आए थे। फोटो : प्रवीण जैन

उग्र कारसेवकों की भीड़, जिनके पास हथौड़ा, फावड़ा, गैंता सब मौजूद था। फोटो : प्रवीण जैन

कारसेवकों की भीड़ के साथ साध्वी ऋतंभरा और उनके गुरु स्वामी परमानंद। फोटो : राजेंद्र कुमार

रामकथा कुंज में ही देश के कोने-कोने से आए कारसेवकों को रामकथा कुंज में ठहराया गया था। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

उस दौरान एक और बड़ा हादसा होते-होते बचा। मेरे मित्र वसीम अहमद राज्यसभा सांसद थे। वी.पी. सिंह के बहुत नजदीक थे। वे भी तमाशा देखने और वी.पी. सिंह को पल-पल की रिपोर्ट देने वहाँ पहुँचे थे। उन्हें कारसेवकों ने मानस भवन के सामने घेर लिया। कारसेवक वसीम भाई से परिचय-पत्र माँग रहे थे। वसीम भाई पसीना-पसीना, क्योंकि भेद खुल जाता तो कारसेवक हिंसक हो जाते। क्या होता पता नहीं!

मैंने देखते ही मामला समझ लिया। दौड़कर पहुँचा और वसीम भाई को खींचते हुए मैंने उन्हें कारसेवकों के चंगुल से बाहर निकाला। कारसेवकों को समझाया—ये मेरे संपादक हैं, दिल्ली से आए हैं। उन्हें ले जाकर पुलिस कंट्रोलरूम में बिठाया। उनकी जान में जान आई, फिर अपनी गाड़ी में बिठा उन्हें फैजाबाद ले आया। वसीम भाई आज भी उस घटना को याद कर भावुक हो जाते हैं। इस

घटना से यह भी अंदाज लगता है कि नफरत की आग तब कितने गहरे धँसी थी।

मैंने पी.सी.ओ. से उन्हें फोन किया तो रामबाबू ने कहा, संपादक जी आपको ही ढूँढ़ रहे हैं। रामबाबू संपादक के सचिव थे। मैंने प्रभाष जी को बाबरी ध्वंस की पूरी कहानी बताई। प्रभाष जी रोने लगे। कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, "यह धोखा है, छल है, कपट है। यह विश्वासघात है। यह हमारा धर्म नहीं है। अब हम इन लोगों से निपटेंगे।"

मैं फैजाबाद के इकलौते ठीक-ठाक होटल 'शान-ए-अवध' में ठहरा था। यहीं सौ से ज्यादा देशी-विदेशी पत्रकार ठहरे हुए थे। पूरा होटल पत्रकारों से भरा था। इस होटल की खासियत यह थी कि इसके सामने ही तारघर था और पड़ोस में जिलाधिकारी तथा कमिश्नर के सरकारी घर। यानी खबरों के केंद्र अगल-बगल। उस वक्त संचार माध्यमों में क्रांति नहीं हुई थी। तार, टेलेक्स, फैक्स का जमाना था। होटल की सीढ़ियों पर फोटोग्राफरों ने डार्करूम बना रखा था। रेस्टोरेंट और रिसेप्शन पर पत्रकार साथी अपने-अपने टाइपराइटर लेकर बैठे थे। होटल के मालिक शरद कपूर और अनंत कपूर खुद रिसेप्शन पर आ सबको एस.टी.डी. की सुविधा देते थे। हम सब पहले अपने दफ्तर किसी तरह खबर पहुँचाने को आतुर थे। होटल में पत्रकारों की लाइन लगी थी।

मुझे अपने संपादक प्रभाष जोशी को पूरी घटना की

जानकारी देनी थी। प्रभाष जी कारसेवा के लिए केंद्र सरकार और संघ के बीच जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे, उनमें से एक थे। होटल में भीड़ देख बाहर आ मैंने पी.सी.ओ. से उन्हें फोन किया तो रामबाबू ने कहा, संपादक जी आपको ही ढूँढ़ रहे हैं। रामबाबू संपादक के सचिव थे। मैंने प्रभाष जी को बाबरी ध्वंस की पूरी कहानी बताई। प्रभाष जी रोने लगे। कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, "यह धोखा है, छल है, कपट है। यह विश्वासघात है। यह हमारा धर्म नहीं है। अब हम इन लोगों से निपटेंगे।"

प्रभाष जी विचलित थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं दोपहर बारह बजे से शाम पाँच बजे तक के ध्वंस का पूरा हाल पाँच मिनट में उन्हें सुनाने की रिपोर्टरी उत्तेजना में था। उन्हें 'ब्रीफ' करने के बाद मैं अपनी रिपोर्ट लिखने चला गया। जिसकी कतरन आपको मेरी दूसरी किताब 'अयोध्या का चश्मदीद' में मिलेगी।

विवादित इमारत गिराने की दो एफ.आई.आर. उसी रोज रात को राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गईं। एक एफ.आई.आर. थानेदार प्रियबंदा नाथ शुक्ला ने और दूसरी राम जन्मभूमि चौकी प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई। दोनों की जाँच उसी वक्त सी.ओ. इनायत नगर आर.पी. टंडन को सौंप दी गई। बाद में यह जाँच सी.बी.आई. को दे दी गई। राम जन्मभूमि थाने में दर्ज रिपोर्ट-संख्या 197/92 में आई.पी.सी. की धारा 395/397/332/337/338/295/297/153 व 7

क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

दूसरी एफ.आई.आर. श्रीराम जन्मभूमि पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक गंगा प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा संख्या 198/92 धारा 153अ, 153ब/505 आई.पी.सी. के तहत 8 लोगों के नाम लिखी गई। इस एफ.आई.आर. में लिखा गया—

सेवा में, श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना-श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या, फैजाबाद।

आज दिनांक 6.12.92 को मैं विश्व हिंदू परिषद की कारसेवा में शांति व्यवस्था ड्यूटी में मशगूल था। विवादित स्थल राम चबूतरा, शेषावतार मंदिर ड्यूटी चेक करते हुए रामकथा कुंज में सभा मंच पर करीब 10 बजे दिन में पहुँचा, जहाँ विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री अशोक सिंघल, संयुक्त मंत्री श्री गिरिराज किशोर व श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री विष्णु हरि डालमिया, फैजाबाद के सांसद व बजरंग दल के संयोजक श्री विनय कटियार, सांसद उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा आदि वक्ता मंच पर बैठे थे। उपरोक्त वक्ता लोग अपने उत्तेजनापूर्ण भाषणों से कारसेवकों को उत्तेजित कर रहे थे। उनका नारा था कि 'एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो।' 'मुगलकालीन गुलामी के प्रतीक इस खँडहर को ध्वस्त कर दो।' उनके उत्तेजनापूर्ण भाषणों से कारसेवक उत्तेजित होकर बीच-बीच में नारा लगाते थे कि

‘जब कटुए काटे जाएँगे, राम-राम चिल्लाएँगे।’ ‘राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएँगे।’ इन नेताओं के भाषण में मस्जिद तोड़े जाने का बार-बार इशारा किया गया। परिणामस्वरूप लाखों कारसेवकों ने धावा बोलकर विवादित भवन को ढहा दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता को भी गंभीर आघात पहुँचा है। उक्त घटना को मौके पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त श्रोता, पत्रकार आदि ने देखा-सुना है। अतः रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। हस्ताक्षर गंगा प्रसाद तिवारी, एस.आई/सी. 6.12.92

नोट—मैं कांस्टेबल सु. 322 हनुमान प्रसाद प्रमाणित करता हूँ कि...तहरीर की नकल को अक्षरशः अंकित किया गया।

हस्ताक्षर

6.12.92

इस एफ.आई.आर. के आधार पर लालकृष्ण आडवाणी, विष्णुहरि डालमिया, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार को 8 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सभी लोगों को माता टीला डैम ललितपुर के गेस्ट हाउस में रखा गया। सभी को 10 जनवरी, 1993 को ललितपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.आर. यादव ने शाम साढ़े छह बजे सुनाए गए अपने फैसले में बिना शर्त ससम्मान रिहा कर दिया। मजिस्ट्रेट ने अपने छह पेज के फैसले में कहा कि

सरकार प्राथमिक रिपोर्ट के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रही।

प्रशासन ने दूसरी एफ.आई.आर. में जिला अस्पताल में भर्ती 27 घायल कारसेवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनको धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया। ये सभी कारसेवक फैजाबाद अस्पताल के आर्थोपैडिक वार्ड में भर्ती थे।

गिरफ्तार कारसेवकों में थे—हेमराज (कोटा, राजस्थान), हजारी लाल (बतलईया), गिरजा शंकर (बाराबंकी), दिनेश शर्मा (मिसरौली, राजस्थान), महेंद्र कुमार (करीब नगर, रामपुर, उ.प्र.), रज्जन लाल (फतेहपुर, बाराबंकी, उ.प्र.), विनय कुमार राय (रूपालपुर, गोपालगंज, बिहार), लक्ष्मी नारायण दास, दिगंबर सिंह (पौड़ी गढ़वाल), लोकेशचंद्र (रायबरेली), सच्चिदानंद (नालंदा, बिहार), ओम प्रकाश शास्त्री (आजमगढ़), रामेश्वर सुमन (कोटा, राजस्थान), सत्य नारायण (कोटा, राजस्थान), रमेश त्यागी (छपरा, बिहार), देवेंद्र सिंह राव, शिव मांगले (अयोध्या), अर्जुन प्रसाद ओझा (बलिया), विनीत कुमार (मध्य प्रदेश), अंचल सिंह (भोपाल, म.प्र.), सुखदेव (महाराष्ट्र), रामलखन दास (अयोध्या), सत्य प्रकाश त्रिपाठी (कानपुर देहात), किशन बिहारी (इटावा), छेदी शाह (बिहार), रमेश पचौड़ी (औरंगाबाद), कुबेर सिंघली (भोजपुर, बिहार)।

सुबह-सुबह मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने बवाल

कर दिया, क्योंकि मंदिर के सरकारी पुजारी सत्येंद्र दास को रात में पुलिस ने भगा दिया था। उनके सहायक सुभाष चंद्र त्रिपाठी और सुनील दास को भी सुरक्षा बलों ने भगा दिया था। इसलिए अस्थायी मंदिर में सुबह भोग नहीं लगा। यह खबर फैलते ही सुरक्षा बलों में रोष फैल गया।

ध्वंस और अस्थायी मंदिर बनने के बाद छह दिसंबर की पूरी रात अयोध्या में कोई एक लाख कारसेवक विवादित स्थल पर ही जमे रहे। उन्हें अंदेशा था कि कहीं अस्थायी मंदिर से रामलला की मूर्ति को हटाने की कार्रवाई न हो। रातभर अस्थायी मंदिर के निर्माण का काम जारी रहा। सुबह-सुबह मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने बवाल कर दिया, क्योंकि मंदिर के सरकारी पुजारी सत्येंद्र दास को रात में पुलिस ने भगा दिया था। उनके सहायक सुभाष चंद्र त्रिपाठी और सुनील दास को भी सुरक्षा बलों ने भगा दिया था। इसलिए अस्थायी मंदिर में सुबह भोग नहीं लगा। यह खबर फैलते ही सुरक्षा बलों में रोष फैल गया। सुरक्षा बलों के विरोध से प्रशासन सतर्क हुआ। बात आगे न बढ़े, इसलिए पुजारी ढूँढ़े गए। उन्हें ढूँढ़कर मंदिर पहुँचाया गया और पूजा-अर्चना शुरू हुई। तड़के शुरू होने वाली पूजा दोपहर बारह बजे हुई। तब से शुरू पूजा अब तक जारी है। यानी सरकारी स्तर पर इस अस्थायी मंदिर को सरकारी पूजा-अर्चना के बाद वैधता मिली।

केंद्र सरकार के कमान सँभालने के 24 घंटे बाद तक

केंद्रीय बल अयोध्या के रामकोट इलाके की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिला प्रशासन और केंद्रीय बलों में दुविधा थी। केंद्र सरकार का यह दावा धरा रह गया, जिसमें कहा गया था कि जरूरत पड़ी तो 45 मिनट के भीतर अर्धसैनिक बल विवादित हिस्से को खाली करा लेंगे। दूसरे दिन कारसेवकों को समझा-बुझाकर वापस भेजने का प्रयास जारी रहा। लेकिन कारसेवकों का जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अयोध्या में लगभग सभी मुस्लिम घर जला दिए गए। ज्यादातर मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया। अब तक छह मुसलमानों को धार्मिक जुनून ने लील लिया था। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मुकदमे के पक्षकार मो. हाशिम का घर भी स्वाहा हो गया। उनके घर पर कारसेवकों ने कब्जा जमा लिया। इस भयानक अराजकता से फैजाबाद के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कोई मतलब नहीं रख रहे थे। क्योंकि वे अपने खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। शाम तक इन दोनों अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया था और कमिश्नर का तबादला कर दिया गया था। ढाँचा गिरने के बाद से चार बार केंद्रीय बलों ने जन्मभूमि परिसर और रामकथा कुंज को घेरकर दबाव बनाने की कोशिश की, पर हर बार उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता।

विवादित ढाँचे को ढहाने और मलबे को हटाने में पुराने मंदिरों के कई अवशेष मिले। ये सभी अवशेष रामकथा

कुंज पर इकट्ठा रखे गए। विवादित ढाँचे के नीचे से सफेद संगमरमर के सौ से ज्यादा टुकड़े मिले। ढाँचे के भीतर से पीतल का एक कलश और पुरानी मूर्तियों के कई टुकड़े निकले। जमीन से निकले इन सभी अवशेषों की कारसेवक श्रद्धा से पूजा-अर्चना कर रहे थे।

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा मस्जिद पुनर्निर्माण के ऐलान के बाद यह आशंका बनी कि रामलला कहीं अपनी जमीन से बेदखल न हो जाएँ। इसकी पेशबंदी शुरू हुई। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "रामलला किसी भी तरह से अपने जन्मस्थान से हटाए नहीं जा सकते। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो देश में इससे भी गंभीर स्थिति पैदा होगी।" सिंघल ने बीच में फँसे कारसेवकों को निर्देश दिया कि जो कारसेवक बीच में अटके हैं, यानी उत्तर प्रदेश के किसी शहर में रुके पड़े हैं, तो वे अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करके ही जाएँ, पर जो लोग अभी अपने घरों से नहीं निकले हैं, वे न चलें। अगले आदेश की प्रतीक्षा करें, ताकि अयोध्या में कारसेवकों का दबाव बना रहे और केंद्र सरकार मूर्तियों को लेकर कोई कदम न उठा सके।

अयोध्या में सबसे ज्यादा मुसीबत केंद्रीय बलों की थी। वे तैनात तो पूरी अयोध्या में थे, पर हरकत में कहीं नहीं थे। देर रात सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों में ठन गई। सुरक्षा बलों ने कहा

कि जब तक हर कंपनी के साथ राज्य सरकार का एक मजिस्ट्रेट और एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी नहीं होगा, वे कहीं हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले से ही राज्य सरकार ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रखा है कि यहाँ तैनात अर्धसैनिक बल शराब पीकर लालबत्ती इलाकों में उत्पात मचा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री को इसका खंडन करना पड़ा। फिर आनन-फानन में आस-पास के जिलों से रात में ही मजिस्ट्रेट बुलाए गए। तब जाकर अगली सुबह से इन बलों ने 'पोजीशन' ली। रात में कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो चुकी थी। इस बर्खास्तगी के खिलाफ कारसेवकों ने अयोध्या के मुसलमानों को निशाना बनाया। उन पर आफत आ गई। काजियानी की आरा मशीन वाले साबिद को दंगाइयों ने जिंदा जला दिया। चालीस बरस के शौकत उल्लाह फैजाबाद नगरपालिका के स्कूल में मास्टर थे। उन्हें भी दंगाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। शौकत उल्लाह का बारह बरस का बेटा भी मारा गया। अजमत उल्लाह (46) हाइडिल में बड़े बाबू थे। दंगों की आग में वे भी झुलस गए। सलमान (22) की कपड़ा सिलने की दुकान थी। दुकान तो पूरी तरह जला दी गई, अब वे भी इस दुनिया में नहीं हैं। काजियाना के असलम का दस साल का बेटा गुड्डू भी मारा गया। इस मोहल्ले में लगभग सभी घर जल गए। अयोध्या-फैजाबाद में कर्फ्यू का कारसेवकों पर कोई असर नहीं था। केंद्र और राज्य में नरसिंह राव का शासन था। अयोध्या में फ्री फॉर ऑल था।

गाड़ियों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। समझते देर नहीं लगी कि 'ऑपरेशन फ्लश आउट' की तैयारी है। 108 रैपिड एक्शन फोर्स की एक बटालियन और 8 कंपनी सी.आर.पी.एफ. अयोध्या की तरफ इस काम के लिए कूच कर रही थीं। इनका नेतृत्व आई.पी.एस.अफसर बी.एम. सारस्वत कर रहे थे।

कुछ कारसेवक अपने कैंपों के सामान समेटकर स्टेशन की ओर जाते नजर आ रहे थे। रामकथा कुंज में बने बहुत से टैंट खाली होने लगे। पुलिस पी.ए.सी. तथा सुरक्षा बलों के जवान अपनी-अपनी जगहों पर तैनात तो रहे, पर सिर्फ मूकदर्शक की भूमिका में। बीच-बीच में परिसर में हवा उड़ती रही कि केंद्रीय सुरक्षा बल आने वाले हैं। यह सुनते ही कारसेवक निर्माणाधीन मंदिर के चारों तरफ जुट जाते और 'जय श्रीराम' के नारे लगा अपनी उपस्थिति का अहसास कराते।

आठ दिसंबर तड़के को सवा तीन बजे के आस-पास हमारे होटल के बाहर शोरशराबा और खुसफुसाहट हुई। बाहर आकर देखा तो कर्फ्यू के सन्नाटे को चीरती अर्धसैनिक बलों की गाड़ियाँ अयोध्या की तरफ दौड़ रही हैं। गाड़ियों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। समझते देर नहीं लगी कि 'ऑपरेशन फ्लश आउट' की तैयारी है। 108 रैपिड एक्शन फोर्स की एक बटालियन और 8 कंपनी सी.आर.पी.एफ. अयोध्या की तरफ इस काम के लिए कूच कर रही थीं। इनका नेतृत्व आई.पी.एस. अफसर

बी.एम. सारस्वत कर रहे थे। मैं और मेरे स्थानीय प्रतिनिधि त्रियुग नारायणतिवारी उसी काफिले के पीछे हो लिये।

ठीक साढ़े तीन बजे विवादित इमारत के पीछे से और मानस भवन तथा सीता रसोई की तरफ से ‘रैपिड एक्शन फोर्स’ के कमांडो जन्मभूमि परिसर में दाखिल होते हैं। उस वक्त वहाँ कोई पाँच हजार कारसेवक ही मौजूद थे। ये सब कंबल ओढ़कर भजन गा रहे थे। बगल के पंडालों में कारसेविकाएँ सो रही थीं। रामकथा पार्क में कीर्तन रुका था। शोर शुरू होता है। थोड़ी देर में भगदड़ मचती है। सुरक्षा बलों से हलके प्रतिरोध के बाद विवादित परिसर आराम से खाली हो जाता है। थोड़ी देर में पूरा परिसर खाली था।

कोई चालीस मिनट के इस आसान पर डरावने ऑपरेशन में रैपिड एक्शन फोर्स ने मानस भवन और रामकथा कुंज को भी खाली करा लिया। तमाम आशंकाओं को देखते हुए इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ आँसू गैस के पाँच गोले छूटे और हल्का लाठी चार्ज हुआ। इसको मामूली बल प्रयोग ही कहा जाएगा। रामकथा कुंज के लाउडस्पीकर कीर्तन रोक खुद ही गूँज उठे।
“सी.आर.पी.एफ. आ गई है। आप लोग चले जाएँ।” देर रात विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल ने देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कारसेवा के अस्थायी तौर पर रोकने का ऐलान भी किया था। इसलिए कारसेवक वैसे भी कम हो गए थे। जो बचे थे, वे सिर्फ अस्थायी तंबू

वाले मंदिर की रखवाली कर रहे थे।

फैजाबाद के तब के एस.एस.पी. डी.बी. राय ने मुझसे कहा, "यह अलग बात है कि वे अपने परिवार के सामने भी यह वीरता का पदक नहीं दिखा सकते, क्योंकि अपने बच्चों को वे यह कैसे बता पाएँगे कि हर तरह के असलहों से लैस हजारों जवानों की सहायता से लगभग एक सौ निहत्थे कारसेवकों को उन्होंने भगा दिया था। उसी वीरता के लिए यह पदक मिला है।"

अब यह देखिए कि सरकारें कैसे काम करती हैं। जब कारसेवकों का दबाव था तो 36 घंटे तक केंद्रीय बल वहाँ फटकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब कारसेवक खुद से चले गए तो आँसू गैस के सिर्फ पाँच गोलों से परिसर खाली हो गया। लेकिन कारसेवकों से परिसर को खाली कराने के लिए भारत सरकार ने खाली कराने गई टीम में से साठ से ज्यादा जवानों और अफसरों को उनकी बहादुरी के लिए पदक दिए! फैजाबाद के तब के एस.एस.पी. डी.बी. राय ने मुझसे कहा, "यह अलग बात है कि वे अपने परिवार के सामने भी यह वीरता का पदक नहीं दिखा सकते, क्योंकि अपने बच्चों को वे यह कैसे बता पाएँगे कि हर तरह के असलहों से लैस हजारों जवानों की सहायता से लगभग एक सौ निहत्थे कारसेवकों को उन्होंने भगा दिया था। उसी वीरता के लिए यह पदक मिला है।"

ऑपरेशन 'फ्लश आउट' से एक दिन पहले ही

प्रधानमंत्री की तरफ से विनय कटियार को संदेश आया कि हम कारसेवकों पर बल प्रयोग नहीं करना चाहते। आप लोग परिसर खाली कराएँ। उसी के बाद रात में कारसेवा को टालने की घोषणा हुई।

कारसेवक लौट रहे थे। अयोध्या में केंद्रीय बलों की स्थिति बहुत की कारुणिक थी। केंद्र और राज्य के बीच 'फुटबॉल' बने इन बलों की इमेज मंदिर-विरोधी बनी थी। राज्य सरकार भी इन बलों पर अनाप-शनाप आरोप लगा जनता के बीच ऐसी धारणा बनवा रही थी कि मानो मंदिर के रास्ते की अड़चन ये सुरक्षा बल ही हैं। पर सच यह नहीं था। अब अस्थायी मंदिर में दर्शन-पूजा का काम इन्हीं सुरक्षा बलों के हवाले था। उनकी छुपी आस्था प्रकट हो रही थी। सुबह से ही दर्शन के लिए उनकी लंबी कतार लगी थी। इस कतार को देखकर बड़े अफसरों में बेचैनी थी। दूरदराज से आए बलों के जवान भी मंदिर में दर्शन करने पर उतारू थे। आज सुबह दर्शन-पूजा का यह कार्यक्रम कोई एक घंटा चला भी, पर बाद में फोटोग्राफरों को देख रोक दिया गया। इसके बावजूद जवान चबूतरे पर दर्शन की प्रतीक्षा में डटे रहे। आर.ए.एफ. के डिप्टी कमांडेंट डी.पी. सिंह को 'लाउडहेलर' से कई बार घोषणा करनी पड़ी कि सभी जवान अपनी-अपनी ड्यूटी पर जाएँ। इस तरह भीड़ लगाकर गड़बड़ी न फैलाएँ। शाम को सभी को दर्शन की इजाजत दी जाएगी। लेकिन फिर भी इक्का-दुक्का जवान मंदिर में घुस दर्शन करते रहे।

रामलला के दर्शन आम लोगों के लिए बंद थे। यहाँ जवान प्रसाद भी ले रहे थे और चढ़ावा भी चढ़ा रहे थे। यह दृश्य अद्भुत था। मंदिर के आस-पास तैनात सभी जवानों ने जूते-मोजे उतार रखे थे। थोड़ी-थोड़ी देर में जवानों की भीड़ रामलला के सामने लग जाती थी।

2.77 एकड़ का वह इलाका, जहाँ जुलाई की कारसेवा में समतलीकरण कर चबूतरा बनाया गया। फोटो : राजेंद्र कुमार

ध्वंस के तुरंत बाद ही अस्थायी मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। फोटो : राजेंद्र कुमार

बारूद और मलबे के ढेर पर मौजूद रामलला। फोटो : राजेंद्र कुमार

राम जन्मभूमि का वह पत्थर, जो 1903 में लगाया गया था। जिसके पास पड़ा कसौटी पत्थर भी देखा जा सकता है। मंदिर की पहली सीढ़ी पर लिखा गया—हिंदू विजय दिवस 6 दिसंबर, 1992। फोटो : राजेंद्र कुमार

अस्थायी मंदिर के निर्माण में पुलिस बल ने भी सहयोग किया। फोटो : राजेंद्र कुमार

अस्थायी मंदिर के आस-पास पुलिस बल का जमावड़ा। फोटो : राजेंद्र कुमार

दर्शन करने वालों में सिख जवानों की संख्या ज्यादा दिख रही थी। एक जवान ने कहा, जिंदगी में पहली बार अयोध्या आया हूँ। फिर आऊँ या न आऊँ, दर्शन तो कर ही लूँ। पंजाब में ड्यूटी देते-देते ऊब गया था। यहाँ सुकून मिल रहा है। सुरक्षा बलों के कई जवान साधु-संतों के साथ मंदिर में आरती के समय घंटे-घड़ियाल भी बजा रहे थे। सुरक्षा बलों के जवान भक्ति में रम गए थे। वे राम-जन्मभूमि मंदिर के रास्ते पर कर्फ्यू के बावजूद लगी चाय, पान, फल के दुकानदारों को भी नहीं छेड़ रहे थे। परिसर के कब्जे में आते ही केंद्रीय बलों ने सुरक्षा के लिहाज से रामकथा कुंज की तरफ से विवादित परिसर से सटी पूरी जमीन पर कँटीली बाड़ लगा दी। कथाकुंज में कारसेवकों के लिए तंबुओं और टेंटों का जो शहर बसा था, उसमें अब अर्धसैनिक बल आराम कर रहे थे।

दर्शन करने वालों में सिख जवानों की संख्या ज्यादा दिख रही थी। एक जवान ने कहा, जिंदगी में

पहली बार अयोध्या आया हूँ। फिर आऊँ या न आऊँ, दर्शन तो कर ही लूँ। पंजाब में ड्यूटी देते-देते ऊब गया था।

फैजाबाद के नए जिलाधिकारी, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सबेरे ही कामकाज सँभाल लिया। काम सँभालने के फौरन बाद जिलाधिकारी विजयशंकर पांडेय ने जनता और सुरक्षा बलों में भरोसा बनाने के लिए कहा कि विवादित स्थल पर पूजा-अर्चना चल रही है। उसे जारी रहने दिया जाएगा। केंद्रीय बलों की कमान सी.आर.पी.एफ. के आई.जी. सेंट्रल सेक्टर एस.एन. चौबे ने सँभाल रखी है।

विहिप महामंत्री अशोक सिंघल लखनऊ में थोड़ी देर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद लालकृष्ण आडवाणी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, एच.वी. शेषाद्रि के साथ मध्य प्रदेश सरकार के जहाज से दिल्ली चले गए। लखनऊ में इन सबकी मुलाकात कल्याण सिंह से हुई। ढाँचा गिरने के बाद कल्याण सिंह से इन सबकी पहली मुलाकात थी।

आठ दिसंबर को केंद्रीय बलों ने जन्मभूमि परिसर पर कब्जा कर लिया, कारसेवक लौट गए तो हम भी अयोध्या से लौट रहे थे। उस वक्त एक बड़ा दारुण दृश्य देखा। महाराष्ट्र से आए एक कारसेवक दंपती के एक साल के बेटे की ठंड लगने से मौत हो गई थी। वे दोनों बिलखते हुए सुरक्षा बलों से राम जन्मभूमि तक जाने की इजाजत चाह

रहे थे। पुरुष के हाथ में बेटे का शव था। अपने बेटे के शव को वह दंपती जन्मस्थान की भूमि से स्पर्श कराना चाह रहे थे। भावविह्वल सुरक्षाकर्मियों ने इसकी इजाजत दे दी। यह थी वह आस्था, जिसके आगे सारे तर्क फेल थे। इस करुण क्रंदन का दृश्य आस्था के उस तूफान का प्रमाण था, जिसके आगे राजसत्ता सिर्फ सिर झुका सकती थी। उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अपने मासूम बेटे के शव के साथ इस माता-पिता का रुदन उस सवाल का जवाब है कि अपना शासन होने के बाद भी, हालात के नतीजों से वाकिफ होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने कारसेवकों को रोकने के लिए बल प्रयोग क्यों नहीं किया?

अब यह जानते हैं कि ध्वंस की यह स्थिति आई क्यों? विहिप और प्रधानमंत्री नरसिंह राव के शह और मात के खेल से कारसेवकों का आक्रोश इस हद तक चला गया। इस ध्वंस से पहले जुलाई की कारसेवा में विवादित इमारत के आस-पास के कोई आधा दर्जन मंदिर तोड़े गए थे। ये सभी पुराने और सिद्ध मंदिर थे। विश्व हिंदू परिषद ने इन सभी मंदिरों का मालिकाना हक हासिल कर इन्हें तुड़वा दिया, ताकि विवादित इमारत तक जाने का रास्ता बने। विवादित इमारत के आस-पास की 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बीजेपी सरकार ने 10 जनवरी, 1991 को किया। सरकार ने जमीन अधिग्रहीत करते ही उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया। इस जमीन में चौबुर्जी के

महंत रामआसरे दास का संकटमोचन मंदिर, साक्षीगोपाल मंदिर, सावित्री भवन, लोमष ऋषि का आश्रम, सीताकूप के अलावा और कई छोटे-छोटे मंदिर थे। अधिग्रहण के बाद दिन-रात काम कर कोई सौ मजदूरों ने इन भवनों को ढहा दिया। यह कार्रवाई कुछ दिनों तक चली। इसमें एक मंदिर ऐसा भी था, जिसमें शेषनाग की पूजा होती थी। इस मंदिर को गिराना अशुभ समझा गया। इसलिए कारसेवकों ने पड़ोस में भाई लक्ष्मण का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार समझा जाता है।

राम जन्मभूमि के ठीक सामने संकटमोचन मंदिर था। वहाँ से हनुमानजी की प्रतिमा को कहीं और ले जाया गया। यह काम आधी रात को हुआ। संकटमोचन मंदिर के महंत रामआसरे दास की अगुवाई में यह काम हुआ। उन्होंने अर्जी देकर कलेक्टर से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हनुमान की प्रतिमा हटाने की पहले ही इजाजत ले ली थी।

समतलीकरण के दौरान विवादित परिसर के बाहर पहले से लगी लोहे की बैरिकेडिंग हटा ली गई। वैसे तो सभी मंदिरों के महंतों ने यह कहकर न्यास के नाम रजिस्ट्री की थी कि वे भव्य राममंदिर निर्माण के लिए अपना मंदिर दान दे रहे हैं, पर अयोध्या के वैरागियों को सब जानते हैं। वहाँ पैसे से किसी को वैराग्य नहीं था। ज्यादातर मंदिर राम जन्मभूमि न्यास ने खरीदे थे। जमीन के अधिग्रहण,

समतलीकरण और उन मंदिरों की तोड़-फोड़ को लेकर पूरे देश में माहौल गरम होने लगा। अयोध्या में मंदिर तोड़े जाने पर लोकसभा में गृहमंत्री को बयान देना पड़ा।

राम जन्मभूमि के ठीक सामने संकटमोचन मंदिर था। वहाँ से हनुमानजी की प्रतिमा को कहीं और ले जाया गया। यह काम आधी रात को हुआ। संकटमोचन मंदिर के महंत रामआसरे दास की अगुवाई में यह काम हुआ।

उन्होंने अर्जी देकर कलेक्टर से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हनुमान की प्रतिमा हटाने की पहले ही इजाजत ले ली थी। इस दौरान देश भर में ऐसी गलतफहमी पैदा की गई कि अयोध्या में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही स्थिति साफ हो गई कि मंदिरों को तोड़े जाने का मकसद जमीन का समतलीकरण करना है। ये सब राममंदिर निर्माण से जुड़े सभी पक्षों की सहमति से हो रहा है। जिलाधिकारी का कहना था कि भूमि समतलीकरण के लिए मंदिर तोड़े गए। मंदिर जिनके पास था, उन्होंने स्वयं तोड़ा। भूमि समतलीकरण और मंदिर को हटाने में कोई नियम और कोर्ट के आदेश बाधक नहीं हैं। जिस संकट मोचन मंदिर के तोड़े जाने को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, उसके पीछे का सच यह है कि चौबुर्जी के आश्रम के महंत रामआसरे दास खुद मंदिर से हनुमानजी की मूर्ति निकालकर ले गए।

मई 1992 में संतों की एक बैठक उज्जैन में हुई। इसी बैठक में तय हुआ कि 9 जुलाई, 1992 से अगले चरण की

कारसेवा शुरू होगी। इस ऐलान से परेशान प्रधानमंत्री के राजनैतिक सलाहकार जितेंद्र प्रसाद ने संतों से मुलाकात कर उनसे प्रधानमंत्री से बात करने की अपील की। नरसिंह राव से संतों की दिल्ली में मुलाकात हुई। मुलाकात करने वाले संतों में महंत अवेद्यनाथ, वामदेव जी, परमहंस रामचंद्रदास, महंत नृत्यगोपाल दास, स्वामी परमानंद, स्वामी चिन्मयानंद एवं उडुपि के पेजावर स्वामी थे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा—आपको प्रधानमंत्री बने करीब एक साल बीतने वाला है और अब तक आपने मंदिर के सवाल पर कोई विचार-विमर्श तक नहीं किया। इसी वजह से हम स्वयं आपके साथ इस बैठक के लिए आए। जिससे ऐसा आभास न हो कि हम इकतरफा काम कर रहे हैं। हमने 9 जुलाई से कारसेवा शुरू करने का फैसला किया है। यह जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं, ताकि बाद में आप ये न कहें कि हमने आपको बिना जानकारी दिए ऐसा किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ज्यादातर चुप रहे। बाद में उन्होंने कहा, "मैं भी इस मामले का शीघ्र समाधान चाहता हूँ। अयोध्या में मंदिर निर्माण चाहता हूँ। लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक हो गया। राजनीति को इससे दूर रखा जाना चाहिए। धर्म से जुड़े मामलों को धर्म के आधार पर ही निपटाना चाहिए। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुझे आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है।"

इस पर संतों का कहना था—"इसमें कोई राजनीति

नहीं है। यह राजनैतिक इच्छाशक्ति का सवाल है। चंद्रशेखरजी ने मुस्लिमों के साथ बातचीत का जो दरवाजा खोला था, आप उसे आगे बढ़ाइए।” बैठक खत्म हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई इशारा नहीं दिया कि वे क्या करने वाले हैं। उन्होंने संतों को कारसेवा शुरू करने से मना भी नहीं किया।

इन परिस्थितियों के बीच 9 जुलाई, 1992 को फिर से कारसेवा शुरू हुई। इससे अदालत और संसद में हलचल बढ़ी। कारसेवा 9 जुलाई से 26 जुलाई तक यानी 17 दिन चली। अयोध्या या कहीं और कुछ भी अप्रिय नहीं घटा। अदालत और संसद को छोड़ दें तो बाकी जगहों के माहौल में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल अयोध्या का असल संकट यही था कि जब कारसेवा का ऐलान होता, तभी सरकार और अदालत सक्रिय होतीं। जैसे कारसेवा स्थगित होती, बातचीत और अदालती कार्रवाई भी रुक जाती थी। इस बार भी यही हुआ। 9 जुलाई की कारसेवा के ऐलान के साथ ही सब सक्रिय हो गए। उसके पहले तक किसी को कोई फिक्र नहीं थी।

चौदह सौ वेदपाठी पंडितों के वेद पाठ के बीच सवेरे 8 बजकर 40 मिनट पर प्रस्तावित मंदिर के सिंहद्वार और नृत्यमंडप के चबूतरे बनने शुरू हुए। कंक्रीट, सीमेंट और बालू का पहला तसला सांसद विनय कटियार और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने डाला।

7 जुलाई से कारसेवा की तैयारियाँ शुरू हुईं। केंद्र सरकार ने कहा, कारसेवा हुई तो अदालत की अवमानना होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा, हम कारसेवा गैर-विवादित हिस्से में करेंगे। कारसेवा को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें आमने-सामने थीं। 8 जुलाई, 1992 को गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया कि केंद्र सरकार के कुछ संवैधानिक दायित्व हैं, जिन्हें पूरा करना होगा। हम कारसेवा नहीं होने देंगे। बावजूद इसके 9 जुलाई, 1992 को अयोध्या में चबूतरे का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण वहाँ शुरू हुआ, जिसे सिंहद्वार कहते हैं। इसकी लंबाई 138 फीट, चौड़ाई 116 फीट और नींव की गहराई 6 फीट रखी गई।

अदालती आदेशों की अनदेखी करते हुए अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू हो गया। मंदिर निर्माण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत 2.77 एकड़ जमीन पर हो रहा था। चौदह सौ वेदपाठी पंडितों के वेद पाठ के बीच सवेरे 8 बजकर 40 मिनट पर प्रस्तावित मंदिर के सिंहद्वार और नृत्यमंडप के चबूतरे बनने शुरू हुए। कंक्रीट, सीमेंट और बालू का पहला तसला सांसद विनय कटियार और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने डाला। पूरी तरह से सरकारी देख-रेख में शुरू इस निर्माण कार्यक्रम के साक्षी राम जन्मभूमि न्यास, विश्व हिंदू परिषद, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल से जुड़े संतों-महात्माओं के अलावा राज्य सरकार के दो मंत्री भी थे।

कारसेवा शुरू होने के बाद विहिप के महामंत्री अशोक सिंघल ने कहा, "अब निर्माण बिना रुके अनवरत जारी रहेगा। सिंहद्वार और नृत्यमंडप की बाधाएँ हट गई हैं, इसलिए फिलहाल इसी का निर्माण पहले होगा।" सिंघल ने कहा, "राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत इस जमीन के हस्तांतरण पर कोई रोक की बात हम इसलिए नहीं मानते, क्योंकि हमारा मानना है कि जो जमीन 'रामलला' की है, उस पर निर्माण से हमें न तो सरकार रोक सकती है, न अदालत।"

शिलान्यास स्थल के पास जिस जमीन पर राम जन्मभूमि न्यास ने निर्माण शुरू किया, वह राज्य सरकार के कब्जे में थी। 2.77 एकड़ अधिग्रहीत इस जमीन के हस्तांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। यह भूखंड विवादित प्लॉटों में भी आता था। 9 नवंबर, 1990 में यहीं शिलान्यास हुआ था। अदालत ने यहाँ किसी तरह के स्थायी निर्माण पर भी रोक लगा रखी थी, पर अशोक सिंघल का कहना था, "हमने पहले ही कह रखा था, यह मामला अदालत के दायरे से बाहर है। मंदिर के सामने की यह जमीन राममंदिर की है। हमें नहीं मालूम कि राज्य सरकार ने क्या अधिग्रहीत किया, क्या नहीं।" विश्व हिंदू परिषद का यह तेवर पहले से बदला हुआ और टकराव वाला लग रहा था। सौ फीट लंबे और अस्सी फीट चौड़े जिस प्लेटफार्म पर काम शुरू हुआ, उसमें खंभे भी बनने थे। इन्हीं खंभों पर मंदिर का सिंहद्वार और नृत्यमंडप

टिका रहेगा। उसके बाद सभामंडप और गर्भगृह बनेगा। प्रस्तावित मंदिर की उम्र कम-से-कम एक हजार साल हो, इसलिए निर्माण कार्य में लोहे का इस्तेमाल नहीं होना था। इस काम में राज्य सरकार का सेतु निगम लगा था। निर्माण के प्रबंधकर्ता विनय कटियार का कहना था कि मंदिर निर्माण का काम जन्मभूमि न्यास कर रहा है, लेकिन मौके पर सेतु निगम के ट्रक और मिक्सिंग प्लांट दिन-रात काम कर रहे थे। पूरे काम में दो महीने लगने थे। नींव की योजना रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के साथ पाँच इंजीनियरों की देख-रेख में बनी थी।

ध्वंस के बाद खुदाई से निकली 1924 की ईंट। जिससे तय होता है कि ढाँचा 1924 के बाद बना। फोटो : राजेंद्र कुमार

बतौर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कारसेवा के क्रियान्वयन से खुश थे।

विवादित इमारत के गर्भगृह में लगा 11वीं शताब्दी के

मंदिर का स्तंभ। फोटो : राजेंद्र कुमार

जुलाई की कारसेवा के बाद समतलीकरण की प्रक्रिया। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

कारसेवा के बाद समतलीकरण और पूजा-पाठ की तैयारी। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

मंदिर निर्माण शुरू होने के ऐतिहासिक क्षण में संतों और बाबाओं में उत्साह 1990 की कारसेवा जैसा ही था, पर इस बार भीड़ नहीं थी। अशोक सिंघल कहते हैं कि भीड़ आती तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। इस

कारसेवा का नजारा बिल्कुल बदला था, ढाँचे की हिफाजत में लगी पुलिस साधु-संतों का सामान ढो रही थी और संत कारसेवा के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कारसेवा के लिए शुरू में मची अफरातफरी से तो कोई आधे घंटे तक अव्यवस्था फैली रही। धक्का-मुक्की में आचार्य गिरिराज किशोर को चक्कर आ गया। मंदिर के निर्माण के लिए गारा, सीमेंट, बालू ढोने वालों में राजमाता विजयाराजे सिंधिया, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, महंत नृत्यगोपाल दास, परमहंस रामचंद्रदास, महंत अवेद्यनाथ, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी वामदेव, आचार्य धर्मेंद्र, दाऊदयाल खन्ना, विष्णुहरि डालमिया के अलावा सैकड़ों साधु-संत थे। सांसद श्रीशचंद्र दीक्षित, फैजाबाद के जिलाधिकारी आर.एन. श्रीवास्तव और पुलिस कप्तान डी.बी. राय समारोह का संचालन कर रहे थे। कारसेवा से पहले सरयू के पानी से जमीन को पवित्र कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग प्रमुख विश्वनाथ वामदेव ने गणेश पूजा कराई।

इस कारसेवा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पड़ी। 10 जुलाई, 1992 को जस्टिस एम.एन. वैंकटचलैया, जो सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन जज थे, पहली बार अपने घर पर बैठे। उत्तर प्रदेश सरकार से निर्माण कार्य का ब्योरा माँगा। पूछा कि निर्माण स्थायी है या अस्थायी। विवादित जगह पर है या गैर-विवादित? 11 जुलाई, 1992 को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और गृहमंत्री

एस.बी. चह्वाण की मुलाकात हुई। जस्टिस एम.एन. वैंकटचलैया दोबारा बैठे और उन्होंने कहा, अगर कोई भी पक्का निर्माण हुआ तो उसे गिरा दिया जाएगा।

12 जुलाई, 1992 को गृहमंत्री चह्वाण निर्माण कार्य की प्रकृति देखने अयोध्या गए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अदालत के नजरिए से काम कर रही है। केंद्रीय गृहमंत्री गर्भगृह में भी गए, वहाँ उन्होंने प्रसाद, फूल और रामनामी दुपट्टा चढ़ाया। पूजा-पाठ किया। फिर बोले, मंदिर में तो आ गया, अब मुझे मस्जिद में ले चलिए। गृहमंत्री के सवाल पर लोग हँसने लगे, उन्होंने समझाया कि इसे ही मस्जिद भी कहते हैं। उन्हें बात कुछ खास समझ में नहीं आई। गृहमंत्री के साथ एक टीम भी आई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी।

14 जुलाई, 1992 को चह्वाण ने राज्यसभा को बताया कि कारसेवा भले जारी रहे, पर सरकार बाबरी मस्जिद को छूने की इजाजत किसी को नहीं देगी।

15 जुलाई, 1992 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारसेवा पर रोक लगा दी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने निर्माण कार्य रोकने से मना कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह एक हलफनामा देकर बताए कि क्या अयोध्या के विवादित स्थल पर कोई पक्का निर्माण हो रहा है। गृहमंत्री के साथ अयोध्या गई केंद्रीय जाँच टीम ने रिपोर्ट दी कि अयोध्या में मस्जिद का ढाँचा तो सुरक्षित है, लेकिन वहाँ जारी निर्माण कार्य

अस्थायी नहीं है।

16 जुलाई, 1992 को उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को निर्माण कार्य का ब्योरा देने में यह कहकर असमर्थता जताई कि वहाँ मौजूद साधुओं ने सरकारी अफसरों को घेर लिया और उन्हें मौके तक जाने ही नहीं दिया। हम पैमाइश नहीं कर सके, इसलिए हम हलफनामा फाइल नहीं कर पा रहे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री गर्भगृह में भी गए, वहाँ उन्होंने प्रसाद, फूल और रामनामी दुपट्टा चढ़ाया। पूजा-पाठ किया। फिर बोले, मंदिर में तो आ गया, अब मुझे मस्जिद में ले चलिए। गृहमंत्री के सवाल पर लोग हँसने लगे, उन्होंने समझाया कि इसे ही मस्जिद भी कहते हैं।

18 जुलाई, 1992 को फैजाबाद शासन ने बलपूर्वक अदालती आदेश को लागू करने की संभावनाओं से इनकार कर दिया। क्योंकि इससे भारी संख्या में हिंसा होगी और कारसेवकों को बाहर करना असंभव जैसा होगा। बड़ी विकट स्थिति बन गई थी। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद कारसेवा जारी थी और राज्य सरकार हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं करा पा रही थी।

20 जुलाई, 1992 को फैजाबाद के जिलाधिकारी ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए बातचीत शुरू की। निर्माण कार्य के समर्थन में फैजाबाद के वकील हड़ताल पर चले गए।

चह्वाण ने लोकसभा को बताया कि सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक योजना है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह निर्माण कार्य की प्रकृति का खुलासा करे। 22 जुलाई, 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार निर्माण कार्य रोकने के लिए तैयार हो जाती है तो वह सभी मामलों को जोड़कर एक बड़ी बेंच को रोजाना सुनवाई के लिए सौंप देगी, ताकि अदालत इस बात पर फैसला करे कि अधिग्रहीत जमीन पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं। गतिरोध तोड़ने के लिए 23 जुलाई को प्रधानमंत्री फिर संतों से मुलाकात कर अपील करते हैं कि वे निर्माण कार्य को रोक दें, जिससे विवादित ढाँचे की समस्या को एक समयबद्ध सीमा में सुलझाया जा सके।

25 जुलाई, 1992 को प्रधानमंत्री ने एक प्रतिनिधि के जरिए अशोक सिंघल को भरोसा दिया कि उनका इस मामले से व्यक्तिगत सरोकार होगा और वे दोनों पक्षों से बात कर तीन महीने के भीतर कोई समाधान निकालेंगे। प्रधानमंत्री की अपील पर 26 जुलाई, 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने निर्माण कार्य रोक दिया। लेकिन अशोक सिंघल ने संकेत दिए कि अक्तूबर या नवंबर की शुरुआत में कारसेवा फिर शुरू होगी।

विश्व हिंदू परिषद की इस कारसेवा का नतीजा यह हुआ कि पहली अगस्त आते-आते राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के आस-पास का माहौल और नक्शा बदल गया

था। विवादित ढाँचे की ओर पहुँचने के अब तीन रास्ते हो गए थे। उनमें एक को राजमार्ग कह सकते हैं। वह नया बना था। पहले दो सँकरे रास्ते थे।

शिलालेख में लिखा था कि बाबर के आदेश पर किसी मीर बाकी ने इस इमारत का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद की दीवारें सफेद रेतीले पत्थर के टुकड़ों से बनी थीं, जबकि गुंबद पतली और छोटी पकी हुई ईंटों के बने थे।

अब यहाँ दो दृश्य थे। एक—विवादित ढाँचे से थोड़ी दूरी पर कहीं किसी ओर से खड़े होकर देखिए। ऊबड़-खाबड़ खाली जमीन सामने नजर आ रही थी। छोटे-छोटे मंदिर और इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। बड़े और खाली मैदान के बीच बाबरी इमारत खड़ी थी। यह नया दृश्य था। इसमें मुक्ति का अहसास था। दूसरा दृश्य विवादित ढाँचे का था। वह अकेला खड़ा था। पहले वह आस-पास की इमारतों से घिरा होता था। अब वह अकेला था। एक साल पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के आस-पास जो माहौल था, वह 1949 से चला आ रहा था। केवल दो फर्क गिनाए जा सकते थे। 1986 में ताला खुला था। 1989 में एक स्थान पर शिलान्यास हुआ था। पिछले साल तक शिलान्यास स्थल को पहचाना जा सकता था और अब उसका रूप बदल गया था। उसकी पहचान एक झंडे से जुड़ गई है। 1990 में शिलान्यास स्थल की जिस छतरी को मुलायम सिंह ने रातोरात चुपके से कटवाकर

हटा दिया था। जबर्दस्त विरोध को देख बाद में चुपचाप लगवा दिया गया था, वह छतरी अब विश्व हिंदू परिषद ने कटवा दी।

यह जानना जरूरी है कि जो बाबरी ढाँचा तोड़ा गया, वह ध्वंस के वक्त कैसा था? उसकी वास्तुकला कैसी और कितनी उन्नत थी? वह मध्यकालीन स्थापत्य का सुंदर नमूना था। उसमें एक कुआँ था। उस कुएँ के पानी में औषधीय गुण थे। तीन गुंबदों के साथ बाबरी मस्जिद की भव्य संरचना थी। तीन गुंबदों में से एक बीच वाला बड़ा था और उसके दोनों ओर दो छोटे गुंबद थे। कुएँ के साथ एक बड़ा सा आँगन था। कुएँ को उसके ठंडे व मीठे पानी के लिए जाना जाता था। गुंबददार संरचना के ऊँचे प्रवेश द्वार पर दो शिलालेख लगे हुए थे। जिन पर फारसी में दो अभिलेख दर्ज थे। शिलालेख में लिखा था कि बाबर के आदेश पर किसी मीर बाकी ने इस इमारत का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद की दीवारें सफेद रेतीले पत्थर के टुकड़ों से बनी थीं, जबकि गुंबद पतली और छोटी पकी हुई ईंटों के बने थे। इन दोनों को दानेदार बालू के साथ मोटे चूने के लसदार मिश्रण से पलस्तर किया गया था। बीच का आँगन बड़ी मात्रा में तिरछे खंभों से घिरा हुआ था। इमारत की छत की ऊँचाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था।

बाबरी ढाँचे की ध्वनि और शीतलन प्रणाली भी मुगलिया स्थापत्य का बेजोड़ नमूना थी। इमारत में एक कोने पर कोई कागज भी फाड़े तो दूसरे कोने पर उसकी

आवाज सुनी जा सकती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-1833) के वास्तुकार ग्राहम पिकफोर्ड के अनुसार, "बाबरी मस्जिद के मेहराब से होने वाली कानाफूसी भी दूसरी तरफ 200 फीट दूर तक सुनी जा सकती थी।" अपनी किताब 'हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अवध' में उन्होंने मस्जिद की ध्वनिकी का उल्लेख किया है। जहाँ वे कहते हैं, "किसी 16वीं सदी की इमारत जैसा ही यहाँ आवाज का फैलाव और प्रक्षेपण अत्यधिक उन्नत है। इस संरचना में ध्वनि का फैलाव चकित करने वाला है।"

लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-1833) के वास्तुकार ग्राहम पिकफोर्ड के अनुसार, "बाबरी मस्जिद के मेहराब से होने वाली कानाफूसी भी दूसरी तरफ 200 फीट दूर तक सुनी जा सकती थी।" अपनी किताब 'हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अवध' में उन्होंने मस्जिद की ध्वनिकी का उल्लेख किया है।

ढाँचे के बीचोबीच स्थित कुएँ की भी कई कहानियाँ रहीं। अयोध्या हिंदुओं का तीर्थस्थल है। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में आस्था रखने वाले पाँच लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ सालाना राम महोत्सव मनाते थे। बाबरी मस्जिद के इस कुएँ से बहुत सारे भक्त पानी पीने आते थे। मान्यता थी कि इस कुएँ का पानी पीने से बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। हिंदू तीर्थयात्रियों का भी मानना है कि बाबरी इमारत का कुआँ वास्तव में मस्जिद के नीचे

राममंदिर का ही था। अयोध्या के मुसलमानों का मानना था कि कुआँ अल्लाह द्वारा दी गई नियामत थी। स्थानीय महिलाएँ इस आरोग्यकारी पानी को पिलाने के लिए नियमित रूप से अपने नवजात बच्चों को लेकर यहाँ आती थीं। कुएँ के बगल में एक नीम का पेड़ था। जिसकी जड़ें कुएँ में थीं, इसलिए उस पानी में औषधीय गुण आ गए। कुआँ जमीनी स्तर से ऊपर 30 फीट तक ईंटों का बना हुआ था। इस पानी में सोडियम लगभग नहीं था, जिसने इसे 'मीठे' पानी के रूप में ख्याति दी। कुएँ तक पहुँचने के लिए तीन फुट के चबूतरे पर चढ़ना होता था। कुआँ एक चोर दरवाजे के साथ लकड़ी की मोटी तख्ती से ढका रहता था। पानी में 'आध्यात्मिक गुण' होने का दावा किए जाने के कारण इसका इस्तेमाल केवल पीने के लिए ही होता था। बहरहाल अब इस ढाँचे का स्थापत्य और कुआँ दोनों इतिहास का विषय हैं।

मंदिर आंदोलन में कोई आधा दर्जन बार कारसेवा हुई। पर हर बार किसी-न-किसी प्रतीक से जुड़ कारसेवा प्रतीकात्मक हो जाती। 6 दिसंबर की कारसेवा भी इस बार इस पार या उस पार की कारसेवा थी। आखिरी दिन वह फिर प्रतीकात्मक हो गई। लेकिन इस बार कारसेवकों ने अपने नेताओं की जगह 'राम के आदेश' को सर्वोपरि मान लिया था। नेताओं को पता भी न चला कि कब कारसेवक उनके हाथों से फिसल गए। 6 दिसंबर आते-आते उन सभी कारसेवकों ने अपने कान बंद कर लिए थे। बस

आँखें खुली थीं और दिमाग 'चिड़िया की आँख' देख रहा था। इधर विवादित ढाँचा ढहाया गया, उधर राजनीति के एक नए ढाँचे की इमारत में कुछ नई छत पड़ी। तुष्टीकरण की सियासत के जवाब में हिंदू कट्टरता की राजनीति भी परवान चढ़ी। यह इमारत इतनी बुलंद हो गई कि देश के हर हिस्से से बिल्कुल साफ नजर आने लगी।

मैं अपने मन की तमाम परतों में ध्वंस की एक एक तस्वीर सुरक्षित किए जा रहा था। साजिशों के तमाम धागे मेरी आँखों के सामने थे। वे कहाँ से खुलते, कहाँ मुड़ते और कहाँ जाकर जुड़ जाते थे, मैं अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक उनकी गति और प्रकृति का साक्षी बना हुआ था।

मैं अपने मन की तमाम परतों में ध्वंस की एक एक तस्वीर सुरक्षित किए जा रहा था। साजिशों के तमाम धागे मेरी आँखों के सामने थे। वे कहाँ से खुलते, कहाँ मुड़ते और कहाँ जाकर जुड़ जाते थे, मैं अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक उनकी गति और प्रकृति का साक्षी बना हुआ था। लंबे वक्त से अयोध्या को कवर करते हुए नेताओं और पक्षकारों से रिश्ते पत्रकारीय और आत्मीय दोनों ही तरह के थे। बहुत सी बातें जो वे मुझसे पत्रकार होने के चलते छिपाना चाहते थे, आत्मीयता की परिधि में दिल खोलकर कह जाते थे। यही वजह थी कि जो थोड़ा प्रत्यक्ष था, उसे भी मैं देख पा रहा था और जो बहुत परोक्ष में घट रहा था, उसे भी अपने मन में सूचीबद्ध

करता आ रहा था। विवादित ढाँचे की ईंटें खासी पुरानी पर बड़े काम की निकलीं। कारसेवक तो ढाँचा गिराकर आगे बढ़ लिये, पर ईंटें राजनीतिक दलों ने अपने पास रख लीं। सबने उन पर मनमाफिक रंग पुतवाकर अपनी-अपनी पार्टियों के दफ्तरों पर कंगूरे की शक्ल में सजा दिया।

यह विडंबना है, मगर सच है कि आज भी देश की राजनीति उसी ढाँचे के मलबे पर खड़ी है। जब भी देश में मजहबी उन्माद का कोई चक्रवाती तूफान सर उठाता है, सबसे पहले इसी मलबे से उड़ी गर्द वातावरण में छा जाती है। मगर एक सच यह भी है कि इसी मलबे में ऐतिहासिक सबकों के कुछ जिंदा अवशेष भी साँस ले रहे हैं। जरूरत समय रहते इनकी प्रासंगिकता को पहचानने और स्वीकारने की है। हमारी परंपरा में धार्मिक प्रतिशोध को कभी जीवन-मूल्य नहीं माना गया। हमारी जड़ें परंपरा में और गहरी हैं। भावनाओं का विस्फोट विश्वासघात से नहीं होता। इस विस्फोट ने क्या समूचे हिंदू समाज की विश्वसनीयता, वचनबद्धता और जवाबदेही को नुकसान नहीं पहुँचाया। सोचिए!

और इस तरह कँटीले तारों में कैद हो गए रामलला।

फोटो : राजेंद्र कुमार

2.

ध्वंस की सियासत

जिन कारसेवकों ने विवादित ढाँचा तोड़ा, गुंबद गिराए, वे इस आंदोलन के सिपाही भर थे। आंदोलन के सूत्र कहीं और ही थे। आंदोलन के आदेश, निर्देश और रणनीति की दुनिया ही दूसरी थी। यह बात अलग है कि कारसेवकों ने ऐन ध्वंस के मौके पर अपने इन निर्देशकों का साथ छोड़ दिया और कहानी का 'क्लाइमेक्स' अपने हिसाब से लिख डाला। वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि आंदोलन को तोड़ने की खातिर भी राजनीति की एक समानांतर दुनिया सक्रिय थी। खास बात यह थी कि इसमें जो लोग शामिल थे, उनका भी वही लक्ष्य था, जो इस आंदोलन से जुड़े लोगों का था। दोनों की मंजिल एक थी, बस रास्ते अलग थे। आपस की यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक श्रेय और उससे होने वाले फायदे की थी।

कारसेवा के लिए इकट्ठा भीड़ में हर उम्र, हर वर्ग के लोग थे। फोटो : राजेंद्र कुमार

अयोध्या राजनीति की इस समानांतर दुनिया में कांग्रेस और कथित सेकुलर विचारधारा के लोग शामिल थे, जो बीजेपी और आरएसएस की अगुवाई वाले इस आंदोलन को तोड़कर अपने तरीके से मंदिर बनवाना चाहते थे तथा बदले में राजनीतिक लाभ की फसल काटने को उत्सुक थे।

जिस वक्त ढाँचे पर कारसेवकों ने हल्ला बोला, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति बेहद सरगर्म थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री सात रेसकोर्स के अपने घर पर टेलीविजन के सामने बैठे थे तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ में

कालिदास मार्ग के सरकारी आवास की छत पर धूप सेंक रहे थे। अयोध्या के कंट्रोलरूम से लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर तोड़-फोड़ की सूचना दी गई, तो मुख्यमंत्री अचंभित थे। कल्याण सिंह ने बिना गोली चलाए परिसर को खाली कराने को कहा। हालाँकि वे इस बात से नाराज थे कि अगर विहिप की ऐसी कोई योजना थी तो उन्हें भी बताना चाहिए था। अयोध्या में तोड़-फोड़ जारी थी। प्रधानमंत्री के निजी सचिव पी.वी.आर.के. प्रसाद ने भी फोन कर फैजाबाद के कमिश्नर से स्थिति नियंत्रित करने और केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करने को कहा।

जिस वक्त ढाँचे पर कारसेवकों ने हल्ला बोला, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति बेहद सरगर्म थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री सात रेसकोर्स के अपने घर पर टेलीविजन के सामने बैठे थे तो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ में कालिदास मार्ग के सरकारी आवास की छत पर धूप सेंक रहे थे।

इसमें कोई शक नहीं कि ध्वंस के पहले पाँच घंटे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने साथ वैसे ही धोखा हुआ माना, जैसे प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने माना था। ध्वंस से जितने आहत नरसिंह राव थे, उतने ही आहत और धोखा खाए कल्याण सिंह भी लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें भ्रम में रखा गया। कल्याण सिंह को कुछ-कुछ अंदेशा था। शनिवार की रात जिला प्रशासन ने गृह सचिव को जो रिपोर्ट भेजी, उसमें कहा गया था कि कारसेवकों का एक

वर्ग है, जो कारसेवा का स्वरूप बदलने से नाराज है। यानी प्रतीकात्मक कारसेवा उनके गले नहीं उतर रही है। मौके की नजाकत भाँप कल्याण सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को शनिवार की रात ही अयोध्या भेज दिया था। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इन दोनों को रविवार की सुबह अयोध्या जाना था।

ध्वंस के बाद शाम तक कल्याण सिंह सदमे से बाहर थे। उन्होंने लखनऊ में अपने आवास पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई। फाइल मँगा उस पर गोली न चलाने के लिखित आदेश दिए, ताकि बाद में किसी अफसर की जवाबदेही न तय हो। कल्याण सिंह की इस कार्रवाई से नौकरशाही में उनकी साख बनी। अपने अफसरों और शीर्ष नेताओं से विमर्श के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री ने अपने एक लाइन के इस्तीफे में लिखा, "मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।" मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे में विधानसभा भंग करने की सलाह नहीं दी थी।

कल्याण सिंह राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी से मिलकर इस्तीफा देना चाह रहे थे। पर राज्यपाल उन्हें मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे। क्योंकि राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरसिंह राव से बात

करना चाह रहे थे। शायद वे प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे थे कि कल्याण सिंह का इस्तीफा लेना है या बर्खास्त करना है। पर नरसिंह राव ने राज्यपाल से बात करने से मना कर दिया। दरअसल नरसिंह राव राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी से इस बात से नाराज थे कि जब सारा देश कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी की माँग कर रहा था तो वे लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त न करने की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज रहे थे। नरसिंह राव को लगता था कि राज्यपाल ने भी उन्हें इस मामले में गुमराह किया है। अपनी अंतिम रिपोर्ट, जो ध्वंस से दो रोज पहले राज्यपाल ने भेजी थी, उसमें राज्यपाल ने यहाँ तक लिख दिया था कि अगर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त किया गया तो ढाँचे पर खतरा हो सकता है। ढाँचा इस गुस्से का शिकार हो सकता है।

कल्याण सिंह बिना समय तय किए राजभवन पहुँच गए और उन्होंने शाम साढ़े पाँच बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने अपने एक लाइन के इस्तीफे में लिखा, “मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।” मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे में विधानसभा भंग करने की सलाह नहीं दी थी।

प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर सिर्फ विपक्ष ही हमलावर नहीं था, उनकी पार्टी में ही उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया था। उन्होंने अपने सहयोगियों के दबाव में राष्ट्र को उसी रात संबोधित किया। अपने संबोधन में नरसिंह राव ने

ध्वस्त इमारत को बार-बार बाबरी मस्जिद कहा।
देश-विदेश में यह समझा गया कि ध्वस्त ढाँचा मस्जिद था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहीं यह नहीं कहा कि उस इमारत में 44 साल से मूर्तियाँ रखी थीं और वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम प्रसारण से तनाव और बढ़ गया। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को आप इस किताब के 'जानना जरूरी है' अध्याय में पढ़ सकते हैं।

समय बीतने के साथ कल्याण सिंह के हौसले धीरे-धीरे बुलंद हो रहे थे। वे पहले तो अचंभित थे। अपने को छला गया बता रहे थे। पर अब ढाँचा गिरने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुके थे। इस्तीफे के बाद उनका दो टूक ऐलान था कि यह प्रबल हिंदू भावनाओं का विस्फोट था। क्योंकि मामले को लटकाए रखने में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों बराबर की जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि ढाँचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली थी, पर साथ-साथ मैंने यह भी कहा था कि मेरी सरकार संतों और कारसेवकों पर गोली नहीं चलाएगी। कल्याण सिंह ने बेलौस कहा, "ढाँचे से कारसेवकों को हटाने के लिए गोली न चलाने के लिए कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। फाइलों पर मेरे दस्तखत हैं। जब मैंने रास्ता निकाला था, तब किसी ने मेरी सुनी नहीं। मैं विवादित इमारत और कारसेवा की जगह को अलग करना चाहता था। मेरी योजना थी कि 2.77 एकड़ से विवादित

ढाँचे को अलग करा उस हिस्से में कारसेवा कराई जाए। यह 'सेफ्टी वॉल्व' था। उससे 6 दिसंबर की घटना टाली जा सकती थी। पर मेरी बात नहीं सुनी गई। गैर-बीजेपी दलों ने इसमें रुकावट डाली। अदालत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई।"

कल्याण सिंह का कहना था—अब भी वक्त है, गैर-बीजेपी दल जनता की भावनाओं को समझें। राम जन्मभूमि के लिए अब तक 76 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तीन लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण थे कि केंद्र सरकार ने सत्ता सँभालने के 40 घंटे बाद तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। 40 घंटे तक कारसेवकों पर बल प्रयोग न कर केंद्र सरकार ने गोली न चलाने के मेरे फैसले के औचित्य को मंजूरी दी।

दूसरे रोज मैं भी कल्याण सिंह से मिला, उन्होंने मुझसे कहा, "ढाँचा गिराने पर जो लोग आसमान सिर पर उठाए हैं, वे तब कहा थे जब अनंतनाग (कश्मीर) में 45 मंदिर ढहाए गए थे। यह छद्म निरपेक्षता नहीं तो और क्या है।"

दूसरे रोज मैं भी कल्याण सिंह से मिला, उन्होंने मुझसे कहा, "ढाँचा गिराने पर जो लोग आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, वे तब कहाँ थे जब अनंतनाग (कश्मीर) में 45 मंदिर ढहाए गए थे। यह छद्म निरपेक्षता नहीं तो और क्या है।"

ध्वंस की इस घटना ने मेरे संपादक प्रभाष जोशी को भीतर से हिलाकर रख दिया। घटना के दूसरे रोज प्रभाष जी ने लिखा—'राम की जय बोलने वाले धोखेबाज विध्वंसकों ने कल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रघुकुल की रीति पर कालिख पोत दी।...वह धर्मस्थल बाबरी मस्जिद भी था और रामलला का मंदिर भी। ऐसे ढाँचे को विश्वासघात से गिराकर जो लोग समझते हैं कि वे राम का मंदिर बनाएँगे, वे राम को मानते, जानते और समझते नहीं हैं। यह अपकर्म है। इसमें जो धोखाधड़ी है, वह हमारे लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष संविधान को दी गई चुनौती है।'

6 दिसंबर, 1992 को बाबरी ढाँचा न ढहता, अगर कारसेवकों में सुलगाया लावा उन्माद की शक्ल न लेता। जो हुआ, वह इतिहास के सोते हुए ज्वालामुखी का विस्फोट था। यह खटका कइयों को था कि 'विपदा आ रही है। कुछ करो और तुरंत करो।' इसमें एक प्रयास 'जनसत्ता' के संपादक प्रभाष जोशी की निजी पहल का भी था। इस पहल में उन्हें और कई दूसरे नेताओं को उम्मीद थी कि प्रतीकात्मक कारसेवा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए जब बाबरी ढाँचे का ध्वंस हुआ तो वह बातचीत, सुलह-समाधान की कोशिशों को भी घात था।

छह दिसंबर के आगे-पीछे मध्यस्थों की कोशिशें, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सोच में क्या-क्या हुआ, यदि इसको सिलसिलेवार जानेंगे तो पता चलेगा कि सभी ने इतिहास की इस ग्रंथि को बहुत हलके में और

आस्था की सघनता को सामान्य मानने की खुशफहमी में मापा। नेताओं ने चालबाजी, तिकड़म, घात-प्रतिघात में सिर्फ राजनीति सोची। सभ्यताओं के घाव को गहराई से नहीं बूझा।

यह बहुत कम लोगों को पता है कि प्रभाष जी सरकार और संघ के बीच अयोध्या पर हो रही बातचीत का हिस्सा थे। कोई बीच का रास्ता निकले। सहमति बने। इस कोशिश में वे ईमानदारी से लगे थे। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव और संघ के प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) के बीच तीन दिसंबर को हुई बैठक में भी वे शामिल थे। इसी बातचीत में तय हुआ था कि ढाँचा गिराया नहीं जाएगा और विवादित स्थल के बाहर कारसेवा की इजाजत दी जाएगी। इसी भरोसे के टूटने से प्रभाष जी बुरी तरह बिफरे थे। हालाँकि उससे पहले जुलाई 1992 की कारसेवा के बाद उनका बातचीत से मोहभंग हुआ। उन्हें लगा, दोनों तरफ का रुख अड़ियल है। लेकिन इसी दौरान प्रभाष जी किसी कार्यक्रम के लिए लखनऊ आए। लखनऊ में मैं उन्हें नदवा ले गया अली मियाँ से मिलवाने। अली मियाँ से संपादक जी की लंबी बात हुई। अली मियाँ से बात कर उन्हें कुछ उम्मीद बनी।

यह बहुत कम लोगों को पता है कि प्रभाष जी सरकार और संघ के बीच अयोध्या पर हो रही बातचीत का हिस्सा थे। कोई बीच का रास्ता निकले। सहमति बने। इस कोशिश में वे ईमानदारी से लगे थे।

उसी दिन आचार्य नरेंद्रदेव पर भाषण के एक कार्यक्रम में गांधीवादी नेता अच्युत पटवर्धन भी लखनऊ पधारे थे। अच्युत जी राजभवन में रुके थे। प्रभाष जी के साथ उनका दोपहर का भोजन हुआ। उन्होंने प्रभाष जी से फिर से बातचीत में पड़ने को कहा। उनका कहना था कि अयोध्या आखिर राष्ट्रीय समस्या है। अच्युत जी के कहे का प्रभाष जी पर असर हुआ। उसी रात मैं और प्रभाष जी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिले। कल्याण सिंह से बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने साफ कहा, "फिलहाल हम विवादित ढाँचे और कारसेवा को अलग कर देंगे। विवादित ढाँचा बना रहे और कारसेवा कहीं और हो। हम इस बात पर तैयार हैं। साथ-साथ ढाँचे पर संबंधित लोगों में बातचीत भी चलती रहे।"

प्रभाष जी ने कल्याण सिंह के सकारात्मक रुख की सूचना दूसरे रोज सुबह ही अच्युत जी को दी। अच्युत पटवर्धन को उसी दिन बनारस जाना था। दुर्भाग्य यह था कि तीसरे दिन यानी 5 अगस्त, 1992 को अच्युत जी का बनारस में अचानक निधन हो गया। प्रभाष जी लिखते हैं —"बहरहाल अच्युत जी की अंतिम इच्छा और कल्याण सिंह के सहज विश्वास ने अपने को फटे में पाँव देने के काम में लगा दिया था। इसलिए जब दादा (निखिल चक्रवर्ती) ने कहा, इस काम में लगो तो अपन ने कहा, 'यस ग्रैंड फादर'।"

लखनऊ की उत्साहजनक बातचीत के बाद प्रभाष जी

ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत से बात की। शेखावत से उनके निजी रिश्ते थे। शेखावत इसी 'इनपुट' के बाद प्रधानमंत्री से मिले कि कारसेवा हो और ढाँचा भी सुरक्षित रहे। मोटे तौर पर इस मुलाकात की यही लाइन थी। तीन दिसंबर को जब अयोध्या में खूनी टकराव टालने पर निर्णायक बात हो रही थी तो इसी लाइन पर सहमति बनी। तीन दिसंबर को भैरोंसिंह शेखावत ने प्रभाष जोशी, निखिल चक्रवर्ती और आर.के. मिश्र के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) प्रधानमंत्री से मिलने पहुँचे। रज्जू भैया तब संघ के सह सरकार्यवाह थे। दिल्ली उनका केंद्र था। उनके साथ सर कार्यवाह मदन दास भी थे।

प्रभाष जी ध्वंस से किस कदर दुखी थे और खुद को ठगा हुआ समझ रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने खबरों को लिखने की आजादी

बरकरार रखी।

प्रभाष जी के मुताबिक बातचीत का रुख अनुकूल था। फॉर्मूला साफ था। एक, 2.77 एकड़ पर अदालत का फैसला छह दिसंबर से पहले हो। सरकार और विश्व हिंदू परिषद सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करें कि वह हाईकोर्ट से कहे कि वह अपना फैसला 'प्रीपोन' करे। दो, सरकार सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 143 के तहत एक सूत्रीय संदर्भ भेजे कि क्या बाबरी ढाँचे से पहले वहाँ कोई मंदिर था। तीन, विवादित ढाँचे की सुरक्षा राज्य सरकार करे और जरूरत

हो तो केंद्र सरकार की मदद ले। उस रोज इन तीनों बिंदुओं पर सहमति बन गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में बताया कि रास्ता निकालने का प्रयास अब भी हो रहा है। बाद में उन्होंने कुछ अखबार वालों से भी कहा कि संपादक गण सक्रिय हैं। मैं चाहता हूँ कि वे अपने प्रयास में सफल हों। अगर वे विफल होते हैं तो उन्हें ईमानदारी से कबूल करना चाहिए कि उन्हें सरकार की हठधर्मिता से नाकामी मिली है। प्रभाष जी ढाँचा गिरने के बाद इसी ईमानदारी से लिख रहे थे कि धोखा हुआ है, छल हुआ है। ढाँचे की हिफाजत के लिए जो वचन दिया गया, उसे तोड़ा गया है। प्रभाष जी ध्वंस से किस कदर दुखी थे और खुद को ठगा हुआ समझ रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने खबरों को लिखने की आजादी बरकरार रखी। अखबार के भीतर कोई फतवा भी जारी नहीं किया। उन्होंने संपादकीय सहयोगियों से साफ कहा कि मैंने एक लाइन ली है। पर इसको खबरों की लाइन न समझा जाए। खबरों में मैं प्रभाष जी से उलट लाइन ले रहा था, क्योंकि जमीनी उत्साह और जनाक्रोश का मुझ पर प्रभाव था। फिर विहिप ने मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर देश भर में जो आंदोलन खड़ा किया था, उसका आधार इतना व्यापक था कि मैं भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका।

पूरे मामले में सबसे ज्यादा धक्का नरसिंह राव को लगा था। वे छले गए थे। दरअसल प्रधानमंत्री मन से मंदिर

के हक में थे। वे रास्ता निकालना चाहते थे। अपने पूरे मंत्रिमंडल के दबाव के बावजूद उन्होंने 6 दिसंबर से पहले कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। इसीलिए उन पर हमले तेज हुए। नरसिंह राव को लगा था कि विहिप ने जो भरोसा दिया था, उसी के अनुसार काम होगा, पर उनका भरोसा टूट गया। 6 दिसंबर की शाम उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक बुलाई गई, उसमें प्रधानमंत्री गुमसुम थे। अर्जुन सिंह अपनी आत्मकथा 'ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द अवर ग्लास ऑफ टाइम' में लिखते हैं—"पूरी बैठक के दौरान नरसिंह राव इतने हतप्रभ थे कि उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। सबकी निगाहें सी.के. जाफर शरीफ की ओर मुड़ गई थीं। जाफर शरीफ ने कहा, इस घटना की देश, सरकार और कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राव बुत की तरह चुप बैठे रहे। माखनलाल फोतेदार इस बैठक में रोने लगे थे।"

माखनलाल फोतेदार कांग्रेस के खानदानी निष्ठावान थे। उनकी निष्ठा पार्टी से कम खानदान में ज्यादा थी। वे अपनी आत्मकथा 'चिनार लीव्स' में इस घटना का वर्णन करते हैं—"मैंने प्रधानमंत्री से फोन पर अनुरोध किया कि वे सुरक्षा बलों से कहें कि फैजाबाद में तैनात वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से आँसू गैस के गोले चला कारसेवकों को खदेड़ें। राव साहब ने कहा, यह मैं कैसे कर सकता हूँ। यह राज्य सरकार का काम है। मैंने उनसे फिर कहा,

कम-से-कम एक गुंबद तो बचा लीजिए, ताकि बाद में हम उसे शीशे में रख लोगों को दिखला सकें कि बाबरी मस्जिद बचाने की हमने पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री चुप रहे और थोड़ी देर बाद बोले, फोतेदार जी! मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ।"

अर्जुन सिंह अपनी आत्मकथा 'ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द अवर ग्लास ऑफ टाइम' में लिखते हैं, "पूरी बैठक के दौरान नरसिंह राव इतने हतप्रभ थे कि उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला।

राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से मुलाकात के कारण फोतेदार मंत्रिमंडल की उस बैठक में 15 मिनट देरी से पहुँचे। वहाँ सब चुप थे। फोतेदार कहते हैं—"सन्नाटा देख मैंने पूछा, 'सबकी बोली क्यों बंद है?' माधव राव सिंधिया बोले, आपको नहीं पता, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है। मैंने सभी मंत्रियों के सामने कहा, 'राव साहब, इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं।' प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं कहा।"

मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी अर्जुन सिंह इस पूरे मामले में राव साहब के कटु आलोचक थे। जैसे विहिप ढाँचा गिराना चाहती थी, वैसे ही अर्जुन सिंह इस बहाने नरसिंह राव को गिराने में लगे थे। उनकी लोमड़ी-वृत्ति नरसिंह राव के अयोध्या के सवाल पर फेल होने का इंतजार कर रही थी। माखनलाल फोतेदार इसकी तस्दीक करते हैं। वे 'चिनार लीव्स' में लिखते हैं—"अर्जुन सिंह को बहुत

अच्छी तरह पता था कि 6 दिसंबर को क्या होने जा रहा है, लेकिन वे तब भी दिल्ली छोड़कर पंजाब चले गए। मेरा मानना है कि 6 दिसंबर को मंत्रिमंडल में उनकी गैर-मौजूदगी और फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के उनके पैंतरे ने राजनीतिक रूप से उनको बहुत नुकसान पहुँचाया। वे मेरे नजदीकी बने रहे, लेकिन मुझे मालूम था, उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने का माद्दा नहीं था।"

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नरसिंह राव के लंबे समय तक सहयोगी रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा 'द टर्वूलेंट ईयर्स' में लिखा—"बाबरी ध्वंस को न रोक पाना पी.वी. की सबसे बड़ी असफलता थी। उन्हें दूसरे दलों से बातचीत की जिम्मेदारी नारायण दत्त तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता को सौंपनी चाहिए थी। एस.बी. चह्वाण सक्षम वार्त्ताकार जरूर थे, पर वे उभर रहे हालातों के भावनात्मक पहलू को नहीं समझ पाए। पी.आर. कुमार मंगलम भी युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन थे। वे पहली बार राज्यमंत्री बने थे।" प्रणब मुखर्जी आगे लिखते हैं—"मैंने दशकों तक नरसिंह राव के साथ काम किया है। मुझे उनका चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं उनके दुख और निराशा को साफ महसूस कर रहा था।"

पी.वी. नरसिंह राव इन सवालों का खुद जवाब देते हैं। वे अपनी किताब '6 दिसंबर' में लिखते हैं- "मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सवालों की बौछार इस मुद्दे पर होती है कि आपने 6 दिसंबर, 1992 की तोड़-फोड़ से बाबरी मस्जिद

को बचाने के लिए पहले ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया?" नरसिंह राव अपनी लाचारी बताते हैं —"अनुच्छेद 356 के तहत किसी सरकार को तभी हटा सकते हैं, जब कानून और व्यवस्था भंग हो गई हो। न कि जब कानून और व्यवस्था के भंग होने का अंदेशा हो।" वे कहते हैं, "ऐसे वक्त राज्यपाल की रिपोर्ट ही आधार होती है। तीन रोज पहले ही राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी, उसे पढ़ने के बाद कौन सरकार राष्ट्रपति शासन लगाती।" फिर सत्यनारायण रेड्डी कोई संघ के आदमी नहीं थे। वे समाजवादी पृष्ठभूमि के थे। तेलुगु देशम से आते थे।

जैसे विहिप ढाँचा गिराना चाहती थी। वैसे ही अर्जुन सिंह इस बहाने नरसिंह राव को गिराने में लगे थे। उनकी लोमड़ी-वृत्ति नरसिंह राव को अयोध्या के सवाल पर फेल होने का इंतजार कर रही थी।

ध्वंस से तीन रोज पहले राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी, उसके अंश देखिए—

"ऐसी रिपोर्टें हैं कि बड़ी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुँच रहे हैं, पर वे शांतिपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को साफ आश्वासन दिया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि राज्य सरकार विवादित ढाँचे की संपूर्ण सुरक्षा करेगी और विवादित ढाँचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए भी गए हैं।

"मेरी राय में अभी वह उपयुक्त समय नहीं आया है कि

उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने जैसा कोई सख्त कदम उठाया जाए या राज्य विधानसभा भंग कर दी जाए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल राज्य में, बल्कि देश के अन्य भागों में भी बड़े पैमाने पर हिंसा फैल सकती है। विवादित ढाँचे को क्षति पहुँचाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी राय में इस मामले पर हमें बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए और विभिन्न विकल्पों पर सोच-विचारकर ही इस मुद्दे पर किसी भी निर्णय के पक्ष-विपक्ष पर गौर करना चाहिए। हमें जल्दबाजी में लिये गए निर्णय से बचना चाहिए।"

केंद्र सरकार को भेजी गई यह राज्यपाल की गोपनीय रिपोर्ट थी।

ऐसी स्थिति में नरसिंह राव के सामने विकल्प नहीं थे। सिवाय इसके कि वे संघीय ढाँचे की मर्यादाओं के अनुसार राज्य सरकार के भरोसे और वायदे पर विश्वास करते। हालाँकि उनका यह भरोसा एक 'राजनीतिक मिसकैलकुलेशन' था, जिसका अवसाद उन्हें अंत तक बना रहा। वे सत्यनारायण रेड्डी से नाराज भी थे। इसलिए 6 दिसंबर को वे राज्यपाल का फोन नहीं ले रहे थे।

प्रतीकात्मक कारसेवा शुरू करने के लिए इकट्ठा वेदपाठी पंडित। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवा के दौरान कारसेवकों और पुलिस वालों में भाईचारा भी देखने को मिला। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवकों में श्रीराम की मौजूदगी का एक रंग यह भी था। फोटो : पवन कुमार

बेहद उग्र मिजाज के कुछ कारसेवक हथियार भी साथ लाए थे। फोटो : पवन कुमार

नरसिंह राव अपनी किताब 'अयोध्या 6 दिसंबर' में

लिखते हैं—“सुप्रीम कोर्ट से अन्य बातों के अलावा यह भी अनुरोध किया गया था कि केंद्र सरकार को अयोध्या में संपत्ति का रिसीवर बना दिया जाए (बाबरी ढाँचे और उसके आस-पास के कुछ क्षेत्रों का)। यह एक बहुत उपयोगी कदम होता। इससे केंद्र सरकार को ताकत मिलती। ढाँचे को सुरक्षा मिल जाती और केंद्र को अधिक प्रभावी विकल्पों के बारे में फैसला लेने के लिए समय भी मिल जाता। क्योंकि एक ही झटके में अनुच्छेद 356 के तहत पूरे राज्य को केंद्र के हाथ में लेने से, दिखने और न दिखने वाले कई खतरे पैदा हो जाते। भारत सरकार ने यह सहमति पहले ही दे रखी थी, जिस भी तरीके से उसे कहा जाएगा, वह पूरा सहयोग करेगी। राज्य सरकार ने इस अनुरोध का विरोध किया कि वह एक निर्वाचित सरकार की हैसियत से ढाँचे की रक्षा करने के प्रति पूरी सचेत है, इसलिए कोई ‘रिसीवर’ नियुक्त करना गैर-जरूरी है। इन आश्वासनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को ‘रिसीवर’ नियुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी। इसके बदले न्यायालय ने एक न्यायिक अधिकारी को अपना पर्यवेक्षक जरूर नियुक्त किया। जिसका काम कारसेवा पर नजर रख सुप्रीम कोर्ट को सीधे खबर करना था।”

नरसिंह राव का कहना था—“ऐसे में अब केंद्र सरकार के पास दो ही विकल्प थे—एक, राज्यपाल की स्पष्ट सलाह के विरुद्ध कार्रवाई करके उस ढाँचे के ध्वस्त होने का खतरा मोल लेता या दो, ढाँचे को बचाने के लिए

फैज़ाबाद में ठहराए गए 30,000 केंद्रीय बलों के इस्तेमाल के लिए राज्य सरकार को लगातार प्रेरित करता रहता। यहाँ पर यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के इस्तेमाल से कभी मना नहीं किया। लेकिन वास्तव में उन्हें काम करने की अनुमति भी नहीं दी।”

नरसिंह राव की यह लाचारी भरी कहानी लगती है, पर है नहीं। यह समझ से परे है कि 6 दिसंबर को 12 बजे जब अयोध्या में कानून का राज समाप्त हो गया था। उस उन्माद के आगे पुलिस, प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब अवाक् थे। कल्याण सिंह बार-बार ऐलान कर रहे थे कि गोली नहीं चलेगी। केंद्रीय बल अयोध्या में घुस नहीं पा रहे थे, तो ऐसे में नरसिंह राव के सामने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने में क्या समस्या थी? नरसिंह राव कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी के लिए नौ घंटे तक ढाँचा गिरने का इंतजार क्यों करते रहे?

बात सीधी और सरल है। कार्रवाई के बाद रक्तपात की जिम्मेदारी पी.वी. नरसिंह राव भी नहीं लेना चाहते थे। वे भी अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से बच रहे थे।

पी.वी. कह रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन हम भगवान राम से कैसे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का बरताव ऐसा है, जैसे भगवान राम पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है।

पी.वी.आर.के. प्रसाद प्रधानमंत्री नरसिंह राव के

अतिरिक्त सचिव और उनके सर्वाधिक भरोसेमंद अफसर थे। वे आंध्र प्रदेश काडर के आई.ए.एस. अफसर थे। लंबे समय तक तिरुपति तिरुमाला देवस्थान ट्रस्ट के सचिव रहे। इसलिए साधु-संतों एवं धर्माचार्यों से उनके गहरे रिश्ते थे। नरसिंह राव जब संत समाज में तोड़फोड़ करने की कोशिश में लगे थे तो उन्होंने प्रसाद का ही इस्तेमाल किया। प्रसाद अपनी किताब 'ह्वील्स बिहाइंड द वेल' यानी 'पर्दे के पीछे का चक्र' में 6 दिसंबर को नरसिंह राव की मानसिक स्थिति का सटीक वर्णन करते हैं। इससे नरसिंह राव के मन और उनके भीतर मंदिर के प्रति आस्था को समझने में मदद मिलेगी। प्रसाद के मुताबिक 'विवादित ढाँचा जब गिर रहा था तो नरसिंह राव बेचैनी में अपने कमरे में टहलकर खुद से जोर-जोर से बातें कर रहे थे। वे आक्रोश में थे। उन्हें कमरे में किसी और की उपस्थिति का अहसास नहीं था।'

पी.वी.आर.के. प्रसाद की किताब नरसिंह राव से उनके लंबे साथ का गोपनीय विवरण है। वे लिखते हैं—"आदतन प्रधानमंत्री रविवार को मुझे बुलाते थे। 6 दिसंबर को भी रविवार था। जब मैं गया तो कमरे में पी.वी. अकेले थे। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैंने देखा, वे अपने आप से जोर-जोर से बातें कर रहे हैं। मैं बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहा था। पी.वी. कह रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन हम भगवान राम से कैसे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का बरताव ऐसा है, जैसे भगवान

राम पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। जब हम कहते हैं कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम नास्तिक हैं। भगवान राम हमारे लिए भी भगवान हैं। हम भी उनकी पूजा वैसे ही करते हैं जैसे वे करते हैं। अयोध्या में राममंदिर बनाने के नाम पर ये लोग कब तक लोगों की आँखों में धूल झोंकते रहेंगे?"

शायद नरसिंह राव इस बात से अनजान थे कि उनके सामने कोई अफसर बैठा हुआ है। वे बोले जा रहे थे, "अगर वे सत्ता में होते तो उन्हें अपनी सीमाएँ पता चलतीं। अगर विश्व हिंदू परिषद हिंदू-परंपराओं के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है तो उसमें कोई विवाद नहीं, लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद किसी राजनीतिक दल के हाथ की कठपुतली बन जाए, तब सरकार राममंदिर की जमीन का आबंटन उसे कैसे कर सकती है? क्या वे लोग कुछ साधु-संतों को जोड़कर इस बात का दावा कर सकते हैं कि वे लोग सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

इसके बाद पी.वी. कुछ देर के लिए चुप हुए। इस मुद्दे के समाधान के लिए जिज्ञासा और लगन को देखते हुए मैंने उन्हें टोका नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें समाधान की रणनीति बताते हुए सुना।

"अयोध्या का मुद्दा बड़ा भावनात्मक मुद्दा बन गया है। जमीन और ढाँचे के स्वामित्व को लेकर मुकदमेबाजी दशकों से चली आ रही है। अदालत अगर सभी लंबित मामलों को निपटा भी देती है तो भी यह विवाद चलता

रहेगा। सच है, इस तरह के धार्मिक मामलों का समाधान अदालतें नहीं कर सकती हैं। इसका सिर्फ एक ही समाधान दिखाई देता है। वह है आपसी बातचीत, विचार-विमर्श और आपसी सहमति से मामले को निपटाया जाए। हमारी पार्टी अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी ने ही शिलान्यास भी कराया था। विध्वंस के बाद, प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ऐलान किया था कि वहाँ मस्जिद बनेगी। इसमें हमारा मकसद था, वहाँ दोनों होने चाहिए। लेकिन अदालतों या राजनीतिज्ञों के जरिए नहीं। यह दोनों संप्रदाय के लोगों को बिठाकर आपस में बातचीत के जरिए ही होगा।"

प्रधानमंत्री खुद से बात करते हुए आगे बोले, "अब एक ही रास्ता है। राममंदिर का मुद्दा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मठों, पीठों, परंपराओं के प्रतिनिधियों और शंकराचार्यों के साथ राजनीतिकों की एक समिति को सौंप दिया जाए, तभी शायद कोई समाधान निकले।"

नरसिंह राव के सचिव पी.वी.आर.के. प्रसाद बताते हैं—ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री खुद से बातचीत करने में इतने मशगूल थे कि उन्हें वहाँ मेरी मौजदूगी का आभास भी नहीं था। इस बात को परखने के लिए मैंने हल्के से खाँसा और पूछा, "आदर्श स्थिति में इस कमेटी के सदस्य कौन-कौन से लोग होने चाहिए?"

नरसिंह राव का तुरंत जवाब आया—"द्वैत, अद्वैत और

विशिष्टाद्वैत पीठ के अध्यक्ष, शृंगेरी, कांची, द्वारका, बद्री, पुरी के शंकराचार्य, तमिलनाडु के जियार और आंध्र के जियंगर्स, उत्तर में रामानुज परंपरा का निर्वाह करने वाले सभी मठों के मुखिया, द्वैत परंपरा का निर्वाह करने वाले उडुपि और उत्तरादि मठ के मुखिया, वल्लभाचार्य परंपरा के संतों, गौड़ीय और चैतन्य संप्रदाय प्रतिनिधि अयोध्या एवं अन्य हिंदू संगठन के महंत। अगर हम इन सभी लोगों को जोड़कर मंदिर बनाने का काम सौंपते हैं तो कोई भी नहीं कह सकेगा कि यह ट्रस्ट राजनीतिक है। इससे हम किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस मुद्दे पर फायदा उठाने को भी रोक सकेंगे। इस मामले में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के मेरे सारे प्रयास विफल रहे। इससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी सभी पक्षों के बीच बातचीत कराने में सफल नहीं हुई। असल में वे लोग एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते। अदालत अगर कोई फैसला सुनाती है तो उसे शांति के साथ स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे लागू करना भी मुश्किल होगा। यह भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा है। यही रास्ता है, दोनों पक्षों के प्रतिनिधि हों और आपस में बैठकर बातचीत करें।”

प्रसाद कहते हैं, “विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ट्रस्ट बनाए जाने का विरोध करेंगे और मठ के मुखियाओं पर इसमें शामिल न होने का दबाव बनाएँगे।”

पी.वी. ने कहा, "वो निश्चित तौर पर दबाव डालेंगे, इसलिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह कांग्रेस पार्टी या सरकार द्वारा की जा रही पहल है बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि मठों के मुखियाओं ने स्वयं से पहल की। यह सब कुछ ऐसे होना चाहिए कि किसी को इसकी भनक न लगे। सबसे पहले हमें उन सभी से अलग-अलग बात करनी होगी। उनसे सहमति लेनी होगी। उन्हें इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना होगा कि सरकार ऐसे ट्रस्ट को पूरा सहयोग देगी और इसके अलावा किसी भी मौजूदा संगठन के साथ नहीं रहेगी।

प्रसाद ने कहा, "सर, अगर यह संभव हो गया तो आपका सुझाव शानदार है, लेकिन यह सब कौन करेगा?"

"यह सब आपको ही करना होगा।" नरसिंह राव ने कहा।

मैं आश्चर्यचकित और स्तब्ध हो गया। पर यह अवस्था ज्यादा देर तक नहीं बनी रही।

प्रधानमंत्री कुछ देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया—

"हाँ, यह सब कुछ आपको अकेले करना होगा। आपके सभी पीठों और मठों के मुखियाओं से अच्छे संबंध हैं। आखिरकार, तिरुपति तिरुमाला देवस्थान के कार्यकारी अधिकारी होने की वजह से इन सभी को आपने जमीन दी थी!"

"सर, यह सही है, लेकिन उनमें से ज्यादातर दक्षिण

भारतीय हैं। उत्तर भारत से कुछ ही लोग आते हैं। उत्तर भारत के मठाधिपीठों, महंतों और स्वामियों से मेरा परिचय नहीं है।" पी.वी.आर.के. प्रसाद ने कहा।

प्रसाद ने कहा, "सर, अगर यह संभव हो गया तो आपका सुझाव शानदार है, लेकिन यह सब कौन करेगा?" "यह सब आपको ही करना होगा।" नरसिंह राव ने कहा।

"आप परेशान न हों। मैं सभी जरूरी इंतजाम कर दूँगा। द्वारका के शंकराचार्य ही अब बद्री के भी शंकराचार्य हैं। विश्व हिंदू परिषद और वे साथ-साथ नहीं चलते। हालाँकि पाँचों शंकराचार्यों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस प्रयास को कोई दिशा नहीं मिली। द्वारका के शंकराचार्य को सभी कांग्रेस के करीब मानते हैं। उन्हें साथ लेने में कोई परेशानी नहीं है। पर वे उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना चाहेंगे, जो संभव नहीं होगा। अगर वे अध्यक्ष बनते हैं तो उस ट्रस्ट पर कांग्रेस का ठप्पा लग जाएगा। ऐसे में हमारा मकसद पूरा नहीं होगा।"

"वैसे कांची के शंकराचार्य से हमारे मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, उनके विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी करीबी रिश्ते हैं। उडुपि के पेजावर स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ मंदिर आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। एक बार जेल भी जा चुके हैं। वे राममंदिर ट्रस्ट के अहम सदस्य और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि वे आपके भी काफी करीब हैं।"

"जी, मैं उन्हें कई बरसों से जानता हूँ। मैं निश्चित तौर पर कोशिश करता हूँ। आपके हिसाब से इस ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे होना चाहिए?"

"यह कहना बहुत मुश्किल है। अगर शृंगेरी स्वामी, जिन्होंने खुद को अब तक इस मुद्दे से अछूत रखा है, को अध्यक्ष बनाया जाए तो कोई विवाद नहीं होगा। अन्य पीठें इस बात को मानें न मानें, लेकिन शृंगेरी पीठ सबसे ज्यादा अहम है। शृंगेरी के मुखिया को मनाना एक बात है, लेकिन कांची और द्वारका की पीठ के मुखियाओं को उनके नीचे काम करने के लिए तैयार करना ज्यादा मुश्किल है। पूरे उत्तर भारत में शृंगेरी पीठ के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं।"

प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर चंद्रास्वामी का बेहद प्रभाव था। वे अकसर कई मामलों में उनका इस्तेमाल करते थे। पर चंद्रास्वामी की खुद की छवि खास अच्छी नहीं थी। बड़े साधु-संत उन्हें कुछ समझते नहीं थे।

प्रधानमंत्री फिर कहने लगे, "आप जो भी करेंगे और जिससे भी मिलेंगे, उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। उत्तर भारत के लिए बिहार के एक डीआईजी रैंक के अधिकारी आपकी मदद करेंगे (उनका इशारा किशोर कुणाल की तरफ था)। उत्तर प्रदेश और बिहार के धर्माचार्यों के उनके करीबी संबंध हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या प्रकोष्ठ के इंचार्ज नरेश चंद्रा (जो पहले कैबिनेट सचिव रह चुके थे) ये सारे इंतजाम कर देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

दिग्विजय सिंह के द्वारका के शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ वैष्णव मठों के मुखियाओं से अच्छे संबंध हैं। मैं उनको आपकी मदद के लिए बोल दूँगा।” प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर चंद्रास्वामी का बेहद प्रभाव था। वे अकसर कई मामलों में उनका इस्तेमाल करते थे। पर चंद्रास्वामी की खुद की छवि खास अच्छी नहीं थी। बड़े साधु-संत उन्हें कुछ समझते नहीं थे। चंद्रास्वामी को वे ही लोग सम्मान देते थे, जो उनके पैसे के असर में आते थे। शायद इसलिए पी.वी.आर. के प्रसाद ने नरसिंह राव से चंद्रास्वामी की मदद से परहेज करने को कहा। नरसिंह राव ने कहा, “चंद्रास्वामी आपकी मदद अयोध्या के साधु-संतों में कर सकते हैं।” नरसिंह राव ने कहा, “इसके साथ ही हमें मुसलमानों के लिए भी कुछ करना होगा। हमारे अपने ही लोगों ने काफी नुकसान किया है, मुझे नुकसान पहुँचाने की व्यग्रता और उत्साह में उन्होंने नरमवादी मुस्लिमों को भड़काकर अपना और कांग्रेस का बहुत नुकसान किया। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब से यह काम आपकी पहली जिम्मेदारी है।”

साधु-संतों को तोड़ नया ट्रस्ट बनाने के नरसिंह राव के प्रयासों को कोई सफलता नहीं मिली। पी.वी.आर.के. प्रसाद शृंगेरी शंकराचार्य से तीन-चार बार इस काम के लिए मिले। बाद में शंकराचार्य ने कहा, आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। इन चारों की टीम सरकारी

जहाज से कांची, बेंगलौर, उडुपि, पुरी सब जगह गई, पर कोई कामयाबी नहीं मिली। उल्टे ज्यादातर ने खरी-खरी सुनाई। पुरी के शंकराचार्य निरंजनदेव तीर्थ से केंद्रीय मंत्री काल्हू चरण लेंका मिलने गए। उन्होंने लेंका को लौटाते हुए चेतावनी दी कि वे हिंदू भावनाओं से न खेलें। वृंदावन में स्वामी वामदेव ने केंद्रीय मंत्री पी.आर. कुमार मंगलम को वापस कर दिया। दिग्विजय सिंह म.प्र. के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि म.प्र., उ.प्र. और राजस्थान के कुछ धर्माचार्यों में आपकी दखल है। आप प्रसाद की मदद कीजिए। दिग्विजय सिंह ने स्वरूपानंद सरस्वती को तैयार किया और बनारस के रामानंदाचार्य, रामनरेशाचार्य को भी राजी कर लिया। लेकिन साथ-साथ दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के तीनों दूतों से यह भी कहा कि "हमारे लिए यह संभव नहीं है कि आप के साथ सभी महात्माओं के यहाँ चलूँ। मैं उनसे संपर्क कर लेता हूँ। फिर आप तीनों अकेले जाएँ। जहाज की व्यवस्था मैं कर दूँगा। मैं जब भी आप लोगों के साथ निकलता हूँ, मीडिया में कई तरह के संदेह उत्पन्न होते हैं।"

सात दिसंबर की शाम को प्रधानमंत्री ने दो बड़े ऐलान किए। एक, सांप्रदायिक संगठनों (आरएसएस, बजरंग दल, विहिप, जमायते इस्लामी और इस्लामिक सेवक संघ) पर पाबंदी लगेगी। दो, मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री के ये दोनों ऐलान संकट को बढ़ाने वाले थे।

इस मिशन में पी.वी.आर.के. प्रसाद, गौरी शंकर और किशोर कुणाल कम-से-कम सात-आठ बार अयोध्या भी गए। पर वहाँ भी कोई बड़ा संत उनकी पकड़ में नहीं आया। शृंगेरी शंकराचार्य भारती तीर्थ बाद में मान गए। उन्होंने दिल्ली में चातुर्मास किया। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। इस मिशन को अयोध्या में ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए अयोध्या में चंद्रास्वामी का इस्तेमाल हुआ। चंद्रास्वामी ने हनुमानगढ़ी के महंत और दो अन्य महंतों को दिल्ली बुलवाया। तोड़-फोड़ के बाद रामालय ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 1995 में हुआ। इसकी डीड में था कि ट्रस्ट राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाएगा। बनने के बाद ट्रस्ट की बैठक दो महीने तक टलती रही। तब तक 1996 का चुनाव आ गया। प्रसाद ने जब एक रोज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा, यह चुनाव का समय है। मामला राजनीतिक रंग लेगा। अब चुनाव के बाद ही कोई बात होगी।

प्रधानमंत्री नरसिंह राव दोहरी चालें चल रहे थे। ध्वंस के बाद नरसिंह राव ने राष्ट्र के नाम प्रसारण में ढाँचे के पुनर्निर्माण की बात नहीं कही थी। पर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने ढाँचे के पुनर्निर्माण की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री राव की यह गलत बयानी उनकी राजनीतिक लाचारी का हिस्सा थी। सात दिसंबर की शाम को प्रधानमंत्री ने दो बड़े ऐलान किए। एक, सांप्रदायिक संगठनों (आरएसएस, बजरंग दल, विहिप, जमायते

इस्लामी और इस्लामिक सेवक संघ) पर पाबंदी लगेगी। दो, मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री के ये दोनों ऐलान संकट को बढ़ाने वाले थे। अर्जुन सिंह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नरसिंह राव को घेरने वाले थे। राव ने उसी दबाव में ये फैसले लिये। हालाँकि इन फैसलों से मंदिर आंदोलन की व्याप्ति बढ़ी। ध्वंस के बाद रक्षात्मक बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी के जनाधार का विस्तार हुआ। वैचारिक ध्रुवीकरण तेज हुआ।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में इन अर्धसैनिक बलों को फौरन वापस बुलाने की माँग की। क्योंकि वे आतंक और उत्तेजना फैलाकर, नशे में घोर अनुशासहीनता का परिचय देते हुए अयोध्या में टकराव पैदा कर रहे हैं।

अयोध्या को लेकर राजनीति का यह चरम था। समाज और राष्ट्र की जड़ों पर कुठाराघात कर रही इस ज्वाला ने किसी को भी नहीं बख्शा। सुरक्षा बल भी नहीं बच सके। राजनीति के इस दुश्चक्र से केंद्रीय सुरक्षा बल भी नहीं बच सके। उनकी स्थिति बहुत कारुणिक थी। राजनीति की उफनती ज्वाला उनकी वर्दियाँ तक छू गई। अयोध्या में केंद्रीय बलों की स्थिति बड़ी अजीब होती जा रही थी। केंद्र और राज्य के बीच 'फुटबॉल' बने इन सुरक्षा बलों की 'इमेज' मंदिर विरोधी बन गई थी। केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की मर्जी के केंद्रीय बल भेज रही थी और राज्य सरकार इन बलों पर अनाप-शनाप आरोप लगा जनता के

बीच ऐसी धारणा बनवा रही थी कि मानो मंदिर के रास्ते की अड़चन ये सुरक्षा बल ही हैं। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से कहा कि आप राज्य सरकार से पूछे बिना जो सुरक्षा बल भेज रहे हैं, वह देश के संघीय ढाँचे पर हमला है। कल्याण सिंह ने सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अयोध्या के आस-पास अर्धसैनिक बलों के भारी जमाव पर भी एतराज किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में इन अर्धसैनिक बलों को फौरन वापस बुलाने की माँग की। क्योंकि वे आतंक और उत्तेजना फैलाकर, नशे में घोर अनुशासहीनता का परिचय देते हुए अयोध्या में टकराव पैदा कर रहे हैं। कल्याण सिंह की प्रधानमंत्री को लिखी गई यह चिट्ठी दोनों सरकार के अंतर्संबंधों और राजनैतिक सोच की गिरावट की पोल खोलती है। प्रधानमंत्री को लिखी 30 नवंबर की चिट्ठी में कल्याण सिंह कहते हैं—

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से अयोध्या और फैजाबाद में भारी संख्या में केंद्रीय बल भेज रही है। इस संबंध में न तो राज्य सरकार द्वारा अयोध्या प्रकरण के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय बलों की कोई माँग की गई है, न राज्य सरकार से परामर्श किया गया और न ही राज्य सरकार से सहमति ली गई है।

अभी भी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों के उत्तर प्रदेश आने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार का यह

इकतरफा कदम संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल संघीय ढाँचे पर प्रहार है। यह मान्य लोकतांत्रिक परंपराओं के सर्वथा विरुद्ध और उत्तर प्रदेश की महान जनता के स्वत्व तथा आत्मसम्मान पर कुठाराघात है।

संविधान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। संविधान के सातवें अनुच्छेद के अनुसार कानून और व्यवस्था बनाए रखना पूरी तरह राज्य सरकार की परिधि में आता है। राज्य सरकार यदि चाहे अथवा आवश्यक समझे तो इस विषय में केंद्र सरकार से सहायता का अनुरोध कर सकती है। किंतु उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है तथा सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है।

संविधान-सम्मत संघीय ढाँचे के सुचारु रूप से चलते रहने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकारों की सीमाओं के अंदर काम करें और एक-दूसरे के अधिकार-क्षेत्र का अतिक्रमण न करें।

संविधान में परिभाषित परिधियों का केंद्र सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा अतिक्रमण राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। संविधान कहता है कि केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य सरकारों की स्वायत्तता की रक्षा करे। केंद्र किसी भी तरह से अधिक शक्तिशाली होने के कारण

अपनी शक्ति के दुरुपयोग द्वारा राज्य सरकारों पर अनुचित दबाव डालकर अपनी इच्छा थोपने का प्रयास न करे। यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो हमारे संघीय ढाँचे को अपूर्ण क्षति होगी।

अयोध्या में स्थित पुलिस कंट्रोलरूम में केंद्रीय बलों के दो उपाधीक्षकों ने जाकर वहाँ के स्टाफ को कहा कि अभी तो केवल देखने आए हैं किंतु दो दिन बाद हम स्वयं आकर इस पर कब्जा कर लेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बल भेजने की इस इकतरफा कार्रवाई के संदर्भ में एक संदेश भेजकर केवल इतना भर कहा है कि ये बल उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में इसलिए भेजे जा रहे हैं कि यदि प्रदेश सरकार को आवश्यकता हुई तो अल्प सूचना पर ये बल तैनाती के लिए उपलब्ध होंगे। किंतु इन बलों को राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन नहीं रखा गया। जबकि इस संदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि केंद्रीय बलों की तैनाती प्रदेश सरकार के अनुरोध पर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करने के लिए की जा सकती है। क्या इससे यह समझा जाए कि अभी केंद्रीय बल विभिन्न स्थानों पर केवल भेजे गए, लेकिन उनकी तैनाती नहीं की जानी थी?

खेद का विषय है कि अयोध्या में केंद्रीय बलों के अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मियों के आचरण से ऐसा नहीं लगता। कुछ दिन पहले 'रैपिड एक्शन फोर्स' के

कमांडोज ने मोटर साइकिलों पर अपनी निंदनीय करतूतों का प्रदर्शन करके अयोध्या में जनता को आतंकित किया। बल के जवान जनता में अमर्यादित व्यवहार करते हैं। अयोध्या में स्थित पुलिस कंट्रोलरूम में केंद्रीय बलों के दो उपाधीक्षकों ने जाकर वहाँ के स्टाफ को कहा कि अभी तो केवल देखने आए हैं किंतु दो दिन बाद हम स्वयं आकर इस पर कब्जा कर लेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बलों के अधिकारी प्रेस को कह रहे हैं कि वे जिलाधिकारी के अधीन काम नहीं करेंगे। यह तो सिर्फ एक तकनीकी बात है, वास्तव में प्रदेश सरकार के अधीन कार्य न करके वे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे।

केंद्रीय बलों के अवांछनीय आचरण से अयोध्या की जनता में आतंक तथा तरह-तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। उनके प्रति जनता में तनाव परिलक्षित हो रहा है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय बलों के आचरण के कारण निकट भविष्य में स्थानीय जनता व केंद्रीय बलों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।

विवादित ढाँचे की हिफाजत के लिए मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बल। फोटो : पवन कुमार

मान्यवर, मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि ऐसा करके संघीय ढाँचे पर प्रहार न करें और लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट न करें।

मुझे आशा है कि मेरे विचारों पर ध्यान देकर आप तत्काल ही अकारण तैनात किए गए केंद्रीय बलों को वापस बुलाने के आदेश की अनुकंपा करेंगे।

ससम्मान

आपका

कल्याण सिंह

कल्याण सिंह के इस पत्र से इतर हद तो तब हो गई जब राज्य सरकार ने फैजाबाद के जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सूचना भेजी कि अर्धसैनिक बल शराब पीकर फैजाबाद के 'लालबत्ती इलाके' में आफत मचाए हैं। फैजाबाद के शराब के ठेकों और वेश्याओं पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तीन पेज की इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि बल के जवान नशे में धुत्त होकर शहर के दुकानदारों और महिलाओं से झगड़ते भी हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आम होती जा रही हैं। कुछ इसी तरह से फैजाबाद के बिजली विभाग ने भी एक रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में अभी अर्धसैनिक बलों की शिकायत की गई। जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस बलों ने अपने कैंप की जगहों पर अवैध रूप से बिजली के खंभों

से कटिया लटका दी हैं। इससे ट्रांसफार्मरों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है। उनके जलने का खतरा पैदा हो गया है। यहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी। मगर एक ऐसी रिपोर्ट भी थी, जो आगत का आईना थी। इस रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने विवादित ढाँचे के भीतर सी.आर.पी.एफ. की तैनाती को ढाँचे की सुरक्षा के लिए ही घातक करार दिया था। ये तथ्य बहुत कुछ कहते हैं। ढाँचे को बचाने की खातिर तैनात किए गए केंद्र के अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकार के बीच क्या चल रहा था, वह इन पत्रों से परत-दर-परत साफ होता जाता है।

कल्याण सिंह के इस पत्र से इतर हद तो तब हो गई जब राज्य सरकार ने फैजाबाद के जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सूचना भेजी कि अर्धसैनिक बल शराब पीकर फैजाबाद के 'लालबत्ती इलाके' में आफत मचाए हैं। फैजाबाद के शराब के ठेकों और वेश्याओं पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जवाब में केंद्रीय गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण ने कल्याण सिंह को भी चेतावनी दी कि ढाँचे की सुरक्षा में राज्य सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। अर्धसैनिक बलों पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय आप उनका बेहतर इस्तेमाल करें। चह्वाण ने कहा कि धार्मिक जुनून में हिंसा फैलाने पर अगर इस ढाँचे को कोई नुकसान पहुँचता है तो इस सूरत में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

गृहमंत्री ने कहा कि वे विवादित ढाँचे की सुरक्षा के राज्य सरकार के इंतजाम से संतुष्ट नहीं हैं।

गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण ने कल्याण सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा—

5 दिसंबर, 1992

गृहमंत्री, भारत

नई दिल्ली-110001

प्रिय श्री कल्याण सिंह जी,

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढाँचे की सुरक्षा के संबंध में मैंने पहले भी कई बार आपको पत्र लिखा है। दिनांक 2 दिसंबर, 1992 के अपने पत्र में आपने ढाँचे की सुरक्षा की राज्य सरकार की वचनबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। फिर भी इस विषय में हमारी चिंता बनी हुई है तथा प्रस्तावित कारसेवा के लिए अयोध्या में कारसेवकों के बड़ी संख्या में एकत्र होने के कारण यह चिंता और बढ़ गई है।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कारसेवक अशांत और बेचैन हैं और उनमें से बहुत लोग त्रिशूल खरीद रहे हैं, जिनका प्रयोग आक्रामक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यह भी पता चला है कि उनमें से कुछ केंद्रीय बलों के विरोधी भी हैं। यह भी पता चला है कि भारी संख्या में कारसेवकों के एकत्र होने से धर्मस्थलों पर आने वाले भक्तों की भीड़ भी बहुत बढ़ गई है।

जैसा कि मैंने पहले भी आपको लिखा था कि हिंसा

भड़कने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। रिपोर्ट मिली है कि बाहरी और भीतरी घेरे के बीच प्रवेशद्वार पर सुरक्षा में ढिलाई बरती जा रही है और इस कारण आगंतुक विवादित ढाँचे में प्रवेश के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा यह रिपोर्ट भी मिली है कि कीर्तन वाले इलाके में लोगों की भारी भीड़ निर्बाध रूप से और बेरोकटोक जमा हो रही है। बताया गया है कि भारी भीड़ के कारण 4 दिसंबर, 1992 को लकड़ी के घेरे को नुकसान पहुँचा और लोगों के धर्मस्थल में घुस जाने का खतरा था, जिसे केवल पुलिस के हस्तक्षेप से ही रोका जा सका। कहने की आवश्यकता नहीं कि घेरेबंदी को मजबूत किए जाने की जरूरत है। सुरक्षा व्यवस्था में कुछ और खामियाँ दिनांक 4 दिसंबर, 1992 के फैक्स संदेश सं. 81011/1/92 अयो-II के द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमें विश्वास नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम इस अवसर के लिए पर्याप्त होंगे। विशेष रूप से यह स्पष्ट नहीं है कि यदि कारसेवक न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं अथवा ऐसी कोई गतिविधि रोक दिए जाने पर हिंसक हो जाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की गई है।

आप लगातार हमें ढाँचे की सुरक्षा के बारे में राज्य

सरकार की प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाते रहे हैं, किंतु दूसरी ओर हमारे अनुरोध के बावजूद पहले से मौजूद सुरक्षा उपाय हटा दिए गए हैं। आपने बताया है कि पी.ए.सी. की 15 और कंपनियाँ अयोध्या में तैनात की गई हैं। हमारे विचार से धार्मिक उन्माद के माहौल में यदि अयोध्या में हिंसा भड़क उठती है, तो इतनी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। दूसरी ओर, अगर बलों की संख्या स्थिति का सामना कर पाने के लिए पर्याप्त न हुई, तो सुरक्षा बल अनावश्यक खतरे में फँस सकते हैं। हमने पहले भी कई अवसरों पर राज्य सरकार को केंद्रीय बल उपलब्ध कराने की पेशकश की है और अब भी उन्हें आस-पास के स्थानों में तैनात किया है, ताकि राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्र भेजा जा सके। मैं आपसे इस पेशकश पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढाँचे की सुरक्षा से संबंधित मामला आज उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई के दौरान भी उठा। केंद्र ने व्यवस्था में जिन कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, उन्हें माननीय न्यायालय ने भी नोट किया और सुझाव दिया कि ये कमियाँ राज्य सरकार के ध्यान में लाई जाएँ। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार के वकील को इन सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए कहा।

इसी कारण केंद्र सरकार ने समय-समय पर राज्य

सरकार को अपनी चिंता से अवगत कराया है और ऐसी सलाह दी है, जिसे उपयुक्त समझा गया। मुझे आशा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त चिंता तथा इसकी राय पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, केंद्र सरकार वैसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय

एस.बी. चह्वाण

ये चिट्ठी-पत्रियाँ अयोध्या को अपनी-अपनी राजनीति की उँगलियों पर नचाने का जरिया भर थीं। ये आसन्न खतरों की जवाबदेही की खातिर कंधों की तलाश थी। मगर इस सबके बीच अयोध्या का मूल सवाल अपनी जगह कायम था।

राजनीति की इन उलटबाँसियों के बीच अयोध्या का मूल सवाल यह था कि अयोध्या में इतने कारसेवक इकट्ठा कैसे हो गए? वे भी तब, जब केंद्र और आधे से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। बिहार में लालू यादव की सरकार थी। उड़ीसा में बीजू पटनायक की, बंगाल में नाना प्रकार के वामपंथियों की सरकार थी, पर किसी ने कारसेवकों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने तो उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि वह

इस बात का प्रचार करे कि प्रतीकात्मक कारसेवा पर कोई रोक नहीं है। इस प्रचार से भी भीड़ का माहौल बना। जनता में संदेश गया कि बिना किसी खतरे के जो चाहे बहती गंगा में हाथ धो 'रामकाज' कर सकता था।

6 दिसंबर की कारसेवा से पहले राज्य सरकार, विहिप और बीजेपी नेताओं की सारी कवायद इसी बात को लेकर थी कि हाईकोर्ट 2.77 एकड़ पर फैसला 6 दिसंबर से पहले कर दे। अगर फैसला पहले आता तो ढाँचा बच सकता था।

ढाँचा गँवाने के बाद नरसिंह राव ने अपने स्वभाव के विपरीत एक्शन लेने में रफ्तार पकड़ी। हालाँकि ऐसा उन्होंने अपनी पार्टी के सेकुलरवादियों के बढ़ते दबाव में किया। केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमायते इस्लामी और इस्लामिक सेवक संघ पर पाबंदी लगा दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इन सरकारों को इस आधार पर बर्खास्त किया गया कि इनका संबंध प्रतिबंधित संगठनों से है। वहीं जिन मुस्लिम संगठनों पर पाबंदी लगाई गई, वह दिखावा भर थी। एक रोज पहले ही इस्लामिक सेवक संघ के नेता मदनी ने घोषणा की थी कि अगर आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई तो वे अपना संगठन स्वतः भंग कर देंगे।

पाबंदी लगते ही संगठन भंग भी कर दिया गया। जमाते इस्लामी का मामला और भी दिलचस्प है। यह

संगठन लगभग अस्तित्वहीन सा था। प्रतिबंध के लिए इस पार्टी के खिलाफ जो आरोप लगाए गए, वे जमाते इस्लामी पार्टी के नेताओं द्वारा दो साल पहले दिए गए भाषणों से संबंधित थे।

ढाँचा गँवाने के बाद हाईकोर्ट भी सक्रिय हुआ। जिस फैसले का सबको इंतजार था, वह 11 दिसंबर, 1992 को हाईकोर्ट ने सुनाया। अगर यह फैसला 5 रोज पहले आ जाता तो ढाँचा बचाया जा सकता था। फैसले के बाद 6 दिसंबर की कारसेवा जायज हो जाती। राज्य सरकार ने विवादित इमारत के आस-पास जिस 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, हाईकोर्ट ने इस फैसले में उसे रद्द कर दिया। यह फैसला तीन नवंबर से रिजर्व था। 6 दिसंबर की कारसेवा से पहले राज्य सरकार, विहिप और बीजेपी नेताओं की सारी कवायद इसी बात को लेकर थी कि हाईकोर्ट 2.77 एकड़ पर फैसला 6 दिसंबर से पहले कर दे। अगर 2.77 एकड़ पर अधिग्रहण को कोर्ट जायज ठहराता तो यह जमीन राम जन्मभूमि न्यास के पास रहती। राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर यह जमीन न्यास को दे दी थी। इसलिए इस पर कारसेवा जायज होती। अगर अदालत रद्द करती तो भी 2.77 एकड़ जमीन में से 2.07 एकड़ जमीन पर मालिकाना राम जन्मभूमि न्यास के पास वापस चला जाता। क्योंकि अधिग्रहण से पहले यह जमीन न्यास की थी। न्यास ने अलग-अलग लोगों से यह जमीन खरीदी थी। यह हिस्सा न्यास के पास

अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले से ही था। 2.77 एकड़ जमीन विवादित ढाँचे से अलग थी। यानी इस जमीन पर होने वाली कारसेवा विवादित ढाँचे से अलग होती। दोनों ही स्थितियों में होने वाली कारसेवा कानूनन जायज होती। कल्याण सिंह ने बाद में मुझे बताया कि ढाँचे से अलग कर मैंने 2.77 एकड़ जमीन को 'सेफ्टी वाल्व' बनाया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, यह अधिग्रहण कायरतापूर्ण ढंग से किया गया था। इस अधिग्रहण से संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

इसी जमीन पर पहले भी कारसेवा हो चुकी थी। जमीन के इसी टुकड़े पर शिलान्यास भी हुआ था। जुलाई 1992 में हुई कारसेवा इसी 2.77 एकड़ जमीन पर हुई थी। उस वक्त चबूतरा यहीं बना था। इसी जमीन पर सुमित्रा भवन, फलाहारी बाबा का आश्रम, संकट मोचन मंदिर और राम गोपाल तिवारी की कुटिया थी। जिसकी न्यास ने अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी। बाद में इन्हीं इमारतों को गिरा जमीन का समतलीकरण हुआ। न्यास ने ये सारी जमीनें अलग-अलग लोगों से खरीदी थीं।

राज्य सरकार ने इस अधिग्रहण की पहली अधिसूचना 7 अक्तूबर, 1991 को जारी की थी। इसके जरिए 1937 के बंदोबस्त खसरे के प्लॉट नं. 159, 160, 170 और 172 के कुछ हिस्से को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिग्रहीत किया गया था। बाद में राज्य के पर्यटन सचिव

आलोक सिन्हा ने अदालत में एक हलफनामा देकर कहा कि अधिग्रहीत जमीन पर मंदिर निर्माण भी पर्यटन को बढ़ावा देने का एक जरूरी हिस्सा है। यह जनहित की परिभाषा में आता है। राज्य सरकार ने अधिग्रहण के इरादे में यह बदलाव विवादित जमीन को न्यास को सौंपने के लिए किया था।

दस अक्तूबर, 1991 की अधिग्रहण की इस अधिसूचना को 17 अक्तूबर को मोहम्मद हाशिम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए दस नवंबर, 1991 को हाईकोर्ट ने पहली नजर में अधिग्रहण को जायज करार दिया और उस पर कब्जा लेने की इजाजत दे दी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह शर्त लगा दी कि इस जमीन पर कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता। न ही यह जमीन किसी को हस्तांतरित की जा सकती है।

7 जनवरी, 1993 को भारत सरकार ने अयोध्या के विवादित स्थल के आस-पास की सभी 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया।

बाद में इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी कायम रखा। 1992 की जुलाई में अधिग्रहीत 2.77 एकड़ जमीन पर कारसेवा को लेकर विवाद उठा। हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को इस जमीन पर कारसेवा रोकने का आदेश जारी किया। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यहाँ चबूतरा (स्थायी निर्माण) बन रहा था। और राज्य सरकार ने जमीन

का हस्तांतरण राम जन्मभूमि न्यास को कर दिया था। तब से यह मामला अटका रहा। राज्य सरकार और विहिप, दोनों अदालत से जल्दी फैसला चाह रहे थे। केंद्र सरकार की आरएसएस और बीजेपी से जो बातचीत चल रही थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि केंद्र सरकार अदालत से निवेदन करे कि वह 6 दिसंबर से पहले फैसला दे। हाईकोर्ट ने फैसला दिया, पर 11 दिसंबर को—ढाँचा गिरने के पाँच दिन बाद।

बाबरी ढाँचा गिरने के बाद भारत सरकार के सामने दो मुद्दे थे। एक तो जब तक कोई हल न निकले, तब तक उस परिसर में यथास्थिति बनाए रखना और दूसरे, यह तय करना कि मस्जिद से पहले क्या वहाँ कोई मंदिर था। 7 जनवरी, 1993 को भारत सरकार ने अयोध्या के विवादित स्थल के आस-पास की सभी 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया। इस अधिग्रहण में रामकथा पार्क, विवादित ढाँचा, शिलान्यास स्थल शामिल थे। आज भी अयोध्या की 67.7 एकड़ जमीन केंद्रशासित है। इसमें विवादित ढाँचे वाली जगह भी शामिल है। इसके साथ सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत एक 'प्रेसीडेंसियल रेफरेंस' भी किया। जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था कि "1528 में जहाँ मस्जिद बनाई गई थी, क्या उसके पहले वहाँ कोई हिंदू या अन्य धार्मिक स्थल मौजूद था?" 'प्रेसीडेंसियल रेफरेंस' के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह माँगता

है, पर सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। वह महज सलाह होती है।

रामकथा कुंज में इकट्ठा कारसेवकों की भारी भीड़। फोटो : राजेंद्र कुमार

इस तस्वीर में आप विवादित ढाँचा, मुख्यद्वार और सामने का राम चबूतरा और शिलान्यास स्थल एक साथ सकते हैं। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवा में कोई पीछे नहीं था। युवतियों ने भी कारसेवा में हाथ बँटाया। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

कारसेवा से ठीक पहले चबूतरे की साफ-सफाई करते कारसेवक। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

सरकार की इस कार्रवाई पर मुस्लिम नेतृत्व और बाबरी कमेटी ने हमला बोला। अधिग्रहण और 'प्रेसीडेंसियल रेफरेंस' दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सितंबर 1993 में पाँच जजों की एक विशेष बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1994 को दिए अपने फैसले में जमीन के अधिग्रहण को वैध ठहराया। पर 'प्रेसीडेंसियल रेफरेंस' पर राय देने से

मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वैंकटचलैया की अगुवाई में पाँच जजों की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया विशेष संदर्भ गैर-जरूरी है। इसलिए इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम इसे वापस लौटा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सौंप दिया।

यह जरूरत उस राजनीति को समझने की खातिर है, जो ध्वंस के काले साए के आगे मशाल की शक्ल में जलती जा रही थी। उसे रास्ता दिखा रही थी। सच यही है कि अगर ताला न खुलता तो ढाँचा न गिरता। फिर शिलान्यास न होता तो भी ढाँचा न गिरता।

जनमत के दबाव और देश के सांप्रदायिक हालात देख नरसिंह राव अब मस्जिद पुनर्निर्माण के अपने ऐलान से पीछे हटने लगे। क्योंकि संतों और धर्माचार्यों का ऐलान था कि मस्जिद अयोध्या की सीमा में नहीं बनेगी। सरकार ने मस्जिद को पंचकोसी परिक्रमा के बाहर बनाने का इरादा बनाया। इसी योजना के तहत फैजाबाद के सहनवा गाँव में 40 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी होने लगी। आई.बी. सहित केंद्रीय अफसरों की टीम सहनवा जाकर मौका-मुआयना भी कर आई। फैजाबाद के जिला प्रशासन ने सहनवा की 40 एकड़ जमीन की नाप-जोख कर उसे चिह्नित किया। यह जमीन राजस्व दस्तावेजों में मीर बाकी

के परिवार के नाम दर्ज थी। इस योजना की गुपचुप कागजी तैयारी पूरी कर ली गई।

फैजाबाद से चार किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जाने वाली सड़क पर सहनवा गाँव मुस्लिम बहुल था। इस गाँव में ज्यादातर लोगों की रोजी खेती या उससे जुड़े धंधों पर टिकी थी। इसी गाँव में मीर बाकी की मजार भी है। मीर बाकी बाबर का सिपहसालार था। उसी ने मंदिर तोड़ अयोध्या का वह विवादित ढाँचा बनवाया था, जिसे 6 दिसंबर को तोड़ा गया। सहनवा में एक मस्जिद मीर बाकी की मजार के साथ पहले से मौजूद थी। फैजाबाद के शियाओं की तरफ से विवाद के हल के रूप में बाबरी मस्जिद को इसी गाँव में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पहले आया था। 7 जनवरी को अयोध्या में 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के बाद सरकार ने यह कहा था कि अभी कुछ और जमीन का अधिग्रहण होगा। अपने इस ऐलान के बाद कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, प्रधानमंत्री मुसीबत में पड़ गए थे। कांग्रेस पार्टी में ही उनकी घोषणा का विरोध शुरू हो गया था। इन्हीं सारी स्थितियों पर गौर करते हुए कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकालते हुए दोबारा मस्जिद के निर्माण की जगह सहनवा में तलाशी थी। मीर बाकी के वंशज आज भी इसी गाँव में रहते हैं। हालाँकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने ऐसी किसी भी योजना का खुलकर विरोध किया। नरसिंह राव इस प्रस्ताव से भी पीछे हट गए। दबाव में वे फौरन पलट

जाते थे। कोई चीज उन पर चिपकती या रुकती नहीं थी।

अयोध्या को लेकर छिड़े राजनीति के इस संग्राम में ध्वंस की तारीख से थोड़ा पीछे जाने की सख्त जरूरत है। यह जरूरत उस राजनीति को समझने की खातिर है, जो ध्वंस के काले साए के आगे मशाल की शक्ल में जलती जा रही थी। उसे रास्ता दिखा रही थी। सच यही है कि अगर ताला न खुलता तो ढाँचा न गिरता। फिर शिलान्यास न होता तो भी ढाँचा न गिरता। चंद्रशेखर सरकार न गिरती तो भी ढाँचा गिरने को टाला जा सकता था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अयोध्या पर सहमति बना रास्ता ढूँढ़ने में संकल्प के साथ जुटे थे। यह दुर्भाग्य था कि उनकी सरकार सिर्फ चार महीने रही। सिर्फ एक सवाल पर उन्होंने दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठा दिया था कि क्या उस जगह पर मस्जिद से पहले कोई हिंदू ढाँचा था। उस द्विपक्षीय वार्त्ता के छह दौर हुए। शरद पवार, भैरोंसिंह शेखावत और मुलायम सिंह यादव इन बैठकों में पर्यवेक्षक के तौर पर आते थे। छठे दौर में जब मुस्लिम पक्ष को मंदिर के प्रमाण के खंडन में अपना प्रमाण देना था, तब वे लोग नहीं आए। इसके बाद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। शरद पवार से समझौते के कुछ सूत्र हासिल कर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर सरकार ही गिरा दी। चंद्रशेखर सरकार के रहते दोनों तरफ के विशेषज्ञों ने कुल छह बैठकें कीं। कोई सात हजार पन्नों के दस्तावेज की अदला-बदली हुई। 6 फरवरी, 1991 की पाँचवीं बैठक में

सरकार ने तय किया कि दोनों पक्षों के दिए गए कागजों की मूल अभिलेखों के साथ जाँच होगी। चंद्रशेखर समझौते पर पहुँचते, इससे पहले ही कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर सरकार असमय गिर गई और समझौता होते-होते रह गया।

उस वक्त दो और लोग इस बातचीत में गंभीरता से लगे थे—शरद पवार और भैरोंसिंह शेखावत। मई में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राममंदिर और उससे निकलने वाले धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता और राष्ट्रीयता जैसे मुद्दों पर लड़ा। चुनाव प्रक्रिया के बीच जब लगभग आधे देश में मतदान हो चुका था, तभी देश को एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 21 मई, 1991 को उनकी हत्या तब हुई, जब वे श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के लिए गए थे। जहाँ मानव बम के जरिए लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश को अंजाम दिया। इस घटना ने चुनावों का रुख बदल दिया। कांग्रेस पार्टी 246 सांसदों के साथ लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिलीं। पी.वी. नरसिंह राव की अगुवाई में कांग्रेस की अल्पमत सरकार ने जून 1991 में दिल्ली में और कल्याण सिंह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कामकाज सँभाला। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत मंदिर निर्माण के लिए मिला था। जाहिर है, बीजेपी पर अड़चनों को दूर कर

मंदिर बनाने के लिए जनभावनाओं का दबाव था। लिहाजा अयोध्या का संघर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी का हिस्सा बन गया।

6 दिसंबर की एक हकीकत प्रधानमंत्री नरसिंह राव हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में बाबरी ढाँचे के ध्वंस का फोटो उनके कार्यकाल का अमिट फोटो है और यह हमेशा रहेगा। इस मामले में ज्यादातर लोग नरसिंह राव को 'पंचिंग बैग' बनाते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने स्वभाव और कार्यशैली के अनुरूप इस संवेदनशील मामले में भी मौन साधे रखा। हाँ, राव साहब के वक्त में इतना हो गया कि एक तरफ कारसेवा आंदोलन भी हो रहा था, दूसरी तरफ बातचीत भी जारी थी

6 दिसंबर की एक हकीकत प्रधानमंत्री नरसिंह राव हैं। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में बाबरी ढाँचे के ध्वंस का फोटो उनके कार्यकाल का अमिट फोटो है और यह हमेशा रहेगा। इस मामले में ज्यादातर लोग नरसिंह राव को 'पंचिंग बैग' बनाते हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने स्वभाव और कार्यशैली के अनुरूप इस संवेदनशील मामले में भी मौन साधे रखा। हाँ, राव साहब के वक्त में इतना हो गया कि एक तरफ कारसेवा आंदोलन भी हो रहा था, दूसरी तरफ बातचीत भी जारी थी। न कारसेवा आंदोलन ने बातचीत पर असर डाला, न बातचीत जारी रहते आंदोलन रुका। दोनों साथ-साथ चल रहे थे। नरसिंह राव

के व्यक्तित्व में विरोधाभास बहुत था। वे कहते कुछ थे, करते कुछ और थे। अयोध्या में विध्वंस की पृष्ठभूमि ऐसे तमाम उदाहरणों से भरी पड़ी है। एक दिलचस्प उदाहरण देता हूँ। प्रभाष जोशी जी हमारे संपादक थे। उनकी अयोध्या मामले में बातचीत में भूमिका रहती थी। प्रभाष जी निखिल चक्रवर्ती और आर.के. मिश्र के साथ 6 दिसंबर की घटना के कुछ दिन बाद नरसिंह राव से मिले। नरसिंह राव ने 6 दिसंबर को जो साक्षी भाव दिखलाया था, उससे प्रभाष जी के मन में कौतूहल था। प्रभाष जी ने नरसिंह राव से पूछा, 6 दिसंबर को जो रवैया आपने अपनाया, उससे बाबरी ढाँचा बचाया नहीं जा सका। ऐसा आपने क्या सोचकर किया? नरसिंह राव ने जो जवाब दिया, उससे जोशी जी हतप्रभ थे। राव साहब बोले, "आप लोग समझते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती। मैंने जो कुछ किया, सोच-समझकर किया। मुझे बीजेपी की मंदिर राजनीति को समाप्त करना था। वह मैंने कर दिया।"

अयोध्या विवाद के हर चरण में वार्त्ता से हल निकालने की कोशिश चलती रही, जो सफल नहीं हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद ऐसा ही एक बड़ा मंच रहा है, जहाँ सौहार्द के बारे में छठे दशक से विचार होता था। अयोध्या के प्रसंग में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक पहली बार 2 नवंबर, 1991 को हुई। इनमें कुछ नेताओं ने मौलाना बुखारी से बातचीत करने का सुझाव दिया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस पर आपत्ति की। उनका कहना था कि अली मियाँ

उपयुक्त व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत अगर की जाए तो अयोध्या विवाद को सुलझाने में मदद मिल सकती है। इसी प्रकार उन्होंने कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का भी उल्लेख किया। वे चाहते थे कि जयेंद्र सरस्वती और अली मियाँ अपने-अपने स्तर पर प्रयास करें, जिसके लिए उनसे बातचीत की जाए।

इस बातचीज के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् के तीन पत्रकार सदस्य निखिल चक्रवर्ती, आर.के. मिश्र और प्रभाष जोशी 1992 की जुलाई से नवंबर के अंत तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मिलते रहे। इसी क्रम में इन लोगों ने अली मियाँ से मिलने का फैसला किया। नवंबर के पहले हफ्ते में निखिल चक्रवर्ती, प्रभाष जोशी, विजय प्रताप और रामबहादुर राय अली मियाँ से मिलने रायबरेली के तकिया गाँव पहुँचे। उनकी मुलाकात अली मियाँ से हुई। उनसे निखिल चक्रवर्ती और प्रभाष जोशी ने लंबी बात की। लेकिन अली मियाँ ने अपनी नरम छवि के बावजूद अयोध्या विवाद में कोई पहल करने में रुचि नहीं ली। मैं भी उस समूह के साथ था।

वे वही तर्क देते रहे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था। अली मियाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उनका कहना था कि मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसे मंदिर के लिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यही उनके कहने का सार था, जिससे प्रभाष

जोशी और निखिल चक्रवर्ती को उम्मीद के विपरीत समाधान नहीं, निराशा या उदासी हाथ लगी। चलते समय अली मियाँ ने नदवा से छपी हिंदी और उर्दू की कुछ पुस्तिकाएँ भी दीं, जो इस्लाम को समझाने के लिए उन्होंने छपवाई थीं।

दूसरे दिन सुबह मैं इन सभी को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलवाने ले गया। चलते समय कल्याण सिंह ने मुझसे पूछा कि आप लोगों की योजना क्या है। जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि हम अली मियाँ से मिलकर आ रहे हैं तो उन्होंने अयोध्या भी हो लेने का प्रस्ताव रखा। कल्याण सिंह ने उस समय के आयुक्त सुरेंद्र पाल गौड़ को सूचना करवाई। आयुक्त ने फैजाबाद की सीमा पर हमारा स्वागत किया। सब लोग साथ ही बाबरी मस्जिद को देखने गए। आयुक्त के रहने के कारण यह टीम उस हिस्से में भी जा सकी, जहाँ जाना वर्जित था। वह मस्जिद का पिछवाड़ा था, जिसकी ईंटें खुली हुई थीं। उसे देखने के बाद प्रभाष जी ने मजाक में कहा कि दादा (निखिल चक्रवर्ती), अयोध्या विवाद का हल समझ में आ गया है। या तो सरयू इसे किसी दिन बहा ले जाएगी या कोई इसके पिछवाड़े से खुली हुई ईंटों को एक-एक कर खिसका देगा।

अयोध्या में हम लोग महंत नृत्यगोपाल दास से भी मिले। उनसे भी उसी तरह की बात हुई, जो अली मियाँ से की गई थी कि समस्या का हल कैसे निकले? पर समस्या का कोई हल निकलता दिख नहीं रहा था। दोनों पक्ष अड़े

हुए थे। प्रधानमंत्री नरसिंह राव किसी समाधान पर जाने के बजाय सिर्फ बातचीत करते दिखना चाह रहे थे। इन बैठकों का कोई फायदा नहीं था। प्रधानमंत्री सिर्फ यह संदेश देना चाहते थे कि वे इस मुद्दे पर लगातार कुछ कर रहे हैं। अगले कुछ पन्नों में आप सिर्फ उन प्रयासों को पढ़ेंगे, जिनके किए जाने की नीयत का मूल भाव मामले को लटकाए रखना था।

नरसिंह राव ने सरकार में जब बातचीत शुरू की तो उन्होंने भैरोंसिंह शेखावत को उसमें शामिल किया, क्योंकि शेखावत चंद्रशेखर सरकार की पिछली बातचीत का हिस्सा थे। पिछली सरकार की बातचीत की लाइन साफ थी। जब शेखावत ने प्रधानमंत्री राव से पूछा कि इस बातचीत की दिशा क्या है, इसका मकसद क्या है? तो राव बोले, "मकसद और दिशा हम बाद में तय करेंगे, फिलहाल आप बातचीत जारी रखिए। सबको यह पता चले कि बातचीत चल रही है।"

वेंकटरमण का सुझाव था कि तीन में से दो गुंबदों को विश्व हिंदू परिषद को मंदिर निर्माण के लिए दिया जा सकता है और तीसरा गुंबद एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर ज्यों का त्यों छोड़ा जा सकता है।

2 अक्तूबर, 1992 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में शेखावत के हवाले से एक रिपोर्ट छपी। जिसका कभी खंडन नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री बातचीत के जरिए सिर्फ समय बिता रहे हैं। चंद्रशेखर सरकार में जिस

तरह सीधे ढंग से संवाद शुरू हुआ था, यह सरकार उससे उलट रास्ते पर जा रही है। इस बीच भैरोंसिंह शेखावत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। किस तरह 1992 की बातचीत में नरसिंह राव ने उन्हें शामिल किया। शेखावत ने बताया—"यह विचार था कि बातचीत को वहीं से शुरू किया जाए, जहाँ वह बंद हुई थी। मुझसे गुजारिश की गई कि मैं बातचीत में शामिल तो हो जाऊँ, लेकिन बातचीत का हिस्सा न बनूँ। यह कैसे संभव था? मुझसे कहा गया कि मैं और शरद पवार, जिस कमरे में बातचीत चल रही थी, उसके बाहर बैठे रहें। जब और जैसी जरूरत पड़ेगी, कोई आकर हम दोनों से राय-मशविरा कर लेगा। मैंने इस तरह हिस्सा लेने से मना कर दिया। मुझे इस तरह बातचीत का हिस्सा बनाने के राव साहब के फैसले का सुबोध कांत सहाय ने मजबूती से विरोध किया। उन्होंने कहा कि भैरोंसिंह शेखावत और शरद पवार को बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। बाद में हम दोनों को बातचीत का हिस्सा बनाया गया।"

नरसिंह राव ने इतने लोगों को बातचीत में लगाया था कि बातचीत तमाशा बन गई। कुछ फुटकर लोग और ग्रुप अलग-अलग बातचीत कर रहे थे, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। नरसिंह राव सरकार के कम-से-कम चार मंत्री अलग-अलग स्तरों पर बातचीत कर रहे थे। शरद पवार, पी.आर. कुमार मंगलम, कमलनाथ, यहाँ तक कि बलराम जाखड़ भी बातचीत में शामिल हुए। किसी फॉर्मूले

तक पहुँचने के लिए पत्रकारों के एक समूह और इंटेलीजेंस के एक बड़े अफसर को भी शामिल किया गया।

इस बातचीत में ऐसे तमाम लोगों से भी संपर्क किया गया, जो इस मामले में सिर्फ बहस करें। किसी समाधान तक न पहुँचें। उडुपि के पेजावर स्वामी और पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण जैसी विशिष्ट शख्सियतें भी बाद में बातचीत में शामिल हुईं। इस बातचीत का खुलासा करते हुए पेजावर स्वामी ने बताया—चातुर्मास के बाद, सितंबर में मेरी प्रधानमंत्री से एक मुलाकात हुई थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुझे सारी स्थितियों से अवगत कराया और सुझाव दिया कि मंदिर का निर्माण विवादित ढाँचे से 20 फीट की दूरी पर किया जा सकता है।

जवाब में स्वामी जी ने कहा कि इस प्रस्ताव को कोई मंजूर नहीं करेगा। बाद में स्वामी जी पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण से मद्रास में मिले। वेंकटरमण का सुझाव था कि तीन में से दो गुंबदों को विश्व हिंदू परिषद को मंदिर निर्माण के लिए दिया जा सकता है और तीसरा गुंबद एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर ज्यों का त्यों छोड़ा जा सकता है। स्वामी जी ने प्रधानमंत्री के निजी सचिव पी.वी.आर.के. प्रसाद को आर. वेंकटरमण के इस प्रस्ताव की जानकारी दी और कहा, अगर कारसेवा की अनुमति दी जाती है तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

इस बीच केंद्रीय मंत्री कमलनाथ लालकृष्ण आडवाणी और भैरोंसिंह शेखावत से मिले। कमलनाथ ने जुलाई

1992 में आडवाणी से मिलना शुरू किया था। इसके बाद वे दोनों अयोध्या को लेकर कई बार मिले। ऐसी आखिरी बैठक अक्तूबर 1992 के दूसरे हफ्ते में हुई थी। कमलनाथ से बातचीत को लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री से साझा किया। आडवाणी ने प्रधानमंत्री को बताया कि अयोध्या मुद्दे पर कमलनाथ लगातार उनसे मिल रहे हैं। जिस पर प्रधानमंत्री का जवाब था—ओ.के.। इसके बाद कमलनाथ फिर आडवाणी से कई बार मिले।

इन बैठकों में आडवाणी ने कमलनाथ से कहा कि केंद्र सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। आडवाणी ने कमलनाथ से यह भी कहा कि अगर फैसला पक्ष में आता है तो विश्व हिंदू परिषद निर्माण कार्य शुरू कर देगी। अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है, तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अधिग्रहीत भूमि में 80 फीसदी हिस्सा विश्व हिंदू परिषद का ही है। कमलनाथ ने आडवाणी से कहा कि कोर्ट से ऐसे फैसलों को लेकर आशान्वित रहना ठीक नहीं होगा। हमें अपने फॉर्मूले पर बात करनी चाहिए।

दो या तीन दिन बाद, 8 या 9 अक्तूबर, 1992 को कमलनाथ वापस लौटे। वे अपने साथ एक सुझाव लाए थे कि अगर केंद्र सरकार जमीन का अधिग्रहण कर ले तो हाईकोर्ट को 'बायपास' किया जा सकता है। इस बार कमलनाथ ने कहा कि मान लेते हैं कि जमीनों का अधिग्रहण केंद्र सरकार करती है। उसे राम जन्मभूमि

न्यास को मंदिर निर्माण के लिए इस शर्त के साथ सौंपती है कि जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता, विवादित ढाँचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्या यह मंजूर होगा? कमलनाथ का सुझाव था कि विवादित ढाँचे को आपसी बातचीत या अदालती फैसले से सुलझाया जा सकता है। इस पर आडवाणी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार हो सकता है।

इसके अगले दिन नानाजी देशमुख ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जब नानाजी ने प्रधानमंत्री से कमलनाथ के प्रस्ताव का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री ने कहा—ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। न ही मैंने कमलनाथ को बात करने को कहा है। फिर कमलनाथ आडवाणी से मिले और आडवाणी ने उनसे नानाजी देशमुख को कही गई प्रधानमंत्री की बात का हवाला दिया तो कमलनाथ का जवाब था कि संभवत: प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव को अपने लिए तुरुप का इक्का मान रहे थे। जिसके जल्दी पता चल जाने से वे नाखुश हो गए। बातचीत में शामिल दूसरे मंत्री पी.आर. कुमार मंगलम ने भी कमलनाथ के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। कुमार मंगलम का भी कहना था कि प्रधानमंत्री ने कमलनाथ को अयोध्या पर किसी भी तरह के प्रयास के लिए अधिकृत ही नहीं किया था। नाराज आडवाणी ने इसके बाद बातचीत से खुद को अलग कर लिया।

आश्चर्यजनक यह है कि जिस वक्त कमलनाथ

आडवाणी के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भैरोंसिंह शेखावत से भी इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। भैरोंसिंह शेखावत इस प्रस्ताव पर सहमत भी थे। 11 नवंबर, 1992 को भैरोंसिंह शेखावत ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, बातचीत में बहुत सारे लोगों के शामिल हो जाने से मामला बिगड़ रहा है। आडवाणी ने विश्व हिंदू परिषद से बातचीत करके कमलनाथ के 'पैकेज' को मंजूरी दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी 'पैकेज' की जानकारी नहीं। इससे आडवाणी की बात खाली गई। यह शेखावत ने एक इंटरव्यू में बताया।

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अयोध्या आंदोलन के नेतृत्व को भी तोड़ने में जुटे। यह काम उन्होंने विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी के जरिए कराने की कोशिश की।

लोगों को भरमाने के काम में नरसिंह राव लगे रहे। उन्होंने तीन बड़े संपादकों और एक खुफिया अफसर के जरिए दूसरा प्रस्ताव संघ को भिजवाया। तीनों संपादक 23 नवंबर, 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक से सीधे संघ मुख्यालय केशवकुंज गए। इन चारों ने प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) से मुलाकात की। ये लोग अपने साथ समझौते का एक ड्राफ्ट लेकर गए थे, जिसमें कहा गया था —मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम 2.77 एकड़ जमीन पर सिंहद्वार से शुरू किया जाए। पहले चरण के निर्माण के दौरान 2.77 एकड़ के अलावा विवादित ढाँचा

और विवादित जगह को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। विवादित ढाँचे को पहले की तरह ही बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा तौर पर राम जन्मभूमि न्यास, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वह विवादित ढाँचे की सुरक्षा की निगरानी करे।

यह प्रस्ताव भी इसलिए नाकाम रहा कि प्रधानमंत्री जिन बातों पर शुरू में सहमत थे, बाद में वे उससे बदल गए। जबकि यह फॉर्मूला प्रधानमंत्री की पहल पर बना था। इस दौरान जितने भी समझौते के फॉर्मूले आए, ज्यादातर की यही गति हुई। सभी फॉर्मूलों में कारसेवा को विवादित ढाँचे से अलग करने की बात थी। यानी कारसेवा पड़ोस में हो और विवादित ढाँचे पर अदालत के जरिए बातचीत से सहमति बनती रहे। यह प्रस्ताव मूलतः बीजेपी का था, जो व्यावहारिक था। आखिरकर प्रधानमंत्री ने इससे भी पल्ला झाड़ लिया।

दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अयोध्या आंदोलन के नेतृत्व को भी तोड़ने में जुटे। यह काम उन्होंने विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी के जरिए कराने की कोशिश की। चंद्रास्वामी की प्रधानमंत्री से नजदीकी तो थी, पर संत समाज में उनकी कोई साख नहीं थी। क्योंकि उस वक्त तक चंद्रास्वामी संतई छोड़ सत्ता के गलियारों में अपनी दखल बढ़ा रहे थे। तोड़फोड़ की प्रधानमंत्री की कोशिशों की स्वामी वामदेव ने पुष्टि की। स्वामी वामदेव के मुताबिक

5 अक्तूबर को जब प्रधानमंत्री ने उन्हें वियोगानंद और रमता योगी के साथ बुलाया तो वहाँ चंद्रास्वामी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में खुलकर कहा कि मंदिर का निर्माण तो होगा, लेकिन मौजूदा ढाँचे के बाहर। स्वामी वामदेव ने निष्कर्ष निकाला कि अब प्रधानमंत्री से बातचीत के कोई मायने नहीं हैं।

वामदेव जी ने 17 अक्तूबर के संत-सम्मेलन में खुलेआम घोषणा कर दी कि वे अब व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मंदिर आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। उनकी नीयत साफ नहीं है। इसके बाद 19 अक्तूबर, 1992 को प्रधानमंत्री का एक दूत अयोध्या पहुँचा। उसने स्वामी वामदेव को प्रधानमंत्री से मिलने को कहा। स्वामी जी ने साफ कहा कि 5 अक्तूबर की बैठक के बाद मेरी प्रधानमंत्री से मुलाकात का कोई औचित्य नहीं है।

प्रधानमंत्री बिना थके अपने प्रयास में लगे रहे। 12 नवंबर, 1992 को गृह मंत्रालय के विशेष दूत महेश पाठक मथुरा गए। उन्होंने स्वामी वामदेव जी से फिर निवेदन किया कि वे प्रधानमंत्री से मिलें। स्वामी वामदेव ने मना कर दिया। 25 नवंबर, 1992 को वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश वैदिक प्रधानमंत्री के दूत बनकर रात 1 बजे वृंदावन पहुँचे। वैदिक जी बताते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सरकारी गाड़ी से न जाएँ। बलराम जाखड़ ने उनके जाने के लिए प्राइवेट गाड़ी का प्रबंध किया। वैदिक

जी की प्रधानमंत्री नरसिंह राव से खासी नजदीकी थी। उन्होंने भी स्वामी वामदेव को प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का न्योता दिया। बातचीत तड़के ढाई बजे तक चली। स्वामी वामदेव ने उन्हें भी मना कर दिया। पर प्रधानमंत्री हार नहीं मान रहे थे। 26 नवंबर, 1992 की रात 8 बजे तीन व्यक्ति—राजीव त्यागी (सांसद), पी.आर. कुमार मंगलम (केंद्रीय मंत्री) और प्रदीप माथुर (मथुरा के पूर्व विधायक) गोकुल चंद सरपंच के साथ स्वामी वामदेव के पास गए और निवेदन किया कि वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। प्रधानमंत्री के पास कोई प्रस्ताव है।

इन लोगों को भी वामदेव जी ने यह कहकर मना कर दिया कि अब कारसेवा का कार्यक्रम नहीं बदलेगा। स्वामी जी ने कहा कि अगर 2.77 एकड़ पर कारसेवा की मंजूरी दी जाती है तो मैं ढाँचे को लेकर बातचीत करने को तैयार हूँ। 30 नवंबर, 1992 को फरीदकोट के एक महंत सेवादास स्वामी वामदेव से मिले और 6 दिसंबर की तारीख में बदलाव का निवेदन किया। वामदेव जी ने दो टूक कहा—यह असंभव है। ये महंत जी भी आंदोलन को तोड़ने आए थे। महंत जी ने वामदेव को मशविरा भी दिया—संत-महात्माओं को काम अपने हाथ में लेना चाहिए, निर्माण कार्य से विश्व हिंदू परिषद को बाहर रखना चाहिए। इसी वक्त विश्व हिंदू परिषद के आचार्य गिरिराज किशोर वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस संसद में उस स्थान को राम जन्मभूमि घोषित कर दे तो विश्व हिंदू

परिषद पीछे हट जाएगी। उसके बाद संत मंदिर का निर्माण योजना के मुताबिक करें। उसमें विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं होगा।” इसके बाद महंत सेवादास ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यहाँ आया हूँ। सरकार वहाँ किसी निर्माण को मंजूरी नहीं देगी और न ही उसे राम जन्मभूमि घोषित करेगी।” वामदेव जी का कहना था, “फिर आप वक्त क्यों बरबाद कर रहे हैं?”

मंदिर आंदोलन में अशोक सिंघल, रामचंद्र परमहंस और महंत अवेद्यनाथ की अहम भूमिका रही। फोटो : पवन कुमार

कौशल किशोर फलाहारी, शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद, स्वामी विश्वेश्वरतीर्थ, महंत अवेद्यनाथ, स्वामी रामचंद्र परमहंस, नृत्यगोपाल दास। फोटो : पवन कुमार

प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने आंदोलन को तोड़ने का एक और गंभीर प्रयास किया। यह प्रयास उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर किया था, जिसका खुलासा परमहंस रामचंद्रदास ने किया। उन्होंने बताया—नवंबर 1992 के अंतिम दिनों में उन्हें प्रधानमंत्री के कई दूतों से न्योता मिला कि प्रधानमंत्री उनसे अकेले मिलना चाहते हैं। राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख होने के नाते वे प्रधानमंत्री से अकेले मिलने का प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मुलाकात के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया।

परमहंस जी ने बताया—"इसके बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य शांतानंद महाराज की एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राममंदिर का निर्माण सिर्फ संतों द्वारा ही हो। इस काम से नेताओं को बाहर किया जाए।" शंकराचार्य के पत्र को देखने के बाद परमहंस रामचंद्रदास को लगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ संतों के जरिए मंदिर निर्माण के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। इसलिए परमहंस जी ने अपनी राय बदली और अयोध्या में वामदेव महाराज को सूचित किया कि वे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं।

परमहंस जी ने सरकारी जहाज से जाने से मना किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली कार्यालय से खुद को एयरपोर्ट से लेने को कहा। हवाई अड्डे से वे सीधे प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री ने परमहंस से कहा कि अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए अविवादित

जमीन पर विश्व हिंदू परिषद कारसेवा कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राजनीतिक तत्त्व बाहर कर दिए जाएँ तो मंदिर निर्माण के किसी भी प्रयास को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। परमहंस जी ने कहा—संतों ने आपको सिर्फ 2.77 एकड़ के लिए नहीं बल्कि समूचे परिसर पर फैसला लेने के लिए समय दिया था। लेकिन आपने 15 अगस्त को अपने भाषण में उस परिसर को मस्जिद घोषित कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री का जवाब था, उन्होंने कभी मस्जिद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।

परमहंस जी खरी-खरी कहते थे। उन्होंने नरसिंह राव से कहा, "मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप संतों को विभाजित कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा मान रहे हैं कि आप विभाजन करने वाले तरीके अपना रहे हैं, अब मुझे भी शक हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप मुझसे सिर्फ वही बात करिए, जो बाहर जाकर मैं प्रेस को और आम लोगों को बता सकूँ।" आते-आते परमहंस रामचंद्रदास अपने स्वाभाविक अवतार में आ गए। वे प्रधानमंत्री से बोले, "मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हमने कभी भी आपको 2.77 एकड़ के बारे में सोचने के लिए समय नहीं दिया था, वह हिस्सा पिछले 43 साल से हमारे कब्जे में है। उस जगह पर हम शिलान्यास कर चुके हैं। हम वहीं कारसेवा करने जा रहे हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। आप मुझे गोली मरवा सकते हैं; लेकिन हम कारसेवा करेंगे।" इस पर प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।

26 नवंबर, 1992 को इंडियन एक्सप्रेस में महंत परमहंस और प्रधानमंत्री की इस बैठक के बारे में खबर छपी, खबर में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने परमहंस जी को यह प्रस्ताव दिया है कि वे मंदिर निर्माण की किसी भी पहल का समर्थन करने को तैयार हैं, बशर्ते राजनीतिक तत्त्वों को उससे बाहर रखा जाए। धार्मिक गुरु, जो अयोध्या से एक विशेष विमान से गए थे, (जबकि यह सच नहीं था) उन्होंने आधे घंटे की बैठक में प्रधानमंत्री को बता दिया है कि मंदिर निर्माण के प्रयासों से विश्व हिंदू परिषद को बाहर रखना असंभव है।

27 जुलाई, 1992 को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपने बयान में विवादित ढाँचे को मस्जिद कहा। उन्होंने अपनी अपील को दोहराया कि मंदिर का निर्माण मस्जिद के साथ छेड़छाड़ किए बिना किया जाए।

अयोध्या आंदोलन को तोड़ने के लिए नरसिंह राव ने चंद्रास्वामी से लेकर महंत सेवादास तक और शंकराचार्य शांतानंद महाराज तक जो कोशिशें कीं, उनका कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा, तो संतों पर दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने नरेश चंद्रा कमेटी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को रोक लिया। क्योंकि नरेश चंद्रा कमेटी के सबूतों के सामने आने से विवाद का समाधान हो सकता था।

नरेश चंद्रा की अगुवाई में एक विशेष प्रकोष्ठ प्रधानमंत्री दफ्तर में बना था, जिसने मामले में कुछ साक्ष्य

जमा किए थे—मसलन, यह तथ्य कि विवादित ढाँचा एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इस्लामिक शरीयत में मस्जिदों को खाली करने, तोड़ने और उसे हटाने की इजाजत है। इस्लामी देशों में जहाँ मस्जिदों को खाली करने, तोड़ने और उसे हटाने की घटना होती है, उन्हें उसकी वजह पता होती है। सरकार को लगा कि इस साक्ष्य का खुलासा करना ठीक नहीं है।

अपनी योजना में कामयाबी न मिलते देख प्रधानमंत्री हताशा की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी लाइन बदलने लगी, विवादित ढाँचे को वे मस्जिद कहने लगे। 27 जुलाई, 1992 को एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपने बयान में विवादित ढाँचे को मस्जिद कहा। उन्होंने अपनी अपील को दोहराया कि मंदिर का निर्माण मस्जिद के साथ छेड़छाड़ किए बिना किया जाए। 29 जुलाई, 1992 को लोकसभा में भी अपने बयान के दौरान नरसिंह राव ने मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया। 15 अगस्त, 1992 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, “हम अयोध्या में मंदिर चाहते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं तोड़ी जानी चाहिए।” जिस दबाव में वे मस्जिद का नाम बार-बार ले रहे थे, उससे बीजेपी से उनकी कटुता बढ़ने लगी। अब तक नरसिंह राव के साथ बीजेपी मिल-जुलकर काम कर रही थी। नरसिंह राव और बीजेपी में एक खास तरह की समझदारी थी। खास तौर पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, भारतीय जनता पार्टी ने नरसिंह राव और उनकी

सरकार को भरपूर सार्थक सहयोग दिया। यहाँ तक कि इस सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही हितों की परवाह करना छोड़ दिया।

लेकिन अब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। जुलाई 1992 की कारसेवा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से बातचीत की थी। जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रो. राजेंद्र सिंह शामिल थे। जबकि नवंबर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व से दूरी बनाकर रखी। इसके पीछे राजनीतिक वजहें हो सकती हैं।

लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने नरसिंह राव को लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे काबिल प्रधानमंत्री बताया था, उन्होंने भी स्टॉक घोटाले और सोलंकी बोफोर्स घोटाले के बाद प्रधानमंत्री से इस्तीफा माँगा।

बीजेपी से उनकी बढ़ती दूरी की सबसे बड़ी वजह थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह बिना नाम लिये प्रधानमंत्री पर लगातार हमले कर रहे थे। उनका आरोप था, नरसिंह राव बीजेपी के प्रति नरम हैं। उन्होंने कांग्रेस में उन लोगों का एक ग्रुप बना लिया था, जो अलग-अलग कारणों से नरसिंह राव से नाराज थे। प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी, जो परंपराओं से अलग जाकर मुख्य विपक्षी पार्टी

होने के बावजूद सरकार का समर्थन कर रही थी। वह भी प्रधानमंत्री पर हमलावर हुई। बीजेपी ने अक्तूबर से नरसिंह राव के खिलाफ आक्रामक होना शुरू कर दिया था। लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने नरसिंह राव को लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे काबिल प्रधानमंत्री बताया था, उन्होंने भी स्टॉक घोटाले और सोलंकी बोफोर्स घोटाले के बाद प्रधानमंत्री से इस्तीफा माँगा। फिर 6 नवंबर, 1992 को भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक बयान के साथ आई कि नरसिंह राव देश के लिए एक राष्ट्रीय आपदा हैं और उसे गिरा देना चाहिए।

इसके बाद माहौल पहले जैसा नहीं रह पाया। यह रिश्ता इस कदर बिगड़ गया कि 18 नवंबर, 1992 को नरसिंह राव आखिरी बार लालकृष्ण आडवाणी से मिले। कारसेवा के सबसे निर्णायक दौर में प्रधानमंत्री का आडवाणी के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं था। वे विनय कटियार से बातें करते थे। आडवाणी के मुताबिक, इसकी एक और वजह हो सकती थी। प्रधानमंत्री को शायद यह सलाह दी गई कि चूँकि अब अयोध्या आंदोलन को लेकर निर्णायक मुकाबले को टाला नहीं जा सकता है। तो क्यों न चुनाव के कुछ समय पहले दूरी बनाने के बजाय अभी से दूरी बनाई जाए।

आडवाणी मानते थे कि अगर किसी व्यक्तिगत वजह से प्रधानमंत्री ने उनसे दूरी बनाई है तो भी काम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने अटल बिहारी

वाजपेयी को सुझाव दिया कि वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। वाजपेयी प्रधानमंत्री से मिले भी, लेकिन आडवाणी के मुताबिक जैसी आशंका थी, उस मुलाकात का भी कोई नतीजा नहीं निकला।

इन घटनाओं से इतना तो साफ था कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या आंदोलन का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री अपनी तीक्ष्ण रणनीति के जरिए यह आभास कराना चाहते थे कि वे तो शांति स्थापित करने की दिशा में लगे हुए हैं। पर उन्हें बीजेपी का सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ उन परिस्थितियों का जिक्र भी जरूरी है, जिनकी वजह से 30-31 अक्तूबर, 1992 को कारसेवा का ऐलान हुआ। दरअसल, 30-31 अक्तूबर को कारसेवा का ऐलान कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। जुलाई 1992 में जिस दिन कारसेवा स्थगित हुई थी, उसी दिन विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवकों से कहा था कि अब नवंबर में कारसेवा फिर शुरू होगी।

कारसेवा के ऐलान के पीछे ऐसी कुछ वजहें थीं, जिनसे लगने लगा कि अब प्रधानमंत्री बातचीत से कोई रास्ता निकालना नहीं चाहते। मसलन जुलाई 1992 में संतों के साथ हुई बातचीत के बाद प्रधानमंत्री का सुर यकायक बदल गया और वे अपने किए गए वायदों से मुकर गए। विश्व हिंदू परिषद-ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच बातचीत शुरू कराने में बगैर किसी कारण के जानबूझकर देरी की गई। प्रधानमंत्री का अलग-

अलग लोगों से तैयार किए गए प्रस्तावों पर लगातार बातचीत करना और फिर सभी से पल्ला झाड़ लेना, यानी उनका टालू रवैया। प्रधानमंत्री का परोक्ष और अपरोक्ष तौर पर अयोध्या आंदोलन के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करना। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की गई विशिष्ट समिति द्वारा एकत्र किए साक्ष्यों को सार्वजनिक करने और उनकी सहायता से विवाद के समाधान की बजाय उस पर चुपचाप बैठे रहना। इन तथ्यों और परिस्थितियों ने संतों और विश्व हिंदू परिषद को कारसेवा की आखिरी तारीख का ऐलान करने को मजबूर कर दिया। 30-31 अक्तूबर को धर्मसंसद थी। इसमें कोई पाँच हजार संतों ने हिस्सा लिया। इसी में 6 दिसंबर, 1992 से कारसेवा को शुरू करने का ऐलान हुआ। संत और विहिप 2.77 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि हाईकोर्ट में 3 नवंबर, 1992 को सुनवाई खत्म हो गई थी। फैसला सुरक्षित रखा गया था। सभी को उम्मीद थी कि 6 दिसंबर से पहले फैसला आ जाएगा।

पेंच यहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 1992 में ही हाईकोर्ट से कहा था कि फैसला जल्दी करे। अयोध्या आंदोलन से जुड़े नेताओं ने कोर्ट से अपील की कि वे अपना फैसला पूरा नहीं तो कम-से-कम 'ऑपरेटिव हिस्सा' ही सुना दें। बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार से गुजारिश की थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए

हाईकोर्ट को यह निर्देश दिलवाए कि वह फैसला 6 दिसंबर से पहले करे, जिससे कारसेवा शुरू हो सके। नवंबर के पूरे महीने बैठकों का दौर चलता रहा। इन बैठकों में अयोध्या आंदोलन से जुड़े अलग-अलग नेता और राव सरकार के मंत्री शामिल रहे। ऐसा कोई दिन नहीं बीता, जब शीर्ष स्तर पर बात न हुई हो। पर नतीजा वही ढाक के तीन पात। सिलसिलेवार अगर हम इन बैठकों का ब्योरा देखें तो नरसिंह राव का टालू रवैया साफ पता चलता है।

- 2 नवबंर, 1992 को मुंबई में केंद्रीय मंत्री शरद पवार और पी.आर. कुमार मंगलम की आरएसएस नेता राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) और मोरोपंत पिंगले से बात हुई। इस बैठक में भैरोंसिंह शेखावत भी शामिल थे।
- 6 नवंबर, 1992 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद से बात हुई। यह बातचीत बेनतीजा रही।
- 12 नवंबर, 1992 को नरसिंह राव और लालकृष्ण आडवाणी की फिर बैठक हुई। मुद्दा था कि हाईकोर्ट का सुरक्षित फैसला कैसे जल्दी आए।
- 17 नवंबर, 1992 को गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण और लालकृष्ण आडवाणी की फिर बैठक हुई। कोई रास्ता नहीं निकला।
- 18 नवंबर, 1992 को नरसिंह राव और लालकृष्ण आडवाणी दुबारा इसी सवाल पर मिले। नरसिंह राव के बार-बार अपनी बात से मुकरने से आडवाणी खफा। इन

दोनों की ध्वंस से पहले यह अंतिम मुलाकात थी।

• 19 नवंबर, 1992 को नरसिंह राव और कल्याण सिंह की बैठक दिल्ली में हुई। इसमें भी बात आगे नहीं बढ़ी।

• 20 नवंबर, 1992 को नरसिंह राव और प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) आपस में मिले।

• 25 नवंबर, 1992 को नरसिंह राव ने दिल्ली बुला महंत परमहंस रामचंद्रदास से बात की। महंत ने उन्हें टका सा जवाब दिया कि वे विहिप को नहीं छोड़ेंगे।

• 30 नवंबर, 1992 को नरसिंह राव की नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रतीकात्मक कारसेवा पर सहमति बनी। तय हुआ कि कारसेवा तो होगी, पर अदालती झंझटों से बचते हुए। अगर अदालत का फैसला आ जाए तो कारसेवा वैधानिक हो जाए।

• 3 दिसंबर, 1992 को नरसिंह राव और प्रो. राजेंद्र सिंह फिर मिले। बैठक में तीन सूत्री फॉर्मूले पर सहमति थी।

• 5 दिसंबर, 1992 को नरसिंह राव नानाजी देशमुख से दुबारा मिले। यह बैठक आपसी विश्वास की बहाली के लिए थी।

इन सभी बैठकों का जिक्र करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सारी मुलाकातों में आंदोलन के नेताओं ने सिर्फ एक बात की गुजारिश की—उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र

सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से मामले में तेजी लाने को कहें; बल्कि 18 नवंबर, 1992 को आडवाणी, 19 नवंबर, 1992 को कल्याण सिंह, 20 नवंबर, 1992 और 3 दिसंबर को प्रो. राजेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि 6 दिसंबर, 1992 से पहले भले ही पूरा फैसला न सुनाया जाए, लेकिन उसका क्रियात्मक (ऑपरेटिव) हिस्सा सुना दिया जाए। यह अपील इस आधार पर की जा रही थी कि फैसले के क्रियात्मक (ऑपरेटिव) हिस्से के खिलाफ जाने की सूरत में भी कारसेवा शांतिपूर्वक और नियमों के साथ की जा सकेगी।

5 दिसंबर, 1992 को नरेश चंद्रा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या प्रकोष्ठ के प्रमुख थे, ने कहा कि वे ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं कि आज ही उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुजारिश करे कि फैसले के क्रियात्मक (ऑपरेटिव) हिस्से को सुनाया जाए। केंद्र सरकार के वकील इसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदन की अर्जी दी तो केंद्र सरकार के वकील कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर की गई अर्जी तुरंत खारिज हो गई। इससे केंद्र सरकार के खिलाफ शक का माहौल बना। परस्पर अविश्वास बढ़ा।

24 नवंबर, 1992 को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कारसेवा गैरकानूनी है और केंद्र सरकार कोर्ट के

आदेश का पालन करेगी।

अयोध्या मुद्दे पर इकलौता संवेदनशील सुझाव यही था कि विवादित ढाँचे को कारसेवा से अलग कर दिया जाए। विवादित ढाँचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ किए बिना निर्माण की मंजूरी दी जाए। लेकिन यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूर नहीं हुआ, इससे भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हुए। प्रधानमंत्री चाहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 138(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने की सहमति दे। बीजेपी ने साफ कह दिया था कि वह 138(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार चाहे तो अनुच्छेद 143 के तहत न्यायिक सलाह ले सकती है। अनुच्छेद 138(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी होती और 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह महज सलाह।

प्रधानमंत्री ने बातचीत के साथ ही यह लाइन 10 नवंबर के बाद ले ली थी कि वे कारसेवा नहीं होने देंगे। 23 नवंबर, 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद ने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को हालात से निपटने के लिए स्वतंत्र फैसला लेने को कहा। 24 नवंबर, 1992 को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कारसेवा गैरकानूनी है और केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी।

इसी दिन अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि वह कुछ करे, क्योंकि अगले दो दिन बहुत महत्त्वपूर्ण रहने वाले हैं। कोर्ट ने कुछ भी करने से मना कर

दिया। अखबारों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को अयोध्या भेजे जाने की खबरें छपने लगीं। 25 नवंबर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विवादित परिसर पर 'रिसीवर' नियुक्त करने से मना कर दिया। 27 नवंबर तक राज्य सरकार की जानकारी के बिना केंद्रीय सुरक्षा बलों की 135 टुकड़ियाँ अयोध्या पहुँच चुकी थीं। राज्य सरकार की बर्खास्तगी के प्रयासों के बीच उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया। उन्हें यह समझाया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल फैसला दिया तो वे राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करें। राज्यपाल कुछ होने से पहले राज्य सरकार की बर्खास्तगी के खिलाफ थे। राज्यपाल बी. सत्यनारायण रेड्डी पुराने समाजवादी थे। हालाँकि वे तेलुगु देशम में शामिल हो चुके थे। पर वे केंद्र की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे।

विवादित ढाँचे के आस-पास की जमीन को शासकीय भूमि बताने वाला बोर्ड। फोटो : मनमोहन शर्मा

कारसेवा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र एवं विनय कटियार। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवकों को भाषण देती राजमाता विजयराजे सिंधिया। फोटो : राजेंद्र कुमार

किसी की भी बात न सुनने को आमादा कारसेवक। फोटो : राजेंद्र कुमार

अपील के बावजूद गुंबद पर पीछे से चढ़ते कारसेवक। ध्वंस की शुरुआती तस्वीर। फोटो : महेंद्र त्रिपाठी

इस बीच प्रधानमंत्री ने बजरंग दल के नेता और फैजाबाद के सांसद विनय कटियार से पूछा कि क्या कानून का उल्लंघन किए बिना कारसेवा करने का कोई विकल्प है, जिससे प्रधानमंत्री को कुछ दिन का समय और मिल सके। कटियार ने कहा, 'हाँ, चबूतरे का एक हिस्सा ऐसा है, जो 2.77 एकड़ जमीन से बाहर है। जहाँ पहले

पुलिस चौकी थी। निर्माण कार्य वहाँ से शुरू किया जा सकता है।' 28 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कह दिया कि उस हिस्से में भी कारसेवा न होने दी जाए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। पर अटॉर्नी जनरल उस योजना के बारे में कैसे जान सकते थे, जिसे विनय कटियार ने भरोसे के साथ सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ साझा किया गया था। विहिप का कहना था कि प्रधानमंत्री ने यह जानकारी सिर्फ इसलिए ली थी कि कारसेवा के सभी विकल्पों को बंद किया जा सके, ताकि अयोध्या आंदोलन की विश्वसनीयता को झटका लगे। सरकार द्वारा बातचीत के साथ ही टकराव के अंतिम चरण की रणनीति भी तैयार हो रही थी। केंद्र सरकार के आचरण में भी उनकी रणनीति दिखलाई पड़ रही थी।

आडवाणी ने अपनी यात्रा वाराणसी से और जोशी ने मथुरा से शुरू की। इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला। यह यात्रा कारसेवा को संगठित करने से कहीं ज्यादा केंद्र सरकार की मंशा के खुलासे कर रही थी।

जब यह बात साफ हो गई कि केंद्र सरकार ने टकराव का मन बना लिया है। तब बीजेपी ने तय किया कि वह लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को रथयात्रा के लिए भेजेगी। दोनों नेता जाकर कारसेवकों और आम लोगों के सामने अपनी पार्टी के संकल्प और

केंद्र सरकार की चालबाजी को रखेंगे। आडवाणी ने अपनी यात्रा वाराणसी से और जोशी ने मथुरा से शुरू की। इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिला। यह यात्रा कारसेवा को संगठित करने से कहीं ज्यादा केंद्र सरकार की मंशा के खुलासे कर रही थी। माहौल 'चार्ज' था। इस यात्रा में लोगों का इतना समर्थन मिल रहा था कि यात्रा के तीसरे दिन इन दोनों नेताओं को अपील करनी पड़ी कि कारसेवक अब अयोध्या की यात्रा को टालें, क्योंकि अयोध्या में कारसेवकों का हुजूम पहले ही जमा हो चुका था।

कारसेवा 6 दिसंबर, 1992 से अगले 18 दिन तक के लिए 'प्लान' की गई थी। आयोजकों ने कारसेवकों के आने की संख्या को इस तरह योजनाबद्ध किया था कि 18 दिन तक उनका फैलाव रहे। लेकिन अखबारों में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की आपातकालीन योजना की खबरें पढ़कर वे कारसेवक भी पहले ही अयोध्या पहुँच गए, जिन्हें बाद में आना था। 4 दिसंबर, 1992 तक करीब 75,000 कारसेवक अयोध्या पहुँच चुके थे। विश्व हिंदू परिषद को अपील करनी पड़ी कि कारसेवक जहाँ हैं, वहीं रुक जाएँ। अयोध्या की तरफ न आएँ। फिर भी कारसेवकों का आना जारी रहा।

विवादित ढाँचे का ध्वंस एक बेकाबू और अचानक पैदा हुई भावनाओं का नतीजा था, जिसे रोकना संभव ही नहीं था। इसके पीछे की वजह थी, अयोध्या मुद्दे की संवेदनशीलता को समझे बिना सरकार ने उसे भारतीय

जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पार्टीगत विवाद के तौर पर देखा। नरसिंह राव सरकार उस वक्त, जबकि उसे जबरदस्त आपसी समझ और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, चालबाजी और अहंकार से भरी रही। प्रधानमंत्री ने इस बात को छुपाने की कोशिश की कि जो कुछ हुआ, उसके पीछे वे स्वयं थे। अब यह बहस बेमानी है कि ध्वंस की जानकारी किसे थी, किसे नहीं थी। पर इतना तो तय है कि खुफिया एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं थी। सरकार और अदालतों का लुका-छुपी का खेल मूल मुद्दे से केंद्र सरकार का उदासीन रवैया विवादित ढाँचा केंद्र और राज्य सरकार के बीच परस्पर अविश्वास की भेंट चढ़ गया। विहिप और संघ के नेताओं की मानसिक स्थिति पढ़ मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा ही था कि ध्वंस पूर्वनियोजित नहीं था। बाद में गृहमंत्री एस.बी. चह्वाण ने भी लोकसभा में कहा कि ध्वंस की कार्रवाई पूर्वनियोजित नहीं थी।

आप इतिहास की व्याख्या को बदल सकते हैं, पर इतिहास को नहीं बदल सकते। कांग्रेस भी उसी इतिहास का हिस्सा है, जो बाबरी ढाँचे के ध्वंस और राममंदिर के निर्माण की समस्त स्थितियों का निर्माण करती है।

अयोध्या में 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, वह सदियों से दबे हुए आक्रोश का ऐतिहासिक उबाल था। मगर यह आक्रोश एक दिन में इतना विराट नहीं हो गया था कि वह हिंदू धर्म के आदर्शों को ही बौना कर दे। इसे खाद-पानी

देने वाली राजनीति मौके-बेमौके इसकी जड़ों को गहरा करती रही थी। आक्रोश के इस उबाल के साझीदार वे तो थे ही, जो खुलेआम रामनामी ओढ़कर इस यात्रा के साक्षी बने थे; लेकिन उनकी भूमिका भी कम नहीं थी, जो अपने गेरुए अंतर्वस्त्रों पर अवसरवाद की खादी चढ़ाकर नेपथ्य में सक्रिय थे। बीजेपी की स्थिति उस सेना की तरह थी, जो किला फतह सिर्फ इसलिए कर सकी, क्योंकि किले के चौकीदारों ने ऐन मौके पर दरवाजे खोल दिए। ये चौकीदार कोई और नही, केंद्र की कुरसी पर काबिज कांग्रेस सरकार के ताकतवर नेता थे। आप इतिहास की व्याख्या को बदल सकते हैं, पर इतिहास को नहीं बदल सकते। कांग्रेस भी उसी इतिहास का हिस्सा है, जो बाबरी ढाँचे के ध्वंस और राममंदिर के निर्माण की समस्त स्थितियों का निर्माण करती है। लेकिन अपनी पहचान अचेतन में सुरक्षित रखना चाहती है। यही वजह है कि जितना जरूरी ध्वंस की घटनाओं को समझना है, उससे भी ज्यादा जरूरी ध्वंस के पीछे की शातिर राजनीति की पहचान करना है। यह अध्याय इसी कोशिश को पाठकों तक पहुँचा सकने की यात्रा है। यह यात्रा हालाँकि अतीत की गलियों से गुजरती है, मगर इसकी नसीहत वर्तमान और भविष्य की दीवारों पर चस्पाँ है। अयोध्या में जो कुछ घटा, वह महज बीते हुए कल का आईना नहीं, बल्कि बीतते वक्त में राजनीति की करवट की पहचान भी है। अयोध्या में जो कुछ हुआ, वह न तो इस राजनीति का अंत है, न उपसंहार। देखिए, तीस

साल बाद कांग्रेस भी उसी रास्ते पर है। वोट की खातिर राहुल गांधी को मंदिर-मंदिर भटकना पड़ रहा है—अयोध्या राजनीति के घात-प्रतिघात और अवसरवाद की एक यात्रा है—अनंत यात्रा!!

ध्वंस की तैयारी में कारसेवक। फोटो : राजेंद्र कुमार

3.

कारसेवा

दुनिया का माहौल बदल रहा था। इसी साल अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में काट बाहर आए थे। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के नक्शे पर नासूर बन गए जर्मनी के दो हिस्से इसी साल वापस जुड़ गए। जर्मनी 25 साल बाद एक हो गया। इन दोनों घटनाओं से दुनिया में उम्मीद का माहौल बनने लगा था। लगा, साल 1990 में अयोध्या कांड का भी सुखांत होगा। केंद्र और राज्य में जनता दल की सरकारें बन चुकी थीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार तो बीजेपी के समर्थन से ही चल रही थी। अब रास्ता निकलने की संभावना दिखने लगी थी। पर हुआ इसका ठीक उलटा। अयोध्या के सवाल पर जितनी दूरी विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में थी, उससे ज्यादा दूरी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच थी। परस्पर अविश्वास, धोखाधड़ी और षड्यंत्रों की बुनियाद पर दोनों के संबंध खड़े थे।

संगीनों के साए में रामलला। फोटो : राजेंद्र कुमार

उस दौर में मुलायम सिंह यादव से मेरी काफी निकटता थी। वे अकसर निजी और गोपनीय बातों पर भी मेरे साथ चर्चा करते थे। उनका मानना था कि वी.पी. सिंह मंदिर के बहाने मेरी सरकार को गिराने में लगे हैं, हर रोज मेरे खिलाफ नए षड्यंत्र करते हैं। वे आशंकित थे कि प्रधानमंत्री साधु-संतों से बातचीत के बहाने उन्हें बुलाते हैं और मुलायम सिंह के खिलाफ भड़काते हैं। मुलायम सिंह और वी.पी. सिंह के बीच दूरी बनाने में अजीत सिंह की अहम भूमिका थी। पर वह कहानी कभी और। अयोध्या को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह पर बीजेपी का जबर्दस्त दबाव था। क्योंकि इस मुद्दे पर दो सीटों से 85 सीटों तक का उछाल बीजेपी को मिला था। इससे बीजेपी और सहयोगी संगठनों का उत्साह चरम पर था। वी.पी. सिंह सरकार ने जब अयोध्या पर झगड़ रहे कट्टरपंथियों से बातचीत का सिलसिला शुरू किया, तो मुलायम सिंह यादव ने उनसे टकराव की नीति अपना ली। एक बातचीत

में वी.पी. सिंह ने मुझे बताया था कि एक बार जब वे अयोध्या पर समझौते के पास पहुँचने वाले थे, तब मुलायम सिंह यादव ने उन संतों को गिरफ्तार करवा दिया, जिनसे वे बात कर रहे थे। बाद में उन संतों को वी.पी. सिंह ने छुड़वाया।

उस दौर में मुलायम सिंह यादव से मेरी काफी निकटता थी। वे अकसर निजी और गोपनीय बातों पर भी मेरे साथ चर्चा करते थे। उनका मानना था कि वी.पी. सिंह मंदिर के बहाने मेरी सरकार को गिराने में लगे हैं, हर रोज मेरे खिलाफ नए षड्यंत्र करते हैं।

वी.पी. सिंह और मुलायम सिंह के बीच गहरे पाले खिंच गए थे। प्रधानमंत्री ने साधु-संतों से बातचीत के रास्ते इसलिए खोले, क्योंकि बीजेपी से टकराव उनकी सरकार के हित में नहीं था। बीजेपी के समर्थन से ही केंद्र की सरकार चल रही थी। केंद्र सरकार जानती थी कि टकराव से समस्या का समाधान तो नहीं ही होगा। लेकिन माहौल जस-का-तस बना रहा तो सरकार चलाना भी मुश्किल होगा। उधर वी.पी. सिंह से हिसाब चुकाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अतिवादी लाइन ली, वे बाबरी समर्थकों के पाले में चले गए।

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तीन संयोजकों में से एक आजम खाँ को उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री भी बनाया। दूसरे थे शफीक-उर-रहमान बर्क, जिनको उन्होंने अपनी पार्टी से सांसद बनाया, और तीसरे जफरयाब

जिलानी, जिन्हें कानूनी सलाह के लिए उन्होंने अपने साथ रखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ इस शीतयुद्ध में मुलायम सिंह यादव की पीठ पर हाथ चंद्रशेखर का था। जो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पिछड़ गए थे। चंद्रशेखर खरी-खरी कहने वाले समाजवादी थे, पर वी.पी. सिंह से उनकी कभी नहीं बनी। मुलायम सिंह यादव के 'बाबरी समर्थक स्टैंड' से उत्तर प्रदेश का मजहबी धुव्रीकरण तेज होता गया। समाज मंदिर और मस्जिद में बँट गया। स्थिति बिगड़ती चली गई। एक बार रास्ता निकालने के लिए बीजेपी की सहमति से केंद्र सरकार ने अयोध्या की विवादित जमीन के अधिग्रहण का अध्यादेश लागू किया, तो मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह ने ऐलान किया कि वे इसे लागू नहीं होने देंगे। अविश्वास और संवादहीनता दोनों में इस हद तक थी।

मंदिर आंदोलन को लेकर साधु-संतों का केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल काफी सक्रिय रहा। फोटो : पवन कुमार

विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे सीधे और सपाट दिखते थे, वैसे थे नहीं। वे चालाक नेता थे। वे एक ही साथ विहिप से

जुड़े साधु-संतों से भी बात कर रहे थे और दूसरी तरफ उन धर्माचार्यों के भी संपर्क में थे, जो विहिप के खिलाफ थे। और दोनों समूहों से बातचीत वे उ.प्र. के मुख्यमंत्री से छुपाकर कर रहे थे। इन साधुओं से उनके संपर्क का जरिया थे संतोष भारतीय, जो तब पत्रकार से सांसद बन चुके थे। वे प्रधानमंत्री के लिए गैर-बीजेपी रास्ते ढूँढ़ने में लगे थे। साधु-संतों में एक बड़ी जमात थी, जो विश्व हिंदू परिषद के साथ नहीं थी। संतोष भारतीय उन्हीं में संभावनाएँ ढूँढ़ रहे थे।

विहिप ने चार महीने का वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया। कारसेवा टालने की घोषणा हुई। वी.पी. सिंह बताते थे कि जब मैं साधु-संतों से अपने घर 28 लोधी स्टेट में बात कर रहा था, उसी वक्त अंदर जा मैंने अपने हाथ से कारसेवा टालने की एक अपील लिख विहिप नेताओं को दी। मेरी अपील का असर हुआ और संतों से चार महीने का वक्त मिला। वी.पी. सिंह ने बताया, "पर जिन संतों से मैं बात कर रहा था, उन्हें ही मुलायम सिंह ने बाद में गिरफ्तार करवा लिया।

इस बीच 27 और 28 जनवरी को इलाहाबाद में संगम के किनारे विहिप समर्थक संतों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए 14 फरवरी से कारसेवा का ऐलान हुआ। इस ऐलान से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई। मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले पूर्व

न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल प्रधानमंत्री से बात करने दिल्ली गए। प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के दूसरे नेताओं को भी दिल्ली बुलाया। सात फरवरी को महंत अवेद्यनाथ, महंत नृत्यगोपालदास, अशोक सिंघल, देवकीनंदन अग्रवाल, विष्णु हरि डालमिया, एस.सी. दीक्षित, गुमानमल लोढ़ा और प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह से मिले। परिषद नेता कारसेवा करने की अपनी बात पर अड़े रहे। रामचंद्र परमहंस ने विहिप नेताओं से प्रधानमंत्री को और वक्त देने पर राजी किया। वी.पी. सिंह ने इन नेताओं से निवेदन किया कि पहले कारसेवा टालिए। फिर एक कमेटी बनाई जाए, जो आपस में संवाद कायम करे।

विहिप ने चार महीने का वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया। कारसेवा टालने की घोषणा हुई। वी.पी. सिंह ने एक साक्षात्कार में बताया कि जब मैं साधु-संतों से अपने घर 28 लोधी स्टेट में बात कर रहा था, उसी वक्त अंदर जा मैंने अपने हाथ से कारसेवा टालने की एक अपील लिख विहिप नेताओं को दी। मेरी अपील का असर हुआ और संतों से चार महीने का वक्त मिला। वी.पी. सिंह ने बताया, “पर जिन संतों से मैं बात कर रहा था, उन्हें ही मुलायम सिंह ने बाद में गिरफ्तार करवा लिया। जिससे बात बनने की जगह बिगड़ गई। बड़ी मशक्कत के बाद उन संतों को मुझे ही छुड़वाना पड़ा।”

“मेरे सामने समस्या थी कि मसले का हल कैसे निकले। ऐसे मामले सुलझाने का जरिया अदालत हो

सकती थी। पर साधु-संत इस बात पर अड़े थे कि वे अदालत की नहीं सुनेंगे। यह आस्था का सवाल है। जिसका फैसला तर्क से नहीं हो सकता है।" वी.पी. सिंह ने उनसे कहा, "पर मुझे तो संविधान के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से बात करने के लिए मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडीस और मुख्तार अनीस की एक कमेटी बना दी।" मधुजी और जॉर्ज वी.पी. सरकार में मंत्री थे। जबकि सीतापुर के लोहियावादी नेता मुख्तार अनीस मुलायम सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। अनीस शिया नेता थे, इसलिए भी बाबरी कमेटी वाले उनकी गिनती नहीं करते थे।

वी.पी. सिंह ने कहा, "मैंने जानबूझकर इस कमेटी में मुलायम सिंह यादव को नहीं रखा। मैंने गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी नहीं रखा था, क्योंकि इन दोनों को अंतिम फैसला लेना था। अगर ये दोनों संवाद में उलझ गए तो अंतिम फैसला कौन लेता?" लेकिन मुलायम सिंह ने इसको गलत समझा और मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुलायम सिंह यादव को मेरे विरोधियों ने यह समझाया कि प्रधानमंत्री इस मामले में आपको किनारे कर फैसले ले रहे हैं, ताकि आपकी सरकार को गिराने में आसानी हो। वी.पी. सिंह इस बात से परेशान रहते थे कि मुलायम सिंह ने यह झूठी बात उनके कई सहयोगियों से शिकायत के तौर पर कही।

प्रधानमंत्री गंभीरता से सुलह-सफाई के काम में लगे

थे। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से भी मदद माँगी और बातचीत में कड़ी बनने के लिए उनसे आग्रह किया। आडवाणी ने यह कहते हुए मना किया कि मंदिर निर्माण उनकी पार्टी के एजेंडे में नहीं है। उन्होंने वी.पी. सिंह से कहा कि वे विश्व हिंदू परिषद से सीधे बात करें। प्रधानमंत्री पद से हटने के तीन साल बाद वी.पी. सिंह बीमार रहते थे। हर दूसरे रोज उनकी 'डायलसिस' होती थी। पर उनकी जिजीविषा अद्भुत थी। जिस रोज 'डायलसिस' नहीं होती थी, उस दिन वे अपने दौरे रखते थे। मेरी मुलाकात उनके आवास पर 1 राजाजी मार्ग पर कई बार हुई। आजकल यहाँ उनकी पत्नी सीता सिंह रहती हैं। वी.पी. सिंह स्मृतियों पर जोर डाल बताते थे कि मैंने मंत्रियों की जो समिति बनाई थी, उसने कई बैठकें कीं। उन बैठकों में बाबरी कमेटी के नेता इस बात पर राजी हो गए थे कि अदालत में रोज-रोज सुनवाई हो। हम ज्यादा गवाह नहीं पेश करेंगे। उन्होंने लिखकर दिया कि अदालत का जो फैसला होगा, उसे हम मानेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर विश्व हिंदू परिषद बिदक गई। उनकी नई दलील थी कि वे अदालत का फैसला नहीं मानेंगे।

परिषद के रवैये में यह नाटकीय परिवर्तन था। इसके कुछ महीने पहले ही विहिप ने यह भरोसा दिलाया था कि अगर शिलान्यास होने दिया जाए, तो उसे अदालत का फैसला स्वीकार्य होगा। यह वादा परिषद ने 7 नवंबर, 1989 को हुई एक बैठक में दिया था। जिसमें उत्तर प्रदेश

के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह भी मौजूद थे। और सभी के बीच एक करार हुआ था। वी.पी. सिंह ने कहा, "वह दस्तावेज सरकार के पास था। मैंने संतों के एक प्रतिनिधिमंडल को उसे दिखाया। हमारी योजना यह थी कि जो संत विहिप में नहीं हैं और जो मुस्लिम नेता बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में नहीं हैं, वे बातचीत के जरिए हल निकालें, ताकि बातचीत पूर्वग्रह से मुक्त रहे। इस बातचीत में हरिद्वार से भी कुछ संत आए थे। मैंने उन लोगों से कहा कि इस समझौते को देखने के बाद आप जो भी कहेंगे, उसे मैं प्रधानमंत्री के रूप में मानने के लिए तैयार हूँ। उन संतों ने उस करारनामे को पढ़कर आश्चर्य जताया और कहा कि हमें यह तो मालूम ही नहीं था। ऐसा कुछ विहिप ने लिखकर दिया है।

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियाँ और उपाध्यक्ष कल्बे सादिक की सक्रिय भूमिका रही। फोटो : पवन कुमार

इसी दौरान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कृष्णकांत और

बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम इस संकट को सुलझाने के लिए प्रकट होते हैं। उन दोनों ने प्रधानमंत्री से पूछा कि अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों इस मामले को सुलझाने में प्रयास शुरू करें। वी.पी. सिंह के मुताबिक मेरे हाँ कहने पर वे कांचीपुरम के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और मुस्लिम स्कॉलर अली मियाँ से मिले। हल निकल आने की आशा बनी। वे लोग काफी आगे बढ़ गए। कांचीपुरम के शंकराचार्य और अली मियाँ इस नतीजे पर पहुँचे थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की एक समिति बना दी जाए। समिति की सिफारिश आने तक 'यथास्थिति' बनाए रखी जाए। इस समिति की सिफारिश को सरकार लागू करवाए।

अली मियाँ ने इसका उर्दू अनुवाद किया था। इसी किताब में मौलाना ने हिंदुस्तान में जो सात मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गईं, उनका जिक्र किया था। जिसमें एक बाबरी मस्जिद भी थी। इस किताब में 'हिंदुस्तान की मस्जिदें' अध्याय में बाबरी मस्जिद के बाबत कहा गया था, 'इसकी तामीर बाबर ने अयोध्या में की। जिसे हिंदू रामचंद्र जी का जन्मस्थान कहते हैं। बिल्कुल उसी जगह बाबर ने यह मस्जिद बनवाई।'

'अली मियाँ' यानी मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामी परंपरा के अंतरराष्ट्रीय विद्वान थे। वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। रायबरेली के तकिया

गाँव के रहने वाले अली मियाँ दारुल-उलमू
नदवतुल-उलेमा के प्राचार्य थे। अद्भुत विद्वान, विनम्र और संत पुरुष। अली मियाँ से मैं कई बार उनके घर पर मिला था। मौलाना के अब्बा जान मौलाना हकीम अब्दुल हई भी नदवतुल-उलेमा के हाकिम रह चुके थे। उन्होंने एक किताब अरबी में लिखी थी, 'हिंदुस्तान इस्लामी अहमदे'। अली मियाँ ने इसका उर्दू अनुवाद किया था। इसी किताब में मौलाना ने हिंदुस्तान में जो सात मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गईं, उनका जिक्र किया था। जिसमें एक बाबरी मस्जिद भी थी। इस किताब में 'हिंदुस्तान की मस्जिदें' अध्याय में बाबरी मस्जिद के बाबत कहा गया था, 'इसकी तामीर बाबर ने अयोध्या में की। जिसे हिंदू रामचंद्र जी का जन्मस्थान कहते हैं। बिल्कुल उसी जगह बाबर ने यह मस्जिद बनवाई।'

इंडियन एक्सप्रेस के तब के संपादक अरुण शौरी को किसी ने उस वक्त इस किताब का संदर्भ दिया। उस समय इस बात पर विवाद हो रहा था कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर तोड़कर बनाई गई या बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ कोई अन्य धार्मिक ढाँचा था। अरुण शौरी पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अली मियाँ के पिता की किताब से सबूत तो ले आए, पर उन्हें किताब नहीं मिली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताब थी, पर उन्हें दिखाई नहीं गई। मैं तब जनसत्ता के लखनऊ ब्यूरो में कार्यरत था। अरुण शौरी ने मुझसे कहा, किसी तरह किताब प्राप्त करो।

मैं अली मियाँ से मिला और उस अध्याय की फोटो कॉपी शौरी जी को भिजवाई। अरुण शौरी ने इस मुद्दे पर इंडियन एक्सप्रेस में एक शृंखला लिख डाली कि अब क्या सबूत चाहिए? यह तो मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के अध्यक्ष के पिता का लिखा है। खास बात यह थी कि अरुण शौरी का लेख छपते ही वह किताब दारुल उलूम-नदवतुल उलेमा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित सभी इस्लामी संस्थानों के पुस्तकालयों से गायब हो गई। अरुण शौरी ने इन किताबों के गायब होने पर भी कई खबरें लिखीं। बवाल आगे बढ़ता, पर तब तक इस विवाद का विमर्श ही बदल गया था। अब किसी को इस बात में रुचि नहीं थी कि वहाँ मस्जिद से पहले क्या था? यहाँ तक की सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। उसने भी इस सवाल पर अपनी राय देने से मना कर दिया। अब मुद्दा सिर्फ कारसेवा थी।

अरुण शौरी ने मुझसे कहा, किसी तरह किताब प्राप्त करो। मैं अली मियाँ से मिला और उस अध्याय की फोटो कॉपी शौरी जी को भिजवाई। अरुण शौरी ने इस मुद्दे पर इंडियन एक्सप्रेस में एक शृंखला लिख डाली, कि अब क्या सबूत चाहिए? यह तो मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के पिता ने लिखा है। खास बात यह थी कि अरुण शौरी का लेख छपते ही वह किताब दारुल उलूम-नदवतुल उलेमा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित सभी इस्लामी संस्थानों के पुस्तकालयों से गायब हो गई।

सोहलवीं शताब्दी में 'अष्टछाप' के कवि कुंभनदास ने लिखा था, 'संतन को कहाँ सीकरी सो काम। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम॥' यहाँ भी वही हो रहा था। दोनों तरफ की संत-परंपरा राजनेताओं के सोहबत में अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करने लगी थी। अली मियाँ ने अपने अब्बा हुजूर की किताब गायब करा दी। तो साधु-संतों ने तथ्यों को छुपा शिलान्यास विवादित जगह पर करा लिया था। वी.पी. सिंह ने यह भेद खोला।

कारसेवा के दौर में देश की राजनैतिक सोच क्या थी, इसके लिए मैं यहाँ दो चिट्ठियों को उद्‌धृत कर रहा हूँ। माकपा नेता हीरेन मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक अहम चिट्ठी लिखी। अटलजी ने इसका जवाब दिया। वह और भी महत्त्वपूर्ण है। अयोध्या के हालात के मद्देनजर इन दोनों चिट्ठियों को पढ़ना जरूरी है। ये दोनों ही चिट्ठियाँ मूल रूप में आप इस किताब के परिशिष्ट 'ये भी जरूरी है' में पढ़ सकते हैं।

अब वी.पी. सिंह के जरिए आगे की कहानी—

"जब मैंने दस्तावेज देखे तो पता चला कि शिलान्यास भी गैरकानूनी ढंग से हुआ है।" वी.पी. सिंह ने कहा, "मैंने वहाँ अफसरों की टीम भेजी। उसने मुआयना किया तो पता चला कि राजीव गांधी के समय जहाँ शिलान्यास हुआ था, वह विवादास्पद हिस्सा था। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि राजीव गांधी सरकार ने विवादास्पद क्षेत्र में शिलान्यास करवाया होगा। पर कागज इसकी गवाही दे रहे

थे। मेरी सरकार समाधान ढूँढ़ने की कोशिश में लगी रही।"
विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को रास्ता तलाशने के लिए चार महीने का वक्त तो दे दिया, पर इस दौरान उन्होंने देश का माहौल गरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या मुद्दे को जन-जन तक पहुँचाने के लिए इन चार महीनों तक चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की घोषणा भी कर दी गई। परिषद ने 9 अप्रैल से तेरह दिन की धर्मजागरण यात्रा का ऐलान किया, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने जिला मुख्यालयों पर मुसलमानों के सम्मेलन आयोजित किए।

सरकार को चैन से न बैठने देने का संकल्प दोनों तरफ था। अब इस विवाद के ठीक बीच में कूद पड़े द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। सभी जानते हैं स्वरूपानंदजी की पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी। वे विश्व हिंदू परिषद के आयोजनों के शुरू से खिलाफ रहते थे। उन्होंने यह कहकर सबकों चौंका दिया कि परिषद ने जो शिलान्यास कराया है, वह अशुभ महुर्त में था। इसलिए शास्त्रों के प्रावधानों के मुताबिक वे फिर से शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में एक और शिलान्यास का प्रबंध हुआ। 30 अप्रैल को फैजाबाद जाते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद को मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में गिरफ्तार कर शंकराचार्य को चुनार के किले में नजरबंद किया गया। मंदिर आंदोलन में किसी शंकराचार्य की यह पहली गिरफ्तारी थी। इस फैसले में जोखिम था, पर मुलायम सिंह सरकार ने अपने नफा-नुकसान का हिसाब

लगाकर ही ऐसा किया था। इस गिरफ्तारी से मुलायम सिंह यादव रातोरात धर्मनिरपेक्षता के नए 'चैंपियन' बन गए।

30 अप्रैल को फैजाबाद जाते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद को मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में गिरफ्तार कर शंकराचार्य को चुनार के किले में नजरबंद किया गया। मंदिर आंदोलन में किसी शंकराचार्य की यह पहली गिरफ्तारी थी।

मुलायम सिंह कोई छोटी बाजी नहीं खेल रहे थे। उनकी धर्मनिरपेक्षता की छवि को स्वरूपानंद की गिरफ्तारी की जरूरत थी। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने उन्हीं शंकराचार्य के अनुयायियों को 7 मई को शिलान्यास के लिए जन्मस्थान तक जाने की इजाजत भी दे दी। ऐसा होने से मंदिर आंदोलन पर विश्व हिंदू परिषद का एकाधिकार कमजोर होता था, क्योंकि स्वरूपानंद विश्व हिंदू परिषद की मुखालफत कर रहे थे। शंकराचार्य के 44 अनुयायी मंदिर निर्माण की नींव में लगने वाली चार ईंटें जया, नंदा, भद्रा और पूर्णा लेकर जन्मस्थान परिसर से कुछ दूर 'बड़ा स्थान' पर गिरफ्तार किए गए। शंकराचार्य ने इन ईंटों को पौराणिक नाम दिए थे।

गिरफ्तार होने वालों में राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी लालदास भी थे। वे सरकार की ओर से नियुक्त वेतनभोगी पुजारी थे। लालदास शुरू से विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ थे। वे लगातार मंदिर आंदोलन को 'फर्जी' बता, इसे

जन्मस्थान मंदिर पर कब्जे की साजिश बताते थे। लालदास बागी पुजारी थे, हमेशा लड़ने पर आमादा। उनका जन्म अयोध्या के पास श्रिंग्रिश गाँव के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। लालदास पुजारी बनने से पहले अयोध्या में कुछ दिनों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव भी थे, वे कोई संत नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा, "अयोध्या चंबल की घाटी की तरह हो गई है। जो कुछ मंदिरों में हो रहा है, उसकी सच्चाई का पता चल जाए तो आप नास्तिक हो जाएँगे।" लालदास का इस्तेमाल 'सेकुलर ब्रिगेड' अकसर करती थी। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी तो लालदास को पुजारी के पद से हटा दिया गया। 20 नवंबर, 1993 को अनजान हमलावरों ने पुजारी लालदास की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना था कि जमीन के किसी झगड़े में फँसने के कारण लालदास को जान से हाथ धोना पड़ा।

संतों और धर्माचार्यों से मिल-जुलकर समाधान ढूँढ़ने के लिए वी.पी. सिंह को जो चार महीने का वक्त मिला था, वह खत्म होने को था। कोई कारगर प्रस्ताव भी सामने नहीं आया था। वी.पी. सिंह और बीजेपी के संबंध अलौकिक किस्म के थे। वे बीजेपी के साथ रहना भी चाहते थे, पर साथ दिखना नहीं चाहते थे। बंद कमरे में होने वाली बैठकों में वे कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करते थे, पर सार्वजनिक रूप से वे पार्टी की आलोचना करते थे।

विश्वनाथ प्रताप सिंह कुटिल और दोहरे चरित्र वाले राजनेता थे। अपनी छवि के लिए वे किसी भी सिद्धांत की बलि देने को हमेशा तैयार रहते थे। उनकी धर्मनिरपेक्षता बीजेपी के साथ सीटों के तालमेल में आड़े आ रही थी। पर उनका सत्तालोभ बीजेपी से छुपे तौर पर 'सीट एडजेस्टमेंट' करना चाहता था।

चुनाव से पहले शिलान्यास को लेकर बीजेपी के प्रति उनका रवैया दोहरा था। इस मुद्दे पर वी.पी. सिंह और भारतीय जनता पार्टी में सार्वजनिक तकरार हो रही थी, पर साथ ही वी.पी. सिंह राजीव गांधी के खिलाफ बीजेपी से चुनावी तालमेल भी चाहते थे। लोकसभा चुनाव सामने थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह कुटिल और दोहरे चरित्र वाले राजनेता थे। अपनी छवि के लिए वे किसी भी सिद्धांत की बलि देने को हमेशा तैयार रहते थे। उनकी धर्मनिरपेक्षता बीजेपी के साथ सीटों के तालमेल में आड़े आ रही थी। पर उनका सत्तालोभ बीजेपी से छुपे तौर पर 'सीट एडजेस्टमेंट' करना चाहता था। मई 1989 से लेकर नवंबर 1989 के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच सीटों के समझौते को लेकर कई स्तरों पर बातचीत हुई। यह वही दौर था, जब 'अयोध्या में शिलान्यास हो या न हो' इस पर देश बँट रहा था। वी.पी. सिंह शिलान्यास की मुखालफत कर रहे थे। शुरुआत में वे उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी से सीटों के सीधे समझौते के पक्ष में नहीं

थे। उन्हें लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का समझौता हुआ तो मुसलमान जनता दल का साथ छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले जाएँगे। वी.पी. सिंह को विचारधारा के तौर पर निजी रूप से बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं थी। न ही वे बीजेपी को अछूत मानते थे। वे बीजेपी का समर्थन चाहते थे, साथ-ही-साथ मुस्लिम वोट भी। उनकी चाल भाँप बीजेपी ने उन्हें साफ कर दिया कि या तो समझौता हर जगह होगा या फिर कहीं नहीं होगा।

बीजेपी और जनता दल के इस गतिरोध को तोड़ने के लिए मुंबई के 'एक्सप्रेस टॉवर' में एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने वालों में इंडियन एक्सप्रेस के चेयरमैन रामनाथ गोयनका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाऊराव देवरस, राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) और नानाजी देशमुख थे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वामिनाथन गुरुमूर्ति भी मौजूद थे। वे संघ के करीबी और इंडियन एक्सप्रेस के ताकतवर प्रकाशक रामनाथ गोयनका के सलाहकार थे। वे हिंदू-मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच वार्त्ताकार की भूमिका में भी थे। इसलिए सभी बैठकों में उनकी उपस्थिति रहती थी। इनके साथ ही इस बैठक में मौजूद थे पत्रकार प्रभाष जोशी, गोयनका के भरोसेमंद संपादक। इसी बैठक में वी.पी. सिंह और देवीलाल की मौजूदगी में पहली बार सहमति बनी कि चुनाव जनता दल और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे।

यह वही मशहूर मीटिंग थी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप

सिंह ने पूछा था—‘अरे भाई! वहाँ मस्जिद है कहाँ? वहाँ तो अभी मंदिर है। पूजा चल रही है। इमारत इतनी कमजोर है कि अगर कोई एक धक्का दे दे तो गिर जाएगी। उसे गिराने की किसी को क्या जरूरत है।’ बाद में इसी बैठक में वी.पी. सिंह के कहे को अरुण शौरी ने मुद्दा बनाया और अक्तूबर 1990 में शौरी ने अपने एक लेख में इसका हवाला दिया। शौरी इस बैठक में नहीं थे। पर इसकी सुर्ख़ियाँ उन्होंने महीनों बनाई और इसकी सफाई वी.पी. सिंह जीवन भर देते रहे।

यह वही मशहूर मीटिंग थी, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पूछा था—‘अरे भाई! वहाँ मस्जिद है कहाँ? वहाँ तो अभी मंदिर है। पूजा चल रही है। इमारत इतनी कमजोर है कि अगर कोई एक धक्का दे दे तो गिर जाएगी। उसे ध्वंस करने की किसी को क्या जरूरत है।’ बाद में इसी बैठक में वी.पी. सिंह के कहे को अरुण शौरी ने मुद्दा बनाया और अक्तूबर 1990 में शौरी ने अपने एक लेख में इसका हवाला दिया।

इस बैठक में विश्वनाथ प्रताप सिंह संघ परिवार से सिर्फ दो बातों पर भरोसा चाहते थे। पहली—कि शिलान्यास सिर्फ सांकेतिक हो। दूसरी—सीटों का ‘एडजस्टमेंट’ तो हो, पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का प्रचार-प्रसार साझा न हो। यानी सत्ता के लिए सीटों के समझौते में उनकी हाँ थी और धर्मनिरपक्षेता के

लिए बीजेपी के सार्वजनिक साथ में उनकी 'ना' थी।

उधर मंदिर पर गतिरोध तोड़ने के लिए राज्यपाल कृष्णकांत ने उडुपि का दौरा किया और पेजावर स्वामी के सामने वी.पी. सिंह सरकार की ओर से तीन सुझाव रखे। एक—कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के नेतृत्व में एक ट्रस्ट का गठन किया जाए और विवादित स्थल उन्हें सौंप दिया जाए। दो—विवादित ढाँचे को 'जैसा का तैसा' छोड़कर मंदिर का निर्माण किया जाए। तीन—मंदिर और विवादित ढाँचे के बीच में एक दीवार का निर्माण किया जाए।

जवाब में स्वामी जी ने कहा कि उन्हें विश्व हिंदू परिषद के दूसरे लोगों से भी सलाह मशविरा करना होगा, तब ही कोई फैसला लिया जा सकता है। फौरन राज्यपाल कृष्णकांत एक विशेष जहाज से स्वामी जी को दिल्ली लाए। दिल्ली की बैठक में जाने से पहले स्वामी जी ने अशोक सिंघल और विश्व हिंदू परिषद के अन्य लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात में राय बनी कि सरकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन राम जन्मभूमि न्यास को ही मिले। विहिप से बातचीत के बाद सरकार को स्वामी जी ने चार सुझाव दिए। एक—विवादित ढाँचे को राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया जाए और किसी भी नए ट्रस्ट का गठन न हो। दो—पुनर्निर्माण की योजना में कुछ मामूली बदलाव किए जाएँ। तीन—विवादित ढाँचे को जस-का-तस रखा जाए। और चार—ढाँचे के चारों ओर

बनाए गए खंभों पर मंदिर का निर्माण किया जाए।

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया और कहा कि स्वामी जी इसके लिए विश्व हिंदू परिषद को भी राजी करा लें। बाद में कृष्णकांत, केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम ने हिंदू और मुस्लिम संतों की एक बैठक बुला इस मुद्दे पर चर्चा की। हिंदू संतों ने कहा कि मुस्लिमों को आपसी सौहार्द के लिए स्वेच्छा से राम जन्मभूमि पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। मौजूदा ढाँचे को गिराए बिना भी मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न तो कोई विजयी होगा और न ही कोई परास्त।

जवाब में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उन्हें इबादत के लिए एक जगह मिलनी चाहिए, जिसके लिए हिंदू संत तैयार हो गए। मुस्लिमों ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए थोड़ा वक्त माँगा, लेकिन वे चाहते थे कि पहले प्रस्तावित कारसेवा को रोका जाए। एक और प्रस्ताव आया, जो स्थानीय शिया समुदाय की तरफ से था। फैजाबाद से कुछ मील दूर सुल्तानपुर जाने वाली सड़क पर एक गाँव है 'सहनवा'। यहाँ आबादी में हिंदू-मुसलमान लगभग बराबर थे। शिया समुदाय का प्रस्ताव बाबरी मस्जिद को इसी गाँव में स्थानांतरित करने का था। सन् 1528 में जिस मीर बाकी ने यह मस्जिद बनवाई थी, उसे यहीं दफनाया गया था। मीर बाकी के वंशज आज भी इसी गाँव में रहते हैं। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के

अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास इस प्रस्ताव के समर्थक थे। उन्होंने परमहंस रामचंद्रदास को भी राजी कर लिया था।

स्थूल शरीर वाले नृत्यगोपाल दास बाल सुलभ प्रकृति के संत थे। वे धार्मिक लिहाज से कट्टर नहीं थे। पर मुखर जरूर थे। स्वभाव में विनम्र और कम बोलने वाले नृत्यगोपाल दासजी वैष्णव वैरागी अखाड़े की मणिरामदास छावनी के महंत थे। ये अखाड़े और छावनियाँ आठवीं-नौवीं शताब्दी में धर्म की रक्षा के लिए बनी थीं। हम किताब के छठवें अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छावनी शब्द आमतौर पर मंदिरों के लिए नहीं प्रयुक्त होता। उत्तर भारत में यह शब्द उन स्थानों के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ कहीं ब्रिटिश काल में सेना का जमावड़ा होता था। वहाँ सैन्य हथियार, राशन और यातायात के साधन जमा होते थे। अयोध्या में साधुओं की ऐसी कई छावनियाँ हैं, जहाँ साधुओं को धर्म की रक्षा के लिए रखा जाता था। अयोध्या में दो बड़ी छावनियाँ हैं, वासुदेव घाट पर मणिरामदास छावनी और रविदास मंदिर के पास रघुनाथदास छावनी। नृत्यगोपाल दास अपनी छावनी से किसी मिलने वाले को बिना खाना खाए जाने नहीं देते थे। अयोध्या में कारसेवकों का कंट्रोल-रूम भी इसी छावनी के चारधाम मंदिर में था। सारे फैसले यहीं होते थे। कारसेवकों को अगली रणनीति के निर्देश यहीं से जारी होते थे। इसे दुर्भाग्य ही मानना चाहिए कि ढाँचा स्थानांतरण प्रस्ताव का दोनों समुदायों ने विरोध किया।

विश्व हिंदू परिषद और बाबरी कमेटी दोनों का कहना था, जिस जगह पर दोनों समुदायों का हक है, उस पर स्थानीय लोग कोई सौदा कैसे कर सकते हैं। हिंदू संतों ने कहा कि कारसेवा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे विवादित ढाँचा छोड़कर किसी अन्य स्थान पर किया जा सकता है। यह मुस्लिम पक्षों को स्वीकार नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पर सोचने के लिए कुछ और वक्त माँगा।

इस दौरान कांची शंकराचार्य ने अयोध्या आंदोलन के प्रमुख नेता महंत अवेद्यनाथ को सरकार से बातचीत करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। बात फिर से बिगड़ गई। विश्व हिंदू परिषद के संत को शामिल करने से इस प्रयास को धक्का लगा, क्योंकि इस बातचीत का मुख्य मकसद था परिषद और बाबरी कमेटी, दोनों को अलग रखना। उधर जैसे-जैसे वी.पी. सिंह किसी समाधान के करीब पहुँचते, मुलायम सिंह यादव राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ रैलियाँ तेज कर देते। उस दौरान उनकी रैलिया काफी भड़काऊ रहती थीं, हालाँकि ऐसी रैलियों का नाम हुआ करता था 'सांप्रदायिक सद्भाव रैली'। मुलायम सिंह भौंड़े तरीके से भड़काऊ मुद्रा अख्तियार किए हुए थे। उन्हें सरकारी तंत्र की दमनकारी ताकत पर भरोसा था।

भारत में कोई भी आंदोलन इस तरह गाँवों में नहीं पहुँचा, जैसा शिलापूजन। राम के सम्मान में यह सिर्फ हिंदू समाज को नहीं, बल्कि पूरे देश को जोड़ने

वाला है।" हालाँकि सरकारी रिपोर्ट कहती है कि रथ जहाँ-जहाँ से गुजरा, वह अपनी पीछे धार्मिक तनाव छोड़ गया। दंगे हुए। पर आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में दावा किया कि जहाँ-जहाँ से रथ गुजरा, वहाँ शांति बनी रही।

सर्वमान्य समझौते और सहमति के रास्ते पर बातचीत चल ही रही थी कि बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा पर निकल पड़े। यह रथयात्रा 30 अक्तूबर को अयोध्या में समाप्त होनी थी, जहाँ उसी दिन से कारसेवा का ऐलान किया गया। आठ राज्यों से गुजरने वाली यह 'शेवरलेट रथयात्रा' कोई दस हजार किलोमीटर की थी। गेंदे के फूलों से सजे अपने रथ से यात्रा शुरू करते हुए आडवाणी ने कहा कि कारसेवा में बीजेपी के सभी सांसद और विधायक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कारसेवा की इजाजत नहीं मिली तो अयोध्या में सत्याग्रह होगा। आडवाणी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की व्यक्तिगत अपील पर साधु-संतों ने उन्हें चार महीने का वक्त दिया था, लेकिन सात महीने गुजर गए। प्रधानमंत्री ने कोई कारगर प्रयास नहीं किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो मंदिर के खिलाफ लगातार जहर उगल माहौल को और बिगाड़ दिया।

रथयात्रा शुरू करते हुए आडवाणी ने सोमनाथ में कहा, "जब से हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद ने फैसला

लिया था कि 30 अक्तूबर से अयोध्या में राममंदिर का निर्माण शुरू किया जाएगा, तभी से मैं एक ऐसा अभियान शुरू करना चाहता था, जिससे इस मुद्दे पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी का नजरिया पता चले। वह नजरिया जो 1989 में भारतीय जनता पार्टी की पालमपुर कार्यसमिति में प्रस्ताव के जरिए पास हुआ था।" उन्होंने कहा, "मंदिर के लिए शुरू किया गया आंदोलन लोगों को एक करने वाला साबित हुआ है। भारत में कोई भी आंदोलन इस तरह गाँवों में नहीं पहुँचा, जैसा शिलापूजन। राम के सम्मान में यह सिर्फ हिंदू समाज को नहीं, बल्कि पूरे देश को जोड़ने वाला है।" हालाँकि सरकारी रिपोर्ट कहती है कि रथ जहाँ-जहाँ से गुजरा, वह अपनी पीछे धार्मिक तनाव छोड़ गया। दंगे हुए। पर आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में दावा किया कि जहाँ-जहाँ से रथ गुजरा, वहाँ शांति बनी रही। सच भी यही था कि दंगे हुए, पर 23 अक्तूबर को आडवाणी के रथ रोके जाने के बाद। देश भर में दंगे 23 अक्तूबर से 30 अक्तूबर के बीच हुए। हालाँकि बाद में जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक विभाजन के लिए आडवाणी की रथयात्रा को जिम्मेदार माना था। इस रिपोर्ट पर जब बीजेपी ने बवाल किया तो इसे वापस ले लिया गया।

सोमनाथ से शुरू हुई लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा। ये रथयात्रा जहाँ से गुजरती थी वहाँ की मिट्टी को लोग सिर पर लगाते थे। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

अपने वातानुकूलित रथ में बैठने से पहले आडवाणी ने कहा, "मैं चाहता हूँ कि अयोध्या में होने वाली कारसेवा में देश के मुस्लिम भी हिस्सा लें। उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यह ऐसी स्थिति है कि जिस इमारत को वे बाबरी मस्जिद कहते हैं, वहाँ पिछले 54 साल से नमाज नहीं हुई है, जबकि 1949 से वहाँ मूर्तियाँ स्थापित हैं और उनकी पूजा की जाती है। राम जन्मभूमि को लेकर देश के हिंदुओं में प्रबल भावनाएँ हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं की

बदौलत ही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस स्थिति को देश के मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वे अयोध्या को लेकर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ बना मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द का स्मारक होगा।" इस ऐलान के साथ आडवाणी की रथयात्रा शुरू हुई।

आडवाणी एक शिष्ट और शहरी मिजाज के नेता हैं। विभाजन के बाद जब वे हिंदुस्तान आए और राजनीति में उनका सितारा बुलंद नहीं हुआ, तब वे मुंबइया फिल्मों की समीक्षा करने वाले फिल्म पत्रकार हुआ करते थे। वाजपेयी से उनकी पहली मुलाकात 1951 में हुई और 1957 में वे उनके सहायक बन गए। 1967 में जब विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद बने तो उन्हें सदन में पार्षद मनोनीत किया गया। यानी आडवाणी जनसंघ के औसत दर्जे के नेता थे, जो शीर्ष पर पहुँचे।

आडवाणी उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। वे मंदिर के सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी से उलट एक कट्टर लाइन रखते थे, जो मंदिर के मुद्दे को संविधान और अदालत से परे मानती थी। कराची में जन्मे इस सिंधी नेता को 1989 की जीत ने पार्टी की अगली पंक्ति में ला दिया था। आडवाणी एक शिष्ट और शहरी मिजाज के नेता थे। छरहरा बदन। गोलाकार गंजा सिर। बढ़िया छँटी हुई मूँछें।

काला गोल चश्मा लगाने वाले आडवाणी प्रभावशाली नेता हैं। पर वक्ता उतने अच्छे नहीं। वे परिवार से संपन्न हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई थी। उनके घर जमशेद क्वार्टर में उस वक्त शानोशौकत की प्रतीक विक्टोरिया घोड़ा-गाड़ी भी हुआ करती थी। विभाजन के बाद जब वे हिंदुस्तान आए और राजनीति में उनका सितारा बुलंद नहीं हुआ, तब वे मुंबइया फिल्मों की समीक्षा करने वाले फिल्म पत्रकार हुआ करते थे। वाजपेयी से उनकी पहली मुलाकात 1951 में हुई और 1957 में वे उनके सहायक बन गए। 1967 में जब विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद बने तो उन्हें सदन में पार्षद मनोनीत किया गया। यानी आडवाणी जनसंघ के औसत दर्जे के नेता थे, जो शीर्ष पर पहुँचे।

सोमनाथ से निकली आडवाणी की इस रथयात्रा के रणनीतिकार नरेंद्र मोदी थे।

लालकृष्ण आडवाणी की इस रथयात्रा के वैसे तो संयोजक प्रमोद महाजन थे, पर गुजरात में इस यात्रा के रणनीतिकार और शिल्पी नरेंद्र मोदी ही थे। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात राज्य बीजेपी के महामंत्री (संगठन) थे। इस यात्रा के संयोजन ने नरेंद्र मोदी को पार्टी की अगली लाइन में ला दिया। इस लिहाज से अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का अभिन्न पड़ाव रही। राष्ट्रीय राजनीति पर मोदी के उदय का श्रेय अयोध्या को ही जाता है। लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में निकाली गई सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा

ने राममंदिर आंदोलन की दिशा बदल दी थी। इस यात्रा ने पूरे देश में राम लहर का उन्माद पैदा कर दिया। यह 13 सितंबर, 1990 की तारीख थी। इसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने रथयात्रा की रूपरेखा देश के सामने रखी। मोदी ने इसी रोज मीडिया को रथयात्रा के कार्यक्रम और उसके रास्ते के बारे में सूचित किया। रथयात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होकर 30 अक्तूबर को अयोध्या में पूरी होनी थी। उन्होंने उस दौरान राममंदिर को राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और संकल्प का हिस्सा बता संघर्ष का मंत्र फूँका। नरेंद्र मोदी राजनीति के इस दूरगामी मिशन के बैकरूम मैनेजर थे। इस रथयात्रा की अपूर्व सफलता ने संगठन में उनका कद एकाएक बड़ा कर दिया। उन्हें मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा का भी सारथि घोषित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की रणनीति में परवान चढ़ी इस रथयात्रा ने न सिर्फ केंद्र में वी.पी. सिंह की सरकार गिरा दी, बल्कि उ.प्र. से कांग्रेस की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ दीं।

सोमनाथ से रथयात्रा शुरू करने में पार्टी ने हिंदुओं के उस पवित्र शिवमंदिर का प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने बार-बार तोड़ा था। जिसे आजादी के बाद भारत सरकार ने बनवाया था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी थी। इसी वजह से देश भर में भावनाएँ जगाने के लिए रथयात्रा यहाँ से शुरू हुई। 25 सितंबर पार्टी के संस्थापक महासचिव दीनदयाल

उपाध्याय का जन्मदिन होता है। अपनी आत्मकथा में आडवाणी लिखते हैं, "राम रथ पर सवार होकर युद्ध में गए थे।" इसीलिए शायद वे भी रथ पर सवार होकर चुनावी युद्ध में कूदे। उनके रथ का संचालन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता प्रमोद महाजन कर रहे थे। रथ से एक रोज में 20 से ज्यादा सभाएँ होती थीं। माहौल इस कदर बदला कि लोग आडवाणी को नहीं, रथ को भी पूज रहे थे। जिस रास्ते रथ गुजरता, ग्रामीण वहाँ की मिट्टी सिर पर लगा लेते। कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की एक कविता है—

"रथ भावे आमी देव पथ भावे आमी, मूर्ति भावे आमी देव हँसे अंतरयामी।"

'रथ सोचता है, मैं देवता हूँ। रास्ता सोचता है, मैं देवता हूँ, इतनी भीड़ मुझे देखने आ रही है। मूर्ति सोचती है मैं देवता हूँ। इन तीनों को देखकर अंतरयामी यानी भगवान इनके अज्ञान पर हँसता है।' यह कविता उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के मौके पर लिखी थी। जहाँ रथयात्रा में उमड़ी भीड़ को देख देवता, रथ, घोड़े, रास्ते सबको यह भ्रम हो जाता कि भीड़ उसी के दर्शन के लिए आ रही है। बहरहाल चाहे भ्रम ही सही, देश का माहौल बदलने लगा था। अब अयोध्या के लिए छिड़ा पार्टी का आंदोलन जन-आंदोलन में बदलने लगा था।

रथ को करीब आता देख अंतिम क्षणों में टकराव टालने के लिए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 18 अक्तूबर को मुस्लिम नेताओं और विश्व हिंदू परिषद के

साथ फिर चर्चा शुरू की। तय हुआ कि विवादित इमारत के चारों ओर 30 फीट जमीन छोड़ सरकार बाकी सभी जमीनों का अधिग्रहण कर ले। बाद में इन जमीनों को उस ट्रस्ट को सौंपे, जिससे मंदिर बनवाना हो। एस. गुरुमूर्ति बताते हैं कि 15 अक्तूबर, 1990 को प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने उन्हें बुलाया। शाम से लेकर देर रात तक ये दोनों चार अलग-अलग सत्रों में चार घंटे से भी ज्यादा समय के लिए बैठे।

गुरुमूर्ति ने सुझाव दिया कि सरकार को पूरे विवादित स्थल का अधिग्रहण कर उसे विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्ट को दे देना चाहिए। सरकार को सिर्फ विवादित ढाँचे और उसके आस-पास की 30 फीट जगह को अपने कब्जे में रखना चाहिए। और इस जगह पर पहले से कोई मंदिर था कि नहीं, इसका फैसला संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ना चाहिए। गुरुमूर्ति बताते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तुरंत इस फैसले को मान लिया। गुरुमूर्ति ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें यह फैसला मंजूर हो, तो वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को इत्तला कर दें। तब वी.पी. सिंह ने कहा, “बेशक आप उन्हें बता दें, मैं प्रधानमंत्री के नाते आपसे बात कर रहा हूँ।” गुरुमूर्ति ने तुरंत संघ और परिषद को इस फैसले की जानकारी दी और प्रधानमंत्री को दोनों की सहमति के बारे में भी बताया।

18 अक्तूबर को दो सत्रों में बैठकें हुईं। तब के रेल मंत्री

जॉर्ज फर्नांडीस और सूचना मंत्री पी. उपेंद्र ने संघ के केशवकुंज मुख्यालय जाकर अशोक सिंघल से भेंट की। इन मंत्रियों ने सिंघल को सरकार द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश के बारे में बताया। अध्यादेश के मुताबिक गर्भगृह यानी विवादित ढाँचे को छोड़कर सरकार पूरी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपेगी। अशोक सिंघल इसी बात पर अड़े रहे कि जब तक सरकार पूरी जमीन हिंदुओं को नहीं सौंप देती, तब तक समझौता नहीं हो पाएगा।

वी.पी. सिंह ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो वे स्वयं लालकृष्ण आडवाणी के साथ कारसेवा के लिए अयोध्या जाएँगे। इस बात की जानकारी जब लालकृष्ण आडवाणी को दी गई तो उन्होंने कहा कि वी.पी. सिंह कृपा करें। उनके जाने की जरूरत नहीं है।

उसी दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए बीजेपी नेता गोविंदाचार्य, तत्कालीन एडिशनल सॉलिसीटर जनरल अरुण जेटली और पत्रकार प्रभाष जोशी को बुलाया। उन्होंने बताया कि विवादित ढाँचे और उसके चारों ओर 30 फीट जगह सरकार के कब्जे में ही रहेगी। इस जगह पर पहले से कोई मंदिर था, इस बात का फैसला करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट से ली जाएगी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के एक

अतिरिक्त सचिव को आधी रात के करीब बुलाया गया और कहा गया कि वे अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू करें।

अध्यादेश का प्रारूप रात में ही तैयार किया गया। सुबह पाँच बजे अफसरों की एक कमेटी ने प्रधानमंत्री आवास पर जाकर उन्हें प्रारूप दिखाया और उसे अंतिम रूप दिया। दस बजे प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तीन सूत्र के प्रस्ताव और उस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। चूँकि उस अध्यादेश को और भी कई पहलुओं से परखा जाना था, इसलिए उसे तुरंत जारी नहीं किया गया।

उसी दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गुरुमूर्ति को फिर बुलाया। उस वक्त वे चेन्नई में थे। अगले दिन 19 अक्तूबर को शुक्रवार था। गुरुमूर्ति सुबह दिल्ली पहुँचे। शुक्रवार को सुबह इंडियन एक्सप्रेस के सुंदरनगर गेस्ट हाउस में एक बैठक हुई। उस बैठक में लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए, वे रथयात्रा को धनबाद में छोड़ आए थे। साथ में गोयनका, गुरुमूर्ति, जोशी और कुछ दूसरे मित्र भी शामिल थे। बैठक में आडवाणी ने साफ तौर पर कहा कि हम भी रास्ता निकालना चाहते हैं। हमारी मंशा यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार गिर जाए। अगर अध्यादेश का प्रस्ताव आया और उसमें विवादित ढाँचे के आस-पास की जमीन विश्व हिंदू परिषद या उसके प्रतिनिधि को सौंपी जाती है, तो हम अध्यादेश का समर्थन करेंगे।

दोपहर में गुरुमूर्ति ने प्रधानमंत्री से फिर बात की। तब

तक वी.पी. सिंह पूरी तरह पलट गए थे। अध्यादेश में बदलाव हो चुका था। उन पर मुस्लिम संगठनों का जबर्दस्त दबाव था। मंत्रिमंडल में भी कुछ लोग इस राय के नहीं थे। मुलायम सिंह यादव ने भी बगावत का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि न सिर्फ विवादित ढाँचा, बल्कि विवादित जमीन भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही होनी चाहिए। उसे अयोध्या आंदोलन के संचालकों को नहीं सौंपा जा सकता। गुरुमूर्ति ने आश्चर्य जताया कि समझौते में तो यह तय नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने उन्हें शाम को अपने आवास पर फिर से मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने गुरुमूर्ति से कहा कि आडवाणी को अपनी रथयात्रा एक दिन के लिए टाल देनी चाहिए, ताकि इस समास्या का कोई समाधान निकले। वी.पी. सिंह ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, तो वे स्वयं लालकृष्ण आडवाणी के साथ कारसेवा के लिए अयोध्या जाएँगे। इस बात की जानकारी जब लालकृष्ण आडवाणी को दी गई तो उन्होंने कहा कि वी.पी. सिंह कृपा करें। उनके जाने की जरूरत नहीं है। मैं अब अध्यादेश पर तभी सहमत होऊँगा, जब वह अपने मूल प्रस्ताव पर आधारित होगा।

गतिरोध तोड़ने के लिए शाम को फिर से प्रधानमंत्री आवास पर एक लंबी बैठक चली, यह बैठक रात नौ बजे के बाद तक चलती रही। वी.पी. सिंह ने गुरुमूर्ति से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करना होगा। उस बैठक में जो मंत्री मौजूद

थे, उनमें अरुण नेहरू, जॉर्ज फर्नांडीज, अजीत सिंह और दिनेश गोस्वामी थे। गुरुमूर्ति के अलावा जेटली और एक वरिष्ठ पत्रकार भी इस बैठक का हिस्सा थे।

प्रधानमंत्री बैठक के बीच-बीच में आते-जाते रहे। वे एक ही समय पर और भी कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे। बैठक में कानून मंत्री गोस्वामी ने कहा कि इस मामले में कई मुकदमे चल रहे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं, ऐसे में अध्यादेश जारी करना संभव नहीं होगा। दरअसल, लंबित मामलों की वजह से इस मुद्दे पर कोई कानून बनाना असंभव है। अरुण जेटली और गुरुमूर्ति ने उन्हें विस्तार से बताया कि इस मामले में जो सैकड़ों पहलू हैं, वे सिर्फ तीन सवालों के इर्द-गिर्द घूमते हैं—पहला, क्या भगवान राम का जन्म इसी स्थल पर हुआ था? दूसरा, अलग-अलग जमीनों पर किसका अधिकार है? तीसरा, क्या वहाँ पहले से कोई हिंदू ढाँचा अस्तित्व में था? कानून मंत्री को यह बताया गया कि इसमें से पहले पहलू पर कानूनी या वैधानिक तौर पर फैसला संभव नहीं हो सकता है। दूसरे पहलू पर गैर-विवादित अधिकार के तहत अनिवार्य अधिग्रहण पर कानूनी फैसला लिया जा सकता है। तीसरे पहलू पर सिर्फ अदालत की राय ली जा सकती है।

प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंदिर के सवाल पर बीजेपी से टकराव का फैसला कर लिया था, इसलिए एक तरफ समझौते से पीछे हटते हुए वी.पी. सिंह सरकार ने अध्यादेश वापस लिया। दूसरी

तरफ 23 अक्तूबर की सुबह बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा रोक दी गई। उन्हें समस्तीपुर के सर्किट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी को सरकारी जहाज से पहले दुमका ले जाया गया, फिर सड़क के रास्ते मंसानझोर डाक बँगले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैद किया गया।

देर रात को सरकार की तरफ से प्रेस को अध्यादेश और योजना जारी कर दी गई। इसमें तीन सूत्र थे। एक, सरकार विवादित स्थान और आस-पास की जमीन का अधिग्रहण करेगी। दो, इसमें से विवादित ढाँचे और उसके चारों तरफ 30 फीट जमीन छोड़कर अधिग्रहित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपी जाएगी। तीन, वहाँ कभी मंदिर था या नहीं, यह रहस्य सुलझाने का काम संविधान की धारा 143(ए) के तहत सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा।

इस फॉर्मूले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई। तेलुगु देशम के एन.टी. रामाराव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि, वाम दलों के अलावा कुछ अन्य दलों ने भी इसका स्वागत किया। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने धमकी दी कि वे इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। बाबरी कमेटी ने यह कहकर विरोध किया कि इससे न्यायिक प्रक्रिया दरकिनार होती है। 20 अक्तूबर की रात में अध्यादेश लागू हुआ, फैजाबाद के कमिश्नर मधुकर गुप्ता ने अधिग्रहीत जमीन

पर कब्जा भी ले लिया। लेकिन 22 अक्तूबर, 1990 को अध्यादेश यकायक वापस ले लिया गया। मुलायम सिंह यादव और दूसरे मुस्लिम संगठनों के दबाव में। इससे समस्या और उलझी। सवाल उठा कि फिर सरकार ने ढाँचे का अधिग्रहण ही क्यों किया और समझौते से पीछे क्यों हटी?

दरअसल प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंदिर के सवाल पर बीजेपी से टकराव का फैसला कर लिया था, इसलिए एक तरफ समझौते से पीछे हटते हुए वी.पी. सिंह सरकार ने अध्यादेश वापस लिया। दूसरी तरफ 23 अक्तूबर की सुबह बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा रोक दी गई। उन्हें समस्तीपुर के सर्किट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी को सरकारी जहाज से पहले दुमका ले जाया गया, फिर सड़क के रास्ते मंसानझोर डाक बँगले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैद किया गया। बिहार पुलिस ने उनका रथ अपने कब्जे में ले लिया। अब टकराव तय था। यह भी अजीब अविश्वास का माहौल था कि बातचीत जारी रखते हुए भी टकराव की तैयारियाँ दोनों तरफ से चल रही थीं। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने अयोध्या को सील कर रखा था। सभी जिलाधिकारियों को आदेश थे कि वे अपने-अपने जिले से निकलने वाले कारसेवकों को रोकें। राज्य की सीमा पर भी कारसेवकों को रोकने के पुख्ता इंतजाम थे। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की

सीमा पर इंतजाम बहुत चाक-चौबंद थे, क्योंकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी सरकारें थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया से बिहार जाने वाले राजमार्ग पर सेवरही के पास तो चालीस फीट चौड़ी खाई खुदवा दी थी, क्योंकि इसी रास्ते से आडवाणी की रथयात्रा को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना था।

वी.पी. सिंह ने एक तीर से दो शिकार किए, आडवाणी को गिरफ्तार किया। और मुलायम सिंह यादव को पटखनी दी। वी.पी. सिंह के अयोध्या भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध कर मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्षता के इकलौते झंडाबरदार बने थे। वी.पी. सिंह ने इसकी हवा निकालने की तरकीब ढूँढ़ी। पहले आडवाणी के रथ को देवरिया में रोका जाना था। मुलायम सिंह यादव रथ रोकने वाले नेता बनते। वी.पी. सिंह को यह मंजूर नहीं था।

वी.पी. सिंह ने एक तीर से दो शिकार किए, आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और मुलायम सिंह यादव को पटखनी दी। वी.पी. सिंह के अयोध्या भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध कर मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्षता के इकलौते झंडाबरदार बने थे। वी.पी.सिंह ने इसकी हवा निकालने की तरकीब ढूँढ़ी। पहले आडवाणी के रथ को देवरिया में रोका जाना था। मुलायम सिंह यादव रथ रोकने वाले नेता बनते। वी.पी. सिंह को यह मंजूर नहीं था। अरुण नेहरू ने बताया कि प्रधानमंत्री

ने लालू यादव को संदेश भेजा कि वे आडवाणी को बिहार में ही रोक लें, ताकि धर्मनिरपेक्षता का सारा नेतृत्व मुलायम सिंह के पास ही न रहे।

उधर बिहार में आडवाणी गिरफ्तार हुए और दिल्ली में बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण से मिलकर उन्हें बताया कि हम सरकार से समर्थन इसलिए वापस ले रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के नेता आडवाणी को गिरफ्तार किया गया है। समर्थन वापसी से सरकार अल्पमत में आ गई। वी.पी. सिंह ने राष्ट्रपति से कहा कि बदली परिस्थितियों में वे 7 नवंबर को सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को पता था कि उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार बचाने की संख्या उनके पास नहीं थी; लेकिन तब उन्होंने अपनी सरकार को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुर्बान करने का पैंतरा चला। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए राष्ट्र की जनता को संबोधित कर कहा कि वे धर्मनिरपेक्षता की खातिर एक नहीं, कई सरकारें कुर्बान करने को तैयार हैं। वही वी.पी. सिंह, जो सरकार बचाने के लिए बीजेपी और संघ नेताओं के साथ एक दर्जन से ज्यादा बैठकें कर चुके थे। वी.पी. सिंह ने 23 अक्तूबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, “मित्रो, मैं आज आपसे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर बात करना चाहता हूँ। यह विवाद तो पुराना है, पर इसमें

मोड़ नया आ गया है। देश संकट की स्थिति में खड़ा है। हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, वे सिर्फ हमारे राजनीतिक और संवैधानिक तंत्र को लेकर नहीं, बल्कि हमारी मानवता और संवदेनाओं को लेकर हैं। हमारा ऐसा इम्तिहान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आने वाले दिनों में यह पता चल जाएगा कि हम अपने मूल्यों पर टिके रहेंगे या फिर उनसे भटक जाएँगे। समय के इन्हीं कुछ क्षणों में भारत का भविष्य लिखा जाएगा।

"कई बार हमने अपने प्रयासों को अखबारों में रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से समस्या के समाधान की प्रक्रिया और पेचीदा हो सकती थी। हमारी सरकार ने अलग-अलग आस्था वाले धार्मिक गुरुओं के साथ लगातार बैठकें कीं। अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ लगातार बैठकें कीं। जिसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं। हमें कुछ कामयाबी मिली भी, लेकिन विवाद के बुनियादी मसले पर पार्टियाँ एक-दूसरे के करीब नहीं आईं।"

वी.पी. सिंह ने राष्ट्र से कहा, "मेरा सिर्फ अनुरोध था कि जब तक अदालत फैसला नहीं सुना देती, तब तक ऐसे किसी नक्शे पर काम न किया जाए, जिसकी हद में विवादित ढाँचा भी आता हो। मैंने उन्हें धैर्य रखने और अदालत के फैसले का इंतजार करने को कहा। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस साधारण और

सही कदम को उनका समर्थन नहीं मिला। वे अड़े रहे कि वे पहले से तय किए गए विवादित स्थल पर ही निर्माण कार्य शुरू करेंगे। वे अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे और उसे मानेंगे भी नहीं। अब फैसला देश को करना है। अगर सभी धर्म के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वे अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करेंगे, तब यह देश कैसे चलेगा और इसकी एकता को कैसे बरकरार रखा जाएगा।

"इन्हीं विचारों के साथ मैंने कल हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक बार फिर पूछा कि क्या देश को छह, आठ महीने या एक साल का वक्त नहीं दिया जा सकता है, जिससे अदालत लगातार सुनवाई कर अपना फैसला सुना सके। क्या इस देश की जनता को और इसकी अगली पीढ़ी को यह छोटा सा वक्त नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसी क्या जल्दबाजी है कि पूरे देश में 6 दिनों से भी कम के समय में अस्थिरता लाई जाए और उन्हें शांति से जीने का एक और मौका न दिया जाए?

"सरदार पटेल ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर कहा था कि इसे ताकत के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। मैं बिना किसी दुविधा के एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने आपसी समझौते का हरसंभव प्रयास किया है। मैं कानून को हर हाल में लागू करूँगा। इसकी चाहे जो भी कीमत हो। मैंने जब कार्यभार सँभाला था तो संविधान के तहत यह शपथ ली थी, मैं अपनी

जिम्मेदारियों को निभाने में बिल्कुल नहीं घबराऊँगा।

"अगर हम किसी धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह धर्म राजनीतिक लामबंदी का आधार होगा। ऐसे में मैं पंजाब के उन लोगों को क्या जवाब दूँगा, जो धर्म के नाम पर अलग खालिस्तान की माँग कर रहे थे? कश्मीर के उन लोगों को क्या जवाब दूँगा, जो अपने धर्म के लोगों के साथ पाकिस्तान में शामिल किए जाने की माँग कर रहे थे? नॉर्थ-ईस्ट में, जहाँ ज्यादातर जनसंख्या ईसाइयों की है, क्या यह संभव नहीं कि वे भी एक दिन एक अलग राष्ट्र की माँग करेंगे? हम उन्हें भारत माँ का हिस्सा बने रहने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? अगर हमने एक बार इस विचार को मान्यता दे दी तो देश में धर्म के आधार पर ऐसी लामबंदी आए दिन होगी।

"यह महात्मा गांधी का बनाया देश है। देश को बचाने के लिए इस जमीन पर उनका खून बहा है और आज मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं अपनी सरकार बचा पाऊँगा? साथियो, मैं साफ करना चाहूँगा कि इस समय सरकार को बचाना एक बहुत छोटी सी बात है, यह समय देश को बचाने का है। मैं भारत माता के इस मंदिर को बचाने के लिए ऐसी कई सरकारों के त्याग के लिए तैयार हूँ। इस इम्तिहान से हमें बचना नहीं चाहिए। अगर सवाल सरकार और इस देश में से किसी एक के बचाने का है तो देश सबसे पहले आएगा। सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन

देश एक रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए मेरे देशवासियो, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है।”

24 अक्तूबर से मामला आर-पार का था। दोनों ओर से निर्णायक तैयारियाँ हो रही थीं। मुलायम सिंह का सरकारी हेलीकॉप्टर 1 सितंबर, 1990 से हर रोज तीन जिलों में पहुँच रहा था। वे कर तो रहे थे सद्भावना रैली, पर इन रैलियों से वैमनस्य और बढ़ रहा था। वे लगातार ऐलान कर रहे थे। अयोध्या में चौदह कोसी परिक्रमा नहीं होगी। अयोध्या के भीतर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, आदि-आदि। वे अशांत राज्य में सरकारी कार्रवाई के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रैलियाँ कर रहे थे, ताकि उनकी संभावित कार्रवाई के पीछे जनता का समर्थन दिखे। पर इन रैलियों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा था। 24 अक्तूबर से ही राज्य सरकार ने अयोध्या में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया था। रामकोट इलाके में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। यानी दर्शन पर बिना कहे पाबंदी लग चुकी थी, बिना किसी आदेश के। जैसे-जैसे मुलायम सिंह सरकार सुरक्षा कड़ी करती, विश्व हिंदू परिषद अपने कारसेवकों को वहाँ किसी भी तरह पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध होती।

कारसेवकों को अयोध्या पहुँचाने का प्रबंध रिटायर्ड सैन्य और सिविल अफसर कर रहे थे। अयोध्या में पाँच लाख कारसेवकों को पहुँचाने का जिम्मा अशोक सिंघल और विनय कटियार पर था। और उन्हें किसी भी तरह

रोकने का काम मुलायम सिंह यादव सरकार के लिए राज्य के गृहसचिव ए.के. रस्तोगी और खुफिया प्रमुख राम आसरे कर रहे थे। नाकेबंदी की ऐसी हद थी कि अयोध्या की ओर जाने वाली सड़कों पर जो पुल या पुलिया थीं, उन पर भी पक्की दीवारें चुनवा दी गई थीं। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर सेवरही के पास सड़क के पास खाई खोद दी गई थी। इसी रास्ते आडवाणी की रथयात्रा को राज्य में प्रवेश करना था। फैजाबाद के एस.एस.पी. रहे डी.बी. राय बताते हैं कि मुगलिया सल्तनत में भी राज्य की सीमा पर कभी खाई नहीं खोदी गई। खाई के इस पार असलहों से लैस राज्य पुलिस और पी.ए.सी. के जवान थे। बड़े पैमाने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की धर-पकड़ तेज हो रही थी। दीपावली के त्योहार के मौसम में लोग जेलों में बंद थे। हर जिले में अस्थायी कारावास 'नोटीफाई' किए गए, क्योंकि जेलों में उतनी जगह नहीं थी। जेलों में कारसेवकों के भोजन का इंतजाम भी जनता करती थी। उनके लिए आम लोग अपने-अपने घरों से भोजन ले जाते थे। बदले में कैदियों को भोजन के लिए मिलने वाले पैसे को जिला प्रशासन के अफसर डकारते थे। प्रदेश की जेलों के इतिहास में इसे रामराज कहा जाएगा। जो अस्थायी जेले थीं, वहाँ लोगों की आवाजाही बिना रोक-टोक थी। और जो कैदियों का भोजन था, उसे जेल के अफसर खा रहे थे।

30 अक्तूबर की सुबह अयोध्या डर, आशंका और

अनिश्चितता की गिरफ्त में थी। हालात बेकाबू दिख रहे थे। अयोध्या से जुड़ने वाली सभी छोटी-बड़ी सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के बूट खनक रहे थे। सीमाएँ सील थीं। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यह ऐलान कर रखा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनकी घोषणा को अमल में लाने के लिए आई.जी. से लेकर थानेदार तक सड़कों पर थे।

विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस आंदोलन का दारोमदार अशोक सिंघल, श्रीशचंद्र दीक्षित और विनय कटियार पर था, जो तीनों ही अज्ञातवास में थे।

30 अक्तूबर की सुबह अयोध्या डर, आशंका और अनिश्चितता की गिरफ्त में थी। हालात बेकाबू दिख रहे थे। अयोध्या से जुड़ने वाली सभी छोटी-बड़ी सड़कों पर अर्धसैनिक बलों के बूट खनक रहे थे। सीमाएँ सील थीं। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यह ऐलान कर रखा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनकी घोषणा को अमल में लाने के लिए आई.जी. से लेकर थानेदार तक सड़कों पर थे। अयोध्या में चार रोज से कर्फ्यू था। राम जन्मभूमि के दर्शन पर रोक नहीं थी, पर वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हम हनुमानगढ़ी से मणिरामदास छावनी तक जाकर आ चुके थे। कारसेवक कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। सड़क के उस पार कारसेवक और इस पार हनुमानगढ़ी के आसपास पुलिस बल का घेरा। हमें लगा, रणक्षेत्र यहीं बनेगा। हम वहीं

सड़क पर चाय की एक बंद दुकान पर बैठ गए, हमारे साथ मेरे सहयोगी त्रियुगनारायणतिवारी, 'द हिंदू' के संवाददाता जे.पी. शुक्ला और फैजाबाद में नवभारत टाइम्स के प्रतिनिधि ज्ञान प्रकाश पांडेय थे।

देखते-ही-देखते टिड्डी दल की तरह लाखों कारसेवक अचानक अयोध्या की सड़कों पर प्रकट हो गए। सड़कें कारसेवकों से भर गईं। इतने इंतजाम के बावजूद कारसेवकों को सड़कों पर देख पुलिस और अर्धसैनिक बल दबाव में आ गए। निहत्थे कारसेवक संकल्प लिये हुए थे कि शर्म के प्रतीक बाबरी ढाँचे पर उन्हें कारसेवा करनी है। भीड़ में दो तरह के लोग थे—एक तो वे, जो कारसेवा के ही निमित्त हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आए थे। दूसरे वे, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या की चौदह कोसी परिक्रमा के लिए आते थे। पर कारसेवा को लेकर यह वर्ग भी इस बार उतना ही आवेशित था। अयोध्या से गोंडा को जोड़ने वाले सरयू नदी के पुल पर हजारों कारसेवक रात से ही बैठे थे। पुल पर केवल नरमुंड ही दिख रहे थे। उसे पैदल भी पार नहीं किया जा सकता था।

राज्य पुलिस से कारसेवकों का व्यवहार दोस्ताना था। एक घटना से आप सुरक्षा बलों का व्यवहार समझ सकते हैं। सोहावल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। कुछ कारसेवक उधर से आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। कारसेवकों ने मिन्नतें कीं, धर्म-कर्म का

हवाला दिया। पर दरोगाजी टस-से-मस नहीं हुए। कहा, "इस सड़क से कोई परिंदा भी नहीं जा सकता। सरकार का आदेश है। मैं उसका कड़ाई से पालन कर रहा हूँ।" तभी दरोगाजी का रुख बदला, पर मैं सड़कों से उतरकर खेत में से जाने से तो मना नहीं कर रहा हूँ।"

अयोध्या दो हिस्सों में बँट गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग से हनुमानगढ़ी वाला समूचा हिस्सा पुलिस के हवाले था। इस हिस्से में राम जन्मभूमि, कनक भवन और हनुमानगढ़ी आते थे, तो पूर्वी हिस्से पर कारसेवकों का कब्जा था, जिसमें दिगंबर अखाड़ा, मणिरामदास छावनी, देवरहाबाबा छावनी, कौशलेंद्र सदन, जानकी महल ट्रस्ट और कारसेवकपुरम् आते थे। पुलिस की इस इलाके में उपस्थिति तक नहीं थी। हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि स्थान तक लोहे के छह बैरिकेडिंग लगे हुए थे। इन पर अर्धसैनिक बलों का पहरा था।

कारसेवक, साधु-संत, मीडिया प्रतिनिधियों को सँभालती पुलिस। फोटो : राजेंद्र कुमार

तमाम पाबंदियों के बावजूद कारसेवकों को अयोध्या तक पहुँचाने के काम में सरकारी अफसर भी लगे थे। राज्य पुलिस से कारसेवकों का व्यवहार दोस्ताना था। एक घटना से आप सुरक्षा बलों का व्यवहार समझ सकते हैं। सोहावल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग बंद था। कुछ कारसेवक उधर से आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। कारसेवकों ने मिन्नतें कीं, धर्म-कर्म का हवाला दिया। पर दरोगाजी टस-से-मस नहीं हुए। कहा, "इस सड़क से कोई परिंदा भी नहीं जा सकता। सरकार का आदेश है। मैं उसका कड़ाई से पालन कर रहा हूँ।" तभी दरोगाजी का रुख बदला, "पर मैं सड़कों से उतरकर खेत में से जाने से तो मना नहीं कर रहा हूँ।" कारसेवक समझ चुके थे।

सभी कारसेवकों को विश्व हिंदू परिषद ने पहचान-पत्र के साथ-साथ छोटी सड़कों और पगडंडियों के नक्शे भी दे रखे थे।

कारसेवक इस तरह से अयोध्या पहुँच रहे थे। अलबत्ता कोई बड़ा नेता अयोध्या नहीं पहुँच पाया था। संघ के सह सरकार्यवाह राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) अयोध्या जाते वक्त लखनऊ में गिरफ्तार कर लिये गए। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया, महंत अवेद्यनाथ, स्वामी चिन्मयानंद, शंकराचार्य वासुदेवानंद, गुमानमल लोढ़ा को भी रास्ते में ही पकड़ लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी

को लखनऊ हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। लालकृष्ण आडवाणी पहले ही बिहार में गिरफ्तार हो चुके थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया को सीतापुर के पास उस वक्त पकड़ा गया, जब वे मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश में कारसेवकों के साथ घुस रही थीं। लेकिन कारसेवा आंदोलन के मुख्य किरदार अशोक सिंघल और श्रीशचंद्र दीक्षित पुलिस के हाथ नहीं चढ़े थे।

दस दिन से सरकार अशोक सिंघल को तलाश रही थी। इस बाबत वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ में पुलिस ने डेढ़ दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापे मारे थे, सिंघल सारी व्यवस्था को धत्ता बताते हुए 29 को अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुँचने और वहाँ प्रकट होने का उनका ढंग बड़ा नाटकीय रहा। सिंघल इलाहाबाद से भूमिगत हुए थे, इसके बाद वे इलाहाबाद से जौनपुर होते हुए सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तक कार से आए। कादीपुर फैजाबाद की सीमा से सटी सुल्तानपुर की तहसील है। सिंघल के साथ श्रीशचंद्र दीक्षित भी थे। यहाँ से दोनों शर्ट व पैंट पहनकर स्कूटर से अकबरपुर पहुँचे। वहाँ से 29 की दोपहर को दोनों अलग-अलग रास्ते से अयोध्या पहुँच गए।

फैजाबाद पहुँचने पर सिंघल ने बाकायदा प्रेस बयान जारी कर अपने पहुँचने की सूचना भी दी। इससे कारसेवकों में जोश भर गया। श्रीचंद्र दीक्षित से जब यह पूछा कि वे कैसे पहुँचे तो उन्होंने कहा, "मैं बताऊँगा तो

कुछ लोगों की नौकरी चली जाएगी।” दीक्षित राज्य पुलिस के महानिदेशक रह चुके थे। विनय कटियार मोरोपंत पिंगले के साथ अयोध्या में पहले से मौजूद थे। 29 अक्तूबर की रात चार धाम मंदिर में कारसेवा की रणनीति बनी। तय हुआ, कारसेवकों के तीन जत्थे बनेंगे। एक का नेतृत्व अशोक सिंघल, दूसरे का श्रीशचंद्र दीक्षित और तीसरे का विनय कटियार करेंगे। ‘लाइन ऑफ कमांड’ भी तय हुआ। अशोक सिंघल का निर्देश सुप्रीम होगा। वे गिरफ्तार हुए या उन्हें कुछ हो गया तो मोरोपंत पिंगले का कहा अंतिम माना जाएगा। वे पकड़े गए तो विनय कटियार मौके पर जो फैसले करेंगे, वे सभी को मान्य होंगे।

सुरक्षाबल दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक तरफ तो भारी संख्या में कारसेवक शहर में प्रवेश के लिए दबाव बना रहे थे। दूसरे, वे जो पहले से शहर में घुस चुके थे, वे जन्मस्थान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस बार-बार ऐसी कोशिशों को नाकाम करती थी। सुबह साढ़े आठ बजे जब पहला जत्था राम जन्मभूमि की ओर चला तो उसे पुलिस ने खदेड़ लिया। ये लोग हनुमानगढ़ी के सामने आकर बैठ गए। इनका नेतृत्व आंध्र प्रदेश के विधायक के. नरेंद्र कर रहे थे। पुलिस ने घोषणा की कि वे सब गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन इतने कैदियों को ले जाने के लिए वाहन ही नहीं थे।

पुलिस इसी में उलझी थी कि अशोक सिंघल के नेतृत्व में दूसरा जत्था आ गया। इस जत्थे को पुलिस ने

लाठीचार्ज से रोक लिया। सिंघल के सिर पर लाठी पड़ी। सिर से खून निकलने के बाद भी उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मगर पुलिस ने उन्हें पकड़कर जत्थे से अलग कर दिया। उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, पर उनका एक जत्था भी वहीं बैठ नारेबाजी करने लगा। दूसरे जत्थे सबेरे दस बजे हनुमानगढ़ी और आस-पास की गलियों से बाहर निकलने शुरू हुए थे। भीड़ बढ़ रही थी, पुलिस ने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया। गिरफ्तार लोगों के लिए लाई गई बस नंबर यू.एम.आर. 9720 में कुछ साधुओं को बैठाया गया। बस चलने को हुई, तभी एक साधु, जो ड्राइविंग जानता था, उसने धक्का दे बस के ड्राइवर को गिरा दिया। उस साधु ने बस का अपहरण कर लिया। सँकरी गलियों में बस को चलाते हुए साधु ने पुलिस की घेरेबंदी तोड़ी। लोहे के तीन फाटक तोड़ते हुए यह साधु बस को राम जन्मभूमि परिसर से पचास गज की दूरी तक ले गया।

गिरफ्तार लोगों के लिए लाई गई बस नंबर यू.एम.आर. 9720 में कुछ साधुओं को बैठाया गया। बस चलने को हुई, तभी एक साधु, जो ड्राइविंग जानता था, उसने धक्का दे बस के ड्राइवर को गिरा दिया। उस साधु ने बस का अपहरण कर लिया। सँकरी गलियों में बस को चलाते हुए साधु ने पुलिस की घेरेबंदी तोड़ी। लोहे के तीन फाटक तोड़ते हुए यह साधु बस को राम जन्मभूमि परिसर से पचास गज

की दूरी तक ले गया।

इस बस में ऊपर-नीचे करीब सौ साधु बैठे थे। लोहे के फाटक तोड़ जन्मभूमि तक जाने की साधुओं की इस कोशिश से बाकियों का भी जोश बढ़ा। साधु का नाम रामप्रसाद बताया गया। वह अयोध्या के किसी अखाड़े का था। इस घटना से सुरक्षा बल हतप्रभ थे। लोहे के बैरियर टूटने से कारसेवकों के हौसले बुलंद हुए। बस के जाते ही दूसरा जत्था सड़कों पर दौड़कर आगे बढ़ा। पुलिस डंडे पटकती रही। पर भीड़ का रेला बढ़ता गया। अब तक पहले वाले साधु परिसर के भीतर दाखिल हो चुके थे। तंग गली की छतों से महिलाएँ पुलिस वालों पर ईंट-पत्थर फेंक रही थीं। चारों तरफ अफरातफरी शुरू हो गई थी।

कहीं कारसेवक आगे बढ़ने के लिए पुलिस बल के पाँव छूते, तो कहीं उनके साथ संघर्ष करते। हनुमानगढ़ी के पास एक साथी पुलिस वाले को पिटता देख सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने डी.एम. से गोली चलाने की अनुमति चाही। डी.एम. ने लाउडस्पीकर से फायरिंग की चेतावनी दी। मगर जत्थे पीछे नहीं हटे। फिर लाठीचार्ज हुआ। सड़कों पर कारसेवकों का समूह और छतों पर नारे लगाती जनता। कारसेवक धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। आँसूगैस, लाठी चार्ज, बैरिकेड का कोई असर नहीं। स्वचलित बंदूकें लिये बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., पी.ए.सी. और राज्य पुलिस भी कारसेवकों के आगे लाचार थी।

30 अक्तूबर को हुई कारसेवा में विवादित ढाँचे की चाहरदीवारी को भी नुकसान पहुँचाया गया। यह तस्वीर कहीं नहीं छपी। फोटो : राजेंद्र कुमार

30 अक्तूबर की कारसेवा के बाद तोड़-फोड़ की एक तस्वीर। फोटो : राजेंद्र कुमार

विवादित ढाँचे के गर्भगृह में भी कारसेवकों ने तोड़-फोड़ की। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवकों का गुस्सा हर तरफ तोड़-फोड़ के तौर पर

निकला। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवकों ने तोड़फोड़ की। लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कारसेवा से इनकार कर रहे थे। फोटो : राजेंद्र कुमार

कारसेवा के उग्र स्वरूप में कुछ लोग घायल भी हो गए। फोटो : राजेंद्र कुमार

विवादित ढाँचे के मुख्यद्वार पर भी तोड़फोड़ हुई। फोटो : राजेंद्र कुमार

उसी वक्त जन्मस्थान के पास कहीं से श्रीशचंद्र दीक्षित प्रकट हुए। वे तीन-चार सौ कारसेवकों के रक्षा घेरे में थे। माहौल गरमा गया। जोश में भीड़ परिसर में घुसने लगी। कोई रेंगकर, कोई बाड़-दीवाल को फाँदकर, तो कोई धकमपेल कर अंदर घुसा। बाहर खड़े कारसेवकों ने गुंबद पर चढ़ कारसेवकों को झंडा फहराते देखा तो वे बेकाबू हो गए। माहौल भयावह नारों से गूँज उठा। 'रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएँगे।' हर कारसेवक की जुबान पर 'जय सियाराम', 'हर-हर महादेव' था। गुंबद पर होती

तोड़-फोड़ ने कारसेवकों को पागल सा बना दिया। भीड़ किसी तरह बाहर निकले और कारसवेक शांत हों, यह सोच श्रीशचंद्र दीक्षित और महंत नृत्यगोपालदास से प्रशासन ने कारसेवकों के लिए अपील कराने की सोची। दीक्षित ने अपने और महंतजी के लिए राम जन्मभूमि के अंदर टीले पर खड़े होकर अपील करने की इजाजत माँगी, ताकि वे कारसेवकों को शांत कर सकें। जब दीक्षित के लिए पुलिस ने दरवाजा खोला, तो बड़ी संख्या में कारसेवक उनके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर के अंदर हो लिये। माहौल और बिगड़ गया। दीक्षित ने चालाकी से कारसेवकों को अंदर आने का इशारा किया था। कारसेवक परिसर के अंदर घुस तोड़-फोड़ करने लगे। भीड़ को डराने के लिए तब तक हेलीकॉप्टर भी आसमान में चक्कर लगाने लगा था। परिसर में कारसेवा शुरू होने के बाद श्रीशचंद्र दीक्षित का कहना था, "लोकशक्ति जीत गई।"

उसी वक्त जन्मस्थान के पास कहीं से श्रीशचंद्र दीक्षित प्रकट हुए। वे तीन-चार सौ कारसेवकों के रक्षा घेरे में थे। माहौल गरमा गया। जोश में भीड़ परिसर में घुसने लगी। कोई रेंगकर, कोई बाड़-दीवाल को फाँदकर, तो कोई धकमपेल कर अंदर घुसा। बाहर खड़े कारसेवकों ने गुंबद पर चढ़ कारसेवकों को झंडा फहराते देखा तो वे बेकाबू हो गए। माहौल भयावह नारों से गूँज उठा। 'रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएँगे।' हर कारसेवक की जुबान पर

'जय सियाराम', 'हर-हर महादेव' था। गुंबद पर होती तोड़-फोड़ ने कारसेवकों को पागल सा बना दिया।

अशोक सिंघल के घायल होने की खबर और कारसेवकों की संख्या लगातार बढ़ने से हनुमानगढ़ी की गली में दबाव बढ़ रहा था। लाठीचार्ज और चौकसी के बावजूद बारह बजे के आस-पास करीब 40,000 कारसेवक सुरक्षा के बाहरी घेरे और लोहे के फाटकों को तोड़कर जन्मभूमि क्षेत्र में घुस आए थे। इनके पीछे-पीछे हम भी जन्मस्थान तक आ गए थे। पर कैमरामैन नहीं आ पाया था। पुलिस उन्हें नहीं आने दे रही थी। देखते-देखते तीन कारसेवक फिर गुंबद पर चढ़ गए। गुंबद कोई तीस फीट ऊँचे थे। गुंबद पर चढ़ने और झंडा लगाने की इनकी फुर्ती देख हम चकित थे। तीनों गुंबदों पर पहले एक-एक छेद किया गया। फिर झंडा लगा ये फुर्ती से नीचे उतर आए। कारसेवकों के एक जत्थे ने बाहरी दीवार पर लगी लोहे की खिड़कियाँ और दरवाजे भी उखाड़ दिए। सारी कार्रवाई आराम से हुई। गेट तोड़ दिए गए। कारसेवकों के सैलाब के आगे अर्धसैनिक बल कुछ नहीं कर पाए। इन कारसेवकों का नेतृत्व अचानक प्रकट हुए परिषद के नेता श्रीशचंद्र दीक्षित, नृत्यगोपालदास, संत वामदेव और महंत परमहंस रामचंद्रदास कर रहे थे। इन सभी को प्रशासन कई दिनों से खोज रहा था। पुलिस बलों ने इन्हें थोड़ी देर में तितर-बितर कर दिया।

लगभग दो बजे कारसेवकों का दबाव फिर बेकाबू

हुआ। बाहर की तरफ धावा बोलकर कारसेवकों ने एक तरफ से इमारत की दीवार ढहा दी। पुलिस ने हवा में गोलियाँ चलाईं। इसी समय कुछ कारसेवक फिर इमारत में घुस गए। इनमें से दो गुंबद पर चढ़े और उन्होंने ध्वज को ठीक से लगाने की कोशिश की। तभी नीचे से सी.आर.पी.एफ. ने गोली चलाई। दोनों कारसेवक वहीं से छिपकली की तरह जमीन पर गिरे और मारे गए। पुलिस ने कोई बीस मिनट की कोशिश के बाद दोबारा परिसर खाली करा उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन बाहर कारसेवकों का दबाव बना रहा। पुलिस कारसेवकों को भगाती रही और नए जत्थे आते रहे। डेढ़ घंटे बाद कारसेवकों का फिर ऐसा रेला आया, जिन्होंने पीछे से नींव खोदनी शुरू कर दी, इन्हें भगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने बीस राउंड गोलियाँ चलाईं। यहाँ कुल 11 कारसेवक मारे गए। उसके बाद काफी हिंसा हुई। सात जीपों और दो बसों को कारसेवकों ने आग लगा दी। 'बड़ा स्थान' मंदिर के पास हिंसा ज्यादा हुई।

अयोध्या में सरकार पूरी तरह फेल हो गई थी। राममंदिर की कारसेवा हुई। विवादित ढाँचे के गुंबदों पर झंडा लगाया गया। गुंबद, दीवार, खिड़कियाँ तोड़ी गईं। लगभग एक लाख कारसेवकों ने जन्मभूमि की ओर कूच किया। अर्धसैनिक बलों ने तीन बार गोली चलाकर कारसेवकों को रोकने की कोशिश की। गुंबद पर झंडा फहराते हुए दो

कारसेवक गोली से मारे गए। तीन नींव खोदते हुए मारे गए। तीस घायल हुए। लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने कारसेवा होने और ढाँचे को नुकसान होने का खंडन किया। जो हमने अपनी आँखों से देखा था।

लेकिन अर्धसैनिक बलों ने 'बड़ा स्थान' मंदिर के पास गोली चलाने के आदेश को नहीं माना। कारसेवक सैनिकों के पाँव छूते। इससे सैनिक पीछे हटते तो कारसेवक आगे बढ़ते। ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने की जगह मिलती जाती थी।

अब तक की कारवाई से साफ था कि अयोध्या में सरकार पूरी तरह फेल हो गई थी। राममंदिर की कारसेवा हुई। विवादित ढाँचे के गुंबदों पर झंडा लगाया गया। गुंबद, दीवार, खिड़कियाँ तोड़ी गईं। लगभग एक लाख कारसेवकों ने जन्मभूमि की ओर कूच किया। अर्धसैनिक बलों ने तीन बार गोली चलाकर कारसेवकों को रोकने की कोशिश की। गुंबद पर झंडा फहराते हुए दो कारसेवक गोली से मारे गए। तीन नींव खोदते हुए मारे गए। तीस घायल हुए। लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने कारसेवा होने और ढाँचे को नुकसान होने का खंडन किया। जो हमने अपनी आँखों से देखा था। कारसेवकों ने बाहरी दीवार की ईंटें उखाड़ दी थीं। एक तरफ की दीवार गिरा दी थी। जंगले और खिड़कियाँ तो लगभग सभी उखाड़ दिए थे। मंदिर के गर्भगृह के अंदर भी तोड़फोड़ की। सेना को शाम चार बजे बुलाया तो गया, लेकिन उन्हें

इलाका सुपुर्द नहीं किया गया। केवल इकबाल कायम करने के लिए उनका फ्लैग मार्च हुआ। जिला प्रशासन बाबरी ढाँचे की मरम्मत करवाकर सेना को सुपुर्द करने की योजना बना रहा था। प्रशासन ने कारसेवा होने की खबर और फोटो पर पाबंदी लगाई। इमारत में तोड़-फोड़ की फोटो कहीं नहीं छपी। आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं।

कड़े बंदोबस्त और 24 सुरक्षा घेरों को तोड़ एक लाख कारसेवकों का मौके तक पहुँच जाना सचमुच आश्चर्यजनक था। इसमें करीब बीस हजार साधु थे। ज्यादातर कारसेवक खेतों-पगडंडियों के रास्ते तीन सौ किलोमीटर दूर से पैदल चलकर पहुँचे थे। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कारसेवक ज्यादा थे। इनमें ज्यादातर नौजवान थे। कारसेवक 30 अक्तूबर के तड़के ढाई बजे से ही सरयू के किनारे जमा होने शुरू हुए थे। दो घंटे में इनकी संख्या 40 हजार तक पहुँच गई। पुलिस के डी.आई.जी. जी.एल. शर्मा ने तब इनकी संख्या मुझे 25 हजार बताई थी। सरयू नदी के डेढ़ किलोमीटर लंबे पुल पर सवेरे छह बजे तक हजारों कारसेवक जमा हो गए थे। प्रशासन ने पुल पर भीड़ हटाने के लिए गोली चलवाई।

मुसलमानों को यह बताने के लिए कि अयोध्या में सरकार फेल नहीं हुई है, मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया, "विवादित इमारत में कोई कारसेवा नहीं

हुई। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिन लोगों ने विवादास्पद जगह पर जबरन घुसने की कोशिश की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लोग अफवाहों से गुमराह न हों।" दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी अयोध्या की नाजुक हालत से बहादुरी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बधाई दी।

गोली कुल तीन जगह चली—एक, मंदिर परिसर में गुंबद पर चढ़े व नींव खुदाई करते कारसेवकों पर। दो, मानस भवन तिराहे पर आनंद भवन के सामने, जहाँ साधुओं ने मोर्चा सँभाला हुआ था। तीन, सरयू पुल पर, जहाँ दोपहर में गोलियाँ चलीं। इस पुल पर गोंडा जिले के कटरा कस्बे से नदी के किनारे-किनारे दुर्गागंज और माँझा गाँव में छुपकर कारसेवक पहुँचे थे। ये लोग दस दिनों ये यहाँ छुपे हुए थे। गाँव वाले इनकी मेहमाननवाजी कर रहे थे।

शाम को जन्मभूमि परिसर पर दबाव खत्म हो गया था। पुलिस ने रामकोट के सारे मंदिर खाली करा लिये। अयोध्या भी सील कर दी गई। फैजाबाद में फ्लैग मार्च हुआ। फैजाबाद, अयोध्या में स्थानीय आबादी कारसेवकों के खाने-पीने का प्रबंध कर रही थी। अशोक सिंघल ने एक अपील जारी कर के कहा, "हिंदू समाज की ऐतिहासिक विजय पर मैं सभी रामभक्तों को बधाई देता हूँ। शासन की सभी बाधाओं को ध्वस्त करके, अनेक रामभक्तों के

बलिदान के बाद आखिर आज गर्भगृह से कारसेवा शुरू हो ही गई। जो कारसेवक अब भी अयोध्या नहीं आ पाए हैं, वे जहाँ भी हैं, वहाँ से अयोध्या आकर दो दिन तक कारसेवा करके ही घर लौटें।" सिंघल के इस बयान के बाद कारसेवकों का अयोध्या आना जारी था।

उधर अपनी झेंप मिटाने और मुसलमानों को यह बताने के लिए कि अयोध्या में सरकार फेल नहीं हुई है, मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया, "विवादित इमारत में कोई कारसेवा नहीं हुई। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिन लोगों ने विवादास्पद जगह पर जबरन घुसने की कोशिश की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लोग अफवाहों से गुमराह न हों।" दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी अयोध्या की नाजुक हालत से बहादुरी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बधाई दी। सईद ने कहा, पूरी कोशिश के बावजूद कारसेवा शुरू नहीं हो सकी। सरकार को समर्थन दे रही पार्टी बीजेपी ने अयोध्या में गोली चलाने पर प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह से एतराज जताया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दूसरे रोज मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दिल्ली तलब किया। देश भर में इस घटना के खिलाफ भड़की हिंसा में 35 लोग मारे गए और 30 शहरों में कर्फ्यू लगा।

अशोक सिंघल पुलिस की लाठी से जख्मी होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। वे दूसरे दिन अस्पताल से फरार हो गए। फरार होने के बाद उन्होंने बयान

दिया कि अयोध्या की घटनाएँ मुख्यमंत्री के अहंकार का नतीजा थी। जबकि लखनऊ में गृहसचिव ने घोषणा की कि अशोक सिंघल गिरफ्तार कर लिये गए हैं। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित भी किया गया। उनकी फरारी के बाद लाचार हो दूसरे दिन मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि "सिंघल को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया था।"

गोलीबारी, दंगे-फसाद के बीच एक नवंबर को भी अयोध्या में कारसेवकों को आना जारी रहा। सरयू किनारे, गलियों, मंदिरों, मठों, छावनियों, अखाड़ों में कारसेवक नए सिरे से कारसेवा के लिए डटे रहे। दोनों पक्षों ने 30 अक्तूबर की घटना को देखते हुए फिर नए सिरे से अपनी-अपनी व्यूह रचना की। एक तरफ सेना फ्लैग मार्च कर रही थी, तो दूसरी तरफ कारसेवकों का पैदल मार्च भी जारी था। जिला अधिकारी ने मुझे बताया कि पत्रकारों और दूसरे लोगों को राम जन्मभूमि तक जाने की मनाही है, क्योंकि विवादित इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। सरकार ने इस काम के लिए पुरातत्त्व विशेषज्ञों को अयोध्या बुलाया था। जो विवादित इमारत को पुरानी स्थिति में पहुँचाने का काम सेना की मदद से कर रहे थे।

विवादित ढाँचे में पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालुओं और कारसेवकों का दर्शन, पूजा-पाठ चलता रहा। फोटो : राजेंद्र कुमार

ढाँचे के भीतर पुलिस बलों का रवैया दोस्ताना था। फोटो : राजेंद्र कुमार

ध्वंस से पहले विवादित ढाँचे में विराजमान रामलला। फोटो : मनमोहन शर्मा

अशोक सिंघल पुलिस की लाठी से जख्मी होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। वे दूसरे दिन अस्पताल से फरार हो गए। फरार होने के बाद उन्होंने बयान दिया कि अयोध्या की घटनाएँ मुख्यमंत्री के अहंकार का नतीजा थी। जबकि लखनऊ में गृहसचिव ने घोषणा की कि अशोक सिंघल गिरफ्तार कर लिये गए हैं। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित भी किया गया। उनकी फरारी के बाद लाचार हो दूसरे दिन मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि “सिंघल को कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया था।” वे छुपकर

कौशलेंद्र सदन के बगल में एक मंदिर में रह रहे थे। जहाँ वे कारसेवा की नई रणनीति बनाने में दिन भर व्यस्त रहे। इसी खुफ़िया जगह कल देर रात तक अशोक सिंघल, कारसेवा समिति के संचालक संत वामदेव महाराज और राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष नृत्यगोपालदास की बैठक चली।

सुबह मणिरामदास छावनी में कारसेवकों को नृत्यगोपालदास और संत वामदेव ने संबोधित किया। यह आश्चर्यजनक था कि पिछले दो दिनों से परिषद के इन तीनों पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की दूरदर्शन झूठी खबर प्रसारित कर रहा था, जबकि ये तीनों वहीं बैठकर रोज भाषण देते और रणनीति बनाते। इससे ऐसा लगता था कि सरकार और प्रशासन कारसेवा को लेकर कितना बदहवास और गुमराह था।

गोलीकांड और बढ़ते तनाव के बावजूद कारसेवक अयोध्या से लौटने को राजी नहीं थे। कल जो जत्था कारसेवा कर सका, वह तो लौट गया, पर आज भी हजारों कारसेवक मणिरामदास छावनी, बड़ी छावनी, खाकी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़े में जमा थे। उनका कहना था कि वे कारसेवा के लिए कसम खाकर आए हैं, कारसेवा किए बिना कैसे लौट जाएँ? भले गोली खानी पड़े। सरयू के उस पार गोंडा की तरफ भी कारसेवक जमा थे। तभी गलियों में घूमते मुझे दिगंबर अखाड़े के पीछे अशोक सिंघल मिले। मैंने उनसे पूछा, यह गतिरोध कैसे टूटेगा? कारसेवक

वापस जा नहीं रहे हैं, उलटे उनका आना जारी है, जबकि प्रशासन ने दर्शन पर पाबंदी लगा रखी है। अशोक सिंघल बोले, "सरकार खुद हिंसा भड़काना चाहती है। अगर कारसेवक जमा हो रहे हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजिए। प्रशासन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा है, उलटे हिंसा के लिए उकसा रहा है। हम आज रात संतों से परामर्श कर कुछ फैसला करेंगे। हम 2 नवंबर को फिर से कारसेवा शुरू करेंगे।"

हिंदुत्व का ऐसा बुखार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। साधारण जनता हो, अफसर हों या पुलिस बल, सब इससे पीड़ित थे। 30 अक्तूबर की कारसेवा के उत्तेजनापूर्ण क्षणों में पी.ए.सी. के दो वरदीधारी जवानों ने भी कारसेवा शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने जब उन्हें हिरासत में लिया तो वे फरार हो मणिरामदास छावनी पहुँचे। इन पी.ए.सी. जवानों ने कारसेवकों के हुजूम में भाषण भी दिया। इसमें से एक 24वीं बटालियन गोरखपुर के परदेशी राम थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर कारसेवा दुबारा शुरू हुई तो ढेर सारे जवान कारसेवा करेंगे। इस घटना से जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए। उसने जन्मस्थान परिसर के भीतरी घेरे से पी.ए.सी. को हटा लिया।

गतिरोध बना हुआ था, जिला प्रशासन और सरकार कारसेवकों पर दबाव बना संतों से कारसेवा टलवाना चाहती थी। इसके लिए डी.एम. और एस.एस.पी. के स्तर पर विहिप से लगातार बातचीत हो रही थी। इस काम के

लिए सरकार ने अयोध्या नगरपालिका के चेयरमैन अवधेशदास शास्त्री को पकड़ा था। अवधेशदास शास्त्री कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे और उनका आश्रम राजसदन के पास ही था। इसी आश्रम में जिला मजिस्ट्रेट से बातचीत के लिए बजरंग दल प्रमुख विनय कटियार आते थे, जबकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खोज रही थी।

इस बैठक में बात नहीं बनी, तो विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि दो नवंबर को कारसेवा फिर शुरू होगी। संत वामदेव ने कारसेवकों को परिषद का फैसला सुनाया। कारसेवकों में उत्साह भर गया। वे मरने-मारने पर उतारू थे। 2 नवंबर को फिर जन्मस्थान की तरफ बढ़ने के लिए ये लोग आमादा थे। संत वामदेव ने सरकार को चेताया—"शासन ने अगर गोली चलाई तो उस हालत में कारसेवा के लिए पहला बलिदान मैं दूँगा। हम कारसेवा के लिए जाएँगे। यदि रोकना है तो प्रशासन कारसेवकों की वैधानिक गिरफ्तारी करे। कारसेवक शांति से गिरफ्तारी देंगे। पर शर्त यही है कि एक लाख लोगों की गिरफ्तारी वैधानिक होनी चाहिए।" वामदेव के बयान पर सरकारी नुमाइंदों ने कहा कि कारसेवकों की तादाद ज्यादा है, इसलिए हम वारंट काटकर गिरफ्तारी करने में असमर्थ हैं। नृत्यगोपालदास और संत वामदेव ने यह भी ऐलान किया कि कारसेवा सरकार ने रोकी है। परिक्रमा पर पाबंदी लगा दी है। बेवजह कर्फ्यू लगाकर जन-जीवन को अस्त-व्यस्त किया है। अकारण निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाकर

उत्तेजना भड़काई है। इस सबके खिलाफ साधु-संत सत्याग्रह शुरू करेंगे। अयोध्या फिर से किसी बड़ी अनहोनी की आशंका में घिर गई।

आजम खाँ ने कहा, 30 अक्तूबर को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद की दीवार और जगंलो को जो नुकसान पहुँचाया था, उसकी मरम्मत करा दी गई है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी की अब कोई शरारती मस्जिद के आस-पास भी न फटक पाए। आजम खाँ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के शुरुआती संयोजकों में थे। उ.प्र. के रामपुर के रहने वाले आजम खाँ अपनी बद्दजुबानी के लिए अकसर विवादों में रहते हैं। रामपुरी छुरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आजम साहब की जुबान छुरी की तरह चलती है। "भारत माता डायन है।" ये इन्हीं आजम खाँ का बयान था।

दो नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा थी। इस रोज लाखों श्रद्धालु बिना किसी आह्वान के इस मंदिर नगरी में हमेशा से स्नान के लिए जुटते रहे हैं। इस बार लाखों की संख्या में नई भीड़ आई। एक लाख कारसेवक यहाँ पहले से जमा थे। दो नवंबर को अयोध्या लड़ाई के मैदान में बदल गई थी। कारसेवक फिर से 'करो या मरो' के भाव से सुरक्षा घेरा तोड़ने पर आमादा थे। पूर्णिमा के दिन पाँच लाख लोगों के जमा होने का अनुमान था। हालाँकि सभी रेलगाड़ियाँ रद्द थीं। फिर भी न जाने कहाँ से लोग आए जा रहे थे। शहर के हर मंदिर पर कारसेवक और सुरक्षाबल

मौजूद थे। कारसेवकों की लगातार बढ़ती संख्या से प्रशासन के हाथ-पाँव फूले हुए थे।

देर रात तक विश्व हिंदू परिषद और साधु-संत इस सवाल पर बैठकें करते रहे कि 2 नवंबर को कौन-कौन सा जत्था किस-किस ओर से आगे बढ़ेगा। अशोक सिंघल ने अलग-अलग प्रांतों से आए कारसेवकों के जत्थेदारों से बात की और प्रशासनिक घेरेबंदी के बारे में समझाया। इस बैठक में नृत्यगोपालदास, संत वामदेव, देर रात अयोध्या पहुँचीं सांसद उमा भारती और ओंकार भावे मौजूद थे। इस बैठक में लक्ष्मणकिलाधीश सीतारामशरण और कौशल किशोर फलाहारी भी मौजूद थे, जो अब तक अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों का विरोध करते रहे थे।

सरकार में बैठे लोग भी उत्तेजना भड़का रहे थे। उत्तर प्रदेश के श्रममंत्री मोहम्मद आजम खाँ के एक बयान ने कारसेवकों के गुस्से की आग में घी का काम किया। आजम खाँ ने कहा, 30 अक्तूबर को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद की दीवार और जंगलों को जो नुकसान पहुँचाया था, उसकी मरम्मत करा दी गई है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी की अब कोई शरारती मस्जिद के आस-पास भी न फटक पाए। आजम खाँ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के शुरुआती संयोजकों में थे। उ.प्र. के रामपुर के रहने वाले आजम खाँ अपनी बद्ज़ुबानी के लिए अकसर विवादों में रहते हैं। रामपुरी छुरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आजम साहब

की जुबान छुरी की तरह चलती है। "भारत माता डायन है।" अपने इसी विवादास्पद बयान से वे सुर्ख़ियों में आए थे।

दो नवंबर को अयोध्या फिर मरने-मारने पर उतारू थी। कारसेवक जन्मभूमि तक किसी भी हाल में जाने को कटिबद्ध थे, तो प्रशासन ने सारी ताकत इस बात पर लगाई थी कि कारसेवक किसी कीमत पर वहाँ फटक न पाएँ। 30 अक्तूबर को कारसेवा की कामयाबी से प्रशासन में खीझ और हताशा तो पहले से ही थी। सुबह-सुबह ही मणिरामदास छावनी, दिगंबर अखाड़े और सरयू की तरफ से कारसेवकों का हुजूम निकला। पुलिस ने तीनों तरफ से आती भीड़ को हनुमानगढ़ी चौराहे पर रोकने की कोशिश की। भीड़ नहीं मानी तो अंधाधुंध गोली चलने लगी। एस.एस.पी. सुभाष जोशी का कहना था, गोली के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। नहीं तो कारेसवक हमें कुचल डालते और ढाँचे को तोड़ देते। पर जिस स्थान पर गोली चली वह ढाँचे से कोई दो किलोमीटर दूर था। और कारसेवक निहत्थे थे। दिगंबर अखाड़े से आने वाला जुलूस तो गोली की आवाज सुन वहीं सड़क पर बैठ गया और रामधुन गाने लगा। मैं अपने एक साथी संवाददाता जे.पी. शुक्ला के साथ दीवार से सटकर खड़ा हो गया, क्योंकि पुलिस की गोलियाँ हमारे अगल-बगल से सनसनाती हुई निकल रही थीं। शुक्ला 'द हिंदू' से अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक दफा तो शुक्लाजी की

एस.एस.पी. सुभाष जोशी से झड़प भी हो गई। उनका कहना था कि जो सड़कों पर निहत्थे लोग बैठे हैं, उन पर गोली क्यों चला रहे हैं?लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सबके माथे पर खून सवार था।

इस गोलीकांड के बाद अयोध्या की सड़कें, मंदिर और छावनियाँ कारसेवकों के खून से सन गईं। अर्धसैनिक बलों की अंधाधुंध फायरिंग से अनगिनत लोग मारे गए। ढेर सारे घायल हुए। हमने कोई पच्चीस लाशें सड़कों पर छितरी देखीं। शाम को इस गोलीकांड में मारे गए 40 कारसेवकों की सूची कारसेवक समिति ने अखबारों को जारी की। उनके पास भी घायलों का कोई हिसाब नहीं था।

जनमानस में हिंदुत्व का बुखार भरने में स्वामी रामचंद्र परमहंस का रोल अहम था। फोटो : राजेंद्र कुमार

प्रशासन ने दावा किया कि कारसेवक जन्मस्थान परिसर के करीब पहुँच गए थे। यह गलत था, क्योंकि गोलीकांड विवादित इमारत से दो किलोमीटर दूर हुआ। प्रशासन की दूसरी दलील थी। कारसेवकों को पहले

आँसूगैस, लाठीचार्ज से खदेड़ने की कोशिश हुई। जब यह बेअसर रहा तो गोली चलाई गई। पर तथ्य यह है कि प्रशासन ने कारसेवकों पर अंधाधुंध गोलियाँ उस वक्त चलवाईं, जब कारसेवक सत्याग्रह के लिए सड़कों पर बैठकर रामधुन गा रहे थे।

कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करके कारसेवक और साधु पुलिस घेरों की तरफ सबेरे करीब नौ बजे बढ़े। सुरक्षा बलों ने विवादित परिसर से एक किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र पहले ही सील किया हुआ था। गलियों के मुहाने पर और हनुमानगढ़ी के पास पुलिस सुरक्षा चौकियाँ बनी थीं। कारसेवकों ने आकर यहीं जमाव बनाया।

सुरक्षा बलों के खदेड़ने पर कारसेवक वहीं पर बैठ जाते। भीड़ जमती देख आई.जी. जोन जी.एल. शर्मा ने मातहत अधिकारियों से कहा कि सरकार के साफ निर्देश हैं कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं बैठेगी। आई.जी. के इस निर्देश के बाद सुरक्षा बलों ने आँसू गैस और लाठीचार्ज कर कारसेवकों को भगाने की कोशिश की। मगर कारसेवक डटे रहे। तभी अर्धसैनिक बल बिना चेतावनी के गोली चलाने लगे। गली-कूचों में दौड़ा-दौड़ाकर कारसेवकों को निशाना बनाकर गोलियाँ दागी गईं।

इसके बाद पुलिस बल दिगंबर अखाड़े की ओर बढ़ा। सुरक्षा बलों के निशाने पर कई रोज से यह अखाड़ा था। सारी गतिविधियाँ यहीं से संचालित हो

रही थीं। दिगंबर अखाड़े से बाहर खींचकर सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने बीकानेर से आए जुड़वाँ भाई शरद कोठारी और रामकुमार कोठारी का सिर गोलियों से उड़ा दिया। वहीं हमारे सामने सड़क के उस पार खड़े जोधपुर के सीताराम माली का कसूर सिर्फ इतना था कि वह आँसू गैस का गोला उठाकर नाली में डाल रहा था। सी.आर.पी.एफ. की टुकड़ी ने बंदूक उसके मुँह पर रखकर गोली दागी।

गोलीकांड ऑपरेशन का संचालन आई.जी. जोन जी.एल. शर्मा, एस.एस.पी. सुभाष जोशी, सी.आर.पी.एफ. के उप-कमांडर उस्मान, और 58वीं बटालियन के उप कमांडर तरमेंदर भुल्लर कर रहे थे। प्रशासन का यह ऑपरेशन इतना बर्बर और निर्मम था कि घायलों को उठाने तक की कारसेवकों को इजाजत नहीं थी, न ही पुलिस बल घायलों को खुद उठा रहे थे। घायल सड़कों पर तड़प रहे थे।

इस निर्मम गोलीकांड में जो मरे, उनमें पाँच लोग दंतधावन कुंड में, तीन खाकी अखाड़े में, तीन हनुमानगढ़ी पर, एक रामबाग में, तीन लोग अलग-अलग घरों में और दो लाशें कोतवाली के सामने मिलीं। पाँच कारसेवकों की लाश उनके साथी उठाकर ले गए। उन्हें मणिरामदास छावनी के चार धाम मंदिर में रखा गया था।

अंधाधुंध फायरिंग बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के हुई। फायरिंग के बाद सी.आर.पी.एफ. ने जिला मजिस्ट्रेट राम

शरण श्रीवास्तव से गोली चलाने के आदेश पर दस्तखत करवाए। जब गोलियाँ चल रही थीं, तब जिलाधिकारी बेचैन थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा, "मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह कितने लोगों को मारा जाएगा।" गोली चलाने के आदेश पर जबरन दस्तखत कराने के खिलाफ जिलाधिकारी उसी रात छुट्टी पर चले गए। फैजाबाद के आयुक्त मधुकर गुप्ता तक यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि कितने राउंड गोली चलाई गई हैं।

हनुमानगढ़ी चौराहे पर सबसे पहले गोली सुबह 10:30 बजे चली। इसके बाद पुलिस बल दिगंबर अखाड़े की ओर बढ़ा। सुरक्षा बलों के निशाने पर कई रोज से यह अखाड़ा था। सारी गतिविधियाँ यहीं से संचालित हो रही थीं। दिगंबर अखाड़े से बाहर खींचकर सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने बीकानेर से आए दो भाई शरद कोठारी और रामकुमार कोठारी का सिर गोलियों से उड़ा दिया। वहीं हमारे सामने सड़क के उस पार खड़े जोधपुर के सीताराम माली का कसूर सिर्फ इतना था कि वह आँसू गैस का गोला उठाकर नाली में डाल रहा था। सी.आर.पी.एफ. की टुकड़ी ने बंदूक उसके मुँह पर रखकर गोली दागी। फैजाबाद के राम अचल गुप्ता की अखंड रामधुन बंद नहीं हो रही थी। सुरक्षा बलों ने उन्हें पीछे से गोली दागकर मार डाला।

अंधाधुंध फायरिंग में पुलिस ने मंदिरों, अखाड़ों की पवित्रता का भी ध्यान नहीं रखा। मंदिरों में घुस-घुसकर

कारसेवकों पर गोलियाँ चलाईं। रामानंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर कई राउंड गोलियाँ चलाईं। साधुओं में त्राहि-त्राहि मच गई। फायरिंग के वक्त सी.आर.पी.एफ. के कुछ जवान रो रहे थे। कई ने अपनी बंदूक रख डंडा उठा लिया था। अखाड़े में घुसने के बाद डी.आई.जी. रेंज जी.एल. शर्मा ने सी.आर.पी.एफ. की टुकड़ी को लौट आने को कहा। सी.आर.पी.एफ. के एक डिप्टी कमांडर संपत सिंह ने तैश में आकर कहा, "सर, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने कामयाबी हासिल कर ली है, अब हम मंदिरों और अखाड़ों को खाली कराकर ही लौटेंगे।" डी.आई.जी. पीछे हो गए और टुकड़ी ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं।

एस.एस.पी. की चेतावनी के बाद भी हम वहाँ से हट नहीं रहे थे। मुझे लगा कि शायद हमारी उपस्थिति से उनकी बर्बरता कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक अपने को बचाते दीवारों की ओट लेकर खड़े रहे। अब हम हनुमानगढ़ी चौराहे से दिगंबर अखाड़े तक आने वाली गली में थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर से आया एक कारसेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया, गोली लगते ही गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर लिखा—सीताराम। पता नहीं यह उसका नाम था या भगवान का स्मरण। मगर उसके सड़क पर गिरने के बाद भी सी.आर.पी.एफ. की टुकड़ी ने उसकी खोपड़ी पर गोली मारी। बिलखते साथी ने बताया कि वे गंगानगर से आए हैं। तुलसी चौराहे के कत्लेआम के बाद

10:45 पर पुलिस ने कोतवाली के सामने बैठे कारसेवकों पर गोली चलाई। कारसेवकों की यह भीड़ एक घंटे से सड़क पर बैठकर रामधुन गा रही थी। इसका नेतृत्व खजुराहो से सांसद उमा भारती और अहमदाबाद के सांसद हरेंद्र पाठक कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने यहाँ भी गोली चलाई। कोतवाली के सामने वाले मंदिर का पुजारी वहीं ढेर हो गया। रामबाग के ऊपर से एक साधु आँसू गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहा था। सुरक्षा बलों ने उसे भी निशाना बनाया। गोली लगते ही साधु छत से नीचे टपक गया। फायरिंग के बाद सड़कों और गलियों में छितरे शवों को छुप-छिपाकर कारसेवक उठा ले गए। विनय कटियार ने 40 मृतकों की सूची हमें दी।

देर शाम तक अयोध्या में मरघट का सन्नाटा था। चौतरफा शोक और उत्तेजना थी। समूची अयोध्या पर पुलिस और कारसेवकों का कब्जा था। साधु-संत मंदिरों में कैद थे। मंदिरों के पट बंद थे। घंटे-घड़ियाल बंद हो गए थे। शाम का भोग कहीं नहीं लगा। चारों तरफ स्यापा था। कर्फ्यू केवल कागजों पर था। लोग घायलों को लेकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। प्रतिक्रिया में देश के दूसरे हिस्सों में दंगों की शुरुआत हो चुकी थी। इनमें 54 लोगों के मारे जाने की खबर थी, अयोध्या में जो मारे गए, उनके अलावा 24 गुजरात में, 13 बिहार में, चार कर्नाटक में, छह आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में दो लोगों के मारे जाने की खबर

थी। उत्तर प्रदेश के 42 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। राज्य से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। खबरों पर रोक लग गई। इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी में अखबारों के सांध्य संस्करणों को सरकार ने जब्त कर लिया, ताकि तनाव और न फैले।

इस फायरिंग के खिलाफ फैजाबाद के आम नागरिक सड़क पर उतर आए। देर रात कोई डेढ़ हजार लोगों ने कमिश्नर मधुकर गुप्ता की कोठी को घेर लिया। इनमें आगे-आगे बच्चे और महिलाएँ थीं। यह भीड़ कमिश्नर के घर में घुस गई। वहाँ सुरक्षा बल नाकाफी थे। भीड़ पूछ रही थी, कारसेवकों पर गोली क्यों चलाई? उनका कसूर क्या था? बड़ी मिन्नतों के बाद कमिश्नर भीड़ को लौटने के लिए मना पाए। उधर फैजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष झा ने कार्यवाहक जिलाधिकारी का चार्ज लिया। असल बात यह थी कि जिलाधिकारी आर.एस. श्रीवास्तव बीमारी का बहाना बना रात को ही छुट्टी पर चले गए थे।

राम जन्मभूमि की तरफ पिछले तीन दिनों से पत्रकार भी नहीं जा पा रहे थे। पूरा इलाका सूना पड़ा था। कारसेवक अखबारों से बहुत खफा थे। वे कारसेवकों की मौत सैकड़ों में ही अखबारों में पढ़ना चाहते थे। अयोध्या की प्रतिक्रिया दूसरे शहरों में न हो, मुलायम सिंह सरकार को इस बात की चिंता ज्यादा थी। तब टी.वी. और दूसरे समाचार चैनल नहीं थे। इसलिए अखबारों पर पहरा बिठाकर सरकार ने खबरों पर रोक लगाने की सोची।

वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद में अखबार छपे तो, पर जिला प्रशासन ने उन्हें बँटने नहीं दिया। लखनऊ और बनारस के संपादकों ने सरकार के इस कदम के खिलाफ अपनी गिरफ्तारी भी दी।

फैजाबाद में तीन नवंबर की सुबह बड़ी उदास थी। मैं अपने होटल शान-ए-अवध से बाहर निकल ही रहा था, तभी कर्फ्यू के दौरान भारी संख्या में महिलाओं को सड़क पर जाते देखा। मेरे होटल के बगल में ही कमिश्नर का आवास था। मेरी उत्सुकता जगी। मैं सड़क पर पहुँचा तो देखा, ये सारी महिलाएँ फैजाबाद के सैन्य और सरकारी अफसरों की पत्नियाँ हैं, जो गोलीकांड के खिलाफ कमिश्नर का घेराव करने जा रही हैं। जब तक मैं पहुँचता, ये महिलाएँ कमिश्नर के घरेलू दफ्तर में दाखिल हो चुकी थीं। इन्हें रोकने की कोशिश भी हुई होगी, क्योंकि प्रतिरोध के सबूत के तौर पर वहाँ ढेर सारे गमले बिखरे पड़े थे। इन महिलाओं ने कमिश्नर को घेरकर पूछा, "निहत्थे कारसेवकों पर गोली क्यों चली?" कमिश्नर बोले, "सरकार का आदेश था।" महिलाओं ने कहा, "वे मुख्यमंत्री के अलोकतांत्रिक आदेशों को क्यों मान रहे हैं।" महिलाओं ने कमिश्नर से कहा कि "वे गोली की भाषा बंद करें।"

"बसें तो बाद में बन सकती थीं। पर जिनकी गोदें सूनी हो गई हैं, जिनके सिंदूर उजड़ गए हैं, क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं?"

कमिश्नर के बोल नहीं फूटे। अफसरों की बीवियों

ने चिल्ला-चिल्लाकर पूछा, "लाठियाँ क्यों नहीं चलाई गईं? मुख्यमंत्री के सिर्फ इस ऐलान से कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप लोगों ने चापलूसी में निहत्थे लोगों को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया!"

एक ए.डी.एम. की बीवी ने कहा, "आप मजिस्ट्रेटों पर दबाव डालकर गोली चलाने के आदेश पर दस्तख्त क्यों करवाते हैं? आप ने अगर अब ऐसा किया तो कोई मजिस्ट्रेट दस्तखत नहीं करेगा। जिन कारसेवकों को बातचीत से मनाया जा सकता है, जिन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर गोली चलाने का आदेश देने के लिए श्रीमान कमिश्नर आप आगे से किसी पर दबाव नहीं डालेंगे।" सवालों की बौछार से कमिश्नर के पसीने छूट रहे थे। एक अफसर की बीवी ने कहा, "आप मुलायम सिंह के हर मनमाने अलोकतांत्रिक निर्णय का समर्थन क्यों करते हैं?"

कमिश्नर मधुकर गुप्ता, "तो मैं क्या करूँ?"

एक अफसर की पत्नी, "आप उन्हें असलियत बताएँ। संतों पर गोली चलाने से मना करें। उनके अवैधानिक निर्देश मानने से इनकार करें।"

कमिश्नर, "यह सरकार का फैसला है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। हम आपकी भावनाओं को सरकार तक पहुँचा सकते हैं।"

तो एक मजिस्ट्रेट की बीवी बोली, "आप मुख्यमंत्री के

हर गलत फैसले का समर्थन कर उन्हें तानाशाह बना रहे हैं।"

कमिश्नर, "पर व्यवस्था बनाए रखना हमारा दायित्व है। हमें आपकी मदद चाहिए। आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें।"

एक अफसर की पत्नी, "थोड़ी मानवीय संवेदना जगाइए। आँख से सरकारी पट्टी उतारिए। सभी अखबारों में छपी खबर अफवाह हैं, और सच्चाई की पताका सिर्फ आपकी सरकार ने थाम रखी है! आप लोगों ने मानवता का संहार किया है।" इस बीच दूसरी महिला ने कहा, "क्या आप अपने घरवालों पर गोली चला सकते हैं?"

कमिश्नर मधुकर गुप्ता, "वे बसों को तोड़ रहे थे। पथराव कर रहे थे।"

एक महिला, "बसें तो बाद में बन सकती थीं। पर जिनकी गोदें सूनी हो गई हैं, जिनके सिंदूर उजड़ गए हैं, क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं?"

कमिश्नर के बोल नहीं फूटे। अफसरों की बीवियों ने चिल्ला-चिल्लाकर पूछा, "लाठियाँ क्यों नहीं चलाई गईं? आपकी पुलिस की इतने दिनों में तैयारी क्या थी? मुख्यमंत्री के सिर्फ इस ऐलान से कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आप लोगों ने चापलूसी में निहत्थे लोगों को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया!"

मधुकर गुप्ता विहिप नेता अशोक सिंघल के सगे मामा के लड़के थे। इस भीड़ में अशोक सिंघल की बहन भी थी।

उन्होंने कहा, "क्या आप अपने भाई को मरवाकर ही मानेंगे।" बाद में मधुकर गुप्ता केंद्रीय गृह सचिव भी हुए।

उस रोज फैजाबाद के सरकारी अफसरों के घर चूल्हे नहीं जले, क्योंकि उनकी पत्नियाँ आयुक्त के यहाँ बैठी थीं, यह लिखित आश्वासन लेने के लिए कि अब गोली नहीं चलेगी। कमिश्नर के बँगले पर यह हंगामा हो ही रहा था कि छावनी से सेना के अधिकारियों की बीवियों ने जुलूस निकाल लिया। जुलूस पूरे शहर में घूमा। शहर के कॉलेजों के प्रिंसिपल, अध्यापक और वकील इसमें शामिल हो गए और आयुक्त निवास आते-आते इनकी तादाद हजारों में हो गई। जुलूस में महिलाएँ और बच्चे हाथ में तख्तियाँ लिये थे, जिन पर लिखा था, 'निहत्थे कारसेवकों की हत्या बंद करो।', 'जनरल डायर मत बनो।' बढ़ती उत्तेजना से फैजाबाद-लखनऊ राजमार्ग को रोक दिया गया। क्योंकि कमिश्नर का घर इसी सड़क पर था। कमिश्नर पिछले दरवाजे से अपना घर छोड़ भाग खड़े हुए।

उस रोज फैजाबाद के सरकारी अफसरों के घर चूल्हें नहीं जले, क्योंकि उनकी पत्नियाँ आयुक्त के यहाँ बैठी थीं। यह लिखित आश्वासन लेने के लिए कि अब गोली नहीं चलेगी। कमिश्नर के बँगले पर यह हंगामा हो ही रहा था कि छावनी से सेना के अधिकारियों की बीवियों ने जुलूस निकाल लिया। जुलूस पूरे शहर में घूमा। जुलूस में महिलाएँ और बच्चे हाथ में तख्तियाँ लिये थे, जिन पर लिखा था,

'निहत्थे कारसेवकों की हत्या बंद करो।', 'जनरल डायर
मत बनो।'

अब राज्य सरकार की मुश्किल थी कि अयोध्या में जमे कारसेवकों को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि कल के गोलीकांड के बाद से अयोध्या और राज्य के दूसरे हिस्सों में हालात बेकाबू हो रहे थे। सरकार भी कोई बीच का रास्ता तलाश रही थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि विश्व हिंदू परिषद कारसेवा को स्थगित करने का ऐलान कर कारसेवकों को वापस अपने-अपने घरों को लौटने को कहे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस बात पर अड़ी थी कि जो कारसेवक अयोध्या में हैं या जो रास्ते में हैं, उन्हें रामलला के दर्शन कराकर ही लौटने को कहा जा सकता है। परिषद का कहना था कि इतने दूर-दराज से जोखिम उठाकर आने वाले कारसेवकों को कम-से-कम रामलला के दर्शन करने की इजाजत तो होनी चाहिए। उसी के बाद उन्हें लौटने को कहा जा सकता है।

कारसेवा स्थगित हो और अयोध्या से कारसेवक लौटें, इन दोनों मुद्दों पर कोई रास्ता निकले। इस काम के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने संघ में अपने संपर्कों की तलाश शुरू की। संघ में उनके एक करीबी थे कौशल किशोर। वे शायद उस वक्त संघ के सह बौद्धिक प्रमुख थे। मुलायम सिंह यादव ने उनसे बात कर उन्हें सरकारी जहाज से अयोध्या भेजा और कहा, कारसेवा किसी भी

तरह से टलवाइए। कौशल किशोर फैजाबाद में ‘लैंड’ कर सीधे मणिरामदास छावनी पहुँचे। इस छावनी का चारधाम मंदिर ही आंदोलन का अभेद्य दुर्ग था। यहाँ कारसेवक जमा थे। यहीं उस वक्त भी नेताओं का भाषण हो रहा था।

कौशल किशोर यहाँ पहुँचे और कारसेवा को स्थगित करने की इकतरफा घोषणा कर दी। तनाव और उत्तेजना में कारसेवकों ने कौशल को दौड़ा लिया। विनय कटियार ने बीच-बचाव किया। कटियार ने कहा, गोलीकांड के दुख और अवसाद के बीच यह इकतरफा निर्णय कब और किसने लिया? कौशल किशोर ने कहा, “अब आगे गतिरोध कैसे टूटेगा? इतने खून-खराबे के बाद कारसेवा स्थगित करना ही ठीक होगा।” विनय कटियार ने कहा, “मुझे सिर्फ अशोक सिंघल और मोरोपंत पिंगले का निर्देश मानने को कहा गया है। कारसेवक उत्तेजित हैं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप मोरोपंत पिंगले से बात करें।” कौशल किशोर मोरोपंत पिंगले के पास गए। पिंगले ने भी कहा, “हम इकतरफा घोषणा कैसे कर सकते हैं। विनय कटियार जो कह रहे हैं, वह ठीक है। कारसेवा के बाबत अब विनय कटियार ही अंतिम फैसला करेंगे। आपको यह अधिकार किसने दिया?” हर कोई इस बदले पैंतरे से हतप्रभ था। बाद में अशोक सिंघल, विनय कटियार, मोरोपंत पिंगले ने तय किया कि जो कारसेवक आए हैं, उन्हें सरकार पहले दर्शन की इजाजत दे। भले छोटे-छोटे जत्थों में, तभी हम कारसेवा को टालने की

घोषणा करेंगे। कौशल किशोर ने वहीं से मुलायम सिंह यादव को इस फैसले की जानकारी दी।

चिता पर इन दो सगे कोठारी भाइयों की देह रखी थी और आकाश में 'अमर हो' की गूँज थी। रामकुमार कोठारी (23) और शरद कोठारी (20) को दो नवंबर को सुरक्षा बलों ने एक घर से निकालकर गोलियों से उड़ा दिया था, क्योंकि इन लोगों ने 30 अक्तूबर की कारसेवा में विवादित इमारत के गुंबद पर भगवा ध्वज फहराया था। दोनों का परिवार पीढ़ियों से कलकत्ता में रहता था। हीरालाल कोठारी के यही दो बेटे थे।

मुलायम सिंह यादव की मुश्किल यह थी कि उन्होंने दर्शन रोक रखे थे। क्योंकि 30 अक्तूबर की कारसेवा में ढाँचे को खासा नुकसान हुआ था। वे नहीं चाहते थे कि टूटी-फूटी इमारत की खबर और चित्र बाहर जाएँ। ढाँचे की मरम्मत पूरी हुए बिना वे इसे दर्शन के लिए खोलना नहीं चाहते थे। लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। उसने दर्शन के लिए विवादित स्थान को खोला। कारसेवकों को दर्शन की इजाजत दी गई और कारसेवा टालने की घोषणा हुई।

विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवा के स्थगन का ऐलान तो किया, लेकिन जो कारसेवक रास्ते में फँसे थे, उन्हें अयोध्या आने को कहा, ताकि वे श्रीराम महायज्ञ में हिस्सा ले सके। रामलला के दर्शन कर सकें। उसके बाद अपने ही घरों को लौटें। श्रीराम महायज्ञ सात नवंबर तक चलना था।

विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि कारसेवा में बलिदान हुए कारसेवकों के अस्थिकलश देश के कई हिस्सों में भेजे जाएँगे। शोक सभाएँ होंगी। अस्थिकलश यात्रा सड़कों पर निकलेगी। फिर सरकार उसे कैसे रोक पाएगी? इससे देश भर में अयोध्या गोलीकांड के खिलाफ जनमत बनेगा। राज्य सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की माँगें मानकर इस गतिरोध का अंत किया।

राज्य सरकार से सहमति के बाद कारसेवकों की आवाजाही शुरू हुई। अयोध्या में मारे गए कारसेवकों की याद में वहाँ शोकसभा भी हुई। इस स्मृति-सभा में समूची अयोध्या दो कारसेवकों के प्रति नतमस्तक थी। उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए सरयू के किनारे लोग उमड़ पड़े थे। चिता पर इन दो सगे कोठारी भाइयों की देह रखी थी और आकाश में 'अमर हो' की गूँज थी। रामकुमार कोठारी (23) और शरद कोठारी (20) को दो नवंबर को सुरक्षा बलों ने एक घर से निकालकर गोलियों से उड़ा दिया था, क्योंकि इन लोगों ने 30 अक्तूबर की कारसेवा में विवादित इमारत के गुंबद पर भगवा ध्वज फहराया था। दोनों का परिवार पीढ़ियों से कलकत्ता में रहता था। हीरालाल कोठारी के यही दो बेटे थे। एक तीसरी अविवाहित बेटी है। हीरालाल कोठारी बेटों की मौत से गंभीर सदमे में थे। बेटों का शव लेने उनके बड़े भाई दाऊलाल कोठारी फैजाबाद आए थे। उन्होंने ही शवों का अंतिम संस्कार किया। भरे स्वर में दाऊलाल ने कहा कि

उनके बेटों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। पर वे शरद और रामकुमार की माँ को क्या जवाब देंगे? याद आते ही वे फूट पड़ते थे। माँ को उनके दोनों बेटों के बलिदान की जानकारी तब तक नहीं दी गई थी।

एक कमेटी बनी, जिसमें दोनों तरफ के आठ-आठ विशेषज्ञ थे। इस कमेटी में शरद पवार, भैरोंसिंह शेखावत और मुलायम सिंह को भी रखा गया। जन्मभूमि और बाबरी के समर्थक पक्षों ने इस कमेटी में अपने-अपने दावे को पुख्ता करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य और सबूत दिए। कमेटी की चार बैठकें हुईं। एक बार तो ऐसा लगा कि बातचीत किसी फॉर्मूले के करीब पहुँच गई। लोगों में विश्वास जगने लगा। लेकिन मार्च 1991 में कांग्रेस के अपरिपक्व नेतृत्व ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया।

दाऊलालजी ने बताया कि घटना के दिन चार बजे ही उन्हें बेटों के न रहने की जानकारी मिल गई थी। तीस अक्तूबर को विवादित इमारत पर 'झंडा लहराने' के बाद दोनों भाई दो नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। जब पुलिस ने गोली चलाई, तब दोनों पीछे हटकर एक घर में जा छुपे। इस बीच सी.आर.पी.एफ. के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर के बाहर निकालकर सड़क पर बिठाया और सिर को गोली से उड़ा दिया। छोटे भाई के

साथ ऐसा होते देख रामकुमार भी कूद पड़ा। इंस्पेक्टर की गोली रामकुमार के गले को भी पार कर गई। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

दोनों भाई 22 अक्तूबर की रात में कलकत्ता से चले थे। बनारस आकर रुक गए। सरकार ने गाड़ियाँ रद्द कर दी थीं। तो वे टैक्सी से आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे तक आए। यहाँ से सड़क रास्ता भी बंद था। वे 25 तारीख से कोई 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्तूबर की सुबह अयोध्या पहुँचे थे। 30 अक्तूबर को विवादित जगह पर पहुँचने वाला शरद पहला आदमी था। विवादित इमारत के गुंबद पर चढ़कर उसने भगवा पताका फहराई थी। इस दिन दोनों को सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने लाठियों से पीटकर बाहर खदेड़ दिया था। शरद और रामकुमार अब मंदिर आंदोलन में कहानी बन गए थे। अयोध्या में उनकी कथाएँ सुनाई जा रही थीं।

कारसेवा के अंजाम ने हिंदू भावनाओं के ज्वार को चरम पर पहुँचा दिया। शरद कोठारी और रामकुमार कोठारी राममंदिर की खातिर समर्पण की 'अंतिम हद' के प्रतीक बन गए। कारसेवकों पर चली गोली के गुस्से ने मुलायम सिंह से उनकी राजनीतिक जमीन खींच ली। रामभक्तों ने उत्तर प्रदेश की सरकार उलट दी। ध्वंस अभी जमीन पर तो नहीं हुआ, पर जेहन में जरूर हो गया। क्रिया की प्रतिक्रिया इतनी त्वरित और जबरदस्त होगी, किसी ने सोचा भी न था।

इस गोलीकांड की समूचे देश में प्रतिक्रिया हुई। सात दिन बाद ही प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार चली गई। हिंदुत्व का ज्वार जो बाद में हमने देखा, उसके 'बीज' उसी रोज पड़ गए थे। नवंबर में ही चंद्रशेखर के नेतृत्व में केंद्र में नई सरकार बनी। चंद्रशेखर साफ बात कहने वाले समाजवादी थे। उनकी सरकार को कांग्रेस का समर्थन था। नए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अयोध्या के हल की तलाश शुरू की। उन्होंने अपने गृह राज्यमंत्री सुबोध कांत सहाय को दोनों पक्षों से बातचीत करने का काम सौंपा। एक कमेटी बनी, जिसमें दोनों तरफ के आठ-आठ विशेषज्ञ थे। इस कमेटी में शरद पवार, भैरोंसिंह शेखावत और मुलायम सिंह को भी रखा गया। जन्मभूमि और बाबरी के समर्थक पक्षों ने इस कमेटी में अपने-अपने दावे को पुख्ता करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य और सबूत दिए। कमेटी की छह बैठकें हुईं। एक बार तो ऐसा लगा कि बातचीत किसी फॉर्मूले के करीब पहुँच गई। लोगों में विश्वास जगने लगा। लेकिन मार्च 1991 में कांग्रेस के अपरिपक्व नेतृत्व ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वह भी एक बिना सिर-पैर के आरोप पर, कि सरकारी एजेंट राजीव गांधी की जासूसी कर रहे हैं। नतीजतन अयोध्या की समस्या तो धरी ही रह गई। देश एक दफा फिर आम चुनावों की दहलीज पर खड़ा हो गया।

4.

शिलान्यास

साल 1988 का बसंत राजीव गांधी सरकार के लिए राजनैतिक पतझड़ सरीखा था। 'मिस्टर क्लीन' का शासन विवादों की भेंट चढ़ चुका था। उन पर स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स से तोपों की खरीद में घूस खाने का आरोप लगा। स्वीडिस रेडियो ने आरोप लगाया और राजीव गांधी के सबसे करीबी और उन्हीं की सरकार के वित्तमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसे उछाला। इसके बाद राजीव गांधी लगातार विवादों में फँसते गए। जून 1988 में इसी माहौल में हुए इलाहाबाद उपचुनाव से राजनीति ने करवट बदली। कांग्रेस को वी.पी. सिंह के हाथों हार का मुँह देखना पड़ा। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के दाग और गाढ़े हुए। आजाद भारत की सबसे ताकतवर 415 सांसदों वाली सरकार अस्थिरता की ओर बढ़ने लगी थी।

पुलिस, पोस्टर और दृढ़ प्रतिज्ञा के बीच शिलान्यास की तैयारी। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

कांग्रेस पर होने वाले चौतरफा हमलों में विश्व हिंदू

परिषद यकायक सक्रिय हुई। बीजेपी को भी छींका दिख रहा था, जो जरा सी कारगर पहल से टूट सकता था। विश्व हिंदू परिषद ने फरवरी 1989 में इलाहाबाद के माघ मेले में तीसरी धर्मसंसद बुलाई। इस धर्मसंसद में देवरहा बाबा भी मौजूद थे। परमहंस रामचंद्रदास की अध्यक्षता में हुई इस धर्मसंसद ने ऐलान किया कि 9 नवंबर, 1989 को अयोध्या में राममंदिर का शिलान्यास होगा। 25 करोड़ की लागत से नागर शैली में बनने वाले प्रस्तावित मंदिर के प्रारूप को भी धर्मसंसद ने मंजूरी दी। 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। ऐसी मान्यता है कि चार महीने की नींद के बाद देवतागण उठते हैं। वैसे भी इस मौके पर लाखों लोग अयोध्या में सरयूस्नान और चौदह कोसी परिक्रमा के लिए जमा होते हैं। चौदह कोसी परिक्रमा यानी अयोध्या की परिक्रमा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक अयोध्या की परिधि चौदह कोस की थी, इसीलिए चौदह कोसी परिक्रमा का विधान था। शिलान्यास की जो जगह तय थी, वह विवादित स्थल में पड़ती थी। विहिप ने कहा, हम इसे विवादित स्थल नहीं मानते हैं। 9 नवंबर को भूमिपूजन और 10 नवंबर को शिलान्यास तय हुआ। आंदोलन को व्यापक आधार देने के लिए संतों ने देश के हर गाँव से मंदिर के लिए एक शिला लाने की योजना् बनाई। देश भर के तीन लाख गाँवों से पूजित शिलाएँ शिलान्यास के लिए 5 नवंबर तक यात्राओं की शक्ल में अयोध्या पहुँचनी थीं। गाँव-गाँव में हिंदुत्व के उभार का

इससे बेहतर कार्यक्रम नहीं हो सकता था।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्यक्ति के तौर पर वे सीधे और सरल थे। चंपुओं से घिरे रहते थे। उस वक्त उनकी अपनी कोई राय नहीं होती थी। उनके चंपुओं ने उन्हें समझाया कि बहुसंख्यक हिंदू भावनाओं को ध्यान में रख शिलान्यास करवा देना चाहिए। इससे पहले कि ये मुद्दा बीजेपी लपक ले, आप स्वयं पहल करें और हिंदुत्व के पुरोधा बनें। लोकसभा चुनाव अगले साल मार्च तक होने थे।

बीजेपी उस वक्त महज दो सांसदों वाली पार्टी थी। उसने मौका ताड़ लिया और 11 जून को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। राम जन्मभूमि का मुद्दा पहली बार बीजेपी के एजेंडे में शामिल हुआ। देश का माहौल गरमाने लगा। दोनों तरफ से आग उगलने वाले भाषण होने लगे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। व्यक्ति के तौर पर वे सीधे और सरल थे। चंपुओं से घिरे रहते थे। उस वक्त उनकी अपनी कोई राय नहीं होती थी। उनके चंपुओं ने उन्हें समझाया कि बहुसंख्यक हिंदू भावनाओं को ध्यान में रख शिलान्यास करवा देना चाहिए। इससे पहले कि यह मुद्दा बीजेपी लपक ले, आप स्वयं पहल करें और हिंदुत्व के पुरोधा बनें। लोकसभा चुनाव अगले साल मार्च तक होने थे। राजीव

गांधी के निजी सहायक आर.के. धवन ने मुझे एक साक्षात्कार में बताया कि "उन्हें यह समझाया गया कि शिलान्यास करा, आप चुनाव वक्त से पहले कराएँ और अयोध्या से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करें।" बाद में यह बात सच साबित हुई। राजीव गांधी ने अपना चुनाव अभियान अयोध्या से ही शुरू किया और भाषण में कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता 'रामराज्य' के प्रति दुहराई। उस वक्त राजीव गांधी के भाषण लेखक मणिशंकर अय्यर होते थे। उनका कहना था कि मेरे लिखे भाषण में रामराज्य का कहीं जिक्र भी नहीं था। राजीव गांधी ने इसे माहौल के दबाव में खुद से शायद जोड़ा था, ताकि भावनात्मक स्तर पर चुनाव में इसका फायदा हो। क्योंकि वे यह समझ चुके थे कि इस देश में चुनाव भावनाओं पर लड़े जाते हैं।

पी.वी. नरसिंह राव अपनी किताब 'अयोध्या 6 दिसंबर, 92' में लिखते हैं—'16 अक्तूबर, 1989 का दिन था। सुबह लगभग 8 बजे जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो अचानक मुझे प्रधानमंत्री निवास से एक फोन आया कि मैं प्रधानमंत्री जी से 9.30 बजे मिलूँ। मुझे यह कुछ अटपटा लगा, लेकिन फिर मुझे खयाल आया कि एक युवा प्रधानमंत्री अपने विदेशमंत्री को दिन या रात में किसी भी समय बुला सकता है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ऐसा घटित हो सकता है। जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की

जरूरत हो।

चुनाव अभियान की शुरुआत में ही राजीव गांधी द्वारा रामराज्य के ऐलान के गूढ़ अर्थ थे। प्रचार के दौरान सबने रामराज्य की अपनी-अपनी सोच के मुताबिक व्याख्या की। लोगों ने इसे कांग्रेस की बदलती हुई लाइन समझा। वामपंथी मित्रो ने कहा यह कांग्रेस का 'साफ्ट हिंदुत्व' है। यों हमारी परंपरा में 'रामराज्य' अच्छी राजनैतिक व्यवस्था (राज्य) के लिए पहले से इस्तेमाल होता रहा है। आजादी की लड़ाई में इसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा किया था। महात्मा गांधी अपने रामराज्य के बारे में कहते थे, 'मेरे विचार में स्वराज और रामराज्य एक ही बात है। रामराज्य उसी का आशय है। वह रामराज्य कैसे स्थापित होगा? वह अस्तित्व में कब आएगा? हम उस माहौल को रामराज्य कहेंगे, जब एक राज्य में शासक और प्रजा दोनों ईमानदार हों, दोनों के हृदय साफ हों, दोनों स्वयं में त्याग की भावना रखते हों, दोनों सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए स्वयं संयमित और नियंत्रित रहें और जब दोनों के बीच में संबंध उस तरह प्रगाढ़ हो, जैसा पिता पुत्र में होता हो, वही रामराज्य है। प्रजातंत्र की वास्तविक परिभाषा भी यही है। मैं जिस प्रजातंत्र में विश्वास करता हूँ, वह रामायण में निहित है। रामचंद्र ने किस तरह से शासन चलाया था? आज के शासकों को लगता है कि राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। वे जनता के विचारों की आवाज तक को नहीं पहचानते हैं।

राम के राज्य में सब बराबर थे। प्रजा किसी भी तरह के भय से मुक्त थी। वे एक दूसरे को प्रेम करते थे एवं ईमानदार थे। वहाँ किसी अपराधी को दंडित करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ अपराध ही नहीं था।' (द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, अंक XXXV, 489-90)

गांधी के 'रामराज्य' और तुलसी के 'रामराज्य' में समानता थी। 'दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज्य सपनेहु नहिं व्यापा।।' यानी राम के राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुख किसी को स्वप्न में भी नहीं हुए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इस शब्द का इस्तेमाल राममंदिर आंदोलन के लिए इतना कर दिया था कि तब तक राम अपना मूल अर्थ खो मंदिर आंदोलन की पहचान बन गया था। इसलिए राजीव गांधी के विरोधी उनके 'रामराज्य' को ले उड़े। इसी अर्थ में उन पर हिंदू विभाजनकारी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगने लगा।

इसी उधेड़बुन में राजीव गांधी ने समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला ले लिया। अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास की तारीख तो 9 नवंबर पहले से तय थी। चुनाव की भी तारीख 22 और 24 नवंबर तय हुई। यानी देश में चुनाव प्रचार और शिलायात्राएँ साथ-साथ होनी थीं।

चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

क्या होगा? कांग्रेस में किसी को पता नहीं था। उस वक्त के विदेश मंत्री पी.वी. नरसिंह राव अपनी किताब 'अयोध्या 6 दिसंबर, 92' में लिखते हैं—"16 अक्तूबर, 1989 का दिन था। सुबह लगभग 8 बजे जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो अचानक मुझे प्रधानमंत्री निवास से एक फोन आया कि मैं प्रधानमंत्री जी से 9.30 बजे मिलूँ। मुझे यह कुछ अटपटा लगा, लेकिन फिर मुझे खयाल आया कि एक युवा प्रधानमंत्री अपने विदेशमंत्री को दिन या रात में किसी भी समय बुला सकता है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ऐसा घटित हो सकता है। जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत हो। इसलिए मैं समय से 7, रेसकोर्स रोड पहुँच गया।

"राजीव जी अपने कुछ निकट सहयोगियों के साथ वहाँ पहले से ही बातचीत में व्यस्त थे। कुछ ही मिनटों में और कुछ अप्रत्याशित ढंग से रहस्य से परदा उठा। राजीव जी आए और मुझसे कहा, कल से कुआलालंपुर में शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मेरी जगह अब आपको करना होगा। मेरा दौरा रद्द हो गया है। हम आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाले हैं। अगले महीने की 20 तारीख के आसपास चुनाव होने की संभावना है। समय बिल्कुल नहीं है और मुझे चुनाव के काम में अभी से लगना होगा।"

कांग्रेस का पहले इस मामले में बिल्कुल अलग

रुख था। फिर कांग्रेस शिलान्यास में पूरी तरह शामिल हो गई। इसे कांग्रेस के सहज मित्रों पर असर पड़ा। जब 1986 में मंदिर के ताले खोले गए, तब भी यह धारणा बनी कि कांग्रेस ने ताला खुलवा दिया है, जबकि ताला खोलने का आदेश सक्षम अदालत का था। इससे काफी हंगामा हुआ। मुसलमानों में कांग्रेस की किरकिरी हुई और ताला खुलवाने का श्रेय बीजेपी को गया। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों अलग-अलग वजहों से प्रभावित हो कांग्रेस से दूर गए।

नरसिंह राव लिखते हैं—"प्रधानमंत्री के लहजे से मुझे ऐसा लगा कि यह उनका अंतिम फैसला था। मैं तब सी.सी.पी.ए. (राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति) का प्रमुख सदस्य था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह फैसला सी.सी.पी.ए. की सलाह के बिना ही लिया गया था। मुझे इस बात की चिंता थी कि मुझे अपने चुनाव क्षेत्र रामटेक से भी जल्दी चुनाव अभियान शुरू करना होगा, जहाँ से मैं 1984 में भारी बहुमत से चुनाव जीता था, किंतु अंदर से मुझे यह मुकाबला इस बार थोड़ा कठिन लग रहा था। यह भावना व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि माहौल को देखकर मेरे मन में आई थी। जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन पहले की तरह ही मुझे मिल रहा था।"

नरसिंह राव लिखते हैं—"मैं जल्दी भारत वापस लौट

आया, शायद समय से कुछ घंटे पहले, क्योंकि मैंने अपने आने का समय एक प्रधानमंत्री से बदल लिया था, जो मेरी चुनाव संबंधी प्राथमिकता को समझ गए थे। मैं शिखर सम्मेलन के ठीक-ठाक हो जाने की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देने के कुछ ही घंटे बाद रामटेक रवाना हो गया।" रामटेक महाराष्ट्र और आंध्र की सीमा पर रामगिरी पर्वत-शृंखला से सटा है। जहाँ पंचवटी जाते वक्त भगवान राम ने विश्राम किया था।

"कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या के बिगड़ते हालात पर नजर रखने और यदि संभव हो तो कोई बेहतर हल निकालने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति की नियुक्ति की थी। मुझे इस समिति का सभापति बनाया गया था। हालाँकि यह समिति बाद में महज एक और समिति बनकर ही रह गई थी। मुझसे यह अपेक्षा थी कि दिल्ली में कुछ फैसला लेकर लखनऊ को सुना दिया जाए। लेकिन समिति की पहली बैठक में ही मुझे यह स्पष्ट हो गया कि लखनऊ को शामिल किए बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए हमने बैठक स्थगित कर दी और उ.प्र. के मुख्यमंत्री से अगली बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया। मैंने निष्कपट भाव से इस रास्ते का चुनाव किया था। लेकिन किसी कारणवश इस समिति की अगली बैठक कभी नहीं हो पाई। और मुझे मामला वहीं छोड़ देना पड़ा।"

नरसिंह राव अयोध्या को लेकर कांग्रेस नेताओं और

कार्यकर्ताओं में होने वाली बेचैनी का जिक्र करते हैं—“कई साल पहले से ही अयोध्या को लेकर बहुत से कांग्रेस उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के मन में शंकाएँ थीं, जिसके कारण वे बेचैन थे। लंबे अरसे से चले आ रहे धार्मिक विवाद का पहली बार योजनाबद्ध ढंग से राजनीतीकरण किए जाने से हम चकित और दुविधा में थे।”

1985 के बाद बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा तय करने लगी। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की छतरी लगा उसका विरोध करने लगी। कांग्रेस का बीजेपी विरोध हिंदू विरोध में तब्दील होने लगा। यानी कांग्रेस बीजेपी के एजेंडे में फँसती चली गई।

पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस की उस वक्त की मनःस्थिति का वर्णन करते हैं, “सरकार में रहकर हम कांग्रेसियों ने ही यह राजनीतिक आधार उपलब्ध करवा दिया कि अवचेतन में धार्मिक भावनाओं को प्रबलता से महसूस करने के बावजूद इसे अभिव्यक्त करने पर हमें ‘गैर धर्मनिरपेक्ष’ दल के रूप में देखा जाएगा। हमने अपनी धार्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करना भी छोड़ दिया। नतीजे में आम लोगों के बीच बीजेपी ही हिंदू धर्म की संरक्षक और एकमात्र विश्वासपात्र बन गई।”

मुझे यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि जो बात नरसिंह राव कह रहे थे, वह कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आई। कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने प्रमुख

धर्म और धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा कर कैसे जीवित रह सकता है? जिस देश में धर्म जनता के जीवन के अधिकांश हिस्से पर छाया हो, वहाँ हम एक अमूर्त और छद्म धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर दशकों तक लोगों को भुलावे में कैसे रख सकते हैं। शायद इसी विचार से कांग्रेसी नेताओं ने राजीव-शासन के दौरान अयोध्या में भूमिका निभाने की बात सोची होगी। पर चुनावी जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार को कुछ जल्दबाजी में और कुछ अस्वाभाविक रूप से जो प्रत्यक्ष भूमिका निभानी पड़ी, उसका उलटा असर पड़ा। नरसिंह राव लिखते हैं—

"बीजेपी को कम-से-कम विहिप, आरएसएस का सहारा था। जो हिंदुओं की माँग और भावनाओं का समर्थन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में एक प्रमुख मंत्री (जो राजीव जी के करीब थे) अयोध्या पर 'कब्जा करने की' आपसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। कांग्रेस का पहले इस मामले में बिल्कुल अलग रुख था। फिर कांग्रेस शिलान्यास में पूरी तरह शामिल हो गई। इसे कांग्रेस के सहज मित्रों पर असर पड़ा। जब 1986 में मंदिर के ताले खोले गए, तब भी यह धारणा बनी कि कांग्रेस ने ताला खुलवा दिया है, जबकि ताला खोलने का आदेश सक्षम अदालत का था। इससे काफी हंगामा हुआ। मुसलमानों में कांग्रेस की किरकिरी हुई और ताला खुलवाने का श्रेय बीजेपी को गया। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों अलग-अलग वजहों से प्रभावित हो

कांग्रेस से दूर गए।"

नरसिंह राव मानते थे कि शिलान्यास के सवाल पर विश्व हिंदू परिषद से समझौता 'अराजकता को दूर करने के लिए अराजकतावादियों' के साथ समझौता करने जैसा था।

नरसिंह राव खुद रामशिला यात्राओं से बहुत प्रभावित थे। वे लिखते हैं—"रामटेक के सांसद के रूप में मुझे शिलाओं को ले जा रही शोभायात्राओं को देखने का मौका मिला। जो रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जा रही थीं। ये शिलायात्राएँ दक्षिण भारतीय राज्यों से आ रही थीं। अपने निर्वाचन के दौरे में जब मैं राजमार्ग से निकलता तो ट्रकों पर जा रहे लोग मुझे पहचानकर ट्रक रोक देते। और मेरी गाड़ी रुकवाकर कुछ देर मुझसे बातचीत करते। इन मुलाकातों से मुझे अयोध्या में राममंदिर निर्माण को लेकर आम जनता की भावनाओं का गहराई से अंदाजा हो गया था। और साथ ही इस बात का भी अंदाजा लगा कि जब राम जन्मभूमि के राजनीतीकरण की प्रक्रिया निश्चित कार्यक्रम के तहत पूरी हो जाएगी। तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को किस मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ेगा।"

फिर राजीव गांधी ने ऐसा समरसाल्ट किया क्यों? कांग्रेसी भी इस सवाल से लगातार टकरा रहे थे। इसका जवाब मुझे समाजवादी नेता मधु लिमये से मिला।

राजनीति छोड़ मधुजी सत्यमार्ग पर अपने सरकारी घर में बाद के दिनों में केवल लिखते-पढ़ते थे। जब आपको कोई राजनैतिक गुत्थी सुलझानी हो तो उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं था। वे समाधान के साथ आपको खुद बनाकर चाय भी पिलाते थे। उन्होंने मुझे बताया, "धर्म की उपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। सोवियत संघ ने भी 70 साल तक धर्म को नजरअंदाज किया और नतीजा हमारे सामने है। गोर्वाचोव के सत्ता से हटने और सोवियत संघ के विघटन से पहले 'मास्को न्यूज वीकली' ने एक स्वतंत्र मत संग्रह कराया, जिसमें अधिकांश ने कहा, उन्हें 'आर्थोडॉक्स चर्च' पर पूरा भरोसा है। उन लोगों ने दूसरे नंबर पर लालसेना और तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी को चुना। इसी तरह वाल्टेयर और रूसो का फ्रांस और फ्रेंच जनता भी प्रमुख ईसाई भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकी। जापान भी बौद्ध शिंतो धार्मिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं कर सका, तो राजीव गांधी अपवाद कैसे हो सकते हैं।"

बोफोर्स घोटाले को लेकर राजीव गांधी अपनी विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों खो चुके थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तब दो सांसदों वाली पार्टी थी, जिसे चुनाव के लिए मुद्दे की तलाश थी। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तो शुरू से अयोध्या के लिए संघर्षरत थे। पर राजनैतिक दल के तौर पर बीजेपी ने इस मुद्दे को अब तक छुआ नहीं

था। चुनाव से ठीक पहले 11 जून, 1989 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें पहली दफा राम जन्मभूमि का मुद्दा पार्टी के एजेंडे पर आया।

यह तो था परिस्थितियों का तर्क। अब लौटते हैं अपनी कहानी पर, एक तरफ राजीव गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी शिलान्यास की। बोफोर्स घोटाले को लेकर राजीव गांधी अपनी विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों खो चुके थे। उनकी सरकार से निकले वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उनके ममेरे भाई अरुण नेहरू उनकी सरकार से इस्तीफा देने वाले आरिफ मोहम्मद खान और विद्याचरण शुक्ल आदि के गठबंधन से उन्हें भारी चुनौती मिल रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तब दो सांसदों वाली पार्टी थी, जिसे चुनाव के लिए मुद्दे की तलाश थी। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तो शुरू से अयोध्या के लिए संघर्षरत थे। पर राजनैतिक दल के तौर पर बीजेपी ने इस मुद्दे को अब तक छुआ नहीं था। चुनाव से ठीक पहले 11 जून, 1989 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें पहली दफा राम जन्मभूमि का मुद्दा पार्टी के एजेंडे पर आया। कार्यकारिणी में बीजेपी ने एक प्रस्ताव पास कर अयोध्या की राम जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंपने की माँग की। पालमपुर प्रस्ताव में कहा गया—

“भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी राम जन्मभूमि को लेकर चल रहे विवाद पर गंभीर है। इस मुद्दे पर देश के अन्य राजनैतिक दलों, खासतौर पर कांग्रेस के साथ संवेदनहीन उदासीनता को लेकर और देश के बहुसंख्यकों, यानी हिंदुओं के साथ हो रहे विश्वासघात पर पार्टी चिंतित है।

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह एक ऐसा विवाद है जो अदालत के जरिए नहीं सुलझ सकता है। अदालतें किसी पद या स्वामित्व जैसे विवादों को तो सुलझा सकती हैं लेकिन इस मामले में फैसला नहीं सुना सकती कि बाबर ने वास्तव में अयोध्या पर आक्रमण किया था, मंदिर तुड़वाए थे और उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई थी। अगर अदालत ने ऐसे मामलों में फैसला सुनाया भी है तो वे इतिहास की बर्बरता का समाधान नहीं करते।

“पार्टी मानती है, सभी उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, मुगल सम्राट बाबर 1528 में अयोध्या आया था। उसने उस जगह के आसपास के मंदिरों को तुड़वा दिया, जिसे राम जन्मस्थान माना जाता था। बाबर ने वहाँ एक मस्जिद बनवा दी। तभी से ही हिंदू उस स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। जिसे वे बहुत पवित्र मानते हैं। 1857 की आजादी की लड़ाई के दौरान मुस्लिमों ने हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए राम जन्मभूमि पर उनके दावे को तो मान लिया था, लेकिन

अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की रणनीति के तहत इस मसले को और बिगाड़ दिया। हालाँकि इन सारी बातों के बावजूद मुसलमानों को यह समझाने का प्रयास जारी रहा कि वे हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करें। और इस स्थान पर अपने दावे को छोड़ दें। फिर भी यह स्थान लंबी कानूनी मुकदमेबाजी में फँस गया।"

भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह एक ऐसा विवाद है, जो अदालत के जरिए नहीं सुलझ सकता है। अदालतें किसी पद या स्वामित्व जैसे विवादों को तो सुलझा सकती हैं, लेकिन इस मामले में फैसला नहीं सुना सकतीं कि बाबर ने वास्तव में अयोध्या पर आक्रमण किया था, मंदिर तुड़वाए थे और उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई थी। जहाँ तक अगर अदालत ने ऐसे मामलों में फैसला सुनाया भी है तो वे इतिहास की बर्बरता का समाधान नहीं करते। सन् 1885 की बात है, इस संदर्भ में दायर जनअपील के निस्तारण में ब्रिटिश जज कर्नल एफ.इ.ए. केमियर का लाचारी भरा आकलन था—"यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे स्थान पर मस्जिद बनी, जो हिंदुओं के लिए विशेष तौर पर बहुत पवित्र है, लेकिन ऐसा 356 साल पहले हो गया, अब इस मामले का हल निकालने में बहुत देर हो चुकी है।" (18 मार्च, 1986, सिविल अपील संख्या 27/1885, जिला न्यायालय, फैजाबाद)

बिहार के एक दलित कामेश्वर चौपाल द्वारा विधिवत् पूजा-पाठ एवं परंपरा के मुताबिक शिलान्यास संपन्न हुआ। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

देश भर से इकट्ठा की गई शिलाएँ। इन रामशिलाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया ने जन-आंदोलन का रूप लिया। फोटो : इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखागार

शिलान्यास के बाद वहाँ भक्त पैसे चढ़ाने लगे। फोटो : पवन कुमार

बीजेपी की तीन धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। साथ में राजमाता सिंधिया। फोटो : इंडियन

मौजूदा विवाद कोर्ट के दो अलग-अलग फैसलों से पैदा हुआ है—पहला 1951 का फैसला और दूसरा 1986 का फैसला। 3 मार्च, 1951 को गोपाल सिंह विशारद बनाम जहूर अहमद एवं अन्य के मामले में फैजाबाद के सिविल जज का अन्य बातों के साथ यह आकलन था—कम-से-कम 1936 के बाद से मुस्लिमों ने उस स्थान का न तो मस्जिद की तरह इस्तेमाल किया, न ही कभी वहाँ इबादत की, जबकि हिंदू वहाँ विवादित स्थान पर पूजा-पाठ करते हैं। इसके बाद 1 फरवरी, 1986 को फैजाबाद के जिला जज ने 1951 के इस फैसले का हवाला देते हुए आदेश दिया कि 'पिछले 35 साल से यहाँ हिंदुओं को बिना किसी रोक-टोक के पूजा-पाठ का अधिकार रहा है, 1951 में कानून व्यवस्था के नाम पर जिन दो गेटों पर ताला लगाया गया था, उसे हटा दिया जाए।' (सिविल अपील संख्या 6/1986)

1951 के आदेश ने भावनाओं को थोड़ा उग्र किया था, तब तक आज की तरह धर्म-निरपेक्षता के नाम पर हिदुओं को लालच देने वाला मीठा शब्द नहीं बना था। यह ध्यान देने वाली बात है कि इसी दौरान भारत सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की अगुवाई और गांधीजी की अनुमति से एक ऐसी ही बर्बरता को बदलते हुए गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का फैसला दिया था। जब पुरातत्त्व विभाग ने उस स्थान को

एक संरक्षित स्मारक के तौर पर घोषित करने का सुझाव दिया (इन दिनों भी राम जन्मभूमि को लेकर एक इसी तरह का सुझाव प्रचारित किया जा रहा है), तो गृहमंत्री सरदार पटेल ने आधिकारिक तौर पर सरकारी फाइलों में लिखा—

"इस मंदिर को लेकर हिंदुओं की भावनाएँ प्रबल और व्यापक हैं। मौजूदा समय में यह मुश्किल लगता है कि सिर्फ मंदिर की पुनर्प्रितष्ठा या इसके विस्तार से ये भावनाएँ शांत हो जाएँगी। हिंदुओं की भावनाओं के सम्मान का विषय मूर्ति की पुनर्स्थापना है।"

सोमनाथ में जब ज्योतिर्लिंग की विधिवत् स्थापना हुई थी, तब देश के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उस अनुष्ठान में हिस्सा लिया था।

हालाँकि, 1986 में जब तक दूसरा अदालती आदेश आया, तब तक धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के लिए चिढ़ बन गई थी और यह शब्द मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्यायवाची बना। देश में मुस्लिम लीग लॉबी ने एक नई आक्रामकता अख्तियार कर ली थी। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस लॉबी के चलाए गए आंदोलन का उन्हें बहुत फायदा हुआ। जल्दबाजी में घबराई सरकार को आपराधिक कानून में संशोधन करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वैधानिक तौर पर रद्द करना पड़ा था। कामयाबी का स्वाद पाने के बाद इस लॉबी ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई और फैजाबाद की

अदालत के फैसलों पर अनैतिक धावा बोला। अदालती फैसलों के खिलाफ ये लोग गणतंत्र दिवस समारोह के बहिष्कार करने की हद तक चले गए। संसद भवन के सामने इस लॉबी द्वारा आयोजित की गई रैली में इन आदेशों को वापस न लेने की सूरत में हिंसा की धमकी तक दी गई। यह महत्त्वपूर्ण है कि बाबरी एक्शन कमेटी के ज्यादातर लोग कांग्रेस के थे। यह बीजेपी का पालमपुर प्रस्ताव था।

इस प्रस्ताव के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने एजेंडे पर लिया, बल्कि यह ऐलान भी किया कि जन्मभूमि पर अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती। यह आस्था से जुड़ा सवाल है।

विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर को जिस स्थान पर शिलान्यास का ऐलान किया था। वह प्रस्तावित मंदिर का सिंहद्वार था। इस नक्शे के मुताबिक प्रस्तावित मंदिर का गर्भगृह वही था, जो विवादित इमारत का मुख्य गुंबद था। मतलब अगर सरकार शिलान्यास कराने देती है तो विवादित इमारत के गर्भगृह को ही मंदिर का गर्भगृह माना जाएगा। इस लिहाज से शिलान्यास की जगह विवादित थी। यानी प्रस्तावित मंदिर के नक्शे में मंदिर का गर्भगृह वही है, जो कथित बाबरी मस्जिद का गर्भगृह है। उसी गर्भगृह से 192 फुट दूर मंदिर के सिंहद्वार का शिलान्यास होना था। प्रस्तावित मंदिर 270 फुट लंबा, 126 फुट चौड़ा और 132 फुट ऊँचा बनना था। उ.प्र. सरकार ने प्रस्तावित

शिलान्यास के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए, पर शिलान्यास या शिलापूजन पर कोई रोक नहीं लगाई। 30 सितंबर से देश भर में विहिप का शिलापूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। यह शारदीय नवरात्र का पहला दिन था। पूरे देश में 22 राज्यों को 11 क्षेत्रों में बाँटा गया था। हर गाँव से एक ईंट की पूजा होनी थी। पूजित ईंट एक रथ में रख जिला मुख्यालय, फिर राज्य मुख्यालय से होते हुए अयोध्या पहुँचाने की योजना थी। 5 नवंबर तक सभी शिलाओं को अयोध्या पहुंचना था। स्थानीय मिट्टी से बनी इन ईंटों को केसरिया कपड़ों में लपेटकर रथ पर रखा गया था। एक ईंट कई हजार लोगों द्वारा पूजित थी।

30 सितंबर से देश भर में विहिप का शिलापूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। यह शारदीय नवरात्र का पहला दिन था। पूरे देश में 22 राज्यों को 11 क्षेत्रों में बाँटा गया था। हर गाँव से एक ईंट की पूजा होनी थी। पूजित ईंट एक रथ में रख जिला मुख्यालय, फिर राज्य मुख्यालय से होते हुए अयोध्या पहुँचाने की योजना थी। 5 नवंबर तक सभी शिलाओं को अयोध्या पहुँचना था। स्थानीय मिट्टी से बनी इन ईंटों को केसरिया कपड़ों में लपेट कर रथ पर रखा गया था। एक ईंट कई हजार लोगों द्वारा पूजित थी।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से आने वाली शिलाएँ इलाहाबाद, झाँसी जिले से होकर यात्राओं में

शामिल हो रही हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आने वाली शिलाएँ मेरठ होकर, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से आने वाली मुरादाबाद, बरेली होते हुए अयोध्या पहुँचनी थीं। इस दौरान छह सौ छोटी राम शिलायात्राओं के बाद 5 बड़ी राम शिला-यात्राएँ अयोध्या के लिए प्रस्तावित थीं। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि इन शिलायात्राओं को कहीं रोका न जाए। लेकिन इस बात का खयाल रहे कि जुलूस को बेवजह घुमाया भी न जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और विश्व हिंदू परिषद के बीच शिलापूजन और राम शिलायात्राओं को लेकर एक सहमति बनी। सरकार ने शिलान्यास कार्यक्रमों को मंजूरी दी। दोनों के बीच एक समझौता भी हुआ, जिसमें गृहमंत्री बूटा सिंह भी मौजूद थे।

24 सितंबर, 1989 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, इसमें केंद्रीय गृहमंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किए जाने वाले शिलापूजन कार्यक्रम पर चर्चा हुई। इकट्ठा की गई पवित्र शिलाओं को 9 नवंबर, 1989 तक अयोध्या पहुँचाने और शिलान्यास के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस बैठक के नतीजे के तौर पर निम्नलिखित बातों पर सहमति बनी—

1. विश्व हिंदू परिषद शिला-जुलूस के रास्तों की

जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को पहले से देगी। साथ ही अगर स्थानीय प्रशासन जनहित में रास्ते में बदलाव करना चाहे तो उसे स्वीकार करेगी।

2. विश्व हिंदू परिषद और उसके कार्यकर्ता ऐसा कोई भी भड़काऊ नारा नहीं लगाएँगे, जिससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचता हो।

3. जहाँ तक संभव होगा, पवित्र शिलाओं को ट्रक से ले जाया जाएगा, जिसके रास्ते की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श से तय होगी।

4. विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार पदाधिकारी जुलूस के नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे और स्थानीय प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे।

5. अयोध्या में जिस जगह पर पवित्र शिलाओं को एकत्र किया जाना है, वह जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके तय की जाएगी।

6. विश्व हिंदू परिषद 14 अगस्त, 1989 को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देशों का पालन करेगी, जिसमें कहा गया था कि सभी पक्ष यथास्थिति बरकरार रखेंगे और शांति एवं सामाजिक सौहार्द को सुनिश्चित करने के लिए उस स्थान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार के साथ विश्व हिंदू परिषद के निम्नलिखित पदाधिकारी संपर्क में रहेंगे और सहयोग करेंगे—

1. दाऊ दयाल खन्ना, 2. श्रीशचंद्र दीक्षित, पूर्व डीजी (उत्तर प्रदेश), 3. ओंकार भावे, 4. सुरेश गुप्ता, पूर्व कुलपति , 5. महेश नारायण सिंह, अयोध्या।

इस सहमति-पत्र पर अशोक सिंघल, अवेद्यनाथ, नृत्यगोपालदास, दाऊदयाल खन्ना के हस्ताक्षर थे।

विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रदेश को दो हिस्सों में बाँट पूजित शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए 5 मुख्य यात्राएँ निकालने की योजना बनाई। पहली मुख्य यात्रा 5 नवंबर को 'चित्रकूट यात्रा' के नाम से शुरू हुई, जो बाँदा से चलकर फतेहपुर, रायबरेली, जगदीशपुर होते अयोध्या पहुँची। दूसरी यात्रा 'ब्रह्मावत' के नाम से 4 नवंबर को ललितपुर से शुरू हो झाँसी, उरई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी होते हुए दूसरे दिन 5 नवंबर को अयोध्या आनी थी। इस मुख्य यात्रा में इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, विसवाँ की उपयात्राएँ भी जगह-जगह मिलनी थीं। तीसरी यात्रा 5 नवंबर को 'गोरखनाथ' के नाम से गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर से शुरू हो सहजनवाँ, महंगहर, खलीलाबाद, मुडेंरवा, कप्तानगंज, हरैया होते हुए अयोध्या पहुँचनी थीं, इसमें पडरौना, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच की उपयात्राएँ शामिल थीं। 5 नवंबर को 'काशी यात्रा' के नाम से चौथी मुख्य यात्रा शुरू हुई, जो वाराणसी से चलकर जौनपुर, गोसाईंगंज होते हुए अयोध्या पहुँची। इसमें सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया की उप

यात्राएँ शामिल थीं। पाँचवीं यात्रा 'प्रयागराज' के नाम से शुरू होकर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुँची। इसमें दोआबा और गंगापार की शिलाएँ थीं।

अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन तो साढ़े चार सौ साल से चल रहा था। पर एक दिमाग ऐसा था जिसने रामशिलाओं के जरिए इस आंदोलन को एक झटके में गाँव-गाँव, घर-घर तक पहुँचा दिया। वह व्यक्ति हमेशा नेपथ्य में रहा। हर क्षण उसका दिमाग उसी उधेड़-बुन में रहा कि कैसे ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का भावनात्मक लगाव इस आंदोलन से हो। अयोध्या आंदोलन को प्राण देने वाले एक ऐसे ही अविस्मरणीय नेता थे मोरोपंत पिंगले। दरअसल अयोध्या आंदोलन के रणनीतिकार वे ही थे।

अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन तो साढ़े चार सौ साल से चल रहा था। पर एक दिमाग ऐसा था, जिसने रामशिलाओं के जरिए इस आंदोलन को एक झटके में गाँव-गाँव, घर-घर तक पहुँचा दिया। वह व्यक्ति हमेशा नेपथ्य में रहा। हर क्षण उसका दिमाग उसी उधेड़-बुन में रहा कि कैसे ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का भावनात्मक लगाव इस आंदोलन से हो। अयोध्या आंदोलन को प्राण देने वाले एक ऐसे ही अविस्मरणीय व्यक्ति थे मोरोपंत पिंगले। दरअसल अयोध्या आंदोलन के रणनीतिकार वे ही थे। जिस तरह समूचे देश में रामशिलाएँ

पुजवाकर उन्होंने हर पूजित शिला से हजारों लोगों का भावनात्मक रिश्ता बनवाया, वह एक अभिनव प्रयोग था। देश भर में कोई तीन लाख रामशिलाएँ पूजी गईं। फिर गाँव से तहसील, तहसील से जिला, जिले से राज्य मुख्यालय होते हुए कोई 25 हजार शिलायात्राएँ अयोध्या के लिए निकली थीं। कोई 6 करोड़ लोगों ने रामशिला का पूजन किया। चालीस देशों से पूजित शिलाएँ अयोध्या आईं। पहली शिला बदरीनाथ में पूजी गई। पूजने वाले हर व्यक्ति ने सवा रुपए भी चढ़ाए। यानी अयोध्या के शिलान्यास से 6 करोड़ लोग सीधे और भावनात्मक रूप से जुड़े। इससे पहले उत्तर प्रदेश में इतना सघन और घर-घर तक पहुँचने वाला कोई आंदोलन नहीं हुआ। गोरक्षा आंदोलन भी इस जैसा सघन नहीं था।

इस आंदोलन को घर-घर में पहुँचाने वाले मोरोपंत जी महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। बेहद सरल और विनम्र नागपुर के मौरिस कॉलेज के स्नातक पिंगले जब भी मुझे अयोध्या में मिलते तो एक बात कहते, 'मुझे इस आंदोलन को देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बनाना है।' शिलापूजन, शिलान्यास, चरण पादुका, रामज्योति यात्राएँ सब उन्हीं के दिमाग की उपज थे। पर वे हमेशा नेपथ्य में रहे।

शिलापूजन ने देश भर में राम के नाम का एक ज्वार सा पैदा कर दिया। राममंदिर के लिए हर गाँव से शिलाएँ दान की गईं। सहयोग के लिए हर परिवार से सवा रुपए

की राशि माँगी गई। गाँवों में रह रहा भारत राममंदिर के लिए संकल्पबद्ध हो उठा। देश भर के साधु-संत आंदोलित हो उठे। जिस गाँव ने भी शिला दान की, वह उसके सम्मान की खातिर प्राणपण समर्पित करने को कटिबद्ध हो चला। मोरोपंत पिंगले राममंदिर निर्माण के स्वप्न को अयोध्या से निकालकर देश भर में फैला देने वाले थे। यही वजह थी कि मोरोपंत पिंगले को राम जन्मभूमि आंदोलन का 'फील्ड मार्शल' कहा जाता था।

1984 की राम-जानकी रथयात्रा अयोध्या आंदोलन के लिए प्रस्थान बिंदु सरीखी थी। मोरोपंत पिंगले इस यात्रा के संयोजक और नियंत्रक थे। उ.प्र. और बिहार में सात रथ निकाले गए। इन रथों में राम को कारावास के भीतर दिखाया गया। यह अयोध्या में राम की स्थिति का जीवंत चित्र था। इन रथों ने हिंदी पट्टी के राम उपासकों की सुप्त चेतना में विद्रोह का उफान भर दिया। उन्हें राम की खातिर कुछ भी कर गुजरने की मनःस्थिति से ओतप्रोत किया।

पर यह पहली बार नहीं था। पिंगले इससे पहले भी एक मिशन की खातिर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को मथ देने वाले काम को अंजाम दे चुके थे। इतिहास में दर्ज साल 1982-83 की तारीखें उनकी अभूतपूर्व संगठनात्मक क्षमता की गवाह हैं। इस दौरान पूरे देश में 'एकात्मता यात्रा' निकालने की तैयारी थी। देश भर में तीन यात्राएँ निकालने की योजना बनी। इन तीन यात्राओं के मार्ग से इसके पीछे का दर्शन समझा जा सकता है। पहली

यात्रा थी हरिद्वार से कन्याकुमारी तक। दूसरी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से रामेश्वर धाम तक। और तीसरी यात्रा बंगाल में गंगासागर से सोमनाथ तक तय की गई। इन यात्राओं के कुछ प्रतीक तय किए गए। गंगामाता और भारतमाता की आराधना के लिए गंगाजल साथ लिया गया। भारत माता का चित्र तो मुख्य प्रतीक था ही। इन मुख्य यात्राओं के रास्ते में सैकड़ों छोटी-छोटी यात्राओं का संगम भी हुआ। तीनों यात्राओं को करीब 50,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। इसके बाद उन्हें एक निश्चित समय पर नागपुर शहर में दाखिल होना था। उस दौर में यह बेहद अविश्वसनीय सा था। मगर यह चमत्कार हो ही गया। इसके पीछे भी मोरोपंत पिंगले की प्रखर दृष्टि थी। इन तीन यात्राओं में देश भर के पौने सात करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया। तीनों यात्राओं के नागपुर पहुँचने के पूर्व ही मोरोपंत नागपुर पहुँच चुके थे। दूसरे नागपुरवासियों की ही तरह उन्होंने भी सड़क के किनारे से यात्राओं को नगर में प्रवेश करते देखा। एकात्मकता की इन यात्राओं का अनुभव ही अयोध्या को हिंदुत्व के राष्ट्रीय उफान से जोड़ने की धुरी बन गया।

पिंगले जी आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार के हाथों गढ़े गए थे। मोरोपंत पिंगले के काम की यही शैली थी। सूत्रधार की भूमिका में रहना, कोई श्रेय न लेना। सभी कुछ रचना, लेकिन दृष्टि से ओझल रहना। पर इतिहास को कौन रोक सकता है, उसके पन्नों में तो वे दर्ज

हैं।

5 नवंबर से देश भर में पूजित शिलाएँ अयोध्या पहुँचनी शुरू हो गईं। सारे देश में कोई तीन लाख रामशिलाएँ अयोध्या के रास्ते में थीं। तीन लाख 16 हजार गाँवों में शिलाओं की पूजा हुई। रामशिलाएँ लाने के लिए चालीस हजार गाड़ियों की व्यवस्था जिला प्रशासन ने अयोध्या में की थी। शिलायात्रा में कोई गड़बड़ न हो, इसके लिए सरकार ने दस अस्थायी पुलिस चौकियाँ बनाई थीं। शिलायात्राओं को अयोध्या पहुँचाने में सरकार मदद कर रही थी। पर शिलान्यास कहाँ होगा, इस पर सरकार मौन थी। हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के सामने पाँच फुट चौड़ी, सात फुट लंबी जमीन को घेर उस पर झंडा जरूर गाड़ दिया था। इसके खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने फिर कोर्ट में अर्जी दी और कहा, जिस जगह विहिप ने झंडा गाड़ा है, वह विवादित है। राज्य सरकार ने भी अदालत से यही कहा।

उधर लोकसभा में सभी गैर-बीजेपी दलों ने 13 अक्तूबर को एक संकल्प पास कर सरकार से कहा कि वे शिलान्यास की इजाजत न दे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना था कि शिलान्यास जिस प्लॉट नं. 586 पर होना है, वह नजूल दस्तावेजों में कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। इस बीच जस्टिस वी.एम. तारकुंडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर शिलापूजन और शिलायात्राओं पर रोक

लगाने की माँग की। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि धार्मिक शोभायात्रा निकालना लोगों का मौलिक अधिकार है।

उधर लोकसभा में सभी गैर-बीजेपी दलों ने 13 अक्तूबर को एक संकल्प पास कर सरकार से कहा कि वे शिलान्यास की इजाजत न दे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना था कि शिलान्यास जिस प्लॉट नं. 586 पर होना है, वह नजूल दस्तावेजों में कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। इस बीच जस्टिस वी.एम. तारकुंडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर शिलापूजन और शिलायात्राओं पर रोक लगाने की माँग की। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि धार्मिक शोभायात्रा निकालना लोगों का मौलिक अधिकार है।

विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि हमने जहाँ झंडा गाड़ा है, शिलान्यास की वह जगह प्लॉट नं. 586 विश्व हिंदू परिषद के कब्जे में है। नगरपालिका दस्तावेजों में इस जमीन पर धर्मदास का नाम दर्ज है। बाबा धर्मदास ने इसे अप्रैल 1986 में ही राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया था। यहाँ ट्रस्ट का दफ्तर 1986 से चल रहा है। यह जमीन 1943 से ही धर्मदास जी के कब्जे में है। अगर अदालत के 'यथास्थिति' का आदेश माना भी जाए तो वह केवल मंदिर के भवन यानी विवादित इमारत के लिए है और वहाँ रिसीवर तैनात है।

राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस ने ऐलान किया कि विश्व हिंदू परिषद ने जिस जगह को शिलान्यास स्थल घोषित किया है, उसे बदला नहीं जाएगा। उनकी दलील थी कि जमीन विवादित कैसे हो सकती है। उन्होंने इस जमीन की ट्रस्ट के नाम पर पक्की रजिस्ट्री कराई है। अगर सरकार इसे नजूल की जमीन मानती भी है तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

राज्य सरकार चाहती थी कि शिलान्यास तो हो, पर जगह बदल दी जाए, ताकि साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सरकार ने परिषद को बगल की खाली जमीन दिलाने की पेशकश की। विहिप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और देवरहा बाबा से संपर्क कर उनसे दखल देने को कहा। क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के बीच शिलान्यास को लेकर देवरहा बाबा ही मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। उस वक्त राजीव गांधी अपने आस-पास के माहौल और परिस्थितियों के दबाव में थे। उनके सभी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्हें किसी ने देवरहा बाबा से संपर्क करने को कहा। देवरहा बाबा अलौकिक पुरुष थे। उनकी उम्र के बारे में कोई आकलन नहीं था। वे धरती पर नहीं रहते थे, हमेशा पानी में 12 फुट ऊँचे मचान पर रहते थे। इस योगी ने हिमालय में साधना की थी। देवरिया जिले के लार रोड के पास मइल के रहने वाले

बाबा जीवन भर निर्वस्त्र रहे। बाबा रामभक्त थे। इसीलिए ज्यादा वक्त वे सरयू और गंगा के किनारे ही रहते थे। बाबा का आशीर्वाद बड़ा प्रभावी होता था। राजीव गांधी की माँ इंदिरा जी भी जब किसी समस्या से घिरतीं तो समाधान के लिए बाबा के पास ही जाती थीं। राजीव गांधी 6 नवंबर को वृंदावन में बाबा से मिलने गए। बाबा ने कहा, मंदिर बनना चाहिए। आप शिलान्यास करवाएँ। लेकिन शिलान्यास की जगह बदली न जाए। कहते हैं, उसी वक्त से राजीव गांधी शिलान्यास के लिए प्रयासरत हुए। दूसरे दिन बाबा ने विहिप के नेता श्रीशचंद्र दीक्षित को बुलाया। उनसे कहा, आप निश्चिंत रहें, हमने प्रधानमंत्री से उसी जगह पर शिलान्यास करने को कहा है। जहाँ आप लोगों ने झंडा गाड़ा है। यानी शिलान्यास का फैसला लखनऊ-दिल्ली में नहीं, वृंदावन में हुआ था। देवरहा बाबा के आशीर्वाद से।

उस वक्त राजीव गांधी अपने आस-पास के माहौल और परिस्थितियों के दबाव में थे। उन्हें किसी ने देवरहा बाबा से संपर्क करने को कहा। बाबा रामभक्त थे। इसीलिए ज्यादा वक्त वे सरयू और गंगा के किनारे ही रहते थे। बाबा का आशीर्वाद बड़ा प्रभावी होता था। राजीव गांधी की माँ इंदिरा जी भी जब किसी समस्या से घिरती तो समाधान के लिए बाबा के पास ही जाती थीं। राजीव गांधी 6 नवंबर को वृंदावन में बाबा से मिलने गए। बाबा ने कहा, मंदिर बनना चाहिए। आप शिलान्यास करवाएँ।

लेकिन शिलान्यास की जगह बदली न जाए।

राजीव गांधी के दूत लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ लगातार बाबा के संपर्क में रहे। बाद में अयोध्या में वही हुआ, जो इन बैठकों में तय हुआ। दोनों पक्ष बाबाजी की बात आँख मूँदकर मान रहे थे।

राम जन्मभूमि न्यास के प्रबंध न्यासी अशोक सिंघल ने मुझे बताया, "देवरहा बाबा एक धार्मिक महापुरुष हैं, जो हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन करते रहे हैं।" बाबा ने 6 नवंबर को राजीव गांधी से कहा था कि उन्हें मंदिर निर्माण की विश्व हिंदू परिषद की माँग का समर्थन करना चाहिए। बाद की घटनाओं से साफ है कि गांधी ने वही किया, जो बाबा ने उनसे कहा। शिलान्यास के पहले दिन बाबा ने शिलान्यास स्थल बदलने का सरकारी सुझाव भी ठुकरा दिया। वैसे विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता जगह बदलने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा विनय कटियार का कहना था।

आखिरी वक्त तक सरकार शिलान्यास स्थल को प्लॉट नं. 576 में स्थानांतरित करना चाहती थी। इस जगह पर कोई विवाद नहीं था। यह जगह मूल स्थल से सात गज दूर पर थी। पाँच नवंबर को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा करवाने के लिए इलाके का दौरा किया था। यह प्लॉट रामकृपाल दास के पास लीज पर था। उन्होंने शिलान्यास के लिए अपनी जमीन देने की पेशकश की। वहाँ एक नहानघर और एक दीवार बनी हुई थी, जिसे शिलान्यास की जगह बनाने के लिए तोड़ा जा चुका था। छह नवंबर

को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर पूछा था कि क्या प्लॉट नं. 586 विवादित जमीन में आता है। इसके जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष डिवीजन बेंच ने अपने पूर्व अंतरिम आदेश को साफ करते हुए उस भूमि को विवादित बताया, जिस पर विश्व हिंदू परिषद शिलान्यास करने जा रही थी। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने जिस भूमि पर राममंदिर के शिलान्यास के लिए झंडे और बल्लियों की बाड़ लगाई है, वह विवादित है, इसलिए उसकी यथास्थिति कायम रखी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूसरे दिन 8 नवंबर को सुबह-सुबह गृहमंत्री बूटा सिंह को लखनऊ भेजा। क्योंकि शिलान्यास पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी में सहमति नहीं बन पा रही थी। आज्ञाकारी और चापलूस छवि के होने के बावजूद मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी शिलान्यास के लिए राजी नहीं थे। ये वही नारायण दत्त तिवारी थे, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान खुशामदी में राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की चप्पल उठाई थी। फिर भी वे इस मामले में राजीव गांधी का कहा मान नहीं रहे थे।

बेंच के सदस्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के.सी. अग्रवाल, न्यायाधीश यू.सी. श्रीवास्तव और न्यायाधीश एस.एच.ए. रजा ने अपने फैसले में कहा है, "हम स्पष्ट

करते हैं कि 14 अगस्त, 1989 का आदेश दावे में उल्लिखित पूरी भूमि के बारे में था, जिसमें प्लॉट संख्या 586 भी शामिल है।"

यानी अदालत ने साफ किया कि यह प्लॉट भी विवादास्पद जमीन में ही आता है। इससे किसी शक की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल था कि सरकार को अगर इस प्लॉट की सही स्थिति का पता था तो उसने वह बात अदालत से पूछी ही क्यों? प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि इसकी एक वजह यह थी कि शिलान्यास की जगह बदलने के लिए विहिप पर कानूनी दबाव बनाया जाए। अगर विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तैयार हो जाती तो कोई समस्या ही नहीं थी। शिलान्यास और महायज्ञ गैर-विवादित जमीन पर आराम से संपन्न हो जाते। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी उस जगह पर शिलान्यास करने पर कोई एतराज नहीं होता। इस तरह सरकार हिंदू और मुसलमान, दोनों को खुश कर लेती और इन दिनों दोनों की खुशी का मतलब था वोट।

इस सरकारी पेशकश कि दुविधा में फँस विश्व हिंदू परिषद के नेता बँट गए। देवरहा बाबा ने अशोक सिंघल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एस.सी. दीक्षित को वृंदावन बुलाया। सिंघल ने बताया, "देवरहा बाबा ने साफ-साफ कहा कि हमें शिलान्यास तय जगह पर ही करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजीव गांधी भी वहीं शिलान्यास को राजी हैं। ऐसा उन्होंने मुझे भरोसा दिया है।"

हाईकोर्ट के फैसले और देवरहा बाबा के निर्देश के बीच सरकार में खलबली मची। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूसरे दिन 8 नवंबर को सुबह-सुबह गृहमंत्री बूटा सिंह को लखनऊ भेजा। क्योंकि शिलान्यास पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी में सहमति नहीं बन पा रही थी। आज्ञाकारी और चापलूस छवि के होने के बावजूद मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी शिलान्यास के लिए राजी नहीं थे। ये वही नारायण दत्त तिवारी थे, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान खुशामदी में राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की चप्पल उठाई थी। फिर भी वे इस मामले में राजीव गांधी का कहा नहीं मान रहे थे। मतलब साफ था, वे शिलान्यास से कांग्रेस पार्टी को होने वाले नुकसान को देख रहे थे। छह नवंबर को हाईकोर्ट के शिलान्यास पर रोक के बाद राजीव गांधी चाहते थे कि राज्य सरकार हाईकोर्ट से साफ कहे कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है। नारायण दत्त तिवारी इसके लिए राजी नहीं थे।

चुनाव का ऐलान हो चुका था। नारायण दत्त तिवारी हर रोज प्रचार के लिए निकलते थे। उसी रात मेरे पास नारायण दत्तजी का फोन आया—"कल जनसभा के लिए झाँसी जा रहा हूँ। आप चलेंगे क्या?" मैंने हामी भर दी। सोचा, एक साथ दो काम हो जाएँगे। एक तो मुख्यमंत्री की रैली में बुंदेलखंड की जनता की नब्ज पता चलेगी कि चुनाव में क्या होने जा रहा है। दूसरे तिवारी जी से बात कर

शिलान्यास पर असल में क्या हो रहा है, यह राजनीति भी समझ में आएगी।

तय समय के मुताबिक मैं सुबह नौ बजे कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुँचा। लखनऊ से हेलीकॉप्टर से हमें झाँसी जाना था। मुख्यमंत्री के निजी सचिव कैलाश पंत ने मुझे अंदर कमरे में बिठाया और बताया कि मुख्यमंत्री की किसी से बात हो रही है। उसके बाद वे झाँसी के लिए निकलेंगे। थोड़ा वक्त बीता। आधा घंटा बीता। घंटा भर गुजरा। जब दो घंटे होने को आए तो मैंने कैलाश पंत से पूछा, मामला क्या है? तिवारी जी तो लेटलतीफ नहीं थे। कैलाश पंत ने मुझसे निवेदन के स्वर में कहा, थोड़ा इंतजार कर लें। मामला गंभीर है। मैं कमरे में बैठा ही रहा और तिवारी जी एक झटके से मेरे सामने से कमरे के बाहर की ओर चले गए। मुझे कुछ अटपटा लगा। तिवारी जी की यह आदत नहीं थी। वे मुझे देखकर रुकते थे। कुशल-क्षेम पूछते थे। खाने-पीने का आग्रह करते थे। माता-पिता का हाल जानते थे। यह उनकी आदत में शुमार था। पर आज तो उनका व्यवहार ठीक नहीं था। थोड़ी देर में सूचना आई कि तिवारी जी बुला रहे हैं। वे पोर्टिको में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भागा-भागा गया। मुझे उनकी बगल में बिठा दिया गया। गाड़ी एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी। तिवारी जी ने मेरे अभिवादन का जवाब भी अनमने ढंग से दिया। उनका चेहरा लाल था। वे गुस्से में थे। मैं यह सोच ही रहा कि वे अब बोलेंगे, मुँह खोलेंगे,

एयरपोर्ट तक आ गए, पर वे कुछ नहीं बोले। मुझे इस बात का आश्चर्य था कि आखिर तिवारी जी को हुआ क्या है? मैंने खुद ही पूछ लिया। शिलान्यास पर कुछ तय हुआ क्या? उन्होंने कुढ़ते हुए कहा, “बूटा सिंह से पूछिए। वे शिलान्यास करवाने ही आए हैं।”

अलौकिक पुरुष देवरहा बाबा। इस तस्वीर में वे कांग्रेस नेता कर्ण सिंह को आशीर्वाद दे रहे हैं। फोटो : सत्यनारायण गोयल

देवरहा बाबा के दर्शन करके लौटते अटल बिहारी वाजपेयी। बाबा ने ही राजीव गांधी को शिलान्यास कराने के लिए कहा था। फोटो : सत्यनारायण गोयल

फिर बातचीत में पता चला कि सुबह-सुबह बूटा सिंह बीएसएफ के जहाज से आए थे। तिवारी जी के साथ उन्हीं की बैठक चल रही थी। बूटा सिंह चाहते थे कि कल जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि शिलान्यास की जगह विवादित क्षेत्र में आती है और वहाँ शिलान्यास नहीं हो सकता। इस पर राज्य सरकार अदालत से यह कहे कि विहिप यहाँ शिलान्यास कर रही है, यानी प्लॉट नं. 586 का वह हिस्सा विवादित नहीं है, जहाँ शिलान्यास होना है। तभी शिलान्यास का रास्ता खुलेगा। यानी राज्य सरकार को यह 'युधिष्ठिर सत्य' बोलना होगा। काफी हीलहुज्जत के बाद यह तय हुआ कि फैजाबाद के जिलाधिकारी नक्शे की पैमाइश कर यह बयान देंगे कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है। मीटिंग के बाद फैजाबाद के जिलाधिकारी को ऐसा कहने के निर्देश भी दिए गए। पंडित एन.डी. तिवारी इसी बात से उखड़े हुए थे। हालाँकि

तिवारी जी को तब 'न्यू डेल्ही तिवारी' भी कहा जाता था, क्योंकि वे सारे फैसले दिल्ली से पूछकर करते थे। पर अपने स्वभाव के खिलाफ इस मामले में वे अड़े थे। इतिहास ने बाद में उन्हें सही साबित किया।

काफी हीलहुज्जत के बाद यह तय हुआ कि फैजाबाद के जिलाधिकारी नक्शे की पैमाइश कर यह बयान देंगे कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है। मीटिंग के बाद फैजाबाद के जिलाधिकारी को ऐसा कहने के निर्देश भी दिए गए। पंडित एन.डी. तिवारी इसी बात से उखड़े हुए थे। हालाँकि तिवारी जी को तब 'न्यू डेल्ही तिवारी' भी कहा जाता था।

हम शाम को जब तक लौटते, बूटा सिंह ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से बात कर ली थी। उधर फैजाबाद में डी.एम. ने नक्शे में चिह्नित कर दिया कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है। ऐसा ऐलान कर उन्होंने शिलान्यास को लेकर सभी अनिश्चितताओं का अंत कर दिया था। अब शिलान्यास के रास्ते में कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई थी। जिला अधिकारी रामशरण श्रीवास्तव ने मुझे सरकारी मंशा समझाई कि कल जो हाईकोर्ट ने अपने फैसले के साथ नक्शा लगाया था, उसी में शिलान्यास वाली जगह विवाद से बाहर है।

बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने शिलान्यास रोकने के लिए दूसरे रोज फैजाबाद की टाट शाह मस्जिद में एक आपात बैठक बुलाई। शिलान्यास रुकवाने के लिए एक्शन

कमेटी के नेता सैयद शहाबुद्दीन फैजाबाद पहुँचे। जनमोर्चा के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह भी शिलान्यास रुकवाने के लिए अयोध्या पहुँच चुके थे। अयोध्या पहुँच उन्होंने राजीव गांधी से सवाल पूछा कि क्या सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी है। उसी दिन माकपा ने शिलान्यास के विरोध में एक रैली की। फैजाबाद में सी.पी.एम. की जड़ें गहरी थीं। मित्रसेन यादव यहाँ से माकपा के सांसद चुने जाते रहे। राम जन्मभूमि मंदिर के सरकारी पुजारी बाबा लालदास भी सीपीएम के कार्ड होल्डर थे।

जब कांग्रेस पार्टी शिलान्यास को लेकर नरम थी, तब कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पं. कमलापति त्रिपाठी ने शिलान्यास का विरोध शुरू कर दिया। कमलापति जी कांग्रेस के पूजा-पाठी ब्राह्मण नेता थे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर विश्व हिंदू परिषद मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए फावड़ा चलाती है तो पहला फावड़ा उनकी पीठ पर चलेगा। पंडित जी ने शिलान्यास के रोज अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चिट्ठी लिख इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की माँग की। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा—“मैं समझता हूँ कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद अब अगर और बढ़ा तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे विचार में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को एक राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। मैं हिंदुओं-मुसलमानों से

इस बात को स्वीकार करने का निवेदन करता हूँ।" पंडित जी लिखते हैं—"इस मामले में अदालत के जरिए किसी तरह का समाधान असंभव लगता है। किसी भी पक्ष के खिलाफ जाने पर यह संभव नहीं है कि दोनों पक्ष अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे। अगर यह विवाद यों ही चलता रहा तो देश के विभाजन के आसार बढ़ जाएँगे।" पंडित जी को अयोध्या न जाने का निवेदन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने और प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दोनों ने किया, पर पंडित कमलापति त्रिपाठी नहीं माने। वे अयोध्या गए।

जब कांग्रेस पार्टी शिलान्यास को लेकर नरम थी, तब कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता पं. कमलापति त्रिपाठी ने शिलान्यास का विरोध शुरू कर दिया। कमलापति जी कांग्रेस के पूजा-पाठी ब्राह्मण नेता थे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर विश्व हिंदू परिषद मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए फावड़ा चलाती है तो पहला फावड़ा उनकी पीठ पर चलेगा। पंडित जी ने शिलान्यास के रोज अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चिट्ठी लिख इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की माँग की।

पंडित जी उन दिनों राजीव गांधी से नाराज चल रहे थे। राजीव गांधी ने उन्हें किनारे कर रखा था। इसलिए समझा जाता था कि राजीव गांधी को असहज करने के लिए उन्होंने यह 'स्टैंड' लिया था। कमलापति जी के इस

रवैए से कांग्रेस का एक वर्ग खुश था। खुद पंडित जी के बेटे लोकपति त्रिपाठी जब मुझे कुछ दिनों बाद चुनाव के दौरान लखनऊ में मिले तो कहा, "बाबू के स्टैंड से कांग्रेस का चुनाव में बड़ा फायदा हो रहा है। मुसलमान विश्वनाथ प्रताप सिंह से हट हमारी तरफ लौट रहा है।" इसी के 20 रोज बाद चुनाव हुए। देश में जनता दल की सरकार बन गई। कांग्रेस को उ.प्र. में सिर्फ 15 सीटें मिलीं। कुछ दिनों बाद लोकपति त्रिपाठी मुझे फिर सचिवालय में मिले। कुशलक्षेम के बाद मैंने पूछा, "पंडित जी क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि बाबू के 'स्टैंड' से पार्टी का बहुत फायदा होगा।" लोकपति झल्लाए, बोले, "मेरे बाबू बाबर के नाती चले थे मस्जिद बनाने। और पार्टी घुस गई...।" लोकपति जी मुँहफट नेता थे। पर पिता पर यह टिप्पणी मुझे ठीक नहीं लगी, यह हार की उनकी हताशा थी। इसके बाद लोकपति जी खुद भी कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए।

आखिरकार शिलान्यास की घड़ी आ गई। 9 नवंबर की सुबह ठीक 9 बजकर 33 मिनट पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शिलान्यास के लिए जमीन की पूजा की गई। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बाद थोड़ी देर में उसी जगह पर नींव की खुदाई शुरू हुई। जहाँ प्रस्तावित मंदिर के नक्शे में सिंहद्वार था। स्वामी वामदेव ने भूमि पूजन किया। नींव की खुदाई के लिए पहला फावड़ा महंत अवेद्यनाथ ने चलाया। परमहंस रामचंद्रदास, स्वामी वामदेव और सत्यमित्रानंद गिरी ने भी बारी-बारी से खुदाई की। नवग्रह, गौरी-गणेश,

अष्ट दिग्पाल, नागपूजन, वरुण पूजन और वास्तु पूजा पंडित महादेव भट्ट और पंडित अयोध्या प्रसाद ने कराई। बाद में खुदाई में नृत्यगोपालदास, अशोक सिंघल, एच.वी. शेषाद्रि, स्वामी चिन्मयानंद, रामानंदाचार्य-रामानुजाचार्य और धर्मदास ने भी नींव की खुदाई की। शिलान्यास वाली जगह इन्हीं धर्मदास की थी। जिला प्रशासन का कहना था कि इस रोज फैजाबाद अयोध्या में कोई आठ लाख लोग जमा थे।

लोकपति त्रिपाठी जब मुझे कुछ दिनों बाद चुनाव के दौरान लखनऊ में मिले तो कहा, "बाबू के स्टैंड से कांग्रेस का चुनाव में बड़ा फायदा हो रहा है। मुसलमान विश्वनाथ प्रताप सिंह से हट हमारी तरफ लौट रहा है।" इसी के 20 रोज बाद चुनाव हुए। देश में जनता दल की सरकार बन गई। कांग्रेस को उ.प्र. में सिर्फ 15 सीटें मिलीं। लोकपति त्रिपाठी फिर मुझे सचिवालय में मिले। कुशलक्षेम के बाद मैंने पूछा, पंडित जी क्या हुआ? लोकपति झल्लाए, कहा, "मेरे बाबू बाबर के नाती चले थे मस्जिद बनाने। और पार्टी घुस गई।"

दूसरे रोज 10 नवंबर को एक बजकर चालीस मिनट पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शिलान्यास हुआ। बिहार के एक हरिजन कामेश्वर चौपाल के हाथों मंदिर की पहली शिला रखी गई। पहली शिला बांग्लादेश से आई थी, जो 56 यज्ञों की भस्मी से बनी थी। शिलान्यास से पहले सात

शिलाएँ और पूजी गईं। गुरुग्रंथ साहब की अरदास, जैन-बौद्ध प्रार्थनाओं और 'मंदिर यहीं बनाएँगे' के उद्घोष के साथ नींव में अष्टधातु के सर्प डाले गए। आज की पूजा के यजमान श्रीशचंद्र दीक्षित और बद्री प्रसाद तोशनीवाल थे। पहली शिला जब दलित ने रख दी तो अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में पूजित पाँच शिलाएँ नींव में महंत रामचंद्र परमहंस ने रखीं।

शिलान्यास को मुस्लिम समुदाय ने अपने साथ सरकारी धोखाधड़ी माना। इसके खिलाफ बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के बैनर तले मुसलमानों ने फैजाबाद की टाट शाह मस्जिद से सुबह विरोध मार्च किया। इरादा अयोध्या तक मार्च करने का था, पर थोड़ी दूर आगे जाते हुए पुलिस ने उन लोगों से लौटने को कहा। नहीं लौटने पर वे गिरफ्तार कर लिये गए। गिरफ्तारी में कोई हील-हुज्जत नहीं हुई। गिरफ्तारी की अगुवाई बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के संयोजक मो. आजम खाँ, जफरयाब जिलानी, मुजफ्फर हुसैन कछौछवी ने की। इस मार्च में देश भर से खासकर अलीगढ़ से लोग आए थे। इनके हाथों में तख्तियाँ थीं, जिन पर लिखा था—'राजीव गांधी होश में आओ, शिलान्यास पर रोक लगाओ।'

बाद में उलेमाओं और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि मस्जिद सुरक्षित है और कब्रिस्तान पर शिलान्यास हुआ है। इसलिए कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। केवल हमें इस बदनीयत सरकार को बेदखल करना

होगा, जिसने हमें धोखे में रखकर शिलान्यास करवा दिया। ऐसा कर सरकार ने गैर-कानूनी, अनैतिक और अदालत की अवमानना की है। इससे देश में रहने वाले तमाम धर्मनिरपेक्ष लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है। समिति ने फिर कहा कि प्लॉट नंबर 586, जहाँ शिलान्यास कराया गया है, विवादास्पद है और वह कब्रिस्तान की जमीन है। सरकार ने सारे देशवासियों से झूठ बोलकर कड़ी सुरक्षा में शिलान्यास इस तरह कराया, जैसे यह कोई सरकारी कार्यक्रम हो। समिति ने सरकार से कहा है कि वह अपनी नीति साफ करे। बाबरी एक्शन समिति ने आवाम से आने वाले चुनावों में राष्ट्रहित में कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाने की अपील की है, जिससे कभी कोई सरकार इस तरह सांप्रदायिक ताकतों के हाथों खेलने की हिम्मत न करे।

यह राजीव गांधी का अनाड़ीपन था कि उन्होंने दोनों पक्षों को नाराज किया। और वी.पी. सिंह की बाजीगरी थी कि उन्होंने मंदिर बनाने और विरोध करने वालों दोनों को साथ ले सरकार बना ली। राजीव गांधी का हिंदू कार्ड नहीं चल पाया। मुस्लिम तो चले गए, पर हिंदू नहीं आए। शिलान्यास करना, अपनी पहली सभा अयोध्या में करना, देवरहा बाबा का आशीर्वाद लेना, इन सब वजहों से जो असफल हिंदू लहर बनाने की कोशिश हुई, वह नहीं चल पाई।

लेकिन राजीव गांधी पर उसका कोई असर नहीं था। वे

शिलान्यास का श्रेय लेना चाह रहे थे। नागपुर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी ने कहा कि शिलान्यास के शांतिपूर्वक निपट जाने का श्रेय उनकी पार्टी को जाता है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद उनकी पार्टी और सरकार ने जो कदम उठाए, उससे अयोध्या में पैदा हुए तनाव को खत्म करने में मदद मिली।

शिलान्यास की इजाजत इस शर्त पर दी गई थी कि शिलान्यास प्रतीकात्मक होगा और कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा। जब तक दोनों संप्रदायों के बीच कोई समझौता न हो जाए। विहिप ने जनभावना के दबाव में शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य जारी रखने की घोषणा कर दी और निर्माण की योजना को भी सार्वजनिक किया, जिसमें मंदिर का विस्तार विवादित ढाँचे की ओर किया जाने वाला था। इसलिए राज्य सरकार ने 11 नवंबर को निर्माण कार्य रुकवा दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवा टालते हुए घोषणा की कि अब 27-28 जनवरी को इलाहाबाद के संत-सम्मेलन में मंदिर निर्माण की अगली तारीख का ऐलान होगा। तब तक साधु संत इस चुनाव में निर्माण रोकने वाली सरकार को हटवाने में जुटेंगे। यानी विवाद के दोनों पक्ष सरकार को हटवाने में जुट गए। राजीव गांधी को माया मिली न राम।

शिलान्यास कराने के खिलाफ बाबरी कमेटी ने ऐलान किया कि इस सरकार को सबक सिखाएँ और निर्माण रुकवाने पर विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया कि मंदिर

बनाने के लिए कांग्रेस सरकार को हटाएँ। 20 रोज बाद हुए चुनावों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। हालाँकि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी वह अब भी थी। पर वी.पी. सिंह ने एक साथ वामदलों और बीजेपी से हाथ मिला केंद्र में जनता दल की सरकार बना ली। यह राजीव गांधी का अनाड़ीपन था कि उन्होंने दोनों पक्षों को नाराज किया। और वी.पी. सिंह की बाजीगरी थी कि उन्होंने मंदिर बनाने और विरोध करने वालों दोनों को साथ लेकर सरकार बना ली। राजीव गांधी का हिंदू कार्ड नहीं चल पाया। मुस्लिम तो चले गए, पर हिंदू नहीं आए। शिलान्यास कराना, अपनी पहली सभा अयोध्या में करना, देवरहा बाबा का आशीर्वाद लेना, इन सब वजहों से जो असफल हिंदू लहर बनाने की कोशिश हुई, वह नहीं चल पाई।

अयोध्या के शिलान्यास ने दिल्ली का तख्त बदल दिया। देश की राजनीति बदल दी। अयोध्या की ताकत का देश की राजनीति को झकझोर देने वाला इतना बड़ा और स्पष्ट प्रमाण पहली बार सामने आया था। शिलान्यास के साथ खड़ी होकर बीजेपी 2 सीटों से 85 पर पहुँच गई। शिलान्यास का विरोध करने वाले वी.पी. सिंह अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि के साथ देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनकी अगुवाई में जनता दल को 143 सीटें मिलीं। पिछले चुनाव में 415 सीटें जीतकर इतिहास बनाने वाली राजीव गांधी की कांग्रेस महज 197 सीटों पर सिमट गई। राजीव गांधी 'पवेलियन' से शिलान्यास का खेल खेल रहे थे, मगर

सारा श्रेय विकेट पर जमी बीजेपी लूट ले गई। हिंदू उनके साथ आए नहीं, मुसलमान साथ रहे नहीं। कांग्रेस ने इसके बावजूद कोई सबक नहीं लिया। राजीव गांधी के बाद नरसिंह राव ने भी इसी छिपे हुए हिंदुत्व के सहारे अयोध्या को 'डील' करने की कोशिश की। मगर अयोध्या की आँधी में जो छिपा था, वह दफन हो गया। जो मुखर था, वह प्रखर हो उठा। शिलान्यास की नींव पर राममंदिर भले ही न बन सका, पर देश में हिंदूवादी राजनीति का भव्य महल जरूर बनकर खड़ा हो गया।

5.

रामलला की ताला मुक्ति

एक ताले के भीतर अयोध्या की आग दबी हुई थी। ताला खुला और आग भड़क उठी। इस आग ने पहले अयोध्या को जलाना शुरू किया, फिर दावानल बनकर पूरे देश में फैल गई। यह आग अपने पीछे एक जलता हुआ सवाल छोड़ गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के पीछे कांग्रेस थी या बीजेपी? राजीव गांधी थे या विश्व हिंदू परिषद? यह सवाल आज भी धधक रहा है। ताला कैसे खुला? उसके पीछे कौन लोग थे? और वे कौन लोग थे, जो अब तक सामने नहीं आए हैं? क्या किसी एक गलती से देश का ध्यान हटाने के लिए तब की सरकार ने दूसरी बड़ी गलती की थी? उस रोज क्या हुआ था? यह अब तक तिलिस्म की तरह है। इतने बड़े फैसले की किसी को कानोकान खबर तक नहीं थी। अगर ताला न खुलता तो विवादित जगह पर शिलान्यास न होता। अगर शिलान्यास न होता तो ढाँचा न गिरता।

विवादित इमारत का सिंहद्वार जिसका ताला खोला गया। बाईं ओर राम चबूतरा। फोटो : राजेंद्र कुमार

यानी अयोध्या में ध्वंस की जड़ में था विवादित परिसर का ताला खोला जाना। नफा-नुकसान को तौलकर, एक सोची-समझी राजनीति के तहत ताला खुलवाने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिया था। चौंकिए मत, मगर इतिहास का यह कड़वा सत्य है।

क्या आपने कभी सुना है कि आजाद भारत में किसी अदालत के फैसले का पालन महज चालीस मिनट के भीतर हो गया हो? अयोध्या में 1 फरवरी, 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के जिला जज देते हैं। और राज्य सरकार चालीस मिनट के भीतर उसे लागू करा देती

है। शाम 4.40 पर अदालत का फैसला आया। 5.20 पर विवादित इमारत का ताला खुल गया। अदालत में ताला खुलवाने की अर्जी लगाने वाले वकील उमेश चंद्र पांडेय भी कहते हैं, "हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा।"

यह सब क्यों और कैसे हुआ? इसकी भी बड़ी दिलचस्प कथा है। इस फैसले ने बँटवारे के बाद देश को एक बार फिर से सांप्रदायिक आधार पर बाँट दिया। मजहबी कटुता हमारे भीतर गहरे तक धँस गई। हमने इस दोमुँही राजनीति को नजदीक से देखा। इस घटना ने भारतीय राजनीति और समाज को तनाव के उस मुकाम तक पहुँचा दिया, जहाँ हिंदू और मुसलमान आज भी टकराव के रास्ते पर हैं। दरअसल अयोध्या में ताला खुलवाने का फैसला शाहबानो मामले में हाथ जलाने के बाद बहुसंख्यकों को खुश करने की खातिर राजीव गांधी का एक नासमझी भरा पैंतरा था। मुल्ला-मौलवियों के सामने घुटने टेकती उनकी सरकार के खिलाफ जो देशव्यापी रोष था, उससे 'फोकस' हटाने का सरकार को तब यही रास्ता दिखा। जिसकी तार्किक परिणति अयोध्या ध्वंस के रूप में हुई।

वोटबैंक की तात्कालिक राजनीति ने राजीव गांधी से अयोध्या में ताला खुलवा दिया। वे इसके दूरगामी नतीजों से बेखबर थे। इस नाकाम रणनीति से कांग्रेस न इधर की रही न उधर की। मुसलमान ताला खुलने से कांग्रेस से

नाराज हुआ और हिंदू मंदिर बनवाने के लिए बीजेपी के पास चला गया। उनके हाथ कुछ नहीं बचा। कांग्रेस आज भी इसी त्रासदी से जूझ रही है।

क्या आपने कभी सुना है कि आजाद भारत में किसी अदालत के फैसले का पालन महज चालीस मिनट के भीतर हो गया हो? अयोध्या में 1 फरवरी, 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद के जिला जज देते हैं और राज्य सरकार चालीस मिनट के भीतर उसे लागू करा देती है। शाम 4.40 पर अदालत का फैसला आया। 5.20 पर विवादित इमारत का ताला खुल गया। अदालत में ताला खुलवाने की अर्जी लगाने वाले वकील उमेश चंद्र पांडेय भी कहते हैं, “हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा।”

दूरदर्शन की टीम ताला खुलने की पूरी प्रक्रिया कवर करने के लिए वहाँ पहले से मौजूद थी। तब दूरदर्शन के अलावा देश भर कोई और समाचार चैनल नहीं था। इस कार्रवाई को दूरदर्शन से उसी शाम पूरे देश में दिखाया गया। उस वक्त फैजाबाद में दूरदर्शन का केंद्र नहीं था। कैमरा टीम लखनऊ से गई थी। लखनऊ से फैजाबाद जाने में तीन घंटे लगते हैं। यानी कैमरा टीम पहले से भेजी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा दिल्ली में लिखी गई थी। अयोध्या में तो सिर्फ किरदार थे। इतनी बड़ी योजना फैजाबाद में घट रही थी, पर उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी कोई भनक नहीं थी। सिवाय मुख्यमंत्री वीर

बहादुर सिंह के, जिनसे कहा गया था कि वे अयोध्या को लेकर सीधे और सिर्फ अरुण नेहरू के संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वीर बहादुर सिंह से मेरी इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। उनके मुताबिक पूरे मामले का संचालन अरुण नेहरू राजीव गांधी के परामर्श से कर रहे थे। हाँ, मुझसे इतना जरूर कहा गया था कि सरकार अदालत में कोई हलफनामा न दे। लेकिन फैजाबाद के कलेक्टर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट अदालत में हाजिर होकर यह कहें की अगर ताला खुला तो प्रशासन को कोई एतराज नहीं होगा। वीर बहादुर सिंह ने बताया कि फैजाबाद के कमिश्नर को दिल्ली से सीधे आदेश आ रहे थे। दिल्ली का कहना था कि इस बात के सारे उपाय किए जाएँ कि ताला खोलने की अर्जी मंजूर हो। वीर बहादुर सिंह से अरुण नेहरू ने यह जरूर कहा कि अदालत के फैसले को फौरन लागू करवाया जाए। इस सवाल पर वीर बहादुर इतने आत्मविश्वास से इसलिए भरे थे क्योंकि राजीव गांधी ने उनसे बात का कुछ निर्देश सीधे दिए थे। वरना 37 साल से लटके इस मुद्दे पर सिर्फ दो रोज में फैसला हो जाना, वह भी संबंधित पक्षों को सुने बिना, यह मुमकिन नहीं था।

मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वीर बहादुर सिंह से मेरी इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। उनके मुताबिक पूरे मामले का संचालन अरुण नेहरू राजीव गांधी के परामर्श से कर रहे थे। हाँ, मुझसे इतना जरूर कहा

गया था कि सरकार अदालत में कोई हलफनामा न दे। लेकिन फैजाबाद के कलेक्टर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट अदालत में हाजिर होकर यह कहें की अगर ताला खुला तो प्रशासन को कोई एतराज नहीं होगा। वीर बहादुर सिंह ने बताया कि फैजाबाद के कमिश्नर को दिल्ली से सीधे आदेश आ रहे थे।

फैजाबाद के जिला जज कृष्णमोहन पांडेय ने ताला खोलने के फैसले का आधार जिला मजिस्ट्रेट आई.पी. पांडेय और एस.एस.पी. करमवीर सिंह की उस मौखिक गवाही को बनाया, जिसमें दोनों ने एक स्वर में कहा था कि ताला खोलने से प्रशासन को कोई एतराज नहीं होगा। न ही उससे कोई कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। इंदु प्रकाश पांडेय बाद में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और करमवीर सिंह राज्य के पुलिस महानिदेशक बने। यानी दोनों ही अपने-अपने महकमे के शीर्ष तक पहुँचे। इतनी विपरीत स्थितियों में जिला प्रशासन का यह रुख बिना शासन की मर्जी के तो हो नहीं सकता था। खास बात यह थी कि जिन उमेश चंद्र पांडेय की अर्जी पर ताला खुला, वह बाबरी मुकदमे के पक्षकार भी नहीं थे। और जो पक्षकार थे, उन्हें जज साहब ने सुना ही नहीं, उनकी दरखास्त के बावजूद।

असल में राम जन्मभूमि पर ताला किस के आदेश से कब और क्यों लगाया गया? यह किसी को पता नहीं था। इस बात का कहीं कोई आदेश भी नहीं मिलता है। स्थानीय

लोग कहते हैं, ताला तो 1971 में लगा। 1949 में तो किसी ने भी ताला नहीं लगाया था। पूरे मामले का कानूनी पहलू यह था कि यह जगह एक 'रिसीवर' के अधिकार में आती है। 1949 में ही अदालत ने इस संपत्ति को कुर्क करके फैजाबाद के प्रिया दत्त राम को 'रिसीवर' बना दिया था। रामलला का भोजन राम चबूतरे की रसोई में बनाया जाता था। इसके बाद भोग लगाने के लिए संतरी विवादित इमारत का ताला खोल देता था। 1971 में 'रिसीवर' प्रिया दत्त राम की मृत्यु हो गई। तब नए रिसीवर और निर्मोही अखाड़े के बीच विवाद खड़ा हो गया। किन्हीं दो पक्षों के बीच संपत्ति को लेकर कानूनी विवाद में अदालत 'रिसीवर' नियुक्त करती है। यह रिसीवर विवाद के निपटारे तक संपत्ति की देखभाल करता है। नए रिसीवर निर्मोही अखाड़े के विवाद पर पुलिस ने दखल दिया और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। मौके पर तैनात संतरी बदल गया और चाबी नए संतरी को सौंप दी गई। वहाँ दो दरवाजे थे। एक दरवाजा भोग लगाने और प्रार्थनाओं के लिए हमेशा खुला रहता था। लंबे समय तक यही व्यवस्था चलती रही। कुल मिलाकर यह जगह पूरी तरह कभी ताले में बंद ही नहीं थी।

इस फैसले में कहा गया, 'अपील की इजाजत दी जाती है। प्रतिवादियों को गेट संख्या 'ओ' और 'पी' पर लगे ताले तुरंत खोले जाने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी आवेदक और उनके समुदाय को दर्शन

और पूजा आदि में कोई अड़चन या बाधा नहीं डालेंगे।' इस इमारत में दो गेट थे। जिला प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए उनके नाम 'ओ' और 'पी' रखे थे।

28 जनवरी, 1986 को फैजाबाद के मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरि शंकर दुबे, एक वकील उमेश चंद्र पांडेय की राम जन्मभूमि का ताला खोलने की माँग करने वाली अर्जी को खारिज कर देते हैं। दो रोज बाद ही फैजाबाद के जिला जज की अदालत में पहले से चल रहे मुकदमा संख्या 2/1949 में उमेश चंद्र पांडेय एक दूसरी अर्जी दाखिल करते हैं। जिला जज बेहद तेज रफ्तार से दूसरे ही रोज जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को तलब कर उनसे इस सवाल पर प्रशासन की मंशा पूछते हैं। इस मामले पर हलफनामा देने के बजाय इन दोनों अफसरों ने वहीं मौखिक रूप में कहा कि ताला खोलने से कोई गड़बड़ नहीं होगी। न ही कानून और व्यवस्था की कोई समस्या खड़ी होगी। दरअसल यह फैसला जिला प्रशासन के जरिए केंद्र सरकार का था, जिसे राज्य और जिला प्रशासन लागू करा रहा था। दोनों अफसरों के इस बयान से जज को फैसला लेने में आसानी हुई।

बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के कानूनी दावे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुश्ताक अहमद सिद्दकी ने इस अर्जी पर अदालत से अपनी बात रखने की पेशकश की। जज ने कहा, उन्हें सुना जाएगा। पर उन्हें बिना सुने

ही उसी शाम 4.40 पर जज साहब फैसला सुना देते हैं। इस फैसले में कहा गया, 'अपील की इजाजत दी जाती है। प्रतिवादियों को गेट संख्या 'ओ' और 'पी' पर लगे ताले तुरंत खोले जाने का निर्देश दिया जाता है। 'प्रतिवादी आवेदक और उनके समुदाय को दर्शन और पूजा आदि में कोई अड़चन या बाधा नहीं डालेंगे।' इस इमारत में दो गेट थे। जिला प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए उनके नाम 'ओ' और 'पी' रखे थे। इन दोनों गेट को इन्हें समझने के लिए आप इस किताब में छपा नक्शा देख सकते हैं।

फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्णमोहन पांडेय अपनी आत्मकथा में लिखते हैं—"जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूँगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया। चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डी.एम. और एस.एस.पी. मुझे मेरे घर पहुँचाने गए, तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी।"

जिला जज के इस फैसले के बाद डी.एम. और एस.एस.पी. जिला जज को पहुँचाने उनके घर जाते हैं। जज साहब की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। फिर चालीस

मिनट के भीतर ही पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ दिया जाता है और अंदर पूजा-पाठ, कीर्तन शुरू हो जाता है। अब जरा सरकार की मंशा देखिए। अगर अदालत ने यह फैसला दे ही दिया, तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी? क्या इतना संवेदनशील फैसला सिर्फ कानून या न्यायालय के हवाले छोड़ा जा सकता था? जिला प्रशासन का दायित्व नहीं था कि वह राज्य सरकार को भरोसे में लेता। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि दोनों सरकारों से उन्हें निर्देश मिल रहे थे। अब सवाल उठता है, क्या इस फैसले के पीछे सिर्फ मेरिट ही थी या कुछ और? आप यह सुन चौंक जाएँगे कि इस फैसले के पीछे भावना, आस्था और ईश्वर के रूप में एक बंदर भी था। फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्णमोहन पांडेय ने बात-बात में खुद ही यह भेद खोला। पांडेय जी साल 1991 में छपी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं—"जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूँगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया। चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वह वहाँ से गया। फैसले के बाद जब डी.एम. और एस.एस.पी. मुझे मेरे घर पहुँचाने गए, तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी।" इसी

भक्ति-भावना से अभिभूत हो जज साहब ने ताला खोलने का फैसला लिखा। याचिकाकर्ता उमेश चंद्र पांडेय बताते हैं उत्तेजना में उस रात वे सो नहीं सके थे। सारी रात उन्होंने जन्मस्थान में कीर्तन करते हुए गुजारा, दूसरे दिन सुबह वे घर जा पाए।

जज कृष्णमोहन पांडेय धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रिटायर होने के बाद वे लखनऊ के न्यू हैदराबाद कॉलोनी में रहते थे। शाम को गोमती के किनारे बाँध पर टहलते हुए मेरी अकसर उनसे मुलाकात हो जाती थी। धर्म और अध्यात्म के बारे में वे खूब बातें करते। उन्होंने मुझे अपने फैसले के पीछे बंदर और दैवीय प्रेरणा की 'थ्योरी' विस्तार से सुनाई। यह भी बताया कि इस फैसले के रूप में दैवीय प्रेरणा के सम्मान की सोच ने उन्हें भीतर से बहुत संतुष्टि दी। 28 मार्च, 1932 को जन्मे कृष्ण मोहन पांडेय ने मार्च 1960 में एडीशनल मुंसिफ के तौर पर नौकरी शुरू की थी। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक थे। पी.सी.एस. (ज्यूडिशियल) परीक्षा 1959 के टॉपर थे। विभिन्न जिला अदालतों में अलग-अलग पदों पर रहते हुए 17 अगस्त, 1985 को फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज बने। इस फैसले के बाद उन्हें कम महत्त्व के स्टेट ट्रांसपोर्ट अपील प्राधिकरण का चेयरमैन बना दिया गया। के.एम. पांडेय के जब हाईकोर्ट में जज बनाने की बात चली तो वी.पी. सिंह की सरकार ने फच्चर फँसा दिया। इनकी फाइल में प्रतिकूल टिप्पणी कर दी गई। मुलायम सिंह

यादव ने भी उनके जज बनने का विरोध किया। इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार में कानून मंत्री बने डॉ. सुब्रहमण्यम स्वामी। चंद्रशेखर सरकार ने के.एम. पांडेय की हाईकोर्ट जज बनाने की फाइल फिर से खोली। सुब्रहमण्यम स्वामी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह और उनके समय के ताकतवर अधिकारी रहे भूरेलाल के.एम. पांडेय को हाईकोर्ट जज बनाने के खिलाफ थे। वहीं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी अपने मुस्लिम जनाधार को देखते हुए पांडेय को जज नहीं बनने देना चाहते थे। के.एम. पांडेय की फाइल में राज्य सरकार ने लिख दिया कि इन्होंने 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का विवादित फैसला दिया था। इसलिए इन्हें हाईकोर्ट में जज नहीं बनाया जाए। पर सुब्रहमण्यम स्वामी लगे रहे। आखिरकार उन्होंने मुलायम सिंह को इस बात के लिए मना लिया। सुब्रहमण्यम स्वामी कहते हैं कि मुलायम सिंह के दो-तीन काम मेरे मंत्रालय में फँसे थे, जिन्हें वे केंद्र सरकार से करवाना चाहते थे। स्वामी की सक्रियता को देख मुलायम सिंह को लगने लगा कि स्वामी हर हालत में के.एम. पांडेय को हाईकोर्ट का जज बनवाकर ही रहेंगे। आखिरकार 24 जनवरी, 1991 को के.एम. पांडेय को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया गया। लेकिन एक महीने के भीतर यानी 22 फरवरी, 1991 को उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए कर दिया गया।

सुब्रहमण्यम स्वामी कहते हैं कि उन्होंने के.एम. पांडेय से कहा कि इलाहाबाद में उनके होने से आजम खाँ और मुलायम सिंह के दूसरे साथी बेवजह विवाद खड़ा करते रहेंगे, ऐसे में उनका जबलपुर हाईकोर्ट जाना ठीक रहेगा। जबलपुर हाईकोर्ट से ही 28 मार्च, 1994 को न्यायमूर्ति के.एम. पांडेय रिटायर हुए।

के.एम. पांडेय के जब हाईकोर्ट में जज बनाने की बात चली तो वी.पी. सिंह की सरकार ने फच्चर फँसा दिया। इनकी फाइल में प्रतिकूल टिप्पणी कर दी गई। मुलायम सिंह यादव ने भी उनके जज बनने का विरोध किया। इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार में कानून मंत्री बने डॉक्टर सुब्रहमण्यम स्वामी। चंद्रशेखर सरकार ने के.एम. पांडेय की हाईकोर्ट जज बनाने की फाइल फिर से खोली।

तमाम संघर्ष के बीच राममंदिर आंदोलन में पुलिस और भक्तों के बीच दूरियाँ मिट गईं। फोटो : राजेंद्र कुमार

इसी राम चबूतरे पर 1949 से अखंड कीर्तन होता आ रहा है। फोटो : राजेंद्र कुमार

मित्रो, के.एम. पांडेय के इस ऐतिहासिक फैसले को आप सबको पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ इस फैसले को जस-का-तस दे रहा हूँ—

सिविल अपील सं. 6/1986—उमेश चंद्र पांडेय वादी बनाम उ.प्र. राज्य एवं 30 अन्य प्रतिवादी।

यह अपील दिनांक 28.1.1986 को श्री हरी शंकर दुबे मुंसिफ सदर फैजाबाद द्वारा पारित (अभियोग नं. 2.50 के तहत) के विरोध में की गई। अभियोग के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि (2ए/5 के तहत) वादी के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र (422/सी) दिया गया कि अधिकारी 6 से 9

तक वादी के द्वारा एवं अन्य समुदायों द्वारा राम जन्मभूमि में दर्शन और पूजा इत्यादि में कोई विघ्न न डालें। 6 व 9 तक के प्रतिवादियों ने एक विरोध प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि वे मूर्ति की पूजा आदि में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहते, जैसा कि उन्हें न्यायालय के निर्णय 3.3.51 के द्वारा निर्देशित किया गया है। उन्होंने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने विवादास्पद क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मापदंडों का सहारा अवश्य लिया है और इस अधिकार पर किसी भी प्रकार से रोक भी नहीं लगाई जा सकती थी। सुविज्ञ मुंसिफ ने याचिका दायर करने वाले को कोई छूट नहीं दी और जैसा अभियोग क्र. 12,1961 उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, उसने इस आवेदन-पत्र को अग्रसारित करने में अपने आपको अक्षम पाया। उनके अनुसार चल रहे अभियोग के विषय में जब तक साक्ष्य नहीं मिल जाते, वे कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे। अपील में वादी ने अभियोग क्र. 2 में प्रतिवादी 6 से 9 को ही किसी पार्टी का बताते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें अन्य से कोई आपत्ति नहीं है और न ही वादी ने उनके नाम का दलगत आधार पर उल्लेख किया है।

जो मुख्य विचारणीय आधार था, वह यह था कि प्रतिवादियों को ताला खुलवाने के लिए निर्देशित किया जाए कि नहीं। मैंने इस संबंध में जिलाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को सूचनाएँ दे दी हैं।

जिलाधीश ने स्पष्ट रूप से अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि विवादास्पद स्थान पर प्रतिष्ठित मूर्ति बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। बाहरी द्वार में किवाड़ें नहीं हैं। मुख्य द्वार के अंदर सींखचे हैं। वे स्थान के योजना मानचित्र में 'पी' और 'ओ' के रूप में दर्शाए गए हैं। इस योजना-पत्र का क्रमांक अभियोग 2/150 के तहत 136/5 है। दोनों दरवाजों पर ताला डलवा दिया गया है। उन्हें नहीं मालूम कि कब और किसके आदेश के तहत ये ताले डलवाए गए। पुजारी को द्वार 'ओ' से पूजा और भोग के लिए अंदर जाने की अनुमति है। द्वार 'पी' का ताला नहीं खोला गया है। मानचित्र में दर्शाई कई मूर्तियों के अतिरिक्त मंदिर के अंदर और भी मूर्तियाँ हैं। इनमें से कई एक मूर्तियों की झलक उस समय मिल जाती है, जब वहाँ पूजा होती है। पुजारी के अलावा अन्य लोगों को परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ प्रवेश दिया जाता है।

लगभग 35-36 वर्ष से अन्य संप्रदाय के किसी भी सदस्य ने यहाँ नमाज आदि नहीं पढ़ी है। उन्हें इस स्थान पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। 1951 से कोई भी दंगा, कानून और व्यवस्था संबंधी कोई भी समस्या इस संदर्भ में खड़ी नहीं हुई है। द्वार 'ओ' और 'पी' पर ताले केवल मूर्तियों की सुरक्षा और न्यायालय के निर्णय के सम्मान की दृष्टि से डाले गए हैं। जिलाधीश ने आगे यह भी कहा है कि मूर्तियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था आदि बनाए रखने के और भी उपाय अपनाए जा सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मंदिर के द्वारों से ताला खुलवाने पर भी मूर्तियों की सुरक्षा और शांति कायम रखी जा सकती है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री करमवीर सिंह से भी मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि विवादास्पद स्थान से पुलिस हटा ली गई है। यों तो वे अयोध्या के सभी मंदिरों में त्योहारों के अवसर पर पुलिस व्यवस्था रखते हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि चाहे द्वार 'ओ' और 'पी' पर ताला लगाए जाए या नहीं हर स्थिति में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। जिलाधीश द्वारा दिया गया निम्न बयान पूर्णतया इससे संबद्ध है—

गत 25 वर्षों से हिंदुओं को, न्यायालय आदेश 135 तथा 1951 (19-1-50 तथा 3-3-51) के परिणामस्वरूप यहाँ पूजा करने का अबाधित अधिकार रहा है। यदि मर्यादित रूप से ही क्यों न हो, गत 35 वर्षों से हिंदू मूर्तियों की उपासना एवं पूजन करते आए हैं तो 'ओ' और 'पी' द्वारों के ताले खुल जाने से आसमान नहीं फट पड़ने वाला है। जिला मजिस्ट्रेट ने आज मेरे सामने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादग्रस्त स्थल पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। उन्हें वहाँ जाने की भी इजाजत नहीं है।

'ओ' और 'पी' गेट पर ताला बंद करने के अलावा और भी तरीकों से मूर्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था कायम

रखी जा सकती है।” इसी प्रकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने पूरे विषय पर इस प्रकार अपना बयान दिया है —‘ओ’ या ‘पी’ ताले रहें या न रहें, मैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। वहाँ की सुरक्षा ‘ओ’ या ‘पी’ गेट के तालों से नहीं है। मुझे आवश्यकता पड़ने पर वहाँ सुरक्षा कायम करने का अधिकार रहना चाहिए।” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मूर्तियों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ‘ओ’ और ‘पी’ दरवाजों पर ताले डाले रखना आवश्यक नहीं है। वादी या प्रार्थी पर मूर्तिपूजा संबंधी प्रतिबंध लगाना न्यायोचित नहीं है। भगवान और भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार के कृत्रिम अवरोध की कोई आवश्यकता नहीं है।

ऐसा लगता है कि विपक्षी दल पिछले 35 वर्षों से निर्णय न ले पाने के आदी रहे हैं। किसी ने ‘ओ’ और ‘पी’ गेट पर ताले डालने का प्रस्ताव रखा और किसी ने भी तब से इस ताले को खुलवाने की आवश्यकता नहीं समझी। पक्षों की सुनवाई होने के बाद स्पष्ट हो गया है कि दूसरे समुदाय यानी मुस्लिमों पर, ‘ओ’ तथा ‘पी’ द्वारों के ताले खुल जाने तथा परिसर में स्थित मूर्तियों के, तीर्थयात्रियों एवं भक्तों द्वारा दर्शन व पूजा करने की अनुमति दे दिए जाने से कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कल्पना को कितना ही ताना जाए। यह निर्विवाद है कि परिसर इस समय न्यायालय के परिग्रहण में है। गत 25 वर्षों से हिंदुओं को, न्यायालय आदेश 135 तथा 1951 (19-1-50 तथा

3-3-51) के परिणामस्वरूप यहाँ पूजा करने का अबाधित अधिकार रहा है। यदि मर्यादित रूप में ही क्यों न हो, गत 35 वर्षों से हिंदू मूर्तियों की उपासना एवं पूजन करते आए हैं तो 'ओ' और 'पी' द्वारों के ताले खुल जाने से आसमान नहीं फट पड़ने वाला है। जिला मजिस्ट्रेट ने आज मेरे सामने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादग्रस्त स्थल पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। उन्हें वहाँ जाने की भी इजाजत नहीं है। यदि स्थिति ऐसी है, तो ताले खुल जाने से कानून तथा व्यवस्था की कोई समस्या खड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। यह एकदम परिसर का अंदरूनी मामला है।

अपील में वजन मालूम होता है। अपील मंजूर की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत 'ओ' तथा 'पी' द्वारों के ताले खोल दें। वे आवेदक तथा समस्त समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्शन व पूजा में कोई प्रतिबंध न लगाएँ या बाधा न खड़ी करें।

—कृष्ण मोहन पांडेय

जिला जज, फैजाबाद

प्रस्तुत अपील आवेदन पर दिए गए आदेश के खिलाफ की गई है, जो आदेश 39 के साथ ही अनुच्छेद 115 (एस.) सी.पी.सी. के तहत किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट तथा एस.एस.पी. फैजाबाद के सकारात्मक बयानों के बाद ताले बंद रखने का कोई समर्थनीय कारण

नहीं रहा है। इन बयानों के अनुसार कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर दूसरे तरीकों से भी भली-भाँति नियंत्रण रखा जा सकता है और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि इन द्वारों पर ताले लगे रहें। फलस्वरूप अपील में वजन मालूम होता है।

अपील मंजूर की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे तुरंत 'ओ' तथा 'पी' द्वारों के ताले खोल दें। वे आवेदक तथा समस्त समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्शन व पूजा में कोई प्रतिबंध न लगाएँ या बाधा न खड़ी करें। फिर भी, प्रतिवादी स्थिति की आवश्यकता के अनुसार विधि एवं व्यवस्था की किसी समस्या को नियंत्रित करने तथा तीर्थयात्रियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। अपील का खर्च मुकदमे के परिणामों के अनुसार लागू होगा।

1 फरवरी, 1986

कृष्ण मोहन पांडेय

जिला जज, फैजाबाद

30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फैसला दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के.एम. पांडेय के ताला खुलवाने के फैसले को गलत बताया और उस फैसले को विवादित ढाँचे के ध्वंस के लिए जिम्मेदार माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन जजों की खंडपीठ में जस्टिस एस.यू. खान ने अपने फैसले में उस घटना का जिक्र करते

हुए लिखा है—“31 जनवरी, 1936 से पहले वहाँ सब कुछ उसी तरह से चल रहा था, जैसा कि 23 दिसंबर, 1949 से था। दो या तीन पंडित जाकर पूजा-अर्चना करते थे, भगवान को भोग लगाते थे और आम लोगों को ईंट की दीवार से लगी ग्रिल के बाहर से दर्शन की अनुमति थी। 23 दिसंबर, 1949 को मस्जिद के भीतर मूर्ति स्थापित होने के बाद फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी के.के.के. नायर ने 25 दिसंबर, 1949 को शाम 5 बजे, 7.20 बजे और 27 दिसंबर, 1949 को सुबह 9.30 बजे राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वहाँ पर साधुओं और हिंदू श्रद्धालुओं को इस बात के लिए मना लिया गया है कि जब तक इस मामले में चल रहे सिविल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक केवल दो-तीन पंडित ही अंदर जाकर पूजा-पाठ करेंगे और प्रसाद-भोग चढ़ाएँगे। बाकी सभी श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन करेंगे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उमेश चंद्र पांडेय नामक एक व्यक्ति, जो अयोध्या केस में न तो पार्टी था और न ही किसी पार्टी का वकील, उसने 25 जनवरी, 1986 को एक याचिका दायर की और श्रद्धालुओं को अंदर जाकर पूजा-अर्चना करने देने की इजाजत माँगते हुए ईंट और ग्रिल से लगे ताले को खुलवाने की माँग की। जब इस मामले में मुख्य केस यानी सूट संख्या 4 से संबंधित सारी फाइलें हाईकोर्ट ने मँगा ली थीं तो ऐसे में जिला जज का यह मुकदमा सुनना भी वाजिब नहीं था।”

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ताला खोले जाने के फैसले के बाद ये विवाद राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैल गया। इससे पहले अयोध्या और फैजाबाद के बाहर के लोगों को इन मुकदमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाईकोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी, 1986 के उस फैसले के बाद जो घटनाक्रम हुए, उसी का परिणाम 6 दिसंबर, 1992 को ढाँचा गिराए जाने से हुआ। हाई कोर्ट ने माना है कि के.एम. पांडेय ने जो फैसला दिया, उसमें कई गलतियाँ थीं।

यह 25 जनवरी, 1986 थी, जब उमेश चंद्र पांडेय ने मुंसिफ कोर्ट में एक याचिका दायर की। यह वही कोर्ट थी, जिसमें अयोध्या मामले से जुड़े टाइटल मुकदमे की सुनवाई होती थी। मुंसिफ जज ने 28 जनवरी, 1986 को यह आदेश दिया कि चूँकि केस से जुड़ी फाइलें हाईकोर्ट में हैं, इसलिए अगली तारीख तक (उमेश चंद्र पांडेय) की याचिका को विचाराधीन रखा जाता है। मुंसिफ कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया था। सिर्फ तारीख दी थी, पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के इस आदेश को उमेश चंद्र पांडेय ने 31 जनवरी, 1986 को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में चुनौती दी। डिस्ट्रिक जज के सामने जो अपील थी, उसमें राज्य सरकार, डिप्टी कमिश्नर, सिटी मजिस्ट्रेट और एस.पी. फैजाबाद को ही पार्टी बनाया गया था। ये लोग

मुख्य केस में पार्टी नंबर 6, 7, 8 और 9 थे। चूँकि अयोध्या मामले के मुख्य केस में पार्टी नंबर 1 से 5 तक जिनके नाम थे, वे जीवित नहीं थे और उनकी जगह पर कोई और मौजूद नहीं था। इस केस से जुड़े मोहम्मद हाशिम को भी उमेश चंद्र पांडेय की अपील के बारे में पता चला। मो. हाशिम ने उमेश चंद्र पांडेय की याचिका में पार्टी बनाए जाने के लिए अर्जी दी। जिसका उमेश चंद्र पांडेय ने विरोध किया। डिस्ट्रिक्ट जज के.एम. पांडेय ने उसी दिन यानी 1 फरवरी को ही मोहम्मद हाशिम की याचिका खारिज करते हुए उमेश चंद्र पांडेय की याचिका मंजूर कर ली।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ताला खोले जाने के फैसले के बाद ये विवाद राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैल गया। इससे पहले अयोध्या और फैजाबाद के बाहर के लोगों को इन मुकदमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाईकोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी, 1986 के उस फैसले के बाद जो घटनाक्रम हुए, उसी का परिणाम 6 दिसंबर, 1992 को ढाँचा गिराए जाने से हुआ।

हाई कोर्ट ने माना है कि के.एम. पांडेय ने जो फैसला दिया, उसमें कई गलतियाँ थीं, मसलन—

1. मुंसिफ कोर्ट ने 28 जनवरी, 1986 को जब कोई फैसला नहीं दिया था और केवल तारीख दी थी, तब उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील करने लायक

कुछ था ही नहीं।

2. अयोध्या केस की फाइलें हाईकोर्ट में थीं, ऐसे में चाहे मुंसिफ कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट जज, वे कोई फैसला नहीं दे सकते थे।

3. मोहम्मद हाशिम को पार्टी बनाए जाने की माँग वाली अर्जी गलत तरीके से खारिज की गई। जिसके बाद उमेश चंद्र पांडेय की याचिका का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा था। डी.एम. और एसपी ने एक तरह से पांडेय की याचिका का समर्थन ही किया।

4. अयोध्या मामले से मोहम्मद हाशिम के जुड़े होने के बावजूद उसे पार्टी बनाने की याचिका अनावश्यक बताकर खारिज कर दी गई। जबकि उमेश चंद्र पांडेय का इस केस से कोई लेना-देना नहीं होने पर भी उनकी याचिका मंजूर कर ली गई।

5. उमेश चंद्र पांडेय की याचिका पर जिस जल्दबाजी में फैसला लिया गया, उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने फैसले में कोई कारण नहीं बताया है। 31 जनवरी को अपील दायर हुई और अगले दिन फैसला सुना दिया।

6. इंसाफ न सिर्फ किया जाए बल्कि ये दिखाई भी दे कि इंसाफ किया जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने दूसरे सिद्धांत की अनदेखी की।

7. इस फैसले ने केस से जुड़े लोगों का भरोसा हिलाकर रख दिया और यही इस फैसले का सबसे दुखद पहलू है। यानी हाईकोर्ट ने पांडेय जी के फैसले की

जमकर खबर ली, पर अब तो सिर्फ खबर ही ली जा सकती थी। इस फैसले का जो असर हुआ उसे अब बेअसर नहीं किया जा सकता था।

अयोध्या में ताला खुलने की खबर जंगल की आग की तरह फैली। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह खबर मालदीव के दौरे पर दी गई। डिनर से पहले वे अपना भाषण तैयार कर रहे थे। उनके सहयोगी मणिशंकर अय्यर ने बताया कि मैंने उन्हें ताला खुलने की सूचना दी। उनका चेहरा भावशून्य था। ऐसा लगता है, उन्हें पहले से इस बात का अंदाज था। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय ठगा सा महसूस कर रहा था। पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह स्थितिप्रज्ञ थे। ऐसा लगा, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मो. उस्मान आरिफ आपे से बाहर हो रहे थे। वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री पद से हट केंद्र की राजीव सरकार में संचार मंत्री बने, तब वे इस किस्से को मजे लेकर सुनाते थे। उनका कहना था—"पूरे मामले की जानकारी मुझे भी नहीं दी गई थी। मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि अरुण नेहरू इस मामले को 'मैनेज' कर रहे हैं। मेरे लिए तो परेशानी उस वक्त के महामहिम राज्यपाल मो. उस्मान आरिफ ही खड़ी कर रहे थे।"

वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री पद से हट केंद्र की राजीव सरकार में संचार मंत्री बने, तब वे इस

किस्से को मजे लेकर सुनाते थे। उनका कहना था कि "पूरे मामले की जानकारी मुझे भी नहीं दी गई थी। मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि अरुण नेहरू इस मामले को 'मैनेज' कर रहे हैं। मेरे लिए तो परेशानी उस वक्त के महामहिम राज्यपाल मो. उस्मान आरिफ ही खड़ी कर रहे थे।"

राज्यपाल मो. उस्मान आरिफ पर ढेर सारे मुस्लिम संगठन लगातार दबाव बना रहे थे कि अब वे ही कुछ करें। उन्हीं से उम्मीद है। वीर बहादुर सिंह ने मुझे बताया—"राज्यपाल मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि कानून व्यवस्था के नाम पर मैं निषेधाज्ञा जारी कर अदालत को सूचित करूँ कि उसके फैसले को लागू करना संभव नहीं है। इससे दंगे-फसाद होंगे। मेरे साफ-साफ कुछ न कहने पर राज्यपाल अयोध्या जाने पर आमदा थे। मैं उन्हें लगातार टाल रहा था। हर थोड़ी देर बाद उनका फोन मेरे कार्यालय में आ रहा था। बाद में मैंने उनका फोन लेना ही बंद कर दिया। मेरे सामने समस्या यह थी कि मैं महामहिम से क्या बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ? और अब तक क्या किया है? जब तक दिल्ली से साफ तौर पर कोई लाइन तय न हो जाती कि अब आगे क्या करना है? मैं उन्हें क्या जवाब देता? इसीलिए मैं उन्हें हर बार यही कह टाल रहा था कि महामहिम मैं मामले को देख रहा हूँ और आपके पास आकर पूरी रिपोर्ट देता हूँ। थोड़ा वक्त बीतने के बाद मैं उन्हें दिल्ली के रुख के बारे में भी बताता।"

वीर बहादुर सिंह बताते थे कि मैं शाम तक उन्हें टालता रहा। शाम को उनका फोन से संदेश आया कि अगर मुख्यमंत्री राजभवन नहीं आ रहे हैं तो मैं स्वयं ही मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुँच रहा हूँ। वीर बहादुर सिंह ने फोन पर राज्यपाल से गुजारिश की कि महामहिम, अनर्थ हो जाएगा, आप 'प्रोटोकॉल' का ध्यान रखें। मुझे खतरे में न डालें। मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे पता चल गया था कि महामहिम मुस्लिम आवाम को संतुष्ट करने के लिए फैजाबाद जाना चाहते थे। उनके वहाँ जाने से असाधारण समस्या पैदा होती। मामला तूल पकड़ता, क्योंकि तब तक फैजाबाद में मुस्लिम नेताओं और वकीलों का धरना-प्रदर्शन शुरू हो चुका था। वीर बहादुर सिंह ने बताया कि मैंने राज्यपाल को बातचीत में उलझा किसी तरह उन्हें फैजाबाद जाने से रोका। पर राज्यपाल की आतुरता देख वीर बहादुर सिंह ने सावधानी बरती। अपने सचिव को इस बात के निर्देश दिए कि अगर राजभवन से सरकारी जहाज माँगा जाए तो उन्हें बताइए कि जहाज 'मेंटेनेंस' में है। वीर बहादुर सिंह जमीन से जुड़े चतुर राजनेता थे। वे सतर्कता बरत रहे थे, वे हाईकमान का इशारा समझते थे। इसलिए वे लगातार राज्यपाल से खेल रहे थे। किसी तरह समय बिता रहे थे। वीर बहादुर सिंह को मालूम था कि हिंदू कट्टरपंथियों को साधने के लिए यह प्रधानमंत्री का नया पैंतरा है।

राजीव गांधी देश में उस वक्त के सांप्रदायिक हालात

के सामने जबरदस्त दबाव में थे। देश में मजहबी विभाजन तेजी से बढ़ रहा था। अयोध्या से दो हजार किलोमीटर दूर 'मीनाक्षीपुरम्' में घटी एक घटना ने अयोध्या मामले में खाद-पानी का काम किया। हिंदू जनमानस उत्तेजित हो उठा था। इस तनाव की शुरुआत 1981 में तमिलनाडु के 'मीनाक्षीपुरम्' में धर्म-परिवर्तन की एक घटना से होती है। यहाँ चार सौ परिवारों ने सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें ज्यादातर पिछड़ी जाति के हिंदू थे। हिंदू नेताओं ने मीनाक्षीपुरम् के धर्म-परिवर्तन की घटना को देश में बढ़ते इस्लामिक खतरे के रूप में देखा। हिंदू नेताओं में इसकी जवाबी प्रतिक्रिया हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पहल पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने उस घटना की जाँच रिपोर्ट दी। जिस पर संसद में बहस हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बैंगलूर में एक बड़ी राष्ट्रीय बैठक कर हिंदू समाज की एकता के उपायों पर विमर्श किया। इसी बैठक में तब के प्रांत प्रचारक अशोक सिंघल ने एक ओजस्वी भाषण कर उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह भी एक कारण था कि उन्हें संघ कार्य से मुक्त कर हिंदू जागरण के लिए बालासाहब देवरस ने चुना। अशोक सिंघल के प्रयास से दिल्ली में 'विराट हिंदू समाज' बना। डॉ. कर्ण सिंह अध्यक्ष बनाए गए। इस मंच ने रामलीला मैदान में सर्वपंथ हिंदू सम्मेलन किया। जो सफल रहा। इससे सांप्रदायिक माहौल इस कदर बिगड़ा कि देश भर में जगह-जगह छोटी-मोटी बातों पर तनाव होने लगा। उत्तर

प्रदेश के मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद दंगे हुए। उस वक्त मुसलमानों की देखभाल के लिए कांग्रेस नमाज स्थल पर कैंप लगाया करती थी। मुरादाबाद में इस कैंप का इंतजाम कांग्रेस के दाऊ दयाल खन्ना कर रहे थे। दाऊ दयाल खन्ना उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके थे। तभी नमाज स्थल पर सूअर के घुस जाने की अफवाह से उपद्रव के हालात पैदा हो गए। मुस्लिम उपद्रवी तत्त्वों ने खन्ना और दूसरे कांग्रेसियों पर हमला कर दिया। दाऊ दयाल खन्ना और मुरादाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मुरादाबाद कांड की असलियत बताने पहुँचे। उस वक्त खन्ना की इतनी हैसियत नहीं थी कि इंदिरा जी उन्हें कोई जवाब देतीं। खन्ना निराश हो उलटे पाँव लौट आए। पर उनके भीतर की प्रतिहिंसा मौके की तलाश में थी। उन्हीं दिनों अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद में संयुक्त महासचिव हुए। विराट हिंदू समाज 1983 के अंत तक सक्रिय रहा। माना जाता है कि उन्हें इंदिरा गांधी की अनुमति प्राप्त थी। हिंदू जागरण के मंचों पर उन्हीं दिनों दाऊदयाल खन्ना, श्रीशचंद्र दीक्षित दिखे। दाऊदयाल खन्ना प्रयासरत थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अयोध्या प्रश्न उठाए। वे प्रो. राजेंद्र सिंह से अकसर हर आयोजन में यही बात करते सुने जाते थे। वे सफल रहे। अशोक सिंघल भी उसी विचार के थे।

इसी दिशा में पहला कदम उठा, धर्म संसद के आयोजन में।

यह अप्रैल 1984 की बात है। इस पहली धर्मसंसद के पीछे 1964 के दौर में बनी विश्व हिंदू परिषद थी। परिषद को 1964 की जन्माष्टमी पर आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, स्वामी चिन्मयानंद (चिन्मय मिशन), गुजराती साहित्यकार केशवराम काशीराम शास्त्री, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी और पत्रकार एस.एस. आप्टे ने मिलकर मुंबई में बनाया था। इसी धर्मसंसद में पहली बार गाया गया, 'चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है।' यह गीत अशोक सिंघल ने खुद गाया था। कम लोग जानते होंगे कि श्री सिंघल गाते अच्छा थे।

मीनाक्षीपुरम् की घटना और देश के हालात पर रास्ता ढूँढ़ने के लिए कोई 500 साधु-संत धर्मसंसद के नाम पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जमा होते हैं। यह अप्रैल 1984 की बात है। इस पहली धर्मसंसद के पीछे 1964 के दौर में बनी विश्व हिंदू परिषद थी। परिषद को 1964 की जन्माष्टमी पर आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरु जी), स्वामी चिन्मयानंद (चिन्मय मिशन), गुजराती साहित्यकार केशवराम काशीराम शास्त्री, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक और साहित्यकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और पत्रकार एस.एस. आप्टे ने मिलकर मुंबई में बनाया था। इस बैठक

में विश्व भर से 70 से ज्यादा प्रतिनिधि आए थे। इनमें मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी भूपेंद्र सिंह (शिरोमणि अकाली दल), संत तुकोजी महाराज, स्वामी शंकरानंद सरस्वती, सुशील मुनि जी (जैन संत), वी.जी. देशपांडेय (महासचिव हिंदू महासभा) शामिल थे। नए संगठन का मकसद हिंदू एकता और उनकी सामाजिक आध्यात्मिक जागृति थी।

तय हुआ कि सात अक्तूबर को देश भर से साधु-संत अयोध्या में सरयू के किनारे इकट्ठा होंगे। और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की कसम खा लखनऊ के लिए कूच करेंगे। 14 अक्तूबर को यह रथयात्रा लखनऊ पहुँची। यहाँ वह बड़ी सभा में तब्दील हुई।

इस धर्मसंसद के पीछे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री अशोक सिंघल और हमेशा परदे के पीछे काम करने वाले मोरोपंत पिगंले थे। अशोक सिंघल आरएसएस के प्रचारक थे। जिन्हें विश्व हिंदू परिषद का जिम्मा सौंपा गया था। सिंघल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1950 में धातु इंजीनियरिंग में स्नातक थे। इसी धर्मसंसद में पहली बार गाया गया, 'चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है।' यह गीत अशोक सिंघल ने खुद गाया था। कम लोग जानते होंगे कि श्री सिंघल अच्छा गाते थे। धर्मसंसद के वक्ताओं में डॉ. कर्ण सिंह भी थे। कर्ण सिंह कश्मीर के पूर्व महाराजा के बेटे और इंदिरा गांधी की कैबिनेट के

महत्त्वपूर्ण मंत्री रह चुके थे। उस वक्त वे सांसद थे। कर्ण सिंह ने अपने भाषण में व्यक्तिगत जीवन और राजनीति को हिंदू धर्म के सिद्धांतों के साथ फिर से जोड़ने की जरूरत जताई। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि देश में हिंदू पवित्र धर्मस्थलों को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम राम जन्मभूमि में एक दीपक भी नहीं जला सकते, यह कितनी लज्जा की बात है। उस वक्त लोगों ने धर्मसंसद में कर्ण सिंह की आवाज को कांग्रेस के हिंदुत्व की नरम लाइन समझा। बाद में इसी लाइन ने अयोध्या में ताला खुलवाया।

इसी धर्मसंसद में एक प्रस्ताव पास हुआ कि हिंदुओं के तीन सबसे पवित्र धर्म स्थलों को वापस हिंदू समाज को सौंपा जाए। इन स्थलों में अयोध्या की राम जन्मभूमि, मथुरा की कृष्णजन्मभूमि और काशी का विश्वनाथ मंदिर थे। उस वक्त तक इन धार्मिक स्थलों का कोई प्रस्ताव विश्व हिंदू परिषद के पास नहीं था। पहली बार इन तीनों मंदिरों के मुक्ति की माँग किसी मंच से हुई थी। पर धर्मसंसद ने एजेंडे पर सबसे पहले अयोध्या को रखा। इस काम के लिए धर्मसंसद ने 'राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति' का गठन किया। तय हुआ कि अयोध्या में यज्ञ समिति की पहली बैठक 18 जुलाई को होगी। 18 जुलाई को अयोध्या में हुई बैठक में सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्षपीठ के प्रमुख महंत अवेद्यनाथ चुने गए। गोरखपीठ नागपंथी कनफटा संप्रदाय की सर्वोच्च गद्दी रही

है। इन्हीं महंत अवेद्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजय नाथ 23 और 24 दिसंबर, 1949 की रात अयोध्या में मौजूद रह विवादित परिसर में मूर्तियों के रखवाने का इंतजाम कर रहे थे। पंच मकारो (मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा) की सिद्धि वाले इस पंथ के प्रमुख इस वक्त उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस समिति का महामंत्री कांग्रेस के पूर्व मंत्री दाऊ दयाल खन्ना को बनाया गया। जो इंदिरा गांधी से अपने अपमान का बदला चुकाने यहाँ आए थे। अयोध्या की मणिराम दास छावनी के महंत नृत्यगोपालदास और दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस को उपाध्यक्ष बनाया गया। विहिप के ओंकार भावे और महेश नारायण सिंह समिति के सचिव बने। साथ ही 35 धर्माचार्यों का एक संरक्षक मंडल भी बना। जन्मस्थान की मुक्ति के लिए देश भर में माहौल बनाने के लिए सितंबर, 1984 में बिहार के सीतामढ़ी से एक रथ अयोध्या के लिए चला। यह वही जिला है, जहाँ हिंदू सीता का जन्म मानते हैं। यानी एक जन्मस्थान से दूसरे जन्मस्थान की इस रथयात्रा से देश का माहौल गरमाया। तय हुआ कि सात अक्तूबर को देश भर से साधु-संत अयोध्या में सरयू के किनारे इकट्ठा होंगे और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की कसम खा लखनऊ के लिए कूच करेंगे। 14 अक्तूबर को यह रथयात्रा लखनऊ पहुँची। यहाँ वह बड़ी सभा में तब्दील हुई। इसी दौरान मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष परमहंस रामचंद्रदास ने ऐलान किया

कि 1986 की रामनवमी तक अगर जन्मभूमि का ताला नहीं खुला तो वे आत्मदाह कर लेंगे। परमहंस 1950 से इस मामले में मुकदमा लड़ रहे थे। वे अयोध्या के दिगंबर अखाड़े के प्रमुख थे। यह अखाड़ा रामानंदी संप्रदाय का था। स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल परमहंस में मंदिर के लिए जान देने का जज्बा था। सात अक्तूबर को सरयू के किनारे कोई पचास हजार लोगों ने जन्मस्थान को मुक्त कराने की कसम खाई।

जब यह रथयात्रा दिल्ली पहुँचने ही वाली थी। उसी वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राम-जानकी रथ साहिबाबाद में रोक दिया गया। देश सिख विरोधी दंगों की आग में जल रहा था। कई शहरों में सेना थी। देश की राजनीति ने तेजी से पलटा खाया। इंदिरा जी की मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने।

यहाँ से शुरू हुई राम-जानकी रथयात्रा, जो समूचे देश में घूमी। इस रथ में राम-सीता लोहे के सीखचों में बंद थे। जैसे-जैसे रथ का पहिया घूमता रहा। जनता का दिमाग घूमता रहा। लखनऊ के सम्मेलन में कोई एक लाख लोग थे। जो लखनऊ में उस वक्त तक की सबसे बड़ी रैली थी। लखनऊ में दिन भर के सम्मेलन के बाद मुक्तियज्ञ समिति के अध्यक्ष अवेद्यनाथ मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से मिले। उन्हें तीनों स्थल हिंदुओं को सौंपने का एक अनुरोध

पत्र सौंपा। इस माँग और आंदोलन को सामाजिक विस्तार देने के लिए संघ ने हर जाति के लोगों के घरों से पूड़ी-सब्जी मँगाई, खासकर दलितों के घरों से। वही पूड़ी-सब्जी संत सम्मेलन में आए लोगों का भोजन था। विश्व हिंदू परिषद की यह रणनीति दलित और दूसरी छोटी जातियों तक इस आंदोलन को पहुँचाने की थी। यह जमात अब तक किसी आंदोलन में शामिल नहीं होती थी। लखनऊ से चलकर नैमिषारण्य, चित्रकूट होते हुए इस रथयात्रा को 31 अक्तूबर को दिल्ली पहुँचना था। लालकिले पर लाखों लोगों द्वारा रथयात्रा के स्वागत का इंतजाम था। इस दौरान छोटे-छोटे गाँव से लोग आंदोलन में शामिल होने और रथ को देखने आने लगे थे। आंदोलन को दूर-दराज के इलाकों में विस्तार मिलने लगा था। तब तक अशोक सिंघल हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभर चुके थे।

जब यह रथयात्रा दिल्ली पहुँचने ही वाली थी। उसी वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। राम-जानकी रथ दिल्ली के पास साहिबाबाद में रोक दिया गया। देश सिख विरोधी दंगों की आग में जल उठा। पूरे देश में दंगे फैल गए। कई शहरों में सेना थी। देश की राजनीति ने तेजी से पलटा खाया। इंदिरा जी की मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजनीति से दूर रहने वाले राजीव पहले इंडियन एयर लाइंस के पायलट थे।

उन्होंने इटली की सोनिया माइनो से विवाह किया था। उन्हें उस वक्त तक न धर्म की समझ थी, न राजनीति की। भाई की मौत से वे राजनीति में आए और माँ की मौत से प्रधानमंत्री बने। उनकी रुचि भारत को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक के विस्तार में जरूर थी। भारतीय समाज और संप्रदाय से अनजान राजीव कुछ ही दिनों में हिंदू-मुसलमान के तनाव की रस्साकशी में फँस गए। वे जो भी फैसले लेते, इस तनाव में अंदर तक धँसते जाते।

राजीव सरकार के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने संसद में इस फैसले के समर्थन में एक लंबा भाषण दिया। खान बताते हैं कि ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर किया था। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं, इस फैसले के समर्थन में जब उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया तो राजीव गांधी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर बढ़िया भाषण देने की बधाई दी थी। बाद में कुछ मुल्लाओं के दबाव में राजीव गांधी झुक गए।

तभी देश को झकझोरने वाला एक ऐतिहासिक फैसला आया। जिसने देश के राजनैतिक विमर्श को बदल दिया। समाज खाँचों में बँट गया। सवाल उठा कि क्या हिंदू और मुसलमानों के लिए देश में अलग-अलग कानून होगा? इस पर बहस चल पड़ी। 1985 में एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथी खड़े हो गए। शरीयत के बहाने इस्लाम

पर खतरा बता देश में धरने-प्रदर्शन शुरू हो गए। राजीव गांधी पर दबाव पड़ा कि वे कानून बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटें। राजीव गांधी खुद फैसले नहीं कर पाते थे। वे देश की समस्याओं से बेखबर थे। पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। फिर कट्टरपंथियों के दबाव में पीछे हटने लगे। इस सवाल पर राजीव गांधी सरकार को खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर एक सांप्रदायिक विभाजन की रेखा खिंच गई। 'एक देश-दो कानून' को लेकर हिंदू-मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक तनाव के बीज फिर फूटे। शाहबानो इंदौर की रहने वाली पाँच बच्चों की असहाय माँ थी, जिसे उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने घर से निकाल दिया था। बच्चों की जीविका के साधन की खातिर शाहबानो पति से गुजारा भत्ता लेने अदालत पहुँची। इंदौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 25 रुपए माहवार गुजारे के लिए रकम तय की। शाहबानो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने उसे गुजारे की रकम बढ़ा कर 179.20 रुपए तय कर दी। मोहम्मद अहमद खान ने इस फैसले को शरीयत के खिलाफ माना। वे सुप्रीम कोर्ट गए। चूँकि मामला पर्सनल लॉ से संबंधित था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पार्टी बन गया। शरीयत के मुताबिक तलाकशुदा पत्नी केवल इद्दत की अवधि में गुजारे की हकदार होती। इद्दत सामान्यतः तीन महीने का होता है।

इसके बाद पति का कोई दायित्व नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, रंगनाथ मिश्र, ओ. चिन्नप्पा रेड्डी और ई.एस. वैंकटचलैया की खंडपीठ ने शाहबानो को गुजारे का हकदार माना। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, बेबसी के खिलाफ प्रावधान सभी भारतीयों पर एक समान लागू होते हैं। कट्टरपंथियों ने इस फैसले का विरोध किया। इस्लाम पर खतरे की आवाज उठी। रूढ़िवादियों ने चीत्कार किया, 'यह तो उनके धर्म में दखल है।' राजीव सरकार के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने संसद में इस फैसले के समर्थन में 70 मिनट लंबा ऐतिहासिक भाषण दिया। खान बताते हैं कि ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर किया था। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं, इस फैसले के समर्थन में जब उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया तो राजीव गांधी ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर बढ़िया भाषण देने की बधाई दी थी। खान बताते हैं, मैं उस रोज अपनी अंतरात्मा से बोला था। क्योंकि मैं इस समाज को इसकी बदहाल हालात से बाहर लाना चाहता था। बाद में कुछ मुल्लाओं के दबाव में राजीव गांधी झुक गए। फिर राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद खाँ को समझाया कि आप क्या समाज सुधारक हैं। वे ऐसी हालत में रहना चाहते हैं। रहने दीजिए। वे हमें वोट देते हैं, इसका खयाल रखिए। कट्टरवादी मुस्लिम जमात की सलाह पर राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बदल

दिया। संसद में उन्हें अपार जनसमर्थन था। लोकसभा में उनके पास 416 सांसद थे। संसद में कानून बनाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। अब इस देश में धर्म के आधार पर महिला अधिकारों पर दो कानून बन गए। हिंदू समाज में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। सरकार कठघरे में खड़ी हुई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जवाब देते नहीं बन रहा था।

इस मुद्दे को बीजेपी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के जरिए लपक लिया। शाहबानो के मामले में सरकार मुस्लिम महिला कानून के जरिए संविधान संशोधन का ऐलान कर चुकी थी। अब हिंदुओं को खुश करने की बारी थी। हताश-निराश और परेशान राजीव गांधी को अयोध्या में रोशनी दिखी। अयोध्या संवेदनशील मुद्दा था। इस मुकदमे की हर गतिविधि को आई.बी. (खुफिया ब्यूरो) रिपोर्ट करती थी। हर साल ताला खोलने की अर्जी फैजाबाद की अदालत में लगती थी। उसकी एक प्रति आई.बी. के जरिए दिल्ली आती थी। राजीव गांधी सरकार में आंतरिक सुरक्षा के मंत्री अरुण नेहरू थे। वे राजीव के ममेरे भाई भी थे। वे इस मसले को जानते थे। अरुण नेहरू का दिमाग कौंधा और उन्होंने राजीव गांधी को आइडिया दिया। राजीव गांधी को आइडिया पसंद आया (अरुण नेहरू से बातचीत के आधार पर) उनका मानना था कि इससे हिंदुओं का फोकस शाहबानो से हटकर अयोध्या की तरफ हो जाएगा।

23 अक्तूबर, 1985 को अयोध्या से सात रामजानकी रथ विभिन्न दिशाओं में रवाना किए गए। यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ से सरकार के कान खड़े हो गए थे। 31 अक्तूबर, 1985 को उडुपि में दूसरी धर्मसंसद का आयोजन हुआ। इसमें फैसला हुआ था कि अगर 8 मार्च, 1986 तक रामलला के मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो 9 मार्च, 1986 से 'ताला खोल' आंदोलन 'ताला तोड़' आंदोलन में बदल जाएगा।

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्ड के तब के अध्यक्ष मौलाना अली मियाँ नदवी से भी कहा कि मुस्लिम महिला कानून में तो हम संशोधन कर देंगे, पर हमें दूसरे पक्ष की भावनाओं का भी खयाल रखना होगा। लंबे समय से हिंदुओं की माँग है कि अयोध्या में राम जन्मस्थान का ताला खुले। मुझे इस माँग पर भी विचार करना पड़ेगा। यानी प्रधानमंत्री चुपचाप पर्सनल लॉ बोर्ड से यह 'पैकेज डील' कर रहे थे। मौलाना कुछ बोले नहीं, चुप रहे। जिसे राजीव गांधी ने उनकी सहमति समझा। बाद में जब यह खबर एक उर्दू अखबार में छपी तो बोर्ड के सदस्यों ने मौलाना नदवी से पूछा। मौलाना का कहना था कि राजीव गांधी ने हमसे पूछा नहीं था, पर यह बात हमारे कान में जरूर पड़ी थी। बोर्ड के तब के सचिव मौलाना अब्दुल करीम पारीख ने बाद में एक उर्दू साप्ताहिक से यह रहस्य खोला था। राजीव गांधी के उस वक्त मंत्रिमंडलीय

सहयोगी रहे आरिफ मोहम्मद खान भी इस बात की तसदीक करते हैं। वे कहते हैं कि 'तब के मुस्लिम नेतृत्व और राजीव गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत मुसलमानों के लिए शाहबानो मामले में कानून बनाना था और हिंदुओं के लिए अयोध्या का ताला खुलना था। आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं, इसलिए अली मियाँ कभी मंदिर आंदोलन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के आंदोलन के आलोचक थे। शाहबानो से हुए नुकसान को धोने और बीजेपी की योजना को नाकाम बनाने के लिए कांग्रेस अयोध्या में ताला खुलवाने की योजना में जुटी थी। राजीव गांधी को समझाया गया था कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला तो शाहबानो मामले से नाराज हिंदू भावनाएँ सरकार के साथ हो जाएँगी। इस योजना को पंख लगे। उधर विश्व हिंदू परिषद के जरिए देश भर में रामरथ यात्राएँ शुरू हो चुकी थीं। जन्मभूमि का ताला खोलने की माँग जोर पकड़ने लगी थी। समूचे देश में ये रथयात्राएँ भीड़ इकट्ठा कर रही थीं।

23 अक्तूबर, 1985 को अयोध्या से सात रामजानकी रथ विभिन्न दिशाओं में रवाना किए गए। यात्रा में उमड़ने वाली भीड़ से सरकार के कान खड़े हो गए थे। 31 अक्तूबर, 1985 को उडुपि में दूसरी धर्मसंसद का आयोजन हुआ। इसमें फैसला हुआ था कि अगर 8 मार्च, 1986 तक रामलला के मंदिर का ताला नहीं खोला गया

तो 9 मार्च, 1986 से 'ताला खोल' आंदोलन 'ताला तोड़' आंदोलन में बदल जाएगा। देश भर में घूम रहे सभी रामजानकी रथों को 8 मार्च, 1986 को अयोध्या लौटना था, ताकि 9 मार्च, 1986 को ताला खोलने के बाबत कोई ठोस फैसला हो। शाहबानो के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के राजीव गांधी के ऐलान से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा था। बहुसंख्यक बुरी तरह उत्तेजित थे। खुद कांग्रेस पार्टी के सांसद इसके हक में नहीं थे। आरिफ मोहम्मद खान के 'स्टैंड' ने प्रगतिशील मुसलमानों को भी सोचने को मजबूर कर दिया था। पर राजीव गांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वायदा कर एक ऐसे चौराहे पर पहुँच गए थे, जहाँ से लौटना उनके लिए मुश्किल था। एक ही रास्ता बचा था, लगे हाथ हिंदुओं के लिए भी कुछ कर दिया जाए, ताकि देश के एजेंडे से शाहबानो का मुद्दा कुछ समय के लिए हट जाए।

यह नवंबर '85 का आखिरी हफ्ता था। राजीव गांधी ने अली मियाँ नदवी, मिन्नतुल रहमानी (बोर्ड के सचिव) जियाउर्रहमान अंसारी (केंद्रीय मंत्री) के साथ कुछ और लोगों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाले बिल के मसौदे पर बात होनी थी। कानून मंत्री अशोक सेन, दूसरे मंत्री अरुण नेहरू और अरुण सिंह भी बैठक में मौजूद थे। मीटिंग 3 घंटे से ज्यादा चली। बिल के हर सेक्शन पर आधा-आधा घंटा विमर्श हुआ। जब बोर्ड ने बिल पर अपनी रजामंदी दे दी तो प्रधानमंत्री ने भी

अपनी मुहर लगाई। बिल पर सहमति बन गई। मीटिंग खत्म हुई। राजीव गांधी ने भरोसा दिया कि बजट सत्र के पहले दिन यह बिल लाया जाएगा।

बैठक खत्म होते ही माखनलाल फोतेदार ने आरिफ मोहम्मद खान को सूचना दी। उन्होंने कहा, "आप कानून मंत्री अशोक सेन के राजा जी मार्ग के घर पहुँचें। बिल के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आप भी देख लें और कुछ सुझाव हो तो दें।" आरिफ कहते हैं मैं फौरन अशोक सेन के घर पहुँचा। बिल पढ़ते ही मेरी जमीन खिसक गई। बिल का सेक्शन तीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सभी माँगों को नकार रहा था। सेक्शन तीन का कहना था कि इद्दत की अवधि के भीतर ही 'फेयर' और वाजिब मुआवजे की रकम तय होगी।" अशोक सेन ने आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि इस तथ्य को आप बाहर मत कहिएगा। इस पर अब सभी पक्ष रजामंद हैं। नए सिरे से विवाद खड़ा हो सकता है। मुस्लिम नेताओं से यह गलती शायद अंग्रेजी भाषा में उनकी तंगी की वजह से हुई।

सब कुछ तय हो गया। बिल आ रहा था। मुस्लिम आवाम को संकेत देने के लिए जियाउर्रहमान अंसारी ने दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में मोमिन कॉन्फ्रेंस की बैठक बुला ली। जियाउर्रहमान अंसारी उ.प्र. के उन्नाव से आते थे और मंत्रिमंडल में आरिफ मोहम्मद खान से उलट लाइन लिए हुए थे। इसी मोमिन कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी

ने ऐलान किया कि 5 फरवरी से संसद का सत्र बुलाया गया है। सत्र के पहले ही दिन हम बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। राजीव गांधी के इस भाषण के दूसरे ही दिन देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। 18 जनवरी को आई.बी. और रॉ के प्रमुख राजीव गांधी के पास आए। दोनों ने कहा देश की हालत ठीक नहीं है। तनाव बढ़ रहा है, दंगों के आसार हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हालात बेकाबू हो सकते हैं।

राजीव गांधी के तब सबसे करीब अरुण सिंह और अरुण नेहरू हुआ करते थे। दूसरे रोज राजीव ने दोनों को बुलाया, उन्हीं के सामने आई.बी. और रॉ प्रमुख फिर से बुलाए गए। अरुण नेहरू कुछ ही समय पहले गृहराज्य मंत्री बने थे। उनके पास आंतरिक सुरक्षा का महकमा था। आई.बी. उन्हें ही रिपोर्ट करती थी। इससे पहले गृहराज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान हुआ करते थे। जब आंतरिक सुरक्षा को पुलिस डिविजन कहा जाता था। पुलिस डिविजन आरिफ मोहम्मद खान के पास ही था। उसी का बाद में नाम बदल आंतरिक सुरक्षा किया गया। दोनों खास मंत्रियों के सामने खुफिया प्रमुखों ने देश के खराब हालात का जिक्र फिर से किया। अरुण नेहरू ने पूछा, रास्ता क्या है। उन अफसरों का जवाब था, बिल के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया को किसी तरह रोकना।

दोनों शीर्ष खुफिया अफसरों के जाने के बाद अरुण नेहरू ने कहा, “विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम

जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए देश भर में रथयात्राएँ निकाल रही है। उसने ऐलान किया है कि फलाँ तारीख तक ताला नहीं खुला तो ताला खोल आंदोलन ताला तोड़ आंदोलन में बदल जाएगा।”

राजीव गांधी ने विस्मय से पूछा, “तो क्या ताला खुल सकता है?”

अरुण नेहरू ने कहा, “इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखलाई पड़ती है। क्योंकि ताले का मूल मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे प्रशासनिक कारणों से लगाया गया है। जिलाधिकारी ने अदालत से कहा, प्रशासनिक लिहाज से ताला बंद रहना चाहिए तो बंद हो गया। अब अगर जिलाधिकारी कहेगा ताले की जरूरत नहीं है तो ताला खुल जाएगा।”

अरुण नेहरू ने बताया कि राजीव जी ने तुरंत कहा, ‘वीर बहादुर से बात करो। उनसे कहिए कि वो यह काम करवाएँ।’ वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अरुण नेहरू ने तुरंत वीर बहादुर से बात की। उन्हें रास्ता बताया कि क्या और कैसे किया जाना है। पर यह नहीं कहा कि करना कब है। अरुण नेहरू चाहते थे कि राजीव जी खुद वीर बहादुर सिंह से कहें। थोड़ी देर बाद अरुण नेहरू ने वीर बहादुर सिंह को फोन लगा राजीव गांधी को पकड़ा दिया। राजीव गांधी ने बातचीत सबके सामने की। वीर बहादुर सिंह ने फौरन इस काम का जिम्मा ले लिया। पहले वीर बहादुर सिंह ने महंत अवेद्यनाथ के जरिए

विहिप को संदेश भिजवाया कि राम जन्मभूमि का ताला खोलने के लिए वे लोग अदालत में दरखास्त लगाएँ। गोरखपुर के होने के कारण वीर बहादुर सिंह की महंत अवेद्यनाथ से नजदीकी थी।

आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं, प्रशासनिक लिहाज से यह कोई गंभीर बात नहीं थी। हर साल फैजाबाद में ऐसी दरखास्त लगती थी। जज साहब जिला प्रशासन को नोटिस जारी करते थे। जिला प्रशासन हलफनामा देता था कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, दंगा-फसाद हो सकता है। फिर आवेदन खारिज हो जाता। वीर बहादुर सिंह के पास जब विहिप से सकारात्मक जवाब नहीं आया तो उन्होंने एक कांग्रेसी पृष्ठभूमि के वकील उमेश चंद पांडेय से यह अर्जी दाखिल करा दी। जज ने दूसरे ही रोज सरकार को नोटिस जारी की और डी.एम./एस.एस.पी. दोनों कोर्ट में हाजिर हो गए। दोनों ने कहा, उन्हें कोई एतराज नहीं है। ताला खुला तो वे सँभाल लेंगे। कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं आने देंगे। जब जज ने पूछा कि आप लोगों ने अपने 'स्टैंड' के बाबत राज्य सरकार से पूछ लिया है तो दोनों ने कहा, 'इस सवाल का कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। हम मौके पर हैं। यह हमारे अख्तियार में है। हम फैसला ले सकते हैं।' जज साहब के पेशकार ने बताया कि जज साहब थोड़ा समय चाहते थे। पर मैंने उन्हें बताया कि लखनऊ से दूरदर्शन की टीम भी आई है। इससे जज साहब इस नतीजे पर पहुँचे कि राज्य

सरकार इस मामले से पूरी तरह अवगत है। जज साहब के पास अर्जी को खारिज करने का आधार नहीं था। जज ने आदेश दिया। फौरन ताला खुल गया।

एक फरवरी को ताला खुला, मुसलमानों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 5 फरवरी को संसद में मुस्लिम महिला बिल आने वाला था। आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं, मैं तीन फरवरी को प्रधानमंत्री से मिला। अपनी चिंता जताई। कहा, बड़ा संवेदनशील मामला है। इससे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। मुस्लिम महिला बिल किनारे हो जाएगा। मुसलमान सड़कों पर आ जाएँगे। आरिफ मोहम्मद के कहे पर प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, वह चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री ने कहा, “मैंने ताला खुलने की सूचना मुस्लिम

नेताओं को दे दी थी। वे विरोध नहीं करेंगे।" आरिफ सकते में थे। राजीव जी की किससे बात हुई या कैसी डील हुई? किसी को कुछ पता नहीं। पर राजीव गांधी आश्वस्त थे। उसी दिन लखनऊ से छपने वाले 'कौमी आवाज' में अली मियाँ, जो उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनका एक बयान छपा, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ताला खुलने को बहुत महत्त्व न देने को कहा। उनका कहना था कि और भी बहुत सी मस्जिदें हैं, जिन पर गैरों का कब्जा है। इसलिए यह कोई अहम मसला नहीं है। एक ऐसा मसला, जिस पर दिल्ली लखनऊ में बाबरी मस्जिद राबता कमेटी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन रही हो, उसे अली मियाँ को इतने हल्के में लेना, इस बात का सबूत का था कि राजीव गांधी से उनकी कोई सहमति बनी थी।

आरिफ मोहम्मद खान इस बात की तसदीक करते हैं। उनका कहना है, इसीलिए राजीव गांधी के जीवनकाल में बाबरी मस्जिद के सवाल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई तहरीक नहीं चलाई। राजीव गांधी के न रहने के बाद जरूर पर्सनल लॉ बोर्ड आक्रामक हुआ। क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं रहा, जिससे अली मियाँ का वायदा था। बल्कि यों कहें कि जिस ढंग से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी आंदोलन चला रही थी, अली मियाँ उसके न सिर्फ आलोचक थे बल्कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में बाबरी आंदोलन चलाने वालों की खबर लेते हुए लिखा है कि इन

लोगों ने मुसलमानों का बहुत नुकसान किया है। अली मियाँ ने अपनी आत्मकथा 'कारवां-ने-जिंदगी' के चौथे भाग के पेज 130 पर लिखा है कि 'मैंने बीसियों चश्मदीद विचारकों की तरह खुली आँखों से यह सब देखा है कि बाबरी मस्जिद आंदोलन जिस ढंग से चलाया गया, उसने बहुसंख्यकों के दिलों में हिंदु जागृति (रिवाइवल्जिम) का जोश पैदा कर दिया है। जो बड़े-से-बड़े हिंदू धार्मिक पेशवा और प्रचारक नहीं पैदा कर पाए थे। इस्लामी लिहाज से यह बड़ी नासमझी और दृष्टिहीनता ही नहीं, मुसलमानों के लिए यह सामूहिक आत्महत्या के समान थी। आपकी करतूतों से पड़ोसी समुदाय में अपने धार्मिक जागरण का पैतृक और शत्रुतापूर्ण जोश पैदा हो जाए, जो किसी मस्जिद, मदरसे और इस्लामी जीवन शैली के खिलाफ हो।" वे आगे लिखते हैं, "इनकी नाअक्ली और नासमझी इस समस्या का समाधान नहीं होने देगी।"

अली मियाँ के इन शब्दों से लगता है कि वे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के आंदोलन से सहमत नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि यह आंदोलन चले।

ताला खोले जाने के मामले पर जिला जज द्वारा न सुने जाने को आधार बना फैजाबाद के वकील एम.ए. सिद्दकी ने हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने लखनऊ पीठ में 3 फरवरी, 1986 को ही मोहम्मद हाशिम की ओर से एक अपील दायर की, जिसमें ताला खोलने के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। पेशे से दर्जी मोहम्मद

हाशिम अंसारी 1949 से ही इस कानूनी लड़ाई में शामिल थे। अयोध्या में ही उनकी कपड़े सिलने की दुकान थी। हाशिम ने हाईकोर्ट से कहा कि उन्होंने 1935 में विवादित इमारत में आखिरी बार नमाज पढ़ी थी। हाशिम अब दुनिया में नहीं रहे, पर निजी तौर पर बहुत भले आदमी थे। अयोध्या के संत समाज में वे काफी लोकप्रिय थे। लंबे समय से राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हाशिम की फैजाबाद के सांधु-संतों से कोई कटुता नहीं थी। वे असल में गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतिनिधित्व करते थे। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मुकदमों की तारीख पर वे और परमहंस रामचंद्रदास अकसर एक ही इक्के से फैजाबाद जिला अदालत जाते। हाशिम की इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यानी ताला खुला रहा। ताला खुलने के छह रोज बाद 6 फरवरी, 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का जन्म हुआ। लखनऊ में मुस्लिम नेताओं की एक सभा में मौलाना मुजफ्फर हुसैन किछौछवी की सदारत में एक्शन कमेटी बनी। रामपुर के मोहम्मद आजम खाँ और लखनऊ के जफरयाब जिलानी इसके संयोजक बने। अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित आजम खाँ बाद में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकारों में मंत्री भी बने।

उधर दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरात ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। 14 फरवरी को सारे देश में ताला खुलने के खिलाफ शोक

दिवस मनाया गया। राजीव गांधी से मजलिसे मुशावरात के नेता मिले। पूर्व आई.एफ.एस. अधिकारी सैयद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में एक सेंट्रल एक्शन कमेटी भी बनी। सैयद शहाबुद्दीन के नेतृत्व में सभी दलों के मुस्लिम सांसदों ने राजीव गांधी से विरोध जताया। ताला खुलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सभी 41 मुस्लिम सांसदों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 3 मार्च, 1986 को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में माँग की गई कि प्रधानमंत्री फौरन मामले में दखल दें। अयोध्या में जो हुआ, उसे रद्द करते हुए बाबरी मस्जिद को मुस्लिम समुदाय को सौंपें। चिट्ठी में कहा गया —

"हम मुस्लिम सांसद आपसे निम्नांकित माँगों की पूर्ति के लिए उपयुक्त उपाय करने की प्रार्थना करते हैं—

• आप इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और बाबरी मस्जिद मुस्लिम समुदाय को पुनः सौंपने के लिए फौरी उपाय करें।

• फैजाबाद के जिला न्यायाधीश द्वारा 1 फरवरी, 1986 को पारित आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जाए।

• जिला न्यायाधीश ने 1 फरवरी, 1986 के अपने आदेश में कहा है कि कानून व व्यवस्था कायम करने के लिए अधिकारीगण स्वतंत्र रूप से उपाय कर सकते हैं, अतः बाबरी मस्जिद की बाबत 31 जनवरी, 1986 को मौजूद यथास्थिति बहाल की जाए।

• इस संपत्ति से संबद्ध सभी विलंबित मुकदमों का निपटारा छह माह की अवधि के अंदर किया जाए।

• विभिन्न राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों का एक शिष्टमंडल बाबरी मस्जिद का दौरा करने के लिए अयोध्या भेजा जाए और उसी शिष्टमंडल को उक्त मस्जिद की मौजूदा असली हालत सामने लाने के लिए मस्जिद के फोटो लेने और नक्शा बनाने की सुविधा मुहैया की जाए।

• राजकीय माध्यमों को उक्त परिसर को राम जन्मभूमि के रूप में प्रचारित न करने का निर्देश दिया जाए।

3 मार्च, 1986 की इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले सांसद थे—लोकसभा के काजी जलील अब्बासी, अकबर जहाँ बेगम, सरफराज अहमद, आबिदा अहमद, अख्तर हसन, अब्दुल हन्नान अंसारी, इब्राहिम सुलेमान सैत, गुलाम मेहमूद बनातवाला, बशीर टी. हुसैन दलवई, अब्दुल रशीद काबुली, असलम शेर खान, मोहम्मद अयुब खाँ, महफूज अली खाँ, जुल्फिकार अली खाँ, सैयद शहाबुद्दीन, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, फकीर मोहम्मद ई.एस.एम., अहमद पटेल, अजीज कुरैशी, सलाहुद्दीन, पी.एम. सईद, हाफिज मो.सिद्दीकी, सैफुद्दीन सोज, तारिक अनवर, गुलाम यजदानी, जैनुल बशर और राज्यसभा से सैयद हाशिम रजा आबिदी, हमानुल्ला अंसारी, असरारुल हक, एफ.एम. खान, मो. हाशिम किदवई, बीवी अब्दुल्ला

कोया, असद मदनी, गुलाम रसूल मट्ट, मिर्जा इरशाद बेग, रफीक आलम, गुलाम मोहिउद्दीन शाल, शमीम अहमद सिद्दीकी और राव वली उल्लाह।

23 और 24 दिसंबर को शहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद के सवाल पर सक्रिय सभी कमेटियों को मिला एक 'बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी' बनाई। शहाबुद्दीन इसके संयोजक बने। कमेटी ने 1986 के गणतंत्र दिवस के 'बॉयकाट' का ऐलान किया। देश भर में उनके इस ऐलान की बड़ी थू-थू हुई। जो नेता बाबरी समर्थक थे, उन्होंने भी इस ऐलान की निंदा की।

देश भर में विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। मामला बढ़ता देख विश्व हिंदू परिषद फिर लड़ाई में कूदी। 19, 20 और 21 अप्रैल को अयोध्या में 'राम जन्मभूमि महोत्सव' का आयोजन था। 21 अप्रैल को राम नवमी थी। बिना किसी आवाज के वहाँ लाखों लोग इकट्ठा हो गए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी 20 अप्रैल को फैजाबाद में मुस्लिम सम्मेलन रखा। टकराव का अंदेशा बना। तनाव बढ़ता देख सरकार ने मुसलमानों की रैली पर रोक लगाई। फैजाबाद की टाट शाह मस्जिद से जुलूस निकला। पुलिस ने बल प्रयोग कर रैली नाकाम की। दूसरी तरफ देश के अलग-अलग हिस्सों में छह राम-जानकी रथ घूम रहे थे। इससे भी जगह-जगह सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। सरकार ने 11 जून, 1986 को इन रथों पर पाबंदी

लगा दी। पाबंदी देख विहिप ने रथयात्रा स्थगित कर दी। इससे सीधा टकराव तो टला, पर दोनों तरफ से जोर आजमाइश जारी रही।

इधर देश में माहौल बिगड़ता देख सरकार अपने प्रचंड बहुमत का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम महिला बिल ले आई। मई 1986 में संसद में इसे पास करा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट भी दिया। कट्टरपंथी खुश तो हुए, पर बाबरी मस्जिद के सवाल पर उनमें अब भी नाराजगी थी। 23 और 24 दिसंबर को शहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद के सवाल पर सक्रिय सभी कमेटियों को मिला एक 'बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी' बनाई। शहाबुद्दीन इसके संयोजक बने। कमेटी ने 1987 के गणतंत्र दिवस के बॉयकाट का ऐलान किया। देश भर में उनके इस ऐलान की बड़ी थू-थू हुई। जो नेता बाबरी समर्थक थे, उन्होंने भी इस ऐलान की निंदा की। चौतरफा विरोध देख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 24 जनवरी को अपने 'बॉयकाट' की 'कॉल' तो वापस ले ली, पर 1 फरवरी को भारत बंद, 30 मार्च को वोट क्लब पर बड़ी रैली और फिर अयोध्या मार्च का ऐलान किया।

रामराज्य के संकल्प के साथ अयोध्या में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी।

इस दौरान देश भर में दो बड़े 'डेवलपमेंट' हुए। एक देशव्यापी मुस्लिम विरोध से कांग्रेस के हाथ-पाँव फूले और वह अयोध्या मामले में बीच का रास्ता ढूँढ़ने लगी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या मसले के हल के लिए अपने कैबिनेट में एक 'ग्रुप ऑफ मिनिस्टर' (मंत्री समूह) का गठन किया। इसके अध्यक्ष विदेश मंत्री पी.वी. नरसिंह राव बनाए गए। यह दूसरी बात है कि यही नरसिंह राव इस समस्या को 6 दिसंबर की तार्किक परिणति तक ले गए। बहरहाल राजीव सरकार में अयोध्या को लेकर हरकत थी। गृहमंत्री बूटा सिंह ने 8 मई, 1987 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कहा कि मामले के हल के लिए वे समयबद्ध और चरणबद्ध योजना केंद्र सरकार को भेजें। केंद्र सरकार इस मसले का हल निकालने की कोशिश में लगी। दूसरी तरफ

ताला खुलने की आकस्मिक घटना से विश्व हिंदू परिषद को भी धक्का लगा था, क्योंकि आंदोलन उनके हाथ से फिसलता नजर आया। नेतृत्व के सूत्र फिर से पकड़ने के लिए विहिप ने अपना रुख और कड़ा किया। अब जून में उसने विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण की नई माँग रख दी। विहिप को इस आंदोलन से अलग-थलग करने की कांग्रेसी कोशिशें तेज हुईं। इस काम में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को लगाया गया, ताकि मंदिर निर्माण सरकार द्वारा प्रायोजित न्यास से कराया जा सके। योजना में मस्जिद के तीनों गुंबदों को वैसे ही छोड़कर उसी जगह खंभों पर मंदिर निर्माण का प्रस्ताव राजीव गांधी को दिया गया। जिसके नीचे तीनों गुंबद पड़े रहते। राजीव गांधी ने योजना पर अमल की संभावना तलाशने का काम सरदार बूटा सिंह को सौंपा, जो उस वक्त गृहमंत्री थे।

6 दिसंबर, 1992 में उन्हीं के एस.एस.पी. फैजाबाद रहते ढाँचा गिरा था। बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर डी.बी. राय सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद भी चुने गए। डी.बी. राय बताते हैं, "एक रोज वीर बहादुर सिंह ने मुझे बुलाकर पूछा, आप गाड़ी चला लेते हैं। मैंने कहा—हाँ, तो वे बोले, मेरी गाड़ी, ड्राइवर, सुरक्षा, सचिव सबको छुट्टी दे दीजिए। मुझे कहीं जाना है। आपके साथ आपकी ही गाड़ी में चलूँगा। उस रात वीर बहादुर सिंह एक रिटायर्ड इनकम टैक्स अफसर मोहन सिंह के लखनऊ में

महानगर घर पर चुपचाप गए।

लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी मंदिर निर्माण के दूसरे गैर-बीजेपी रास्ते ढूँढ़ने में भी लगे रहे। उ.प्र. के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह गोरखपुर के रहने वाले थे। गोरखपीठ के प्रमुख महंत अवेद्यनाथ से उनका स्थानीय और जातीय घरोपा था। महंतजी मंदिर आंदोलन के मुखिया थे। वीर बहादुर सिंह के तब सुरक्षाधिकारी देवेंद्र बहादुर राय थे, जो बाद में फैजाबाद के एस.एस.पी. भी बने। 6 दिसंबर, 1992 में उन्हीं के एस.एस.पी. फैजाबाद रहते ढाँचा गिरा था। बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर डी.बी. राय सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद भी चुने गए। डी.बी. राय बताते हैं, "एक रोज वीर बहादुर सिंह ने मुझे बुलाकर पूछा, आप गाड़ी चला लेते हैं। मैंने कहा—हाँ, तो वे बोले, मेरी गाड़ी, ड्राइवर, सुरक्षा, सचिव सबको छुट्टी दे दीजिए। मुझे कहीं जाना है। आपके साथ आपकी ही गाड़ी में चलूँगा। उस रात वीर बहादुर सिंह एक रिटायर्ड इनकम टैक्स अफसर मोहन सिंह के लखनऊ महानगर के घर पर चुपचाप गए। मोहन सिंह हमें एक कमरे में ले गए, वहाँ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवेद्यनाथ पहले से बैठे थे। हमें कमरे में पहुँचाकर मोहन सिंह वहाँ से चले गए। अब हम तीन ही लोग वहाँ थे। वीर बहादुर सिंह ने कहना शुरू किया—राजीव जी चाहते हैं, सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राममंदिर बने। लेकिन इसे केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें सिर्फ तीन शर्त हैं।

एक—मंदिर केंद्र सरकार अपने खर्चे से बनाएगी। दो—मंदिर निर्माण का बीजेपी से कोई मतलब नहीं होगा और तीन—विवादित भवन गिराया नहीं जाएगा। चारों तरफ खंभों पर एक छत पड़ेगी। और उसकी छत पर भव्य मंदिर बनेगा। नीचे ढाँचा जस का तस खड़ा रहेगा। प्लान यह है कि विवादित ढाँचा पहले से ही कमजोर है। बिना मरम्मत के वह कुछ दिन में खुद ही गिर जाएगा। फिर वहाँ केवल राम जन्मभूमि मंदिर ही रहेगा।" वीर बहादुर सिंह के इस प्रस्ताव से अवेद्यनाथ जोर से हँसे और कहा कि इससे बीजेपी और विहिप को क्या फायदा होगा? राजनैतिक फायदा तो कांग्रेस को होगा। फिर बात यहाँ खत्म हुई कि अवेद्यनाथ जी विहिप के दूसरे नेताओं से बात करेंगे और अपनी राय बताएँगे। लेकिन इस मुद्दे पर अवेद्यनाथ जी ने आगे फिर कोई बात नहीं की और फायदे-नुकसान के चक्कर में यह मौका भी हाथ से चला गया।

यह प्रसंग इस बात की गवाही है कि राजीव गांधी किसी भी तरह मंदिर बनाने के लिए नेपथ्य से प्रयासरत थे। वजह थी कि लगातार धर्मसंसद, संत सम्मेलन, रथयात्रा आदि से देश में सांप्रदायिक तनाव का उभार बढ़ रहा था। देश में धार्मिक तनाव की जमीन पहले से लगातार मजबूत हो रही थी और यह राजनीतिक तौर पर उनके लिए खासा नुकसानदायक मालूम पड़ रहा था।

6.

भए प्रकट कृपाला

यह अयोध्या में 22 और 23 दिसंबर, 1949 की एक सर्द, कड़ाके की ठंड वाली लंबी और काली रात थी। 22 और 23 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है। घने कुहरे में कुछ दिख नहीं रहा था। हवाएँ ठहरी हुई थीं। अयोध्या की तंग और सँकरी गलियों के मंदिरों में भगवान विश्राम कर रहे थे। मठों में साधु सो रहे थे। बीस हजार की आबादी वाले इस शहर में चारों तरफ एक ठिठुरन भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। घुप्प अँधेरा था। आधी रात से कुछ पहले सरयू के किनारे लक्ष्मण किले के घाट पर पाँच प्रमुख लोग इकट्ठा होते हैं। सरयू नदी कल-कल करती बह रही थी। यह जगह भी राममय थी। राम के निशान यहाँ भी थे। अपने अंतिम दिनों में भगवान राम ने इसी जगह सरयू में जलसमाधि ली थी। इसलिए यहीं पास में स्वर्गद्वार मंदिर है। हिंदू धर्म-परंपरा में सरयू पवित्र नदियों में एक है।

सरयू का उद्गम पवित्र मानसरोवर से होता है। वहाँ इसे 'करनाली' नदी कहते हैं। तिब्बत से नेपाल होते हुए जब यह नदी उत्तर भारत की समतल जमीन पर आती है, तब सरयू कही जाती है। बस्ती के आगे बढ़ते ही इस नदी का नाम 'घाघरा' हो जाता है, जो बलिया के आगे जाकर गंगा में समा जाती है।

गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या के हिंदुओं के बीच आक्रामक प्रचार किया और बताया कि नरेंद्रदेव

मंदिर विरोधी हैं। आचार्य नरेंद्रदेव बाबा राघवदास से चुनाव हार गए। यह भारतीय लोकतंत्र में 'राम जन्मभूमि' मुद्दे का पहला 'टेस्ट' था।

सरयू के किनारे इकट्ठा होने वाले पाँच लोगों में गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजय नाथ, देवरिया के अहिंदीभाषी संत बाबा राघवदास, निर्मोही अखाड़े के बाबा अभिरामदास और दिगंबर अखाड़े के रामचंद्र परमहंस थे। इस गोपनीय ऑपरेशन में गीताप्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार 'भाईजी' भी व्यवस्था के लिए वहाँ मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना है कि 'भगवान को प्रकट कराने वाले' इस समूह में संघ प्रचारक नाना जी देशमुख भी थे। परमहंस रामचंद्रदास भी दबी जुबान में उनका नाम लेते थे। पर जब भी नाना जी से इस बाबत बात हुई, उन्होंने न कभी इसे मंजूर किया, न खंडन किया। नाना जी इस सवाल को टाल जाते थे। इनमें महंत दिग्विजय नाथ क्रांतिकारी साधु थे। वे नाथपंथी समुदाय की शीर्ष पीठ गोरक्षपीठ के महंत थे। जहाँ अब योगी आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ के गुरु अवेद्यनाथ थे और अवेद्यनाथ के गुरु दिग्विजय नाथ। दिग्विजय नाथ जी आजादी की लड़ाई के दौरान चौरी-चौरा कांड में जेल भी गए थे। उस वक्त वे हिंदू महासभा के राज्य प्रमुख थे। दिग्विजय नाथ उदयपुर के उसी राणा परिवार से आए थे, जिसमें 'बप्पा रावल' और 'महाराणा प्रताप' का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम 'राणा नान्हू सिंह' था। राजनैतिक सूझ-बूझ में माहिर

महंत दिग्विजय नाथ लंबे और चौड़े कंधे वाले व्यक्ति थे। वे बोलचाल का सलीका जानते थे और लॉन टेनिस में माहिर थे। सात साल की उम्र में साजिश के तहत उनके चाचा ने उन्हें नाथपंथ के योगी फूलनाथ को सौंप दिया, जो उन्हें गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ले आए। उधर संपत्ति के लिए उदयपुर में चाचा ने यह अफवाह फैलाई कि भतीजा मेले में कहीं खो गया है। स्कूली शिक्षा के बाद उनकी पढ़ाई गोरखपुर के सेंट एंड्रूज कॉलेज में हुई। अपने लॉन टेनिस प्रेम के कारण वे गोंडा के कलेक्टर के.के.के. नायर और महाराजा बलरामपुर पटेश्वरी प्रसाद सिंह के करीब थे। तीनों अकसर लान टेनिस खेलने के लिए गोंडा में इकट्ठा होते थे। 14 से 22 दिसंबर, 1949 तक राम जन्मभूमि मंदिर के सामने राम चबूतरे पर रामचरितमानस का जो नवाह्न पाठ चल रहा था, उसके आयोजकों में दिग्विजय नाथ भी एक थे। हालाँकि यह आयोजन 'रामायण महासभा' नाम के एक सांस्कृतिक संगठन ने किया था। यह नवाह्न पाठ 22 दिसंबर को ही खत्म हुआ था, इसलिए वहाँ पंडाल में अब भी कुछ भक्त मौजूद थे।

दूसरे संत बाबा राघवदास पुणे के चित्तपावन ब्राह्मण थे। 1891 के प्लेग में राघवेंद्र शेषप्पा पाचाचुरकर के परिवार का सफाया हो गया, तो राघवेंद्र (बचपन का नाम) इलाहाबाद, बनारस होते गाजीपुर पहुँचे। गाजीपुर में इनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर संत मौनी बाबा से हुई। मौनी बाबा से दीक्षा ले वे योगीराज अनंतमहाप्रभु के

पास बरहज (देवरिया) पहुँचे। साल भर बाद ही उनके गुरु की मौत हो गई। तब राघवेंद्र बाबा राघवदास हुए और आश्रम की जिम्मेदारी सँभाली। फिर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अपनी आक्रामकता, हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण और सत्याग्रह के चलते वे थोड़े समय में ही लोकप्रिय हो गए। 1920 में वे कांग्रेस में शामिल हुए; 1948 में अयोध्या में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आचार्य नरेंद्रदेव से हिसाब चुकता करना था। बाबा राघवदास कांग्रेस के साधु राजनैतिक थे। कांग्रेस ने आचार्य नरेंद्रदेव के खिलाफ इस साधु को उतार दिया। इस साधु ने अयोध्या में रामजन्म स्थान की मुक्ति का सवाल पहले से उठा रखा था। इस उपचुनाव में गोविंद वल्लभ पंत ने भी राम जन्मभूमि मुद्दे के पक्ष में आक्रामक प्रचार किया। क्योंकि आचार्य नरेंद्रदेव को फैजाबाद और अयोध्या के मुसलमानों का समर्थन हासिल था। कांग्रेस तब तक गुजरात के जूनागढ़ में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करा चुकी थी। हिंदू राष्ट्रवाद से कांग्रेस की नजदीकी हो चुकी थी। गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या के हिंदुओं के बीच आक्रामक प्रचार किया और बताया कि नरेंद्रदेव मंदिर विरोधी हैं। आचार्य नरेंद्रदेव बाबा राघवदास से चुनाव हार गए। यह भारतीय लोकतंत्र में 'राम जन्मभूमि' मुद्दे का पहला 'टेस्ट' था।

बिहार के छपरा के भगेरन तिवारी के बेटे चंद्रेश्वर तिवारी जब 1930 में अयोध्या आए, उस वक्त वे

आयुर्वेदाचार्य थे। दिगंबर अखाड़े की छावनी में जब वे परमहंस रामकिंकरदास से मिले तो उनका नाम पड़ा 'रामचंद्रदास' और काम मिला राम जन्मभूमि मुक्ति का। सन् 1934 से वे इस आंदोलन से जुड़ गए। वे हिंदू महासभा के शहर-अध्यक्ष भी थे। सन् 1975 में वे दिगंबर अखाड़े के महंत बने और सन् 1989 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष। वे संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उनकी वेदों और भारतीय शास्त्रों में पैठ थी। वे मुँहफट, आक्रामक और मजबूत, संकल्प शक्ति वाले जिद्दी साधु थे। सन् 1985 में उन्होंने घोषणा की थी कि ताला नहीं खुला तो वे आत्मदाह करेंगे। दिगंबर अखाड़ा रामानंद संप्रदाय का प्रमुख अखाड़ा था। सन् 1990 में कारसेवा में कारसेवकों के जिस जत्थे पर गोली चली, उसका नेतृत्व परमहंस रामचंद्रदास ही कर रहे थे। परमहंस रामचंद्रदास का मुझ पर बड़ा स्नेह था, मैं उनके काफी निकट था। बेहद सरल और सहज रामचंद्रदास मुझे अकसर राम जन्मभूमि संघर्ष की कहानियाँ सुनाते।

उस रात सरयू के किनारे पहुँचे चौथे सदस्य हनुमान प्रसाद पोद्दार गीताप्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही 'बंग-भंग' आंदोलन से प्रेरित हो स्वदेशी का व्रत लिया था। सन् 1914 में वे महामना मालवीय के संपर्क में आने के बाद हिंदू महासभा में सक्रिय हो गए। प्यार से लोग उन्हें 'भाईजी' कहते थे। 'भाईजी' राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू से जुड़े। इसकी

शुरुआत तो उन्होंने 'कल्याण' पत्रिका के 'राम जन्मभूमि अंक' को छापकर की। लेकिन बाद में वे आंदोलन में शामिल संतों की चिंता और देखभाल भी करने लगे। उस रोज भी मूर्तियाँ, पूजा-पाठ, भोग और वस्त्रों का इंतजाम भाईजी के ही जिम्मे था।

छह फुट के बलिष्ठ और हठी साधु अभिरामदास की गिनती अयोध्या के लड़ाकू साधुओं में होती थी। दरभंगा के मैथिल ब्राह्मण अभिराम दास गरीब परिवार से आते थे। वे अशिक्षित थे। किसी तरह अपना नाम लिख पाते थे। अभिराम दास ने यश कमाने के लिए बुद्धि का नहीं, ताकत का इस्तेमाल किया। वे घंटों अखाड़े में कसरत करते थे। 45 साल की उम्र तक कुश्ती लड़ते थे। लंबे-चौड़े गठे शरीर वाले वे नागा वैरागी थे। वे सीधे तनकर चलते थे। उनके हाथ में पाँच फुट लंबा बाँस का डंडा होता था। जिसका एक सिरा लोहे से मढ़ा था। अभिराम दास नागा वैरागी यानी रामानंद संप्रदाय के 15 साल पुराने खाड़कू थे। उन्हें कभी किसी ने धार्मिक-आध्यात्मिक बहस करते नहीं सुना था। लेकिन वे अखाड़े में पटु थे। तमाम दाँव-पेच जानते थे। उनके बारे में ख्यात था कि उन्हें हनुमान जी की 'सिद्धी' मिली थी।

'भाईजी' अपने साथ अष्टधातु की एक भगवान राम के बचपन की मूर्ति लाए थे। मूर्ति का वहीं पूजन-अर्चन होता है। फिर मूर्ति को एक बाँस की टोकरी में रख कपड़ों से ढका जाता है। बाबा

अभिराम दास उसे सिर पर उठाते हैं। रामचंद्र परमहंस के हाथ में सरयू के जल से भरा एक ताँबे का कलश होता है और यह समूह रामधुन गाता हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ता है।

अयोध्या में उनकी ख्याति राम जन्मभूमि के उद्धारक के नाते थी। 3 दिसंबर, 1981 को उनकी मृत्यु हुई और हनुमानगढ़ी से जब उनका विमान (साधु की अर्थी को कहते हैं) उठा तो राम नाम की जगह 'राम जन्मभूमि के उद्धारक अमर रहें' के नारों से वातावरण गूँज गया था। बाद के दिनों में अभिराम दास खुद को राम जन्मभूमि मंदिर का महंत भी कहने लगे थे। वे हनुमानगढ़ी की निर्वाणी अनि अखाड़ा परंपरा के साधु थे। अभिराम दास सपने बहुत देखते थे। अकसर स्वप्न में वे रामलला को देखते, जो उनसे जन्मस्थान की मुक्ति दिलाने को कहते। अभिराम दास अपने साथी साधुओं में यही माहौल बनाए रखते थे कि मुझे जन्मभूमि की मुक्ति करानी है। इसके लिए वे एक बार फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह से भी मिले। गुरुदत्त सिंह के बेटे गुरुबसंत सिंह ने बताया कि मेरे पिता गुरुदत्त सिंह ने अभिराम दास से कहा, आपने अभी यह सपना देखा है, मैं तो कई वर्षों से यह सपना देख रहा हूँ। इसके बाद अभिराम दास ने स्थानीय स्तर पर समान विचार वाले अफसरों का 'मैनेजमेंट' किया और उन्हें अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया।

ये सभी लोग हाड़ तोड़ने वाली सर्दी में 'सरयू स्नान'

करते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। उनके साथ अयोध्या के तीस-चालीस और वैरागी साधु रहते हैं। 'भाईजी' अपने साथ अष्टधातु की भगवान राम के बचपन की एक मूर्ति लाए थे। मूर्ति का वहीं पूजन-अर्चन होता है। फिर मूर्ति को एक बाँस की टोकरी में रख कपड़ों से ढका जाता है। बाबा अभिराम दास उसे सिर पर उठाते हैं। रामचंद्र परमहंस के हाथ में सरयू के जल से भरा एक ताँबे का कलश होता है और यह समूह रामधुन गाता हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ता है। रामजन्म स्थान हनुमानगढ़ी से कोई एक किमी. आगे निर्जन स्थान में पड़ता था। तब उसके आसपास कोई मठ-मंदिर और घर भी नहीं था। रामजन्म स्थान के बाहर राम चबूतरे पर पहले से कुछ लोग मौजूद थे। वे अखंड कीर्तन कर रहे थे। इन साधुओं के हाथों में लालटेन थी।

परिसर की सुरक्षा में लगे कोई दो दर्जन पुलिस वाले (पी.ए.सी.) बाहर तंबू में सो रहे थे और अंदर दो सिपाहियों की संतरी ड्यूटी बारी-बारी से थी। पिछले नौ दिनों से वहाँ रामचरित मानस का नवाह्न पाठ चल रहा था। आज यज्ञ-हवन का दिन था, इसलिए इतने ज्यादा पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी पर थे। वरना यह समूचा परिसर तीन-चार पुलिस वालों के हवाले ही रहा करता था। जब बैरागी साधुओं का यह जत्था राम चबूतरे पर पहुँचा तो गार्ड ड्यूटी पर कांस्टेबल शेर सिंह तैनात थे। शेर सिंह बाबा अभिरामदास को जानते थे। उनसे उनका गाँजा-भाँग वाला रिश्ता था। अभिराम दास मूतिर्यों के साथ दीवार

फाँदना चाहते थे। शेर सिंह ने स्थिति को भाँप लिया था। बिना कुछ कहे उन्होंने भावनाओं में बहकर ताला खोल सात-आठ साधुओं को गर्भगृह में प्रवेश करा दिया। बाकी संत बाहर राम चबूतरे पर बैठे भवितव्यता को घटते देख रहे थे।

जब बैरागी साधुओं का यह जत्था वहाँ पहुँचा तो गार्ड ड्यूटी पर कांस्टेबल शेर सिंह तैनात थे। शेर सिंह बाबा अभिरामदास को जानते थे। उनसे उनका गाँजा-भाँग वाला रिश्ता था। शेर सिंह ने स्थितियों को भाँप लिया था। बिना कुछ कहे उन्होंने भावनाओं में बह ताला खोला और सात-आठ साधुओं को गर्भगृह में प्रवेश करा दिया। बाकी संत बाहर राम चबूतरे पर बैठे भवितव्यता को घटते देख रहे थे।

सबसे पहले अखाड़े के इन बलिष्ठ साधुओं ने मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इस्माइल, जो मोटे, ठिगने और काले रंग के थे, उन्हें मार-पीटकर बाहर भगाया और फिर गर्भगृह में प्रवेश कर गए। परमहंस बताते थे कि मुअज्जिन ने उस रोज लंबा कुर्ता और लुंगी पहन रखी थी। वह पहले अभिराम दास की ओर लपका था। क्योंकि उनके हाथों में मूर्ति थी। अभिराम दास ने खुद को छुड़ाया और फिर लात- घूँसे चले। जब मुअज्जिन ने समझा कि वह अब वैरागियों का मुकाबला नहीं कर सकता तो वह अँधेरे में सरपट भागा। वह भागता रहा बिना यह सोचे कि वह कहाँ और क्यों भाग रहा है। भागते-भागते इस्माइल दो घंटे बाद

फैजाबाद के घोसियाना (पहाड़गंज) पहुँचा। जो घोसी मुसलमानों का गाँव था। इस मुहल्ले के मुसलमानों को सबसे पहले यह सूचना मिली कि बाबरी मस्जिद नापाक हो गई है। इस्माइल फिर दुबारा उस ओर नहीं लौटे। वे उन चश्मदीद गवाहों में थे, जिन्होंने आजाद भारत के इन महत्त्वपूर्ण क्षणों को सामने से देखा। मुअज्जिन का काम मस्जिद में अजान देना होता है। उसमें नमाज पढ़ी नहीं जाती थी, इसलिए अजान भी नहीं होती थी, पर इस्माइल इमारत की देखभाल करते थे। लालटेन की रोशनी में पहले गर्भगृह की फर्श सरयू के पानी से धोई गई। फिर लकड़ी का एक सिंहासन रख उस पर चाँदी का एक छोटा सिंहासन रखा गया। उस पर कपड़ा बिछा मूर्ति रखी गई। दीप और अगरबत्तियाँ जलीं। मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा हुई। पूजन-अर्चन शुरू हो गया। शेर सिंह की ड्यूटी 12 बजे तक ही थी। पर शेर सिंह उसके बाद भी पूरा काम होने तक एक घंटा और ड्यूटी पर तैनात रहे। एक बजे के बाद उन्होंने अपने साथी मुस्लिम कांस्टेबल अब्दुल बरकत को जगाकर ड्यूटी पर भेजा। जगमग रोशनी में अष्टधातु की मूर्ति देख सिपाही बरकत को काटो तो खून नहीं। बिल्कुल अवाक्! एक घंटा देरी से ड्यूटी में आने के कारण इन सिपाही महोदय ने इसी में भलाई समझी कि वे रामलला के प्रकट होने की कहानी का समर्थन करें। सिपाही बरकत ने एफ.आई.आर. में बतौर गवाह पुलिस को बताया कि कोई बारह बजे के आस-पास

बीच वाले गुंबद के नीचे अलौकिक रोशनी हुई। रोशनी कम होने पर उसने जो कुछ देखा, उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ अपने तीन भाइयों के साथ भगवान राम की बालमूर्ति विराजमान थी। अब्दुल बरकत का यह बयान मूर्ति लाने वाले समूह के लिए फायदेमंद था। क्योंकि बरकत का बयान चमत्कार का प्रमाण था।

मंत्रोच्चार के बीच मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा हुई और पूजन-अर्चन शुरू हो गया। शेर सिंह की ड्यूटी 12 बजे तक ही थी। पर शेर सिंह उसके बाद भी काम होने तक एक घंटा और ड्यूटी पर तैनात रहे। एक बजे के बाद उन्होंने अपने साथी मुस्लिम कांस्टेबल अब्दुल बरकत को जगाकर ड्यूटी पर भेजा। जगमग रोशनी में अष्टधातु की मूर्ति देख उस सिपाही को काटो तो खून नहीं। बिल्कुल अवाक्! एक घंटा देरी से ड्यूटी में आने के कारण इन सिपाही महोदय ने इसी में भलाई समझी कि वे रामलला के प्रकट होने की कहानी का समर्थन करें।

इमारत के अंदर और बाहर गेरू से सीताराम, जय श्रीराम आदि भी लिख दिया गया था। चार सौ साल पुरानी इमारत में तीन गुंबद थे। इन तीनों को मिलाकर अंदर कोई नब्बे लोगों के नमाज पढ़ने की जगह थी। कुरान की आयतें अंदर दीवार पर लिखी हुई थीं। केंद्रीय गुंबद के नीचे इमाम का आसन था, जिसके नीचे फारसी में लिखा हुआ था 'स्वर्गदूतों के उतरने का स्थान'। इस परिसर में दो

आँगन थे। एक तीन गुंबदों के फौरन बाद, जिसके भीतर राम चबूतरा था और दूसरा उसकी चहारदीवारी के बाहर। तब तक इन दोनों आँगनों में साधु-संत जमा हो गए थे। इनमें ज्यादातर निर्मोही और निर्वाणी अखाड़े के वैरागी साधु थे।

हिंदू धर्म में अखाड़ों की अपनी समृद्ध और लड़ाकू परंपरा रही है। जब आठवीं-नौवीं शती में पतनशील बौद्ध धर्म के सामने शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की स्थापना की तो ये अखाड़े धर्म की रक्षा के लिए बने। आदिशंकर ने भारत के चार कोनों में चार मठ स्थापित किए। उत्तर में बदरिकाश्रम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में शृंगेरी। इन मठों के नाम पड़े ज्योतिष पीठ, शारदा पीठ, गोवर्धन पीठ और शृंगेरी पीठ। इन मठों की रक्षा और हिंदू धर्म पर बढ़ते इस्लाम के खतरे से निपटने के लिए अखाड़ों का निर्माण हुआ। जहाँ संन्यासियों को शास्त्र के साथ-साथ शस्त्र की भी दीक्षा दी जाती थी। अखाड़ों के दो संप्रदाय हुए—शैव और वैष्णव। जो शिव की आराधना करते और आचार्य शंकर की, वे शैव अखाड़े हुए और जो विष्णु की आराधना करते, रामानंद को मानते, वे वैष्णव अखाड़े कहलाए। रामानंद वैष्णव गुरु थे, जो शंकराचार्य से कई शताब्दियों बाद हुए। शैव संप्रदाय के छह मुख्य अखाड़े थे और वैष्णवों के सात। इन्हीं तेरह अखाड़ों के भरोसे हिंदू धर्म था। शैव अखाड़े के संन्यासियों को 'नागा' और वैष्णव अखाड़ों के संन्यासियों को 'वैरागी' कहा गया। नागा और

वैरागी हर वक्त लड़ने-भिड़ने को तैयार रहते थे। नागा कपड़े नहीं पहनते थे और वैरागी सफेद कपड़े पहनते थे। हर अखाड़े का मुखिया 'श्रीमहंत' होता था और उनके आध्यात्मिक गुरु 'महामंडलेश्वर' कहे जाते थे। वैष्णव साधुओं में चार संप्रदाय हैं—रामानुजी, रामानंदी, निंबार्क और माधव चैतन्य। अयोध्या में रामानंदी संप्रदाय का दबदबा रहा है, इसलिए राम जन्मभूमि पर होने वाले हर हमले में आक्रांताओं से रामानंदी वैरागी ही लोहा लेते रहे। निर्वाणी अखाड़ा रामानंदी संप्रदाय के तीन खाड़कू संगठनों में से एक था, जो धर्म की रक्षा के लिए मरने-मारने का काम करते हैं। इसके दो अंग हैं—निर्मोही और दिगंबरी अखाड़ा। इसका प्रमुख केंद्र अयोध्या है। निर्वाणी अखाड़े का केंद्र अयोध्या की हनुमानगढ़ी है। पहले यह हनुनमान टीला या हनुमान मंदिर था। अठारहवीं शती में उत्तर भारत में मुगल शासकों का प्रभुत्व हुआ। अवध के नवाब सफदरजंग (1739-54) ने बाबा अभयराम दास को हनुमान टीले पर सात बीघे जमीन दी। सफदरजंग के पड़पोते आसिफ-उदौला ने पैसे दे उस जमीन पर दुर्गनुमा मंदिर बनवाया। बाद में अवध के नवाबों ने जमीनें दान दे उस गढ़ी का विस्तार करवाया। बाबा अभयराम दास इस गढ़ी के पहले गद्दीनशीन या श्रीमहंत हुए। बाद में यह स्थान निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं का केंद्र बना।

इन अखाड़ों के महंत नए वैरागी की भर्ती नहीं कर

सकते। उसे मठ का महंत ही दीक्षित करता है। नया रंग-रूट तीन साल तक 'यात्री' या 'छोटा' कहलाता है। अगले तीन साल वह 'बानगीदार' कहा जाता है। उसका काम अखाड़े में होने वाली पूजा-पाठ में मदद करना होता है। फिर तीन साल वह खाना बनाने और परोसने के काम में रहता है। तब उसे 'हुड़ाडंगा' कहते हैं। अगले तीन बरस वह 'मूरतिया' बन सेवा करता है। यानी बारह साल की इस कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह नागा या वैरागी कहलाने लायक होता है। अयोध्या में ज्यादातर रामानंदी वैरागी साधु हैं, जो इस्लामी आक्रांताओं के हमले होने पर उनसे लोहा लेते थे।

सुबह चार बजे के आस-पास राम जन्मभूमि स्थान पर मूर्तियाँ रख प्राण-प्रतिष्ठा हो चुकी थी। बाहर टेंट में खबर आई कि भगवान प्रकट हो गए हैं। तड़के साढ़े चार बजे के आसपास यकायक मंदिर में घंटे-घड़ियाल बजने लगे, साधु शंखनाद करने लगे और वहाँ मौजूद लोग जोर-जोर से गाने लगे—

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी।।
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी।
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी।।

राम के जन्म के मौके पर गाई जाने वाली यह स्तुति गोस्वामी तुलसीदास की लिखी है। तुलसीदास ने यह स्तुति

लगभग उसी वक्त लिखी थी, जब राम जन्मभूमि मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। एक साथ समवेत स्वर में इस गायन को सुन पी.ए.सी. के जवानों की नींद खुली, पी.ए.सी. ने साधुओं को ललकारा। हवा में कुछ राउंड गोलियाँ भी चलाईं, लेकिन तब तक गर्भगृह से बाहर इमारत के चारों तरफ दालान में साधु भरे हुए थे। पुलिस को अंदर जाने की जगह नहीं थी, इसलिए पुलिस की हिम्मत छूट गई। तब तक शहर में मूर्ति के प्रकट होने का समाचार फैल चुका था। एक तरफ 'प्रकट हुई मूर्तियों' का पूजा-पाठ चल रहा था, दूसरी तरफ वहाँ से दो किमी. दूर अयोध्या के शृंगार हाट इलाके के एक छापेखाने में इस अभियान के दूसरे चरण की तैयारी हो रही थी। अयोध्या में हिंदू महासभा के मंत्री गोपाल सिंह विशारद इस प्रेस में बैठे सुबह होने से पहले ज्यादा से ज्यादा पोस्टर और पर्चे छपवाने की तैयारी में लगे थे। इस पर्चे और पोस्टर का मजमून था, बाबरी इमारत में रामलाल प्रकट हुए। भक्तों से अनुरोध किया गया था कि वे बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचें और दर्शन का लाभ करें। इस प्रेस के मालिक थे ब्रह्मदेव शास्त्री और प्रेस का नाम था नारायण प्रेस। ब्रह्मदेव शास्त्री गोपाल सिंह विशारद के अच्छे मित्र थे। वे एक हिंदी साप्ताहिक 'विरक्त' भी निकालते थे। सबेरा होते-होते वहाँ से एक किमी. दूर अयोध्या थाने के थानेदार रामदेव दुबे मौके पर पहुँचे, तो ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल नं. 7 माता प्रसाद ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। थानेदार ने फौरन

एफ.आई.आर. लिखी। आपकी जानकारी के लिए यह एफ.आई.आर.—

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23 दिसंबर, 1949

थाना प्रभारी की रिपोर्ट दिनांक 23 दिसंबर, अंतर्गत धारा 147/295/448 ताजिराते हिंद जो पंडित श्री रामदेव दूबे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी अयोध्या, फैजाबाद द्वारा पंजीकृत की गई है,

विरुद्ध

1. अभय रामदास

2. राम शुक्ल दास

3. सुदर्शन दास निवासी अयोध्या, फैजाबाद व पचास-साठ अन्य व्यक्ति, नाम पता अज्ञात, थाना अयोध्या।

कांस्टेबल नं. 7 माता प्रसाद की मौखिक सूचना अनुसार, समय प्रातः लगभग 9 बजे जब मैं जन्मभूमि पर पहुँचा तब मुझे ज्ञात हुआ कि पचास-साठ व्यक्तियों के एक समूह ने बाबरी मस्जिद के परिसर का ताला खोलकर एवं सीढ़ियों तथा दीवारों को खुरचकर वहाँ अंदर श्रीभगवान की मूर्ति रख दी है। उन्हें ऐसा करने से कांस्टेबल नं. 70 हंसराज ने मना किया, किंतु वे नहीं माने। वहाँ मौजूद पी.ए.सी. के सुरक्षाकर्मियों से मदद की माँग की। किंतु तब तक लोग मस्जिद में प्रवेश कर चुके थे। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो गए। बाद में

वहाँ पाँच-छह हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ नारे लगाते और कीर्तन करते हुए मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास करने लगी। किंतु समुचित व्यवस्था होने के कारण कुछ घटित नहीं हुआ। मौके पर अपराध कारित करने वाले (मुजरिम-ए-वाकया) अभय रामदास, रामशुक्ला दास, सुदर्शन दास व पचास-साठ अन्य व्यक्ति, जिनका नाम-पता अज्ञात है, ने मस्जिद में अतिचार और दंगा करके व मूर्ति रख करके मस्जिद को भ्रष्ट किया है (नापाक किया है)। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने व अन्य लोगों ने घटना को देखा है। मामले की तसदीक की गई व सही पाया गया।

ह./एस.ओ. रामदेव दुबे

मैं, हेड मोहर्रिर, सत्यापित करता हूँ कि उक्त रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर के बयान के अनुसार पंजीकृत की गई है।

ह./हेड मोहर्रिर

सुबह होते-होते चारों तरफ मूर्ति के प्रकट होने का समाचार फैल चुका था। भगवान राम के बालरूप की मूर्तियाँ सिर्फ अयोध्या के मंदिरों में ही दिखती थीं। इस बार जो मूर्ति प्रकट कराई गई, उसे भाईजी (हनुमान प्रसाद पोद्दार) लाए थे। मीर बाकी ने जिस मंदिर को तोड़ा था, उसकी रामलला की मूर्ति ओरछा के राजमहल में पहुँच गई। मध्य प्रदेश के इस शहर में राज्य का शासन नहीं माना जाता है, यहाँ रामलला का शासन होता है। ओरछा में रामलला कैसे पहुँचे, इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं

है। ओरछा झाँसी से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहीं पर रामराजा का मंदिर है। किंवदंती है कि राम रात में अयोध्या में रुकते हैं और भोर होते ही अपने बालरूप में ओरछा पहुँच जाते हैं। राम जिन्होंने शबरी, केवट, निषादराज, सुग्रीव, विभीषण से लेकर कैकेयी तक सभी के साथ रिश्तों को निभाया है, वे ओरछा की रानी से भी रिश्ता निभाते हैं। राम के ओरछा आने के पीछे रानी की भक्ति से वशीभूत होना ही था। ओरछा के राजा मधुकर राधा-कृष्ण के भक्त थे। लेकिन उनकी पत्नी महारानी कमलापति गणेश कुँवरी राम की भक्त थीं। एक दिन राजा ने हँसी-हँसी में कह दिया कि अगर तुम्हारे राम कृष्ण से ज्यादा महान हैं तो उन्हें ओरछा क्यों नहीं ले आती हो। ‘ भक्ति में शक्ति’ के परीक्षण की बात आई तो रानी ने भी ठान लिया कि वे राम को ओरछा लाकर ही रहेंगी। ओरछा से कोसों दूर अयोध्या वे पैदल चलकर गईं। सरयू नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाई और राम की तपस्या में लीन हो गईं। कहानी है कि उन्होंने संत तुलसीदास से भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद रानी की तपस्या को और बल मिला। जब कई महीने की कठोर तपस्या के बाद भी राम के दर्शन नहीं हुए तो रानी ने सरयू में छलाँग लगा दी। भक्ति की पराकाष्ठा देखकर आखिरकार भगवान राम ने नदी में ही उन्हें दर्शन दिए। रानी ने अपनी इच्छा बताई, तो राम ने अपनी शर्त रखी कि राम जहाँ जाएँगे, वहीं विराजमान हो जाएँगे। ओरछा में राम की ही सत्ता रहेगी,

राजशाही को खत्म करना होगा। संवत् 1631 में रामनवमी के दिन ही ओरछा की रानी ने राम राजा को ओरछा सौंप दिया। इसके बाद से वहाँ सब कुछ परंपरा के हिसाब से चला आ रहा है। ओरछा के मंदिर में राम राजा के अलावा सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं। दिसंबर के महीने में यहाँ राम-बरात निकलती है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद मध्य प्रदेश पुलिस के जवान राम राजा को सलामी देते हैं।

इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस रोज मूर्तियाँ प्रकट हुईं, उससे ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माधव सदाशिव गोलवरकर 'गुरुजी' अयोध्या में ही थे। इसके बाद वे वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर जौनपुर चले गए, जहाँ उन्होंने तीन दिन तक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

दूसरी तरफ अयोध्या में 'रामलला' प्रकट हुए, यह खबर दोपहर तक फैजाबाद के दूर-दराज के गाँवों तक पहुँच गई। जिस ढंग से प्रचार-तंत्र सक्रिय हुआ, उससे लगा, इसकी तैयारी पहले से थी। इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस रोज मूर्तियाँ प्रकट हुईं, उससे ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर 'गुरुजी' अयोध्या में ही थे। इसके बाद वे वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर जौनपुर चले गए, जहाँ तीन रोज रुककर उन्होंने स्वयंसेवकों के

प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुरुजी की नजर इन घटनाओं पर भी थी। हालाँकि मूर्ति को प्रकट करने वाले सभी सीधे तौर पर हिंदू महासभा से जुड़े थे। पर संघ की सक्रियता गुरुजी के वहाँ होने से पता चलती है।

23 दिसंबर को कोहरे में ढके सूरज के चढ़ने के साथ ही राज्य प्रशासन के हाथ-पाँव फूलने लगे। क्योंकि दोपहर तक कोई पाँच हजार लोग विवादित परिसर में जमा हो चुके थे। वहाँ बड़े पैमाने पर पूजा-पाठ, अखंड कीर्तन शुरू हो गया था। अयोध्या में तो नहीं, पर फैजाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव की खबरें आने लगीं। तनाव को देखते हुए फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह (जिनकी भूमिका पर मैं बाद में रोशनी डालूँगा) व स्थानीय प्रशासन ने दफा 144 लागू कर दी और धारा 145 के तहत इमारत को कुर्क कर अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय प्रशासन ने फैजाबाद नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष प्रिया दत्त राम को 'रिसीवर' नियुक्त कर विवादित परिसर उन्हें सुपुर्द कर दिया। रिसीवर ने अपनी सुविधा से गर्भगृह के मुख्यद्वार पर लगे सलाखों वाले गेट पर ताला लगा दिया। गर्भगृह के भीतर 4 पुजारियों और एक भंडारी को पूजा करने तथा भोग लगाने की इजाजत दी गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी-जल्दी हुआ, ताकि पहले की स्थिति बहाली के कोई आदेश न हो पाएँ और 'यथास्थिति' बनी रहे। ताला बंद करने का कोई आदेश नहीं था, लेकिन ताला बंद हो गया। धारा 145 के तहत फैजाबाद के

मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने आदेश दिया कि *"मैं नगर मजिस्ट्रेट फैजाबाद-अयोध्या, पुलिस सूत्रों एवं अन्य विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के बाद पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि राम जन्मभूमि एवं बाबरी मस्जिद, मोहल्ला रामकोट के एक हिस्से के मालिकाना हक और वहाँ पूजा-पाठ को लेकर अयोध्या के हिंदुओं और मुसलमानों में विवाद हुआ। यह हिस्सा मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, जहाँ शांति भंग होने की आशंका है। इस हिस्से को सी.आर.पी.एफ. की धारा 145 के सुपुर्द करता हूँ और फैजाबाद-अयोध्या नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष प्रिया दत्त राम को वहाँ का 'रिसीवर' नियुक्त करता हूँ। जो 23 दिसंबर, 1949 को हुए विवाद के बाद इस हिस्से का ध्यान रखेंगे।"* 'रिसीवर' ने 5 जनवरी, 1950 को कार्यभार सँभाल लिया। 'रिसीवर' ने अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक विवादित परिसर के रखरखाव की उन्हें एक योजना भी सौंपी।

मौके पर भीड़ बनी रहे और प्रशासन कोई कार्रवाई न कर पाए, इसके लिए सक्रिय अभिरामदास और उनके चेले सुबह-सुबह स्थानीय स्कूलों में गए और बताया कि राम जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए हैं, ताकि लोग ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। लाउडस्पीकरों से घोषणा हुई कि भगवान प्रकट हुए, सभी हिंदू दर्शन करें।

मौके पर भीड़ का दबाव बना रहे और प्रशासन कोई

कार्रवाई न कर पाए, इसके लिए सक्रिय अभिराम दास और उनके चेले सुबह-सुबह स्थानीय स्कूलों में गए और बताया कि राम जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए हैं, ताकि लोग ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। अभिराम दास और महंत रामचंद्र परमहंस ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। राम जन्मभूमि के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने 'अखिल भारतीय रामायण महासभा' नाम का सांस्कृतिक संगठन बनाया था। रामचंद्र परमहंस इसके महासचिव, गोपाल सिंह विशारद संयुक्त सचिव और अभिराम दास इसके संगठन सचिव थे। रामायण महासभा ने हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं को भी जोड़ा था, और यह सभा अकसर विवादित इमारत के सामने राम चबूतरे पर नौ दिन का मानस पाठ कराया करती थी। इससे मंदिर को लेकर वहाँ सक्रियता बनी रहती थी और लोगों के जुटने का अवसर भी बनता था। जिस रोज मूर्तियाँ रखी गईं, उस रोज भी नवाह्न पाठ का समापन था। लाउडस्पीकरों से घोषणा हुई कि भगवान प्रकट हुए, सभी हिंदू दर्शन करें। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह के बेटे गुरुबसंत सिंह बताते हैं कि पिताजी ने कई संदेश वाहक साइकिल से लगाए थे, जो पल-पल की खबर अयोध्या से फैजाबाद उनके पास पहुँचा रहे थे। जब सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और कलेक्टर के.के.के. नायर को यह पता चल गया कि मूर्तियाँ स्थापित हो गई हैं और मस्जिद साधुओं से भरी पड़ी है, तब दोनों कार से अयोध्या पहुँचे। घटना की

एफ.आई.आर. सुबह नौ बजे लिखी गई। जिलाधिकारी को इसके बाद डेढ़ घंटा लगा दो पंक्ति का रेडियोग्राम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजने में। जिला प्रशासन समय बिता रहा था और चमत्कार देखने के लिए भीड़ लगातार बढ़ रही थी। संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव भगवान सहाय और आई.जी. पुलिस बी.एन. लाहिड़ी ने फोन से कलेक्टर फैजाबाद को संदेश भेजा कि मूर्तियाँ और प्रचार सामग्री बाबरी मस्जिद से हटाई जाएँ। दोपहर बाद तीन बजे डी.आई.जी. लखनऊ से सीधे घटनास्थल पर पहुँचे; उन्होंने कलेक्टर साहब को मुख्य सचिव भगवान सहाय का एक लिखित संदेश दिया। इस संदेश में लिखा था—

नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और राज्य के गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मस्जिद से मूर्तियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। लगातार केंद्र से संदेश लखनऊ आते और फिर वैसे ही तार लखनऊ से फैजाबाद भेजे जाते कि मूर्तियाँ तुरंत हटाई जाएँ। 24, 25 दिसंबर को लखनऊ में इस मुद्दे पर दिन भर उच्चस्तरीय बैठक होती रही। इसमें तय हुआ कि मूर्तियों को गर्भगृह के बाहर ले जाकर राम चबूतरे पर रखा जाए। पर फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट और के.के.के. नायर इस बात पर अड़े रहे कि मूर्ति हटाने की घोषणा मात्र से खून-खराबा होगा।

"प्रिय श्री नायर,

हमारी नीति यथापूर्व स्थिति बनाए रखना है। दोनों समुदायों की परस्पर सहमति से परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक या छल-कपट से स्थिति में परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस नीति के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो (आवश्यकतानुसार कम-से-कम) बल प्रयोग किया जा सकता है।

संभव हो तो गोली चलाने जैसे बल प्रयोग के क्षोभजनक इस्तेमाल से यथासंभव बचें, ताकि इससे दूसरे मुद्दे न खड़े हो जाएँ; बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी पर उपर्युक्त आपत्ति लागू नहीं होगी।

स्थिति को मौके पर सँभालने के लिए विकल्प का चुनाव आप पर छोड़ा जाता है।

श्री के.के.के. नायर भगवान सहाय

जिलाधिकारी, फैजाबाद मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

23.12.49

उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम नेताओं और देवबंद के उलेमाओं ने प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को तार भेजकर उनका ध्यान इस ओर दिलाया। नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और राज्य के गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मस्जिद से मूर्तियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। लगातार केंद्र से संदेश लखनऊ आ रहे थे और फिर वैसे ही तार लखनऊ से

फैजाबाद भेजे जाते कि मूर्तियाँ तुरंत हटाई जाएँ। 24-25 दिसंबर को लखनऊ में इस मुद्दे पर दिन भर उच्चस्तरीय बैठक होती रही। इसमें तय हुआ कि मूर्तियों को गर्भगृह के बाहर ले जाकर राम चबूतरे पर रखा जाए। पर फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट और के.के.के. नायर इस बात पर अड़े रहे कि मूर्ति हटाने की घोषणा मात्र से खून-खराबा होगा और वे इसे अंजाम नहीं दे पाएँगे। भले उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाए। फैजाबाद के कमिश्नर को मुख्य सचिव ने लखनऊ बुला लताड़ लगाई कि मूर्तियाँ सुबह ही क्यों नहीं हटाई गईं, जब वहाँ कम लोग थे और अब तक मूर्ति रखने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इसके जवाब में जिलाधिकारी के.के.के. नायर ने मुख्य सचिव को चार पेज की चिट्ठी लिख न सिर्फ उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया, बल्कि यह भी बताया कि अगर वह सब हुआ, जो आप चाहते हैं तो उसकी कितनी गंभीर प्रतिक्रिया होगी। चारों तरफ दंगे भड़क सकते हैं। खून-खराबा होगा। नायर लिखते हैं—

उपायुक्त भवन

फैजाबाद

26 दिसंबर, 1949

प्रिय भगवान सहाय,

कल लखनऊ से वापस लौटने पर मुझे आयुक्त महोदय ने बताया कि आपकी उनसे हुई बातचीत के दौरान आपने उनसे पूछा था—

1. जिला प्राधिकारियों ने मूर्ति को मस्जिद में ले जाने से रोकने के लिए सावधानी क्यों नहीं बरती?

2. मूर्ति वहाँ से क्यों नहीं हटाई गई?

दोपहर में लखनऊ से वापस लौटने पर डी.आई.जी. ने कहा कि यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है कि मूर्ति 23 तारीख की सुबह ही क्यों नहीं हटा दी गई। जब इसका विरोध करने के लिए वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। इन प्रश्नों का उत्तर संभवतः केवल तथ्यों का उल्लेख करने से ही मिल सकता है।

मूर्ति की स्थापना 22 और 23 तारीख की दरम्यानी रात को की गई। यह एक ऐसा कदम था, जिसके बारे में पहले से कोई खुफिया चेतावनी नहीं थी। अयोध्या के मामलों के बारे में मुझे ताजा सी.आई.डी. रिपोर्ट 22 तारीख को मिली। न तो उस रिपोर्ट में और न ही उससे पहले किसी रिपोर्ट में इस बात का कोई संकेत था कि चोरी-छिपे या बलपूर्वक मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने की कोई योजना थी। हमें सरकारी या गैर-सरकारी माध्यम से भी ऐसी किसी योजना की कोई सूचना नहीं मिली। केवल रामचरितमानस के नवाह्न पाठ के दौरान ऐसी अफवाह थी कि पूर्णमासी के दिन मस्जिद में प्रवेश किया जाएगा, लेकिन उस दौरान ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई।

इस संबंध में जो मुसलमान भी मुझसे मिले और जो लोग सरकार के उच्च प्राधिकारियों से अकसर मिलते रहे, उनमें से किसी ने कभी भी यह आशंका नहीं जताई कि

मस्जिद में मूर्ति की स्थापना बलपूर्वक या गुप्त रूप से किए जाने की कोई योजना है।

उनकी शिकायत हमेशा मंदिर के बाहर खुले मैदान में मकबरे के विध्वंस के बारे में होती थी, बल्कि उनके लिए भी यह कार्रवाई उतनी ही आश्चर्यजनक है, जितनी दूसरे लोगों के लिए। मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें रहमत हुसैन वकील, हिमायतुल्ला किदवई वकील, अनीसुर्रहमान और कई अन्य लोग शामिल थे, कल ही मेरे सामने स्वीकार किया। उनके एक प्रतिनिधि अनीसुर्रहमान ने कहा कि 21 तारीख की शाम को अयोध्या में महाराज हाईस्कूल के एक मास्टर ने घोषणा की कि हिंदुओं को मस्जिद में मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए तथा मुस्लिमों को वहाँ शुक्रवार की नमाज अता करने से रोकना चाहिए। (23 तारीख को शुक्रवार था) बैठक की सी.आई.डी. रिपोर्ट में कथित भाषण का कोई उल्लेख नहीं था। जब मैंने अनीसुर्रहमान से पूछा कि उन्होंने मेरा ध्यान इस मामले की ओर उसी समय क्यों नहीं दिलाया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि वहाँ एक सी.आई.डी. अधिकारी भी मौजूद था। मुझे ऐसा लगता है कि अनीसुर्रहमान को खुद इस बात का विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होने की आशंका है, अन्यथा वे सीधे स्थानीय अफसरों के पास जाते और उन्हें इसकी जानकारी देते।

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस घटना के लिए

जिम्मेदार लोगों का नेतृत्व करने वाला साधु अभिराम दास न तो महंत है और न ही कोई नेता। इस संबंध में उनका नाम कभी सामने नहीं आया। बाबा राघवदास सहित अन्य नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों में हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया गया, इसलिए उन पर कार्रवाई किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः नेताओं को गिरफ्तार करने या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता। वैसे भी मेरे विचार से नेताओं की गिरफ्तारी से भी पक्के इरादे वाले उन लोगों के हाथों हुए इस अनिष्ट को टाला नहीं जा सकता था, जिन्हें इस मुद्दे के समर्थन में जनता की व्यापक सहानुभूति प्राप्त है। इन गिरफ्तारियों से यह संकट किसी और रूप में गहरा सकता था।

मस्जिद में प्रवेश करने के लिए मंदिर परिसर में से होकर जाना पड़ता है और वहाँ हर वक्त जाया जा सकता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में चौबीसों घंटे लोग रहते हैं। जब कि मस्जिद शुक्रवार की नमाज के दौरान एक घंटे को छोड़कर बाकी समय खाली रहती है। हिंदुओं द्वारा बलपूर्वक या गुप्त रूप से मस्जिद में प्रवेश रोकने के लिए मस्जिद पर स्थायी रूप से पुलिस बल तैनात करना पड़ता, इस काम के लिए सरकार को प्रति माह हजारों रुपए का खर्च उठाना पड़ता। हालाँकि स्थानीय इतिहास के अनुसार इस विवाद के कारण पिछले 36 वर्षों में कई दंगे हुए हैं और कई जानें भी गई हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि

मस्जिद पर स्थायी रूप से पुलिस तैनात करना बुद्धिमानी का फैसला होता।

मैं आदरपूर्वक जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसी अनिष्टकारी घटनाओं को रोकने के लिए इस धर्मस्थान तथा बनारस, मथुरा आदि में ऐसे ही अन्य विवादित धर्मस्थानों पर क्या स्थायी आधार पर पुलिस तैनात करने पर विचार कर सकती है। और यदि सरकार ऐसा करने का निर्णय नहीं लेती तो क्या जिला प्राधिकारियों को भविष्य में इन स्थानों पर कोई अनिष्ट घटित होने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, भले ही वह घटना कितनी ही अप्रत्याशित और असंदेहास्पद क्यों न हो।

मैं आज भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा कि मूर्ति को वहाँ से कैसे हटाया जाए। यदि इस कार्य को धार्मिक रीति के अनुसार किया जाना है तो मुझे कोई ऐसा योग्य हिंदू पुजारी नहीं मिलेगा, जो इस काम के लिए अपने जीवन और मोक्ष को दाँव पर लगाने का इच्छुक हो। यदि ऐसा किसी भी तरह या किसी के द्वारा भी किया जाना है तो इसके परिणामस्वरूप हिंदुओं के सभी वर्गों के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। मुझे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि क्या सरकार उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है? —के.के.के. नायर, आई.सी.एस., जिलाधिकारी

मूर्ति को क्यों नहीं हटाया जा रहा और इसे 23 तारीख

की सुबह ही क्यों नहीं हटाया गया, ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रतीत होते हैं। पुलिस बल उपलब्ध होने के कारण मूर्ति को बलपूर्वक हटाना संभव है। रात के समय कम विरोध होने के कारण गुप्त रूप से भी इसे हटाना संभव है। किंतु मेरे विचार से इसके परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार किए बिना मूर्ति को हटाने की कोशिश प्रशासनिक अदूरदर्शिता और तानाशाही का कदम होता। अब उपलब्ध पुलिस बल की मदद से शांति भंग होने की प्रतिक्रिया को सँभाला जा सकता है, लेकिन 23 तारीख को हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधनों से ऐसा कर पाना संभव नहीं था। मुझे अब भी इस बात में संदेह है कि मुख्यालय से दूर-दराज के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठने पर हम कुछ कर पाने की स्थिति में होंगे। जल्दबाजी में मूर्ति हटाने के फैसले से समस्या का समाधान होने के बजाय सरकार के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी, इसलिए सरकार के प्रति निष्ठावान होने के नाते, सरकार के स्पष्ट आदेशों के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता था।

मैं आज भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा कि मूर्ति को वहाँ से कैसे हटाया जाए। यदि इस कार्य को धार्मिक रीति के अनुसार किया जाना है तो मुझे कोई ऐसा योग्य हिंदू पुजारी नहीं मिलेगा, जो इस काम के लिए अपने जीवन और मोक्ष को दाँव पर लगाने का इच्छुक हो। यदि ऐसा किसी भी तरह या किसी के द्वारा भी किया जाना है तो इसके परिणामस्वरूप हिंदुओं के सभी वर्गों के विरोध

का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। मुझे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि क्या सरकार उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है?

मेरे विचार से, हमारे सामने जो संकट मौजूद है, उससे कोई बड़ा संकट पैदा न हो जाए, यह प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रख मैंने हर कदम फूँक-फूँककर रखने में विवेकपूर्ण ढंग से कार्रवाई की है।

मूर्ति हटाए जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ और अपनी पहल पर ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे सारे जिले में शांति को बहुत बड़ा खतरा होगा, इससे ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, जो इस विवाद के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। जिले में हालात खराब हैं।

अंत में मुझे कहना होगा कि जिस तरह यह संकट हमारे सामने उठ खड़ा हुआ है, इसे उस तरह उत्पन्न होने से रोकने के लिए स्थानीय रूप से बरती गई या न बरती गई छोटी-छोटी सावधानियों पर विचार करते समय हम इस समस्या के वास्तविक स्वरूप को अनदेखा कर रहे हैं, जिसके कारण अयोध्या में इतने सारे दंगे हुए हैं और सैकड़ों जानें गई हैं। इस समस्या का सामना करना होगा। हालाँकि स्थानीय स्तर पर सावधानी बरतने से संकट का स्वरूप या समय बदला जा सकता है, किंतु वास्तविक समाधान के अभाव में यह फिर से उठ खड़ा हो सकता है। इससे बचने पर भी इसे ज्यादा देर तक टाला नहीं जा

सकता और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लोग स्थानीय प्राधिकारियों के आदेशों का पालन करने या किसी पुराने और निष्फल आंदोलन को त्याग देने के इच्छुक नहीं हैं।

मुझे विश्वास है कि मेरी स्पष्टवादिता को गलत नहीं समझा जाएगा। क्योंकि भ्रांतियों को दूर करने के लिए मुझे ऐसा करना आवश्यक था। जिले के वे अधिकारी, जिन्हें आम जनता से कोई सहयोग नहीं था और जिन्होंने सीमित संसाधनों की मदद से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए शांति बनाए रखने, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं सरकार की नीति की रक्षा करने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, वे निश्चित रूप से इससे अधिक मान्यता के पात्र हैं।

भवदीय

के.के.के. नायर, आई.सी.एस.

जिलाधिकारी

श्री भगवान सहाय, आई.सी.एस.

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव

लखनऊ

जिलाधिकारी के इस दो टूक जवाब पर सरकार कोई प्रतिक्रिया देती, उससे पहले अगले दिन नायर ने फिर से मुख्य सचिव को एक और चिट्ठी दाग दी। उन्होंने इस बात पर लाचारी जताई कि मूर्तियाँ अब किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जा सकतीं। उन्होंने मुख्य सचिव को लगभग चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार उनकी

सलाह के बाद भी मूर्ति हटाना चाहती है तो पहले मुझे वहाँ से हटा दिया जाए।

उपायुक्त भवन 27 दिसंबर, 1949

फैजाबाद

प्रिय भगवान सहाय,

यह पत्र अयोध्या मामले के बारे में मेरे पत्र डी.सी.सं. 301/सी के क्रम में है।

आयुक्त लखनऊ से वापस आए और उन्होंने मूर्ति को गुप्त रूप से मस्जिद से हटाकर बाहर जन्मभूमि मंदिर में लाए जाने की योजना की रूपरेखा मुझे और पुलिस अधीक्षक को बताई। इस योजना पर कल आयुक्त, डी.आई.जी., एस.पी. और फिर मैंने चर्चा की और शाम को आई.जी., डी.आई.जी. (पी.ए.सी.), एस.पी. और मेरी बातचीत हुई।

मूर्ति हटाए जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ और अपनी पहल पर ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे सारे जिले में शांति को बहुत बड़ा खतरा होगा, इससे ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, जो इस विवाद के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। जिले में हालात खराब हैं और बताया जाता है कि पुलिस और अधिकारियों के साथ झड़प की स्थिति में आग्नेयास्त्र के लाइसेंसधारियों से शस्त्र वापस लेना कोई आसान या तत्काल किया जा सकने वाला काम नहीं होगा। मेरी नजर में हिंदू बिना किसी अपवाद के मूर्ति को यथास्थल पर रखे जाने की माँग के

समर्थक हैं और इसके लिए मारने या मर मिटने के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन के पीछे छिपी भावनाओं की गहराई, उनके दृढ़ संकल्प और इसके समर्थन में की गई उनकी प्रतिज्ञाओं को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जब तूफान उठेगा, तो हमारे पास उपलब्ध बल की सहायता से नगर की सीमाओं के भीतर दंगों पर काबू पाना संभव होगा, लेकिन गोली चलानी होगी। इससे बहुत सारी जानें जाएँगी, न केवल गोलीबारी से बल्कि समूचे जिले में इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली विस्फोटक स्थिति से भी। आज यह अफवाह फैली हुई है कि मूर्ति हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में बताया जाता है कि हिंदुओं ने मुसलमानों की बस्तियों पर हमला करने, उन्हें जलाने और लूटपाट करने का इरादा किया है। यदि ऐसा होता है तो यहाँ जो तूफान उठेगा, उसमें मुसलमानों की जानें बचा पाना संभव नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरे अपने अधिकारियों या उनकी संपत्ति की रक्षा करना भी संभव नहीं होगा। मुझे कांग्रेसियों में भी ऐसा कोई हिंदू नहीं मिला, जो मूर्ति हटाए जाने के प्रस्ताव के समर्थन में हो।

राज्य में इस वक्त उमड़ी जनभावनाओं को देखते हुए इस तरह का कोई कदम बारूद को तीली लगाने के बराबर होगा। मेरे लिए इसके परिणामों पर समबुद्धि या तर्कसंगति की भावना से विचार कर पाना संभव नहीं है।

मुझे जिले में एक भी योग्य पुजारी तो छोड़ें, एक भी

ऐसा हिंदू नहीं मिलेगा, जो किसी लालच में मूर्ति को हटाने के लिए तैयार हो जाए। कृपाल सिंह और मैं ऐसे किसी व्यक्ति को ढूँढ़ते-ढूँढ़ते परेशान हो गए, जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए यह काम करने को तैयार हो। जिले का कोई भी आदमी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी जान और माल को समूचे हिंदू समुदाय से खतरा हो जाएगा। हमने सुझाव दिया कि आयुक्त, आई.जी. और डी.आई.जी. बाहर से कोई आदमी लाने में हमारी मदद करें, जो यह काम कर दे, वे हमारे लिए उपयुक्त व्यक्ति खोजने पर सहमत नहीं हुए। मुझे संदेह है कि हमारे विफल रहने पर सरकार खुद भी इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति खोज पाएगी। अगर हमने किसी योग्य पुजारी से बात करने की कोशिश की और पुजारी ने इनकार किया, जो वह निश्चित रूप से करेगा ही, उसके बाद हमारी योजना के सार्वजनिक होने की संभावना भी है। यदि किसी के भी जरिए, कैसे भी मूर्तियाँ हटा दी गईं तो रोष और विरोध की आँधी इस जिले की सीमाओं से बाहर भी फैल जाएगी। इससे न केवल संबंधित अधिकारियों बल्कि सरकार की भी बदनामी होगी।

मैं गंभीरतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि सरकार को मेरी बात सुननी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए कि जोश और दुस्साहस की वर्तमान स्थिति में बल प्रयोग का रास्ता अपनाने की कोशिश के भयानक परिणाम हो सकते हैं।

इस बारे में पुलिस अधीक्षक मुझसे पूरी तरह सहमत

हैं। हम दोनों का सुविचारित मत है कि अपनी पहल पर हिंदुओं को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करने की बात हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे हिंसा और लूटपाट फैल सकती है।

अब प्रश्न उठता है कि इन हालात में क्या किया जाए। मस्जिद में मूर्ति की स्थापना निस्संदेह गैर-कानूनी है। इससे न केवल स्थानीय प्राधिकारी बल्कि सरकार भी मुश्किल में फँस गई है। हमें सोचना होगा कि बिना और बड़ी कीमत चुकाए तथा कोई बलिदान दिए स्थिति को कैसे सँभाला जाए। मेरे पास इस स्थिति का समाधान है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है।

मेरा प्रस्ताव है कि मस्जिद को अपने अधिकार में ले लिया जाए और हिंदुओं तथा मुसलमानों, दोनों का ही प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, सिवाय पुजारियों के। पुजारी पूजा कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। यह पूजा गर्भगृह के अंदर जारी रह सकती है। इन पुजारी या पुजारियों की नियुक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश से की जाएगी। बाकी का मामला सिविल न्यायालय को सौंपा जाए। कब्जा मुसलमानों को सौंपने की कोशिश तब तक नहीं की जाए, जब तक सिविल न्यायालय दावे का फैसला उनके हक में न कर दे।

इस फॉर्मूले की आलोचना हो सकती है कि इससे बलपूर्वक और चालबाजी से किया गया अवैध कब्जा जारी रहेगा। इस अवैध कार्रवाई से पहले मौजूद स्थिति

तत्काल बहाल नहीं होगी। लेकिन इसके फायदे भी कई हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है।

1. अगर सिविल न्यायालय हिंदुओं के हक में फैसला करता है तो रक्तपात और देशव्यापी दंगा-फसाद की स्थिति से बचा जा सकता है।

2. सिविल कार्रवाई लंबित रहने के दौरान किसी तरह का कोई समझौता हो सकता है (मैं चाहता हूँ कि समझौता हो जाए)। कुछ मुसलमान जो अभी इस विचार से सहमत हैं कि उन्हें इसके बदले बराबर लागत पर बनाई गई एक अन्य मस्जिद दे दी जाए और फिर वे इस मस्जिद को स्वेच्छा से त्याग दें, उन्हें इसके लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन अगर स्थिति दंगों तक पहुँच गई तो बाद में वे मुसलमान भी इस प्रकार के समाधान के इच्छुक नहीं रहेंगे। इस स्थिति में भविष्य में भी दंगे होने की आशंका बनी रहेगी।

3. यदि कोई समझौता नहीं होता और अंत में सिविल न्यायालय मुस्लिमों के हक में फैसला करता है तो उससे पैदा होने वाली स्थिति मौजूदा हालात से बदतर नहीं होगी। उस समय तक यह गरम माहौल कुछ हद तक कम हो चुका होगा।

4. हालाँकि सरकार पर पहले की स्थिति तत्काल बहाल न करने का आरोप लगेगा। पर इसके पास कानूनी और वैध तर्क होगा कि नागरिकों के अधिकारों का मामला निर्णय के लिए दीवानी अदालत के समक्ष है और संपत्ति

को मजिस्ट्रेट द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है, जिन्होंने आम हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और यथा पूर्वस्थिति तत्काल बहाल करने का मौजूदा मामला मजिस्ट्रेट के सामने भी विचाराधीन है, जिसे सरकार कानूनी दृष्टि से प्रभावित नहीं कर सकती और न ही इस बारे में आदेश दे सकती है। मेरी राय में ऐसी स्थिति में सरकार का यथापूर्व स्थिति बहाल करने का कोई कार्यकारी निर्देश मुझे या संपत्ति को अधिकार में लेने वाले मजिस्ट्रेट को देना गैर-कानूनी होगा। क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिसका फैसला संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेकाधिकार से लिया जाएगा। सरकार केवल ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, जिनकी शिकायत वैध होने पर भी न्यायालय के विचाराधीन है, एक गैर-कानूनी स्थिति को सुधारने के लिए खुद गैर-कानूनी निर्देश नहीं दे सकती।

यदि सरकार किसी भी कीमत पर मूर्ति हटाने का फैसला लेती है, तो मैं अनुरोध करूँगा कि मुझे कार्यमुक्त किया जाए और मेरा कार्यभार ऐसे अधिकारी को दिया जाए, जिसे इस समाधान में वह अच्छाई दिखती हो, जो मुझे दिखाई नहीं देती। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा विवेक मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता।—के.के.के. नायर, आई.सी.एस.

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यथा पूर्वस्थिति एक आदर्श स्थिति है, किंतु इसे महिमामंडित करके इतना

महत्त्व भी नहीं दिया जा सकता। मैं इतने दिन उस स्थान पर मौजूद रहा। लगभग बिना किसी सहायता के स्थिति को सँभालता रहा। आज बाहर यह नारा लगाया जा रहा है, 'नायर अन्याय करना छोड़ दो, नायर भगवान के फाटक खोल दो।' मैं इस निंदा का सामना बिना किसी शिकायत के कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग रोज-रोज मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे तथा समूचे प्रशासन को इस असाधारण कठिनाई की स्थिति में डाल दिया है, उनके साथ नर्मी बरतने की इच्छा रखने का निश्चित रूप से मेरे पास कोई कारण नहीं है। इसके बावजूद मैं शांति बनाए रखने की सलाह दूँगा। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जान-माल की भारी कीमत अदा किए बिना इसका हल ढूँढ़ा जाना चाहिए।

मूर्ति हटाए जाने की बात से पुलिस अधीक्षक और मैं सहमत नहीं हैं। न ही पहल करके इसे कोई अंजाम देना चाहते हैं। जिस वैकल्पिक समाधान का प्रस्ताव मैं सरकार के सामने रख रहा हूँ, उससे शांति और नीति को बनाए रखने में सफलता मिलने की काफी संभावना है। यदि यह समाधान स्वीकार नहीं किया जाता और सरकार मूर्ति को हटाने तथा परिणामों का मुकाबला करना का फैसला करती है तो उचित ही है कि इस मामले में सरकार का विश्वास खो देने और अव्यावहारिक समाधान रखने के कारण जो न तो सही, न आवश्यक और विवेकपूर्ण, और न ही कानूनी दृष्टि से तर्कसंगत है। तो मुझे इस पर अमल

करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। यदि सरकार किसी भी कीमत पर मूर्ति हटाने का फैसला लेती है, तो मैं अनुरोध करूँगा कि मुझे कार्यमुक्त किया जाए और मेरा कार्यभार ऐसे अधिकारी को दिया जाए, जिसे इस समाधान में वह अच्छाई दिखती हो, जो मुझे दिखाई नहीं देती। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा विवेक मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, जो विधिसम्मत है। क्योंकि इससे बहुत सारे निर्दोष लोगों को जो कष्ट होगा, उससे मैं पूरी तरह अवगत हूँ।

भवदीय

के.के.के. नायर, आई.सी.एस.

श्री भगवान सहाय, आई.सी.एस.

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव

लखनऊ

नायर की चिट्ठियों से सरकार दबाव में आ गई। घबराए मुख्य सचिव भगवान सहाय ने नायर को फोन करके कहा कि उनका पत्र मिल गया है। वे मौके पर जैसा ठीक समझें, करें, पर इस बात का ध्यान रखें कि किसी के खिलाफ जोर-जबरदस्ती न हो। हाँ, मुख्य सचिव इस 'स्टैंड' पर कायम रहे कि जो स्थिति पैदा हुई है, सरकार उससे सहमत नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मामले पर लगातार चिंता जता रहे थे। उन्होंने गृहमंत्री सरदार पटेल से उ.प्र. के मुख्यमंत्री पंत से बात करने को कहा।

जब जिलाधिकारी के.के.के. नायर सरकार की सुनने को तैयार नहीं थे तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक तार मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को भेजा।

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 1949

अयोध्या में हुई घटनाओं से मैं परेशान हूँ। मैं गंभीरतापूर्वक उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। वहाँ आपत्तिजनक उदाहरण रखे जा रहे हैं, जिनके परिणाम घातक होंगे।

आपका

जवाहरलाल

प्रधानमंत्री ने गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी को भी एक चिट्ठी लिखी—

प्रति, सी. राजगोपालाचारी

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1950

प्रिय राजाजी,

मैंने अयोध्या के बारे में बीती रात पंत जी को एक पत्र लिखा है और उसे लखनऊ जा रहे एक व्यक्ति से उन्हें भिजवाया है। इसके बाद पंत जी ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि वे बेहद चिंतित हैं और व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देख रहे हैं। वे कार्रवाई करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि पहले कुछ जाने-माने हिंदू नेता अयोध्या के लोगों को सही स्थिति से अवगत कराएँ। आपने जो पत्र आज सुबह मुझे भेजा है, उसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री को फोन से जानकारी दी है।

पंतजी के निवेदन पर वल्लभ भाई पटेल परसों लखनऊ जा रहे हैं। यह लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में है।

आपका

जवाहरलाल

केंद्र और राज्य सरकार में चिट्ठी-पत्री जारी रही। पर इस दौरान अयोध्या में कुछ खास नहीं हुआ। एक स्थानीय दर्जी मोहम्मद हाशिम अंसारी ने जरूर स्थानीय अदालत में मूर्ति हटवाने की दरख्वास्त डाली। पर अदालत ने निषेधाज्ञा का हवाला दे 'यथा स्थिति' बनाए रखने को कहा। अब इस मुद्दे पर दीवानी मुकदमेबाजी शुरू हुई। अयोध्या में हिंदू महासभा के मंत्री गोपाल सिंह विशारद (विशारद उनकी डिग्री थी) और परमहंस रामचंद्रदास द्वारा दीवानी अदालत में दो मुकदमे दायर किए गए। जिन्हें 1950 के वाद संख्या 2 और 25 के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें अदालत से माँग की गई कि राज्य और मुसलमानों को विवादित इमारत से मूर्तियों को हटाने से रोका जाए। उस जगह मुसलमानों का प्रवेश रोकें। अदालत यह भी सुनिश्चित करे कि पूजा-अर्चना में कोई बाधा न पड़े। गोपाल सिंह विशारद के आवेदन पर सिविल जज ने 16 जनवरी, 1950 को यह आदेश दिया—

"नोटिस जारी की जाए, जैसा कि प्रार्थना की गई है, इस बीच अंतरिम आदेश जारी किए जाएँ। प्रतिवादियों को भी सूचित किया जाए कि इकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा

जारी कर दी गई है।”

इस अंतरिम आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए फिर आवेदन दिए गए। इस पर न्यायालय ने 19 जनवरी, 1950 को फिर आदेश पारित किया ‘एतद् द्वारा पक्षकारों पर विवादित स्थल से प्रश्नगत मूर्तियाँ हटाए जाने और वहाँ होने वाली पूजा आदि में बाधा डाले जाने पर अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोक लगाई जाती है। तदनुसार दिनांक 16 जनवरी,1950 के आदेश को संशोधित किया जाता है।’

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने 3 मार्च, 1951 को एक अंतरिम आदेश के रूप में पिछले आदेश की पुष्टि की। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी 26 अप्रैल, 1955 के अपने आदेश के तहत इस अंतरिम निषेधाज्ञा की पुष्टि की।

गोपाल सिंह विशारद पेशे से वकील थे। जन्मभूमि मामले में हिंदू महासभा फैजाबाद के भी वकील थे। विशारदजी के न रहने के बाद उनके मुकदमे की पैरवी उनके बेटे राजेंद्र सिंह करते थे। राजेंद्र सिंह अपनी स्मृतियों पर जोर डाल यह बताते हैं कि मूर्ति प्रकट होने वाले दिन महंत अभिराम दास उनके स्कूल आए थे और अयोध्या में मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं, इस बात का ऐलान कर बच्चों को अपने साथ उस चमत्कार को देखने के लिए चलने को कह रहे थे।

इस मुद्दे पर एक और मुकदमा विवादित परिसर के पास रहने वाले अनीसुर्रहमान ने दाखिल किया था। उनका

कहना था, मस्जिद में मूर्ति रख दी गई है। हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। हमारे अधिकारों की बहाली हो। अनीसुर्रहमान वहीं पास में टीन के बक्से बनाते थे। राम जन्मभूमि के बगल में ही रहते थे। वे पुलिस के मुखबिर थे। वे महीनों पहले से लगातार पुलिस में चिट्ठियाँ भेज यह बता रहे थे कि आज वहाँ फलाँ आए; आज वहाँ हवनकुंड बना। साधुओं का जमाव बढ़ रहा है। 1950 तक तो वे यही काम करते रहे। बाद में रहमान ने अपनी दुकान बेच दी और पाकिस्तान चले गए। ऐसा हाशिम अंसारी बताते थे।

इस बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या के ताजा हालात जानने के लिए पंत जी को एक और चिट्ठी लिखी।

प्रति, गोविंद बल्लभ पंत

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1950

प्रिय पंतजी,

मुझे प्रसन्नता होगी, अगर आप अयोध्या के हालात से मुझे अवगत कराएँगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इसे समूचे भारत और खासतौर पर कश्मीर पर इसके असर को बहुत महत्त्व देता हूँ। आप जब पिछली बार यहाँ आए थे तो मैंने आपको सुझाव दिया था कि अगर आप जरूरत समझें तो मैं स्वयं अयोध्या जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि अब भी ऐसा किया जाना चाहिए तो मैं समय निकालने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि मैं जरूरत से

ज्यादा व्यस्त हूँ।

आपका

जवाहरलाल नेहरू

अयोध्या के सवाल पर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। उत्तर प्रदेश यानी तब संयुक्त प्रांत कांग्रेस के शक्ति केंद्रों का अखाड़ा बन गया था। उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत गृहमंत्री सरदार पटेल के करीबी थे। उनकी सत्ता को धूल चटाने वालों की कोशिशों ने उन्हें अयोध्या में हिंदुओं से जुड़ने का मौका दिया। बाबा राघवदास इसके एक उदाहरण थे। पंत की रुचि थी कि आचार्य नरेंद्रदेव, जो कांग्रेस में रहते हुए उनके लिए चुनौती बन रहे थे, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जाकर उन्हें सहज होने नहीं दे रहे थे। उन्हें विधानसभा चुनाव हरवाया जाए। नरेंद्रदेव के साथ नेहरू थे। फैजाबाद अखाड़ा बना। पंत जी ने बाबा राघवदास के जरिए हिंदुत्वकारियों को साधा। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के कुछ नेताओं के प्रति क्या सोच रहे थे, उनकी मन:स्थिति कैसी थी? यह महात्मा गांधी के सहयोगी के.जी. माशरूवाला को लिखी उनकी इस चिट्ठी से जाहिर होती है।

प्रति

के.जी. माशरूवाला

नई दिल्ली

5 मार्च, 1950

प्रिय किशोरीलाल भाई,

5 मार्च के लिखे आपके पत्र के लिए शुक्रिया। मैं संक्षेप में उसका जवाब दे रहा हूँ। कल सुबह मैं कलकत्ता जा रहा हूँ।

मैं इस बात पर आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि भारतीय प्रेस भी आरोपों से अछूता नहीं है। एक समय जरूर था, जब स्थितियाँ बेहतर थीं। तब से अब तक स्थितियाँ खराब ही हुई हैं, पाकिस्तान का प्रेस तो और बुरी स्थिति में है। पश्चिम बंगाल सरकार को फिर भी कलकत्ता प्रेस को अतिरेक तक पहुँचने से रोकने में कुछ सफलता मिली है। कलकत्ता में माहौल इतना गरम है कि वहाँ किसी तरह का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह के पोस्टर्स वहाँ खुलेआम लगाए गए हैं, उससे लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे।

"उत्तर प्रदेश सरकार ने हिम्मत से काम तो लिया, लेकिन जो हुआ, वो कम था। फैजाबाद के अधिकारियों ने या तो बदमाशी की या फिर हालात को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस बात में सच्चाई नहीं है कि बाबा राघवदास ने इस मामले को उकसाया, लेकिन यह सच है कि जब घटना हो गई, तब उन्होंने इसको मंजूरी दी।"

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के साथ जो बरताव किया गया है, वह अत्यधिक

बुरा है, वहाँ मुस्लिम भी डर के साये में हैं, उन्होंने कुछ जिंदगियाँ भी गँवाई हैं, पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल आ रहे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, उसके मुकाबले पश्चिम बंगाल और असम से पूर्वी बंगाल जाने वाली मुस्लिमों की आबादी कम है।

आपने अयोध्या की मस्जिद का जिक्र किया है। यह घटना दो-तीन महीने पहले ही घटी है, जिसने मुझे बहुत ज्यादा बेचैन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिम्मत से काम तो लिया, लेकिन जो हुआ, वो कम था। फैजाबाद के अधिकारियों ने या तो बदमाशी की या फिर हालात को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस बात में सच्चाई नहीं है कि बाबा राघवदास ने इस मामले को उकसाया, लेकिन यह सच है कि जब घटना हो गई, तब उन्होंने इसको मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुछ लोगों ने, जिसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत शामिल हैं, ने कई मौकों पर इस घटना की निंदा की, लेकिन बड़े स्तर पर होने वाले दंगों के भय से उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई नहीं कराई। इन बातों को लेकर मैं लगातार चिंतित रहा और मैंने पंत जी को इस पर ध्यान देने के लिए लगातार कहता रहा।

मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि अगर हमारा बरताव सही रहा तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखना आसान रहेगा। आज बहुत से कांग्रेसी नेता पाकिस्तान के प्रति नजरिए को लेकर सांप्रदायिक हो गए हैं, जिसका

असर हिंदुस्तान में बसे मुस्लिमों के प्रति उनके बरताव में दिख रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश में बेहतर हालात बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है। जब लोग उत्तेजित हैं तो उन्हें अच्छे रिश्तों की बात समझाना भी चिढ़ाता है। बापू शायद ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा करने के लिए बहुत छोटे हैं।

मुझे डर है कि मौजूदा माहौल में बापू के शांतिपूर्वक विरोध मार्च का कलकत्ता में लोग अनुसरण करेंगे।

आपका

जवाहरलाल नेहरू

नेहरू की अयोध्या आने की इच्छा थी, पर पंत जी उसे टालते गए। इस मामले में वे लगातार गृहमंत्री पटेल के संपर्क में रहे। उधर प्रधानमंत्री नेहरू ने गृहमंत्री पटेल को मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से बात करने को कहा। पटेल पहले लखनऊ गए, बात की, मामला समझा, जरूरी निर्देश दिए। फिर यह चिट्ठी लिखी।

नई दिल्ली

9 जनवरी, 1950

प्रिय पंतजी,

अयोध्या में बदले घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री आपको पहले ही एक टेलीग्राम कर चुके हैं। मैंने भी आपसे इस संदर्भ में लखनऊ में बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि यह विवाद समूचे देश और आपके प्रांत दोनों ही लिहाज से काफी गलत समय पर उठ खड़ा हुआ है। इस तरह के

बड़े सांप्रदायिक मामलों का हल अलग-अलग संप्रदायों के साथ बातचीत करके ही निकाला जा सकता है। जहाँ तक मुस्लिमों का सवाल है, वे अपनी नई विश्वसनीयता स्थापित करने में लगे हुए हैं। हम इस बात को तार्किक ढंग से कह सकते हैं कि पहले विभाजन के सदमे और उसके बाद पैदा हुई स्थितियों से वे बस उबरे ही हैं, ऐसे में उनकी वफादारी का बड़े पैमाने पर बदल जाना मुमकिन नहीं है। आपके अपने प्रांत में सांप्रदायिक समस्याएँ हमेशा से मुश्किल रही हैं। मैं समझता हूँ कि इन सारी बातों के बावजूद आपके प्रांत में 1946 के बाद से सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में हमारी अपनी समस्याएँ हैं, जो संगठनात्मक और प्रशासनिक हैं, जिनकी वजह से कई खेमे बने हैं। अगर हम किसी खेमे को इन परिस्थितियों का फायदा उठाने देते हैं तो वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन सभी बातों के मद्देनजर मुझे लगता है कि दोनों धर्मों के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से सहिष्णुता के साथ इस मामले को सुलझाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ, उसके पीछे भावनाओं का बड़ा महत्त्व है। ऐसे समय में, इस तरह के मामले शांति के साथ तभी सुलझाए जा सकते हैं, जब हम मुस्लिम समुदाय से रजामंदी ले लें। ताकत के साथ ऐसे मामलों को सुलझाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे में कानूनी पक्षों और ताकतों को हर हाल में शांति कायम रखनी होगी। लिहाजा शांतिपूर्वक एवं समझाने-बुझाने वाले तरीके ही

अपनाए जाएँ। किसी भी तरह के इकतरफा या आक्रामक कदम को समर्थन नहीं देना है। मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि इसे ज्वलंत मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए और मौजूदा गतिरोधों को शांतिपूर्वक हल करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण बातचीत में कोई तथ्य आड़े नहीं आने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी।

आपका

वल्लभभाई पटेल

माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत

प्रमुख यूनाइटेड प्रॉविंस, लखनऊ

सरदार पटेल ने न सिर्फ मुख्यमंत्री पंत द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की तारीफ की, बल्कि इस समस्या के लिए अपनी पार्टी में बढ़ती गुटबंदी को भी जिम्मेदार ठहराया। सरदार पटेल की चिट्ठी का मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जवाब दिया।

लखनऊ

13 जनवरी, 1950

प्रिय सरदार साहब,

आप बिना किसी पूर्व जानकारी के मेरे निवेदन पर जिस तरह बंबई से लौटकर तुरंत कष्ट लेकर लखनऊ आए, उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है। आपकी हालिया बंबई यात्रा में हुई थकान के मद्देनजर मैं आपको तकलीफ देने से बचना

चाह रहा था, लेकिन मुझे कुछ बातों को समझकर चिंता हुई। मैं जब भी परेशान होता हूँ, आपकी तरफ ही देखता हूँ। तनाव और अवसाद के क्षणों में आप मुझे हमेशा एक रोशनी की तरह ताकत देते हैं। मैं जब कभी उन बातों को याद करता हूँ, जो यहाँ आपकी मौजूदगी में घटित हुई थीं तो अपमानित महसूस करता हूँ। इससे आपको मेरे भीतर हर रोज उठने वाली वेदना का अंदाजा लग जाएगा। बावजूद इसके हम अपने कर्तव्यों को जितने बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, निभा रहे हैं।

चयन समिति ने अपने दल और निम्नलिखित उम्मीदवारों को चुन लिया है। क्या मैं भरोसा रखूँ कि इसे आज अंतिम रूप देकर चुन लिया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इस सूची को सकारात्मक तरीके से लिया गया है।

मैं अयोध्या मामले में आपके पत्र के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। वह हमारी यहाँ बड़ी सहायता करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से मामलों को सुलझाने के प्रयास जारी हैं, जिनके सफल होने की उम्मीद है; हालाँकि बहुत कुछ अब भी अस्थायी है, जिसके बारे में कहना खतरनाक हो सकता है।

आभार

आपका

गोविंद बल्लभ पंत

आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल

उप प्रधानमंत्री

भारत सरकार

नई दिल्ली

मुझे काफी समय से इस बात का अहसास हो रहा था कि सांप्रदायिकता के लिहाज से उत्तर प्रदेश के समूचे हालात बदतर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन मेरे लिए वास्तव में किसी विदेश की तरह होती जा रही है। मैं वहाँ सहज नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मैं 35 साल तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन अब उनके कामकाज के तरीके से मैं आश्चर्य में हूँ। यह उस कांग्रेस के कामकाज का तरीका नहीं है, जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि ये वह है, जिसका मैंने अपनी जिंदगी में विरोध किया है।

अयोध्या को लेकर अब तक की कार्रवाई से असंतुष्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फिर मुख्यमंत्री पंत को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में अयोध्या घटना पर उनकी निराशा और अवसाद साफ झलकता है।

प्रति

गोविंद बल्लभ पंत

नई दिल्ली

17 अप्रैल, 1950

प्रिय पंतजी,

उत्तर प्रदेश में हाल की घटनाओं ने मुझे बहुत तनाव दिया है। यह शायद उन बातों का चरम है, जो मैं काफी

दिनों से सोच ही रहा था।

मुझे काफी समय से इस बात का अहसास हो रहा था कि सांप्रदायिकता के लिहाज से उत्तर प्रदेश के समूचे हालात बदतर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन मेरे लिए वास्तव में किसी विदेश की तरह होती जा रही है। मैं वहाँ सहज नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मैं 35 साल तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन अब उनके कामकाज के तरीके से मैं आश्चर्य में हूँ। यह उस कांग्रेस के कामकाज का तरीका नहीं है, जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि ये वह है, जिसका मैंने अपनी जिंदगी में विरोध किया है।

मैंने यह पाया कि एक वक्त पर जो लोग कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हुआ करते थे। उनके दिलो-दिमाग में सांप्रदायिकता घुस गई है। जो उन्हें बिना किसी अहसास के अपाहिज करती जा रही है। मस्जिद और मंदिरों को लेकर अयोध्या में जो कुछ घटा, वह बहुत गलत था, लेकिन सबसे अफसोसजनक बात थी, हमारे ही कुछ लोग इसमें शामिल थे, जिनकी सहमति से यह सब हुआ।

मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वजहों से या शायद सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए हम इस बीमारी को लेकर काफी उदार हो गए हैं, जो पूरे भारत में फैल रही है, यहाँ तक कि अपने प्रांत में भी। कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। शायद किसी रोज मैं ऐसा करूँ भी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास जितनी ताकत है, यह उसके साथ

किया धर्मयुद्ध होगा।

बड़ी घटनाओं के मुकाबले अयोध्या के सामान्य हालात ठीक नहीं हैं। छोटी-मोटी घटनाओं को लेकर मेरे पास जो रिपोर्ट आती है, वह वहाँ की सच्ची तस्वीर बताती है। कोई मुसलमान अगर अकेले घूम रहा है तो उससे जबरदस्ती झगड़ा किया जाता है और कहा जाता है कि वह पाकिस्तान चला जाए या फिर उसे एक तमाचा जड़ दिया जाता है। उसकी दाढ़ी खींची जाती है। गलियों में मुस्लिम महिलाओं पर अश्लील फब्तियाँ कसी जाती हैं और ताना कसा जाता है—पाकिस्तान चली जाओ।

आपका

जवाहरलाल

अपनी चिट्ठियों में नेहरू जी लाचार दिखते हैं। वे मूर्तियाँ हटा धर्मनिरपेक्ष तो दिखना चाहते हैं, पर बहुसंख्यकों में अलोकप्रिय भी नहीं होना चाहते। प्रधानमंत्री के तौर पर वे एक ऐसे विभाजित देश का शासन चला रहे थे, जिसमें हिंदुओं का भारी बहुमत था। आजादी मिलने के साथ ही देश विभाजित हो गया था। हर कहीं सांप्रदायिक हिंसा की आग जल रही थी। बँटवारे का गुस्सा लोगों के दिमाग में था। देश का बहुसंख्यक उस दौर में हिंदू हो गया था। कांग्रेस के भीतर भी सत्ता का संघर्ष छिड़ा था। ऐसे में नेहरू भी एक सीमा तक ही धर्मनिरपेक्ष रह सकते थे। वे अपनी लोकप्रियता के प्रति बहुत संवदेनशील थे। किसी बड़े आदर्श के लिए वे अपनी

लोकप्रियता को जोखिम में डालने के लिए कतई तैयार नहीं थे। इसलिए नेहरू जी औसत हिंदू की सहिष्णुता की हद के भीतर रहकर ही काम कर रहे थे।

नेहरू, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, गुरुदत्त सिंह और के.के.के. नायर इन पाँचों की नस हिंदू जनभावनाओं से दबी हुई थी। बाद के गुरुदत्त और नायर हिंदू महासभा के खासे असर में थे। अयोध्या की कहानी की शुरुआत अभिराम दास से होती है। वे वहीं मूर्तियाँ रखना चाहते थे, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। इसे उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। अभिराम दास के दो शिष्य अभी हैं—सत्येंद्रदास और धर्मदास। सत्येंद्रदास वर्तमान में तंबू वाले राम जन्मभूमि मंदिर के सरकारी पुजारी हैं। उन्हें वेतन मिलता है और धर्मदास अयोध्या के संकटमोचन मंदिर के महंत हैं। दोनों बताते हैं कि अभिरामदास अकसर सपने देखा करते थे। जिसमें भगवान उनसे अपेक्षा करते थे कि वे जन्मस्थान को मुक्त कराएँ। इस सवाल को लेकर अभिरामदास फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह से मिले। गुरुदत्त सिंह के बेटे गुरुबसंत सिंह ने एक साक्षात्कार में बताया कि उनके पिता ने अभिराम दास से ने कहा, “जबसे फैजाबाद में मेरी तैनाती हुई है, मेरी भी यही इच्छा है।” गुरुदत्त सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक थे और संयुक्त प्रांत की प्रशासनिक सिविल सेवा से आए थे। छह फुट लंबे, घनी मूँछें और पक्के इरादेवाले सिंह ने कभी नौकरी में हैट नहीं लगाई, वे हमेशा पगड़ी

पहनते थे। एक बार किसी अंग्रेज अफसर ने उनसे पूछा था कि आप हैट क्यों नहीं पहनते? तो उन्होंने झट से जवाब दिया, आप पगड़ी क्यों नहीं पहनते?

अभिरामदास और गुरुदत्त सिंह की मुलाकातों में यह तय हुआ कि विवादित इमारत में मूर्ति रखी जाए, पर कब और कैसे—इस पर आगे बात होती रही। इसी दौरान फैजाबाद के कलेक्टर के.के.के. नायर बने। 1930 में सिविल सर्विस से जुड़े नायर केरल के एलप्पी के रहने वाले थे। इससे पहले वे जिलाधिकारी के तौर पर गोंडा में तैनात थे। गोंडा सरयू के उस पार फैजाबाद से सटा जिला था। गोंडा में बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह के संपर्क में आने के बाद वे हिंदू महासभा के संपर्क में भी आए। राम जन्मभूमि के प्रति उनकी गहरी रुचि जगी। मद्रास विश्वविद्यालय में पढ़े-लिखे नैयर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सहित फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भी जानते थे।

अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का विचार सबसे पहले इन्हीं तीन मित्रों को आया था। बलरामपुर के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, महंत दिग्विजय नाथ और के.के.के. नायर। इन तीनों की दोस्ती का आधार उनकी हिंदू भावनात्मक एकता और लॉन टेनिस के प्रति प्यार था। के.के.के. नायर गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट थे। बाद में 1 जून, 1949 से वे फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट रहे। इन तीनों समान विचार वालों का अकसर बलरामपुर में जमावड़ा होता था। 1 जनवरी 1914 को जन्मे महाराजा

पटेश्वरी प्रसाद का पालन-पोषण ब्रिटिश अफसर कर्नल हैन्सन के संरक्षण में हुआ था। अजमेर के मेयो कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई। वहीं से वे घुड़सवारी और लॉन टेनिस में पारंगत हुए। अंग्रेजी के रहन-सहन के बावजूद पटेश्वरी प्रसाद सिंह हिंदू जीवन-दर्शन के प्रचार-प्रसार में लगे रहते थे। उनका संबंध हिंदू महासभा से भी था। 1947 में के.के.के. नायर गोंडा के जिलाधिकारी बने। वहीं रहते वे महाराजा के अच्छे दोस्त बन गए। 1947 के शुरुआती दिनों में महाराजा के एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें हिंदुओं के धार्मिक नेता स्वामी करपात्री जी भी आए। करपात्री जी महाराजा के गुरु थे। महाराजा उनका बहुत सम्मान करते थे।

करपात्री जी सिद्ध दंडी संन्यासी थे। वे उद्भट विद्वान थे। उन्होंने कई किताबें लिखी थीं। उनकी किताब 'रामराज्य और मार्क्सवाद' बहुचर्चित थी। करपात्री जी को धर्मसम्राट की उपाधि मिली थी। वे शंकराचार्यों को नियुक्त करने वाली कमेटी के अध्यक्ष रहे। करपात्री जी प्रभावशाली वक्ता थे। 1940 में उन्होंने पारंपरिक हिंदुओं की रक्षा के लिए बनारस में धर्मसंघ की स्थापना की। 1941 में उन्होंने बनारस से दैनिक अखबार 'सन्मार्ग' शुरू किया। बाद में यह अखबार कलकत्ते से भी छपा। राजनीति में धर्म को उचित स्थान दिलाने के लिए उन्होंने 'राम राज्य परिषद' नाम की राजनैतिक पार्टी भी बनाई। पटेश्वरी प्रसाद सिंह ने इस काम में उनकी मदद की। एक

वक्त इस पार्टी के चार सदस्य संसद में पहुँच गए थे। 1951 में राजस्थान विधानसभा में रामराज्य परिषद के 24 सदस्य चुने गए। करपात्री जी संन्यासी राजनेता थे।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे हर नारायरण ओझा आठ साल की उम्र में ही घर-बार छोड़ गए। बनारस पहुँच उन्होंने गंगा के किनारे फूस की झोंपड़ी में कठोर साधना की। संन्यास लेने के बाद ये दंडी स्वामी घरों से उतनी ही भिक्षा लेते थे, जितने में उनकी अंजुली भर जाए। इस कारण वे 'करपात्री' कहलाए। विधिवत् संन्यासी बनने के बाद उन्होंने राजनीति में धर्म की स्थापना के लिए दंड उठाया। 1966 में गोहत्या के खिलाफ संसद पर साधुओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करपात्री जी ही कर रहे थे। इस प्रदर्शन में साधुओं पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें दर्जनों साधु मारे गए थे।

करपात्री जी बनारस में केदारघाट पर रहते थे। वे लिखने-पढ़ने वाले संन्यासी थे। इसलिए शहर के लिखने-पढ़ने वालों से उनका नाता था। मैं अकसर अपने पिता के साथ उनके यहाँ जाता था। बातों-बातों में एक बार उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के संघर्ष का समूचा इतिहास हमें बताया। करपात्री जी के मुताबिक राम जन्मभूमि मुक्ति की नींव उसी यज्ञ में पड़ी।

यज्ञ के समापन के एक रोज पहले महंत दिग्विजय नाथ भी वहाँ पहुँचे। गोंडा के कलेक्टर के.के.के. नायर भी पहले से मौजूद थे। वहीं यह चर्चा छिड़ी कि राम राज्य

परिषद की तरफ से उन हिंदू तीर्थस्थानों, जिन पर विदेशी आक्रांताओं ने कब्जा किया, को मुक्त कराया जाए। दिग्विजय नाथ का कहना था कि यह मुद्दा हिंदू महासभा के एजेंडे में पहले से है। चारों लोग सोच के स्तर पर काफी नजदीक थे। यह विचार कि राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है, करपात्री जी और नायर के बीच का था। दूसरे दिन गोंडा के जिला मुख्यालय से प्रस्थान करते वक्त कारपात्री जी से नायर ने वायदा किया कि वे इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे और अपनी राय देंगे। अगले दिन बलरामपुर में यज्ञ में पहुँचने के बाद नायर सीधे करपात्री जी और महंत दिग्विजय नाथ के पास गए। दोनों ने नायर का स्वागत किया और अपने साथ ही बिठा लिया। तीनों इस विचार-मंथन में फिर से लगे कि अयोध्या को कैसे हैंडल किया जाए। जब नायर से विस्तृत योजना के बारे में पूछा तो महंत दिग्विजय नाथ ने उनके सामने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि के अलावा अयोध्या में राम जन्मभूमि को दोबारा प्राप्त करने की पूरी योजना पेश की। इसके बाद नायर ने दिग्विजय नाथ से वायदा किया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं, अपना पद भी। इस पृष्ठभूमि में यह संयोग ही था कि नायर इसके कुछ ही रोज बाद फैजाबाद के कलेक्टर के तौर पर तैनात हो गए।

फैजाबाद से हटने के बाद 1952 में के.के.के. नायर ने सेवानिवृत्ति ले ली और चौथी लोकसभा में वे

उ.प्र. के बहराइच से जनसंघ के सांसद बने। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी भारतीय जनसंघ से 3 बार उ.प्र. के कैसरगंज से लोकसभा के लिए चुनी गईं। वे उ.प्र. विधानसभा की सदस्य भी रहीं। गुरुदत्त सिंह भी पहले फैजाबाद जिला जनसंघ के प्रमुख बने, बाद में फैजाबाद शहर से जनसंघ के विधायक चुने गए।

फिर क्या था, नायर गुरुदत्त सिंह और अभिरामदास की योजना में शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार को मूर्ति रखे जाने की सूचना तब तक नहीं दी, जब तक वहाँ 15-20 हजार की भीड़ इकट्ठी होकर भजन-कीर्तन नहीं करने लगी। बाद में जब उन पर दबाव पड़ा कि मूर्तियाँ हटाई जाएँ, तो उन्होंने खुद को हटाने की पेशकश कर दी, पर मूर्ति हटाने को राजी नहीं हुए। गुरुदत्त सिंह के बेटे गुरुबसंत सिंह बताते हैं कि पिताजी ने उनसे कहा था कि हमने उस वक्त तय किया था कि अगर सरकार अड़ेगी तो हम दोनों नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। फैजाबाद से हटने के बाद 1952 में के.के.के. नायर ने सेवानिवृत्ति ले ली और चौथी लोकसभा में वे उ.प्र. के बहराइच से जनसंघ के सांसद बने। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी भारतीय जनसंघ से 3 बार उ.प्र. के कैसरगंज से लोकसभा के लिए चुनी गईं। वे उ.प्र. विधानसभा की सदस्य भी रहीं। नायर का ड्राइवर भी आसपास की किसी सीट से जनसंघ का विधायक बन गया था। गुरुदत्त सिंह भी पहले फैजाबाद

जिला जनसंघ के प्रमुख बने, बाद में फैजाबाद शहर से जनसंघ के विधायक चुने गए।

अयोध्या में जो कुछ हुआ, वह इसलिए भी संभव हुआ कि उत्तर प्रदेश विभाजन के सदमे से उबरा नहीं था। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखकर ही जिला मजिस्ट्रेट की हिम्मत पड़ी। एक अनुभवहीन लोकतंत्र में उन्होंने जनभावनाओं का फायदा उठाया और मूर्तियों को वहाँ रहने देना सुनिश्चित किया। यदि देश विभाजित नहीं होता तो शायद यह घटना न घटती। घटती भी तो सरकार मूर्तियाँ हटवा देती। पर उस वक्त सरकार में यह हिम्मत नहीं थी।

यह वह दौर था, जब देश बँटवारे की त्रासदी से गुजर रहा था। हिंदू-मुसलमानों का आपसी भाईचारा खून से लथपथ था। दोनों के बीच अविश्वास-वैमनस्य की खाई अपने चरम पर थी। देश प्रतिहिंसा, प्रतिशोध और बदले की आग में जल रहा था। लोग धर्म के आधार पर बँट गए थे। हिंदुओं की सहिष्णुता किसी मर्यादा में रहने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही दौर में अयोध्या के भीतर आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े विवाद की नींव रखी जा रही थी। इस विवाद की आँच में साधु-महात्माओं से लेकर मुल्ला-मौलवियों और राज्य से लेकर केंद्र सरकारों तक सभी ने हथेलियाँ सेंकीं। 22-23 दिसंबर, 1949 की दरम्यानी रात अयोध्या के विवादित परिसर में जो कुछ हुआ, उसकी आँच में देश एक नहीं, कई बार झुलस चुका

है। यह झुलसन आज भी कायम है। अयोध्या के दिल में छुपे राज को समझने की खातिर इस तारीख के राज को जानना बेहद जरूरी है।

7.

जमीन के नीचे अयोध्या

AYODHYA : 2002 - 03

Excavations at the Disputed Site

Vol. I (Text)

By

Hari Manjhi

B. R. Mani

अयोध्या विवाद तो पुराना है। खूनी-लड़ाइयाँ बहुत हुईं। बहुत से आंदोलन हुए। सबका मूल सवाल एक ही था —क्या बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ कोई राममंदिर था। क्या राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी है? दो सौ बरस से जनमानस को मथता यह सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने भी था। लगा—जमीन की खुदाई से इस समस्या का समाधान निकलेगा। अदालत ने इसी रास्ते समाधान ढूँढ़ने की को शिश भी की।

इतिहास की किताबें किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को समेट नहीं सकतीं। फिर भी हर देश की अपनी ऐतिहासिकता होती है। पुरातत्त्वीय साक्ष्य और ऐतिहासिक मूल्य होते हैं। इतिहास और पुरातत्त्व की सत्य

के उद्घाटन के अलावा कोई वैचारिक या सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भी नहीं होती है। शायद इसीलिए अयोध्या विवाद के केंद्र में इतिहास और पुरातत्त्व आ गया। इस विवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण और बड़ा सवाल यह बन गया कि क्या किसी मंदिर या धार्मिक स्थल को तोड़कर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई थी।

साल 1986 में ताला खोलने के अदालती फैसले के विरोध में जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी, तभी से कमेटी और उसके नेता सैय्यद शहाबुद्दीन कई दफा यह सार्वजनिक घोषणा कर रहे थे कि अगर यह सिद्ध हो जाए कि बाबरी ढाँचे से पहले वहाँ कोई मंदिर था और मौजूदा मस्जिद उसे तोड़कर बनाई गई है। तो हम शरीयत के मुताबिक उसे मस्जिद नहीं मानेंगे। मुस्लिम नेता स्वयं वहाँ जाकर उस ढाँचे को गिरा देंगे।

साल 1986 में ताला खोलने के अदालती फैसले के विरोध में जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी, तभी से कमेटी और उसके नेता सैयद शहाबुद्दीन कई दफा यह सार्वजनिक घोषणा कर रहे थे कि अगर यह सिद्ध हो जाए कि बाबरी ढाँचे से पहले वहाँ कोई मंदिर था और मौजूदा मस्जिद उसे तोड़कर बनाई गई है। तो हम शरीयत के मुताबिक उसे मस्जिद नहीं मानेंगे। मुस्लिम नेता स्वयं वहाँ जाकर उस ढाँचे को गिरा देंगे। इसके बाद इस चुनौती का जबाव देने के लिए दोनों तरफ से ऐतिहासिक और

पुरातात्त्विक साक्ष्य इकट्ठा किए जाने लगे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के वक्त इस सवाल पर दोनों पक्षों की छह दौर की बैठकें हुईं। छठी बैठक में जब चार घंटे के इंतजार के बाद बाबरी पक्ष के विशेषज्ञ नहीं आए तो बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इससे पहले दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर साक्ष्यों का आदान-प्रदान भी किया। प्रो. आर.एस. शर्मा, प्रो. अतहर अली, प्रो. सूरजभान, प्रो. डी.एन. झा और जावेद हबीब बाबरी कमेटी की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रो. बी.पी. सिन्हा, डॉ. स्वराज प्रकाश गुप्ता, प्रो. हर्ष नारायण, प्रो. के.एम. लाल, प्रो. देवेंद्र स्वरूप, बलदेव राज ग्रोवर सबूत पेश करने वालों में थे।

अब इतिहास और पुरातत्त्व अयोध्या विवाद के केंद्रीय बिंदु बन गए थे। चौतरफा ऐतिहासिक साक्ष्यों की पड़ताल शुरू हो गई। ढाँचा गिरने के बाद जनवरी 1993 में भारत के राष्ट्रपति ने 'प्रेसीडेंसियल रेफरेंस' के जरिए सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा कि क्या राम जन्मभूमि/बाबरी ढाँचे से पहले वहाँ किसी हिंदू मंदिर या हिंदू धार्मिक भवन का अस्तित्व था। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सरकार उसके कंधे पर रख बंदूक चलाना चाहती है। लिहाजा लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर राय देने से मना कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 143(ए) के तहत किया गया 'रेफरेंस' सरकार को वापस लौटा दिया।

ए.एस.आई. ने 574 पेज की जो रिपोर्ट हाईकोर्ट

को सौंपी, उसमें कहा गया कि विवादित ढाँचे के नीचे खुदाई में नक्काशीदार पत्थर, कसौटी पत्थरों के खंभे, देवी-देवताओं की खंडित प्रतिमाएँ, मंदिर में इस्तेमाल होने वाली नक्काशीदार सामग्री, आमलक, काले पत्थर के खंभों के ऊपर लगने वाली अष्टभुजीय आकृति मिली हैं। इसके अलावा वहाँ मिली 50 खंभों की नींव, उस जगह पर विशालकाय हिंदू ढाँचे की मौजूदगी के सबूत हैं। जो साफ तौर पर मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर होने के संकेत देते हैं।

इस विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर, 2010 को जो फैसला सुनाया। उसमें हाईकोर्ट ने इस सवाल का जवाब ढूँढ़ लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आर्कलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया' की उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया, जिसमें कहा गया था कि बाबरी ढाँचे के नीचे खुदाई में दसवीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के कई सबूत मिले हैं। तीन जजों की इस बेंच ने अपने फैसले में ए.एस.आई. की रिपोर्ट को ही आधार माना। ए.एस.आई. ने 574 पेज की जो रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी, उसमें कहा गया कि विवादित ढाँचे के नीचे खुदाई में नक्काशीदार पत्थर, कसौटी पत्थरों के खंभे, देवी-देवताओं की खंडित प्रतिमाएँ, मंदिर में इस्तेमाल होने वाली नक्काशीदार सामग्री, आमलक, काले पत्थर के खंभों के ऊपर लगने वाली अष्टभुजीय आकृति मिली हैं। इसके अलावा वहाँ मिले 50 खंभों की नींव, उस जगह पर विशालकाय हिंदू

ढाँचे की मौजूदगी के सबूत हैं। जो साफ तौर पर मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर होने के संकेत देते हैं। ये पुरातात्त्विक सबूत उत्तर भारत में बने मंदिरों की वि शिष्टताओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। इस फैसले पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले यह देखें कि भारत सरकार ने भी इस सवाल को कितना गंभीर और अयोध्या विवाद के केंद्र में माना था ।

भारत सरकार ने अयोध्या ध्वंस पर फरवरी 1993 में एक श्वेत-पत्र (व्हाइट पेपर) प्रकाशित किया। श्वेत-पत्र के पैरा 2/3 में भी इसी बात का खुलासा हुआ कि इस विवाद के सौहार्दपूर्ण हल के लिए जो बातचीत दोनों पक्षों में हुई, उसमें यही मुद्दा उभरकर सामने आया कि 'जहाँ वर्तमान ढाँचा है, वहाँ क्या पहले कोई मंदिर था? जिसे मस्जिद निर्माण के लिए बाबर ने ढहा दिया।' भारत सरकार का श्वेत-पत्र कहता है कि मुस्लिम नेताओं ने यह भी कहा कि अगर ऐसा साबित होता है तो मुस्लिम स्वेच्छा से हिंदुओं को यह विवादित स्थल सौंप देंगे।

5 मार्च, 2003 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जगह पर ए.एस.आई. से खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठा करने को कहा। हाईकोर्ट ने ए.एस.आई. को यह आदेश दिया कि वह एक हफ्ते के भीतर विवादित स्थल की खुदाई शुरू करे। एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे। यह पता करें कि विवादित ढाँचे के नीचे क्या है? हाईकोर्ट ने यह

भी कहा कि जहाँ अभी रामलला हैं, उसके चारों तरफ दस फुट जमीन को खुदाई से मुक्त रखा जाए।

इन्हीं सवालों से दो-चार होते इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को भी पुरातात्त्विक साक्ष्यों में ही रास्ता दिखा। उसने भी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) से यही पूछा। ए.एस.आई. भारत की शीर्ष पुरातत्त्ववेत्ता शोध एजेंसी है। जिसे अंग्रेजों ने 1861 में बनाया था। हाईकोर्ट ने ए.एस.आई. से कहा कि खुदाई से पहले उस जगह का जी.पी.आर. सर्वे कराया जाए। जहाँ बाबरी ढाँचा खड़ा है। जी.पी.आर. अध्ययन का मतलब होता है 'ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार'। इसमें जमीन को खोदे बगैर जमीन के नीचे की संरचना को देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि क्या जमीन के अंदर कुछ ऐसे सबूत हैं। जो यह बताएँ कि उस जगह पर पहले कभी कोई इमारत थी या नहीं। इस पद्धति में उच्च क्षमता के एंटिना जमीन में विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजते हैं। जमीन के भीतर अलग-अलग सरंचनाओं से टकरा एक कंप्यूटर में गति की विभिन्नता रिकॉर्ड होती है। इससे जमीन के भीतर ढाँचों का नक्शा तैयार होता है। अयोध्या में विवादित जगह पर इंडो-कनैडियन फर्म 'तोजो इंटरनेशनल' ने हाईकोर्ट के आदेश पर 30 दिसंबर, 2002 से 17 जनवरी, 2003 तक जी.पी.आर. अध्ययन किया। इस अध्ययन की रिपोर्ट ए.एस.आई. के जरिए हाईकोर्ट में 17 फरवरी को दाखिल हुई। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जमीन की

सतह से आधा मीटर नीचे से लेकर करीब साढ़े पाँच मीटर की गहराई तक अलग-अलग वक्त में तीन तरह के निर्माण के सबूत मिले। इसमें प्राचीन काल के स्तंभ, दीवारें, चबूतरे, पत्थर के फर्श और प्राचीन भवन की नींव जैसी बहुत सी चीजें दिखीं। इस सर्वे ने सबसे पहले जमीन के नीचे किसी और ढाँचे की बात कही। जिसकी पुष्टि पुराता त्त्विक खुदाई के जरिए ही हो सकती थी। इस सर्वे रिपोर्ट के नतीजों को देखकर ही 5 मार्च, 2003 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जगह पर ए.एस.आई. से खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठा करने को कहा। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट की प्रतियाँ दोनों पक्षों को इस निर्देश के साथ दीं कि मीडिया को इसकी भनक न लगे। 5 मार्च, 2003 को हाईकोर्ट ने ए.एस.आई. को यह आदेश दिया कि वह एक हफ्ते के भीतर विवादित स्थल की खुदाई शुरू करे। एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे। यह पता करें कि विवादित ढाँचे के नीचे क्या है? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जहाँ अभी रामलला हैं, उसके चारों तरफ दस फुट जमीन को खुदाई से मुक्त रखा जाए। ए.एस.आई. यह भी निश्चित करे कि खुदाई से रामलला का दर्शन प्रभावित न हो। खुदाई परदे के भीतर हो। वहाँ मीडिया को न जाने दिया जाए। खुदाई में क्या मिला, इसकी रोजाना मीडिया में कोई रिपोर्टिंग न हो। हर मिलने वाले अवशेष को सूचीबद्ध किया जाए। उसकी फोटो ली जाए। उसका वीडियो बने। वैज्ञानिक विधि से संस्तरीकरण (स्टैटिग्राफी)

किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि खुदाई की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खुदाई दल में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुराविदों को शामिल किया जाए। दोनों पक्षों को खुदाई के दौरान अपने वकील और पुरातत्त्व पर्यवेक्षक रखने की भी इजाजत थी।

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 12 मार्च से ए.एस.आई. के सुपरिंटेंडेंट पुराविद् वी.आर. मणि के नेतृत्व में 14 सदस्यों के दल ने खुदाई शुरू की। दल के दूसरे सदस्य थे शुभ्रा प्रामा णिक, पी.के. त्रिवेदी, ए.आर. सिद्दकी, पी. वेंकटेशन, एस.एस. राव, जी.एस. ख्वाजा, टी.एस. रविशंकर, सी.वी. पाटील, ए.ए. हाशमी, विष्णुकांत, ए.सी. प्रकाश और जुल्फिकार अली। खुदाई का आदेश देने वाली हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस सुधीर नारायण, जस्टिस एस.आर. आलम और जस्टिस भँवर सिंह थे।

बाबरी समर्थक इन विद्वानों का बयान एक तरह अपने पक्ष की कमी को स्वीकार करना था। बाबरी समर्थक गुटों ने यह बात कभी कबूल नहीं की थी। यह बाबरी मस्जिद के नीचे गैर-मुस्लिम ढाँचा होने की संभावना की पहली सांकेतिक स्वीकारोक्ति थी। इससे पहले तक यह गुट पूरी ताकत के साथ कहता आया था कि बाबरी मस्जिद खाली जगह पर बनी है। लेकिन बदले हालातों ने उन्हें अपनी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर किया।

शुरुआती खुदाई से जो सांकेतिक अवशेष निकले, उन्होंने बाबरी समर्थक खेमे के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं। नतीजतन आनन-फानन में इस खेमे ने एक बयान जारी कर कहा कि यह खुदाई बेमानी होगी, इससे गलत नजीर पड़ेगी। उनकी दलील थी कि इस आधार पर किसी भी धार्मिक स्मारक को ध्वस्त किया जा सकता है। अगर उसके नीचे यह सबूत मिल जाए कि वहाँ दूसरे समुदाय का धार्मिक ढाँचा पहले कभी मौजूद था। कोर्ट के इस आदेश से गलत मिसाल वाले इस सिद्धांत को न्यायिक मान्यता मिल जाएगी। उसे रोका जाए। बयान जारी करने वालों में प्रो. इरफान हबीब, के.एम. श्रीमाली, सूरज भान और एडवोकेट राजीव धवन थे। इस विरोध-पत्र पर दस्तखत करने वालों ने ए.एस.आई. की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। इन लोगों ने इस तरह के कठिन, वैज्ञानिक एवं तटस्थ उत्खनन कर सकने की ए.एस.आई. की क्षमता पर भी उँगली उठाई। यह बात अलग थी कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जमाने में और फिर बाद में नरसिंह राव के शासनकाल में यही विद्वान बाबरी पक्ष के इतिहासकार बनकर वहाँ पहले से ही मस्जिद थी, इस बात के सबूत दे रहे थे। ये विद्वान दोनों पक्षों की संवाद-प्रक्रिया में भी शामिल रहे। हर बैठक में मस्जिद के समर्थन में साक्ष्य देते थे। पर जब पुरातात्त्विक साक्ष्य अपने खिलाफ जाते नजर आए तो ये इतिहासकार मैदान से भाग खड़े हुए। इस दलील की आड़ में कि अगर ऐसा हुआ

तो फिर ऐतिहासिक इमारतों को गिराने का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस सिद्धांत को न्यायिक मान्यता मिलेगी।

बाबरी समर्थक इन विद्वानों का बयान एक तरह अपने पक्ष की कमी को स्वीकार करना था। बाबरी समर्थक गुटों ने यह बात कभी कबूल नहीं की थी। यह बाबरी मस्जिद के नीचे गैर-मुस्लिम ढाँचा होने की संभावना की पहली सांकेतिक स्वीकारोक्ति थी। इससे पहले तक यह गुट पूरी ताकत के साथ कहता आया था कि बाबरी मस्जिद खाली जगह पर बनी है। लेकिन बदले हालातों ने उन्हें अपनी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर किया।

हाईकोर्ट के आदेश से ए.एस.आई. ने 12 मार्च, 2003 से 7 अगस्त, 2003 के बीच राम जन्मभूमि परिसर की खुदाई की। खुदाई के बाद ए.एस.आई. ने 22 सितंबर, 2003 को कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ए.एस.आई. के टीम लीडर और सुपरिंटेंडेंट आर्केलॉजिस्ट डॉ. बी.आर. मनी ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में ए.एस.आई. की कार्यप्रणाली का ब्योरा दिया। समूची खुदाई और ढाँचों के अभिलेखीकरण की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। यह खुदाई न्यायिक पर्यवेक्षकों, वकीलों और संबंधित पक्षों या उनके नामित व्यक्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। खुदाई में पारदर्शिता हो, इस खातिर सारी उत्खनित सामग्री दोनों पक्षों की मौजूदगी में ही सील की जाती थी। इसे उसी दिन फैजाबाद के कमिश्नर की ओर से उपलब्ध

कराए गए स्ट्रांग-रूम में रखा जाता था। हर रोज इस स्ट्रांग-रूम को खोलने के बाद सील कर दिया जाता था।

यह खुदाई न्यायिक पर्यवेक्षकों, वकीलों, संबंधित पक्षों या उनके नामित व्यक्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। खुदाई में पारदर्शिता हो, इस खातिर सारी उत्खनित सामग्री दोनों पक्षों की मौजूदगी में ही सील की जाती थी। इसे उसी दिन फैजाबाद के कमिश्नर की ओर से उपलब्ध कराए गए स्ट्रांग-रूम में रखा जाता था। हर रोज इस स्ट्रांग-रूम को खोलने के बाद सील कर दिया जाता था।

सुरक्षा और दूसरी औपचारिकताओं के कारण खुदाई के काम में कुछ देरी हुई। मानसून ने हालात और भी खराब कर दिए। पूरी जगह को कई रंगों वाली वाटरप्रूफ शीट से ढकना पड़ा था। इस वजह से कई खाइयों में नमी और अँधेरा हो गया। बंदरों ने भी इस शीट पर कूद-फाँद शुरू कर दी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि इलाके में हजारों बंदर रहते थे। बंदरों से बचाने के लिए इन शीटों को बाँस और बल्ली के सहारे टिकाया गया। इससे अँधेरे की स्थिति पैदा हो गई। अब फोटोग्राफी में असुविधा होने लगी। खाइयों के भीतर कई मीटर नीचे तक लाइट लगानी पड़ी। चारों ओर लगाई गई ग्रिलों और खंभों ने उस पूरे इलाके में चलना-फिरना भी मुश्किल कर दिया।

ए.एस.आई. ने कुल 90 खाइयाँ खोदीं। पूरे क्षेत्र को पाँच हिस्सों में बाँटा। इनमें पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी

क्षेत्र और उभरा हुआ प्लेटफॉर्म शामिल था। इन सभी क्षेत्रों में क्रमवार खुदाई हुई, जिससे ढाँचों की प्रकृति और उसकी सांस्कृतिकता का अंदाजा लगे। ए.एस.आई. ने माना कि ढाँचे के नीचे एक और ढाँचा था। जो अवशेष मिले, उससे साबित होता था कि वहाँ ग्यारहवीं शताब्दी का हिंदू मंदिर था। खुदाई में एक शिलालेख और भगवान शंकर की मूर्ति भी मिली थी।

ए.एस.आई ने पहली बात तो यह कही कि विवादित जगह और उसके आसपास करीब एक वर्ग किलोमीटर में 'कल्चरल माउंट' है। यानी इन सारी गतिविधियों के कारण जमीन को परतों में जो बदलाव होते हैं, उससे वहाँ की ऊँचाई बढ़ती जाती है, उसे 'कल्चरल माउंट' या 'कल्चरल डिपॉजिट' कहते हैं। ढाँचे के नीचे 'कल्चरल माउंट' करीब 10.8 मीटर तक मिले। इसका मतलब था कि इस जगह पर हजारों साल से इन्सानी गतिविधियाँ चल रही थीं। ए.एस.आई. ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए इसे नौ काल खंडों में बाँटा। पहला 1300-300 ई.पू.। दूसरा, शुंग वंश 200-100 ई.पू.। तीसरा, कुशाण वंश पहली से तीसरी शताब्दी। चौथा, गुप्तकाल—चौथी से छठी शताब्दी। पाँचवाँ, गुप्तकाल के बाद 7वीं से 10वीं शताब्दी। छठवाँ, पूर्व मध्यकाल-11वीं-12वीं शताब्दी। सातवाँ, सल्तनत या मध्यकाल, 12वीं से 16वीं शताब्दी। आठवाँ, मुगलकाल—17वीं शताब्दी और नौवाँ उत्तर-मुगलकाल।

खुदाई में 11वीं से 12वीं शताब्दी की शुरुआती अवधि का एक विशालकाय ढाँचा भी मिला। यह उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 50 मीटर लंबा था। यहीं ईंट के चूरे से बना हुआ एक मोटा फर्श भी मिला। जो उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर एक चौड़ी और बड़ी ईंट की दीवार से सटा हुआ था। पुराविदों ने इसे 11वीं शताब्दी का बताया।

अयोध्या में खुदाई के दौरान उत्तरी मैदान में कुछ पुराने अवशेष मिले, जिनका काल ईसा से 13 साल पहले तक था। इन्हें पुरातत्त्व की भाषा में 'नॉर्दन ब्लैक पॉलिश वेयर' कहते हैं, इसका मतलब मिट्टी पर काली पॉलिश के बरतन या सजावट की चीजें। खुदाई में इस काल के कुछ सबूत मिले, जिनमें मिट्टी के बरतन, टूटे हुए तराजू, शीशे के टुकड़े, चिपटी गोल वस्तुएँ। टूटी हुई पशु मूर्ति, लोहे का एक चाकू। लेकिन किसी तरह के 'स्ट्रक्चर' के सबूत नहीं मिले, क्योंकि वक्त के साथ बढ़ती इनसानी गति विधियों के कारण वे नष्ट हो गए होंगे। वैसे पुरात्त्वविदों की राय थी कि इस तरह की संरचना के सबूत भी मिल सकते हैं, अगर इस टीले से दूर नदी के आसपास खुदाई की जाए।

दूसरा काल था शुंग वंश का। इस काल में पहली बार ईंट और पत्थर के ढाँचागत अवशेष मिले। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि ई.पू. 192 में शुंग वंश का शासन अयोध्या में आया। शुंग वंश के राजा ने यूनानी सैनिकों की मदद से अयोध्या को जीता। खुदाई के दौरान विवादित

जमीन के नीचे से टेराकोट की बनी देवी की मूर्ति मिली। खुदाई में टेराकोटा की कुछ मूर्तियाँ भी मिली। पत्थर की बनी एक चक्की मिली। मूर्तियाँ और मालाएँ मिलीं।

पहली से तीसरी शताब्दी के बीच का कुषाण काल मिट्टी के बरतनों के लिहाज से खासा समृद्ध था। इस जगह से मिट्टी का एक बड़ा भट्ठा, पशु एवं मानव मूर्तियाँ, चूड़ियों के टुकड़े, टेराकोटा से बने हुए पानी के टैंक का हिस्सा, अस्थि में लगी बालों की पिन और ताँबे से बना एक 'रॉड' भी मिला। एक बेहद बड़ी ईंटों से बना फर्श भी दिखा, जो इसी कालखंड का था।

विवादित स्थल पर एएसआई की खुदाई के पहले पूर्वी हिस्सा ऐसा दिखता था।

राम जन्मभूमि के पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर ध्वंस के मलबे में मिला शिलालेख।

खुदाई में मिले राम चबूतरे के नींव निर्माण की प्रक्रिया।

परिसर के उत्तरी इलाके में मिले पुराने दाएँ खंभों का आधार।

पश्चिम की दिशा में बनाए गए 11वीं शती के ढाँचे के दीवार के निर्माण के अलग-अलग स्तर।

पुराने मंदिर के उत्तर दक्षिणी दीवार से सटे भित्ती स्तंभों का आधार।

जमीन के नीचे मिले उत्तर दक्षिणी दीवार में प्रयोग किए गए वास्तुशिल्प पत्थर।

खुदाई में मिला मक्र परनाला, जो 11वीं शती के मंदिर का है।

उत्तर-दक्षिणी छोर के निचले स्तर की ईंट की दीवार।

प्राचीन मंदिर के खंभे का अंडाकार आधार।

विवादित ढाँचे के उत्तरी छोर के भीतर सीमेंट की दो रंग की सतह। और भीतर तक घुसा कसौटी पत्थर का खंभा।

खंभे के निचले हिस्से की करीब से ली गई तस्वीर।

घटा पल्लव के साथ प्राप्त हुआ समूचा खंभा। जो पुराने मंदिर का है।

खंभों के आधार/नींव की पास से ली गई तस्वीर।

वास्तुशिल्प वाले पत्थरों पर पत्तियों के समूह की आकृति। जो जमीन के नीचे हिंदू ढाँचे का सबूत देती हैं।

पत्तियों के समूह की आकृति वाला वास्तुशिल्प।

कमल की पंखुड़ी की स्टैंसिल से बनाई गई आकृति,

ऊपरी सतह पर मोतियों की आकृति।

अमलका पत्थर, जिसे मंदिरों के ऊपर बने कलश के नीचे लगाया जाता है।

खुदाई के दौरान मिली शिव-पार्वती की मूर्ति।

पत्थर पर अंकित नागरी लिपि का एक हिस्सा।

टेराकोटा की बनी चिड़िया।

विषमकोण की सजावट से तराशा गया वास्तुशिल्प।

छत के लिए प्रयोग किया गया पत्थर जिस पर कमल की आकृति में बड़ा सा पदक तराशा गया।

उत्तरी दिशा में दूसरी सतह के ऊपर खोदी गई कब्र।

विवादित ढाँचे में 11वीं शताब्दी के कसौटी पत्थर से बना स्तंभ।

कसौटी पत्थर की करीब से ली गई तस्वीर।

चौथी से छठी शताब्दी के बीच गुप्त शासकों के उदय का काल था। इस काल में निर्माण की गतिविधियों में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं देखने को मिला। इस कालखंड से जुड़ी हुई जो सामग्रियाँ पाई गईं, उनमें टेराकोटा से बनी मूर्तियाँ और ताँबे का एक सिक्का मिला। इस सिक्के के अभिमुख पर राजा की तस्वीर थी, जबकि पीछे की तरफ गरुड़ के साथ-साथ दंतकथाओं के नायक श्रीचंद (गुप्त) की तस्वीर थी।

इसके बाद बारी आई सातवीं से दसवीं शताब्दी के बीच उत्तर गुप्त राजपूत काल की। इस कालखंड में ईंट का एक वर्गाकार मंदिर यहाँ मिला, जिसमें पूर्व दिशा से एक प्रवेश द्वार भी था। यह ढाँचा जर्जर अवस्था में था। बावजूद इसकी उत्तरी दीवार में एक नाला (परनाला) साफ नजर आ रहा था। यह परनाला पानी के निकास की व्यवस्था थी। यह उस दौर के समकालीन मंदिरों की एक

विशिष्ट पहचान हुआ करती थी। खुदाई में 11वीं से 12वीं शताब्दी की शुरुआती अवधि का एक विशालकाय ढाँचा भी मिला। जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 50 मीटर लंबा था। यहीं ईंट के चूरे से बना हुआ एक मोटा फर्श भी मिला। यह उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर एक चौड़ी और बड़ी ईंट की दीवार से सटा हुआ था। ऐसा लगता था कि यह ढाँचा बेहद कम समय के लिए वजूद में रहा होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि खुदाई में मिली 50 खंभों की बुनियाद में से केवल 4 ही इस स्तर तक पहुँचे थे। यहाँ लाल पत्थर के एक टुकड़े पर कुछ अक्षरों से लिखित एक खंडित शिलालेख भी मिला। पुराविदों ने इसे 11वीं शताब्दी का बताया।

खुदाई से यह मालूम पड़ा कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्तंभ-आधारों की 17 कतारें थीं। हर कतार में 5 स्तंभ आधार थे। खुदाई में मिले 50 स्तंभ-आधारों में केवल 12 ऐसे थे, जो पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। 35 स्तंभ आधार आंशिक रूप में दिखाई दे रहे थे। जबकि 3 खंभों के आधार केवल टुकड़ों में दिखाई दे रहे थे। केंद्रीय हिस्से, यानी बीच के हिस्से में स्तंभ आधार नहीं तलाशे जा सके। इसकी वजह यह थी कि इसी जगह पर बनाए गए अस्थायी मंदिर में रामलला मौजूद थे।

इस ढाँचे के अवशेषों में एक विशाल संरचना का निर्माण मिला। जिसमें तीन चरण थे—'ए', 'बी' और 'सी'।

फेज 'ए' में एक बहुत बड़ी दीवार (दीवार संख्या 16) का निर्माण किया गया था। यह 50 मीटर लंबी थी और उत्तर-दक्षिण दिशा में की ओर जा रही थी। एक जगह पर नई शैली की निर्मितियाँ भी नजर आईं। चूने, मिट्टी और ईंट के चूरे से बना एक फर्श भी मिला। इस पर एक खाँचेनुमा ढाँचा बनाया गया था। यह फर्श पतली दीवारों से घिरा था। फेज बी में इसी घिरे हुए क्षेत्र को मिट्टी से भर दिया गया। इस पर ईंट के टुकड़े बिछाए गए थे। फिर इसके ऊपर चूने, गिट्टी और उन्नत ईंट के टुकड़ों से एक मोटा फर्श बिछाया गया था। खंभों और खाँचों को मजबूत आधार देने वाली एक नींव थी। यह फेज सी का हिस्सा था। इनके ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर मोटा फर्श लादा गया था। इस फर्श पर खंभों को सहारा देने की खातिर रेतीले पत्थरों से बनी वर्गाकार जालियाँ थीं। अधिकांश खंभों की बुनियाद के चारों ओर बने फर्श टूटे पाए गए। इसके साथ ही खंभों के आधार की बुनियाद भी बेहद जर्जर अवस्था में मिली। लगभग 50 खंभों के ऐसे आधार भी मिले, जिनकी नींव में ईंट के टुकड़े डाले गए थे, जिनके ऊपर रेतीले पत्थरों के खाँचे थे।

खुदाई से यह मालूम पड़ा कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर स्तंभ-आधारों की 17 कतारें थीं। हर कतार में 5 स्तंभ आधार थे। खुदाई में मिले 50 स्तंभ-आधारों में केवल 12 ऐसे थे, जो पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। 35 स्तंभ आधार आंशिक रूप में दिखाई दे रहे थे। जबकि 3 खंभों

के आधार केवल टुकड़ों में दिखाई दे रहे थे। केंद्रीय हिस्से, यानी बीच के हिस्से में स्तंभ आधार नहीं तलाशे जा सके। इसकी वजह यह थी कि इसी जगह पर बनाए गए अस्थायी मंदिर में रामलला मौजूद थे। यह विशालकाय ढाँचा आवासीय ढाँचे से अलग था। यह इस बात का भी मजबूत सबूत था कि इनका निर्माण सार्वजनिक उपयोग के मकसद से हुआ था। इसी विशालकाय ढाँचे के ऊपर 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबरी मस्जिद के मुख्य कक्ष का केंद्र निचले विशालकाय ढाँचे की दीवार संख्या 16 के केंद्रीय बिंदु पर ही टिका था। इसी केंद्रीय बिंदु के पूर्व में एक वर्गाकार गड्ढा था, जिसका पश्चिमी हिस्सा बड़े आकार वाली ईंटों से बने एक फर्श का आभास देता था। यह निर्माण एक ऐसी जगह का संकेत देता था, जहाँ कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु रखी गई थी। यहाँ संभवत: गरुड़ की एक प्रतिमा थी।

साधारण भाषा में कहें तो ए.एस.आई. की रिपोर्ट ने अपने नतीजे में यह स्थापित कर दिया कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई। इस जगह पर जो अवशेष पाए गए, वे एक पुराने धार्मिक ढाँचे के थे। बाबरी मस्जिद के उत्तरी कक्ष की दीवार संख्या 5 सीधे तौर पर मंदिर की पश्चिमी दीवार (दीवार संख्या 16) पर खड़ी थी। दीवार संख्या 5 की नींव को भरने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की गई थीं, वे ध्वस्त मंदिर से जुटाई गई ईंटें थीं।

इस खुदाई में अलग-अलग कालखंड के विभिन्न स्तरों पर जानवरों की हड्डियाँ भी पाई गईं। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों की खाइयों में कंकालों के अवशेष मिले। ये कंकाल उत्तर-मुगल युग के थे। खुदाई में जो शुंग और गुप्त काल के विभिन्न ढाँचे मिले, उनकी प्रकृति या फिर उपादेयता का पता नहीं चल सका। गुप्तकाल से लेकर उत्तर-मुगलकाल तक अलग-अलग स्तरों पर निवास के चिह्न लुप्त होते दिखाई दिए। विशेषज्ञों के मुताबिक विवादित ढाँचे के नीचे का क्षेत्र मुगलकाल में इस ढाँचे का बनने तक सार्वजनिक उपयोग की जगह के तौर पर था। यह एक सीमित क्षेत्र था, जिसके चारों ओर आबादी रहती थी। इस जगह पर बड़ी संख्या में मिले काली पॉलिश वाले मिट्टी के बरतनों ने इस हिंदू मान्यता को और भी पुख्ता किया कि राम और अयोध्या की कहानी कृष्ण और हस्तिनापुर से पुरानी है।

ए.एस.आई. की रिपोर्ट में कुछ ऐसे विशिष्ट चिह्नों के सांकेतिक अवशेषों का भी जिक्र है, जो उत्तर भारत के मंदिरों में पाए जाते थे। मसलन उत्तर भारत के मंदिरों का संकेत देने वाले ये चिह्न थे—एक, विवादित ढाँचे के ठीक नीचे स्थित विशालकाय मंदिर के शिखर के पुरातात्त्विक अवशेष। दो, 10वीं शताब्दी से विवादित ढाँचे के निर्माण तक की क्रमिक स्थितियाँ। तीन, पत्थरों व सज्जाकार ईंटों से बने निर्माण। चार, ईश्वरीय दंपती की टूटी-फूटी ध्वस्त सी मूर्ति। पाँच, कमल का रूपांकन। छह,

वर्गाकार मंदिर, जिसके जल-प्रवाह का रास्ता उत्तर दिशा की ओर था। सात, विशाल ढाँचे से सटे हुए 50 स्तंभ-आधार। साधारण भाषा में कहें तो ए.एस.आई. की रिपोर्ट ने अपने नतीजे में यह स्थापित कर दिया कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई। इस जगह पर जो अवशेष पाए गए, वे एक पुराने धार्मिक ढाँचे के थे। बाबरी मस्जिद के उत्तरी कक्ष की दीवार संख्या 5 सीधे तौर पर मंदिर की पश्चिमी दीवार (दीवार संख्या 16) पर खड़ी थी। दीवार संख्या 5 की नींव को भरने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल की गई थीं, वे ध्वस्त मंदिर से जुटाई गई ईंटें थीं।

मस्जिद की दक्षिणी बुनियाद वाली दीवार (दीवार संख्या 6) सीधे तौर पर पुराने मंदिर के दो स्तंभ आधारों पर टिकी थी। दीवार संख्या 6 सीधे तौर पर दीवार संख्या 16 से मिली हुई थी। साफ तौर पर नजर आता था कि दीवार संख्या 16 के ताखे दीवार संख्या 6 की समान आकार वाली ईंटों से ही भरे गए थे। उस क्षेत्र में चूने की 2 सेंटीमीटर मोटी पुताई थी। यह मूल दीवार थी। ये साबित करती थी कि दीवार संख्या 16 में बने ताखों की शृंखलाओं को मंदिर ध्वस्त करने के बाद और मस्जिद के निर्माण से पहले ही बंद कर दिया गया था। ये ताखे छोटे-छोटे देवी देवताओं को स्थापित करने के लिए बनाए गए थे। बाबरी मस्जिद की दीवार संख्या 7 भी पुराने मंदिर के तीन स्तंभ आधारों पर टिकी हुई थी। यह दक्षिणी कक्ष

के ठीक सामने थी। यह तथ्य भी स्थापित करते थे कि बाबरी मस्जिद एक पहले से बने ढाँचे के ऊपर बनाई गई थी।

खुदाई में 10.80 मीटर का मोटी सतह वाला एक निर्माण भी मिला। इसकी प्रकृति 9 सांस्कृतिक कालावधियों में एक जैसी थी। यह इस बात का इशारा करती थी कि इस जगह को कभी छेड़ा नहीं गया। साथ ही आवासीय मकसद से भी इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इस जगह पर इस्तेमाल में आने वाले 4 फर्श भी मिले। तीसरे नंबर का फर्श जो फ्लोर संख्या 2 के नीचे था, उसकी अवधि कार्बन डेटिंग के जरिए 900 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच की पाई गई। फ्लोर संख्या 2, जिससे 50 स्तंभ-आधार जुड़े थे, स्पष्ट तौर पर यह मंदिर का फर्श था। फ्लोर 2 के ऊपर फ्लोर 1 था, जो मस्जिद का फर्श था।

खुदाई में जो जिस ढाँचे के अवशेष मिले, वे ज्यादातर उसी कालखंड के हैं। जिन अवशेषों का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के निर्माण में हुआ है। इससे ए.एस.आई. को वहाँ मंदिर के अस्तित्व में होने का प्रमाण बिल्कुल साफ हो जाता है। इन अवशेषों में गर्भगृह, अर्ध मंडप, चौड़ा मंडप, उत्तर-पूर्व कोने में एक पुष्करणी, चौड़ी दीवारें और पिछले मंदिरों के ध्वंसावशेष शामिल थे। ए.एस.आई. ने अपनी रिपोर्ट में हाईकोर्ट से कहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। इसकी वजह यह थी कि रिपोर्ट तैयार करने में कई लोग शामिल थे, जिन्होंने

बेहद ही सख्त समय-सीमा में काम किया था। कोर्ट ने ए.एस.आई. को ऐसे किसी भी संशोधन को दाखिल करने की इजाजत दी, जिसे वह उचित समझती हो।
ए.एस.आई. ने एक वैकल्पिक 'टाइमलाइन' की रूपरेखा भी दी, जिसमें पाँचवीं 'टाइमलाइन' तक कोई बदलाव नहीं किए गए थे। बाद के दौर की नामावलियों में कुछ बदलाव किए गए थे। पर शताब्दी से जुड़ी कालावधियों में कोई भी बदलाव नहीं था।

राम चबूतरे का यह शुरुआती रूप कैथोलिक मिशनरी जोसफ टाइफेनथलर के दिए गए ब्योरे से मेल खाता है। ऑस्ट्रिया के इस यात्री जोसफ टाइफेनथलर ने साल 1766 से 1771 के बीच इस जगह का भ्रमण किया था। उसने इसे एक वर्गाकार बॉक्स या वेदी के तौर पर वर्णित किया। यह जमीन से पाँच इंच उठी हुई थी और चूना पत्थर से ढकी हुई थी। लोग इसकी तीन बार परिक्रमा करते थे और इसे दंडवत् नमन करते थे। खुदाई के दौरान ए.एस.आई. को ऐसी कई वस्तुएँ मिलीं, जो मस्जिद के नीचे के ढाँचे के गैर-मुस्लिम होने की पुष्टि करती हैं।

ए.एस.आई. ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान खींचा कि इस जगह पर मलबा इतना ज्यादा था कि आमतौर पर परतों की स्पष्ट तौर पर पहचान मुश्किल थी। ए.एस.आई. की खुदाई में यह बात सामने आई कि राम चबूतरा निर्माण के पाँच अलग-अलग संरचनात्मक चरण रहे हैं। इसका

मूल प्रयोग अस्पष्ट था। यह पानी का एक तालाब भी हो सकता था। पर अपने अंतिम उपयोग के वक्त यह एक छोटे मंच की तरह दिखाई देता था। हालाँकि जब पूर्व-पश्चिम दिशा की ओर 22 मीटर और उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर 14 मीटर लंबी इसकी कोर दिखी तो यह एक खासी बड़ी संरचना समझ में आई।

इस ढाँचे का आधार 2.67 मीटर से कम गहरा नहीं था। यह सात स्तरों में बना था। हर स्तर में कंक्रीट के ब्लॉक थे, जो चूने सुर्खी के मसाले से जुड़े हुए थे। इस आधार के ऊपर आठ स्तर की एक टैंकनुमा संरचना थी। राम चबूतरे का यह शुरुआती रूप कैथोलिक मिशनरी जोसफ टाइफेनथलर के दिए गए ब्योरे से मेल खाता है। आ स्ट्रिया के इस यात्री जोसफ टाइफेनथलर ने साल 1766 से 1771 के बीच इस जगह का भ्रमण किया था। उसने इसे एक वर्गाकार बॉक्स या वेदी के तौर पर वर्णित किया। यह जमीन से पाँच इंच उठी हुई थी और चूना पत्थर से ढकी हुई थी। लोग इसकी तीन बार परिक्रमा करते थे और इसे दंडवत् नमन करते थे। खुदाई के दौरान ए.एस.आई. को ऐसी कई वस्तुएँ मिलीं, जो मस्जिद के नीचे के ढाँचे के गैर-मुस्लिम होने की पुष्टि करती हैं। इनमें कई मूर्तियाँ, पत्थर से बने आमलक, घटा-पल्लव आधार वाले स्तंभ, शिवमूर्ति, कौस्तुभ आभूषण, ईश्वरीय दंपती और कुछ दूसरी वस्तुएँ शामिल हैं।

खुदाई में जानवरों की हड्डियाँ भी निकलीं। बाबरी

समर्थक इतिहासकारों ने ए.एस.आई. पर जानवरों की हड्डियों को नजरंदाज करने का आरोप लगाया, जो हर स्तर पर पाई गईं। उनके मुताबिक ए.एस.आई. ने इन जगहों पर पाई गई हड्डियों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा। इतिहासकार जया मेनन के मुताबिक वे खुदाई की जगह पर मौजूद थीं और उन्होंने हड्डियों को फेंके जाने पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। खुदाई करने वालों ने हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उन्हें फेंक दिया। प्रोफेसर इरफान हबीब ने ए.एस.आई. पर इस साक्ष्य को नजरंदाज करने का आरोप लगाया, जो मंदिर के होने से इनकार करता था। उनका कहना था जानवरों की जिन हड्डियों पर कट का निशान था, ये ऐसे जानवरों की निशानियाँ थीं, जिन्हें इस जगह पर खाया जाता रहा होगा। उनका तर्क था कि मिली हड्डियाँ मंदिर के अस्तित्व से इनकार करती हैं।

ए.एस.आई. की इस खुदाई ने हिंदू मान्यता और दावों पर ही मुहर लगाई। इसके अलावा आजादी से पहले के राजस्व और वक्फ के दस्तावेज, विदेशी यात्रियों और ब्रिटिश शासकों के ब्योरे और हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े हुए मामलों में दिए गए न्यायिक फैसले, ये सभी बाबरी मस्जिद के दावे को कमजोर करते थे। 22 सितंबर, 2003 को ए.एस.आई. ने अपनी 574 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। जिससे पुरातत्त्व साक्ष्य से तय हुआ कि तोड़े गए ढाँचे के नीचे ग्यारहवीं सदी का एक हिंदू

मंदिर था।

हाईकोर्ट ने इस बिंदु पर विचार किया। उसके मुताबिक खुदाई के दौरान अलग-अलग कालखंड में जानवरों की हड्डियाँ पाई गईं। ये हड्डियाँ उन सामग्रियों में थी, जो समय-समय पर जमीन को बराबर करने की खातिर पास-पड़ोस के इलाकों से लाई गई थीं। यह बेहद स्वाभाविक था कि जनजीवन के केंद्र वाली जगहों से लाई गई इन सामग्रियों में जानवरों की हड्डियाँ पाई जाएँ। इसके परीक्षण से केवल इनके उद्गम की जगह की जानकारी ही होगी। इससे खुदाई में मिली वस्तुएँ, परतें और उसकी प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा भी नहीं था। इतनी बड़ी मात्रा में हड्डियाँ केवल मस्जिद या फिर ईदगाह सरीखे किसी इस्लामिक धार्मिक स्थल में ही पाई जा सकती थीं। इस्लामी धर्मग्रंथ इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि पूजा के स्थल का आवासीय या फिर खाने-सोने की जगह के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हड्डियों का वजूद उस स्थिति में कुछ महत्त्व का हो सकता था, यदि दूसरी कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी पाई जातीं, जो एक आवासीय स्थल की ओर इशारा करतीं। या फिर जनजीवन की प्रकृति को लेकर कोई विवाद पैदा करतीं।

ए.एस.आई. की रिपोर्ट में खुदाई के दौरान पाए गए अभिलेखों के तीन हिस्सों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी भी है। इनमें एक नागरी में और दो अरबी में पाए गए थे। अरबी

अभिलेख में एक 16वीं शताब्दी की नश्ख शैली में था। इसमें कुरान की एक आयत खुदी थी। दूसरा अरबी अभिलेख भी 16वीं शताब्दी के शुरुआत की शैली में था। इसमें अल्लाहशब्द खुदा था। ए.एस.आई. के मुताबिक नागरी का पाँच वर्णों वाला अभिलेख 11वीं शताब्दी का था।

ए.एस.आई. की इस खुदाई ने हिंदू मान्यता और दावों पर ही मुहर लगाई। इसके अलावा आजादी से पहले के राजस्व और वक्फ के दस्तावेज, विदेशी यात्रियों और ब्रिटिश शासकों के ब्योरे और हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े हुए मामलों में दिए गए न्यायिक फैसले, ये सभी बाबरी मस्जिद के दावे को कमजोर करते थे। 22 सितंबर, 2003 को ए.एस.आई. ने अपनी 574 पन्नों की रिपोर्ट तस्वीरों के साथ हाईकोर्ट को सौंपी। जिससे पुरातत्त्व साक्ष्य से तय हुआ कि तोड़े गए ढाँचे के नीचे ग्यारहवीं सदी का एक हिंदू मंदिर था। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हाईकोर्ट के तीनों जजों ने माना कि विवादित स्थल का केंद्रीय स्थल राम जन्मभूमि ही है। खास बात यहरही कि तीनों जज गर्भगृहके सवाल पर एकमत थे।

6 दिसंबर, 1992 को जब ढाँचा गिरा तो उसके गुंबदों से जो लाखौरी और बड़ी ईंटें मिलीं, उनमें से कुछ पर सन् 1930 और कुछ पर 1924 खुदा मिला। जाहिर है, वे ईंटें 1930 की बनी होंगी। यानी मौजूदा ढाँचा उसके बाद का ही होगा। ध्वंस के वक्त अखबारों में इन ईंटों के चित्र और

ब्योरे छपे थे। इससे पहले जून 1992 में जब कल्याण सिंहसरकार ने 2.77 एकड़ जमीन अ धिग्रहीत कर मंदिर निर्माण के लिए उसका समतलीकरण कराना शुरू किया। उसी वक्त वहाँ मंदिर होने का सबूत मिलने शुरू हो गए थे। 12 जून, 1992 को समतलीकरण के वक्त बुलडोजर से कुछ पत्थर खंड टकराए। जब पुराविदों ने देखा तो यहकिसी मंदिर के शिखर भाग का अंश था। इनमें आमलक, द्वार के खंभे, पाँच खंडित प्रतिमाएँ, ज्ञान लता आदि वस्तुएँ थीं। इनकी जाँच करने पुरातात्त्विकों का एक दल अयोध्या पहुँचा, जिसमें ए.एस.आई. के पूर्व सहमहानिदेशक डॉ. यज्ञदत्त शर्मा, पूर्व निदेशक के.एन. श्रीवास्तव, वी.आर. ग्रोवर, प्रो. स्वराज प्रकाश गुप्ता, शरदेंद्र मुखर्जी और डॉ. देवेंद्र स्वरूप थे। इन लोगों ने जब थोड़ा नीचे देखा तो मंदिर की बड़ी ईंटों की एक फर्श भी दिखी। बाद में बाबरी कमेटी ने इन अवशेषों को यहकहकर नकार दिया कि इन सबूतों को कहीं और से लाकर वहाँ रखा गया है। जब ए.एस.आई. की रिपोर्ट आई और हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को अपने फैसले का आधार बनाया तो फिर बाबरी विद्वानों ने यहकहकर रिपोर्ट से पल्ला झाड़ा कि इस मुकदमे का वाद बिंदु तो यहथा ही नहीं। अदालत को यहपता नहीं लगाना था कि विवादित इमारत के नीचे क्या है—वहाँ मंदिर है या नहीं? अदालत को यहतय करना है कि विवादित इमारत जहाँ है, उस जमीन का मालिकाना किसके पास है।

6 दिसंबर को जब बाबरी ढाँचा गिरा तो वहाँ अनजाने ही मंदिर के पक्ष में एक बड़ा सबूत हाथ लगा। वहाँ पुराने मंदिर के भग्न अवशेष तो मिले ही, एक पाँच फुट लंबा और ढाई फुट चौड़ा शिलालेख भी मिला। 20 पंक्तियों वाले इस शिलालेख में 30 श्लोक खुदे हैं। इस लाल पत्थर के शिलालेख की लिपि नागरी थी और भाषा संस्कृत। उत्कीर्ण लेख का ज्यादा हिस्सा पद्य में था। शिलालेख को पढ़ने के लिए उस काल के तीन लिपि विशेषज्ञों (एपीग्राफिस्ट) को बुलाया गया। इनमें भारत सरकार के पूर्व पुरालिपिशास्त्री के.बी. रमेश, नागपुर विश्वविद्यालय के प्रो. अजय मित्र शास्त्री और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. टी.पी. वर्मा थे। प्रो. वर्मा गाहड़वालकालीन लिपि को पढ़ने में माहिर थे। तीनों विद्वान इस नतीजे पर पहुँचे कि यहशिलालेख 12वीं शताब्दी के गाहड़वाल राजा गोविंद चंद्र के राज्यकाल (1114-1154) का है। शिलालेख में कहा गया है, इस मंदिर का शिखर स्वर्ण कमल जैसा है। यहउस देवता विष्णुहरि को समर्पित है, जिसने दस सिर वाले रावण का वध किया। इसमें साकेत मंडल में अयोध्या नगरी और जन्मभूमि का भी जिक्र है।

बीस पंक्तियों के इस शिलालेख का अनुवाद है—

“जो संसार में विद्वानों में अग्रणी था और मेघ का पुत्र था, उसके भतीजे नयचंद्र ने राजाओं में श्रेष्ठ गोविंद चंद्र के प्रसाद से साकेत मंडल का आधिपत्य प्राप्त किया, टंकों

द्वारों उत्कीर्ण शैल शिखरों की भाँति शिला श्रेणी से युक्त स्वर्ण कलश वाले श्री विष्णुहरि के इस सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। पूर्व राजाओं द्वारा कभी न निर्माण करवाए जा सकने वाले, इस अद्भुत मंदिर का निर्माण उसने संसार-सागर को शीघ्र लाँघ जाने के उद्देश्य से लघु चरणों का ध्यान करते हुए किया। हिरण्यक शिपु को मारकर, बाणासुर को युद्ध में संयमित करके, ब लिराज के बाहु का दलन करके भुविक्रम का दर्शन कराने वाला, दुष्ट दुशासन को मारने वाला वहदूसरा कौन पुण्यशाली है।”

हाईकोर्ट ने इस शिलालेख का संज्ञान लिया। पर दूसरे पक्ष ने इसे सिरे से नकार दिया। यहशिलालेख इस लंबे और कटु विवाद को सुलझाने में निर्णायक भूमिका अदा करता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इन सारे सवालों का खुद जवाब देता है। इस फैसले ने विवादित स्थल की तस्वीर और तकदीर दोनों ही काफी हद तक साफ कर दी। अपने इस ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल को ‘राम जन्मभूमि’ घो षित कर दिया।

30 सितंबर, 2010 को यहऐतिहासिक फैसला जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एस.यू. खान, जस्टिस डी.वी. शर्मा की बेंच ने सुनाया। 1989 से इस मामले की 18 जजों ने सुनवाई की। इसमें कुछ रिटायर हुए कुछ का तबादला हुआ। केवल जज ही नहीं बदले वकीलों की

तीसरी पीढ़ी आ गई। हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि के तीन बराबर हिस्से करने की बात कही। इसमें वहजगह, जहाँ आज रामलला की मूर्ति स्थापित है, को रामलला विराजमान को सौंप दिया। इसे पहला हिस्सा कहसकते हैं। राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया, जबकि बचा हुआ तीसरा हिस्सा सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के तीन जजों की बेंच ने इस फैसले के लिए आर्केयोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही आधार माना। अदालत ने भगवान राम के जन्मस्थान होने की धा र्मिक मान्यता को भी फैसले का आधार बताया। तीनों ही जजों ने मुसलमानों की ओर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दावे को कानूनन समय सीमा की मियाद से बाहर बताया और इसी तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया।

इस बेंच के दो जजों जस्टिस एस.यू. खान और जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने बहुमत से गोपाल सिंहविशारद के मुकदमे में प्रति वादी के नाते सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी एक तिहाई हिस्से का हकदार माना। तीनों जजों ने यहभी माना कि विवादित मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियाँ 22/23 दिसंबर, 1949 को रखी गईं। मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा या उसके आदेश पर किया गया। फैसले में साफ कहा गया कि यही जगहभगवान राम का जन्मस्थान है। अदालत ने फैसले में इस तथ्य का भी

उल्लेख किया कि ए.एस.आई. की खुदाई में इस जगहएक विशाल प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर के खँडहर पर ही मस्जिद बनी। लेकिन तीनों जजों में इस बात पर मतभेद था कि क्या मस्जिद बनाते समय पुराना मंदिर तोड़ा गया? फैसले में यहभी कहा गया कि जमीन बँटवारे में सहूलियत के लिए केंद्र सरकार द्वारा अ धिग्रहीत 70 एकड़ जमीन को भी बँटवारे में शा मिल किया जाएगा। खास बात यहथी कि मामले की सुनवाई कर रही तीन जजों की बेंच में से एक धर्मवीर वर्मा, अगले ही दिन यानी एक अक्तूबर को रिटायर हो रहे थे। अगर वे फैसला 30 सितंबर को नहीं सुना पाते तो उनके रिटायरमेंट के बाद पूरे मामले की सुनवाई फिर से करनी पड़ती। अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक की सुनवाई करने वाली हाईकोर्ट की विशेष पीठ पिछले 21 साल में 13 बार बदल चुकी थी। बेंच में यहबदलाव जजों के रिटायर होने, पदोन्नति या तबादले के चलते हुआ।

इस फैसले का एक बड़ा महत्त्व यहथा कि रामलला उसी जगहपर रहेंगे, जहाँ वे स्थापित हैं। इसी जगहको हिंदू राम की जन्मभूमि मानते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ही इस निर्णय पर तीन महीने की रोक लगा दी। इस दौरान संबंधित स्थल पर 'यथास्थिति' बनाए रखने

को कहा।

इस फैसले का एक बड़ा महत्त्व यहथा कि रामलला

उसी जगहपर रहेंगे, जहाँ वे स्थापित हैं। इसी जगहको हिंदू राम की जन्मभूमि मानते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ही इस निर्णय पर तीन महीने की रोक लगा दी। इस दौरान संबं धित स्थल पर 'यथा स्थिति' बनाए रखने को कहा। सभी पक्षकारों को यहवक्त दिया गया कि वे फैसला पढ़कर अगर उचित समझें तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फैसले का अहम पहलू यहभी रहा कि विवादित जगहको भगवान राम का जन्मस्थान घो षित करने के पीछे 'आस्था' यानी 'फेथ' को आधार माना गया।

जस्टिस डी.वी. शर्मा इस एक-तिहाई बँटवारे के फॉर्मूले से सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक विवादित स्थल के बाहरी हिस्से पर हिंदुओं का पूजन के उद्देश्य से विशेषा धिकार रहा है। इसी तरहसे भीतरी आहाते में भी वे पूजा करते रहे हैं, इसलिए उनका पूरे ही हिस्से पर विशेष अ धिकार है। अपने 'डिसेंट नोट' में जस्टिस शर्मा ने साफ तौर पर लिखा कि विवादित जगहभगवान राम का जन्मस्थान है।

जस्टिस अग्रवाल के मुताबिक विवादित ढाँचे का केंद्रीय गुंबद भगवान् राम का जन्मस्थान रहा है। ऐसा हिंदुओं की आस्था और विश्वास है। जस्टिस खान ने भी इस बात से साफ तौर पर इनकार नहीं किया। हालाँकि उन्होंने कहा कि 1949 में पहले कुछ दशकों में हिंदुओं ने सेंट्रल डोम के ठीक नीचे की जगहको भगवान राम का जन्मस्थल मानना शुरू कर दिया। उनका भी यही मत था

कि सेंट्रल डोम के नीचे वाला हिस्सा हिंदुओं को दे दिया जाए।

जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस शर्मा ने माना कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई है। पर जस्टिस खान इससे सहमत नहीं थे। इनके मुताबिक यहमस्जिद मंदिरों के खँडहरों पर तो बनाई गई है, पर ये खँडहर मस्जिद के निर्माण से काफी पहले से ही ध्वस्त स्थिति में पड़े हुए थे, इसीलिए उनकी कुछ सामग्री मस्जिद के निर्माण में इस्तेमाल की गई। हालाँकि जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस खान इस बात पर सहमत थे कि 1992 तक वहाँ जो इमारत अस्तित्व में थी, वहमस्जिद ही थी। मगर जस्टिस शर्मा इससे सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक विवादित इमारत बाबर ने इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत बनवाई, इसलिए इसे मस्जिद नहीं माना जा सकता।

जस्टिस एस.यू. खान के फैसले के मुख्य बिंदु थे—

1. विवादित ढाँचे का निर्माण बाबर के द्वारा या फिर उसके आदेशों के तहत किया गया है।

2. ऐसा कोई सीधा प्रमाण नहीं है कि विवादित जगहबाबर से संबंधित है या फिर उस शख्स से, जिसने इसे बनवाया या फिर बनवाने का आदेश दिया।

3. मस्जिद बनाने के लिए किसी भी मंदिर को ढहाया नहीं गया।

4. लेकिन मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर जरूर बनाई

गई। मगर ये अवशेष मस्जिद के निर्माण से पहले ही एक लंबे समय से बेहद बरबाद और उजाड़ स्थिति में वहाँ पड़े हुए थे। यही वजहहै कि निर्माण में इनकी भी कुछ सामग्री का इस्तेमाल किया गया।

5. एक लंबी अव धि से, जो मस्जिद के निर्माण तक जाती है, हिंदू ऐसा मानते आए थे कि एक बेहद ही बड़े क्षेत्र, जिसका विवादित ढाँचा एक छोटा हिस्सा है, में भगवान राम का जन्मस्थान स्थित है। हालाँकि इस तरहकी आस्था का संबंध उस बड़े क्षेत्र के किसी विशिष्ट छोटे हिस्से से नहीं था। खासतौर पर उस विवादित परिसर से।

6. 1855 से बहुत पहले ही राम चबूतरा और सीता रसोई अस्तित्व में आ चुके थे और हिंदू उसकी पूजा कर रहे थे। ये बेहद ही विचित्र और अभूतपूर्व स्थिति थी कि मस्जिद के अहाते और चहारदीवारी के भीतर हिंदुओं के धार्मिक स्थान भी थे। जहाँ पूजा होती थी और मस्जिद भी थी। जहाँ नमाज होती थी।

7. विवादित परिसर पर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का मिला-जुला मालिकाना रहा है।

8. मूर्तियाँ मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे पहली बार 23 दिसंबर, 1949 को तड़के रखी गईं।

9. इसकी रोशनी में दोनों ही पक्षों को पूरे ही विवादित परिसर का संयुक्त 'टाइटल होल्डर' घो षित किया जाता है। सेंट्रल डोम के नीचे के हिस्से को जहाँ फिलहाल

अस्थायी मंदिर स्थित है, हिंदुओं के हिस्से में आवंटित किया जाता है।

जस्टिस धर्मवीर शर्मा के फैसले के मुख्य बिंदु थे—

1. विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थल है। इसे उस दैवीय शक्ति के मूर्त रूप में देखा जाता है, जिसकी भगवान राम के बाल्य रूप में जन्मस्थल के तौर पर उपासना की जाती है।

2. विवादित ढाँचे का निर्माण बाबर ने किया। वर्ष तय नहीं है, मगर यहइस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ किया गया, इसीलिए इसमें मस्जिद का चरित्र नहीं हो सकता।

3. इस विवादित ढाँचे का निर्माण पुराने ढाँचे की जगहपर उसे ढहाकर किया गया। ए.एस.आई. ने साबित कर दिया कि यहढाँचा एक भव्य हिंदू धार्मिक स्थल था।

4. विवादित ढाँचे के बीच वाले गुंबद में ये मूर्तियाँ 22/33 दिसंबर, 1949 की मध्य रात्रि को रखी गईं।

5. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम गोपाल सिंहविशारद एवं अन्य और निर्मोही अखाड़ा व अन्य बनाम श्री जमुना प्रसाद सिंहव अन्य का मामला 'टाइम बार्ड' है, यानी कानूनी मियाद से बाहर का है।

6. यहस्थापित हो चुका है कि मुकदमे में शामिल संपत्ति रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। यहाँ हिंदुओं को आमतौर पर चरण-पादुका, सीता रसोई और दूसरी मूर्तियों को पूजने का अ धिकार है। यहभी स्थापित हो चुका है कि हिंदू इस विवादित जगहकी जन्मस्थान के तौर पर यात्रा

करते आए हैं।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल के जजमेंट के खास बिंदु थे—

1. हिंदुओं के आस्था और विश्वास के मुताबिक विवादित ढाँचे के सेंट्रल डोम के भीतर का हिस्सा ही भगवान राम का जन्मस्थान है।

2. विवादित स्थल को हमेशा ही मस्जिद समझा गया है और मुसलमान इसका इबादत के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। हालाँकि यहसाबित नहीं होता है कि इसे बाबर के शासनकाल में 1528 में बनाया गया था।

3. किसी भी पुख्ता साक्ष्य के अभाव में यहतय करना मुश्किल है कि इस विवादित ढाँचे का निर्माण कब किया गया था। मगर यहकाफी हद तक स्पष्ट है कि इसका निर्माण जोसफ टाइफेनथलर के अवध के इलाके में भ्रमणकाल (साल 1766-1771) से पहले किया गया था।

4. विवादित ढाँचे का निर्माण एक गैर-इस्लामी ढाँचे (हिंदू मंदिर) को ढहाकर किया गया।

5. सेंट्रल डोम में मूर्तियाँ 22 और 23 दिसंबर, 1949 की रात को रखी गईं।

इस फैसले से मंदिर निर्माण का रास्ता तो साफ हुआ। पर दोनों पक्ष इस बात से असंतुष्ट थे कि उन्होंने विवादित स्थल के बँटवारे की तो माँग ही नहीं थी। ज्यादातर लोगों की राय थी कि यह‘न्यायिक फैसला’ नहीं बल्कि ‘सुलहका फॉर्मूल’ है। सभी पक्षों ने फैसले के खिलाफ अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा,

सुनवाई शुरू कर दी। रामलला अब भी लंबे, ऊँचे, पीले स्टील के बाड़े के भीतर एक तंबू में बैठे अदालती आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

8.

संघर्ष

अपनी संपूर्णता लिए विवादित ढाँचे की एक तस्वीर।

अयोध्या सच है भारत का! भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का सच! लेकिन विडंबना है, न हम इस सच को जानना चाहते हैं, न जानते हैं। किसी भी कोण से देखें तो अयोध्या भारत की विरासत, परंपरा, सांस्कृतिक, राजनैतिक, इतिहास, धर्म और अधर्म के सभी छोर लिये हुए है। हमने न इन्हें पकड़ा, न इनकी दशा-दिशा बूझी, न विचार किया। हर युग, काल और समय में सत्ता ने अयोध्या का इस्तेमाल किया। अयोध्या हर वक्त ठगी गई। उसका सच जानने की को शिश किसी ने नहीं की। अयोध्या के संघर्ष का इतिहास तो यही कहता है।

अयोध्या का मतलब है जिसे शत्रु न जीत सके। युद्ध का अर्थ हम सभी जानते हैं। योध्य का मतलब जिससे युद्ध किया जा सके। मनुष्य उसी से युद्ध करता है, जिससे जीतने की संभावना रहती है। यानी अयोध्या के मायने जिसे जीता न जा सके। पर

अयोध्या के संघर्ष को देखें तो हर आक्रांता ने पहले अयोध्या को ही जीतने की कोशिश की। उससे हमारी मनोदशा में गुलामी, पराधीनता और अन्याय की ग्रंथियाँ बनीं।

अयोध्या का मतलब है जिसे शत्रु न जीत सके। युद्ध का अर्थ हम सभी जानते हैं। योध्य का मतलब जिससे युद्ध किया जा सके। मनुष्य उसी से युद्ध करता है, जिससे जीतने की संभावना रहती है। यानी अयोध्या के मायने जिसे जीता न जा सके। पर अयोध्या के संघर्ष को देखें तो हर आक्रांता ने पहले अयोध्या को ही जीतने की कोशिश की। उससे हमारी मनोदशा में गुलामी, पराधीनता और अन्याय की ग्रं थियाँ बनीं।

अथर्ववेद में लिखा है कि देवताओं द्वारा बनाई गई अयोध्या स्वर्ग के समान है। बाल्मीकि रामायण के अनुसार इसे मनु ने बसाया था। इतिहास की किताबों में इस बात का जिक्र है कि अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। उस वक्त भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें कौशल एक बड़ा और समृद्ध महाजनपद था, अयोध्या उसकी राजधानी थी। इसका समय ईसा से 500-600 साल पहले माना जाता है। पाणि नि का व्याकरण पुराना ग्रंथ है। इसमें भी अयोध्या का जिक्र है। कालिदास का ‘रघुवंशम्’ तो राम की कहानी ही है, इसलिए उसमें अयोध्या का जिक्र कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तथ्य यही है कि राम का लिदास के काल में भी पूज्य थे और अयोध्या एक पवित्र नगरी के

रूप में स्थापित थी। रामायण का सही काल अब तक निर्धारित नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। फिर भी यहसवाल पूछा जाता है कि क्या अयोध्या में राम का मंदिर था। इस बेहूदे सवाल से जूझते सदियाँ गुजर गईं। किसी भी सरकार में इस सच को पकड़ने का माद्दा नहीं था। मुगलों ने अयोध्या के साथ क्या किया, यहआपको इतिहास की किताबों में हर कहीं मिल जाएगा। पर मुगलों के बाद अयोध्या के साथ क्या हुआ। यहरोचक है।

दिल्ली की गद्दी से मुगल बेदखल हुए। अंग्रेज काबिज हुए। अयोध्या के भीतर छटपटाहट जारी रही। अयोध्या नए सिरे से अपनी नियति की पहचान में जुट गई। अंग्रेज अपनी राय में राम के साथ थे। ब्रिटिश अफसरों ने एक नहीं, कई-कई बार सरकारी दस्तावेजों और अपनी रिपोर्टों में रामनाम का जाप किया। ब्रिटिश यात्रियों ने भी अयोध्या में राम को ही देखा। लेकिन अयोध्या फिर भी लंबे कानूनी मुकदमों में उलझी रही। अंग्रेजों के जमाने से जारी इन मुकदमों में सबूतों की झड़ी लग गई। ये सबूत अयोध्या का आईना हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में भी इनका जिक्र है। अयोध्या के सच को जानने के लिए इन सबूतों की पहचान बेहद जरूरी है।

सन् 1608 से 1611 के बीच ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने अयोध्या का दौरा किया। लंदन का रहने वाला फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। भारत के

स्थानीय उत्पादों में व्यापार की संभावना तलाशने वहजिलों-जिलों में घूम रहा था। अयोध्या पहुँच फिंच ने लिखा—“भगवान राम से जुड़े भव्य भवन के अब सिर्फ अवशेष बचे हैं। इस बिल्डिंग के जो टूटे-फूटे अवशेष रहगए हैं, उन पर अभी भी हिंदू पुजारी श्रीराम की पूजा करते हैं और देश भर से हिंदू यहाँ आकर दर्शन करते हैं। इसे रामकोट कहा जाता है।” मतलब साफ है कि राममंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी वहाँ एक चबूतरे पर हिंदू पूजा कर रहे थे। यहवहवक्त था, जब बाबरी मस्जिद अस्तित्व में आ चुकी थी। फिंच जिस भव्य भवन के अवशेषों की बात करते हैं, असल में ऊँचा सा टीला था, जिसे रामकोट कहा जाता था।

‘सहीफा-ए-चहल नसैहबहादुर शाही’ इस किताब को बहादुरशाहआलमगीर की पुत्री और औरंगजेब की पोती ने 17वीं शती के उत्तरार्द्ध में लिखा। 1856 में लखनऊ से छपी ‘हदीका-ए-शहदा’ के लेखक मिर्जा जान ने फारसी में लिखी किताब को उद्धृत किया है, जिसमें औरंगजेब की पौत्री ने 1707 में अयोध्या के बारे में लिखा—“इस्लाम की फतहको ध्यान में रखते हुए मुस्लिम बादशाहों को मूर्तिपूजक हिंदुओं के साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, उन्हें गुलामी में रखना चाहिए और जजिया वसूलना चाहिए। इसके अलावा मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान, अयोध्या और सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, उनको लगातार नमाज और

खासतौर पर जुमे की नमाज के लिए उपयोग करना चाहिए। इस पर ज्यादा सख्ती करनी चाहिए कि हिंदू सार्वजनिक तौर पर पूजा-पाठ न कर पाएँ और मुसलमानों के कानों में मंदिरों की घंटियों की आवाज न पहुँचे।"

ऐसे ढेर सारे दस्तावेजी सबूत हैं, जो बताते हैं कि अयोध्या को सैकड़ों-हजारों साल से राम की जन्मभूमि माना गया है। बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी इसकी पहचान राम की राजधानी के रूप में ही रही। 1735 में फैजाबाद के काजी के दस्तखत वाला एक दस्तावेज मिलता है, जिसमें लिखा है, "मुसलमानों के बीच उस मस्जिद पर कब्जे को लेकर भयानक दंगा हुआ, जिसका निर्माण दिल्ली के बादशाहने करवाया था। उस वक्त यहमस्जिद अवध के पहले नवाब बुरहान-उल-मुल्क सादत अली खान (1707-1736) के कब्जे में थी। अयोध्या और काशी के मुद्दे पर मुगल बादशाहों ने हिंदुओं से मोलतोल भी किया, इसके भी सबूत हैं। 1765 में नवाब शुजा-उद-दौला ने अफगानों के हमले के वक्त मराठा राजा राघोबा से मदद माँगी। राघोबा को संदेश भिजवाया था कि अगर मराठा मुगलों की मदद करेंगे तो हिंदुओं के पवित्र शहर अयोध्या और काशी उन्हें वापस कर दिए जाएँगे। लेकिन यहहो नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मराठा पंजाब को फतहकरने की कोशिश में लगे थे, इसलिए यहसमझौता सिरे नहीं चढ़ा। अयोध्या और काशी मुगलों के कब्जे से मुक्त नहीं हो पाईं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार-बार एक तर्क देता रहा है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनाई गई, वही काल महाकवि तुलसीदास का है, फिर तुलसी जैसे रामभक्त ने अपने साहित्य में कहीं राममंदिर को तोड़े जाने का जिक्र क्यों नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जबाव भी इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान एक गवाही में मिला। तुलसीदास ने राममंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का पूरा ब्योरा दिया है। यहभी बताया है कि मीर बाकी ने कब अयोध्या में उत्पात मचाया। हिंदुओं पर कैसे-कैसे अत्याचार किए और राममंदिर को तोड़कर बाबरी ढाँचा खड़ा किया। यहपूरा वृत्तांत महाकवि तुलसीदास ने अपनी रचना 'तुलसी दोहा शतक' में किया है।

कई भाषाओं के जानकार, जगद्गुरु रामभद्राचार्य अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने गवाहके तौर पर पेश हुए। रामभद्राचार्य रामभक्ति शाखा के शीर्ष विद्वान हैं। चित्रकूट में रहते हैं और जन्मांध हैं। उन्होंने कोर्ट के सामने तुलसीदास के दोहा शतक को रखा। रामभद्राचार्य ने कोर्ट के सामने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा बाबर के सेनापति मीर बाकी के जुल्मों और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का संदर्भ रखा।

मंत्र उपनिषद् ब्राह्मनहुँ बहु पुरान इतिहास।
जवन जराये रोष भरि करि तुलसी परिहास॥
सिखा सूत्र से हीन करि, बल ते हिंदु लोग।

भमरि भगाये देश ते, तुलसी कठिन कुजोग॥
बाबर बर्बर आइके, कर लीन्हे करवाल।
हने पचारि पचारि जनल, तुलसी काल कराल॥
संबत सर वसु बान भर नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमानि।
तुलसि अवधहिं जड़ भवन, अनरथ किए अनखानि॥
राम जन्म मंदिर महिं मंदिरहिं, तोरि मसीत बनाय।
जबहि बहु हिंदुन हते, तुलसी कीन्ही हाय॥
दल्यो मीर बाकी अवध, मंदिर राम समाज।
तुलसी रोवत हृदय अति, त्राहि त्राहि रघुराज॥
राम जन्म मंदिर जहँ, लसत अवध के बीच।
तुलसी रची मसीत तहँ, मीर बाकी खल नीच॥
रामायन धरि घंट जहँ श्रुति पुरान उपखान।
तुलसी जवन अजान तहँ, करान अजान॥

तुलसी ने जो लिखा, लगता है, उनका आँखों देखा हाल है। तब न बाबरी एक्शन कमेटी थी, न राम जन्मभूमि न्यास। तुलसीदास ने जो देखा, वही लिखा होगा। हिंदी के कुछ वामपंथी आलोचक तुलसीदास के इस दोहा शतक की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े करते हैं। वामपंथी आलोचक नामवर सिंहमेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इस 'दोहा शतक' नाम के ग्रंथ की प्रामा णिकता संदिग्ध है। पर हाईकोर्ट ने दोहा शतक को संज्ञान में लिया, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण की हकीकत बयाँ करने वाला एक और सबूत दीवार पर टँगा है। बाबरी

मस्जिद की भीतरी दीवार पर एक शिलालेख था। इस पर किसी तरहका विवाद नहीं है। फारसी भाषा में लिखे 1528 के इस शिलालेख में बाबरी मस्जिद को बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने बनवाया, यहसाफ-साफ लिखा है। यहशिलालेख 1528 का है, जिस साल बाबरी मस्जिद बनी थी। शिलालेख में लिखा गया—'बादशाहबाबर के आदेश से, जिसके न्याय की इमारत इतनी ऊँची है कि यहधरती और आसमान को एक करती है...फरिश्तों की इस इमारत का निर्माण ताकतवर मीर बाकी ने कराया...।'

इसके बाद अकबर की जीवनी लिखने वाले अबुल फजल ने 'आईने अकबरी' में सन् 1598 में हिंदुओं के लिए अयोध्या के महत्त्व और राम की पूजा का जिक्र किया है। अबुल फजल ने लिखा—"अयोध्या जिसे आमतौर पर अवध के नाम से जाना जाता है, जो पूरब में चालीस कोस और उत्तर में बीस कोस तक फैली है, इसे भूमि का एक पवित्र टुकड़ा माना जाता है। यहअवध देश के सबसे बड़े नगरों में से एक है और इसकी मान्यता सबसे पुराने शहर के रूप में है। यहत्रेतायुग में रामचंद्र जी का निवास था, जिन्हें उनके शासन और धर्मनिष्ठा के लिए आदर्श माना जाता है। अकबर ने हिंदुओं में श्रीराम के प्रति आस्था को देखते हुए राम और सीता की आकृति बनी मोहरें भी जारी की थीं।" सन् 1695-96 में औरंगजेब के मंत्री सुजान राय भंडारी ने लिखा—अयोध्या श्रीराम की राजधानी है और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है। लेकिन उसने भी बाबरी

मस्जिद का जिक्र नहीं किया।

इसी तरह1766-71 के बीच एक ऑस्ट्रियन पादरी जोसफ टाइफेनथलर ने भी अयोध्या के बारे में लिखा। जोसफ ने अपना वृत्तांत जर्मन में लिखा था। उसका अनुवाद फ्रेंच, बाद में अंग्रेजी और फिर हिंदी में हुआ। हालाँकि जोसफ हिंदुस्तानी और संस्कृत भी जानते थे। इस वृत्तांत का जिक्र भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में है। जोसफ टाइफेनथलर ने लिखा—“अवध जिसे ज्यादा हिंदू अजुध्या के नाम से जानते हैं, इसकी पहचान भारत के प्राचीनतम शहरों में होती है। अब इस शहर में ज्यादा जनसंख्या नहीं है। इस शहर में नदी के ऊँचाई वाले किनारे पर एक भव्य मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बना दी गई। औरंगजेब मोहम्मद के धर्म का प्रचार करना चाहता था, हिंदुओं को ‘कनवर्ट’ करना चाहता था, इसलिए उसने हिंदुओं के पूजा-स्थानों को तोड़ा। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर उसके सामने दो चबूतरों वाली मस्जिद बनवाई। यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान था सीता की रसोई। इसे राम की पत्नी सीता का चबूतरा भी कहा जाता है। यहीं राम चबूतरा था, इसे तोड़कर औरंगजेब ने तीन गुंबदों वाला मोहम्मद का मंदिर यानी मस्जिद बनवा दी। हालाँकि बहुत से लोग यहभी कहते हैं कि यहमस्जिद बाबर ने बनवाई। इसमें चौदहकाले पत्थर के खंभे लगवाए गए। ये वही खंभे हैं, जो राम चबूतरे की तरफ इशारा करते हैं। औरंगजेब या बाबर ने इस मंदिर को सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के

लिए ध्वस्त किया था। लेकिन हिंदुओं ने दोनों जगहों पर पूजा करना जारी रखा, एक जिसे राम का जन्मस्थान कहते हैं और दूसरा राम चबूतरा। चैत्र महीने के 24वें दिन इस जगहपर देश के अलग-अलग इलाकों से हिंदू बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और राम का जन्मदिन मनाते हैं।"

जोसफ के बयान से एक 'कन्फ्यूजन' यहहुआ कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई या औरंगजेब ने। हालाँकि जोसफ ने आगे इस भ्रम को खुद ही दूर कर दिया यहलिखकर कि बहुत से लोग कहते हैं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। यहघुमक्कड़ पादरी भारत के 22 राज्यों में गया था।

राम जन्मभूमि पर कब्जा कर वहाँ मस्जिद बनाई गई, इसे अवध के गजेटियर 1877 में पुष्ट किया गया। गजेटियर में पी. कारनेगी ने लिखा—"मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पर कब्जे की जो कोशिश की, उसमें उन्हें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। वे तीसरी कोशिश में राम जन्मभूमि पर कब्जा करने में कामयाब हुए। बाबरी मस्जिद के गेट पर हुए संघर्ष में करीब 75 मुसलमान मारे गए और 11 हिंदुओं की जान गई। इस वक्त तक हिंदू इसमें पूजा करते थे। लेकिन बार-बार के झगड़े से बचने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने बीच में लोहे की रेलिंग लगवा दी। जिसके अंदर मुसलमान इबादत कर सकते थे और रेलिंग के बाहर हिंदुओं ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिस पर हिंदू पूजा करते थे।"

असल में 1855 के जिस जेहाद की चर्चा होती है, उस जेहाद में हिस्सा लेने वाले एक मुसलमान मिर्जा जान ने 1856 में लिखा—"मुगल बादशाहों ने बनारस और काशी में मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से मस्जिदें बनाईं, ऐसा ही अयोध्या में हुआ। अयोध्या राम के पिता की राजधानी कही जाती है। यहहिंदुओं के लिए पूजा का सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ मंदिर की एक-एक दीवार को तोड़कर उसके मलबे और पत्थरों से ही मस्जिद बनाई गई है। जहाँ विशाल मंदिर था, उसे तोड़कर मैदान कर दिया गया। उसे ही मस्जिद का अहाता बनाया गया। बादशाहबाबर ने यहकाम तो बहुत अच्छा किया, 1526 में मंदिर को तोड़कर शानदार मस्जिद बनवाई, लेकिन मुश्किल यहहै कि अभी भी यहमस्जिद सीता की रसोई मस्जिद के तौर पर ही जानी जाती है।"

सन् 1856 में अवध में नवाबों की हुकूमत खत्म हो गई। इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके दो साल के बाद 30 नवंबर, 1858 को बाबरी मस्जिद के मुअज्जीन ने कोर्ट में अपील की, जिसमें बाबरी मस्जिद को जन्मस्थान मस्जिद लिखा गया। इस अपील में कहा गया कि 'जन्मस्थान मस्जिद' सैकड़ों साल से वीरान पड़ी है, इस पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। वहाँ लगातार पूजा हो रही है। हिंदुओं को पूजा करने से रोका जाए।' मतलब साफ था, उस वक्त भी बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी और वहाँ हिंदू लगातार पूजा कर रहे थे।

मतलब साफ था, उस वक्त भी बाबरी मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी और वहाँ हिंदू लगातार पूजा कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के अयोध्या आंदोलन को शुरू करने तक यहबात आम थी कि बाबरी मस्जिद राममंदिर की जगहपर ही बनवाई गई थी। लेकिन अयोध्या आंदोलन के बाद वाम इतिहासकारों ने इसे ब्रिटिशर्स द्वारा फैलाया गया झूठ करार दिया। एक ऐसा झूठ, जो उनके मुताबिक हिंदू और मुसलमानों को बाँटने के लिए फैलाया था।

विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के अयोध्या आंदोलन को शुरू करने तक यहबात आम थी कि बाबरी मस्जिद राममंदिर की जगहपर ही बनवाई गई थी। लेकिन अयोध्या आंदोलन के बाद वाम इतिहासकारों ने इसे अंग्रेजों द्वारा फैलाया गया झूठ करार दिया। एक ऐसा झूठ, जो उनके मुताबिक हिंदू और मुसलमानों को बाँटने के लिए फैलाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अयोध्या का धर्म और संस्कृति के प्रति हमेशा से ही एक सर्वग्राही, विश्वव्यापी चरित्र रहा है। यहसही भी है। भारत के सभी उपासना पंथों ने अयोध्या को श्रेष्ठ माना है। बौद्ध अयोध्या को भगवान बुद्ध की लीला-स्थली के तौर पर देखते हैं। उनके धार्मिक ग्रंथ 'साकेत' में इस बात का जिक्र है कि गौतम बुद्ध कई वर्षों तक यहाँ रहे। तप किया। अनेक महत्त्वपूर्ण सूक्तों को यहीं कहा। जैनियों को भरोसा है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेवजी (आदिनाथ) और दूसरे चार तीर्थंकरों का

जन्म अयोध्या में हुआ था। फाहियान के यात्रा-वृत्तांत में अयोध्या में पाँच जैन मंदिरों का जिक्र मिलता है। जैनों के 24 में से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकुवंशीय थे। इक्ष्वाकुवंशियों की राजधानी अयोध्या ही थी। लेकिन अयोध्या में कभी हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों के आपसी संघर्ष के प्रमाण नहीं मिलते। ब्रिटिश अफसरों और संगठनों ने इसे लगातार हिंदू नगरी साबित करने पर जोर दिया। इसकी शुरुआत मांटगोमरी मार्टिन से हुई। मार्टिन को पूर्वी भारत के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य संगृहीत करने का काम ब्रिटिश हुकूमत ने सौंपा था। मांटगोमरी आयरलैंड में जन्मा ब्रिटिश इतिहासकार और सांख्यकीविद् था।

उसने सन् 1838 में पाँच खंडों में भारतीय साम्राज्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उसने अयोध्या को हिंदू नगरी करार दिया और पड़ोस के फैजाबाद को मुस्लिम शहर की संज्ञा दी। पैट्रिक कारनेगी, जो फैजाबाद का पहला ब्रिटिश कमिश्नर था, उसने इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया। कारनेगी ने अवध का गजेटियर लिखा। इस गजेटियर में पहली बार मस्जिद को मस्जिद-मंदिर लिखा। उसके मुताबिक अवध के नवाब की कुरसी साल 1740 में अयोध्या से फैजाबाद स्थानांतरित हो गई। इसी के बाद से अयोध्या ने हिंदू नगरी के तौर पर विकसित होना शुरू कर दिया। डब्ल्यू.सी. बेनेट ने भी अवध प्रांत का गजट तैयार किया। उसने 1877 में अयोध्या के बारे में अहम टिप्पणी की। बेनेट ने कहा, “यहऔरंगजेब के अत्याचारों के चलते

एक राष्ट्रीय भावना के पैदा होने से हुआ हो या मराठों की सफलता से हुआ हो या फिर रामायण के लोकप्रिय भाषा में अनुवाद से। अयोध्या एक बार फिर से जनमानस में पवित्र नगरी रूप में प्रतिष्ठित हो गई।" बाद के गजेटियरों ने बेनेट के तथ्य पर मुहर लगाई। उदाहरण के लिए बाराबंकी गजेटियर (1902) और फैजाबाद गजेटियर (1905)। इन दोनों ही गजेटियर को एच.आर. नेविल ने लिखा था। नेविल इतिहास का जानकार ब्रिटिश अफसर था। उसने उन्हीं तथ्यों को दुहराया।

मार्टिन पहला व्यक्ति था, जिसने विक्रमादित्य की पौराणिक कहानी का जिक्र किया। उसने बाबर या औरंगजेब द्वारा मंदिर के नष्ट किए जाने का विवरण भी दिया। उसके ब्योरे फ्रांसिस बुकानन द्वारा संगृहीत सामग्रियों पर आधारित थे। उसने मस्जिद के भीतर काले पत्थर के खंभों का भी जिक्र किया था और कहा था कि ये एक हिंदू इमारत से लिये गए हैं। बाद में ए.एस.आई. (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) ने इन्हीं खंभों को मंदिर के पक्ष में सबसे मजबूत सबूत माना। एडवर्ड थार्नटन ने सन् 1858 के अपने गजेटियर में इन सूचनाओं की तस्दीक की। थार्नटन सन् 1838 के आसपास गोरखपुर के कलेक्टर थे। इसके बाद सर एच.एम. इलियट ने लिखा कि राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए। उन्होंने 360 जगहों पर मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर राम के साथ अपने जुड़ाव के चलते पवित्र समझे गए। 19वीं शताब्दी के

अधिकतर ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा कि इन सारे 360 मंदिर को बाद में मुसलमानों ने नष्ट कर दिया। हिंदुओं ने औरंगजेब की मौत के बाद इन मंदिरों के अवशेषों पर नए मंदिर बना लिये। कारनेगी उदाहरण के तौर पर लिखता है —"यहबात स्थानीय तौर पर पुष्ट होती है कि मुसलमानों की विजय के वक्त अयोध्या में तीन महत्त्वपूर्ण हिंदू मंदिर थे। इनमें जन्मस्थान मंदिर, स्वर्गद्वार मंदिर और त्रेता का ठाकुर मंदिर था। पहले पर बाबर ने मस्जिद बनवा दी, जिस पर अब भी उसका नाम खुदा है। दूसरे मंदिर पर औरंगजेब ने भी वही काम किया; जबकि तीसरे पर उसने या फिर उसके परवर्ती ने मस्जिद बना दी। ये सब इस्लाम के उस मशहूर सिद्धांत के आधार पर किया गया, जिसके तहत उन सभी पर धर्म थोप दिया जाता है, जिन्हें जीत लिया गया हो।"

"यहबात स्थानीय तौर पर पुष्ट होती है कि मुसलमानों की विजय के वक्त अयोध्या में तीन महत्त्वपूर्ण हिंदू मंदिर थे। इनमें जन्मस्थान मंदिर, स्वर्गद्वार मंदिर और त्रेता का ठाकुर मंदिर थे। पहले पर बाबर ने मस्जिद बनवा दी, जिस पर अब भी उसका नाम खुदा है। दूसरे मंदिर पर औरंगजेब ने भी वही काम किया; जबकि तीसरे पर उसने या फिर उसके परवर्ती ने मस्जिद बना दी। ये सब इस्लाम के उस मशहूर सिद्धांत के आधार पर किया गया, जिसके तहत उन सभी पर धर्म थोप दिया जाता है,

जिन्हें जीत लिया गया हो।”

पीटर कारनेगी लिखता है कि जन्मभूमि का मतलब उस जगहसे था, जहाँ राम पैदा हुए थे। स्वर्गद्वार का आशय उस दरवाजे से था, जिसके जरिए उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया और त्रेता का ठाकुर वहजगहथी, जहाँ उन्होंने महान बलिदान दिया। नेविल ने भी कारनेगी के ब्योरे को ही दोहराते हुए आगे जोड़ा—“शहर के सर्वाधिक पवित्र स्थल के अपवित्रीकरण ने हिंदू और मुसलमानों के बीच बेहद कटुता पैदा कर दी।”

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रमुख पुरातत्त्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना के अफसर और पुरातत्त्ववेत्ता थे, जिन्होंने बाद में सारनाथ (वाराणसी) और साँची में खुदाई भी की। उन्होंने 1862-63की अपनी रिपोर्ट में लिखा है— “शहर के हृदय में ही जन्मस्थान या राम के जन्मस्थल का मंदिर है।” कनिंघम बाद में इंडियन आर्केलॉजिक सर्वे के पहले डायरेक्टर बने। साल 1819 में जान लेडेन ने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के वृत्तांत का अंग्रेजी अनुवाद किया था। लेडेन स्कॉटलैंड के रहने वाले इतिहासवेत्ता थे। उन्होंने लिखा कि बाबर ने 28 मार्च, 1528 को अयोध्या के नजदीक डेरा डाला था। विलियन एर्सकिन ने 1826 में एक दस्तावेज हासिल करने का दावा किया। यहदस्तावेज बाबर के एक पखवाड़े तक अयोध्या में ठहरने और उसके निर्माण की गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि करता था। एर्सकिन ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। सेना में रहते

उन्होंने यहदस्तावेज हासिल किया था। 1922 में एनेट एस बेवेरिज ने 'बाबरनामा' का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि बाबर ने 28 मार्च, 1526 को अयोध्या के 72 मील उत्तर में डेरा डाला था। बाबरी समर्थक इतिहासकारों का आरोप है कि ब्रिटिश लेखकों ने अयोध्या की इन घटनाओं को याद करते हुए निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं लिया। वे बाबरी मस्जिद को जन्मस्थान कहने पर ही जोर देते रहे।

बाबरी समर्थक इतिहासकारों के आरोप इस लिहाज से बेमानी हैं कि ब्रिटिश लेखकों की रुचि विशेष तौर पर अयोध्या के हिंदू इतिहास में नहीं थी। अलेक्जेंडर कनिंघम अयोध्या हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के प्रमाण खोजने नहीं गया था। वहउन बौद्ध स्मारकों और स्थानों को तलाशने गया था, जिनका जिक्र चीनी यात्रियों फा ह्यान एवं ह्वेनसांग ने किया था। जबकि कारनेगी का तर्क था कि मस्जिद के स्तंभ बौद्ध स्तंभों से मेल खाते हैं। हालाँकि उसने स्थानीय मान्यता को स्वीकार किया कि बाबर ने जन्मस्थान मंदिर पर मस्जिद बनवाई। मगर इसे मुश्किल से ही ब्रिटिश इतिहासकारों की संलिप्तता का सबूत माना जा सकता है।

राम के जन्म को लेकर भी दावों-प्रतिदावों का भरा-पूरा इतिहास है। कंप्यूटर गणना के मुताबिक श्रीराम का जन्म 10 जनवरी, 3114 बी.सी. की दोपहर माना जाता है। भारतीय कलेंडर के अनुसार यहचैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नौवें दिन है। यही वहसमय और तिथि है,

जब भारत भर में रामनवमी मनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 4 श्लोक (16-17-18-19) में कहा गया है कि दशरथ श्रीराम को राजा बनाना चाहते थे। सूर्य, मंगल और राहु ने उनके नक्षत्र को घेर रखा था। ऐसी स्थिति में राजा की मौत होती है या फिर वहसाजिशों का शिकार होता है। दशरथ की राशि मीन थी और उनका नक्षत्र रेवती था। नक्षत्रों की दशा 5 जनवरी, 5089 बी.सी. को कुछ ऐसी ही थी। इसी दिन श्रीराम अयोध्या से 14 साल के वनवास को चले थे। उस समय वे 25 साल के थे। उनकी यहउम्र बताने के लिए वाल्मीकि रामायण में कई श्लोक हैं। जब रावण की मृत्यु हुई, वहसमय 4 दिसंबर, 5076 बी.सी. का था। श्रीराम ने 14 साल का वनवास 2 जनवरी, 5075 बी.सी. को पूरा कर लिया था। श्रीराम 39 साल की उम्र में अयोध्या वापस आते हैं।

अंग्रेज यात्री विलियम फिंच, ने साल 1608 से 1611 के बीच भारत की यात्रा की थी, फिंच ने राम के जन्म की इस स्थली के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा का जिक्र किया है। उसने इन अवशेषों में ब्राह्मणों की उपस्थिति का भी जिक्र किया है। फिंच, जो बाबर के 80 साल बाद भारत पहुँचा, उसने इस स्थल पर हिंदुओं की सक्रिय मौजूदगी की पुष्टि की है। दिलचस्प बात यहभी है कि उसने मुस्लिमों के नमाज पढ़ने का कोई जिक्र नहीं किया है।

अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने साल 1608 से 1611 के बीच भारत की यात्रा की थी, फिंच ने राम के जन्म की इस स्थली के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा का जिक्र किया है। उसने इन अवशेषों में ब्राह्मणों की उपस्थिति का भी जिक्र किया है। फिंच, जो बाबर के 80 साल बाद भारत पहुँचा, ने इस स्थल पर हिंदुओं की सक्रिय मौजूदगी की पुष्टि की है। दिलचस्प बात यहभी है कि उसने मुस्लिमों के नमाज पढ़ने का कोई जिक्र नहीं किया है। यहतथ्य इस सवाल को जन्म देता है कि क्या मस्जिद को उसके निर्माण के बाद ही उजाड़ छोड़ दिया गया था।

ये सारे तथ्य इस बात के सबूत थे कि यहजगहराम के भक्तों के लिए कितनी पवित्र थी। वाल्टर हैमिल्टन ने भी 1828 के अपने गजट में तीर्थयात्रियों की भीड़ का जिक्र किया है। ये इसी इलाके में निकट आश्रय लेते थे। यहाँ अवध की प्राचीन नगरी और महान राम की राजधानी के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। हैमिल्टन ने यहभी कहा कि धर्मभिक्षु मंदिरों एवं प्रतिमाओं की परिक्रमा करते हैं। पवित्र कुंडों में स्नान करते हैं और पारंपरिक समारोहों का आयोजन करते हैं।

अवध के नवाब वाजिद अली शाहने भी इन तथ्यों की पुष्टि की। 1822 में फैजाबाद की एक अदालत के स्थानीय दरोगा हफीजुल्लाहने भी यही बात कही कि बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद राम के जन्मस्थल पर स्थित है। हिंदुओं के अयोध्या के प्रति समर्पण की आगे की गवाही

एक असंभव से स्रोत से मिलती है। 12 अगस्त, 1855 को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह(1847-1856) ने ब्रिटिश नागरिक मेजर जेम्स आट्रम को एक पर्चा भेजा। इसमें पाँच दस्तावेज शामिल थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के दीर्घकालीन झगड़े की पुष्टि कर रहे थे। ये दस्तावेज थे—

1. अवध के दरोगा मोहम्मद निहालुद्दीन की रिपोर्ट, जिसे राजा ने यहतय करने के लिए नियुक्त किया था कि हनुमानगढ़ी में कोई मस्जिद है या नहीं। 2. फैजाबाद के दरोगा हफीजुल्लाहका दस्तावेज, जो उसने अदालत में दाखिल किया था। 3. फैजाबाद के इमाम का दस्तावेज, 4. सन् 1735 के फैजाबाद के काजी की मुहर लगे दस्तावेज की प्रति, 5. हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पर फैजाबाद के 40 निवासियों का मुहरबंद बयान।

इन पर्चों में मस्जिद की बाबत भी ऐसे ही झगड़ों का जिक्र था। इस मस्जिद को दिल्ली के पूर्व सुल्तानों में से एक ने बनवाया था। लेकिन बाद में हिंदुओं ने ऐलान कर दिया कि उनका मस्जिद के साथ किसी तरहके हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, मौजूदा राजा के शासन के दौरान मस्जिद को हिंदुओं के पूजास्थल से अलग करने की खातिर उठाई गई दीवार गिरा दी गई थी। हिंदुओं ने मस्जिद के भीतर सूअर काटा और उसकी खोपड़ी उड़ा दी। उन्होंने शहीद खुजा हुती की मजार भी ध्वस्त कर दी, जो मस्जिद के नजदीक ही थी। नवाब को

इस बात की शिकायत थी कि वैरागी न सिर्फ संख्या में बहुत अधिक थे, बल्कि उन्हें राजा मानसिंहऔर राजा किशन दत्त के अनुयायियों व दूसरे जमींदारों से खासी मदद भी मिलती थी।

बाबरी समर्थक अध्येताओं के मुताबिक 1857 के महान विद्रोहके दौरान हनुमानगढ़ी के वैरागियों ने ब्रिटिश अधिकारियों को शरण दी और उन्हें व उनके परिवारों के गोंडा बच निकलने में मदद दी। गदर के दमन के बाद ब्रिटिश अफसरों ने उन सभी को पुरस्कृत किया, जिन्होंने उनकी मदद की थी। नतीजतन अयोध्या के राजा मानसिंहकी रियासत में कुछ जागीरें और बढ़ गईं। वैरागियों को कुछ किराया मुक्त भूमि भी मिली और उन्हें बाबरी मस्जिद पर दावे के लिए उकसाया भी गया। इसी समय जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से उठा।

स्थानीय प्रशासन की नई व्यवस्था के मुताबिक हिंदू महंतों को मस्जिद के सामने एक मंच तैयार करने की इजाजत दी। जिससे कि राम के जन्मस्थल को चिह्नित किया जा सके। मस्जिद और मंच के बीच एक जालीदार दीवार खड़ी कर दी गई। हिंदुओं को भीतरी परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया और मुस्लिमों को पूर्वी द्वार से प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई।

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अयोध्या में सांप्रदायिक

हालात 1855 से ही नाजुक थे और हिंदुओं व मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष कभी भी हो सकता था। इसीलिए प्रशासन ने इस मुद्दे पर हुए समझौते की समीक्षा की सिफारिश की और दोनों ही समुदायों के पूजास्थल को भौतिक रूप से अलग कर दिया। स्थानीय प्रशासन की नई व्यवस्था के मुताबिक हिंदू महंतों को मस्जिद के सामने एक मंच तैयार करने की इजाजत दी। जिससे कि राम के जन्मस्थल को चिह्नित किया जा सके। मस्जिद और मंच के बीच एक जालीदार दीवार खड़ी कर दी गई। हिंदुओं को भीतरी परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया और मुस्लिमों को पूर्वी द्वार से प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। वे बाबरी मस्जिद में प्रवेश के लिए सिर्फ उत्तरी गेट से ही अंदर जा सकते थे। हालाँकि इस पूरे नजरिए में जोसफ टाइफेनथलर के लेखन को नजरंदाज किया गया। जिसने गदर के एक शताब्दी पहले अवध की यात्रा की थी। उसने मंच पर हिंदुओं के पूजन का जिक्र किया था, जो साफ तौर से 1857 से बहुत पहले का निर्माण था।

मध्यकालीन इतिहास से जुड़े प्रमाण भी अयोध्या में श्रीराम की गरिमा को पुष्ट करते हैं। बारहवीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को इस क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। कुतुबुद्दीन ने 1206 में दिल्ली का राजकाज सँभाला। 1210 में उसकी मौत हुई और उसके बेटे आरामशाहने राजकाज सँभाला। लेकिन उसके जीजा इल्तुतमिश ने साल भर के अंदर उसे पदच्युत किया। इसके

बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह1325 में गवर्नर बने। कमरुद्दीन करण और फरहत खान को मोहम्मद तुगलक ने इस क्षेत्र का गवर्नर बनाया। मुगलों ने अयोध्या को खासी तवज्जो दी। कई विद्वानों का तो यहभी कहना है कि खुद बाबर राम जन्मभूमि पर 1538 में सेना के साथ गया था। अवध पर मुगल सल्तनत ने अधिकार कर लिया। मुगलों के सुल्तान अकबर ने अपने पूरे राज को बारहप्रांतों में बाँटा था। इनमें अवध का स्थान सबसे महत्त्वपूर्ण था। दिल्ली में बैठे सुल्तान के लिए इन सबको सँभाले रखना काफी चुनौतीपूर्ण था। मुगलों की हालत मोहम्मद शाहके समय से 1722 तक काफी कमजोर हुई, जब नए गवर्नर सादत खान ने जिम्मेदारी सँभाली। वे भारत 1705 ए.डी. में आए थे और मुगल शहंशाहमोहम्मद शाहके करीबी हो गए। उन्हें 1722 में अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया। इस दौरान तकरीबन 139 साल की अवधि में आठ गवर्नर हुए। अवध के तहत पाँच जिले खलीलाबाद, गोरखपुर, बहराइच, फैजाबाद और लखनऊ थे।

अवध की सीमा उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों, पूर्व में बिहार, दक्षिण में इलाहाबाद प्रांत में कड़े मानिकपुर तक थी। यहप्रांत 230 मील चौड़ा 1,0171,080 बीघा क्षेत्र में था। स्थानीय राजा, जमींदार, जागीरदार ने कुप्रबंध फैला रखा था और क्षेत्र में अशांति थी। सादत खान ने उन पर काबू पाया। अयोध्या के पास ही अपना महल बनवाया और एक नया शहर फैजाबाद बसाया। नई सरकार की

यहराजधानी बना। नवाब वाजिद अली शाहने लखनऊ-कानपुर-लखनऊ और फैजाबाद के बीच पक्की सड़कें बनवाईं, जिससे हिंदूभक्त गंगा नदी और राम जन्मभूमि तक आसानी से आ-जा सकें।

यहसच है कि अवध के नवाबों ने मुगल शहंशाहअकबर के धर्मों के प्रति सहिष्णु होने की नीति अपनाई और शासन की नींव मजबूत की। अवध रॉयल हाऊस के संस्थापक नवाब सदर खान ने अपनी सेना में काफी बड़ी तादाद में हिंदू रखे थे, जिससे वहअपना लक्ष्य हासिल कर सका। कोरा के दुर्जन सिंहचौधरी उसकी सेवा में काफी लंबे समय तक रहे। दीवान आत्माराम पंजाब के थे और श्रीराम के उपासक थे, प्रायः राम जन्मभूमि जाते थे कि नवाब सादत खान से उनके ऐसे गहरे ताल्लुकात थे। नवाब उनके साथ रामनवमी के खास मौके पर राम जन्मभूमि भी जाते थे।

इन नवाबों के राज-काज के दौरान 'बाबरी ढाँचे' में कभी नमाज अता नहीं की गई। नवाब शुजा-उद-दौला के बेटे आसफ-उद-दौला ने 1775 में अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर ली थी। वहअल्लाहका पुजारी था और नमाज नियमित अता करता था। उसने एक मौला को उसकी ओर से नमाज अता करने को कहा था। उसने प्रशासन में भी अपने पूर्ववर्ती नवाब की ही तरहहिंदुओं को वही इज्जत दी, जो उन्हें पहले से मिलती रही थी। आसफ-उद-दौला के हिंदू दीवान महाराज टिकैत राय

सर्वोच्च पदों पर रहे। उनका महल राजा नवल राय के बराबर था। महाराज टिकैत राय ने टिकैत नगर और टिकैतगंज नाम के कस्बे भी बसाए। उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की सफेदी भी कराई। आसफ-उद-दौला अकेला ऐसा नवाब था, जिसने बाबरी ढाँचे के बाहर लिखवाया कि यहस्थान हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं के तहत पूजा-पाठ के लिए सुरक्षित है।

अब शुरू होता है अयोध्या में मुकदमेबाजी का सिलसिला

साल 1857 के बाद राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद पर अदालती कार्रवाइयों के ढेर सारे प्रमाण हिंदुओं के इस स्थान पर दावों की पुष्टि करते हैं। ये इस बात को भी प्रमा णित करते हैं कि हिंदू त्योहारों पर वहाँ खास इंतजाम होते रहे हैं।

राम जन्मभूमि विवाद का पहला उपलब्ध प्रमाण अवध के थानेदार शीतल दूबे की 28 दिसंबर, 1858 की वहरिपोर्ट है। इसमें मस्जिद जन्मस्थान के बीचोबीच पंजाब निवासी निहंग सिख फकीर खालसा की पूजा का जिक्र है। निहंग ने गुरु गोविंद सिंहके लिए हवन और पूजन का आयोजन किया था और मस्जिद परिसर के भीतर श्री भगवान का प्रतीक चिह्न भी स्थापित किया था। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद जन्मस्थान में धार्मिक ध्वज फहराने के लिए वहाँ 25 सिख भी उपस्थित थे।

राम जन्मभूमि विवाद का पहला उपलब्ध प्रमाण अवध के थानेदार शीतल दूबे की 28 दिसंबर, 1858 की वहरिपोर्ट है। इसमें मस्जिद जन्मस्थान के बीचोबीच पंजाब निवासी निहंग सिख फकीर खालसा की पूजा का जिक्र है। निहंग ने यहाँ गुरु गोविंद सिंहके लिए हवन और पूजन का आयोजन किया था और मस्जिद परिसर के भीतर भगवान का प्रतीक चिह्न भी स्थापित किया था। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद जन्मस्थान में धार्मिक ध्वज फहराने के लिए वहाँ उस वक्त 25 सिख भी उपस्थित थे।

दो दिन बाद ही बाबरी मस्जिद के खातिब और मुअज्जिन मुहम्मद असगर ने इस मामले पर ब्रिटिश अधिकारियों को शिकायती अर्जी दी (केस नंबर-884, मुहल्ला कोट रामचंद्र, अयोध्या)। उनकी यहशिकायत इस विवाद का सबसे पुराना व्यक्तिगत और निजी दस्तावेज है, जो उस वक्त की स्थितियों पर रोशनी डालता है। इस शिकायत के मुताबिक पंजाब के रहने वाले एक निहंग सिख और एक सरकारी कर्मचारी ने मेहराब और इमाम के चबूतरे के पास एक मिट्टी का चबूतरा बनाया था और इस पर एक धार्मिक तस्वीर भी रख दी। वहाँ रोशनी और पूजा के लिए अग्नि प्रज्वलित की गई और हवन जारी रहा। पूरी मस्जिद में कोयले से राम-राम लिख दिया गया। मुहम्मद असगर ने यहभी कहा कि बाबरी मस्जिद की बाहरी जगह(मस्जिद की चारदीवारी के भीतर का आँगन) में जन्मस्थान वीरान पड़ा है, जहाँ हिंदू सैकड़ों साल से पूजा

करते आ रहे थे। उसने जोर देकर कहा कि थानेदार शिवगुलाम की साजिश के चलते वैरागियों ने रातोरात एक बालिश्त की ऊँचाई का चबूतरा बना दिया। जब तक कि इसे रोकने का आदेश या निषेधाज्ञा जारी की जाती, तब तक डिप्टी कमिश्नर ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया और वैरागियों पर जुर्माना लगा दिया। "लेकिन अब चबूतरा एक गज की ऊँचाई तक उठा दिया गया था।" मुहम्मद असगर ने इस वास्ते शहर कोतवाल से उस स्थल का मुआयना करने, नए निर्माण को ध्वस्त करने को कहा। साथ ही हिंदुओं को वहाँ से हटाने की गुजारिश की। उसने कहा कि प्रतीक और मूर्तियाँ वहाँ से हटा दी जाएँ और दीवारों की लिखावट को धो दिया जाए।

इसी राम चबूतरे पर पूजा-पाठ और अखंड कीर्तन चलता रहता था। फोटो : राजेंद्र कुमार

इस दस्तावेज की प्रामाणिकता और इसे लिखने वाले व्यक्ति की पहचान संदेहसे परे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस दस्तावेजों को अकाट्य प्रमाण के तौर

पर स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा, हिंदू मस्जिद में, भीतरी आहाते में और साथ ही बाहरी आहाते के राम चबूतरे और सीता रसोई में पूजन-अर्चन करते थे। यहअसंभव होता, अगर पूरा परिसर मुस्लिमों के स्वामित्व में होता।

जस्टिस एस.यू. खान ने मुस्लिमों की इस स्वीकारोक्ति पर गौर किया कि 19वीं शताब्दी के मध्य से ही बाहरी हिस्सा, जिसमें राम चबूतरा आता था, का हिंदू उपयोग करते थे। जस्टिस खान ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि इस जगहपर विवाद का 1885 में न्यायिक संज्ञान लिया गया था और 1885 के बाद से विभिन्न सरकारी अफसरों के रिकार्ड में भी यहतथ्य दर्ज है।

30 नवंबर, 1858 को एक आदेश पारित किया गया कि फकीर सिंहको वहाँ से बेदखल किया जाए, जिसे थानेदार शीतल दूबे ने फकीर सिंहको सूचित किया। 1 दिसंबर, 1858 की अपनी रिपोर्ट में थानेदार शीतल दूबे ने फिर कहा कि फकीर सिंहइस बात पर जोर देता रहा कि हर एक स्थान निरंकार से संबंधित है और उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। बार-बार कहने के बावजूद उसने वहजगहनहीं छोड़ी। इसके बाद इस सिलसिले में कई आदेश जारी किए गए, जिनका मजमून यहथा कि अगर फकीर सिंहइस जगहको नहीं छोड़ता है तो उसे गिरप्तार कर लिया जाए। आखिरकार 10 दिसंबर, 1858 को थानेदार ने रिपोर्ट दी कि मस्जिद जन्मस्थान से झंडा उखाड़ दिया गया है और वहाँ रहने वाले फकीर सिंहको

हटा दिया गया है। पर उस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद में मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ने या फिर इसकी बहाली का कोई जिक्र नहीं था। अगला उपलब्ध रिकार्ड डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट में दाखिल बाबरी मस्जिद के खातिब मीर राजिब अली (मीर राजिब अली बनाम असकोली सिंह) का एक आवेदन है। इसमें बाबरी मस्जिद के भीतर बनाए गए चबूतरे को हटाने की फरियाद की गई है। मीर राजिब अली ने निवेदन किया कि करीब 30 दिन पहले प्रतिवादी निहंग ने बाबरी मस्जिद के बगल के कब्रिस्तान में छोटा चबूतरा बना लिया, जिसे वहदिन-प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा था। इसके साथ ही वहीं करीब 6 महीने पहले हनुमानगढ़ी के महंत हरी दास ने जबरिया अपना घर बनाने की कोशिश भी की। इस सिलसिले में मामला दर्ज किया गया और महंत को दखल न देने की बाबत निजी मुचलका भरना पड़ा। कमिश्नर ने पाया कि मस्जिद के मैदान में तनाव और आतंक पैदा करने के मकसद से एक झंड़ा गाड़ दिया गया था, जिसे उखड़वा दिया गया।

मीर राजिब अली ने इस बात का भी विरोध किया कि जब मोअज्जिन अजान पढ़ते हैं, विपक्षी पार्टी शंख बजाने लगती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वहचाहता था कि “नए बनाए गए चबूतरे को, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था, उसे ढहाया जाए। साथ ही विपक्षी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिया जाए कि वहकभी भी अवैध रूप से मस्जिद की संपत्ति में दखलंदाजी न करे और अजान के

वक्त शंख नहीं बजाए। 12 मार्च, 1861 को मीर राजिब अली, मुहम्मद असगर और मुहम्मद अफजल ने फिर से 5 नवंबर, 1860 वाली अपनी शिकायत दोहराई कि बाबरी मस्जिद के पास जन्मस्थान पर जो चबूतरा बना लिया गया था और आदेशों के बावजूद हटाया नहीं गया, उसे हटाया जाए। इस दौरान एक दूसरी शिकायत बाबरी मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद अफजल की ओर से दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि करीब एक महीने पहले 'वैरागियाँ जन्मस्थान राम' ने अवैध रूप से मस्जिद के परिसर के भीतर कुछ ही घंटों में एक कोठरी बना ली। उसका मकसद कोठरी के भीतर मूर्तियाँ रखने का था। वैरागी इस निर्माण को धीरे-धीरे बढ़ा सकते थे, जैसा कि उनकी आदत रही है। इस निर्माण के कारण स्थानीय जनता में काफी दंगे हो चुके थे। मुहम्मद अफजल की माँग थी कि कोठरी को ढहा दिया जाए और मस्जिद को वैरागियों के आक्रोश से बचाया जाए।

ये असगर मियाँ पक्के मुकदमेबाज मालूम पड़ते थे। वे हर महीने एक दरख्वास्त लगा देते। अबकी उनकी दरख्वास में इमली के 21 पेड़ों पर दावा दाखिल किया गया। इस पर जोर दिया कि अवध के जन्मस्थान के निकट स्थित बाबरी मस्जिद के खातिब और मुअज्जिन का पद पैतृक है और इमली के 21 पेड़ प्राचीन काल से उसके पूर्वजों के अधिकार में थे, इसलिए अदालत प्रार्थी के हक में इमली के पेड़ों और कब्रिस्तान से प्रतिवादियों की

बेदखली का आदेश पारित करे।

इस बीच 22 अगस्त, 1871 के अपने फैसले में अदालत ने पाया कि जन्मस्थान और मस्जिद बाबर शाहके दरवाजे के सामने के इमली के पेड़ों पर मुहम्मद असगर का स्वामित्व बखूबी स्थापित होता था। मगर जमीन का मालिकाना हक स्थापित नहीं होता था। अदालत ने कहा— मस्जिद जन्मस्थान के दरवाजे के सामने एक सामान्य कब्रिस्तान और आहाता है, इसलिए जमीन का यहटुकड़ा निजी मिल्कियत नहीं हो सकती है। मुहम्मद असगर बनाम महंत बलदेव दास के मामले में अदालत ने 7 नवंबर, 1873 को वहाँ से चरण पादुकाएँ हटाने का आदेश दिया, जो कथित तौर पर विवादित परिसर में बनाई गई थीं। मुहम्मद असगर ने अदालत से 7 नवंबर, 1873 के आदेश को लागू करने की गुजारिश की। उसने कहा कि एक तरफ तो चरण पादुका हटाई नहीं गईं, दूसरी तरफ महंत बलदेव दास ने उसी परिसर में एक ओर चूल्हा बना लिया, जो पहले कभी नहीं था। मस्जिद की बाउंड्रीवाल के भीतर की एक-एक जगहमस्जिद की ही है। इसे मस्जिद के मुतवल्ली को सौंपना चाहिए, न कि हिंदू प्रतिवादियों को। इस पर स्थानीय अफसरों ने याचियों को मस्जिद की दीवार में उत्तर दिशा की ओर एक नया दरवाजा बनाने की इजाजत दे दी। कोर्ट के आदेशानुसार मूर्तियाँ नहीं हटाई जा सकी थीं। बलदेव दास दीवार पर कई तरहकी गतिविधियाँ करता रहा और रोके जाने पर वहआक्रामक हो जाता तथा

लड़ने- भिड़ने को तैयार हो जाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस तथ्य का संज्ञान लिया कि शिकायत इस बात की प्रमाण थी कि साल 1877 में बाबरी मस्जिद के परिसर में एक चूल्हा भी अस्तित्व में था।

"इस दरवाजे का खुलना उत्सव/मेले के दिनों में जन्मस्थान के लिए आगंतुकों को अलग रास्ता देने के लिए जरूरी था। जाने का सिर्फ एक ही रास्ता खुला था। भीड़ बहुत अधिक थी और इन हालातों में जिंदगी खतरे में थी। मैंने रास्ता खोलने की खातिर जगहको खुद

चिन्हित किया था। यहयाचिका केवल हिंदुओं को नाराज करने की एक कोशिश है, ताकि दूसरे दरवाजे को खोलने या बंद करने की खातिर उन्हें मस्जिद के लोगों पर निर्भर कर दिया जाए। इसमें मुसलमानों की कोई रुचि नहीं हो सकती है।"

अप्रैल 1877 में मोहम्मद असगर ने एक दरख्वास्त और लगाई कि स्थानीय अफसरों ने मंदिर और मस्जिद को अलगाने वाली जो दीवार थी, उसके बीच में दरवाजा खोल दिया है, जो वाजिब नहीं है। इस पर 14 मई, 1877 को कमिश्नर फैजाबाद ने डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "इस दरवाजे का खुलना उत्सव/मेले के दिनों में जन्मस्थान के लिए आगंतुकों को अलग रास्ता देने के लिए जरूरी था। जाने का सिर्फ एक ही रास्ता खुला था। भीड़ बहुत अधिक थी

और इन हालातों में जिंदगी खतरे में थी। मैंने रास्ता खोलने की खातिर जगहको खुद चिन्हित किया था। यहयाचिका केवल हिंदुओं को नाराज करने की एक कोशिश है, ताकि दूसरे दरवाजे को खोलने या बंद करने की खातिर उन्हें मस्जिद के लोगों पर निर्भर कर दिया जाए। इसमें मुसलमानों की कोई रुचि नहीं हो सकती है।" कमिश्नर ने अपील खारिज कर दी, क्योंकि दरवाजे को जनता के हित में डिप्टी कमिश्नर द्वारा खोला गया था।

जस्टिस एस.यू. खान ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि शुरू में पूर्व दीवार में केवल एक ही दरवाजा था। किंतु साल 1877 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उत्तर की ओर दूसरा दरवाजा भी खोल दिया। इसे मुसलमानों की गंभीर आपत्तियों के बावजूद हिंदुओं के नियंत्रण और अधिकार में सौंप दिया गया। दूसरे दरवाजे की जरूरत हिंदू भक्तों की भारी संख्या के चलते पैदा हुई। जो साल में दो बार चबूतरे पर पूजन के लिए इकट्ठा होते थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहजरूरत महसूस की गई। अब यहमुद्दा हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ते विवाद का सबब बन चुका था। आखिरकार समझौते का एक कमजोर सा रास्ता निकाला गया और इस बात पर सहमति बनी कि कोई यूरोपियन अधिकारी दूसरा रास्ता चिह्नित करे, ताकि फिर हिंदू-मुसलमान की पक्षधरता का सवाल खड़ा न हो।

मोहम्मद असगर ने अब जन्मस्थान के महंत रघुबर दास के खिलाफ एक शिकायत दाखिल की और मस्जिद

के गेट के पास चबूतरे के इस्तेमाल के लिए साल 1881-82 की अवधि के किराए का दावा किया। दरख्वास्त में कहा गया कि "मस्जिद जन्मस्थान के सामने का आँगन और चबूतरा वादी की संपत्ति है, जहाँ प्राचीन काल से ही कार्तिक मेले और रामनवमी का आयोजन किया जाता है। दूसरे दिनों में फूल और बताशे की दुकानें सजी रहती हैं। यहठेका 35 रुपए प्रतिदिन का था। वादी और प्रतिवादी इस रकम को 50-50 के अनुपात में बाँटने पर सहमत हुए थे। लेकिन 1881 के कार्तिक स्नान और रामनवमी के पहले ही बचाव पक्ष ने गलत इरादों से 35 रुपए के ठेके के विरुद्ध केवल 30 रुपए के दो हिस्से किए। ऐसा दोनों ही उत्सवों/मेलों के लिए किया गया। इसमें याची की सहमति भी नहीं ली गई।" मोहम्मद असगर ने गुजारिश की कि इस सिलसिले में जुर्माने की रकम के साथ आदेश पारित किया जाए।

ट्रायल कोर्ट ने 18 जून, 1883 को इस मुकदमे को भी खारिज कर दिया। फैजाबाद के उप-न्यायाधीश हरि किशन ने कहा कि मोहम्मद असगर ने चबूतरे और तख्त के लिए किराए का दावा करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया कि ये दोनों ही रघुबर दास के कब्जे में थे। किराए के अपने दावे को बरकरार रखने में वे असफल रहे। उसने गंगा प्रसाद कानूनगो नाम के गवाहको पेश किया, जिसने उसके पक्ष में गवाही दी मगर न्यायाधीश ने इस पर यकीन नहीं किया। जज ने एक प्राइवेट पार्टी के पक्ष में गवाही देने

के लिए कानूनगो के रवैए की आलोचना की, जो एक सरकारी अधिकारी था और उसके पास अपने कहे के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि यहआवेदन इस बात को भी साबित नहीं करता कि मुस्लिम लोगों की ओर से यहाँ लगातार नमाज पढ़ी जा रही थी। अयोध्या में रामनवमी और दूसरे मेलों पर, बाहरी लोगों को कुछ दुकानें खोलने के लिए जमीन के इस्तेमाल की इजाजत थी। मुतवल्ली किराए से मिली इस रकम को निर्मोही अखाड़े के पुजारियों के साथ साझा करता था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि यहआवेदन इस बात को भी साबित नहीं करता कि मुस्लिम लोगों की ओर से यहाँ लगातार नमाज पढ़ी जा रही थी। अयोध्या में रामनवमी और दूसरे मेलों पर, बाहरी लोगों को कुछ दुकानें खोलने के लिए जमीन के इस्तेमाल की इजाजत थी। मुतवल्ली किराए से मिली इस रकम को निर्मोही अखाड़े के पुजारियों के साथ साझा करता था, जो चबूतरे और बाहरी आहाते में बने दूसरे धार्मिक जगहों का प्रबंधन करते थे। मोहम्मद असगर कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने बतौर बाबरी मस्जिद के मुतवल्ली और खातिब एक दूसरा आवेदन दाखिल किया, जिसमें अब इस बात की शिकायत की गई कि उसे मस्जिद की दीवार की पुताई करवाने का अधिकार है। लेकिन रघुबर दास ऐसा करने से रोक रहा है।

रघुबर दास का अधिकार सिर्फ चबूतरे और सीता रसोई तक है। उसने कहा कि दीवार और गेट मस्जिद का ही हिस्सा थे। उसके पास उनकी सफाई का अधिकार था। इस मुद्दे पर असिसटेंट कमिश्नर फैजाबाद ने 22 जनवरी, 1884 को आदेश पारित कर कहा, "रघुबर दास को आहाते के भीतरी और बाहरी हिस्से में मरम्मत आदि करने से प्रतिबंधित किया जाता है और मोहम्मद असगर को सलाहदी जाती है कि वहमस्जिद के बाहरी दरवाजे पर ताला न लगाए। बाहरी दरवाजा खुला छोड़ा जाएगा। यहबेहद जरूरी है कि पूर्ण निरपेक्षता बरती जाए और यथास्थिति बरकरार रखी जाए।" इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि यहआदेश अधिकारियों के उस इरादे को साफ करता है, जिसके तहत विवादित परिसर में लोगों के प्रवेश की बाधाएँ दूर करने की कोशिश की गई है।

अब रघुबर दास की बारी थी। उन्होंने 27 जून, 1884 को असिस्टेंट कमिश्नर से अपील की, जिसमें कहा गया कि निषेध के बावजूद मुसलमान उन जगहों पर पुताई करवा रहे हैं, जो उनके कब्जे में कभी नहीं रही। निरीक्षण करने पर यहतथ्य स्पष्ट हो जाएगा।

अब आता है असल मुकदमा, जिसमें छोटे-मोटे झगड़ों के बाद पहली बार वहाँ मंदिर बनाने की इजाजत माँगी गई। 29 जनवरी, 1885 को महंत रघुबर दास ने एक दावा दाखिल किया, जिसमें 21 फीट गुणा 17 फीट के चबूतरा जन्मस्थान पर मंदिर बनाने की इजाजत माँगी, जो

रघुबरदास के अधिकार में था। अर्जी में कहा गया कि चबूतरे के ऊपर कोई इमारत नहीं है। उसे व दूसरे लोगों को गरमियों में अत्यधिक ताप, सर्दियो में कड़ाके की ठंड और बरसात के मौसम में बारिश से बहुत परेशानी होती है। इसलिए अगर चबूतरे को ढकने के लिए एक मंदिर का निर्माण हो जाए तो किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर मंदिर बना दिया जाए तो याची के साथ ही दूसरे फकीर व तीर्थयात्री सुविधा पा सकेंगे।

रघुबर दास ने अपनी याचिका में कहा कि डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद ने साल 1883 में कुछ मुसलमानों की आपत्तियों के चलते मंदिर के निर्माण को रोक दिया था। इसके बाद उसने स्थानीय शासन से भी गुजारिश की थी, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब न मिलने पर, उसने सचिव स्थानीय शासन के कार्यालय को नोटिस दिया। पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला, इसी वजहसे मुझे यहमुकदमा दायर करना पड़ा।

इस शिकायत के साथ एक नक्शा भी नत्थी किया गया। फैजाबाद के उप-न्यायाधीश (सब जज) ने कोर्ट कमिश्नर गोपाल सहाय अमीन को पूरे बाबरी मस्जिद परिसर का नक्शा तैयार करने का निर्देश दिया। यहनक्शा रघुबर दास द्वारा सौंपे गए नक्शों की तरहही था। जो यहदिखाता था कि भीतरी आहाता और निर्मित हिस्सा मुसलमानों के पास था और बाहरी आहाता, जिसमें सीता रसोई और राम चबूतरा आता था, हिंदुओं के अधिकार में

था।

इस मुकदमे से इलाहाबाद हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सीता रसोई 1884 से पहले की बनी थी, हाईकोर्ट ने कहा, "यहसमझ से परे है कि मीर बाकी या किसी और ने, विवादित परिसर पर मस्जिद बनवाते समय कुछ हिंदू निर्मितियों को बने रहने दिया होगा, वहभी मस्जिद की हद के भीतर, ताकि हिंदू मस्जिद परिसर के भीतर पूजन करते रहें। हमने यहसवाल श्री जिलानी (बाबरी पक्ष के वकील) के सामने रखा और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी मुस्लिम मस्जिद की हद के भीतर मूर्ति पूजन की इजाजत नहीं देगा।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मत का था कि जब मस्जिद पहली बार बनवाई गई थी, परिसर के भीतर कोई भी हिंदू निर्मिति के अस्तित्व की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। ऐसा लगता है कि मस्जिद अपने निर्माण के बाद ही त्याग दी गई प्रतीत होती थी, इसलिए स्थानीय हिंदुओं ने इस मौके का प्रतीकात्मक ढाँचा खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि वे उस जगहपर पूजा-अर्चना जारी रख सकें। जिसे वे भगवान राम का जन्मस्थल मानते थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मत का था कि जब मस्जिद पहली बार बनवाई गई थी, परिसर के भीतर कोई भी हिंदू निर्मिति के अस्तित्व की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। ऐसा लगता है कि मस्जिद अपने निर्माण के बाद ही त्याग

दी गई प्रतीत होती थी, इसलिए स्थानीय हिंदुओं ने इस मौके का प्रतीकात्मक ढाँचा खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि वे उस जगहपर पूजा-अर्चना जारी रख सकें। जिसे वे भगवान राम का जन्मस्थल मानते थे। इस तरहसे मस्जिद के आहाते में वेदी अस्तित्व में आई और जिस पर पादरी टाइफेनथलर ने भी गौर किया था।

महंत रघुबर दास के जवाब में मोहम्मद असगर ने 22 दिसंबर, 1885 को एक लिखित बयान दाखिल किया। इसमें उसने कहा कि बाबर ने मस्जिद बनवाई और 'अल्लाह' शब्द इसके दरवाजे पर खुदवाया, साथ ही मस्जिद के खर्चों के लिए 'माफी' मंजूर की। इसलिए कोई दूसरा वहाँ निर्माण के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। जब तक कि राजा या उनका कोई उत्तराधिकारी, उन्हें इस बात की इजाजत न दे। या फिर जमीन का कोई हिस्सा उसे न दे। वादी महंत रघुबर दास जमीन के मालिक नहीं हो सकते। रघुबर दास ने चबूतरे के मालिकाना हक का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। ऐसे में उन्हें इस पर मंदिर बनाने का कोई अ धिकार नहीं है।

मोहम्मद असगर ने जोर दिया—"अगर वादी समझता है कि उसका या फिर हिंदुओं का इस जगहकोई मालिकाना हक है, यहसही नहीं है। यहस्पष्ट है कि इमामबाड़ा, मस्जिद, कब्रों और दूसरे स्मारकों पर मुस्लिम कभी-कभी अलग-अलग मौकों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। दूसरे दिनों में हिंदू भी 'नज्र औ

नियाज' अर्पित करते हैं। मुस्लिम इमारत में अपना प्रवेश नहीं बंद करते हैं। इसी तरहसे मुस्लिम हिंदुओं की धार्मिक इमारतों में भी दाखिल होते हैं। इसलिए नज्र औ नियाज अर्पित करने के लिए एक व्यक्ति का किसी इमारत में आना-जाना उसे मालिक नहीं बनाता। न ही उस जगहका मालिकाना हक देता है। यहभी साफ है कि मस्जिद के निर्माण से लेकर साल 1856 तक इस जगहपर कोई चबूतरा नहीं था। यह1857 में बनाया गया और मुसलमानों के आवेदन पर चबूतरे को खोदने का आदेश पारित किया गया। सिविल कोर्ट इन तथ्यों की अनदेखी नहीं कर सकता है।"

जस्टिस एस.यू. खान ने कहा कि मोहम्मद असगर ने रघुबर दास द्वारा पेश किए गए नक्शे की सत्यता से इनकार नहीं किया। फैजाबाद के सब जज पंडित हरिकिशन ने इस स्थान के निरीक्षण के बाद इस मामले में 24 दिसंबर, 1885 को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने लिखा—

"इस जगहका निरीक्षण करने से यहस्पष्ट हो जाता है कि चबूतरे पर चरण उभरे हुए हैं, जिसकी पूजा की जा रही है। उस चबूतरे के ऊपर एक चबूतरे पर ठाकुरजी की एक प्रतिमा स्थापित है। चबूतरा वादी के अधिकार में है और जो कुछ भी चढ़ावा आता है, उसे वादी ही रखता है। इस तथ्य को प्रतिवादी मोहम्मद असगर ने भी स्वीकार किया है। वादी के गवाहभी इस कारण से वादी के

स्वामित्व की पुष्टि करते हैं कि यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के अधिकार को तय करने के लिए एक पक्की दीवार का घेरा खड़ा किया गया है। प्रतिवादी के गवाहों का तर्क है कि वे वादी के चबूतरे पर स्वामित्व से अनजान हैं। मस्जिद और चबूतरे के बीच एक दीवार है, जो अमीन के बनाए संशोधित नक्शे में साफ दिखाई देती है। यहभी स्पष्ट है कि मस्जिद और चबूतरे के बीच अलग-अलग दीवारें हैं। इस तथ्य का समर्थन उस चहारदीवारी से भी होता है, जिसे सरकार ने हाल के विवाद से पहले बनवाया था। इससे पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इसी स्थान पर पूजन करते थे और नमाज पढ़ते थे। साल 1855 में हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े के बाद भविष्य की तकरारों को रोकने के मकसद से एक बाउंड्री वाल खड़ी की गई, जिससे कि मुसलमान दीवार के भीतर नमाज पढ़ सकें और हिंदू दीवार के बाहर पूजन कर सकें। इसलिए चबूतरा और बाउंड्रीवाल के बाहर की जमीन हिंदुओं और वादी से संबंध रखती है।"

सब जज के मुताबिक—

"मंदिर निर्माण की इजाजत की प्रार्थना एक ऐसी जगहके लिए की गई है, जहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए एक ही गलियारा है। वहजगहजहाँ हिंदू पूजन करते हैं, प्राचीन काल से उनके अधिकार में है, जिस पर उनके मालिकाना हक पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। इसके चारों ओर मस्जिद की दीवार है और

अल्लाहशब्द इस पर खुदा है। यदि ऐसी जगहचबूतरे पर मंदिर निर्माण होता है, तो यहाँ मंदिर की घंटी और शंख की आवाज होगी, जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही रास्ते से गुजरेंगे। यदि हिंदुओं को मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाती है, फिर एक न एक दिन आपराधिक मामला शुरू होगा और हजारों लोग मारे जाएँगे।"

जज कर्नल एफ.ई.ए. कैमियर ने लिखा, "यहबेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस जमीन पर मस्जिद बनाई गई है, जिसे हिंदू खास तौर से पवित्र मानते आए हैं। लेकिन चूँकि यहघटना 356 साल पुरानी है, अब इस मामले में राहत देने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अधिक-से-अधिक अब दोनों ही पक्षों की यथास्थिति बरकरार रखी जा सकती है।

इस फैसले के खिलाफ अपील जिला जज के पास पहुँची। महंत रघुबर दास के मामले की फैजाबाद के जिला जज कर्नल एफ.ई.ए. कैमियर ने सुनवाई की। उस जगहका मुआयना करने के बाद उसने 18/26 मार्च, 1886 के अपने फैसले में लिखा—"यहबेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस जमीन पर मस्जिद बनाई गई है, जिसे हिंदू खास तौर से पवित्र मानते आए हैं। लेकिन चूँकि यहघटना 356 साल पुरानी है, अब इस मामले में राहत देने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अधिक-से-अधिक अब दोनों ही पक्षों की यथास्थिति बरकरार रखी जा सकती है। इसका प्रवेश उस द्वार से है, जिस पर अल्लाहखुदा है।

इसके ठीक बाद बाईं तरफ एक चिनाई का चबूतरा है, जिस पर हिंदुओं का अधिकार है। इस पर टेंट के रूप में लकड़ियों का एक छोटा सा ढाँचा खड़ा है।" कैमियर ने मुकदमे को खारिज कर दिया, क्योंकि वादी के अधिकार का कोई आधार मौजूद नहीं था।

कार्यवाहक ज्यूडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यंग ने भी इस मामले में 1 नवंबर, 1886 को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने पाया कि अयोध्या के हिंदू चबूतरे पर नया मंदिर बनाना चाहते थे। यहजगहमस्जिद के चारों ओर की जमीन की हद में स्थित थी। "यहमस्जिद सम्राट बाबर के कट्टरपंथ और अत्याचारों के फलस्वरूप 350 साल पहले बनवाई गई थी। बाबर ने जानबूझकर हिंदू दंतकथाओं के मुताबिक पवित्र समझी जाने वाली इस जगहको अपनी मस्जिद के लिए चुना।" उन्होंने यहभी इंगित किया कि हिंदुओं के पास मस्जिद से सटी सीमा में कुछ स्थलों तक पहुँच के बेहद सीमित अधिकार मालूम पड़ते हैं। वे लगातार कई सालों से इन अधिकारों को बढ़ाने व इन दोनों जगहों पर इमारतें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगहें सीता की रसोई और राम की जन्मभूमि थीं। ये जज साहब भी यथास्थिति में किसी भी तरहके बदलाव के खिलाफ थे।

वर्ष 1889 में ए फ़ूहरेर ने ए.एस.आई. की रिपोर्ट में लिखा, "अयोध्या में बाबर की मस्जिद मीर बाकी ने ठीक उसी जगहबनवाई, जहाँ रामजी का

जन्मस्थान था।" इसी तरहविलियम सी वैनेट ने 1877 के अवध के गजेटियर में लिखा—"राम थे या नहीं, राम किस काल में थे, श्रीराम काल्पनिक पात्र थे या फिर वास्तव में चमत्कारिक पुरुष थे, ये सब उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना यहतथ्य है कि श्रीराम हिंदुओं के आदर्श पुरुष हैं, आदर्श राजव्यवस्था के संस्थापक थे, समाज के बहुत बड़े वर्ग के हीरो थे।

वर्ष 1889 में ए फूहरेर ने ए.एस.आई. की रिपोर्ट में लिखा—"अयोध्या में बाबर की मस्जिद मीर बाकी ने ठीक उसी जगहबनवाई, जहाँ रामजी का जन्मस्थान था।" इसी तरहवि लियम सी वैनेट ने 1877 के अवध के गजेटियर में लिखा—"राम थे या नहीं, राम किस काल में थे, श्रीराम काल्पनिक पात्र थे या फिर वास्तव में चमत्कारिक पुरुष थे, ये सब उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना यहतथ्य है कि श्रीराम हिंदुओं के आदर्श पुरुष हैं, आदर्श राजव्यवस्था के संस्थापक थे, समाज के बहुत बड़े वर्ग के हीरो थे। राम की जीवनी लोगों को प्रेरणा देती है। इसलिए आज भी लोगों का उत्साहऔर भक्ति श्रीराम के जन्मस्थान को हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान बनाती है। आज भी रामजन्म स्थान पर भक्तों का जनसमूहउमड़ता है।"

यहकहानी है अयोध्या विवाद पर बात-बात में कानूनी लड़ाई की। अब शुरू होता है इस विवाद पर दंगों का सिलसिला, 20 और 21 नवंबर, 1912 को अयोध्या और

फैजाबाद में बकरीद पर गाय काटने को लेकर दंगे भड़क उठे। फैजाबाद कमिश्नर की ओर से संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव को 5 दिसंबर, 1912 को लिखे गए पत्र में दंगों पर फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गोपनीय रिपोर्ट का जिक्र था। अयोध्या में गायों के काटने और गौ मांस की बिक्री नगरपालिका के नियमों के मुताबिक प्रतिबंधित थी।

इस रिपोर्ट में कहा गया कि अयोध्या में 18 नवंबर को देवोस्थानी एकादशी की परिक्रमा और 23 व 24 को कार्तिक पूर्णिमा को तीन सबसे महत्त्वपूर्ण स्नान पर्वों में भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। इस दौरान जानवरों की कुर्बानी से यहाँ दंगे हो सकते हैं। संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव आर बर्न ने भारत सरकार के गृहसचिव को 25 जनवरी, 1913 को लिखे पत्र में कहा—

"मतभेद की एक शाश्वत वजहराम के जन्मस्थल की परंपरागत जगहपर मस्जिद का अस्तित्व होना है। इसे 1528 में बाबर ने बनवाया था, जिसने प्राचीन मंदिर को नष्ट किया और इसकी सामग्री को नई इमारत बनाने में इस्तेमाल किया। इस पत्र में लिखा गया कि 1856 में अवध के विलय से पहले ऐसे कई मौके आए, जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की कटुता खून-खराबे में तब्दील हुई। हालाँकि गदर के बाद हाल की घटनाओं तक कोई भी बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई। इसकी वजहयहरही कि अयोध्या के मुसलमान अब असंख्य हिंदू मंदिरों और धार्मिक प्रतिष्ठानों पर अधिकार रखने वाले संगठनों के

मुकाबले अधिकार जता सकने की स्थिति में नहीं रहे।"

डिप्टी कमिश्नर को हिंदुओं ने सूचित किया कि मुस्लिम बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी का विचार कर रहे है। उन्होंने पाया कि संभवत: साल 1910 में चोरी छिपे कुर्बानी दी गई थी। हालाँकि उससे पहले अयोध्या में गाय काटने का कोई भरोसेमंद प्रमाण नहीं था। उन्होंने समझौता कराने के मकसद से हिंदुओं और मुसलमानों की एक मीटिंग बुलाई और शहर के बाहर सिख मंदिर के पास एक जगहपर गाय के बलिदान की इजाजत दी। फिर भी बलवा छिड़ गया और फौज बुलानी पड़ गई।

गृहविभाग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1911 में अयोध्या की कुल जनसंख्या 12575 में हिंदुओं की संख्या 10,927 थी। मुसलमान 1623 थे। बर्न के मुताबिक साल 1906 से मुस्लिमों की अयोध्या में कसाईखाना खोलने की इच्छा के चलते संबंध खासे तनावपूर्ण रहे। साल 1911 में कार्यवाहक डिप्टी कमिश्नर को हिंदुओं ने सूचित किया कि मुस्लिम बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी का विचार कर रहे है। उन्होंने पाया कि संभवत: साल 1910 में चोरी छिपे कुर्बानी दी गई थी। हालाँकि उससे पहले अयोध्या में गाय काटने का कोई भरोसेमंद प्रमाण नहीं था। उन्होंने समझौता कराने के मकसद से हिंदुओं और मुसलमानों की एक मीटिंग बुलाई और शहर के बाहर सिख मंदिर के पास एक जगहपर गाय के बलिदान की इजाजत दी। फिर भी

बलवा छिड़ गया और फौज बुलानी पड़ गई।

विवाद बढ़ता देख लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 18 जुलाई, 1915 को अयोध्या का भ्रमण किया, ताकि गाय काटने के मुद्दे का हिंदू और मुसलमान दोनों को स्वीकार्य फॉर्मूला ढूँढ़ा जा सके। मगर समाधान निकालने की उनकी कोशिश नाकाम रही। अयोध्या में 27 मार्च, 1934 को बकरीद के मौके पर एक बार फिर दंगे भड़क गए। फैजाबाद के कमिश्नर ने अगले दिन संयुक्त प्रांत के मुख्य सचिव को दंगे भड़कने के कारणों का ब्योरा भेजा। उन्होंने बताया कि पास के शाहजहाँपुर में गाय की कुर्बानी इसकी वजहथी। शाहजहाँपुर में गाय की कुर्बानी का इससे पहले का कोई शासकीय रिकार्ड नहीं था। इस बार शाहजहाँपुर के मुसलमानों की अर्जी पर जालपा नाला में गाय की कुर्बानी की इजाजत दे दी गई थी। कुर्बानी के तुरंत बाद हिंदुओं की भीड़ ने कसाईखाने को ध्वस्त कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस भीड़ में अ धिकतर अयोध्या के बैरागी थे।

इस बीच अयोध्या में बैरागियों की भारी भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया, जो मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर निर्जन स्थान पर थी। थोड़े समय बाद यहखबर डिप्टी कलेक्टर तक पहुँची। वहअपने साथ पाँच पुलिस के सिपाही लेकर मौके पर पहुँचे। यही कुल फोर्स उनके पास थी। उन्होंने देखा कि कम-से-कम 200 बैरागी मस्जिद को ध्वस्त करने के काम में लगे हैं। डिप्टी कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में

कहा, "बैरागियों ने मस्जिद को खासा नुकसान पहुँचाया है।

इस बीच अयोध्या में बैरागियों की भारी भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया, जो मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर निर्जन स्थान पर थी। थोड़े समय बाद यहखबर डिप्टी कलेक्टर तक पहुँची। वहअपने साथ पुलिस के पाँच सिपाही लेकर मौके पर पहुँचे। यही कुल फोर्स उनके पास थी। उन्होंने देखा कि कम-से-कम 200 बैरागी मस्जिद को ध्वस्त करने के काम में लगे हैं। डिप्टी कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, "बैरागियों ने मस्जिद को खासा नुकसान पहुँचाया है। प्रवेशद्वार लगभग पूरा ही ध्वस्त कर दिया है। भीतर की सामग्री जला दी गई है। तीन मुख्य गुंबदों पर स्थित धातु के शिखर हटा दिए गए और कम-से-कम एक गुंबद को बुरी तरहनुकसान पहुँचाया गया।" मामले ने तूल पकड़ा। फैजाबाद में तनाव बढ़ा।

इस मामले को सी.वाई. चिंतामनी ने विधान परिषद में उठाया। जवाब में गृहविभाग के सदस्य (होम मेंबर) जगदीश प्रसाद ने कहा कि हिंदुओं ने शाहजहाँपुर में गाय की कुर्बानी की नई परिपाटी का नवाचार के तौर पर विरोध किया था। वे बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े और दीवार को ध्वस्त करने लगे। बाबरी मस्जिद सीता की रसोई और जन्मस्थान से केवल एक दीवार के जरिए अलग की गई थी और ऐसा मालूम पड़ा था कि इन इमारतों के प्रांगण से मस्जिद की दीवार पर हमला किया गया। जिससे कि

यहकारनामा पकड़ में न आ सके। जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे मजिस्ट्रेट पहुँचे, भीड़ मस्जिद में प्रवेश कर चुकी थी, उसने मुँड़ेर की दीवार गिरा दी थी और गुंबद में छेद करना शुरू कर दिया था।

चीफ सेक्रेटरी लखनऊ की ओर से दिल्ली के गृहविभाग को 29 मार्च, 1934 को भेजे गए तार में इस बात की पुष्टि की गई थी कि मस्जिद को बुरी तरहसे नुकसान पहुँचाया गया है। विधान परिषद में दिए गए अपने एक बयान में, सर हेनरी हेग ने भी पुष्टि की कि अयोध्या में दो छोटी मस्जिद और बाबरी नाम की एक बड़ी मस्जिद पर हमला किया गया।

16 अप्रैल, 1934 को संयुक्त प्रांत की सरकार के मुख्य सचिव एच बोमफोर्ड ने सरकार के गृहविभाग के मुख्य सचिव एम.जी. हैलेट को सूचित किया कि अयोध्या में एक दंडात्मक पुलिस फोर्स की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। ये अयोध्या के हिंदू निवासियों के खर्चे पर होगी। साथ ही दावों की क्षतिपूर्ति के लिए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। मुस्लिम समाज को इस सूचना ने तसल्ली दी कि नुकसान की भरपाई होगी।

मुसलमानों की क्षतिपूर्ति के तौर पर 85 हजार के हर्जाने ने हिंदुओं में खासा रोष पैदा किया। इस बाबत सरकार को कई प्रत्यावेदन दिए गए। कुछ वकीलों, जमींदारों और म्यूनिसिपल कमिश्नरों की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुसलमान अतीत में शाहजहाँपुर में

गाय की कुर्बानी के प्रचलन का कोई भी प्रमाण देने में नाकाम रहे। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया कि रामनवमी स्नान, जिसमें लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, 24 मार्च को पड़ेगी और उन्हें गाय की कुर्बानी के मुद्दे पर फैसला लेते वक्त इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी 25 मार्च को उन्होंने जालपा नाला में गाय की कुर्बानी की इजाजत कैसे दे दी।

इस तोड़-फोड़ के बाद 12 मई, 1934 को एक आदेश के तहत मुसलमानों को 14 मई, 1934 से मस्जिद की सफाई और मरम्मत का काम शुरू करने की इजाजत दी गई। ठेकेदार ने 25 फरवरी, 1935 को मरम्मत का काम पूरा होने के बावजूद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मजदूरी का भुगतान न करने की शिकायत की।

इस तोड़-फोड़ के बाद 12 मई, 1934 को एक आदेश के तहत मुसलमानों को 14 मई, 1934 से मस्जिद की सफाई और मरम्मत का काम शुरू करने की इजाजत दी गई। ठेकेदार ने 25 फरवरी, 1935 को मरम्मत का काम पूरा होने के बावजूद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मजदूरी का भुगतान न करने की शिकायत की।

बाबरी मस्जिद के मुतवल्ली कलब हुसैन ने सेक्रेटरी सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी, उससे पता चला कि नमाज के वक्त बैठने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चटाई केवल दैनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध थी। फर्श

पर बिछाई जाने वाली बाकी की चटाई पेश इमाम मौलवी अब्दुल गफ्फार के पास अलग से रखी गई थीं। मुअज्जिन उन चटाइयों को सिर्फ शुक्रवार को लाते थे। नमाज के बाद वे उसी जगहको लौटा दी जाती थीं। इसकी वजहयहथी कि दरी का अधिकांश हिस्सा मस्जिद से चोरी हो गया था। चिट्ठी में लिखा था, यहमस्जिद ऐसी जगहपर बनाई गई है, जहाँ अकसर दंगे होते रहते हैं और हर साल शांति भंग की आशंका बनी रहती है। इस घटना से इलाहाबाद हाईकोर्ट इन नतीजे पर पहुँचा कि बाबरी मस्जिद में सिर्फ शुक्रवार की नमाज पढ़ी जाती थी और बाहरी आहाता मुस्लिमों के नियंत्रण से बाहर था।

फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ने 28 अप्रैल, 1947 को कलब हुसैन की कुछ आपत्तियों पर आदेश पारित किया। ये आपत्तियाँ करीब 12 इंच तक उठाए गए प्लेटफॉर्म, पाकड़ और नीम के पेड़ों के नीचे गंजशहीदा के मुकदमे और उत्तर की तरफ नया बरगद का पेड़ लगाने को लेकर थीं। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि प्लेटफॉर्म पक्के चबूतरे में तब्दील नहीं किया जाएगा, न ही इनमें से किसी भी पेड़ पर मूर्तियाँ रखी जाएँगी। पूर्व की ओर मस्जिद के लोहे के गेट बंद नहीं होंगे। मस्जिद के पूर्व और बाहरी गेट के उत्तर में छप्पर को सिटी मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर बढ़ाया नहीं जाएगा। मुतवल्ली या मुसलमान बिना सिटी मजिस्ट्रेट की सहमति के दक्षिणी कोने में आहाते की दीवार की मरम्मत नहीं करेंगे। जिसमें पीपल और नीम के

पेड़ की जड़ों के चलते दरारें पड़ गई थीं।

वक्फ इंस्पेक्टर मुहम्मद इब्राहीम की बाबरी मस्जिद के संबंध में रिपोर्ट (10 दिसंबर, 1948) ने इस जगहपर जारी तनाव की पुष्टि की। इस रिपोर्ट में कहा गया है, फैजाबाद शहर के निरीक्षण पर यहपाया गया कि हिंदुओं और सिखों के डर के चलते कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता है। अगर संयोगवश कोई यात्री मस्जिद में रहजाता है, उसे हिंदुओं द्वारा तकलीफ की जाती है। मस्जिद के दालान में एक मंदिर है, जहाँ कई पंडा रहते हैं, जो मुसलमानों को परेशान करते हैं, जब भी वे मस्जिद के भीतर आते हैं। मैंने खुद जाकर मौके का मुआयना किया और पाया कि ये आरोप सही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मस्जिद को हिंदुओं से बड़ा खतरा है और वे इसकी दीवारों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

मुश्किल से दो ही हफ्ते बाद, 23 दिसंबर, 1948 को मुहम्मद इब्राहीम ने एक दूसरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने एक दिन पहले की अपनी अयोध्या यात्रा का वर्णन किया। उसने कहा कि बाबा सुखदास तीन महीने पहले अयोध्या आए थे। उन्होंने बैरागियों और पुजारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जन्मस्थान पर रामायण पाठ होना चाहिए। यहखबर आसपास के इलाकों में फैल गई और एक महीने में सैकड़ों पुजारी व पंडित वहाँ इकट्ठे हो गए। रामायण पाठ हफ्तों से चल रहा है, जिस दौरान मस्जिद के सामने का क्षेत्र बैरागियों ने खोद दिया और

वहाँ एक झंडा फहरा दिया। कई कब्रें खोदी गई हैं। मुहम्मद इब्राहीम ने रिपोर्ट किया—"मस्जिद पर हमेशा ताला रहता है। किसी भी समय कोई अजान या नमाज नहीं होती है। मस्जिद के ताले की चाभी मुसलमानों के पास है। पुलिस ताले को खुलने नहीं देती है। शुक्रवार को दो या तीन घंटे के लिए साफ-सफाई होती है और सुबहकी नमाज भी पढ़ी जाती है। फिर इसे बंद कर दिया जाता है। सुबहकी नमाज के वक्त काफी शोर होता है। जब नमाजी निकलते हैं, तो आसपास के घरों से नमाजियों पर जूते और पत्थर फेंके जाते हैं।"

सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 अक्तूबर, 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें लिखा—"हिंदू जनता ने यहआवेदन मौजूदा छोटे मंदिर की जगहएक उन्नत और विशाल मंदिर खड़ा करने की खातिर किया है। इस सिलसिले में अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि हिंदू जनता उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए बेहद उत्सुक है, जहाँ भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था। वहजमीन जिस पर मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है, नजूल की है।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यहरिपोर्ट इस तथ्य को स्थापित करती है कि हिंदू भीतरी आहाते में प्रवेश करते रहे हैं। वे वहाँ पूजा-पाठ करते रहे हैं। उनके वहाँ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था। साथ ही बाहरी आहाते में भी कम-से-कम तीन गैर-मुस्लिम ढाँचे

अस्तित्व में थे। वहाँ भी बिना किसी रुकावट के पूजा जारी थी। आजादी के बाद हिंदू जनता ने मस्जिद के निकट राममंदिर बनाने की खातिर उ.प्र. सरकार को आवेदन सौंपा। 20 जुलाई, 1949 को उ.प्र. सरकार के उप सचिव केहर सिंहने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस सिलसिले में अपनी सिफारिशों के लिए लिखा। इसकी एक प्रति इस प्रार्थना के साथ फैजाबाद के कमिश्नर एस.एस. हसन को भेजी गई कि उनकी टिप्प णियों के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। कमिश्नर ने 7 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट माँगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 अक्तूबर, 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें लिखा—“हिंदू जनता ने यहआवेदन मौजूदा छोटे मंदिर की जगहएक उन्नत और विशाल मंदिर खड़ा करने की खातिर किया है। इस सिलसिले में अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि हिंदू जनता उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए बेहद उत्सुक है, जहाँ भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था। वहजमीन जिस पर मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है, नजूल की है।”

इस बाबत फैजाबाद के एस.पी. कृपाल सिंहका डी.एम. और कमिश्नर को लिखा पत्र बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। 29 नवंबर, 1949 की यहचिट्ठी फैजाबाद के डीएम/ डिप्टी कमिश्नर आईसीएस के.के.के. नायर, को उन्होंने अयोध्या के हालात पर लिखी थी। कृपाल सिंहने लिखा था कि उन्होंने अयोध्या में उस शाम बाबरी मस्जिद और

जन्मस्थान परिसर का भ्रमण किया था और पाया कि मस्जिद के चारों ओर कई हवनकुंड स्थापित कर दिए गए हैं। जन्मस्थान से दो फर्लांग दूरी पर कुबेर टीले पर कई कब्रें खोद दी गई हैं। पास ही महादेव भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई। उन्होंने जन्मस्थान के पास ईंट और नीबू देखे। वहाँ एक बड़ा हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव भी था, जहाँ पूर्णमासी को बड़े पैमाने पर कीर्तन और यज्ञ आयोजित किया जाना था। इसमें कई हजार हिंदुओं, बैरागियों और बाहर के साधुओं को हिस्सा लेना था। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई गई थी कि मुस्लिमों के लिए प्रवेश मुश्किल हो जाए और वे आखिरकार मस्जिद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएँ। इस बात की जबरदस्त अफवाहथी, कि पूर्णमासी पर हिंदू लोग देवी-देवता स्थापित करने के लिए मस्जिद में जबरिया घुसने की कोशिश करेंगे।

फैजाबाद के एस.पी. की यहचिट्ठी 29 नवंबर, 1949 की है, जिसमें वे लिखते हैं कि माहौल ऐसा बन गया है कि कभी भी लोग मस्जिद में घुस जाएँगे। इस आशंका के सिर्फ 23 रोज बाद ही लोग विवादित परिसर में घुस गए। विवादित ढाँचे में भगवान प्रकट हुए।

23 दिसंबर, 1949 को थाना अयोध्या के प्रभारी सीनियर सब-इंस्पेक्टर रामदेव दूबे ने एक एफ.आई.आर. दर्ज की। इसके मुताबिक 50 से 60 लोगों का एक समूहपिछली रात बाबरी मस्जिद में घुसा और मस्जिद में

श्रीराम की मूर्ति रख दी। के.के.के. नायर ने चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को इस घटनाक्रम की जानकारी रेडियो संदेश के जरिए दी। खास बात यहथी कि कोई भी मुसलमान मस्जिद से बेदखली की या रुकावट डालने की एफ.आई.आर. दर्ज कराने आगे नहीं आया।

चीफ सेक्रेटरी भगवान सहाय को लिखे 26 दिसंबर, 1949 के अपने पत्र में नायर ने इस मकसद के समर्थन में उमड़े जन-सैलाब की ओर इशारा किया। उन्होंने यहकहते हुए मूर्तियाँ हटाने की संभावना से इनकार कर दिया कि यहऐसी चीज नहीं है, जिस पर वे और पुलिस अधीक्षक सहमत हो सकें या खुद पहल करते हुए कुछ कर सकें। उन्होंने यहभी कहा—

"मस्जिद में प्रवेश केवल मंदिर परिसर से ही हो सकता है और यहहमेशा मुमकिन है। साथ ही मंदिर का परिसर भी हमेशा भरा रहता है। मस्जिद हमेशा वीरान रहती है, सिवाए जुमे की नमाज को एक घंटे के लिए छोड़कर। चाहे बलपूर्वक या फिर गोपनीय तरीके से दृढ़ संकल्पी हिंदुओं को मस्जिद में प्रवेश करने से रोकने के लिए मस्जिद को स्थायी तौर से पुलिस के नियंत्रण में करना होगा।" नायर ने एक निर्जन और लगभग बिना इस्तेमाल वाली मस्जिद को स्थायी तौर पर पुलिस के नियंत्रण में लाने को टैक्स भरनेवालों पर जबरदस्त बोझ करार दिया।

27 दिसंबर, 1949 को चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए

एक-दूसरे पत्र में नायर ने कहा कि कमिश्नर ने उन्हें और पुलिस अधीक्षक को मस्जिद से चोरी-छिपे मूर्तियाँ हटाने की एक योजना सौंपी है। उन्होंने मूर्तियाँ हटाने के विचार का इस तरीके से वर्णन किया—"यहपूरे जिले में शांति व्यवस्था को गंभीरतम खतरा पैदा करने जैसा है, इससे निश्चित तौर पर दहशत पैदा होगी, जो इस विवाद के इतिहास में अभूतपूर्व होगी।" उन्होंने आगे लिखा—"हिंदू एकमत से मूर्तियों को यथावत् रखने के लिए दृढ़ हैं। वे इस मकसद के लिए मरने-मारने को तैयार हैं। इस आंदोलन के पीछे की भावनात्मक गहराई और इसके समर्थन में उठने वाले संकल्पों व प्रतिज्ञाओं को समझे बिना जल्दबाजी में कोई फैसला ठीक नहीं होगा।" नायर ने सरकार के गौर करने के लिए एक समाधान भी पेश किया। उन्होंने सलाहदी कि मस्जिद अटैच कर ली जाए और हिंदू व मुसलमान दोनों को यहाँ से बाहर कर दिया जाए, सिर्फ कुछ पुजारी वहाँ रहें, जो मूर्ति को भोग लगाते रहेंगे और पूजन करते रहेंगे। यहक्रम चलता रहेगा। संबंधित पक्षों को अपने अधिकारों के निर्णय हेतु सिविल कोर्ट के लिए रेफर कर दिया गया। सिविल कोर्ट के आदेश तक मुस्लिमों को स्वामित्व सौंपने का कोई प्रयास न किया जाए। नायर की सलाहका डिवीजनल कमिश्नर ने भी समर्थन किया, जिन्होंने इस जगहको पुलिस के नियंत्रण में रखने और एक पुजारी को माहौल सामान्य होने तक पूजा-पाठ की इजाजत का प्रस्ताव किया।

नायर ने अपनी डायरी में 23 दिसंबर, 1949 की सुबह7 बजे से आगे की घटनाओं का ब्योरा लिखा है। 30 दिसंबर, 1949 की एक प्रविष्टि में इस जगहपर चीफ सेक्रेटरी के दौरे का जिक्र है, जहाँ उन्हें एक भीड़ ने घेर लिया, जो चिल्ला रही थी, "भगवान का फाटक खोल दो।" (जस्टिस एस.यू. खान, पेज 35-36)

29 दिसंबर, 1949 को फैजाबाद व अयोध्या के एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंहने सी.आर.पी.सी. की दफा 145 के तहत संपत्ति के अटैचमेंट का आदेश जारी कर दिया और साथ ही म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन प्रिया दत्त राम को संपत्ति की देखरेख के लिए 'रिसीवर' नियुक्त कर दिया। 'रिसीवर' ने 5 जनवरी, 1950 को चार्ज सँभाला और तुरंत ही भोग व पूजा-पाठ के क्रम को शुरू करवाया।

अयोध्या के इन घटनाक्रमों की गूँज राष्ट्रीय राजधानी में सुनाई दी। उप प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल ने उ.प्र. के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को 9 जनवरी, 1950 को लिखे गए अपने पत्र में इस मुद्दे को दोनों समुदायों के बीच पारस्परिक सहिष्णुता और सद्भावना की रोशनी में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा—

"मैं महसूस करता हूँ कि इस कदम के पीछे बहुत गहरी संवेदनाएँ हैं। फिर भी इस तरहके मसले शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाने चाहिए, यदि हम मुस्लिम समुदाय

की सहज स्वीकृति अपने साथ ले सकें।”

आजादी के बाद अयोध्या को राम के सुपुर्द करने की दिशा में पहला कदम कांग्रेसी सरकारों ने बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत की कांग्रेसी सरकार ने मुकम्मल किया कि विवादित स्थल में चोरी-छिपे स्थापित कर दी गई रामलला की मूर्ति वहीं बनी रहे। शुरू की कांग्रेसी सरकारों ने जो दिशा तय कर दी, अयोध्या उसी पर चलती रही। इसी की तार्किक परिणति थी कि राजीव गांधी की सरकार में मंदिर का शिलान्यास हुआ और नरसिंहराव की सत्ता में विवादित ढाँचा ध्वस्त कर दिया गया। अयोध्या हमेशा से रहस्यमय रही है। सतहपर कुछ दिखता रहा है, पर भीतर कुछ और ही उफनता रहा है। लंबे संघर्षों से तपी हुई अयोध्या अब विराम माँग रही है। पर इतिहास है कि उसे रुकने नहीं देता। वहजब भी दो कदम पीछे लौटने की कोशिश करती है, उसे चार कदम आगे ढकेल देता है।

संघर्षों में तपी अयोध्या अब विराम माँग रही है। फोटो : राजेंद्र कुमार

9.

कालम

अयोध्या एक कालखंड के धनुष पर टिकी हुई है। ये कालखंड राम के प्रति आस्था और आक्रमणकारी अनास्था के बीच का सतत संघर्ष है। इस कालखंड में शामिल अयोध्या विवाद की हर तारीख महत्त्वपूर्ण है। हर तारीख से अयोध्या एक नए सच का सामना कराती है। इस अध्याय में ऐसी हर कीमती तारीख की हाजिरी दर्ज है। ये तारीखें उस नवनीत की तरहहैं, जो इतिहास की मथनी से उभरकर ऊपर आ गई हैं। इन्हें एक सिलसिले से पढ़ते हुए अयोध्या की कहानी साफ होती है। आप की उँगलियों पर अयोध्या का पूरा इतिहास उतरता है। यही इनकी प्रासंगिकता है। यही इनका पाथेय है।

अयोध्या विवाद की महवपूर्ण तारीखें

मुख्यद्वार के भीतर और गर्भगृह के बाहर राम चबूतरा।
फोटो : राजेंद्र कुमार

शिलान्यास स्थल, राम चबूतरा, विवादित ढाँचे के मुख्यद्वार की समग्र तस्वीर। अब इसमें से कुछ भी मौजूद नहीं है। फोटो : राजेंद्र कुमार

कलकल बहती सरयू नदी जो अयोध्या के सभी बदलावों की गवाह रही। फोटो : राजेंद्र कुमार

1528

बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान मानते थे।

1528-1731

इस दौरान इस इमारत पर कब्जे को लेकर दोनों समुदायों की तरफ से 64 बार संघर्ष हुए।

1822

फैजाबाद अदालत के मुलाजिम हफीजुल्ला ने सरकार को भेजी एक रिपोर्ट में कहा कि राम के जन्मस्थान पर बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी।

1852

अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाहके शासन में यहाँ पहली बार किसी मारपीट की घटना का लिखित जिक्र हुआ। निर्मोही पंथ के लोगों ने दावा किया कि बाबर ने एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी।

1855

हनुमानगढ़ी पर बैरागियों और मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ। वाजिद अली शाहने ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर आर्टम को अयोध्या के हालात पर एक पर्चा भेजा। इसमें पाँच दस्तावेज लगाकर यहबताया कि इस विवादित इमारत को लेकर यहाँ अकसर हिंदू-मुसलमानों में तनाव रहता है।

1859

ब्रिटिश हुकूमत ने इस पवित्र स्थान की घेराबंदी कर दी। अंदर का हिस्सा मुस्लिमों की नमाज के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदुओं की पूजा के लिए दिया गया।

1860

डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद की कोर्ट में मस्जिद के खातिब मीर रज्जन अली ने एक दरखास्त लगाई कि मस्जिद परिसर में एक निहंग सिख ने निशान साहिब गाड़कर एक चबूतरा बना दिया है, जिसे हटाया जाए।

1877

मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद असगर ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में फिर से अर्जी देकर शिकायत की कि बैरागी महंत बलदेव दास ने मस्जिद परिसर में एक चरण

पादुका रख दी है, जिसकी पूजा हो रही है। उन्होंने पूजा के लिए एक चूल्हा भी बनाया है। शायद यहहवनकुंड रहा होगा। अदालत ने कुछ हटवाया तो नहीं, पर महंत बलदेव को आगे कुछ और करने पर रोक लगा दी और मुसलमानों के लिए मस्जिद में जाने का एक दूसरा रास्ता बना दिया।

1885, 15 जनवरी

पहली बार यहाँ मंदिर बनाने की माँग अदालत में पहुँची। महंत रघुबर दास ने पहला केस फाइल किया। उन्होंने रामचबूतरा पर एक मंडप बनाने की इजाजत माँगी, जो उनके कब्जे में था। संयोग से इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई।

1885, 24 फरवरी

फैजाबाद की जिला अदालत ने महंत रघुबर दास की अर्जी को यहकहते हुए खारिज कर दिया कि वहजगहमस्जिद के बेहद करीब है। इससे झगड़े होते। सब जज हरिकिशन ने अपने फैसले में माना कि यहाँ चबूतरे पर रघुबर दास का कब्जा है। उन्होंने एक दीवार उठाकर चबूतरे को अलग करने की हिदायत दी, पर कहा मंदिर नहीं बन सकता है।

1886, 17 मार्च

महंत रघुबर दास ने जिला जज फैजाबाद कर्नल एफ.ई.ए. कैमियर की अदालत में अपील दायर की। कैमियर साहब ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनी है। पर अब देर हो चुकी है। 356

साल पुरानी गलती को सुधारना इतने दिनों बाद उचित नहीं है। सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखें।

1912, 20-21 नवंबर

बकरीद के मौके पर अयोध्या में गोहत्या के खिलाफ पहला दंगा हुआ। यहाँ 1906 से ही म्यूनिसिपल कानून के तहत गोहत्या पर पाबंदी थी।

1934, मार्च

फैजाबाद के शाहजहाँपुर में हुई गोहत्या के विरोध में दंगे हुए। नाराज हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद की दीवार और गुंबद को नुकसान पहुँचाया। सरकार ने बाद में इसकी मरम्मत कराई।

1936

इस बात की कमिश्नरी जाँच की गई कि क्या बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी।

1944, 20 फरवरी

आधिकारिक गजट में एक जाँच रिपोर्ट प्रकाशित हुई। जो 1945 में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैजाबाद की रेवेन्यु कोर्ट में मुकदमे के दौरान सामने आई।

1949, 22-23 दिसंबर

भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर प्रकट हुई। आरोप था कि कुछ हिंदू समूहों ने यहकाम किया है। दोनों पक्षों ने केस दायर किए। सरकार ने उस इलाके को विवादित घोषित कर इमारत की कुर्की के आदेश दिए, पर पूजा-अर्चना जारी रही।

1949, 29 दिसंबर

फैजाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन प्रिया दत्त राम को विवादित परिसर का रिसीवर नियुक्त किया गया।

1950

हिंदू महासभा के गोपाल सिंहविशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्रदास ने फैजाबाद अदालत में याचिका दायर कर जन्मस्थान पर स्वामित्व का मुकदमा ठोंका। दोनों ने वहाँ पूजा-पाठ की इजाजत माँगी। सिविल जज ने भीतरी हिस्से को बंद रखकर पूजा-पाठ की इजाजत देते हुए मूर्तियों को न हटाने के अंतरिम आदेश दिए।

1955, 26 अप्रैल

हाईकोर्ट ने 3 मार्च, 1951 को सिविल जज के इस अंतरिम आदेश पर मोहर लगाई।

1959

निर्मोही अखाड़े ने एक दूसरी याचिका दायर कर विवादित स्थान पर अपना दावा ठोंका और स्वयं को राम जन्मभूमि का संरक्षक बताया।

1961

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद में मूर्तियों के रखे जाने के विरोध में याचिका दायर की और दावा किया कि मस्जिद और उसके आसपास की जमीन एक कब्रगाहहै, जिस पर उसका दावा है।

1964, 29 अगस्त

जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इस स्थापना सम्मेलन में आरएसएस के प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, गुजराती साहित्यकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, संत तुकोजी महाराज और अकाली दल के मास्टर तारा सिंहमौजूद थे।

1984, 7-8 अप्रैल

नई दिल्ली में जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समूहों ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। इसके अध्यक्ष महंत अवेद्यनाथ बने। देश भर में राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए रथयात्राएँ निकाली गईं। राममंदिर आंदोलन ने तेजी पकड़ी।

1986, 1 फरवरी

फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र पांडेय की याचिका पर जिला जज फैजाबाद के.एम. पांडेय ने आदेश दिया कि मस्जिद के ताले खोल दिए जाएँ और हिंदुओं को वहाँ पूजा-पाठ की इजाजत मिले। इस फैसले के 40 मिनट के भीतर ही सिटी मजिस्ट्रेट ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए। मुस्लिमों ने हिंदुओं को पूजा-पाठ की इजाजत मिलने का विरोध किया।

1986, 3 फरवरी

मोहम्मद हाशिम अंसारी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताला खोले जाने के जिला जज के फैसले को रोकने की अपील की। हाशिम ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में जिला जज ने बिना दूसरे पक्ष को सुने इकतरफा

फैसला दिया है।

1986, 5-6 फरवरी

मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन ने ताला खोले जाने के खिलाफ 14 फरवरी को देश भर में शोक दिवस मनाने की अपील की। ऑल इंडिया मजलिसे मुसवरात ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की माँग की।

1986, 6 फरवरी

ताला खोले जाने के खिलाफ लखनऊ में मुसलमानों की एक सभा हुई। जिसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के गठन का ऐलान हुआ। मौलाना मुजफ्फर हुसैन किछौछवी को कमेटी का अध्यक्ष तथा मोहम्मद आजम खाँ और जफरयाब जिलानी संयोजक बने।

1986, 23-24 सितंबर

दिल्ली में सैयद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने 26 जनवरी 1987 के गणतंत्र दिवस समारोहके बहिष्कार का आह्वान किया।

1989, जून

मंदिर आंदोलन को पहली बार बीजेपी ने अपने एजेंडे में लिया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर अयोध्या में राममंदिर बनाने का संकल्प लिया। इस प्रस्ताव में यहभी कहा गया कि यहआस्था का सवाल है। अदालत फैसला नहीं कर सकती।

1989, 1 अप्रैल

विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाई गई धर्मसंसद ने 30 सितंबर को प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास का ऐलान किया।

1989, मई

विश्व हिंदू परिषद ने राममंदिर निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की योजना बनाई।

1988, जुलाई से 1989 नवंबर

गृहमंत्री बूटा सिंहने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर अलग-अलग पार्टियों के साथ सलाह-मशविरा किया।

1989

विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान के दोस्त की हैसियत से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि मस्जिद को वहाँ से हटाकर कहीं और ले जाया जाए। सरकार ने फैजाबाद जिला अदालत में लंबित चार मुकदमों के साथ मूल मुकदमे को हाईकोर्ट की विशेष बेंच को स्थातंरित कर दिया। सबकी एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू।

1989, 14 अगस्त

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित परिसर में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

1989, अक्तूबर-नवंबर

राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में पूरे देश से साढ़े तीन लाख रामशिलाएँ पहुँचाई गईं। इन रामशिलाओं का पूजन देश के हर गाँव में हुआ था।

1989, 9 नवंबर

राजीव गांधी की केंद्र और नारायण दत्त तिवारी की राज्य सरकार की सहमति से अयोध्या में राममंदिर का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास पर बिना किसी विवाद के सभी पक्षों में सहमति बनी थी। शिलान्यास प्रस्तावित मंदिर के सिंहद्वार पर हुआ। बाद में पता चला कि शिलान्यास विवादित स्थल पर हुआ है।

1990, 1 जनवरी

अदालत ने आदेश दिया कि एक सर्वे कमीशन का गठन किया जाए। उसने उत्तर प्रदेश पुरातत्त्व विभाग को विवादित परिसर की तस्वीरें लेने को कहा।

1990, फरवरी

राम जन्मभूमि स्थल पर फिर से कारसेवा का ऐलान।

1990, जून

हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में फैसला हुआ कि 30 अक्तूबर से अयोध्या में मंदिर का निर्माण-कार्य शुरू किया जाएगा। माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा का ऐलान किया। 25 सितंबर को सोमनाथ से चली यहरथयात्रा 30 अक्तूबर को फैजाबाद पहुँचनी थी।

1990, जुलाई-अक्तूबर

विश्वनाथ प्रताप सिंहकी सरकार के दौरान इस विवाद पर सुलह-सफाई के लिए बातचीत का दौर चला।

1990, 25 सितंबर

सोमनाथ से अयोध्या के लिए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा शुरू हुई।

1990, 17 अक्तूबर

भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर आडवाणी की रथयात्रा रोकी गई तो वहकेंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेगी।

1990, 19 अक्तूबर

विवादित जमीन पर कब्जे के लिए केंद्र सरकार ने तीन सूत्रीय अध्यादेश जारी किया, ताकि उसे राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर निर्माण के लिए सौंपा जाए।

1990, 23 अक्तूबर

भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने उक्त अध्यादेश को वापस ले लिया। बीजेपी को भरोसे में लिए बिना।

1990, 23 अक्तूबर

केंद्र सरकार के कहने पर बिहार की लालू सरकार ने रथयात्रा रोकी। आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंहकी सरकार अल्पमत में आ गई।

1990, 30 अक्तूबर-2 नवंबर

विश्व हिंदू परिषद के कारसेवक लाखों की संख्या में अयोध्या पहुँचे। कुछ कारसेवकों ने विवादित इमारत में तोड़फोड़ की। इमारत के ऊपर भगवा झंडा फहराया। मुलायम सिंहयादव सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए गोलियाँ चलवाईं। 40 से ज्यादा कारसेवक मारे गए। प्रतिक्रिया में देश के अनेक हिस्सों में दंगे भड़के। उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में कर्फ्यू लगाया गया।

1990, 7 नवंबर

बीजेपी द्वारा समर्थन वापस लेने से विश्वनाथ प्रताप सिंहकी सरकार संसद में पराजित। चंद्रशेखर कांग्रेस के सहयोग से देश के नए प्रधानमंत्री बने।

1990, 1 दिसंबर

ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 22 दिसंबर को पूरे देश में अयोध्या को लेकर एक कॉन्फ्रेंस की बात कही। विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में सुलहके लिए बैठक भी हुई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवा को जारी रखने की बात कही। 1 और 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दोनों पक्षों को बातचीत करने के लिए आमने-सामने बिठाया। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंहशेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार भी शामिल थे। इसी बैठक में यहतय हुआ कि दोनों पक्ष अपने-अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करें।

1990, 9 दिसंबर

कथित तौर पर शिवसेना के सुरेशचंद्र नाम के एक युवक की मस्जिद को उड़ा देने की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। इस युवक को परिसर में ही गिरफ्तार लिया गया। इसने डायनामाइट की छड़ अपने शरीर में बाँध रखी थी।

1990, 23 दिसंबर

विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने अपने-अपने दावों को लेकर दस्तावेज सरकार को सौंपे।

1991, 18 जनवरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंहयादव ने अयोध्या में मारे गए लोगों और उसके बाद हुए दंगों की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई।

1991

देश में आम चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। केंद्र में पी.वी. नरसिंहराव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने कार्यभार सँभाला। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बनी। मंदिर आंदोलन की बदौलत उसे उत्तर प्रदेश की सत्ता मिली। इससे अयोध्या आंदोलन में और तेजी आई।

1991, 7-10 अक्तूबर

उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंहसरकार ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन का अधिग्रहण किया। अधिग्रहीत जमीन पर कुछ घरों और मंदिरों को तोड़ा गया।

1991, 25 अक्तूबर

हाईकोर्ट ने एक आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार को अधिग्रहीत जमीन का कब्जा लेने को तो कहा, लेकिन अधिग्रहीत जमीन पर किसी तरहके स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी।

1991, 2 नवंबर

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक को मुख्यमंत्री कल्याण सिंहने भरोसा दिया कि उनकी सरकार विवादित ढाँचे की पूरी तरहहिफाजत करेगी। परिषद ने एक मत से ढाँचे की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पास किया।

1991, 15 नवंबर

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंहसे राष्ट्रीय एकता परिषद और हाईकोर्ट को दिए गए भरोसे के आधार पर कहा कि वह25 अक्तूबर, 1991 के हाईकोर्ट के आदेश को कड़ाई से लागू करे। जिसमें विवादित स्थल पर किसी भी निर्माण की मनाही थी।

1992, फरवरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विवादित परिसर के चारों ओर रामदीवार का निर्माण शुरू किया।

1992, मार्च

1988-89 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई 42.09 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को रामकथा पार्क के लिए सौंप दी गई।

1992, मार्च-मई

अधिग्रहण की गई उस जमीन पर बने सभी मंदिर,

आश्रम और भवनों को तोड़ दिया गया। वहाँ जमीनों के समतलीकरण का काम शुरू हुआ।

1992, मई

विवादित परिसर में खुदाई और समतलीकरण के काम पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया।

1992, 9 जुलाई

विश्व हिंदू परिषद ने कारसेवा फिर शुरू की, विवादित स्थल पर कंक्रीट का चबूतरा बनना शुरू।

1992, 15 जुलाई

हाईकोर्ट ने कारसेवा रोकने और वहाँ चल रहे इस स्थायी निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया।

इसी 2.77 एकड़ जमीन पर समतलीकरण हुआ। यहीं कारसेवा का कल्याण सिंह का फॉर्मूला नहीं माना गया। फोटो : राजेंद्र कुमार

1992, जुलाई

सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंहके खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर, पर कारसेवा जारी रही।

1992, 18 जुलाई

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रीय एकता परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे और निर्माण रोके।

1992, 23 जुलाई

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर किसी भी तरहके निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री ने धार्मिक गुरुओं से बात कर कारसेवा रुकवाने को कहा।

1992, 26 जुलाई

विश्व हिंदू परिषद ने 9 जुलाई को शुरू हुई कारसेवा रोकी।

1992, 27 जुलाई

प्रधानमंत्री ने अयोध्या की स्थिति पर संसद में बयान दिया।

1992, अगस्त-सितंबर

प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या सेल का गठन हुआ। पूर्व कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा इसके अध्यक्ष बने।

1992, अक्तूबर

प्रधानमंत्री की पहल पर विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में फिर से बातचीत शुरू। दो बैठकें हुईं।

1992, 23 अक्तूबर

विवादित परिसर में मिले पुरातत्त्व-अवशेषों के अध्ययन के लिए विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नेताओं की बैठक।

1992, 30-31 अक्तूबर

धर्मसंसद और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में 6 दिसंबर, 1992 को दोबारा कारसेवा शुरू करने का ऐलान हुआ।

1992, 23 नवंबर

भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक का बहिष्कार किया। वहाँ आम सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर, 1992 के आदेश के तहत काम करे, यानी कोई निर्माण कार्य न हो।

1992, 24 नवंबर

राज्य सरकार को बताए बिना केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक कंपनी को अयोध्या भेजा।

1992, 27-28 नवंबर

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ढाँचे की सुरक्षा के लिए एफिडेविट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक

पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जिसका काम यहदेखना था कि कारसेवा के नाम पर वहाँ कोई स्थायी निर्माण न हो। मुरादाबाद के जिला जज तेजशंकर अयोध्या में पर्यवेक्षक बने।

1992, 6 दिसंबर

विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के समर्थन से कारसेवकों द्वारा विवादित बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। देश भर में दंगे फैले, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंहसरकार को बर्खास्त किया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंहबर्खास्तगी से पहले ही अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। शाम तक विवादित स्थल पर अस्थायी मंदिर बना मूर्तियाँ फिर से स्थापित की गईं। वहाँ 6 और 7 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन के दौरान दीवार और शेड का निर्माण हुआ।

1992, 6 दिसंबर

दो एफ.आई.आर. बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गईं। एफ.आई.आर. संख्या 197 कारसेवकों और एफ.आई.आर. संख्या 198 लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल सहित बीजेपी के दूसरे नेताओं के खिलाफ थी।

1992, 7-8 दिसंबर

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर को केंद्रीय

सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया।

1992, 10 दिसंबर

केंद्र सरकार ने आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जमायते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी।

1992, 15 दिसंबर

प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध रखने के आरोप में केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त किया।

1992, 16 दिसंबर

बाबरी ध्वंस के लिए आडवाणी समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके ललितपुर जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफ.आई.आर. 198, जिसमें आडवाणी और 7 अन्य लोग आरोपित थे, उसे ललितपुर की विशेष अदालत को सौंप दिया।

1992, 27 दिसंबर

केंद्र सरकार ने अयोध्या के विवादित स्थल और उसके आसपास का इलाका अपने अधिकार में लेने का फैसला किया।

1993, 7 जनवरी

अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी परिसर की 67.7 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया। इसमें अस्थायी मंदिर भी था। इसी रोज राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 (ए) के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्रेसीडेंसियल रिफरेंस भी किया कि वे बताएँ कि क्या विवादित ढाँचे के

नीचे कभी कोई मंदिर था और वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस रिफरेंस को यहकहते हुए लौटा दिया कि वहइस पर राय नहीं दे सकता।

1993, 27 फरवरी

सी.बी.सी.आई.डी. ने ललितपुर की विशेष अदालत में एफ.आई.आर. 198 में एक आरोप-पत्र दाखिल किया। इसमें आडवाणी और बाकी लोगों पर धारा 147, 149 (153 ए, 153बी और 505 के अलावा) के तहत आरोप लगाए गए।

1993, 11 मार्च

बाबरी ढाँचे को गिराने की कथित प्रतिक्रिया में मुंबई में बम धमाके हुए। इस विस्फोट और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए।

1993, 6 जून

उत्तर प्रदेश सरकार ने एफ.आई.आर. संख्या 198 को ललितपुर से रायबरेली की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया।

1993, 25 अगस्त

आडवाणी के मामले में सी.बी.आई. ने सी.बी.सी.आई.डी. की जगहली। उत्तर प्रदेश सरकार ने दो अधिसूचनाएँ जारी कर मामले को सी.बी.आई. को सौंपा। पहले में सी.बी.आई. को एफ.आई.आर. संख्या 198 की जाँच की मंजूरी दी गई, जबकि दूसरे में

सी.बी.आई. को मीडिया पर हुए हमले की जाँच करने के लिए कहा गया।

1993, 8 सितंबर

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सलाहके बाद अयोध्या ध्वंस के मामलों की सुनवाई के लिए लखनऊ में विशेष अदालत का गठन किया।

1993, 5 अक्तूबर

सी.बी.आई. ने पहली बार सभी अभियुक्तों के खिलाफ साजिश का मामला 120बी भी लगाया। उसने सभी 49 मामलों में एक संयुक्त पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया।

1997, 9 सितंबर

विशेष न्यायाधीश ने सी.बी.आई. से आरोपित 49 लोगों के खिलाफ आरोप लगाने को कहा। इनमें से 33 लोगों ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में पुनर्विचार की याचिका दाखिल की। आडवाणी ने कोई पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की।

1998

भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई।

2001, 12 फरवरी

हाईकोर्ट ने 33 अभियुक्तों की पुनर्विचार याचिकाएँ स्वीकार कर लीं।

2001, 24 जुलाई

मोहम्मद असलम उर्फ भूरे ने 12 फरवरी के हाईकोर्ट

के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।

2001, 20 अगस्त

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और सी.बी.आई. को भूरे की अपील के विरुद्ध जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा

2002

फरवरी में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण फिर से शुरू करने के लिए 15 मार्च की अंतिम तारीख तय की। देश भर से कारसेवक अयोध्या में इकट्ठा होने लगे। कारसेवकों को वापस ले जा रही साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे एस-6 पर गुजरात के गोधरा में हमला किया गया। उस हमले में 58 कारसेवक जिंदा जला दिए गए। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए, जिनमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।

2002, अप्रैल

में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन जजों की विशेष बेंच में इस बात सुनवाई शुरू हुई कि विवादित स्थल पर किसका अधिकार है

2003

इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने ए.एस.आई. को इस बात की जाँच करने को कहा कि क्या वहाँ पहले कोई मंदिर था। हाईकोर्ट ने ए.एस.आई. से कहा कि वहखुदाई कर इस बात का पता लगाए। ए.एस.आई. को मस्जिद के

नीचे ग्यारहवीं सदी के एक मंदिर के होने के साक्ष्य मिले।

2004

6 साल के बीजेपी के शासन के बाद केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने कहा कि आडवाणी को निर्दोष ठहराए जाने की विवेचना होनी चाहिए।

2005, जुलाई

कुछ संदिग्ध इस्लामी उग्रवादियों ने विवादित स्थल पर आक्रमण किया। विवादित परिसर में घुसने का प्रयास कर रहे इन पाँच उग्रवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया।

2009, जून

लिब्राहन कमीशन, जिसे बाबरी विध्वंस की जाँच के लिए गठित किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। संसद में हंगामा हुआ, क्योंकि रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विध्वंस में शामिल होने की बात कही गई थी।

2010

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दायर की गई चार याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित स्थल को तीन हिस्सों में बाँट दिया जाए। एक तिहाई हिस्सा रामलला को दिया जाए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा के पास है; एक तिहाई हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए। दिसंबर

में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए।

2011, मई

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बँटवारे पर रोक लगा दी और कहा कि स्थिति को पहले की तरहही बने रहने दिया जाए।

2014

लोकसभा के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और केंद्र की सत्ता में आई।

2015

विश्व हिंदू परिषद ने फिर राजस्थान से राममंदिर के निर्माण के लिए शिलाओं को इकट्ठा करने का आह्वान किया। 6 महीने बाद दिसंबर में विवादित स्थल पर दो ट्रक शिलाएँ पहुँच गईं। महंत नृत्यगोपाल दास ने दावा किया कि मोदी सरकार की तरफ से मंदिर बनाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने कहा कि वहअयोध्या में शिलाओं को लाने की इजाजत नहीं देंगे।

2017, मार्च

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 के ध्वंस को लेकर आडवाणी और अन्य नेताओं पर लगे आरोप वापस नहीं लिये जा सकते और केस की जाँच फिर से की जाए।

2017, मार्च

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता

पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहसत्ता में आई।

2017, 21 मार्च

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहमामला संवेदनशील है और उसका समाधान कोर्ट से बाहर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से एक राय बनाकर समाधान ढूँढ़ने को कहा।

2017, 5 दिसंबर

सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी, 2017 को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर तमाम जनहित याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई का फैसला किया।

2018, 8 फरवरी

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को दो हफ्ते में अपने-अपने दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया। साथ ही यहभी कहा कि इस मामले में अब कोई नया पक्षकार नहीं जुड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा हम उस मामले को जमीन के विवाद की तरहही देखेंगे।

2018, 14 मार्च

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अनावश्यक दखल से बचाने के लिए मुख्य पक्षकारों के अलावा बाकी तीसरे पक्षों की ओर से दायर सभी 32 हस्तक्षेप अर्जियों को खारिज कर दिया। अब वही पक्षकार बचे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने यहभी कहा कि अगर दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हैं तो कोर्ट

इसकी इजाजत दे सकता है, लेकिन वहकिसी पक्ष को मजबूर नहीं कर सकता।

राम जन्मभूमि के बारे में पांडु

10.

ये भी जरूरी है

ये भी जरूरी है। जी हाँ, यहपरि शिष्ट का बदला हुआ नाम है, अयोध्या को ग्रहण करने, उसे जानने-समझने, स्वीकार करने के वास्ते। ये पन्ने अयोध्या को लेकर उस काल, समाज और राजनीति के भीतर की गंभीर वैचारिक उथल-पुथल का आईना हैं। इनमें अयोध्या के मसले पर हुई जोरदार राजनीतिक बहसों की ध्वनि है। ये अयोध्या की राजनीति को नए आयाम देने वाले नेतृत्व की सोच का एक्सरे भी हैं। इस पन्नों को जोड़ने का आशय अयोध्या की समझ को उसके हिस्से का विस्तार देना है। अयोध्या इस मायने में बड़ी धनी है कि उसका एक अपना बौद्धिक आकाश है। इन पन्नों में उसी आकाश में मुक्त भाव से उड़ने की ललक है।

एक

हिरेन मुखर्जी का अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा गया खुला खत, 5 जून, 1989

(हिरेन मुखर्जी वामपंथी नेता, वकील और शिक्षाविद् थे। सी.पी.आई. के पुराने नेताओं में शुमार रहे। कोलकाता की नॉर्थ-ईस्ट सीट से पाँच बार लोकसभा पहुँचे। 1991 में उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। 5 जून, 1989 को हिरेन मुखर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक लंबा और खुला खत लिखा।)

प्रिय अटल,

आप इस खत को पाकर आश्चर्य में पड़ जाएँगे, मैं आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब करना ही पड़ेगा।

पिछले कुछ समय से हमारा देश असामान्य संकट की स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी ताकतें बढ़ गई हैं, जो न सिर्फ देश के स्थायित्व के लिए खतरनाक हैं बल्कि हमारे देश के नैतिक राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा हैं। हमारे लोगों की राष्ट्रीयता को दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

राजनीतिक जीवन में मैं और आप कई मूल मुद्दों पर अलग-अलग राय रखते हैं। बावजूद इसके संसद में साथ गुजारे गए लंबे समय में हमारे बीच एक-दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेहका भाव रहा। इसीलिए मैं यथासंभव व्यग्रता के साथ आपसे कहरहा हूँ कि आप राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के संकट से बाहर निकलने में मदद करें।

कम-से-कम आप इसे मेरी राजनीतिक तिकड़म नहीं समझेंगे। मैं इस तरहकी चालबाजी कर नहीं पाता हूँ। मैं इतना भोला नहीं कि आपके और आपके सहयोगियों के बीच किसी तरहका मतभेद पैदा कर सकूँगा।

आपको यहखत लिखने का खयाल यों आया कि मुझे आज से करीब बीस साल पहले संसद के गलियारे में हुई अपनी बातचीत याद आ गई। मैंने उस वक्त आपसे कहा

था कि मुझे आपके भारतीयता के नारे से ईर्ष्या होती है, जिसे मैं अपने सांप्रदायिक कारणों के लिए इस्तेमाल कर सकता था। यहाँ तक कि मैंने आपको एक कोने में ले जाकर इस विषय पर बंगाली में लिखी गई अपनी एक किताब के कुछ हिस्सों को भी सुनाया था।

इस बात को लेकर मेरे दिमाग में एक बड़ा रोड़ा है कि आपका तब का भारतीयत्व का मुद्दा अब हिंदुत्व पर पहुँच गया है (जो पहले भी व्यक्त हुआ था)। हमारे देश के इतिहास की साफ-सुथरी 'अनेकता में एकता' की विचारधारा के प्रति लापरवाही और उसे नुकसान पहुँचाने के बाद भी उसमें अनोखा सौंदर्य है।

मेरा यकीन मानिए, मुझे उस वक्त बहुत दुःख हुआ जब मैंने प्रेस रिपोर्ट्स में देखा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के एक सम्मानजनक फैसले की बजाय आप वहाँ देशभर से इकट्ठा की गई पवित्र शिलाओं से नए भव्य मंदिर की वकालत कर रहे हैं।

मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, अगर श्रद्धा के साथ कहीं मंदिर बनाया जाए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना भी साथ है, का ये आंदोलन लोगों में विभाजन पैदा करेगा। इसमें कुछ कांग्रेसी भी जुड़ गए हैं और प्रेस में ऐसी उत्तेजना भरने वाली तस्वीरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं, जिसमें साधुओं द्वारा पवित्र शिलाएँ वहाँ पहुँचाई जा रही हैं।

प्रिय अटल, तुम भारत के भविष्य को नुकसान पहुँचाने वालों के साथ कैसे काम कर सकते हो? ऐसे मुस्लिम-सांप्रदायिक कट्टरपंथी, जो लोग भारत की बदनामी से खुश होते हैं उनके साथ तुम्हारा गठजोड़ कैसे हो सकता है?

मेरे लिए अपनी आँखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था, जब मैंने प्रेस रिपोर्ट्स में पढ़ा कि आपकी अपनी 'भारत की खोज' कहती है कि भारत सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बनकर ही सुरक्षित रहसकता है। साथ ही इस मामले में अदालत फैसला नहीं कर पाएगी और मंदिर बनाए जाने के लिए वहाँ मौजूद बाबरी मस्जिद को गिरा देना चाहिए।

इसका परिणाम यहहो रहा है कि काशी और मथुरा को लेकर भी ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। मथुरा में सांप्रदायिक तनाव, आपसी द्वेष इसी बात की खतरनाक चेतावनी है। क्या पुरानी और भुलाई जा चुकी शत्रुता को इस भयावहतरीके से जीवित किया जाएगा। क्या आप उस शर्मनाक नारे का हिस्सा बनना चाहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।

अटल भाई, आपकी तरहही मेरा जन्म और पालन-पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ है। आपकी तरहही मुझे भी अपने हिंदू होने पर गर्व है, अपनी हिंदू परंपराओं पर गर्व क्यों न हो! लेकिन मैं और ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ, जिसे कहने के लिए मैं छत पर खड़ा होकर चिल्ला सकता हूँ कि मुझे अपनी भारतीय परंपराओं

पर गर्व है। एक ऐसी सभ्यता, जिसमें इतिहास के दिए गए कई जख्मों के बाद भी हिंदुओं और मुसलमानों का सामंजस्य उसकी मूलध्वनि है।

यही वजहहै कि दुनिया के सामने हम सर ऊँचा करके खड़े हो सकते हैं, जहाँ ताकत के हिसाब से हमारी गिनती तक नहीं है। इसी गर्व के साथ जब देश आजाद नहीं था, तब 1921 में रवींद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को बुलाया था और वेदों का आह्वान किया था—ऐसे जैसे कि वे सभी के एक जगहपर रहने का स्थान हो। (यत्र विश्वम भावातयेका निदम)

यही वहगर्व है, जिसके बलबूते 1917 में गांधी जी ने कहा था कि भारत सांप्रदायिक घृणा पैदा करने वाले और जाति के आधार पर बँटवारा करने वाली निरर्थक बातों का देश है, लेकिन इसके बावजूद उसमें यहक्षमता है कि वहएक होकर तरक्की करे और विश्व को चौंका सके।

हमने लूटपाट, अहंकार का सामना किया है, लेकिन पूरी दुनिया ने सहनशीलता और सज्जनता का पाठ, आपसी समझ-बूझ, सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव हमसे सीखा है।

अयोध्या को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद में तकरार और सांप्रदायिकता को हवा देने की बजाय क्या उसका शांतिपूर्वक समाधान नहीं होना चाहिए? संभवत: अदालत के जरिए या फिर उस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित

करके। क्या हमने मेरठ, अहमदाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, जमशेदपुर, भिवंडी जैसी जगहों पर हुई उथल-पुथल से सबक नहीं लिया है?

इन बदले हुए हालात में क्यों उस विचार को पुनर्जीवित करना है, जो 1939 में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने दिया था? जब उन्होंने भारत को हिंदुओं का धाम कहा था, जहाँ मुसलमान सिर्फ क्षेत्र के हिसाब से भारतीय हो सकते थे। यहनिंदनीय सोच शिव सेना और आपके कुछ सहयोगी बड़े गर्व से जाहिर करते हैं, लेकिन ये हमारे आपसी मेलजोल के बिल्कुल खिलाफ है, जो इतिहास में दर्ज अपने ही लोगों के खिलाफ प्रतिशोध की याद दिलाता है।

पृथ्वी पर कोई दूसरा देश सहनशीलता और अलग-अलग धर्मों के अस्तित्व के मामले में भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। यूरोप में धर्म के नाम पर सदियों से चल रही लड़ाइयाँ दयनीय उदाहरण है।

हमारे देश ने विदेशी तत्त्वों को भी समाहित किया है। मीनेंडर जैसे ग्रीक ने करीब दो हजार साल पहले बुद्ध धर्म को अपनाया था। हीलियोडोरस, जिसने बेसनगर में प्रसिद्ध गरुड़ रखा था।

मुसलमान आक्रमणकारियों के आने से पहले, हम अरब के व्यापारियों और सूफियों के संपर्क में थे। जिनका मकबरा मदुरई और तिरुचिरापल्ली के करीब की जगहों पर है, उससे भी पहले ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की

दरगाहअजमेर के पास है। जहाँ मुस्लिम और हिंदू साथ-साथ सदियों से इबादत कर रहे हैं।

पिछले करीब 6 सौ सालों में जब मुस्लिमों का राज धीरे-धीरे भारत के बड़े हिस्से में फैल रहा था, तब निश्चित तौर पर उनकी धार्मिक बर्बरता के कई किस्से हैं। लेकिन शायद उसकी वजह, जैसा कि कुछ शोधों से लगता है कि धार्मिक व्यग्रता से ज्यादा लूटपाट और लोगों को डराना-धमकाना थी।

यहाँ तक कि प्राचीन भारत में भी हमारी सहनशीलता की तुलना न करने वाले उदाहरण हैं। जब पाँचवीं शताब्दी (ईसा पूर्व) में मगध में अजातशत्रु और सातवीं शताब्दी (ईसा पूर्व) में बंगाल में शंशाक ने बुद्धों पर अत्याचार किया। बाद में शक्त, गणपत्य, शैव्य में भी संघर्ष चलता रहा। यहाँ तक कि 1096 में रामानुजाचार्य को भी अपनी आस्था के लिए श्रीरंगम त्यागना पड़ा।

ऐसा मुस्लिम या ईसाइयों के अत्याचार को कम करने के लिए नहीं बल्कि न्याय के संतुलन के लिया हुआ। मराठा आक्रमणकारियों ने (18वीं शताब्दी भगवा झंडों को थामे) बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई, लेकिन जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उसे कभी भी याद नहीं किया गया।

ब्रिटिश के विपरीत जब इस्लाम स्पेन से लेकर पैसिफिक तक विजय हासिल कर चुके थे, तब भी उन्हें भारत के बड़े हिस्से पर राज करने में 6 सदियाँ लग गईं।

मुस्लिम शासन में चल रही दिल्ली पर जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो उसने भी अपने हमले को सही ठहराते हुए कहा कि हिंदुओं के साथ रहकर मुस्लिमों की आस्थाएँ बिगड़ रही हैं। मध्यकालीन संतों पर अपने अध्ययन में क्षितिज मोहन सेन ने भी कहा कि हिंदुओं और मुस्लिमों की साधना हमारी धरती पर ही शुरू हुई।

आप विवेकानंद की बात को याद करें, उन्होंने भारतीय इतिहास में मुस्लिमों की सराहना की थी। भारतीय तुर्क के नाम से मशहूर अमीर खुसरो इस जमीन को कितना प्यार करते थे। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो हिदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए बहुत बड़ा नाम थे। यहबात कोई कैसे भूल सकता है कि अकबर ने महाभारत का उस दौर के बड़े कलाकारों द्वारा किए गए खूबसूरत रेखाचित्रों के साथ पारसी में अनुवाद कराया था।

मुझे अच्छी तरहयाद है कि 1940 में पाकिस्तान को लेकर शुरू हुए नए-नए वाद-विवाद में हिस्सा लेते हुए अब्दुल रहमान सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे और बाद में मुस्लिम लीग में चले गए, ने कहा था कि जब एक हिंदू मरता है तो उसके शव को जला दिया जाता है और अस्थियों को नदी में डाल दिया जाता है, उसकी लहरें भगवान जाने उसे कहाँ बहाकर ले जाती हैं। लेकिन जब एक मुसलमान मरता है तो उसे भारतीय जमीन के भीतर सिर्फ 6 x 3 फीट की जगहचाहिए होती है। वहजिंदा था तो यहीं का था, मरने के बाद भी यहीं का रहता है।

अटल आप और मैं दिल्ली के एक पत्रकार सुभान को जानते हैं, जिनके भाई मुहम्मद उस्मान आजाद भारत के पहले महावीर चक्र पाने वाले व्यक्ति थे। 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उन्होंने अपनी जान गँवाई थी। 1965 की लड़ाई के दौरान आप और मैं संसद में थे, हवलदार अब्दुल हमीद खान को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

अगर आपका और मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ होता तो हम शायद उन स्थितियों को बेहतर तरीके से समझ पाते जो प्रतिकूल होती हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ईश्वर के लिए अयोध्या के मुद्दे पर भारत को होने वाले खतरे से बचने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, कीजिए। 1941 में अपने आखिरी संदेश में रवींद्रनाथ ने कहा था कि मानवता पर से भरोसे का उठना सबसे बड़ा अपराध है। कृपया अगर संभव है तो आज के इस घनघोर निराशावाद से बाहर निकलने में मदद कीजिए।

शुभकामनाएँ,

हिरेन मुखर्जी

18 जून, 1987

इस पत्र के जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिरेन मुखर्जी को लंबा जवाब दिया, पर थोड़ी देर से।

प्रिय हिरेंद्र,

5 जून, 1989 को भेजे गए पत्र के लिए धन्यवाद। जरूरत से ज्यादा देरी से जवाब देने के लिए माफी चाहता

हूँ। मुझे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पालमपुर जाना था और उसके बाद भी मैं दौरे पर था। इस बीच मैंने देखा कि आपका मुझे लिखा गया पत्र प्रेस में प्रकाशित हो गया है, स्वाभाविक तौर पर इसके बाद मैंने आपको जवाब लिखने के लिए समय निकाला।

यहसत्य है कि राजनीतिक जीवन में हम कई बुनियादी मुद्दों पर एकमत नहीं होते हैं। बावजूद इसके आपके मिलने वाले प्रेम और लगाव की मैं बहुत कद्र करता हूँ। मेरे भीतर आपके लिए काफी सम्मान है। मैं अब भी उन दिनों को याद करता हूँ, जब मैं और आप एक साथ संसद में थे। मुझे 'भारतीयता' के संदर्भ में संसद के गलियारे में करीब दो दशक पहले आपसे हुई बातचीत याद है। वे बातें जनसंघ के तब के अध्यक्ष के 'भारतीयकरण' को लेकर किए गए आह्वान से पैदा हुई थीं। मैंने आपको विस्तार से बताया था कि इस आह्वान का मकसद समाज के किसी वर्ग पर जबरदस्ती कुछ थोपाना नहीं है, बल्कि भारतीयकरण की भावना को जाग्रत् करना है। जो पहले से मौजूद तो है, लेकिन व्यक्त कम ही की जाती है। आपने कहा था, मैं अपनी हिंदू परंपरा पर गर्व महसूस करता हूँ, क्यों नहीं करूँ? लेकिन मैं और ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ, मुझे मेरी हिंदू परंपरा के बारे में छत पर चढ़कर चिल्लाने दीजिए। गर्व की भावना के कम या ज्यादा होने का प्रश्न उठना ही क्यों चाहिए? मुझे गर्व से इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं नजर आती कि हम हिंदू हैं, बशर्ते

हम उतने ही गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं।

आपने रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया है, जब उन्होंने विश्वभारती की स्थापना के समय वेदों का आह्वान किया था, पूरी दुनिया को आमंत्रित करते हुए जैसे वहकोई एक घर हो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, अगर काफी समय पहले गुरुदेव को किसी ने 'सांप्रदायिक' कहा होगा या वेदों के आह्वान के लिए धार्मिक पुनरुत्थानवादी। यहाँ तक कि अकसर गांधी जी पर भी आरोप लगते थे कि वे हिंदू शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी में यहबात होगी कि कुछ लोग किसी कार्यक्रम के उद्घाटन के समय दीप जलाने या नारियल फोड़ने पर भी एतराज करते हैं।

मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय परंपरा की जड़ हिंदू परंपरा ही है। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब-जब विदेशी इस देश में आए उनकी परंपराओं और आदर्शों का असर पड़ा। भारतीय परंपराओं के जिन अंशों का जिक्र आपने किया है, वहमेरी कही बातों का समर्थन करते हैं। आपने अनेकता में एकता के बारे में लिखा है कि वहहमारे इतिहास का आधार है।

इससे स्वाभाविक तौर पर हमारे देश में सदियों से चली आ रही 'एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति' की बात दिमाग में आती है। आपने भारतीय सभ्यता में सामंजस्य की मूलध्वनि की बात सही कही है। मैं यहमानता हूँ कि ये सामंजस्य की प्रक्रिया खासतौर पर हिंदू-मुस्लिम के संबंध

में अपनी संपूर्णता के साथ पूरी नहीं होती।

मैं आपका ध्यान एक और टिप्पणी की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जो आपने अपनी बात के दौरान सरसरी तौर पर कही है, लेकिन मैं उसे काफी अहम मानता हूँ। आपने कहा है कि इस्लाम को स्पेन से प्रशांत तक फैलने में कुछ शुरुआती दशक लगे, जबकि भारत के बड़े हिस्से पर इस्लाम के शासन को जगहबनाने में 6 शताब्दियाँ लग गईं। काश, आपने इसके पीछे की वजहजानने की कोशिश की होती। शायद उसके जरिए हिंदू-मुस्लिम के प्रश्न पर कुछ प्रकाश डाला होता। अंग्रेजों के जाने के बाद, राजनीतिक दलों ने समाज में एकीकरण की प्रक्रिया को पलटने का प्रयास किया। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। वे पार्टियाँ, जो अपने धर्मनिरपेक्ष होने का डंका बजाया करती थीं, वे एक असल धर्मनिरपेक्ष सोच को मानने में नाकाम रहीं। देश की अखंडता के लिए काम करने की बजाय उन्होंने वोटबैंक को ध्यान में रखकर अपनी नीतियाँ बनाईं और मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। जो खुले तौर पर एक सांप्रदायिक संगठन था। कम्युनिस्ट पार्टी तो इस हद तक गई कि उसने एक सिद्धांत ही बना दिया कि अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता जैसा कुछ नहीं होता। कुछ समय पहले ही उन्हें इस बात का अहसास हुआ है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता भी उतनी ही बुरी है, जितनी हिंदू सांप्रदायिकता। निश्चित तौर पर

सांप्रदायिकता के जहर को नापने के लिए दो अलग-अलग पैमाने नहीं हो सकते। जब वहएक संप्रदाय में है तो एक पैमाना और जब दूसरे में है तो दूसरा पैमाना।

कांग्रेस पार्टी, जिसने आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक हमारे देश पर राज किया है, वहसबसे ऊपर आती है। केरल में मुस्लिम लीग के साथ उनका गठजोड़ कायम है। उन्होंने जम्मू में 1983 के चुनावों में फारुख अब्दुल्ला की पार्टी के खिलाफ चुनाव के वक्त हिंदू भावनाओं की परवाहतक नहीं की, और तो और हाल ही में मिजोरम में चुनाव के दौरान उन्होंने ईसाइयों की सरकार बनाने के लिए वोट माँगा। भारत के लोग धर्म के नाम पर बँट गए हैं।

हिरेंद्र, सामंजस्य की जिस मूलध्वनि का आपने अपने पत्र में जिक्र किया है, उसके तहस-नहस होने का क्या आपको कोई कष्ट नहीं? क्या आप इसके लिए प्राथमिक तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मानते, जो लगातार शासन में थी। जिसे बाकी पार्टियों को रास्ता दिखाना था। यहविडंबना है कि तमाम बातों के बाद भी ऐसा हो चुका है और यहाँ तक कि अब भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, जिस पर कई लोग यकीन भी करते हैं।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मामले में मुझे शुरू से ही यहस्पष्ट करने दें कि वे रिपोर्ट्स जो कहती हैं कि मैंने कहा, बाबरी मस्जिद को तोड़ देना चाहिए या मेरी अपनी

'भारत की खोज' ने मुझे भरोसा दिलाया है कि भारत सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही रहसकता है, ये रिपोर्ट्स सही नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि आपने ये रिपोर्ट्स कहाँ से ली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब दो साल पहले मुंबई की एक जनसभा में मैंने कहा था—"एक अच्छी भावना के साथ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की पूरी जमीन को हिंदुओं को दे देना चाहिए और इस भावना के बदले में हिंदुओं को मौजूदा ढाँचे के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए मंदिर बनाना चाहिए।" तब किसी ने इस सलाहपर ध्यान नहीं दिया। हाल ही में गृहमंत्री बूटा सिंहने देश के सांप्रदायिक माहौल पर चर्चा करने के लिए संसद में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। मैंने जब दो साल पुराने अपने इस सुझाव को दोहराया तो सैयद शहाबुद्दीन ने उस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी।

आप इस बात पर सहमत होंगे कि किसी नतीजे पर पहुँचने में हो रही देरी की वजहसे ही दोनों पक्षों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुझे लगता है कि इस देरी के लिए और मामले को जटिल बनाने के लिए थोड़ी जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए। शायद सरकार ने आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने फायदे के लिए इस मामले के खिंचते रहने और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का 'कार्ड' खेलते रहने में अपनी दिलचस्पी दिखाई हो।

हिरेंद्र, आपकी तरहही मैं भी राम जन्मभूमि-बाबरी

मस्जिद विवाद के शांतिपूर्ण हल के पक्ष में हूँ। जब मैं यहकहता हूँ कि इस तरहके मामले में कोर्ट समाधान नहीं करा सकती तो मेरा आशय है कि यहइतना संवदेनशील मामला है, जिससे तमाम लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, वे भी धार्मिक भावनाएँ, ऐसे में अदालत के फैसले को लागू कराना बहुत मुश्किल होगा। दुर्भाग्यवश, शाहबानो केस में अदालत के फैसले को बदलकर सरकार ने एक गलत परंपरा भी शुरू कर दी है।

पूरे स्थल को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के संदर्भ में एक धर्म की आस्था के पूजास्थल को तोड़कर दूसरे के लिए बनाए जाने को धार्मिक कट्टरपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे।

मुझे डर है कि अयोध्या में राममंदिर के लिए पवित्र शिलाओं को आपने भय फैलानेवाला मान लिया है। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति समिति के अगुवा एक पूर्व कांग्रेसी मंत्री हैं और बाकी जिम्मेदार लोगों का समूह, जिसमें पूर्व जज और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, वे इसको निश्चित करेंगे कि यहआंदोलन शांतिपूर्ण हो, ऐसा मुझे विश्वास है।

मैं यहभी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। हाँ, पार्टी के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर इससे जुड़े हुए हैं।

आपने इस आंदोलन को अखिल हिंदुओं का नाम दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर

वाम मोर्चे को छोड़कर संसद के सभी मुस्लिम सदस्यों के एक साथ होने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं बताना चाहता हूँ कि मथुरा और वाराणसी के हालात अयोध्या के हालात से तुलना करने लायक नहीं हैं। आखिरी की दो जगहों पर नियमित तौर पर पूजा होती है, जबकि बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि पर ऐसा नहीं है। संबंधित पक्षों को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि वे अयोध्या को मथुरा और काशी से अलग रखें। हम हरदम इतिहास से लड़ाई लड़ते नहीं रहसकते।

इस बात को तय करना असंभव है कि राम का जन्मस्थान बिल्कुल यहीं है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि अयोध्या के राजा राम, जिन्हें असंख्य हिंदू भगवान का अवतार मानते हैं, इसी ऐतिहासिक शहर में पैदा हुए थे। उनका मंदिर लंबे समय से यहाँ पर है, समय-समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है।

मुझे अकसर ऐसा लगता है कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग यहमानने लगा है कि बहुसंख्यक होने के बाद भी आज उनके लिए देश में प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। कॉमन सिविल कोड को लागू करने की नाकामी, बहुविवाहको रोकने, इससे जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभाव, शाहबानो के मामले में सरकार की भूमिका जैसी बातों से वे अपनी सोच को न्यायसंगत मानते हैं।

मुझे भरोसा है कि आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि राष्ट्रहित में हमें और सभी राजनीतिक दलों को उनकी

इस भावना को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

आपका

अटल बिहारी वाजपेयी

दो

7 दिसंबर, 1992 को टेलीविजन पर तबके प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव का राष्ट्र के नाम प्रसारण।

मेरे देशवासियो, मैं आज की शाम ऐसे वक्त में आपसे बात कर रहा हूँ जब हमारे देश का प्रजातंत्र जिन संवैधानिक आधार पर बना है, उस संस्थान, उसके सिद्धांत और मूल्यों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई के दौरान, हमने अपने आप से वायदा किया था कि हम अपने देश को शोषण, भूख और महामारी से दूर करेंगे। देश के हर नागरिक के प्रजातांत्रिक अधिकारों का सम्मान करेंगे और हर किसी को इस बात का अधिकार होगा कि वहअपने धर्म का बिना किसी अड़चन के पालन कर सके।

हमारे देश की विशालता एवं विविधता को देखते हुए, ये हम सभी की एक दूसरे के प्रति संवेदनाएँ हैं, जो इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकती हैं। ये भारत के लोगों में शांति और सौहार्द को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भले ही हमारे बीच जो भी मतभेद हों, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक रहना होगा।

प्रजातंत्र और धर्म निरपेक्षता वो एकमात्र नाजुक धागा है, जिसके दम पर हम अपने देश को चला सकते हैं।

पिछले कुछ सालों में देश ने कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियों को देखा है, जो ताकत हासिल करने के लिए शिष्टाचार, कानून और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद का इस्तेमाल अपने लिए सांप्रदायिक आधार बनाने के लिए किया है, जिसका चुनाव में फायदा उठाया जा सके। हमने इस मामले को आपसी तालमेल के जरिए सुलझाने का भरपूर प्रयास किया।

हम देश में एक ऐसे माहौल को कायम करने के लिए अपनी सीमाओं तक गए, जो सभी के लिए बेहतर हो। हमने सभी पार्टियों से बातचीत की और इस झगड़े के न्यायिक हल को निकालने की कोशिश की। मुझे एक प्रजातांत्रिक समाज में ऐसे मामलों के हल का और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, जहाँ सभी पक्षों की भावनाएँ बहुत मजबूत हों।

मैंने व्यक्तिगत तरीके पर इस मामले को बातचीत के जरिए या फिर न्यायिक समाधान की हर संभव कोशिश की। जब सभी प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष ताकतें इस दिशा में मदद कर रही थीं, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर न सिर्फ मेरे प्रयासों को नाकाम करने

की कोशिश की बल्कि जानबूझकर मेरे प्रयासों पर पानी फेरने और देश को मेरी नीयत के बारे में बहकाने का काम किया। आज अयोध्या में क्या हुआ, जहाँ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढाँचे को ढहा दिया गया। ये सभी भारतवासियों के लिए शर्म और चिंता की बात है।

हम सभी यहचाहते थे और मैंने कई बार कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस दिशा में भारत के अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी सक्रियता के साथ मदद के लिए तैयार थे। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने इसके बाद भी अलग विचारधारा पर चलने का फैसला सिर्फ इसलिए किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी तरहसत्ता हासिल की जा सकती है। ये देश के साथ विश्वासघात है, साथ ही जो राष्ट्रीय मूल्यों की विरासत हमारे अंदर हैं उससे मुकाबला किया जा रहा है। इसकी वजहसे हम सभी को अपमान का सामना करना पड़ा है। देश के प्रथम सेवक के तौर पर ये ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है बल्कि जनादेश भी यही कहता है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूती से सामना किया जाए। हम अपने देश के धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाएँगे। इस कठिन काम में मैं सभी देशवासियों का सहयोग और आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि हम सांप्रदायिक ताकतों की कपटपूर्ण चालों को बिल्कुल

बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मैं अयोध्या में इकट्ठा हुए सभी भटके हुए लोगों से अपील करता हूँ कि वे ऐसे लोगों की बातों में न आएँ जो देश का भला नहीं चाहते हैं, जो शांति नहीं चाहते हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए। मेरी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंहकी अगुवाई वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया है। जो ढाँचे को सुरक्षित रखने के बार बार किए गए अपने वायदे के तौर पर अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करने में पूरी तरहनाकाम रही।

मैं ऐसे सभी तत्त्वों को चेतावनी देता हूँ, जो ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, जिन्होंने देश में शांति को जोखिम में डाल दिया है। हम ऐसे किसी कदम को राष्ट्रहित में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस मुश्किल समय में आप सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करता हूँ। हमने पहले भी ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है और उससे बाहर निकले हैं। हमें एक बार फिर पूर्ण प्रतिबद्धता और आस्था के साथ सही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।

जय हिंद

तीन

ध्वंस के फौरन बाद सब अवाक् थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। नेता बूझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ? क्यों हुआ? सरकार और बीजेपी दोनों अपराध-बोध में थी। प्रधानमंत्री नरसिंहराव का अपराध-बोध उनके 'मिसकैलकुलेशन' से उपजा था। और अटल बिहारी वाजपेयी का अपराध-बोध संसद, न्यायपालिका को उनके दल द्वारा किए गए वायदे के टूटने से उपजा था। इसी अपराधबोध में लालकृष्ण आडवाणी लोकसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके थे। पहली बार लोकसभा में दोनों ने अपना-अपना पक्ष रखा। लोकसभा में सरकार के खिलाफ 17 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस बड़ी सार्थक रही। हम यहाँ तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर के भाषाणों को ज्यों-का-त्यों दे रहे हैं। इन भाषणों से आपको उस वक्त, देश की राजनैतिक सोच पता चलेगी।

राम का मंदिर छल और छद्म से नहीं बनेगा। राम

का मंदिर अगर बनेगा तो एक नैतिक विश्वास के बल पर—अटल बिहारी वाजेपयी

अभी जब मैं सदन में आ रहा था तो मैंने एक गुंबद के ऊपर यहलिखा देखा कि 'वहसभा सभा नहीं हो सकती जहाँ वृद्ध (विवेकशील व्यक्ति) मौजूद न हों, जो धर्म सम्मत बात न करें उसे वृद्ध नहीं माना जा सकता, वहधर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो और वो सत्य नहीं है जिसकी उत्पत्ति छल से हुई हो। आज सदन में मैं जो कुछ बोलूँगा, सच बोलूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ खुलकर बहस हो। अगर बहस में ऐसा दिखे कि हम दोष के भागीदार हैं, चाहे कितनी सीमा तक भागीदार हैं तो हम दोष मानने के लिए तैयार हैं। हमने प्रधानमंत्री को जो वचन दिया था, उस वचन का पालन करने का वहाँ (अयोध्या में) पूरा प्रयत्न हुआ, मगर उस वचन का पालन नहीं किया जा सका। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वशि्व हिंदू परिषद के चोटी के नेता वहाँ कारसेवकों को रोकने की कोशशि करते रहे। वीडियो टेप्स इसके साक्षी हैं, उस समय अनेक पत्रकार वहाँ उपस्थित थे। अभी अयोध्या में जो कुछ हुआ, उसकी सी.बी.आई. जाँच हो रही है। जाँच के परिणाम अभी प्रकट नहीं हुए हैं और मैं चाहूँगा कि सरकार के पास जो भी तथ्य हैं, उन्हें सरकार सदन के सामने रखे। हमारे पास जो तथ्य हैं, वे हम सदन में रख रहे हैं। मैं तो यहाँ तक, एक कदम आगे जाकर कारसेवकों से कहने के लिए तैयार हूँ कि जो

छोटी संख्या में कारसेवक थे, क्योंकि कारसेवक वहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने इस तरहके काम में हिस्सा नहीं लिया, इस तरहके काम में हिस्सा लेनेवाले जो लोग थे, उन्हें स्वयं सामने आकर कहना चाहिए कि हमने तोड़ा और हम उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। हम अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।

राम का मंदिर छल और छद्म से नहीं बनेगा। राम का मंदिर अगर बनेगा, तो एक नैतिक वशि्वास के बल पर बनेगा। अगर ढाँचा तोड़ने का इरादा होता, तो ढाँचा तोड़ने के लिए वहाँ इतने कारसेवक इकट्ठे करने की जरूरत नहीं थी। अयोध्या में तीन महीने में मेले होते हैं। अगर छुपकर काम करना था, अगर चोरी से काम करना था, अगर योजना बनाकर तोड़ना था तो इसके लिए कारसेवा की जरूरत नहीं थी।

मैंने इस सदन में वायदा किया था, 5 तारीख को मैंने लखनऊ में भाषण दिया था। कल्याण सिंहजी ने सुप्रीम कोट में एफिडेविट दाखिल किया, आडवाणी जी दौरा कर रहे थे, उसमें लगातार कहरहे थे मगर उसके पीछे एक आशा थी, एक वशि्वास था तो यहकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने अधिग्रहण का मामला है, उसके बारे में फैसला आ जाएगा। हमने केंद्र सरकार से कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से कहा था, फैसला कैसा हो, यहतो हम नहीं कहसकते, मगर फैसला जल्दी हो, कब तक मुकदमा लटका रहेगा। केंद्र

सरकार ने हमारे साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अदालत में यहकहने से इनकार कर दिया कि फैसला जल्दी होना चाहिए, कहा कि बहुत देर हो गई। उस दिन चह्वाण साहब ने कहा, जब बहस हो रही थी, 11 तारीख को टाल दिया। छहतारीख से कारसेवा का आयोजन था, उसके लिए वे सोचते थे कि हमें कुछ काम करने का अवसर मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर भी परिस्थिति पर काबू करने की कोशशि इस आशा से की गई कि 11 तारीख को फैसले के लिए रुका जाए। नेतृत्व की पूरी कोशशि रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक वहाँ खड़े होकर कहरहे हैं और अपनी भाषा में कहरहे हैं, दक्षिण की भाषा में कहरहे हैं कि अगर कोई स्वयंसेवक है तो उसे नहीं जाना चाहिए। उसे तोड़ने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यहकोई भ्रम में डालने की बात नहीं है।

जो पत्रकार वहाँ गए, उन्होंने मुझे बताया कि जब वहढाँचा टूटा तो आडवाणी जी का चेहरा आँसुओं से भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया कि जो कुछ हुआ है, उसका मुझे दुख है। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कल्याण सिंहजी ने इस्तीफा दे दिया। अब आप कहें कि यहसब नाटक था तो इससे देश में न तो शुद्ध राजनीति होती है और न सही सेकुलरवाद को बढ़ावा मिलता है।

मैं चाहता हूँ, तथ्य लाए जाएँ। हम तो जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बड़े संकट की बात है, बड़ी चुनौती

है। हमारा संगठन अनुशासित संगठन समझा जाता था, जिसकी यहछवि थी, जिसके बारे में यहकीर्ति थी कि जो तय कर लेते हैं, वैसा ही करते हैं। आज तो हमारे लिए कठिनाई पैदा हो गई है।

यहकौन ग्रुप है, यहकहाँ से आया है, किसने संगठित किया है, हम जानना चाहते हैं। मैं फिर इसको दोहराता हूँ कि जिन कारसेवकों ने वहाँ ढाँचा तोड़ने में हिस्सा लिया, वे सामने आएँ और अपना जितना भी हिस्सा लिया, उसको प्रकट करें। सजा मिलती है तो सजा भोगें। राम का मंदिर बिना सजा के नहीं बनेगा, इस तरहसे नहीं बन सकता। लेकिन इस समस्या के और भी पहलू हैं। वहाँ केवल ढाँचा नहीं तोड़ा गया, वहाँ मंदिर भी था। मस्जिद में तो नमाज नहीं होती थी। मस्जिद में तो प्रवेश बंद था, मगर मंदिर में पूजा होती थी कोर्ट के आदेश से। अब कोई सदस्य कहसकता है कि वहपहले मस्जिद थी, वहाँ मूर्तिया रखी गईं। यहबात सही है। मूर्तियाँ रखी गईं। मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मूर्तियाँ इस वशि्वास के कारण वहाँ नहीं रखी गईं कि वहराम का जन्मस्थान है और वहाँ राम की मूर्ति होनी चाहिए? जब मूर्तियाँ रखी गईं, तब तो भारतीय जनसंघ नहीं थी, वशि्व हिंदू परिषद नहीं बनी थी, बजरंग दल का नामोनशिान नहीं था। मगर उस क्षेत्र के लोगों के दिल में एक भावना थी। मुझे अफसोस है कि इस सवाल पर बहुसंख्यक समाज की

भावनाएँ कितनी गहरी हैं, कितनी तीव्र हैं, उसे अभी भी नहीं समझा जा रहा है। मैं भी नहीं समझा था।

आखिर स्थिति क्यों बिगड़ी? बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मैं केंद्र सरकार का संकट भी समझता हूँ और यहसंकट कल्याण सिंहसरकार के सामने भी था। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा कर रहे हो, यहकाबू से निकल जाएगा। मगर हमें भरोसा था। इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी के भरोसे को ठेस पहुँची तो हमें भी ठेस पहुँची है। कल्याण सिंहजी ने इस्तीफा दे दिया, आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया, मगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अर्जुन सिंहजी ने कहा कि मैंने पहले चेतावनी दी थी। अगर आपने पहले चेतावनी दी थी तो आप मंदिर-मंडल छोड़कर अलग क्यों नहीं हो गए, क्योंकि आप समझते थे कि प्रधानमंत्री जिस राहपर चल रहे हैं, वहठीक है। इसलिए एनआईसी ने सबके साथ मिलकर प्रधानमंत्रसी जी को अधिकार दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, अपने हिसाब से किया, सोच-समझकर किया। मैं उस दिन शाम को उनसे मिला था और मैं यहकहने के लिए तैयार हूँ कि यद्यपि मेरे दल के सभी सदस्य सहमत नहीं थे और प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशशि इस बात की कि वहाँ उस दिन गड़बड़ न हो पाए। कारसेवा हो जाए और ढाँचा भी सुरक्षित रहे और यहवचन दिया। कारसेवा के

लिए लोग गए थे, वे कारसेवा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जब लगा कि हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है और सरयू में बालू लेकर जाओ, गड्ढों में डालो और पानी लाओ, पानी डालो। एक बार वहकर चुके थे और मुझे लगता है कि उसमें एक ग्रुप ऐसा तैयार हो गया, जिसने कहा, अब हम यही करेंगे और ढाँचे पर धावा बोल दिया, ढाँचा तोड़ दिया। वहबुरा हुआ, लेकिन इसकी जो देश में प्रतिक्रिया हुई है और विदेश में जो प्रतिक्रिया हुई है, वहजरूरत से ज्यादा है। इसके लिए जो दृष्टिकोण है, इन समस्याओं की ओर देखने का और हमारी सरकार का जो रवैया है, वहभी कम दोषी नहीं है। हमने दुनिया को यहनहीं बताया कि यहविवादित ढाँचा है। हम यही बात करते रहे कि वहाँ मस्जिद है। हमने यहनहीं कहा कि मस्जिद का ढाँचा खड़ा है, मगर वहाँ एक मंदिर भी है, जिसमें पूजा होती है और यहझगड़ा 500 साल से चल रहा है। दुनिया में ऐसे उदाहरण हुए हैं। रूस ने वारसा पर कब्जा कर लिया था, एक चर्च बना लिया था। पहली लड़ाई के बाद पोलैंड स्वतंत्र हो गया और उन्होंने यहपहला काम किया कि उस चर्च को ढहा दिया। यहइतिहास है। टायनबी यहाँ आए थे, जो हम लोगों को ताना दे गए कि आपने जिस तरहसे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को रख लिया है, यहभारत में ही हो सकता है। हमने दुनिया में यहप्रचार किया। मैं प्रतिनिधिमंडल के रूप में हर साल यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता हूँ। वहाँ अब भी चर्चा

होती है। उन्हें पता नहीं है कि यहझगड़े की जगहथी, उन्हें पता नहीं है, यहमंदिर था, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ जो अवशेष निकले हैं, इस बार गिराने में जो अवशेष निकले हैं, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहाँ पहले मंदिर था। अगर ऐसी जगहहै तो क्या सद्भावना से यहमामला हल नहीं होना चाहिए?

इस बीच में देश में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिन्होंने हिंदू मानस को, हिंदू मानसिकता को प्रभावित किया है, चाहे वहकश्मीर में पृथकतावादी आवाज हो, चाहे वहपंजाब में हिंसा और हथियार लेकर उतारू होने वाले लोगों का आंदोलन हो, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे असम में घुसपैठियों के कारण एक गंभीर परिस्थिति का उत्पन्न होना हो, बहुसंख्यक समाज के मन में यहभावना पैदा हो रही है कि हमारे देश में आखिर यहहो क्या रहा है। शाहबानो के मामले ने इसको और भी बद्धमूल कर दिया, जब तक मामला नहीं उठा था, इंदौर की एक बूढ़ी महिला का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उसने एक फैसला दे दिया और उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने बैठक करके तय कर दिया कि कॉमन-सिविल कोड होना चाहिए। आरिफ मोहम्मद साहब उस वक्त बलिदान हो गए। बड़ा सुंदर भाषण दिया, कांग्रेस वालों ने बड़ी तालियाँ बजाईं और कहा कि नहीं, जो फैसला हुआ है, वहठीक हुआ है। सबके लिए एक शादी-ब्याहका कानून होना चाहिए। बाद में कांग्रेस पार्टी बदल गई। स्वर्गीय राजीव गांधी की राय बदल

गई। आरिफ साहब का क्या हुआ, आप जानते हैं। तब हमारे लोगों को लगा कि यहतुष्टीकरण की नीति है। क्या बहुसंख्यक समाज की प्रतिक्रिया नहीं होती है?

अभी मैं शारजाहका उदाहरण देता हूँ। शारजाहमें केरल के लोग काम करने के लिए गए। उन्होंने वहाँ क्लब बनाया हुआ है। उन्होंने वहाँ एक नाटक किया। वहनाटक ऐसा है, जिसके लिए उन्हें केरल से पुरस्कार मिल चुका है। अच्छे लेखक का नाटक है, मगर शारजाहमें यहखबर फैल गई कि इस नाटक में मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है। इसमें इस्लाम के खिलाफ बातें कही गई हैं। वहनाटक करनेवाले गिरफ्तार कर लिये गए। उन्हें छह-छहसाल की सजा हुई है और वे जेल में पड़े हुए हैं। क्या इसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि सरकारी स्तर पर क्या हुआ।

एक व्यक्ति हिंदुस्तान से काम करने के लिए गया। देश का नाम नहीं लेता हूँ। अपने साथ 'सत्यार्थ प्रकाश' की एक प्रति लेकर गया। वहसत्यार्थ प्रकाश रोज पढ़ता है। सोचा, अकेले में पढ़ते रहेंगे, कुछ बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। हवाई अड्डे पर उसका सामान देखा गया। प्रति पकड़ ली गई और उसे जेल में बद कर दिया गया। विदेश मंत्रालय जानता है कि ऐसी चीजों की चर्चा सचमुच में नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे देशों के साथ भी संबंध रखना चाहते हैं। हम उनकी नकल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहसमाचार यहाँ आया है। क्या इससे कट्टरता नहीं बढ़ती

है कि वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं। वहढाँचा ढहगया, इसके लिए तब से खेद कम हो गया, जब से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में मिनिस्टर ने खड़े होकर बुलडोजर का उपयोग करके मंदिर ढहा दिए। वहाँ मंदिर ढहाने का कौन सा प्रवोकेशन है?

आपने राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, किसलिए? उनका क्या अपराध है? सरकारें तो गईं, इसलिए कि वे भाजपा द्वारा शासित थीं, लेकिन वधिानसभाओं को क्यों तोड़ा गया? क्या उन्हें स्थगित नहीं रखा जा सकता था, क्या पहले वधिानसभाएँ स्थगित नहीं रखी गईं। इन वधिानसभाओं को तोड़ने की क्या जरूरत थी, शिकायत सरकारों से और वहभी शिकायत में कोई दम नहीं है। उन्हें कुछ काम करने देते, उन्हें कुछ शिकायत का मौका देते। वहभी नहीं किया और वधिानसभाएँ भंग कर दीं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 'बैन' पर आना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कुछ संगठनों को बैन कर दिया गया। किस आधार पर बैन कर दिया गया? 6 दिसंबर से पहले वे संगठन ठीक थे, देशभक्त थे, अनुशासित थे, 6 दिसंबर की घटना के कारण उन पर बैन लगाया गया। 6 दिसंबर को क्या हुआ, तस्वीर अभी साफ नहीं है, आप कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, सी.बी.आई. जाँच हो रही है और केंद्र ने फैसला कर लिया, इसलिए उनको बैन कर दिया।

इस देश की बदलती हुई मानसिकता को समझने का

प्रयत्न करें। मेरे मित्र शहाबुद्दीन यहाँ बैठे हुए हैं। मैं विदेश मंत्री था तो शहाबुद्दीन हमारे मंत्रालय में काम करते थे। इनकी ख्याति थी कि ये प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, क्योंकि फेडरेशन से शायद संबंधित रहे थे। हम इन्हें एक देश में भेजना चाहते थे। मैं नाम नहीं लूँगा। उस देश ने कहा कि आप किसी और को भेजो। वहकट्टरपंथी देश था। यहशहाबुद्दीन साहब की ख्याति है। फिर ये फौरन अपनी सर्विस छोड़ गए और वकालत करने चले गए। लेकिन अब मिस्टर शहाबुद्दीन में जो परिवर्तन हो गया है—'मुस्लिम इंडिया'। अगर मुस्लिम इंडिया अखबार निकलेगा तो 'हिंदू इंडिया' क्यों नहीं निकलेगा। मैं जानता हूँ कि शहाबुद्दीन बहुत आर्टिकुलेट हैं और इस बात का बहुत अच्छा जवाब देंगे। उसमें बहुत सारी सामग्री प्रकाशित करते हैं। लेकिन यहवातावरण को बिगाड़ रहा है।

शहाबुद्दीन साहब को याद होगा, 1986 में बंबई में एक सार्वजनिक सभा में मैंने यहभाषण दिया था कि अयोध्या का मामला हल हो सकता है। मैंने दो सुझाव दिए थे, मुस्लिम समुदाय अपनी स्वेच्छा से वहसारा ढाँचा हिंदुओं को दे दे। क्या आपकी भावनाएँ हैं। आप इसे राम का जन्मस्थान समझते हैं कि यहजन्मस्थान था, आप कहते हैं कि इसके प्रमाण थे। वश्‍िवास बड़ी चीज है। हम इस देश में रहते हैं। आप हमारे साथ रहते हैं। हमें साथ रहना है। अगर आप वश्‍िवास कर ते हैं कि जन्मस्थान था तो हम आपको देते हैं। मैंने कहा कि उसका दूसरा खंड यहहोना

चाहिए कि हिंदू पूरा ढाँचा पाने के बाद यहकहें कि हमारा संघर्ष समाप्त हो गया। यहढाँचा तोड़ा नहीं जाएगा। यहमंदिर कहीं और बनाया जाएगा। शहाबुद्दीन साहब ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि आप इस पर बातचीत करें। वहचिट्ठी मेरे पास रखी हुई है। यहकोई हल नहीं था।

अयोध्या ट्रेजेडी है। यहदोषारोपण का समय नहीं है। आप हम पर कितना दोषारोपण करेंगे, हम उतना ही सुर्खरु होंगे। आप हमें जितना दबाएँगे, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता नहीं समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ मस्जिद बनेगी। अब इतनी जल्दी घोषणा करने की क्या जरूरत थी। क्या बाहरी दबाव में की गई। क्यों तय नहीं कर लेते कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद थी, अब वहस्थान केंद्र के पास है। आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहो कि आप वहाँ खोदकर दिखाओ। पता लगे कि मंदिर था या नहीं। एक बार इस प्रश्न का निपटारा हो जाना चाहिए।

क्या किया आडवाणी जी ने? आडवाणी जी को सबेरे जब लोकसभा की बैठक हो रही थी, गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप देखिए, कितने हास्यास्पद आरोप हैं, आडवाणी जी अपील कर रहे थे कि ढाँचा नहीं टूटना चाहिए, टीवी में देख लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए। आपने ऐसी अफवाहें तैयार करवा दीं कि आडवाणी जी कहरहे थे कि एक धक्का और दो। यहआपकी

वश्विसनीयता है, यहसरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने वाली बात है और उनको गिरफ्तार कर लिया, लोकसभा की बैठक हो रही है, विरोधी दल के नेता हैं। वे अयोध्या में उपस्थित थे। मैं भी उनसे सुनना चाहता था कि क्या हुआ। मैं जानता हूँ कि ये इतने ईमानदार आदमी हैं और इतने बड़े आदमी हैं कि अगर उनसे कहीं गलती हुई होती तो वे मानेंगे।

हमने पहले दिन गड़बड़ नहीं की। बीजेपी वाले मुँहझुकाए, गरदन नवाए बैठे थे, हम चुप बैठे थे, शांत बैठे थे। तब भी आलोचना का विषय थे। तो फिर कर-धर के थोड़ा सा कुछ कर लिया, मगर वहपसंद नहीं आया। हम आपसे कहते हैं कि प्रश्न काल स्थगित नहीं होना चाहिए। आज मुझे अपने साथियों को मनाने में बहुत कठिनाई हुई। आडवाणी जी नहीं छूटे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कठिनाई है आडवाणी जी को छोड़ने में? आप कहते हैं कि बेल पर आ सकते हैं, आप छोड़ दो, उनका यहाँ एक भाषण हो जाए तो आसमान ऊपर से गिरेगा नहीं। क्यों जिद की है आपने। आप नहीं चाहते सामान्य स्थिति में बहस हो, आप नहीं चाहते, वे अपनी बात कहें, आप नहीं चाहते कि अयोध्या का पूरा तथ्य उजागर हो। हम चाहते हैं, उसमें अगर हमारी गलती है तो हम स्वीकार करेंगे।

गृहमंत्री बताएँ कि इंटेलीजेंस की क्या रिपोर्ट थी? जो सरकार वहाँ मौजूद थी, जो सरकारी अफसर वहाँ मौजूद थे, उनकी भूमिका क्या थी? ये बातें प्रकाश में आनी

चाहिए। खाली हमें दोष देकर आप राजनैतिक लाभ उठा लें, मगर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। एक नया प्रयास आरंभ करने की जरूरत है। अयोध्या एक चुनौती है, जिसको अवसर में बदला जा सकता है। यहसरकार ऐसा कर पाएगी, इसका मुझे भरोसा नहीं है। हाँ, मुझे इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाते हैं या उनके सहयोगी निर्णय नहीं लेने देते हैं? और अगर धृतराष्ट्र को दुर्योधन और दुशासन ने घेर रखा है —वे अगर चाहें तो भी न्याय के पथ पर नहीं चल सकते हैं। वे चाहें तो भी सत्य के पथ पर नहीं चल सकते हैं।

प्रधानमंत्री जी को विश्वास था कि जो कहरहे हैं कि इसका पालन होगा। हमको भी विश्वास था और इसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं और सारी सरकार शामिल है कि अयोध्या के मामले में ढाँचे को सुरक्षित रखने का काम और 2.77 एकड़ पर कारसेवा का काम अलग कर दिया जाएगा, लखनऊ बेंच का फैसला आ जाएगा और कारसेवा के लिए जो लोग इकट्ठे होंगे, उनको अवसर मिल जाएगा। यहहमें विश्वास था। आप कहेंगे कि आपका विश्वास विश्वास नहीं है, आप कहेंगे कि आपका विश्वास विश्वास है और हमारा विश्वास साजिश है। यहविश्वास को नापने के अलग गज कैसे हो सकते हैं, मगर वहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह11 तारीख कैसे आए?

बात विश्वास की हो रही है और मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के साथियों को

कठिनाई में डालना नहीं चाहता। जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि फैसला जल्दी हो जाए और हाईकोर्ट को आपत्ति क्या थी, मगर दोनों सरकारें वहाँ जाकर कहसकती थीं।

स्वामी जी ने अयोध्या के प्रश्न पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उसका कोई उत्तर नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप जाँच होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है? कम-से-कम मुझे जानकारी दें। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ।

कल्याण सिंहजी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेबिट दिए थे, उनका वहपालन नहीं कर सकी। इसलिए कल्याण सिंहजी ने इस्तीफा दे दिया। आपने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, आपने कल्याण सिंहकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। यहबहुत बड़ा काम किया आपने। कल्याण सिंहकी सरकार एक चुनी हुई सरकार थी। अगर कल्याण सिंहने अदालत की मानहानि की है तो अदालत में मुकदमा पेश है, अदालत उनको सजा देगी। जहाँ तक वहजनता के सामने उत्तरदायी थे, उन्होंने अपना नैतिक दोष स्वीकार कर लिया, त्याग-पत्र दे दिया। मगर आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, जैसा एक जनप्रतिनिधि सरकार को दूसरी जनप्रतिनिधि सरकार के साथ करना चाहिए। कल्याण सिंहसरकार को बर्खास्त करने के दो कारण बता दिए। यहजो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल की सरकारें बर्खास्त की गईं, इनका

कारण क्या है?

अब भारतीय जनता पार्टी को प्रतिबंधित करने की बातें हो रही हैं। आज मुझे बताया गया है कि कोई गृहराज्यमंत्री हैं, रामलाल जी, उन्होंने बयान दिया कि भरतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में काम करने की छूट नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? और आप हमसे पूछ रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं। हम आपमें विश्वास प्रकट करेंगे, आपको बधाइयाँ देंगे, हम आपकी पीठ थपथपाएँगे? अयोध्या में 6 तारीख को जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद जिस तरहका व्यवहार देश में हो रहा है और मेरे मित्र याद रखें, आज तो भारतीय जनता पार्टी है, मैं किसी रहस्य का उद्घाटन करना नहीं चाहता, जब बिहार में बड़े पैमाने पर हत्याएँ हो रही थीं तो कांग्रेस के नेता हमारे पास आए थे और कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए तो हम वहाँ की लालू सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे।

इंद्रजीत गुप्त ने कहा कि जरा धीरे। थोड़ा धीरे चलो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इस समय धीरे कौन चलने देगा। किसी की नजर मध्य प्रदेश पर लगी है। कोई हिमाचल प्रदेश में हिमालय की उत्तुंग शिखाओं पर फिर-फिर से राजभवन की सैर करने के सपने देख रहे हैं। क्या केंद्र ने कोई ऐसा निर्देश भेजा, जिसको इन तीन सरकारों ने पालन करने से इनकार किया है? क्या यहसच नहीं है, ये

सरकारें संविधान के दायरे में चल रही थीं। क्या यहसच नहीं है कि इन सरकारों ने यहसूचना दी थी, आप जो भी आदेश देंगे, हम उनका पालन करेंगे? फिर क्यों तोड़ा गया? क्या यहसंविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है? क्या यहसंविधान के अनुच्छेद का दुरुपयोग नहीं है?

आरएसएस पर प्रतिबंध पहले भी लगाया था। मुझे दुख हुआ, जब गांधी जी की हत्या का उल्लेख किया गया। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं पढ़कर बताना नहीं चाहता। यहकमीशन कहता है कि आरएसएस का इसमें कोई हाथ नहीं था, आप पढ़ सकते हैं, सारी दुनिया जानती है। नाथूराम गोडसे का आरएसएस के साथ कोई संबंध नहीं था, वहआरएसएस की आलोचना करता था, अपने पत्र में आरएसएस के खिलाफ लेख लिखता था, वहदस्तावेज है।

मेरा कहने का मतलब है कि आप अलग राजनीतिक लांछन लगाना चाहते हैं, एक-दूसरे पर लांछन लगाना चाहते हैं तो और बहुत से मसले हैं, गांधी जी को बीच में मत लाइए। गांधी ने देश को जो दिया है और आगे गांधी से हमें जो लेना है, यहस्वराज, यहस्वदेशी, यहस्वावलंबन, यहस्वभाषा और सही उद्देश्यों के लिए सही साधनों का उपयोग, यहगांधी ने हमको दिया है। अब आप कहेंगे कि क्या आप गांधी को मानते हैं, मैं आपसे पूछूँगा कि क्या आप गांधी को मानते हैं, तो यहबहस हमें कहाँ ले जाएगी, गांधी एक व्यक्तित्व है, उसको इस तरहसे घसीटिए मत।

बीजेपी से लड़ने का भी यहतरीका नहीं है कि प्रतिबंध लगा दो, उसकी मान्यता समाप्त कर दो, उसको चुनाव लड़ने से वंचित कर दो। अरे, विचार का मुकाबला विचार से कीजिए। और मैं आप से कहरहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, चंद्रशेखर जी यहाँ बैठे हैं। वे इस बात को समझ रहे हैं, आडवाणी जी की गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया है। सरकारें जिस तरहसे भंग की गई हैं, उसका उन्होंने विरोध किया है। डीएमके, एडीएमके के मेंबर बोले, बहुत से कांग्रेस के मेंबर भी मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सरकारें भंग करना नहीं चाहते थे, मगर बाएँ और दाएँ बैठी हुई शक्तियों ने प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर दिया।

बैन लगाया गया है, बैन की छीछालेदर हो रही है। बैन लगाने के आपने कारण नहीं दिए। अभी एक ट्रिब्यूनल बनाना है, 30 दिन आप रोक नहीं सकते थे? ट्रिब्यूनल विचार कर सकता था। आप तो न्यायपालिका के बड़े पक्षधर हैं। आप कोई काम मनमानी से नहीं करना चाहते। आप अयोध्या में घंटों प्रतीक्षा करते रहे। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को दोष नहीं देता हूँ। आप कहेंगे, नूराकुश्ती हो रही है। मैं लखनऊ में जीता हूँ, मगर अभी तक मुझे नूराकुश्ती समझ में नहीं आई। यहकुश्ती का कौन सा प्रकार है?

मैं इस बात को कहचुका हूँ कि साधु-संतों से और विश्व हिंदू परिषद से बहुत चर्चा हुई थी और श्री शरद पवार ने

भी उसमें भाग लिया था। जो प्रस्ताव उभरे थे, वे प्रस्ताव इस रूप में उभरे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट की सलाहके लिए भेज दिया जाए। दूसरा, साधु-संत इस बात पर बल देते रहे कि 2.77 एकड़ पर हमें कारसेवा करने का अधिकार मिलना चाहिए और सब इस राय के थे कि जो विवादित ढाँचा है, उसकी पूरी रक्षा होनी चाहिए। पैकेज आपने नहीं माना। इस सदन को गुमराहनहीं करूँगा। अब मैं पुरानी चर्चा छोड़ता हूँ।

अब नई परिस्थिति पैदा हो गई है। ढाँचा ढहगया है। जिन्होंने यहसोचकर ढाँचा ढहाया कि मस्जिद ढहा दी, उन्होंने मंदिर भी ढहाया, जिसकी मुझे पीड़ा है और मुझे दुख है। वे जोश में यहभी भूल गए कि वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा हो रही है, आरती होती है और नमाज बंद है। यहदुनिया को बताते, जो आपने नहीं बताया कि विवादित ढाँचा था, जो मस्जिद कम था, मंदिर ज्यादा था।

अब सरकार क्या करना चाहती है, क्या इरादा है, क्या कन्फ्यूजन है। एक दिन कहती है, वहढाँचा फिर बनेगा, फिर से बनेगा तो वहाँ एक स्तूप था, एक मेहराब था, जो मस्जिद का हिस्सा था, एक स्तंभ था, गर्भगृहमें रामलला विराजमान थे, कसौटी में एक पत्थर लगा था, कई चीजें वहाँ ऐसी अंकित थीं, क्या उसको फिर उसी रूप में खड़ा किया जाएगा। मेरा निवेदन यहहै कि अभी समय है और आप इस समस्या को तत्काल एवं स्थायी तौर पर हल करने का प्रयास करें। अगर हमें चुनाव में इसका लाभ

उठाना होता तो हम साधु-महात्माओं को कहते कि अभी कारसेवा करने की जरूरत नहीं है, अभी चुनाव होने वाले नहीं हैं, जरा रुक जाइए। क्योंकि साधु-महात्मा इस तरहसे रुकनेवाले नहीं हैं, वे मंदिर निर्माण के साथ जुड़े हैं, वोट के साथ नहीं जुड़े हैं।

अब सरकार क्या करना चाहती है। सदन को विश्वास में ले, देश को विश्वास में ले। एक सुझाव मेरा यहहै कि वहाँ इस समय और भी उत्खनन किया जाए कि सचमुच में मंदिर था या नहीं। प्रमाण हमारे पास हैं, जो निकल रहे हैं, वे इसकी पुष्टि करते हैं कि मंदिर था और मुस्लिम नेता यहवादा कर चुके हैं...(सैयद शहाबुद्दीन ने बीच में रोककर कहा—हम कोई वादा नहीं करते हैं...हमें धोखा दिया, अब कोई शॉर्टकट नहीं होगा, अब कानून फैसला करेगा और उसके सिवा कोई फैसला नहीं करेगा।)

अच्छा है, मेरे दोस्त शहाबुद्दीन जी ने भरी सभा में यहबात कहदी। इनका एक पत्र है मेरे पास 4 जुलाई, 1887 का। यहपत्र प्रिंस अजुम कदर को लिखा गया था, जो कि शियाओं के भी नेता हैं। जो मस्जिद बनी हुई थी, उसका मालिकाना शिया लोगों का है, वहशियाओं की थी, ऐसा दावा किया जाता है। बूटा सिंहजी को भी इन प्रयत्नों का स्मरण होगा कि शिया इस राय के हो गए थे कि यहझगड़ा खत्म होना चाहिए। अगर हिंदू बहुसंख्यक यहअनुभव करते हैं कि जहाँ राम का जन्म हुआ था, वहमंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हम

उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मगर शहाबुद्दीन साहब ने होने नहीं दिया, इन्होंने पत्र लिखा और आज वहखुलकर सामने आ गए।

हम भी यही कहते थे कि हम मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहते, हम सम्मान के साथ उसे दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, राम जन्मस्थान से अलग। थोड़ा दूर जाकर वहाँ मस्जिद बने, हम उसमें कारसेवा करने के लिए तैयार हैं, हम उसमें योगदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहनहीं हो सका।

कल से हम यहसुन रहे हैं। संविधान की दुहाई दी जाती है। न्यायपालिका का सम्मान किया जाए, इस पर बल दिया जाता है; लेकिन बार-बार यहबात भी कही जाती है कि शादी-ब्याहका कानून एक नहीं हो सकता, क्योंकि वहशरीअत के खिलाफ है और शरीअत 'डिवाइन लॉ' है। मैं आपकी मान्यताओं पर कोई आँच नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन आपने सोचा कि अगर दूसरा समाज भी कुछ मान्यताओं पर इस तरहसे अड़ गया। वहहिंदुओं के लिए—अयोध्या पवित्र राम जन्मस्थान—एक स्थान है और विश्वास है। कोई तर्क से या तथ्यों से सिद्ध नहीं कर सकता। हाँ, विश्वास है।

जहाँ मैंने आरंभ किया था, मैं वहीं समाप्त करना चाहरहा हूँ। मैंने कहा था कि देश तिराहे पर खड़ा है। एक तरहकी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर, एक तरहकी कट्टरता को बढ़ावा देकर आप दूसरी तरहकी कट्टरता से

नहीं लड़ें, मगर आप यही कर रहे हैं और अब इस समय आइए, हम एक नई शुरुआत करें। अयोध्या, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अवसर में बदला जा सकता है। आपने हमारी सरकारें तोड़ दीं, ठीक है। आप प्रतिबंध लगाओगे तो हम लोगों के पास जाएँगे और आज जितनी संख्या है, उससे हम ज्यादा चुनकर आएँगे, आप यहयाद रखिए। आपको इस देश के मूड का पता नहीं है और अगर आप समझते हैं कि हमारा सफाया हो जाएगा तो मैं वहअविश्वास का प्रस्ताव लाया हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि आप लोकसभा भंग कर दो और जनता के पास चलो तो पता चलेगा कि देश की जनता क्या निर्णय करती है।

हमने राज्य सरकार पर भरोसा किया, राज्य सरकार ने हमें धोखा दिया—नरसिंहराव

यहदेश एक महान् देश रहा है। देश में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। लेकिन हर संकट से यहदेश मजबूत होकर निकला है। मुझे आशा है कि छहदिसंबर को अयोध्या में हुए विश्वासघात और गुंडागर्दी को यहदेश जल्दी ही भूल जाएगा। मेरी भगवान् से यही प्रार्थना है। इसकी जरा सी भी याद देश के लिए नुकसानदेहहोगी। मैं सभी वर्गों से और पूरे सदन से अपील करता हूँ कि वे इस शर्मनाक हादसे को भुलाने में मदद करें। पूरे संसार को बता दें, यहएक क्षणिक भटकाव था। यहाँ हमारों साल से भाईचारे और सौहार्द का माहौल रहा है और आगे भी

हजारों साल तक रहेगा।

आपको सबकुछ मिल जाएगा, पर मजिस्ट्रेट नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ, मजिस्ट्रेट कहाँ से लाएँ। अगर राज्य सरकार 20 मजिस्ट्रेट नहीं देती, जिनकी जरूरत है, तो क्या आप दिल्ली से ले जाएँगे। क्या यहकानूनी तौर पर संभव है।

हमारी पहली प्रतिक्रिया मस्जिद बचाने की थी। हम उनसे मस्जिद बचाने के लिए सुरक्षा बलों को इस्तेमाल करने के लिए कहते रहे। हम यही कर सकते थे। छहदिसंबर को रात 9.10 बजे राष्ट्रपति ने कागजों पर दस्तखत कर दिए। शंकरराव चह्वाण साढ़े सात बजे कागज लेकर (राष्ट्रपति शासन के) राष्ट्रपति के पास गए। उसके बाद से लगातार कार्रवाई हुई है। यहनई दिशा है। चुनौती सवीकार कर ली गई है और जंग शुरू हो गई है। अब इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। अब नया इतिहास बनाने की जरूरत है। बहुत सालों बाद पहली बार देश की धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक साथ आई हैं। यहबहुत जरूरी था। हम यहदेखेंगे कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता की साख फिर बने। हमारे महान् नेताओं ने संविधान और अपने निजी उदाहरण के जरिए जो कुछ बताया है, हम करेंगे।

इंद्रजीत जी ने अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं भी संविधान सभा के उस प्रस्ताव को यहाँ पढ़नेवाला था। मैंने पार्टी की एक बैठक में इसे उठाया था। धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र में

गैर-धर्मनिरपेक्ष पार्टी का क्या स्थान हो। या ऐसे जनतंत्र में चलनेवाली पार्टी का ढाँचा और कार्यक्रम क्या हो? इस सवाल पर राष्ट्रीय बहस हो। हम देख रहे हैं कि एक पार्टी ने धार्मिक मुद्दे को अपना मुख्य आधार बना लिया है। मेरी धार्मिक मुद्दे से कोई शिकायत नहीं है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन एक धार्मिक मुद्दे को चुनाव-दर-चुनाव राजनीति में लाया जाना मंजूर नहीं है। इसको रोका जाना चाहिए। अगर एक पार्टी का उम्मीदवार एके-47 लेकर चलता है और दूसरे उम्मीदवार के पास कुछ नहीं है तो यहगैर-बराबरी की लड़ाई है। अगर एक पार्टी राम को अपना प्रवक्ता बना लेती है और दिन-रात लोगों के दिलो-दिमाग को प्रभावित करती है तथा दूसरी पार्टी इसका नाम भी नहीं लेती, क्योंकि वहधर्म निरपेक्ष है तो यहबराबरी की लड़ाई नहीं हुई। मेरी समझ से संविधान गैर-बराबरी की लड़ाई की इजाजत नहीं देता।

दोनों टीमों के लिए बराबर की लड़ाई होनी चाहिए। जो चुनाव में भाग लेते हैं, उन्हें कुछ मार्ग-निर्देशों का पालन करना होगा। कुछ सिद्धांतों पर चलना होगा, जिनका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। इसे देखना पड़ेगा। राम जहाँ हैं, वहीं रहने दीजिए। हम दूसरे मुद्दों पर लड़ें। मैं दूसरी पार्टियों से अपील करता हूँ। जो समझ रही हैं, यहउनकी स्थायी जागीर है, यहनहीं होगा। भारतवासी इस खेल को समझ सकते हैं। हो सकता है, आप पाँच साल तक अनावश्यक मुद्दे पर अपना समय बरबाद करते रहजाएँ।

हमें संविधान सभा के इस प्रस्ताव पर सोचना होगा। मैं जल्दी ही इस पर सदन में और विपक्षी नेताओं से बात करूँगा। इस पर राष्ट्रीय बहस हो। यहगड़बड़ी पिछले एक दशक में बढ़ी है। इसकी शुरुआत छोटी-छोटी बातों से हुई। लेकिन इसने सभी दलों को प्रभावित किया है। आज जब मैं कहता हूँ कि जो हुआ है, उसे खत्म करना है तो हर पार्टी में भवें तन रही हैं। मैं चाहता हूँ, यदि हम धर्म-निरपेक्ष हैं तो गुंडों को गुंडागर्दी का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ढाँचे के पुनर्निर्माण के बारे में उसकी राय माँगी। हम सभी पहलुओं की पड़ताल करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहअचरज की बात है कि यहबहस अविश्वास प्रस्ताव के रूप में हो रही है। क्योंकि भारत सरकार ने भाजपा की राज्य सरकार पर भरोसा किया। शायद यही न्याय है। लेकिन हम इस देश को कैसे चलाएँ। केंद्र राज्य संबंध कैसे चलें। संदेहके आधार पर? अविश्वास के आधार पर? हमने राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में देखा है कि हर समस्या अलग से बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उसका हल खोजती हैं तो सब आसान हो जाता है। देश का संघीय ढाँचा ऐसे ही चलता है। लेकिन क्या केंद्र सरकार के लिए यहसंभव है

वहयहकल्पना भी कर सके कि एक राज्य सरकार अदालत के हलफनामे और आश्वासनों को इस तरीके से तोड़ देगी कि आखिर तक उसकी भनक न लगे।

इसीलिए मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि यहसब पूर्ण नियोजित ढंग से हुआ है। इसकी जाँच हो रही है। इसलिए मैं उसके नतीजे पर कोई कयास नहीं लगाऊँगा। लेकिन यहनियोजित नहीं था। यहदुर्घटना नहीं हो सकती। भाजपा सरकार पर भरोसा करने के लिए मेरी आलोचना हुई है। राज्य सरकार पर भरोसा करने का अपराध मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या और कोई विकल्प था? जब सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार पर भरोसा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई के बाद राज्य सरकार पर ज्यादा भरोसा करता रहा और उससे हलफनामा माँगता रहा। उन्हें राज्य सरकार पर पूरा भरोसा था। केंद्र सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में पार्टी नहीं है। हमने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को वहजिस तरहचाहे मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी इतनी ही भूमिका थी।

छहदिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को भी आघात लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वहगौर करनेवाला है। क्या हमने पहले नहीं कहा था। वे सही सिद्ध हुए हैं। मैं जुलाई में सही साबित हुआ था। सवाल है कि इस प्रक्रिया में भारत के संविधान का क्या हुआ? वहपूरी तरहध्वस्त हो गया। यही हाल संविधान के अनुच्छेद 353 का हुआ। हमने कई बार सरकारों को भंग किया है। राज्य में भी उसी पार्टी का

शासन हो, जिसका केंद्र में है तो इस्तीफा देना आसान होता है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति शासन इस्तीफे से शुरू नहीं होता। लेकिन किसी मामले में अनुच्छेद 356 को कसौटी पर नहीं कसा गया।

हमने अर्धसैनिक बल भेजे, ताकि राज्य सरकार को जब भी जरूरत हो, उनका इस्तेमाल कर सके। राज्य सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि वहइन बलों का इस्तेमाल नहीं करेगी। छहदिसंबर को राज्य के गृहसचिव (जो मुख्यमंत्री के पास बैठे थे) ने कहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दोपहर 2.20 बजे आइटीबीपी के महानिदेशक ने गृहमंत्री को बताया कि तीन बटालियन जो अयोध्या की ओर रवाना हुईं, उन्हें रास्ते में रोका गया। सड़क पर अवरोध थे और लोगों ने रास्ता रोक दिया था। साकेत डिग्री कॉलेज के पास सुरक्षा बलों को फिर रोक लिया गया। हलका पथराव भी हुआ। मजिस्ट्रेट ने लिखित आदेश दिया कि वे वापस चले जाएँ। सुरक्षा बल की बटालियनें लौट आईं। कमिश्नर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी हालात में गोली न चलाई जाए।

मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहमौका कब आया, जब कहा जा सके कि राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये कठिनाइयाँ हैं। अगर अनुच्छेद 356 में 'ऐसी स्थिति पैदा हो गई है' की जगह'ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना है' होता तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को आसानी होती। पहली बार

अनुच्छेद 356 कसौटी पर है। यहकारण है जिनकी वजहसे मैंने राज्य सरकार पर भरोसा किया।

आई.बी. की रिपोर्ट में भी यही है। छहदिसंबर से तीन दिन पहले राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने यहभी लिखा था कि ऐसी कोशिश हुई तो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यहएक तरफ है। दूसरी तरफ ज्यादा जानकार लोगों की सलाहहै।

हम इस नतीजे पर पहुँचे कि राष्ट्रपति शासन लगाना ठीक नहीं है। अयोध्या की स्थिति ऐसी थी कि बहुत सावधानी से कदम उठाने की जरूरत थी। बाबरी मस्जिद व वहढाँचा बंधक था। एक तरफ बातचीत के जरिए इसकी सुरक्षा की संभावना थी, दूसरी तरफ आपके पास समय नहीं था। इसे कुदाल से ही नहीं, मिनटों में क्या सेकेंडों में टेनिस गेंद के बराबर बम से उड़ाया जा सकता था। अगर राज्य सरकार की मिलीभगत थी। यहमाँ के बच्चे की हत्या जैसा है। आप इसकी उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब यहहोता है तो कोई बचा नहीं सकता। यहमेरी स्थिति है।

जुलाई में मैं कामयाब रहा। उस समय सब ठीक हो गया। मैं उसी रास्ते पर चल रहा था। बातचीत चल रही थी। दो बैठकें हो चुकी थीं। तीसरी बैठक में सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फैसला होनेवाला था। उसी समय सब

गड़बड़ किया गया। इतिहास और लोग इसका न्याय करेंगे। मेरी पार्टी में इस पर मतभेद हैं। मैंने पार्टी से कहा कि कांग्रेसजनों का अलग-अलग राय रखना संभव है। कौन सही साबित हुआ और कौन गलत, यहसवाल नहीं है। आप एक निर्णय लेते हैं, उस पर डटे रहते हैं। आप जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते।

जब कल्याण सिंहने इस्तीफा दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय सरकार को बर्खास्त करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता था और वहहुआ। मैंने मित्रों और दूसरे दलों की सारी आलोचना झेली हैं। मैं केवल कुछ तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तथ्यों के बावजूद विश्वासघात हुआ। षड्यंत्र का पता बहुत देर से चलता है। इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या नहीं होती, अगर षड्यंत्र का पहले से पता चल जाता। कोई नहीं कहसकता कि वहपूरी तरहसही हैं। कोई भी योजना सौ फीसदी कारगर नहीं हो सकती।

आपको सब कुछ प्राप्त है परंतु दंडाधिकारी नहीं मिलते। क्या यहसंभव है? मैं यहपूछना चाहता हूँ कि आप दंडाधिकारियों को कहाँ से लाएँगे? यदि राज्य सरकार आपको वे 20 दंडाधिकारी नहीं देती, जिनकी जरूरत है, तब क्या आप उनको दिल्ली से लाएँगे, क्या कानूनी तौर पर ऐसा संभव है? क्या कोई विधिवत् मुझे बताएगा?

रात के 9.10 बजे माननीय राष्ट्रपति ने पत्रों पर हस्ताक्षर किए । रात 7.30 के आस पास श्री एस.बी.

चह्वाण ये पत्र लेकर उनके पास गए थे। अगर मुझे ठीक से याद है तो यही समय हुआ था।

एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में गैर-पंथनिरपेक्ष दलों का क्या स्थान होना चाहिए और... में भाग लेने वालों दलों के गठन और उनका कार्यक्रम क्या होना चाहिए, यहएक प्रश्न है, जिस पर राष्ट्रस्तरीय चर्चा होनी चाहिए। मैं इस पर चर्चा के पक्ष में हूँ, मैं यहचाहता कि विचार का और... एकजुट हो जाए, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है, जब हमें इन ताकतों में समन्वय शक्ति दिखाई देती है। कई वर्षों तक हम इसी तरहचलने की को शिश करते रहे हैं। लेकिन अब यहदेखा है कि एक राजनैतिक दल ऐसा है जो कि धार्मिकता को चुनावी मुद्दे के रूप में लेता है, किसी धार्मिक मुद्दे के विरुद्ध नहीं हूँ और न मैं किसी धर्म के विरुद्ध हूँ, परंतु धार्मिक मुद्दे को राजनीति में शामिल करके एक के बाद दूसरा चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

राम को अपने हाल पर ही रहने दीजिए। हमें अन्य मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जो कि जनता को दृष्टिगत रखते हुए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हों और संविधान को सही तरीके से अमल में लाने का केवल यही एक तरीका है। मैं अन्य राजनीतिक दलों से, जोकि यहसोच रहे हैं कि शायद धार्मिक मुद्दे उनके लिए स्थायी संपत्ति बन गए हैं, यहअपील करता कि ये उनके लिए स्थायी संपत्ति नहीं बन

पाएँगे। भारत के लोग बड़ी आसानी से और जल्दी ही इस चाल को भाँप लेंगे। आप एक चुनाव अथवा दूसरे चुनाव या फिर उससे अगले चुनाव में जाकर देखें, इससे लोग यही देख पाएँगे कि शायद आपने अपने पाँच वर्ष बिना कोई कार्य किए व्यर्थ में ही गवाँ दिए हैं और केवल अनावश्यक नारेबाजी ही की है ।

यदि हम पंथनिरपेक्ष हैं तो किसी पार्टी को इस तरहका विनाश कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ। चर्चा के दौरान प्रत्येक बात पर चर्चा की जाएगी। हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और हम तरीकों का पता लगाएँगे। इसके बारे में मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ। मैं एक बार फिर आपसे अपील करना चाहूँगा कि आज जोड़-तोड़ लगाने का समय नहीं है, हमें एक कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ना होगा।

जहाँ तक पुनर्वास और उपायों का संबंध है, मैं सोचता हूँ कि इस बारे में जो कुछ निर्णय लिया गया इसकी जानकारी सभा को दे दी जाए। भारत सरकारों को सलाहदी है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, जोकि हाल ही के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर पाए। इस प्रकार सांप्रदायिक दंगों में हुए लोगों को जो अनुग्रहउपदान सहायता की व्यवस्था की गई है, वहप्रत्येक राज्य में

अलग-अलग है। सरकार इस बात को देखेगी कि सभी राज्य सरकारों द्वारा दंगा-पीड़ितों को एक समान आधार पर सहायता दी जाए, ताकि जो लोग दंगों में मारे जाते हैं, उनके निकटतम संबंधी को एक लाख रुपये की सहायता दी जा सके और जो लोग हमेशा के लिए अक्षम होकर रहजाते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा सके। इस विशेष घटना के बारे में मैं यहकहना चाहूँगा कि इस अपवाद का मामला जिन लोगों की मृत्यु हो, उनके मामले में इस सहायता रा शि को बढ़ाकर दो लाख रुपये करना चाहेंगे।

गड़बड़ी के दौरान जिन धर्म-स्थलों को क्षति पहुँची है, उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी। अनुग्रह-उपदान राहत के अतिरिक्त मृत्यु या गंभीर रूप से जख्मी होने अथवा संपत्ति को क्षति पहुँचने की अवस्था में भारत सरकार राज्य सरकारों से सिफारिश करेगी कि हाल के सांप्रदायिक दंगों में हुए लोगों को निम्नलिखित सहायता भी दी जाए ।

उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि इस विशेष विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अंदर अपने विचार प्रस्तुत किए जाएँ। हम इस विषय के सभी पहलुओं की जाँच कर उच्चतम न्यायालय को अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस पर विचार किया जा रहा है।

महोदय, प्रचार माध्यमों के सदस्यों के संबंध में जाँच

आयोग बनाने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। इस बीच हमने ये निर्णय लिया है कि जिन लोगों के उपकरणों आदि को क्षति पहुँची है, उन्हें क तिपय रियायतें दी जाएँ, जिसके बारे में उन्होंने स्वयं भी कहा था। इस प्रकार संचार माध्यमों के सदस्यों के साथ क्या हुआ, इस बारे में जाँच आयोग को काफी बारीकी में जाकर पता चलेगा।

महोदय, मैं इस अवस्था में एक बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। श्री अटल जी की सूचना के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि लखनऊ पीठ की कार्रवाई में केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं था। हमें तो इससे इसलिए संबद्ध किया गया है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम केंद्रीय अधिनियम होता है, केवल इसलिए। हम इससे पूरी तरहसे संबद्ध नहीं हैं। कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाए।

(अविश्वास प्रस्ताव पर तीन दिन चली बहस के जवाब में प्रधानमंत्री नरसिंहराव का भाषण)

सरकार और विपा, दोनों ही चूक गए। राष के माथे पर कलंक लगा है—चंद्रशेखर

हमारे सामने भारत में कई बार उतार-चढ़ाव आए, लेकिन दुनिया में एक ही सभ्यता, अगर मिस्र् की सभ्यता को छोड़ दिया जाए, जो कभी मिटी नहीं, कभी टूटी नहीं और कभी मरी नहीं। हिंदू धर्म अकेला धर्म है। मैंने एक बार इस सदन में कहा था कि मुझे हिंदू होने का इसलिए गर्व है कि हिंदू धर्म ने सबको अपनाया, किसी को ठुकराया नहीं। हिंदू धर्म ने सबकी इज्जत की, सब धर्मों के जो

अच्छे गुण थे, उनको लिया। बौद्ध ने हिंदू में ब्राह्मण धर्म को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू धर्म ने उनको अवतार बनाकर उसकी पूजा की। यहहमारी परंपरा रही है, यहहमारी भावना रही है और यहसभ्यता तथा संस्कृति रही है। वहशालीनता, वहसौष्ठव, वहसंवदेनशीलता कहाँ गई? अटल जी ने कहा कि हम दूसरे दिन लज्जित थे, दुखी थे। उनका बयान था। आडवाणी जी, विपक्ष के नेता ने इस्तीफा भी दिया। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी, हम अपने वायदे को पूरा नहीं कर सके। हम देश के ऊपर कलंक लगाने के लिए जिम्मेदार हैं और सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या यहगिरफ्तारी, आई.पी.सी. की जो मामूली धारा है, जिसमें आप विशेष अतिथि के रूप में जेल में बंद किए जाते हो, उसके कारण अपनी सारी परंपराओं को तोड़ करके, दूसरे दिन अपना रुख ही बदल दिया। शालीनता, सौष्ठव, संवेदनशीलता, भारतीय परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, तहजीब और तबददुम—क्या चंद लोगों की गिरफ्तारी से आप सब भूल गए। मैं मानता हूँ, आप जानते हैं कि उस गिरफ्तारी के हक में मैं नहीं था। आज भी मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन उसी गिरफ्तारी से आपके तेवर क्यों बदल गए। आपने अपनी भूमिका क्यों बदल दी। जो बात हमारे इंद्रजीत गुप्त जी ने कही, उस समय चेतावनी दी कि मत चढ़ो शेर के ऊपर। आप उस बात को नहीं माने और आपने इकट्ठा कर लिया। आडवाणी जी कहते हैं कि डेढ़ लाख लोग संयत थे और

पाँच सौ लोग मस्जिद गिरा रहे थे। डेढ़ लाख लोग इतने निष्क्रिय थे कि पाँच सौ लोगों को रोक नहीं सकते थे। दुनिया में आप किस को विश्वास दिलाना चाहते हैं। दुनिया में किसके सामने आप यहअपनी सफाई देना चाहते हैं। हो सकता है, संसद में यहाँ बड़ी संख्या में वे आ जाएँ। तीन दिन पहले मैंने अपने कुछ मित्रों को कहते हुए सुना कि किस में हिम्मत है मस्जिद बनाएगा, एक ईंट रखेगा, उसका घर-दरवाजा सब खत्म हो जाएगा। अगर दरवाजा खत्म कर दोगो, लेकिन याद रखो, उसी के साथ भारत के अतीत को समाप्त करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। भारतीय संविधान और सभ्यता को कब्र में पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। कई बार इतिहास ने देखा है, यहकेवल पहला उदाहरण नहीं है। दुनिया में सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, जो पुराने गौरव और परंपरा की बात करते हैं, वही संस्कृति, वही नीयत, वही राजनीतिक गतिविधियाँ हिटलर भी पैदा करती हैं। दुनिया ने एक बार देखा है, दुनिया फिर इसे न देखे। और कहीं देखे, लेकिन हिंदुस्तान में न देखे तो अच्छा है। क्योंकि हिंदुस्तान ने सारी कटुता के बावजूद अपनी मान्यताओं को नहीं तोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, कैसे यहसब हो गया, अचानक क्यों हो गया? सचमुच मैं उस बात में नहीं जाऊँगा। एक तरफ की बात है शालीनता की, सौष्ठव की, सहिष्णुता की, दूसरी तरफ इधर से जो पुरुषार्थ का प्रदर्शन हमने देखा, बहादुरी के वे शब्द और लड़ने की हुंकार, हमारे अर्जुन सिंहजी

यहाँ नहीं हैं, वे बोल रहे थे, तो हमें ऐसा लगता था कि महाभारत का अर्जुन बोल रहा है।

"अर्जुनस्य प्रतिज्ञा द्वय न दैन्यं न पलायनम्।" न पीछे हटेंगे, न दीनता दिखाएँगे। आज उसी बहादुरी से हमारे मित्र शरद पवार बोल रहे थे, तो मुझे अभिमान हो रहा था कि भारत का रक्षा मंत्री बोल रहा है। लेकिन यहवीरता उस दिन कहाँ थी? यहपराक्रम, यहपुरुषार्थ उस दिन कहाँ था? हमारी समझ में नहीं आता है। हम लोग कोई अभिनय कर रहे हैं?

यहदेश आज किस स्थिति में पहुँचा है, किससे लड़ोगे? हमारे मित्र सोम दादा और इंद्रजीत गुप्त कहरहे थे कि इकट्ठे हो जाओ, लड़ जाओ, लेकिन किसके साथ लड़ोगे, किससे लड़ोगे, मिलकर लड़े आपके ही नेतृत्व में हमने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में प्रस्ताव पास कराया था। हमने उस प्रस्ताव को लिखा था। हमारे कई मित्रों को संदेहथा। हमने कहा कि हम पूरी तरहआपका साथ देंगे। आप पर विश्वास इंद्रजीत गुप्त जी नहीं था, सोमनाथ चटर्जी आपके ऊपर नहीं था, रामविलास पासवान, चंद्रजीत यादव आप पर विश्वास नहीं था। अटल बिहारी पर विश्वास नहीं था उस दिन। विश्वास था आडवाणी के ऊपर, उस दिन विश्वास था बालासाहब देवरस के ऊपर, उस समय विश्वास था संत-महात्माओं के ऊपर और हमसे कहा जाता था, आपका सहयोग चाहिए। आपके सहयोग की भावना मुबारक हो, लेकिन मेरे मन में एक संदेहहै,

जिस संदेहको मैं आज देश के सामने और देश की जनता के साथ तथा आप माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय परिषद की बैठक क्यों बुलाई गई थी, क्यों कहा गया था—सहयोग का प्रस्ताव पास करो। क्या हम लोग कोई बच्चे थे? क्या हम लोग प्रधानमंत्री के दरवाजे पर सहयोग देने की उतावली में बैठे थे? क्या हमारे मन में लालसा थी कि किसी प्रधानमंत्री के दरवाजे पर हमारे सहयोग की भीख मंजूर कर ली जाए। हम लोगों के पास सत्ता नहीं है, हमारे पास सरकार नहीं है। हमारे पास बड़े लोगों का समर्थन नहीं है। बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी एकाग्र दृष्टि के ऊपर मुझे तरस आता है, इसलिए मैं कहता हूँ, बार-बार मैंने कहा कि इस लड़ाई में हम सब साथ हैं, क्योंकि यहलड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैं सांप्रदायिक शक्तियों की बात नहीं करता, यहलड़ाई है देश की मर्यादा को, प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई, इस देश को जिंदा रखने की लड़ाई। एक मस्जिद नहीं टूटी, एक मंदिर नहीं टूटा, मस्जिद टूटे, मंदिर टूटे हमें इसकी कोई चिंता नहीं है लेकिन आज करोड़ों का दिल टूट गया और इस दिन को आप नहीं जोड़ सकते। आप अपने भाषणों से उसको फिर जाग्रत् नहीं कर सकते। 15 करोड़ लोगों की आस्था को चोट पहुँची।

मुझे याद है, हर बार मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ती है, जो लोगों को अच्छी नहीं लगती। डेढ़ करोड़ सिक्खों के

साथ जब कुछ हुआ था, तब भी मैंने कहा था, मत करो इस काम को। उस समय हमारा बड़ा उपहास हुआ था, बड़ी आलोचना हुई थी। इतिहास इसका गवाहहै, क्या हो रहा है आज पंजाब में, क्या उसको आप सेना के बल पर दबा लिये, क्या उसके ऊपर आप काबू पा लिये, गालियाँ दे लो, संविधान की दुहाई दो कि 15 करोड़ मुसलमान, जो भारत में हैं, ये सब अरब से नहीं आए, ये विदेश से नहीं आए। हमारे ही घर के लोग हैं, इनको दबा लोगे, इनको अरब सागर में ले जाकर डुबो दोगे। ये 15 करोड़ लोग कहाँ जाएँगे और जिस दिन इनमें से 15 हजार नौजवान इनको चुनौती देने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, कोई नहीं जाता है पंजाब में चुनौती स्वीकार करने के लिए, कोई नहीं जाता है कश्मीर में चुनौती को स्वीकार करने के लिए, जाते हो चुनौती देने के लिए अयोध्या में, राम की भूमि में, जहाँ हर किसी को मानवता का, प्रेम का संदेश सुनाया गया। मैं अटल जी से निवेदन करूँगा कि आज भी छोटे दायरे को तोड़ें, हम नहीं जानते कि वे भर्त्सना करेंगे या नहीं करेंगे। वे भर्त्सना करें या न करें, कंडम करें या न करें, लेकिन जो पश्चात्ताप उनके दिल में उस दिन था, जब उन्होंने इंडिया एब्रोड को बयान दिया था, क्या आडवाणी की गिरफ्तारी से सबकुछ बदल गया, क्या परिस्थितियाँ, वास्तविकताएँ बिल्कुल टूट गईं। क्या आपकी मर्यादाएँ उस दिन बिखर गईं। देश को बनाना हो, कई बार गिरफ्तारियाँ होती हैं, कई बार लोगों के साथ

ज्यादतियाँ होती हैं, उन ज्यादतियों से, जो ज्यादती किसी एक नामाकूल आदमी की हरकत से होती है, उसके लिए क्या देश के ऊपर इतनी बड़ी लांछन लगाने के लिए तैयार हैं। सारी दुनिया आज कहे कि भारत में धार्मिक आजादी मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके लिए हमको और आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए। आपने बयान दिया, कहा कि यहाँ पर हमने सही तस्वीर नहीं रखी, हमने यहनहीं कहा कि वहढाँचा मात्र था, पूजा होती थी, नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, सही है अटल जी, लेकिन कुछ नहीं था फिर भी 500 वर्षों की, 421 वर्षों की इमारत थी। दुनिया के किसी देश में आप कहोगे कि 400 वर्ष पुरानी इमारत, चाहे वहपूजा का स्थान हो या नहीं, हमने राजनीतिक कारणों से तोड़ दी है, तो दुनिया में कोई आपकी तरफ मुँहउठाकर नहीं देखेगा, दुनिया आपके मँहपर कालिख लगाकर रहेगी, क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति, गौरवमय इतिहास का अंग है और आपने उसको उठाकर धरा-ध्वस्त कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथी यहसमझते हैं कि इससे उनको दुनिया में गौरव मिलनेवाला है? मुझे इस बात को कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है कि दुनिया के इस्लामिक देशों ने जो रुख दिखाया है, एक-दो देशों को छोड़कर, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपना संयम नहीं छोड़ा। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, आप तो नहीं थे, सोमनाथ जी वहाँ पर थे, एन.आई.सी. की मीटिंग में मैंने

आडवाणी जी से कहा था कि मैं कल्याण सिंहको समझ सकता हूँ, पटवा जी को समझ सकता हूँ, उनको भोपाल और लखनऊ चलाना है, लेकिन आप विरोध दल के नेता हो और देश चलाने की इच्छा रखते हो, आपके ऊपर यहजिम्मेदारी आ भी सकती है, क्या कभी सोचा है कि दुनिया में इसका नतीजा क्या होगा। एक नेता नए उभरे हैं राष्ट्रीय जगत् पर, राष्ट्रीय क्षितिज पर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हम से कहा, आप क्या समझते हैं, दुनिया में हम किसी की परवाहनहीं करते, हम सबसे मुकाबला करेंगे, बड़े-बड़े लोग हैं मुकाबला करनेवाले, हम चुप हो गए। महा-पुरुषार्थी लोग पैदा हो गए हैं, सारी दुनिया का अकेले मुकाबला कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि दुनिया के दूसरे देशों ने भारत की पुरानी गरिमामयी परंपरा को, जो मित्रता की परंपरा है, उसको कायम रखा है। याद रखिए, इस्लामिक देशों ने हमारी सैकड़ों वर्षों की दोस्ती की परंपरा को कायम रखा है और आपने इस देश की हजारों वर्षों की परंपरा को तोड़ा है। आप अपने को हिंदू धर्म का सिपहसालार, सभ्यता-संस्कृति का दावेदार कहें, हमें आपसे उम्मीद थी, जसवंत सिंहजी, आपसे हमें उम्मीद थी।

हमारे कई मित्र इधर से बोल रहे हैं कि क्या करते, गोली चला देते। नहीं, गोली मत चलाइए। पुलिस और फौज बैठी हुई है, उसकी गोली को मखमल का गद्दा

बिछाकर रख दीजिए और जब जरूरत पड़े, वहआपको सेल्यूट दे सके, उन्हें गोली चलाने की जरूरत नहीं है। यहफौज, पुलिस जिस पर हर साल बजट पास करते हैं, किस लिए बनी हुई है। क्या गोली चलाने के लिए नहीं बनी हुई है? राज्य की कल्पना कैसे बनी? राज्य कोअर्सिव पावर्स का समुच्चय है, दमन की शक्तियों को समाज ने आपके हाथ में दिया है, ताकि समाज को तोड़नेवाली ताकत का मुकाबला कर सकें और उन शक्तियों को अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो आप अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं। इसलिए यहहमसे मत कहिए।

मैं आपसे यहनहीं कहूँगा कि निर्णय आप करें। क्योंकि हर आदमी के लिए नैतिकता और मर्यादा की अपनी सीमाएँ हैं। लेकिन यदि हम किसी जनप्रतिनिधि के नाते एक जिम्मेदारी का कदम उठाने के लिए बैठे हुए हैं और उस जिम्मेदारी को हम किसी भी कारण से नहीं निभा पाते हैं तो हमारे लिए उस जगहपर बैठे रहना, इससे बड़ी लज्जा की बात और शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। आपकी विवशता क्या है? दुनिया को आपकी विवशता से कोई मतलब नहीं। दुनिया आपसे निर्णय चाहती है। दुनिया आपसे यहचाहती है कि आपने परिस्थितियों का मुकाबला किया या नहीं किया। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यहसरकार जिम्मेदार है निर्णय के लिए, इस सरकार ने लांछन लगाया हमारी सारी पुलिस फोर्स के ऊपर, इस सरकार ने लांछन लगाया हमारी सेना के

जवानों पर, इस सरकार ने लांछन लगाया हमारे गुप्तचर विभाग के लोगों के ऊपर। क्या आप हम से कहना चाहते हैं कि आपको खबर नहीं थी? मुझे खबर थी कि क्या होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या मैंने इस तरफ के बैठे उच्च लोगों को नहीं कहा कि मस्जिद गिरनेवाली है? यहमैंने आपसे कहा नहीं कि आपको तैयार होना चाहिए, दमन की शक्तियों का उपयोग करने के लिए। मुझसे उस समय भी कहा गया था, गोली चल जाएगी, कुछ लोग मर जाएँगे। मैंने कहा, 10-20 को मारने के लिए तैयार नहीं होओगे तो हजारों लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए आप जिम्मेदार होंगे।

आज यहाँ पर अटल जी ने कहा, वे मुलायम सिंहसरकार पर बड़े नाराज हैं। उस समय भी नाराज थे। लेकिन मुलायम सिंहने गोली चलवाई थी तो केवल 16 लोग मरे थे और कल्याण सिंहने गोली नहीं चलवाई तो कम-से-कम 1200 लोग मरे। आप फिर कहते हैं, हम जिम्मेदार नहीं। आडवाणी साहब का बयान है, 'कल्याण सिंहमुलायम सिंहनहीं हो सकते।' मैं जानता हूँ, मुलायम सिंहऔर कल्याण सिंहमें कोई तुलना नहीं है। मुलायम सिंहसंविधान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे, कल्याण सिंहअपने आदेश के पालन के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक को संविधान का आदेश था और दूसरे को संघ परिवार का आदेश था। दोनों आदेशों में अंतर है। इस अंतर को हमें और आपको पूछना पड़ेगा।

लेकिन मैं यहकैसे कहूँ कि अटल जी जो आपके मित्रों ने किया है, उनके कहने पर सरकार को निकम्मा माना जाए और आपको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दे दें, यहभी मेरे लिए संभव नहीं है। यहमजबूरी है, आज देश को और इस मजबूरी में देश को लाने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार के ऊपर है, कांग्रेसियों के ऊपर नहीं है। यहमत कहिए कि मैं कांग्रेसियों का डिवीजन करना चाहता हूँ या कोई राजनीति करना चाहता हूँ। अखबार रोज लिख देते हैं कि शरद पवार और अर्जुन सिंहसे हमारी गुप्त मंत्रणा हुई, यहीं पर दर्शन हो जाते हैं। ये लोग घबराते होंगे कि हमसे कोई पद न चला जाए हमसे बात करने में। हमसे कोई बात नहीं की और न कभी कोई सुझाव लिया है। अपने पद को बचाने के लिए हिम्मत नहीं कर सकते सरकार के प्रधानमंत्री को यहकहने की कि अब समय आ गया है कि आप कदम उठाओ। वे लोग हमसे मिलकर पद को क्यों गँवाएँगे, यहगलत बात है। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी को बाँटना नहीं चाहता। मैं कांग्रेस मित्रों से कहना चाहता हूँ कि यहजो कलंक का धब्बा राष्ट्र के ऊपर लगा है, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। 1947 से आप अर्जुन सिंहको जानते हैं और तभी से इनके कदम विशेष के बारे में आपको ज्यादा ज्ञान है। मेरी इनसे बड़ी दोस्ती रही है। आज भी कहता हूँ कि इनमें से बहुत से लोगों को मैं बहुत सही और बहुत आदर्शवादी व्यक्ति मानता हूँ। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि आप सरकार के

पद पर बैठे थे। आप सबकुछ मानते थे और चुपचाप बैठे रहगए। आपको भी क्या कोई कृष्ण चाहिए, गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन की तरह। कहाँ से कोई कृष्ण आता और आपको बताता।

आज यहदेश एक ऐसे बिंदु पर खड़ा है, जहाँ हमारे और आपके लिए निर्णय लेना कठिन है। मैं यहबात इसलिए कहरहा हूँ कि आज हमारी मान्यताएँ दाँव पर हैं। आज हमारी विश्वसनीयता दाँव पर है। पहली बार ऐसी सरकार इस देश में है, जिसकी विश्वसनीयता पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। पहली बार ऐसा विरोध पक्ष है, जिसके बारे में दुनिया को कोई गलतफहमी नहीं है, कम-से-कम मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, जो किसी मूल्य को नहीं रखना चाहते। इस देश की अजीब हालत है। जो सरकार को चला रहे हैं, वे अपंग हैं और जो विरोध में बैठे हुए हैं, वे सरकार पर हावी होना चाहते हैं। वे देश की मान्यताओं को तोड़ना चाहते हैं और देश की परंपराओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अपने गुरुदेव से उन्होंने कहा कि शिष्य बहुत मदद कर सकता है। मैं गुरुदेव से चाहूँगा कि आप मेरी मदद करें। ऐसे में हम क्या करें और किधर जाएँ। आपके लिए भी निर्णय करना होगा। भीष्म पितामहबन जाने से कलंक लेकर ही मरेंगे तो कोई ऊपर मर्यादा नहीं मिलनेवाली है। आपका उपदेश कोई नहीं सुनेगा। भीष्म पितामहका उपदेश उन्होंने लिख लिया या सुना नहीं, यहमुझे नहीं मालूम।

अध्यक्ष महोदय, आज यहविकट परिस्थिति इस देश के सामने है। मैं जानता हूँ कि यहसदन एक बार इसकी वास्तविकता को समझे और मैंने पहले भी कहा था कि एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप को छोड़कर हम अपनी सही हैसियत को मानने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे अपराध हुआ है तो उसको स्वीकार करें। अटल जी, आपने जो 'इंडिया एब्रोड' को बयान दिया था, उससे मत डरिए। हर समय बदल जाना कोई राजनीति नहीं। परिस्थिति के अनुसार मुड़ जाना और हालात के रुख से अपने को बचा लेना, यहकोई राजनीति का कर्तव्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि बहुत हो गया, लेकिन अनिर्णय की स्थिति में आपकी छवि को जो धक्का लगा, उससे बचने के लिए कोई भी कदम बिना सोचे मत उठाइए। अनावश्यक रूप से सरकारों को बर्खास्त करने का काम आप समझें कि पुरुषार्थ का प्रतीक है; लेकिन आपकी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने का थोथा प्रयास है। मैं समझता हूँ कि जिस तरहसे आरोप लगाए गए हैं आडवाणी जी के ऊपर, तो क्या उन आरोपों को किसी न्यायालय में साबित कर सकते हैं। इस समय निर्णय लेने के लिए आडवाणी के ऊफर पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया है तो उस आरोप को लेकर आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हो। किसने यहसलाहदी थी, किसने यहबात कही थी, आज आप बैन करते हो, दूसरे दिन हाईकोर्ट आपके ऊपर कहती हैं, यहगलत बैन ऑर्डर है।

एक समय अपने कर्तव्य से अनुचित होने के बाद निरंतर अपनी साख बढ़ाने के लिए गलत काम न कीजिए। इससे देश का अहित होगा, टकराव और बढ़ेगा। आपने सहमति की राजनीति से शुरू किया था, शायद किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बुरी टकराव की राजनीति नहीं की। इसीलिए बोलते समय, कुछ अपने पौरुष का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी क्षमता का, अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर अगर लोग बोलें, जो सत्ता में हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने कहदिया कि उसी स्थान पर मस्जिद बनेगी। आप बना सकते हैं क्या? गृहमंत्री ने कहा, थोड़े दिन बाद बनेगी, रक्षा मंत्री ने कहा कि एक साल बाद बनेगी या एक साल के अंदर बनेगी; अब कहते हैं, दोनों बनेंगे। जो काम बजरंग दल और वी.एच.पी. कहरही थी कि मंदिर बनेगा, लेकिन नक्शा नहीं बताएँगे, उसी तरहसे नरसिंहराव मंदिर और मस्जिद दोनों बनाएँगे, नक्शा नहीं दिखाएँगे। मैं नहीं जानता कि इनका आपस में क्या रिश्ता है, जो शरद यादव ने कहा था, लेकिन सोचने के तरीके हैं, आज देश विपदा में है। यहअचानक हो गया है या इसके पीछे कोई रहस्य है, मैं नहीं जानता, इस रहस्य में क्या है, अगर रहस्योद्घाटन करना है तो आप लोगों को करना होगा, जो इधर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस तरहकी निष्क्रियता से, इस तरहकी ऊहापोहसे राष्ट्र की मर्यादा को बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। सही मायनों में अगर किसी में थोड़ी भी चेतना हो, थोड़ी भी आत्मनिरीक्षण की शक्ति हो, इस सरकार में

उस व्यक्ति को अपने पद पर बने रहना न उसकी मर्यादा के अनुरूप है, न राष्ट्रहित के अनुरूप है और न राष्ट्रभक्ति के किसी भी दायरे में है। उसी तरहसे अगर अटल जी को सही मायने में पश्चात्ताप है, सही मायने में परिताप है तो जिन लोगों ने यहकुकर्म किया है, जिससे भारत के माथे पर एक कलंक लगा है, उनसे आप संबंध तोड़ें, जिससे आपको देश आशा भरी निगाहसे देखेगा।

आइए, हम एक नई शुरुआत करें, केवल उधर से नहीं, इधर से भी लोग आएँ, एक नया देश बनाने के लिए, नया समाज बनाने के लिए, नई मान्यताओं के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें।

(लोकसभा में सरकार के प्रति पेश अविश्वास प्रस्ताव के दौरान समाजवादी जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर का भाषण)

चार

जहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर

अयोध्या विवाद के कुछ ऐसे चरित्र हैं, जो उसकी हर करवट में दर्ज हैं। लेकिन लोकस्मृति में वे गुमनाम हैं। बड़े-बड़े आंदोलनकारी नामों ने उन्हें इतिहास के कालपात्र में ढकेल दिया है। पर अयोध्या उन्हें जानती है। वहअपने इतिहास के हर पड़ाव पर इनकी पहचान करती है। इस विवाद को समझने के लिए इनसे आपकी भी जान-पहचान जरूरी है। हम यहाँ ऐसे ही किरदारों से आपका परिचय करा रहे हैं। जो इस विवाद की नींव में हैं। लेकिन नींव के पत्थर की तरहदृष्टिगोचर नहीं। ऐसे किरदार जिनके चित्र उपलब्ध नहीं थे, उनके रेखाचित्र बनवाए गए हैं।

दिल्ली का पहला मुगल बादशाह(1526-30)। इसी के राज में बाबरी मस्जिद बनी थी। बाबर के पिता तैमूर लंग के वंशज और माँ कुलतुम निगार खान चंगेज खाँ के परिवार से थी। 1483 में जन्म लेने के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में बाबर पिता का वारिस बना। उसकी जागीर

फरगना अब चीनी तुर्किस्तान में है। 21 अप्रैल, 1526 को इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर दिल्ली का शासक बना। अपने पिता की हत्या के बाद ही उसने रोजाना डायरी में नोट्स लेने शुरू कर दिए थे। यही डायरी पाँच शताब्दी तक गुम रहने के बाद 'बाबरनामा' बनी। इस डायरी में 18 साल का रिकॉर्ड नष्ट हो गया है, इसलिए इसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है। डायरी में बाबर ने 25 मई, 1529 की एक घटना का जिक्र किया है। "एक रात जब पाँच घड़ियाँ बीत चुकी थीं। मैं लिखने में व्यस्त था, उसी वक्त अचानक आँधी आई, मैं अपनी चीजें सँभाल पाता, तभी तंबू घसक गया। मेरे सिर में चोट आई। किताब के पन्ने पानी से तर बतर हो गए। बड़ी मुश्किल से किताब के बाकी पन्ने सँभाल पाया।" उसकी डायरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। जिसका बाद में अकबर ने फारसी में अनुवाद कराया।

मीर बाकी

बाकी ताशकंदी को मीर बाकी के नाम से जाना जाता है। वहबाबर का सेनापति था। शिया मुसलमान मीर बाकी ताशकंद (मौजूदा समय में उजबेकिस्तान की राजधानी) का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध प्रांत का गवर्नर

बनाकर भेजा था। मीर बाकी ने 1528 से 1529 के बीच रामजन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। मार्च 1528 से जून 1529 तक मीर बाकी अयोध्या में ही रहा। फैजाबाद के सहनवा गाँव में मीर बाकी ने दम तोड़ा था। यहीं उसकी मजार है।

अभिराम दास

दरभंगा, बिहार के रहने वाले नागा वैरागी अभिराम दास उस समूहके नेता थे, जिन्होंने 22-23 दिसंबर, 1949 की रात विवादित इमारत में रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। रामानंदी संप्रदाय के इस नागा वैरागी का संबंध निर्वाणी अखाड़े से था। लंबे और बलिष्ठ अभिराम दास पढ़े-लिखे नहीं थे। वे कुश्ती लड़ते थे। अखाड़े के दाँव-पेंच जानते थे। अयोध्या में उन्हें लड़ाकू साधु कहा जाता था। वे हिंदू महासभा के सदस्य थे, इस कारण महंत दिग्विजय नाथ के करीबी थे। उन्हें राम जन्मभूमि का 'उद्धारक बाबा' कहा जाता है। मूर्तियाँ रखने के खिलाफ जो एफ.आई.आर. हुई, उसमें इन्हें मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। उनका निधन 1981 में हुआ।

देवरहा बाबा

भारतीय संत परंपरा के अलौकिक साधु। उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास लार में सरयू किनारे निवास। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत। बाबा कहाँ से आए, कब जन्म हुआ, उनका जीवन आज तक लोगों के बीच रहस्य है। बाबा निर्वस्त्र रहते थे। रामभक्त थे। सरयू और गंगा के किनारे मचान बना पानी में ही रहते थे। देश-विदेश की नामी हस्तियाँ बाबा की भक्त थीं। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी बाबा का आशीर्वाद लेने जाते थे। इंदिरा गांधी के सामने जब कोई समस्या आती, समाधान के लिए बाबा के पास जातीं। जनवरी 1984 में इलाहाबाद कुंभ के मौके पर उस धर्मसंसद की अध्यक्षता बाबा ने ही की थी, जिसमें राममंदिर के शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर, 1989 तय हुई थी। शिलान्यास के गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा से मिलने गए। देवरहा बाबा ने राजीव गांधी से कहा, 'बच्चा हो जाने दो।' बाबा के आदेश पर ही पार्टी में विरोध के बावजूद राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया।

स्वामी करपात्री जी

करपात्री जी संन्यासी राजनेता थे। स्वामी करपात्री जी का असली नाम हरनारायण ओझा था। उन्हें 'धर्म सम्राट्' कहा जाता था। अजुंली में जितना भोजन समाता, उतना ही भोजन करने के कारण वे करपात्री कहलाए। स्वामी जी उन साधुओं में नहीं थे, जो गुफा और एकांत में बैठे मूक साधना करते थे। सनातन धर्म की रक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। संस्थाएँ बनाईं। अखबार निकाला और संसद पर साधुओं के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। वे शंकराचार्यों को नियुक्त करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे। उनकी किताब 'मार्क्सवाद और रामराज्य' बहुचर्चित हुई। उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के संरक्षण के लिए 'धर्मसंघ शिक्षामंडल' बनाया। बनारस और कलकत्ते से 'सन्मार्ग' अखबार निकाला। विधिवत् संन्यासी बनने के बाद उन्होंने राजनीति में धर्म की स्थापना के लिए दंड उठाया। उन्होंने रामराज्य परिषद नाम का राजनैतिक दल बनाया। एक समय इस दल के चार सदस्य लोकसभा में और राजस्थान विधानसभा में 24 सदस्य थे। 1966 में

गोहत्या के खिलाफ संसद पर साधुओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करपात्री जी ही कर रहे थे। उस प्रदर्शन में सुरक्षा बलों ने साधुओं पर गोलियाँ चलाईं। दर्जनों साधु मारे गए। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की नींव करपात्री जी ने ही रखी थी। बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह, महंत दिग्विजय नाथ और गोंडा के कलेक्टर के.के.के. नायर ने करपात्री जी के सामने ही राम जन्मभूमि की मुक्ति का संकल्प लिया था।

महंत दिग्विजय नाथ

महंत दिग्विजय नाथ क्रांतिकारी साधु थे। वे अयोध्या के बाबरी ढाँचे में मूर्ति रखने वाले समूहमें शामिल थे। आजादी की लड़ाई में 'चौरी चौरा' कांड के वे मुख्य अभियुक्त थे। वे नाथपंथी कनफटा साधुओं की शीर्ष पीठ गोरक्षपीठ के महंत थे। जिस पीठ पर आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वे हिंदू महासभा के राज्य अध्यक्ष भी थे। दिग्विजय नाथ उदयपुर के उसी राणा परिवार से आए थे, जिसमें बप्पा रावल और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम

राणा नान्हू सिंहथा। दिग्विजय नाथ पढ़े-लिखे और राजनैतिक सूझबूझ वाले साधु थे। वे लॉन टेनिस में माहिर थे।

महाराज पटेश्वरी प्रसाद सिंह

गोंडा के 'बलरामपुर स्टेट' के महाराज पटेश्वरी प्रसाद सिंहके राजभवन में ही अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की रणनीति बनी। महाराज अपनी हिंदू भावनाओं के कारण करपात्री जी और महंत दिग्विजय नाथ के नजदीक थे। 1 जनवरी, 1914 को जनमे पटेश्वरी प्रसाद की पढ़ाई अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई। ब्रिटिश अफसर कर्नल हैन्सन के संरक्षण में वे पले-बढ़े। घुड़सवारी और लॉन टेनिस के लिए वे दूर-दूर तक जाते थे। के.के.के. नायर और दिग्विजय नाथ से उनकी दोस्ती का एक आधार लॉन टेनिस के प्रति तीनों का लगाव था। महाराज अकसर धार्मिक यज्ञ करते। इन्हीं आयोजनों के बहाने उनके यहाँ साधु-संतों का जमावड़ा होता। 1947 के शुरुआती महीनों में ऐसे ही एक यज्ञ में महाराज के यहाँ करपात्री जी की मौजूदगी में अयोध्या आंदोलन की रणनीति बनी थी।

मोरोपंत पिगंले

मोरोपंत पिंगले अयोध्या आंदोलन के शिल्पी थे। इस आंदोलन को रामशिलाओं के जरिए घर-घर तक पहुँचाने वाले मोरोपंत जी महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। बेहद सरल और विनम्र नागपुर के मौरिस कॉलेज के स्नातक पिंगले ने हमेशा नेपथ्य से काम किया। उन्होंने एक रणनीति के तहत प्रस्तावित मंदिर के लिए तीन लाख ईंटें भारत के हर गाँव में पुजवाईं। फिर गाँव से तहसील, तहसील से जिला, जिले से राज्य मुख्यालय होते हुए ये ईंटें (शिलाएँ) अयोध्या पहुँचीं। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर से कोई छहकरोड़ लोग भावनात्मक लिहाज से अयोध्या आंदोलन से सीधे जुड़े। एक झटके में यहआंदोलन गाँव-गाँव, घर-घर पहुँच गया। शिलापूजन, शिलान्यास, चरण पादुका, रामज्योति यात्राएँ सब पिंगले जी के दिमाग की उपज थीं। पर वे रहे हमेशा नेपथ्य में। पिंगले जी आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार के हाथों गढ़े गए थे। मोरोपंत पिंगले के काम की शैली थी, सूत्रधार की भूमिका में रहना, कोई श्रेय न लेना। सभी कुछ रचना, लेकिन दृष्टि से ओझल रहना। हिंदू जनमानस की चेतना में

अयोध्या को जगाने का ऐतिहासिक काम करने के लिए वे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं।

अशोक सिंघल

अशोक सिंघल आजादी के बाद देश की विराट हिंदू एकता के रणनीतिकार थे। सिंघल बीस वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहे। 1942 में वे आरएसएस के प्रचारक बने। मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण के खिलाफ दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई पहली धर्मसंसद के कर्ता-धर्ता वे ही थे। इसी के बाद इन्हें संघ ने विराट हिंदू सम्मेलनों का काम सौंपा। इन सम्मेलनों के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद कर्ण सिंहहोते थे। आगरा में जनमे सिघंल के पिता सरकारी कर्मचारी थे। सिंघल पढ़ाकू और प्रभावशाली वक्ता थे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1950 में धातु इंजीनियरिंग में स्नातक हुए। सिघंल गुरु परंपरा से खयाल गायक थे। उन्होंने पं. ओंकार नाथ ठाकुर से गायन सीखा था। पहली धर्मसंसद में उन्होंने गाया 'चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है।' सिंघल के गायन की कई सीडी भी बनीं। अयोध्या में ताला

खुलने से लेकर ध्वंस तक इस आंदोलन के केंद्रीय पुरुष वही थे।

के.के.के. नायर

केरल के अलप्पी के रहने वाले के.के.के. नायर 1930 बैच के आई सी एस अफसर थे। फैजाबाद के जिलाधिकारी रहते इन्हीं के कार्यकाल में बाबरी ढाँचे में मूर्तियाँ रखी गईं या यों कहें, इन्होंने रखवाई थीं। बाबरी मामले से जुड़े आधुनिक भारत के वे ऐसे शख्स हैं, जिनके कार्यकाल में इस मामले में सबसे बड़ा 'टर्निंग पाइंट' आया और देश के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर इसका दूरगामी असर पड़ा। मद्रास यूनिवर्सिटी से पढ़े-लिखे नायर तमिल, मलयाली, हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी सहित फ्रेंच, जर्मन, रसियन, स्पेनिस आदि भाषाओं के जानकर थे। नायर 1 जून, 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने। 23 दिसंबर, 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियाँ मस्जिद में स्थापित हुईं तो प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से फौरन मूर्तियाँ हटवाने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मूर्तियाँ हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के.के.के. नायर

ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। साथ ही परिसर में ताला बंद कर मुसलमानों को वहाँ जाने से रोक दिया। जब नेहरू ने दुबारा मूर्तियाँ हटाने को कहा, तो के.के.के. नायर ने सरकार को लिखा मूर्तियाँ हटाने से पहले मुझे हटाया जाए। देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। डीएम के.के.के. नायर ने 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। चौथी लोकसभा के लिए वे उत्तर प्रदेश की बहराइच सीट से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुँचे। इस इलाके में नायर हिंदुत्व के इतने बड़े प्रतीक बन गए थे कि उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी कैंसरगंज से तीन बार जनसंघ के टिकट पर लोकसभा पहुँचीं। उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना।

हनुमान प्रसाद पोद्दार

जिस समूहने 22-23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी ढाँचे में मूर्तियाँ रखी थीं, हनुमान प्रसाद पोद्दार उसके इंतजामकार थे। प्यार से दोस्त-मित्र उन्हें 'भाई जी' कहते थे। भाई जी के ही जिम्मे उस रोज मूर्तियों की स्थापना

और उनकी प्राणप्रतिष्ठा के इंतजाम थे। सहज विनम्र और धर्म के लिए कुछ भी करने वाले भाई जी हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे। गीताप्रेस, धार्मिक पुस्तकें और हनुमान प्रसाद पोद्दार 'भाईजी' एक-दूसरे के पर्याय थे। सेठ जयदयाल गोयनका ने गीता प्रेस की स्थापना की थी। जिसे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने वटवृक्ष का रूप दिया। 1892 में शिलांग में जन्मे हनुमान प्रसाद पोद्दार के माता-पिता हनुमानजी के भक्त थे, इसलिए इस बालक का नाम हनुमान प्रसाद रखा गया। हनुमान प्रसाद गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर दिग्वजयनाथ के मित्र थे। 1914 में महामना मदनमोहन मालवीय के संपर्क में आने के बाद वे हिंदू महासभा में सक्रिय हो गए। इसलिए वे भावनात्मक रूप से दिग्विजय नाथ जी के और करीब थे। वे क्रांतिकारी अरविंद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास के संपर्क में भी थे। इस कारण हनुमान प्रसाद जी को बाँकुड़ा जिले के शिमलापाल गाँव में अंगेजों ने 21 महीने तक नजरबंद रखा। उन्होंने 'कल्याण' पत्रिका का राम जन्मभूमि अंक निकाल इस आंदोलन को रफ्तार दी थी।

महंत रामचंद्रदास
परमहंस

रामचंद्र परमहंस अयोध्या आंदोलन के इकलौते चरित्र हैं, जो मूर्तियाँ रखे जाने से लेकर ध्वसं तक की घटनाओं के मुख्य किरदार थे। छपरा (बिहार) के भगेरन तिवारी के बेटे चंद्रेश्वर तिवारी जब 1930 में अयोध्या आए, तो उस वक्त वे आयुर्वेदाचार्य थे। दिगंबर अखाड़े की छावनी में जब वे परमहंस रामकिंकरदास से मिले तो उनका नाम पड़ा 'रामचंद्रदास' और काम मिला राम जन्मभूमि मुक्ति का। 15 साल की उम्र में ही वे साधु बन गए। सन् 1934 में वे इस आंदोलन से जुड़े। वे हिंदू महासभा के शहर-अध्यक्ष भी थे। सन् 1975 में वे पंच रामानंदीय दिगंबर अखाड़े के महंत बने और सन् 1989 में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष। वे संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वेदों और भारतीय शास्त्रों में उनकी अच्छी पैठ थी। वे मुँहफट, आक्रामक और मजबूत संकल्पशक्ति वाले जिद्दी साधु थे। सन् 1949 में मूर्ति रखने वालों की टोली के वे जूनियर सदस्य थे। 1 जनवरी, 1950 को विवादित इमारत पर मालिकाने और पूजा-पाठ के अधिकार को लेकर उन्होंने

फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर किया। अप्रैल, 1984 में नई दिल्ली में हुई पहली धर्मसंसद में परमहंस रामचंद्रदास की अध्यक्षता में श्री जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक राम-जानकी रथ यात्रा का कार्यक्रम भी इसी बैठक में तय हुआ था। सन् 1985 में उन्होंने घोषणा की थी कि ताला नहीं खुला तो वे आत्मदाहकरेंगे। दिगंबर अखाड़ा रामानंद संप्रदाय का प्रमुख अखाड़ा था। सन् 1990 कारसेवा में कारसेवकों के जिस जत्थे पर गोली चली, उसका नेतृत्व भी परमहंस रामचंद्रदास ही कर रहे थे। 31 जुलाई, 2003 को अंतिम सांस तक वे राम जन्मभूमि के लिए लड़ते रहे।

नानाजी देशमुख

11 अक्तूबर, 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली कस्बे में जनमे चंडिका दास अमृत राव देशमुख को देश नानाजी देशमुख के नाम से जानता है। नानाजी भी मूर्तियाँ रखे जाते वक्त अयोध्या में मौजूद थे। नानाजी का लंबा और घटनापूर्ण जीवन अभाव और संघर्षों में बीता। लेकिन अभाव में जीने के बावजूद उन्होंने पिलानी

के बिरला इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1930 में वे आरएसएस में शामिल हुए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र चुना। 1940 में वे अपना घरबार छोड़ आजीवन अविवाहित रहसमाज-सेवा में लग गए। सरसंघचालक गुरुजी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रांत प्रचारक बनाया। आज देश भर में शिक्षा की मजबूत चेन बनी सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना नानाजी ने गोरखपुर से शुरू की थी। अप्रैल 1974 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में जब पटना के गांधी मैदान में जे.पी. पर लाठियाँ चलीं तो नानाजी ने उनपर गिरकर उन्हें बचाया। इसमें नानाजी का कूल्हा टूटा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो नानाजी ने यहकहकर मंत्री बनने से इनकार कर दिया कि साठ साल से ऊपर के लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। 1978 में नानाजी सक्रिय राजनीति छोड़कर 'दीनदयाल शोध संस्थान' के जरिए गोंडा, नागपुर, बीड़ और अमदाबाद में ग्राम विकास के काम में लगे। नानाजी देशमुख परम रामभक्त थे, उन्होंने अपनी कर्मभूमि का केंद्र भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट को बनाया। 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढाँचा गिराए जाने के बाद नानाजी देशमुख ने कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस दुर्भाग्यपूर्ण है, यहप्रस्तावित कारसेवा का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बारे में क्षमाशील होने की जरूरत नहीं थी।

बाबा राघवदास

कांग्रेसी होने के बावजूद बाबा राघवदास की राम जन्मभूमि आंदोलन में अटूट आस्था थी। विवादित इमारत में मूर्ति रखने वाले पंच प्यारों में वे भी एक थे। पुणे के राघवेंद्र शेषप्पा पाचापुचकर को कांग्रेस राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन में बाबा राघवदास के नाम जाना जाता है। वे चित्तपावन ब्राह्मण थे। 1891 के प्लेग में राघवेंद्र शेषप्पा पाचापुचकर के परिवार का सफाया हो गया, तो राघवेंद्र इलाहाबाद, बनारस होते हुए गाजीपुर पहुँचे। गाजीपुर में इनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर संत मौनी बाबा हुई। मौनी बाबा से दीक्षा ले वे योगीराज अनंत महाप्रभु के पास बरहज (देवरिया) पहुँचे। साल भर बाद ही उनके गुरु की मौत हो गई। तभी राघवेंद्र बाबा राघवदास हुए और उन्होंने गुरु के आश्रम की जिम्मेदारी सँभाली। फिर वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। अपनी आक्रामकता, हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण और सत्याग्रहके चलते वे थोड़े समय में ही लोकप्रिय हो गए। 1920 में वे कांग्रेस में शामिल हुए; 1948 में अयोध्या में विधानसभा का उपचुनाव हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आचार्य

नरेंद्रदेव से हिसाब चुकता करना था। बाबा राघवदास कांग्रेस के राजनैतिक साधु थे। कांग्रेस ने आचार्य नरेंद्रदेव के खिलाफ इस साधु को उतार दिया। बाबा राघवदास ने अयोध्या में रामजन्म स्थान की मुक्ति का सवाल पहले से उठा रखा था। इस उपचुनाव में गोविंद वल्लभ पंत ने भी राम जन्मभूमि मुद्दे के पक्ष में आक्रामक प्रचार किया। क्योंकि आचार्य नरेंद्रदेव को फैजाबाद और अयोध्या के मुसलमानों का समर्थन हासिल था। कांग्रेस तब तक गुजरात के जूनागढ़ में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करा चुकी थी। हिंदू राष्ट्रवाद से कांग्रेस की नजदीकी दिख रही थी। कांग्रेस ने प्रचार किया कि नरेंद्रदेव मंदिर विरोधी हैं। आचार्य नरेंद्रदेव बाबा राघवदास से चुनाव हार गए। यहभारतीय लोकतंत्र में 'राम जन्मभूमि' मुद्दे का पहला टेस्ट था।

गोपाल सिंह विशारद

गोपाल सिंहविशारद फैजाबाद के रहने वाले हिंदुत्ववादी वकील थे। विशारद उनकी डिग्री थी। किसी विषय में प्रवीण होने के बाद ही विशारद की डिग्री मिलती थी। वे हिंदू महासभा की फैजाबाद इकाई के सचिव थे। अयोध्या आंदोलन में सीधे जुड़ वहाँ की गतिविधियों

के लिए हिंदू महासभा ने एक संगठन बनाया था—ऑल इंडिया रामायण महासभा, विशारद इसके संयुक्त सचिव थे। विशारद ने ही विवादित इमारत में मूर्तियाँ रखे जाने के बाद 5 जनवरी, 1950 को फैजाबाद की अदालत से मूर्तियाँ न हटाए जाने का आदेश सरकार को दिलवाया था। वे अयोध्या विवाद के मूल मुकदमे के वादी थे। जब मूर्तियाँ रखी जा रही थीं। उसी रात वे फैजाबाद के एक प्रेस में 'भगवान प्रकट हो गए हैं, जन्मभूमि चलो', इस अपील के पर्चे छपवा रहे थे। विशारद जिलाधिकारी के.के.के. नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंहके बेहद करीबी थे।

गुरुदत्त सिंह

गुरुदत्त सिंह1949 में फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट थे। छँटी मूँछों वाले लंबे और अपनी धुन के पक्के इस प्रांतीय सिविल सेवा के अफसर की हिंदू महासभा से करीबी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक गुरुदत्त सिंहने नौकरी में कभी हैट नहीं पहना। वे हमेशा पगड़ी पहनते थे। शाकाहारी गुरुदत्त सिंहकी राम में इतनी आस्था थी कि वे पढ़ते वक्त हर साल अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि के दर्शन करते थे। जिलाधिकारी नायर की तरहही गुरुदत्त

सिंहभी अयोध्या की विवादित इमारत में मूर्तियाँ रखवाने वालों को सुविधा मुहैया करा रहे थे। दरअसल उस कथानक के ये रचयिता भी थे। गुरुदत्त सिंहसिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर अंग्रेजों के बनाए लोरपुर हाउस में रहते थे। उनके बेटे गुरुबसंत सिंहके मुताबिक यहीं अकसर रात में जिलाधिकारी नायर और अभिराम दास के साथ मूर्तियाँ रखने की रणनीति बनती थी। गुरुबसंत उस वक्त 15 साल के थे। उनके मुताबिक जब मूर्तियाँ रात में रखी गईं, उस सुबहपिताजी भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, "प्रभु, जो हो रहा है, हो जाने दीजिए।" जिस ढाँचे को तोड़ा गया, उसके गर्भगृहमें रामलला के अलावा गुरुदत्त सिंहकी तसवीर भी लगी थी। सिंहइस घटना के बाद नौकरी से इस्तीफा देकर जनसंघ के जिलाध्यक्ष बने। बाद में वे फैजाबाद से जनसंघ के विधायक चुने गए।

अब्दुल बरकत

यही सज्जन 22 और 23 दिसंबर, 1949 की रात को विवादित इमारत की गार्ड ड्यूटी पर थे। इनकी ड्यूटी 12 बजे से थी। पर ये जनाब ड्यूटी पर एक बजे पहुँचे। जब ये पहुँचे तब तक इनकी नजरों में चमत्कार हो चुका था। इनके पूर्ववर्ती गार्ड शेर सिंहने योजना को अंजाम दिलवा

दिया था। चूँकि ये अपनी ड्यूटी पर देरी से आए थे, इसलिए इन्होंने नौकरी बचाने के लिए पुलिस को वही कहानी बताई, जो मूर्ति रखने वालों ने इन्हें बताई। अब्दुल बरकत ने पुलिस से कहा, "यकायक मैंने मस्जिद के भीतर तेज रोशनी देखी। मेरी आँखें चौंधियाँ गईं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब रोशनी कम हुई तो मैंने यहचमत्कार देखा, वहाँ भगवान राम अपने तीन भाइयों के साथ प्रकट हुए थे।"

मुहम्मद इस्माइल

मूर्ति रखे जाते वक्त इस्माइल बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन थे। मुअज्जिन का काम होता है नमाज के लिए अजान देना, चूँकि इस मस्जिद में नमाज नहीं होती थी, इसलिए अजान देने का काम इनके पास नहीं था। ये मस्जिद की साफ-सफाई देखते थे। 22 की रात जब अभिराम दास और दूसरे नागा बाहुबली वैरागी इमारत में मूर्ति लेकर जाते हैं तो इस्माइल से उनकी हाथापाई होती है। इस्माइल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वैरागियों ने उनकी पिटाई कर दी। खुद को अकेला पाकर वे मौके से भाग जाते हैं। भागते-भागते इस्माइल दो किलोमीटर दूर

फैजाबाद के घोसियाना मुहल्ले में पहुँचते हैं। जहाँ से डर की वजहसे लौटकर नहीं आते। वहीं की एक मस्जिद में उन्होंने मुअज्जिन का काम शुरू किया। वे उस राहपर फिर कभी लौटकर नहीं आए।

प्रिया दत्त राम

प्रिया दत्त राम 1949-50 में फैजाबाद अयोध्या म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष थे। मूर्तियाँ रखे जाने के बाद जिलाधिकारी ने बाबरी इमारत को झगड़े के अंदेशे में अपने कब्जे में ले लिया। प्रिया दत्त राम को उस संपत्ति का 'रिसीवर' बनाया गया। 5 जनवरी, 1950 को बाबू प्रिया दत्त राम ने इमारत का जिम्मा सँभाला। उसकी देखरेख और अंदर पूजा-पाठ की एक कार्ययोजना जिलाधिकारी को सौंपी। प्रिया दत्त राम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूँकि रामलला एक देवता हैं, जिन्हें रोज खाने, नहलाने और वस्त्र पहनाने की जरूरत होती है। इसलिए मंदिर में पुजारियों और भंडारी की नियुक्ति होनी चाहिए और इनके लिए एक गेट का ताला खोला जाना चाहिए। रिसीवर की रिपोर्ट पर रामलला की पूजा और भोग के लिए चार पुजारी और एक भंडारी की नियुक्ति हुई। इमारत का एक

छोटा दरवाजा खोला गया, जिससे अंदर जाकर वे पूजा-पाठ कर सकें। मंदिर समर्थकों ने राम जन्मभूमि कार्यशाला में इनकी तसवीर भी टाँग रखी है।

महंत अवेद्यनाथ

महंत अवेद्यनाथ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के पहले अध्यक्ष थे। विवाद के हल के लिए सरकारों से सबसे ज्यादा बातचीत करने वालों में वे एक थे। वे पाँच बार लोकसभा के सदस्य रहे। चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंहसे इनके करीबी रिश्ते थे। उत्तराखंड के पौढ़ी जिले में जनमे कृपाल सिंहबिष्ठ 1940 में अवेद्यनाथ बन गए और 1942 में दिग्विजय नाथ के उत्तराधिकारी नियुक्त हुए। 1969 में दिग्विजय नाथ की मृत्यु के बाद ये नाथपंथी कनफटा संप्रदाय की शीर्ष गद्दी गोरक्षनाथ पीठ पर बैठे। अवेद्यनाथ मंदिर निर्माण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी रहे। 6 दिसंबर, 1992 के ध्वंस के मुख्य आरोपियों में महंत अवेद्यनाथ भी रहे। वे हिंदू महासभा से पहली बार चौथी लोकसभा में चुने गए। उसके बाद तीन बार लगातार यहीं से सांसद बनते रहे। महंत जी गोरखपुर की मानीराम विधानसभा सीट से पाँच बार विधायक भी रहे।

कन्हैया लाल
माणिक लाल मुंशी

कांग्रेस के प्रखर हिंदुत्ववादी नेता। मूलत: वकील, ख्यातनाम लेखक और शिक्षाविद् के.एम. मुंशी नेहरू की कैबिनेट में नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुए। मुंबई में जब हिंदुत्व के पुनरुत्थान के लिए विश्व हिंदू परिषद बनी तो मुंशी जी उसके संस्थापक सदस्यों में थे। वे अपनी प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। 1941 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदू महासभा के करीब हो गए। वे 1946 में फिर से कांग्रेस में लौटे और सरदार पटेल के नजदीकियों में माने गए। आजादी के बाद पटेल के साथ मुंशी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में लगे। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति वे सद्भाव रखते थे। इसी कारण नेहरू ने उन्हें हिंदू पुनरुत्थानवादी कहा था। वे प्रख्यात साहित्यकार भी थे।

महंत नृत्यगोपाल दास

परमहंस रामचंद्रदास के निधन के बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। नृत्यगोपाल दास अयोध्या की मणिराम दास छावनी के महंत हैं। छावनी अखाड़ा परंपरा में साधुओं के रहने की जगहको कहते थे। ये भी विवादित ढाँचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले के दोषी हैं। इन्होंने 6 दिसंबर को 'हिंदू शौर्य दिवस' का नाम दिया। 11 जून, 1938 को मथुरा में जनमे नृत्यगोपाल दास मणिराम छावनी के छठे महंत हैं। यहवैष्णव संप्रदाय के रामानंद अखाड़े का मंदिर है। मृदुभाषी, विनम्र और विद्वान नृत्यगोपाल दास का चार धाम मंदिर ही कारसेवा आंदोलन का कंट्रोल-रूम था। यहीं कारसेवकों के रहने और भोजन का इंतजाम था। नृत्यगोपाल दास ने ध्वंस पर कहा था कि इसे ढहाने की न कोई साजिश थी, न किसी ने उकसाया, कारसेवकों ने अपने विवेक से इसे ढहा दिया।

एच.वी. शेषाद्रि

शिक्षा-दीक्षा से रसायन शास्त्री एच.वी. शेषाद्रि राम जन्मभूमि आंदोलन में संघ का मुखर चेहरा थे। उनके ऊपर संघ की ओर से राम जन्मभूमि के मसले पर सामाजिक रसायन को साधने की जिम्मेदारी रही। 1983 में राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देने के लिए प्रथम एकात्मता यात्रा आयोजित की गई। उसका जिम्मा इन्हीं का था। 6 दिसंबर, 1992 को शेषाद्रि जी बाकी नेताओं के साथ अयोध्या में ही मौजूद थे। लगभग 200 मीटर की दूरी पर वहमंच बना था, जिस पर लालकृष्ण आडवाणी और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल के साथ शेषाद्रि भी मौजूद थे। संघ की ओर से राम जन्मभूमि आंदोलन का पहली बार मौके से संचालन शेषाद्रि ही कर रहे थे। वे कई भाषाओं के ज्ञानी थे। जब कारसेवक ढाँचे पर चढ़ तोड़-फोड़ करने लगे तो हालात को बेकाबू होता देख शेषाद्रि जी ने हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं में कारसेवकों से लौट आने की अपील की। लेकिन कारसेवक नहीं माने। शेषाद्रि ने राम जन्मभूमि आंदोलन को 1998 में हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन का नाम दिया। होन्गासांद्रा वेंकटरमैया शेषाद्रि का जन्म 1926 को

बंगलौर में हुआ था। बंगलौर विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। वे साल 1987 में इसके सरकार्यवाहबने और 2000 तक इस पद पर रहे।

के.एस. सुदर्शन

के.एस. सुदर्शन दक्षिण भारत से आने वाले पहले संघ प्रमुख थे। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अयोध्या में राममंदिर निर्माण की मुहिम चलाई। आरएसएस के मुखिया के तौर पर वे हमेशा तुष्टीकरण के खिलाफ रहे। वे मुसलमानों के भारतीयकरण के पक्षधर थे। उन्हीं के कार्यकाल में 'राष्ट्रीय मुस्लिम मंच' का गठन हुआ। के.एस. सुदर्शन ने ही राममंदिर आंदोलन को धर्मिक मुद्दे की बजाय राष्ट्रवाद के एक पहलू के रूप में आगे बढ़ाया। सुदर्शन जी ने लिखा था—"राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के लिए ईंट रखने का मामला केवल मंदिर का मामला नहीं था, वहप्रतीकात्मक रूप से इस राष्ट्र की नींव रखना था।"

कुप्पाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पाँचवें सरसंघचालक थे। रायपुर के एक ब्राह्मण परिवार में जनमे सुदर्शन महज 9 साल की उम्र में ही पहली बार

संघ की शाखा में गए। 1954 में के सागर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करने के बाद वे संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बने। संघ में परंपरा है कि पूर्णकालिक प्रचारक विवाहनहीं करते हैं। उन्होंने भी इस परंपरा का निर्वाहकरते हुए सारा जीवन देश और संगठन को समर्पित कर दिया। चौथे सरसंघचालक प्रो. राजेंद्र सिंहको जब लगा कि स्वास्थ्य खराबी के कारण वे अधिक सक्रिय नहीं रहसकते, तो उन्होंने 10 मार्च, 2000 को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सुदर्शन जी को सरसंघचालक की जिम्मेदारी सौंप दी।

आर.एन श्रीवास्तव

1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, तब आर.एन श्रीवास्तव फैजाबाद के जिलाधीश थे। श्रीवास्तव पर बाबरी मस्जिद ढहाने के 'षड्यंत्र' में शामिल होने का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक उनकी अगुवाई में स्थानीय प्रशासन ने विवादित ढाँचा गिराए जाने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। बार-बार केंद्र सरकार की हिदायत के बाद भी उन्होंने अयोध्या-फैजाबाद में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद नहीं ली। उन्होंने राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्टों में केंद्रीय बलों के

खिलाफ अनाप-शनाप आरोप लगाए। 26 मार्च, 2002 को उन्होंने लिब्राहन कमीशन के सामने दर्ज कराए अपने बयान में कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि आई.एस.आई. एजेंट विस्फोटकों के साथ अयोध्या आए। बयान में यहभी बताया कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रामकथा कुंज मंच से कारसेवकों को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बाबरी मस्जिद गिरने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर, 1992 को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। साल 1996 में रिटायर हो गए।

डी.बी. राय

1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तब फैजाबाद के एसएसपी डी.बी. राय यानी देवेंद्र बहादुर राय थे। ये उ.प्र. के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंहके पीएसओ भी रहचुके थे। खाकी वर्दी से शुरू हुआ इनका सफर कारसेवक की पोशाक पहनकर पूरा हुआ। बाबरी मस्जिद गिरने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर, 1992 को फैजाबाद के जिलाधीश आर.एन. श्रीवास्तव के साथ इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था। श्रीवास्तव और डी.बी. राय दोनों पर बाबरी मस्जिद ढहाने के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप

में मुकदमा चला। डी.बी. राय की नजदीकी बजरंग दल प्रमुख विनय कटियार से थी। राय 1971 बैच के प्रांतीय पुलिस सेवा के अफसर थे। कारसेवकों के प्रति नरम रुख रखनेवाले राय ने राष्ट्रपति शासन के दूसरे दिन उस वक्त कार्रवाई से इनकार कर दिया था, जब परिसर से कारसवकों को खाली कराने का फैसला हुआ। 9 साल नौकरी बाकी रहते डी.बी. राय खुद रिटायरमेंट लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। वे साल 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर सुल्तानपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुँचे। डी.बी. राय ने 'अयोध्या : 6 दिसंबर का सच' नाम से एक किताब भी लिखी। उन्होंने इस किताब में दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव भी बाबरी मस्जिद ध्वंस के जिम्मेदार थे।

मोहम्मद हाशिम अंसारी

गंगा-जमुनी तहजीब की जीती-जागती मिसाल मोहम्मद हाशिम अंसारी अयोध्या भूमि विवाद के मुख्य पैरोकार थे। वे साल 1949 से ही बाबरी मस्जिद के लिए पैरवी कर रहे थे। उनका जीवन बेहद साधारण बीता। पहले साइकिल बनाने की दुकान थी, फिर दर्जी की दुकान

खोली। 1961 में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद की खातिर मुकदमा किया तो उसमें भी हाशिम एक मुद्दई बने। 1986 में ताला खोलने के आदेश को भी हाशिम अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर 3 फरवरी, 1986 को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। हाशिम अंसारी का परिवार कई पीढ़ियों से अयोध्या में रहरहा है। अंसारी हमेशा हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे। वे अयोध्या मामले के मूल वादी थे। पर उनमें कटुता कभी नहीं रही। अयोध्या के सभी साधु-संतों से उनकी दोस्ती रही। हिंदुओं के त्योहार पर हाशिम अंसारी साधु-संतों और हिंदू धर्मानुयायियों को बधाई देना नहीं भूलते थे। राममंदिर के पैरोकार रहे परमहंस रामचंद्रदास और बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी दोनों के बीच वैचारिक लड़ाई जरूर थी, लेकिन दोनों की दोस्ती अटूट थी। अकसर दोनों एक ही इक्के पर बैठे मुकदमे की तारीख पर फैजाबाद जाते थे। 95 साल के हाशिम अंसारी का 20 जुलाई, 2016 को निधन हो गया।

के.के. मोहम्मद

करिंगामनु कुजियल मोहम्मद पहले मुस्लिम पुरातत्वविद् थे जिन्होंने यहऐलान किया कि बाबरी ढाँचे के नीचे हिंदू मंदिर था। केरल के कालीकट में जनमे के.के. मोहम्मद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इतिहास में एम.ए. किया है। 1976-77 में स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के छात्र के नाते उन्होंने अयोध्या की खुदाई में हिस्सा लिया। इस खुदाई में उन्हें वहाँ प्राचीन मंदिर के 12 ऐसे खंभे मिले, जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद का ढाँचा खड़ा था। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक प्रो. बी.बी. लाल के नेतृत्व में हुई, उस खुदाई में खंभों के नीचे ईंटों का आधार भी मिला। 1990 में जब यहविवाद आगे बढ़ा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर पहले मंदिर था या मस्जिद? तब के.के. मोहम्मद ने अपने अध्ययन के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर के मलबे पर खड़ी है। इस मस्जिद में प्राचीन मंदिर के स्तंभों और दूसरे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। विवादित स्थल पर ऐसे 14 स्तंभ मिले हैं। जिनके ऊपर

गुंबद खुदे हुए थे। ये गुंबद 11वीं और 12वीं शती के मंदिरों में मिलने वाले गुंबदों जैसे थे। के.के. मोहम्मद कहते हैं, जब हाईकोर्ट ने ए.एस.आई. को खुदाई का आदेश दिया तो उस वक्त 50 ऐसे ही स्तंभों के ईंट से बने आधार मिले। इसके अलावा मंदिर के ऊपर का आमलका और मंदिर के अभिषेक का जल बाहर निकालने की प्रणाली भी मिली थी। मोहम्मद का मानना है कि इस विवाद का हल काफी पहले निकल जाता। मुस्लिम समाज राजी भी हो रहा था, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े वामपंथी इतिहासकारों ने लोगों को भड़का दिया कि वहाँ खुदाई में कुछ नहीं मिला। सब झूठा प्रचार है। के.के. मोहम्मद का मानना था कि डॉ.सूरजभान को छोड़कर विशेषज्ञों के उस समूहमें प्रो. इरफान हबीब सहित कोई विशेषज्ञ ऐसा नहीं था, जिसे पुरातत्त्व की समझ हो।

स्वामी
वासुदेवानंद सरस्वती

ये वही शंकराचार्य थे, जिनकी अध्यक्षता में पाँचवीं धर्मसंसद की विशेष बैठक में कारसेवा की तारीख 6

दिसंबर तय हुई। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती 1989 में ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के शंकराचार्य बने। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जोर-शोर से इस मत के हिमायती थे कि रामलला ही उस स्थान के मालिक हैं। सभी पक्षों को यहबात मान लेनी चाहिए। उस स्थान पर सिर्फ रामलला के भव्य राममंदिर का ही निर्माण होगा। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अप्रैल 1991 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चौथी धर्मससंद आयोजित की गई। इसमें विवादित इमारत श्रीराम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की माँग की गई थी। ज्योतिष पीठ पर अधिकार को लेकर स्वरूपानंद से इनका लगातार झगड़ा रहा। यही वजहरही कि स्वरूपानंद हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ रहे। कभी आंदोलन के साथ नहीं आए। सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्वामी वासुदेवानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया।

स्वामी वामदेव

स्वामी वामदेव एक भोले-भाले विनम्र संत थे। 4 फुट की ऊँचाई वाले वामदेव के भीतर संतई के सारे गुण थे। वामदेव जी ने गौवध को रोकने और अयोध्या में राममंदिर

निर्माण की खातिर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहराव ने इन्हें विश्व हिंदू परिषद से अलग करने की पुरजोर कोशिश की, मगर असफल रहे। स्वामी वामदेव की ही अध्यक्षता में साल 1984 में अखिल भारतीय संत-सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ। इसमें राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 15 दिनों तक लगातार 400 साधु-संतों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया। 30 अक्तूबर, 1990 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कारसेवा का आह्वान किया था। स्वामी वामदेव अपनी वृद्धावस्था के बावजूद सभी बाधाओं को पार करते हुए अयोध्या पहुँचे थे। 2 नवंबर, 1990 को जब कारसेवकों पर गोली चली तो इससे स्वामी जी इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने 4 नवंबर को प्रशासन को रक्तपात की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर कर्फ्यू हटाकर प्रशासन ने कारसेवकों को रामलला के दर्शन नहीं करने दिए तो बड़े पैमाने पर खून बहेगा। 6 दिसंबर, 1992 को जब विवादित ढाँचा गिराया जा रहा था, स्वामी जी कारसेवकपुरम में ही मौजूद थे। मार्च 1993 को संत सम्मेलन में उन्होंने अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का मुद्दा भी उठाया। अप्रैल 1993 की रामनवमी को अयोध्या में 9 दिनों का अनुष्ठान भी किया। राममंदिर के लिए जीवनपर्यंत लड़ने वाले स्वामी वामदेव का 20 मार्च, 1997 को देहावसान हुआ।

चंद्रास्वामी

संत के कपड़ों में हथियारों के सौदागर। सत्ता की मध्यस्थता के विशेषज्ञ। तंत्र के नाम पर दिमाग पढ़ने की ताकत रखने का दावा करने वाले। चंद्रास्वामी की असली पहचान उनके ऊपरी वस्त्रों की कई तहों में छिपी हुई थी। वे एक ऐसे संत थे, जिनका हमेशा सीकरी से काम रहा। संतई का चोला पहनने से पहले वे कांग्रेसी थे। कम लोगों को मालूम होगा कि राममंदिर मामले में भी उन्होंने मध्यस्थता की थी। कारसेवा के मामले में नरसिंहराव सरकार से निर्णायक बातचीत के सूत्रधार भी वे ही थे। विवादास्पद होने के बावजूद सभी पार्टियों में उनकी एक तरहसे स्वीकार्यता थी। स्वामी से लेकर नेता, अभिनेता, अपराधी सब उनके संपर्क में थे। धर्म-दर्शन से उनका कोई नाता, रिश्ता नहीं था। राममंदिर निर्माण की खातिर जब वे मध्यस्थता कर रहे थे तो उनकी बात मुलायम सिंहभी सुन रहे थे, नरसिंहराव भी और भाजपा की ओर से भैरोंसिंहशेखावत भी। नरसिंहराव पर उनका गहरा असर था। अप्रैल 1993 में चंद्रास्वामी ने दिल्ली में 300 साधुओं और धर्माचार्यों के साथ एक सम्मेलन किया। इसमें घोषणा की गई कि बाबरी मस्जिद की जगहराममंदिर निर्माण

कराया जाना चाहिए। साथ ही मस्जिद को मंदिर परिसर के 5 किमी. के दायरे से बाहर होना चाहिए। असल में चंद्रास्वामी की कोशिश राममंदिर मामले में वीएचपी का एकाधिकार खत्म करना था। चंद्रास्वामी की इन कोशिशों के पीछे केंद्र सरकार का हाथ था। इसी कड़ी में दो महीने बाद जून 1993 में चंद्रास्वामी ने अयोध्या में सोम यज्ञ का आयोजन किया था। राष्ट्रपति शासन के बावजूद चंद्रास्वामी को विवादित परिसर में जाने की इजाजत दी गई थी। चंद्रास्वामी का जन्म 1948 में राजस्थान के अलवर में हुआ था। उनका असली नाम नेमिचंद्र जैन था। चंद्रास्वामी तांत्रिक बनने के पहले राजनीति में भी सक्रिय रहे। 17 साल की उम्र में हैदराबाद में युवा कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद बिहार-नेपाल सीमा पर तांत्रिक साधना के लिए अमर मुनि नामक एक साधु के शिष्य हो गए। देश-विदेश के बड़े-बड़े राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं से उनका घनिष्ठ नाता रहा।

एच.एन. तिलहरी

ए.एन. गुप्ता

न्यायमूर्ति हरिनाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति ए.एन. गुप्ता साल 1992 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। जब केंद्र और राज्य सरकारें अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन-पूजन पर रोक लगाए हुए थी तो 1 जनवरी, 1993 को न्यायमूर्ति तिलहरी और न्यायमूर्ति गुप्ता की बेंच ने रामलला की रुकी हुई पूजा-अर्चना-भोग को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था। 6 दिसंबर, 1992 की घटना के बाद अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। जनता भगवान का दर्शन-पूजन नहीं कर पा रही थी। इस स्थिति में लखनऊ के वकील हरिशंकर जैन ने पूजा दोबारा शुरू करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका पर न्यायमूर्ति तिलहरी और न्यायमूर्ति गुप्ता ने अपना फैसला सुनाया था। बेंच ने अपने फैसले में कहा, ‘भगवान के दर्शन ठीक से हो सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ-ही-साथ आँधी, तूफान, वर्षा, शीत व हवा से भगवान की रक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।’ इस आदेश के बाद पूजा-अर्चना फिर से शुरू हो गई, जो आज तक जारी है।

सतीश चंद्र माथुर

बृजेश कुमार

सैयद हैदर
अब्बास रजा

अयोध्या में विवादित जमीन के मालिकाना हक के चार मामलों की सुनवाई करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष पीठ 21 साल में 13 बार बदली। साल 1989 से 2010 तक कुल 18 जजों ने इस मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र माथुर, न्यायमूर्ति बृजेश कुमार और न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास रजा विवादित जमीन के मालिकाना हक की सुनवाई कर रही साल 1990 में

गठित दूसरी पीठ के सदस्य थे। इसमें से न्यायमूर्ति रजा पहली पीठ के सदस्य भी रहचुके थे। अक्तूबर 1991 में जब कल्याण सिंहसरकार ने 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था तो दूसरी पीठ में इसको चुनौती दी गई थी। 4 नवंबर, 1992 को कोर्ट में हुई बहस के बाद फैसला सुनाने की तारीख 11 दिसंबर, 1992 तय की गई। लेकिन उससे पहले ही 6 दिसंबर को विवादित ढाँचा गिरा दिया गया। 11 दिसंबर को अपने निर्णय में न्यायमूर्ति सतीश चंद्र माथुर ने लिखा—"इस न्यायपीठ पर निर्णय देने में बेहद देरी करने और ढाँचे को तोड़ने में योगदान करने का आरोप है। हमें फैसला 2.77 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का देना था, ढाँचे पर नहीं। ढाँचे को न्यायालयों के आदेशों से सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी। उसकी सुरक्षा का वचन सभी लोगों ने दिया था। न्यायालयों के पास अपने आदेशों पर अमल कराने का कोई कार्यपालक बल नहीं होता। यहजिम्मेदारी कार्यपालिका यानी सरकार की है। जिन्न को बोतल से बाहर निकाल देना तो आसान है, उसे वापस भरना आसान नहीं है।"

मौलाना अबुल हसन
नदवी उर्फ अली मियाँ

स्वभाव से संत मौलाना अबुल हसन अली नदवी उर्फ अली मियाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे। अयोध्या को लेकर अली मियाँ और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक अलिखित समझौता था। अली मियाँ के दबाव में राजीव गांधी ने संसद में कानून लाकर शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके बदले में अली मियाँ राजीव गांधी के राम जन्मभूमि का ताला खोलने के फैसले पर चुप रहे। राजीव गांधी और उनके बीच यहएक आपस का समझौता था। यही वजहथी कि राजीव गांधी के जीवनकाल तक मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड बहुत आक्रामक नहीं रहा। अयोध्या विवाद पर मौलाना नदवी और विश्व हिंदू परिषद के बीच बातचीत हुई। सुलहकी कई कोशिश हुई, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल सका। उनकी अनूदित एक किताब ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में खासी हलचल मचाई। मौलाना नदवी के पिता मौलाना अब्दुल हई ने 'हिंदुस्तान इस्लामी अहदमे' नामक ग्रंथ अरबी में लिखा। अली मियाँ ने इसका उर्दू अनुवाद 1973 में किया। इसके 'हिंदुस्तान की मस्जिदें' शीर्षक अध्याय में बाबरी मस्जिद के बाबत कहा गया कि इसका निर्माण बाबर ने अयोध्या में किया। हिंदू इसे रामचंद्र जी का जन्मस्थान कहते हैं। बिल्कुल उसी स्थान पर बाबर ने ये मस्जिद तामीर की। बाद में यहकिताब हिंदुस्तान की सभी लाइब्रेरियों से गायब करा दी गई। अली मियाँ इस्लामी परंपरा में अंतरराष्ट्रीय

ख्याति के विद्वान थे। उनका जन्म 5 दिसंबर, 1913 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। उनके पिता मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हई इस्लाम के बड़े जानकार थे। उन्होंने इस्लाम पर कई किताबें लिखी थीं। पिता के इंतकाल के बाद अली मियाँ दारुल उलूम नदवा से जुड़े। मौलाना अबुल हसन नदवी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के संस्थापक सदस्य भी थे, जो दुनिया भर की मस्जिदों की सुप्रीम काउंसिल है।

जफरयाब जिलानी

जफरयाब जिलानी वरिष्ठ वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी की ओर से अयोध्या में विवादित ढाँचे से जुड़े मुकदमे में बतौर वकील पेश होते आए हैं। वे उ.प्र. सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रहचुके हैं। 1978 में नौजवान वकील जफरयाब जिलानी ने मुसलमानों से संबंधित मुद्दों में सक्रिय भागीदारी निभानी शुरू की थी। 1985 में वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े। 1 फरवरी, 1986 को फैजाबाद की जिला अदालत ने मंदिर परिसर का ताला खोलने के आदेश दिए तो जिलानी ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। 15 फरवरी,

1986 में उन्होंने कई मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और इसके संयोजक बने। जिलानी अयोध्या मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के खिलाफ हैं।

प्रो. राजेंद्र सिंह
(रज्जू भैया)

प्रो. राजेंद्र सिंहराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक थे। रज्जू भैया के कार्यकाल में ही पहली बार कोई स्वयंसेवक नेता प्रधानमंत्री बना। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार केंद्र में एनडीए सरकार बनी। अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के लिए रज्जू भैया जीवनपर्यंत संघर्षरत रहे। 1983 में कांग्रेस से अलग-थलग कर दिए गए कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ रज्जू भैया ने एक बैठक की। इसमें इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर हिंदुओं के तीन धार्मिक स्थलों—मथुरा, काशी और अयोध्या की पुनर्स्थापना के लिए कहा गया। हालाँकि इंदिरा गांधी ने इस आग्रहको नजरअंदाज कर दिया। रज्जू भैया पहले गैर-महाराष्ट्रीयन और पहले गैर-ब्राह्मण सरसंघचालक थे। वे 1994 से 2000 तक आरएसएस के सरसंघचालक रहे। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जनमे

राजेंद्र सिंहको घर में सब प्यार से रज्जू कहते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद वहीं वे भौतिकी विभाग में प्रोफेसर हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वे आरएसएस के संपर्क में आए। 1966 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी छोड़ दी और पूर्णकालिक रूप से संघ के साथ जुड़ गए।

सैयद शहाबुद्दीन

सैयद शहाबुद्दीन एक राजनेता, समाजसेवी और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। सैयद शहाबुद्दीन को शाहबानो मामले में मुसलमानों के पक्ष को मजबूती से उठाने के लिए जाना जाता है। 1 फरवरी, 1986 में जब अयोध्या में बाबरी इमारत का ताला खुला, इसके खिलाफ शहाबुद्दीन ने सेंट्रल एक्शन कमेटी बना राष्ट्रीय स्तर पर शोक दिवस मनाया। वे लोकसभा और राज्यसभा के सभी 41 मुस्लिम सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री से मिले और बाबरी मस्जिद को मुसलमानों को सौंपने की माँग की। बाद में शहाबुद्दीन ने बाबरी मामले में बनी सभी कमेटियों को मिलाकर एक बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेंसन कमेटी बनाई। जिसके वे खुद संयोजक बने। इस कमेटी ने

1987 के गणतंत्र दिवस के 'बायकाट' का ऐलान किया। सैयद शहाबुद्दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य रहे। शहाबुद्दीन कहते थे कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक कानूनी मुद्दा है। 1935 में राँची में जनमे शहाबुद्दीन 1958 में वहभारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए। 1978 में आईएफएस से इस्तीफा देकर वे सियासत में आए। चंद्रशेखर को उन्हें राजनीति में लाने और जनता पार्टी में शामिल करने का श्रेय दिया जाता है। 1979 से 1996 के बीच वे तीन बार सांसद चुने गए।

श्रीशचंद्र दीक्षित

राम जन्मभूमि आंदोलन के अगली कतार के नेता श्रीशचंद्र दीक्षित उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे। 1982 से 1984 तक वे इस पद पर थे। 1984 में रिटायर होने के बाद श्रीशचंद्र दीक्षित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष बने। वे श्रीराम जन्मभूमि न्यास के सदस्य भी थे। श्रीशचंद्र दीक्षित को वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल का विश्वासपात्र माना जाता था। आंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने में उनकी खास भूमिका थी। पुलिस प्रशासन की नजरें बचा कारसेवकों को अयोध्या

पहुँचना हो या कायदे कानून को धता बता कारसेवा करवाना। इन कामों में उन्हीं का शातिर दिमाग चलता था। अयोध्या में राममंदिर के शिलान्यास करने वालों में वहभी एक थे। 1989 में प्रयाग में कुंभ के मौके पर आयोजित धर्मसंसद में मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके बाद श्रीशचंद्र दीक्षित ने देवरहा बाबा की दी हुई ईंट को सिर पर रखकर देशभर में यात्रा की। अक्तूबर-नवंबर 1990 में अयोध्या में कारसेवा के दौरान उनको गिरफ्तार भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले वाराणसी लोकसभा सीट पर उन्होंने ही जीत का भगवा ध्वज फहराया। 1991 में वे वाराणसी से लोकसभा के लिए चुने गए। उनसे पहले इस सीट पर भाजपा का कोई उम्मीदवार कभी नहीं जीता था।

मधुकर गुप्ता

मधुकर गुप्ता राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान फैजाबाद के डिविजनल कमिश्नर थे। वे 1971 बैच के उत्तर प्रदेश बाद में उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर थे। 1980 में मुरादाबाद के डीएम रहते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर हुए दंगे को काबू किया था। इसी वजहसे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंहयादव ने 7 अक्तूबर,

1990 को उन्हें फैजाबाद का डिवीजनल कमिश्नर बनाया। 30 अक्तूबर, 1990 को एक लाख कारसेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए। उस वक्त मधुकर गुप्ता के कंधों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए। वे विहिप नेता अशोक सिंघल के सगे मामा के बेटे थे। अक्तूबर 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर जब फायरिंग की गई, तब उन्होंने कहा था कि इनसानी जीवन का कम नुकसान हुआ है। जून 2007 में मधुकर गुप्ता केंद्रीय गृहसचिव बने। गुप्ता ब्यूरोक्रेट फैमिली से आते हैं। उनके दादा, पिता और भाई सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े रहे।

कोठारी बंधु

कोठारी बंधु यानी राम कुमार कोठारी (23) और शरद कुमार कोठारी (20) सगे भाई थे। दोनों कोलकाता के रहने वाले थे और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। 30 अक्तूबर, 1990 को अयोध्या में हुई कारसेवा के पहले जत्थे में वे शामिल थे। दोनों ने विवादित इमारत पर चढ़कर भगवा फहराया था। 30 अक्तूबर की तोड़-फोड़ और गुंबद पर चढ़ने की घटना से सरकार गुस्से में आ गई। उसने तय

किया कि कारसेवकों ने फिर मर्यादा तोड़ी तो गोली चलेगी। कारसेवक 2 नवंबर को दुबारा विवादित परिसर की तरफ बढ़ने पर आमादा थे। इस जत्थे में भी कोठारी बंधु आगे-आगे थे। पुलिस ने गोली चलाई, दोनों मारे गए। पुलिस ने पहले छोटे भाई शरद कुमार को घसीटते हुए जुलूस से बाहर किया और सिर पर बंदूक तान दी। यहदेखकर बड़े भाई रामकुमार बाहर निकला और पुलिस वालों को ललकारा, "मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, मारना ही है तो मुझे मार दो।" पुलिसकर्मियों पर इस करुण पुकार का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने दोनों ही भाइयों को गोली मार दी। उन दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। कोलकाता के हीरालाल कोठारी के यही दो बेटे थे।

विष्णु हरि डालमिया

विष्णु हरि डालमिया विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे। 1924 में जनमे विष्णु हरि डालमिया उद्योगपति होने के साथ-साथ हिंदूवादी नेता थे। अगस्त 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। वे साल 1992 से 2005 तक इसके अध्यक्ष रहे। 1985 में जब श्रीराम जन्मभूमि न्यास की स्थापना की गई तो विष्णु हरि डालमिया को इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया। खास बात

यहथी कि जब डालमिया मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त उनके बेटे संजय डालमिया समाजवादी पार्टी से सांसद थे। 6 दिसंबर को विवादित ढाँचा ढहाए जाने के दो दिन बाद यानी 8 दिसंबर को उन्हें लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल के साथ गिरफ्तार किया गया। वे डालमिया ग्रुप के संस्थापक जयदयाल डालमिया के सुपुत्र और रामकिशन डालमिया के भतीजे हैं। डालमिया बंधुओं ने ही 40 के दशक में डालमियानगर की नींव रखी थी।

दाऊदयाल खन्ना

राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के महामं त्री दाऊदयाल खन्ना उत्तर प्रदेश की तीसरी विधानसभा सभा के कांग्रेसी सदस्य थे। 1962 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुरादाबाद जिले की काँठ सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। दाऊदयाल खन्ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थे। 1983 में दाऊदयाल खन्ना विहिप के नजदीक आ गए थे। उसी साल मुजफ्फनगर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में दाऊदयाल खन्ना कांग्रेस से अलग-थलग कर दिए गए। इस बैठक में सरसंघचालक रज्जू भैया ने भी भाग लिया

था। बैठक में इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर तीन धार्मिक स्थलों—मथुरा, काशी और अयोध्या को हिंदुओं को सौंपने की माँग की गई। 18 जून, 1984 में श्रीराम-जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। गोरक्षपीठ के महंत अवेद्यनाथ इसके अध्यक्ष बने और दाऊदयाल खन्ना को समिति का महामंत्री बनाया गया। 25 सितंबर 1984 को दाऊदयाल खन्ना के नेतृत्व में बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथयात्रा निकाली गई।

देवकीनंदन अग्रवाल

देवकीनंदन अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने रामलला (नाबालिग) के मित्र के नाते अदालत में मुकदमा दायर कर कहा कि मुकदमे में रामलला को पार्टी बनाया जाय; क्योंकि इमारत में तो रामलला विराजमान हैं। मौके पर उनका कब्जा है। इसी के बाद हाईकोर्ट ने रामलला (मूर्ति) को पार्टी बनाया। अयोध्या विवाद से संबंधित 5 मुकदमे दायर किए गए थे। जिसमें से अंतिम व पाँचवाँ मुकदमा (संख्या 236/1989) भगवान रामलला विराजमान की ओर से 1 जुलाई, 1989 को देवकीनंदन अग्रवाल ने दायर किया था। देवकीनंदन अग्रवाल 1977 से 1983 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के

न्यायाधीश रहचुके थे। कानून के जानकार देवकीनंदन अग्रवाल ने भगवान राम के निकट मित्र के रूप में अपने को पेश किया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राण-प्रतिष्ठित मूर्ति एक जीवित इकाई है और अपना मुकदमा लड़ सकती है। लेकिन प्राण-प्रतिष्ठित मूर्ति नाबालिग मानी जाती है, इसलिए उनका मुकदमा लड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। न्यायालय ने रामलला का मुकदमा लड़ने के लिए देवकीनंदन अग्रवाल को रामलला के अभिन्न सखा के रूप में अधिकृत किया। न्याय प्रक्रिया संहिता की धारा 32 मानती है कि विराजमान ईश्वर (मूर्ति) को एक व्यक्ति माना जाता है। उसे एक व्यक्ति मानकर पक्षकार बनाया जा सकता है। इस आधार पर अदालत ने उनकी याचिका मंजूर कर ली। देवकीनंदन अग्रवाल द्वारा दायर मुकदमे में अदालत से माँग की गई थी कि राम जन्मभूमि अयोध्या का पूरा परिसर वादी (देव-विग्रह) का है, अत: राम जन्मभूमि पर नया मंदिर बनाने का विरोध करने वाले या इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या बाधा खड़ी करने वाले प्रतिवादियों को उन्हें कब्जे से हटाने से रोका जाए। देवकीनंदन अग्रवाल के निधन के बाद विश्व हिंदू परिषद के त्रिलोकी नाथ पांडेय रामलला के मित्र के तौर पर पैरोकार हैं।

कर्मवीर सिंह

1975 बैच के आई.पी.एस. अफसर कर्मवीर सिंह1986 में मंदिर परिसर का ताला खोले जाने के समय फैजाबाद के एसएसपी थे। 1 फरवरी, 1986 को फैजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडेय ने मंदिर का ताला खोलने की अपील पर सुनवाई के दौरान फैजाबाद के जिलाधिकारी इंदु कुमार पांडेय और एसएसपी कर्मवीर सिंहको कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने कर्मवीर सिंहसे पूछा था कि क्या ताला खोलने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है? इस पर कर्मवीर सिंहने अदालत को बताया कि ताला खोलने से कानून व्यवस्था के बिगड़ने की कोई आशंका नहीं है। ताला खुला तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडेय ने उसी शाम 4.40 बजे ताला खोलने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश के आदेश देने के बमुश्किल 40 मिनट बाद ही जिलाधिकारी इंदु कुमार पांडेय और एसएसपी कर्मवीर सिंहराम जन्मभूमि मंदिर पहुँचे और उन्होंने गेट पर लगे ताले खोल दिए। 2009 में कर्मवीर सिंहउत्तर प्रदेश के डीजीपी बने और 2011 में रिटायर हुए। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ था, जब अदालत के आदेश के 40 मिनट

के भीतर ही उसकी तामील हुई हो।

इंदु कुमार पांडेय

इंदु कुमार पांडेय साल 1986 में मंदिर परिसर का ताला खोले जाने के समय फैजाबाद के जिलाधिकारी थे। वे 1975 बैच के यूपी काडर के आईएएस अफसर थे। 1 फरवरी, 1986 को मंदिर परिसर का ताला खोलने के आदेश की तामील कराने की जिम्मेदारी इंदु कुमार पांडेय के कंधों पर थी। फैजाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण मोहन पांडेय ने मंदिर का ताला खोलने की अपील पर सुनवाई के दौरान फैजाबाद के तत्कालीन एसएसपी कर्मवीर सिंहके साथ जिलाधिकारी इंदु कुमार पांडेय और को भी कोर्ट में तलब किया था। इंदु कुमार पांडेय ने कोर्ट के बताया—"कानून और व्यवस्था बनाए रखने और मूर्तियों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए गेटों पर ताले रखने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति और भक्तों के बीच एक बनावटी अवरोध पैदा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति ने अपनी समझदारी दिखाते हुए गेट पर ताला लगा दिया लेकिन तब से किसी ने उस तरफ देखा तक नहीं कि क्या ताले बनाए रखने की आवश्यकता है या नहीं।" न्यायाधीश के आदेश देने के बमुश्किल 40 मिनट

बाद ही जिलाधिकारी इंदु कुमार पांडेय और एसएसपी कर्मवीर सिंहराम जन्मभूमि मंदिर पहुँचे और उन्होंने गेट पर लगे ताले खोल दिए थे। इंदु पांडेय 2008 में उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने।

सुभाष जोशी

1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर फायरिंग के वक्त फैजाबाद के एसएसपी सुभाष जोशी ही थे। सुभाष जोशी 1976 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस थे। 30 अक्तूबर, 1990 को एक लाख कारसेवक कार्तिक पूर्णिमा के समय अयोध्या में जमा हुए थे। सुबह10 बजे स्वामी वामदेव और महंत नृत्यगोपालदास के नेतृत्व में कारसेवक विवादित ढाँचे की ओर निकल पड़े थे। एसएसपी सुभाष जोशी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने कारसेवकों को रोकने के लिए फायरिंग की। जिसमें 5 कारसेवक मारे गए। अयोध्या एक दिन शांत रही। फिर 2 नवंबर को कारसेवकों का आक्रोश फूटा, पुलिस ने दोबारा फायरिंग की, इसमें 25 कारसेवक मारे गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने इनके बर्बरता के किस्से लोकसभा में सुनाए थे। बाद में सुभाष जोशी बी.एस.एफ. के महानिदेशक बने। वे एन.एस.जी. के डीजी भी थे। रिटायरमेंट के बाद मोदी

सरकार ने उन्हें एन.टी.पी.सी. का डायरेक्टर बनाया।

अरुण नेहरू

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रिश्ते में भाई लगने वाले अरुण नेहरू उनकी सरकार में गृहराज्य मंत्री रहचुके थे। राममंदिर का ताला खुलवाने के पीछे अरुण नेहरू का ही हाथ था। अरुण नेहरू और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंहने राजीव गांधी को विवादित परिसर का ताला खोलने की सलाहदी थी। क्योंकि तब राजीव गांधी शाहबानो मामले में मुस्लिम कट्टरपं थियों के आगे झुक गए थे। उन पर चौतरफा हमले हो रहे थे। शाहबानो से ध्यान हटाने के लिए अरुण नेहरू की यहसलाहथी। 24 अप्रैल, 1944 को लखनऊ में जनमे अरुण नेहरू जवाहरलाल नेहरू के चाचा नंदलाल नेहरू के परपोते थे। अरुण नेहरू को इंदिरा गांधी राजनीति में लाई थीं। 1980 में उन्हें रायबरेली से उपचुनाव लड़वाया। 1984 में भी लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व अरुण नेहरु ने किया था। अरुण नेहरू और राजीव गांधी के बीच बोफोर्स मामले को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। इसके बाद वे जनता दल में शामिल हो गए थे। जनता दल के टिकट पर वे उत्तर प्रदेश के बिल्होर से सांसद रहे।

विश्वनाथ प्रताप सिंहसरकार में भी मंत्री रहे। 1990 की कारसेवा के दौरान वे भी हल ढूँढ़नेवाली बातचीत का हिस्सा रहे।

वीर बहादुर सिंह

कांग्रेस के जमीनी नेता वीर बहादुर सिंह1985 से 1988 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वीर बहादुर सिंहके कार्यकाल के दौरान ही अयोध्या में राममंदिर के ताले खोले गए थे। 1985 में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद उसका नेतृत्व कर रही थी। 31 जनवरी, 1986 को फैजाबाद की जिला अदालत में जन्मस्थान का ताला खुलवाने के लिए अपील दायर कर की। वीर बहादुर सिंहइसका श्रेय विश्व हिंदू परिषद को नहीं देना चाहते थे, इसीलिए अरुण नेहरू और वीर बहादुर सिंहने राजीव गांधी को विवादित परिसर का ताला खोलने की सलाहदी और कोर्ट के फैसले के 40 मिनट बाद ही ताले खोल दिए गए। महंत अवेद्यनाथ के जरिए वीर बहादुर सिंहराम जन्मभूमि आंदोलनकारियों से भी बातचीत कर लेते थे। इस पक्ष से बात करने के लिए कांग्रेस के वही संपर्क सूत्र थे। वजहगोरखपुर का होने के नाते महंत अवेद्यनाथ से उनका नजदीकी रिश्ता था। वीर

बहादुर सिंहका जन्म 1935 में गोरखपुर में हुआ था। 1967 में गोरखपुर जिले की पनियारा सीट से कांग्रेस के टिकट पर वे चुनाव जीते। इसके बाद 1969, 1974, 1980 और 1985 तक पाँच बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। वीर बहादुर सिंहसंजय गांधी के विश्वासपात्र होने के कारण अरुण नेहरू के भी निकट थे। गांधी परिवार में भी उनकी सबसे अधिक विश्वसनीयता थी। उसी दौरान एक घटना हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाराबंकी जिले में आई बाढ़ देखने आए। उन्होंने उचित प्रकार से राहत बचाव न करने के चलते मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से इस्तीफा ले लिया। वीर बहादुर सिंहको उ.प्र. का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में अरुण नेहरू ने जब कांग्रेस छोड़ी तो राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंहको भी मुख्यमंत्री पद से हटा उन्हें केंद्र सरकार में संचार मंत्री बनाया।

बूटा सिंह

बूटा सिंह1986 से 1989 तक राजीव गांधी की सरकार में देश के गृहमंत्री थे। राममंदिर आंदोलन के दौरान बूटा सिंहकेंद्र और उ.प्र. सरकार के बीच की कड़ी थे। बूटा सिंहके कार्यकाल के दौरान उ.प्र. में दो अलग-

अलग मुख्यमंत्री रहे। वीर बहादुर सिंहऔर नारायण दत्त तिवारी। वीर बहादुर सिंहके कार्यकाल के दौरान 1986 में मंदिर के ताले खोले गए थे और नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल के दौरान 1989 में शिलान्यास कराया गया। बूटा सिंहअयोध्या के सवाल पर लखनऊ सचिवालय में कुछ करीबी अफसरों की मदद से फैसले लेते थे। अयोध्या मुद्दे पर मुख्यमंत्री का दफ्तर पूरी तरहसे दरकिनार कर दिया गया था। उसे सिर्फ फैसलों की जानकारी पहुँचाने के डाकघर की तरहइस्तेमाल किया जा रहा था। बूटा सिंहही थे, जिन्होंने राजीव गांधी को 1989 में शिलान्यास के लिए राजी किया था। शिलान्यास के ठीक एक हफ्ते पहले उन्होंने राजीव गांधी की मुलाकात गोरखपुर में देवरहा बाबा से करवाई थी। बूटा सिंहराजीव सरकार में कृषि मंत्री (1984-86) भी रहचुके थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- रामचरितमानस-गोस्वामी तुलसीदास
- बाल्मिकी रामायण
- एडमंड थॉर्नटन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गैजेटियर (1854)
- एडवर्ड वैलफर का इनसाइक्लोपिडिया ऑफ इंडिया (1858)
- पी. कार्नेगी का फैजाबाद का ऐतिहासिक रेखाचित्र (1870)
- अवध प्रांत का गैजेटियर (1877)
- फैजाबाद की चकबंदी/आबादी रिपोर्ट (1880)
- फैजाबाद का राजसी गैजेटियर (1881)
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (1891)
- बाराबंकी का जिला गैजेटियर (1902)
- फैजाबाद का जिला गैजेटियर (1905)
- एनेट बेवरिज की अंग्रेजी में बाबरनामा (1920)
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1934)
- फैजाबद का संशोधित गैजेटियर (1960)
- इनसाइक्लोपिडिया बिटेनिका (1978)
- कारवाने जिंदगी—मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी
- कल्याण—संत अंक
- राम, कृष्ण और शिव—डॉ. राममनोहर लोहिया
- अयोध्या का सच—डॉ. डी.बी. राय

- अयोध्या 6 दिसंबर—पी.वी. नरसिंहराव
- अयोध्या का सच—देवेंद्र स्वरूप
- भारतीय इतिहास कोश—सच्चिदानंद भट्टाचार्य
- हिंदू होने का धर्म—प्रभाष जोशी
- हिंदू धर्म कोश—डॉ. राजबली पांडेय
- भारतीय संस्कृति कोश—डॉ. लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'
- धर्म शास्त्र का इतिहास—प्रो. पी.वी. काणे
- नंदी, आशीष, शिखा त्रिवेदी, शैल मायाराम, अच्युत याग्निक, क्रिएटिंग ए नेशलिटी-द राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड फियर ऑफ द सेल्फ, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक्स, 2005।
- Ayodhya : 2002-03 Report submitted to the Special Full Bench, Lucknow of the Hon'ble High Court, Allahabad

Newspapers and Journals

- Aj, 10 December 1949, 22 December 1949.
- The Pioneer (Lucknow), 23 December 1949.
- जनसत्ता
- इंडियन एक्सप्रेस
- स्वतंत्र भारत
- यथावत

- इंडिया टुडे
- BJP Today
- Muslim India
- 'White Paper on Ayodhya', New Delhi; Government of India, February 1993.
- A Grain of Sand in the Hourglass of Time- Arjun Singh
- The Chinar Leaves: A Political Memoir- Makhan Lal Fotedar
- The Turbulent Years-Pranab Mukherjee
- My Country My Life- L. K. Advani
- Barnett, R.B., North India between Empires: Awadh, the Mughals and the British, 1720-1801, Berkeley" University of California Press, 1980
- Clark, Mathew, The Dashanami Sanyasis, Brill, Lieden-Boston, 2006.
- Das, Durga (ed.) Sardar Patel's Correspondence, 1945-1950, Ahmedabad: Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1973.
- Jaffrelot, Christophe, The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics,

1925 to the 1990s, London: Hurst & Company, 1993.

- Neville, H.R., Faizabad District Gazetteer, Allahabad: Government Press, 1905.
- Savarkar, V.D., Hindutva: Who is a Hindu?, Bombay: S.S. Savarkar, 1969.
- Foreign Department Political 28 December 1885, No. 351-358 & KW
- Foreign Department Political 28 December 1885, No. 450 & KW
- Home Department Political F.No. 5/2/1934 Poll.
- Indian Archaeology 1976-72-A Review, Archaeological Survey of india, 1975.
- Benett, W.C. 1993. Gazetteer of Oudh, 3 Vols. Low Price Publications, First published in 1877-78.
- Cunningham, Alexander. 1996. The Ancient Geography of India, I, Low Price Publications, first published in 1871.
- Foster, William. 1999. ed. Early Travels in India 1583-1619, Low Price Publications, first published in 1921.

- Fuhrer, A, 1889. The Sharqi Architecture of Jaunpur, with notes on Zafarabad, Sahet-Mahet and other Places in the North-Western Provinces and Oudh, Archaeological Survery of India.
- Hamilton, Walter, 1971. A Geographical, Statistical and Historical Description of Hindostan and the Adjacent Countries. Vol. I, Oriental Publisher, first published in 1828.
- Irwin, H.C. 1973, The Garden of India or Chapters on Oudh History and Affairs, Pustak Kendra, first published in 1880.
- Martin, Montgomery R. 1976, The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Cosmo Publications, first published in 1838.
- Neville, H.R. 1904. Bara Banki : A Gazetteer, Government Press, Allahabad.
- Thornton, Edward. 1993. A Gazetteer of the Territories under the Government of the East India Company, Low Price Publications, first published in 1858.
- Tieffenthaler, Joseph, 1786.

Description Historique Et. Geographique De L'Inde, published in French by M. Jean Bernoulli, A. Berlin.

- Beveridge, A.S. 1970. Babur-Nama, Oriental Books RePrint Corporation, first published in 1922.
- Fazl, Abul. 1993 reprint, Ain-i-Akbari, translated into English by Colonel H.S. Jarrett, revised by Sir Jadu Nath Sarkar, The Asiatic Society.
- Narain, Harsh. 1993. The Ayodhya Temple-Mosque Dispute, Focus on Muslim Sources, Penman Publishers.
- Bhatnagar, G.d. 1968. Awadh Under Wajid Ali Shah, Bharatiya Vidya Prakashan.
- Eck, Diana. 1983. Banaras. City of Light, Routledge and Kegan Paul.
- Gopal, Lallanji, 1994. Ed. Ayodhya. History, Archaeology and Tradition, All India Kashirak Trust, Fort Ramnagar, Varanasi.
- Grover, B.R. 1994, "An Analysis of the Revenue Documents Relating of Janmsthan (Ram Janm Bhoomi) versus," in Lallankji

Gopal, ed., Ayodhya. History, Archaeology and Tradition, All India Kashiraj Trust, Fort Ramnagar, Varanasi.

- Habib, Irfan. 2007, "Medieval Ayodhya (Awadh), Down to the Mughal Occupation", paper presented at the 67th session of the Indian History Congress, Proceedings of the Indian History Congress.
- Lal, B.B. 1988. "Histoticity of the Mahabharata and the Ramayana: What Has Arachaeology to Say in the Matter", paper presented at a seminar in New Archaology and India, Indian Council for Historical Research, Delhi.
- Mani, B.R. 2002-2003, "The Genre of Circular Temples in North Indian", Puratattva, Number 33.
- Noorani, A.G. 1990. "The Babri Masjid Ram Janmabhoomi Question", in Asghar Ali Engineer, ed., Babri Masjid/ Ramjannmabhoomi Controversy, Ajanta Publications.
- Pandey, Justice K.M. 1996. Voice of Conscience, Din Dayal Upadhyay

Prakashan.
- Ram, Rai Bahadur Lala Sita, 1928. Outlines of a History of Ayodhya from the Earliest Time to the Muhammadan Conquest, The Indian Press.
- Ramesh. K.V. 2002-2003, "Ayodhya Visnu-Hari Temple Inscription", Puratattva, Number 33
- Shastri, Ajay Mitra, 1994, "Rama : His Divinity in Literature, Numismatics and Epigraphy", in Lallanji Gopal, ed., Ayodhya, History, Archaeology and Tradition, All India Kashiraj Trust, For Ramnagar, Varanasi.
- Thapar, Ramila. 1989a, "Epic and History : Tradition, Dissent and Politics in India", in Past and Present, November, 125.
- Verma, T.P. and S.P. Gupta. 1999, Ayodhya ka Itihas Evam Puratatwa. Bharateeya Samskriti Parishad.